



# मध्यकालीन इतिहास की संस्थाएँ

( प्रशासनिक, धार्मिक व सामाजिक )

संघी प्रकाशन

जयपुर

उदयपुर

मूल्य : पचास रुपये

प्रकाशक : विजेन्द्रकुमार संघी  
संघी प्रकाशन  
सासजी साई का रास्ता,  
एस.एम.एस. हाइवे  
जयपुर-302003

शाखा : 53, बापू बाजार  
उदयपुर-313001

सर्वाधिकार : लेखक

संस्करण : प्रथम, 1981

मुद्रक : जयशक्ति प्रिन्टर्स .  
जयपुर-302003

अपने पुत्र संजय व पत्नी सरोज  
की  
स्मृति में सादर समर्पित



... शब्द ...

## दो शब्द

मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन स्वयं-में ही रुचिकर है। यह अध्ययन उस समय और भी अधिक रुचिकर बन जाता है जब दो विभिन्न सभ्यताएँ एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आते हुये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा करती हैं। फिर यदि ये अध्ययन देश-काल के बहुप्रायामी परिप्रेय की दृष्टि से किया जावे तो समकालीन समाज की प्रशासनिक, धार्मिक व सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने में भी सहयोग देती है।

किन्तु इस और विद्वानों के समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया है। कारण कि एक ओर तो प्रशासनिक, धार्मिक व सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक इतिहास की तुलना में शीघ्र स्थान दिया जाता रहा है और दूसरी ओर इन समस्याओं के अध्ययन की उपयोगिता अनुभव नहीं की गयी। पिछले कुछ समय से इन समस्याओं के अध्ययन में विद्वानों की रुचि बढ़ती जा रही है, प्रसिद्ध इतिहासकारों द्वारा अथवा कार्य पहले ही किया जा चुका है। तो भी ऐसा अनुभव होता है कि इन समस्याओं को वैज्ञानिक आधार देने के लिये बहुत कुछ करना बाकी है। विशेषकर हिन्दी माध्यम के अन्तर्गत जब इस समस्या का समायोजन बूँट निकालने का प्रयत्न किया जाता है तो अनुभव होता है कि हिन्दी में इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित उपयुक्त पुस्तकों की कमी है। इन्हीं कठिनाइयों को अनुभव करते हुये हिन्दी में मध्यकालीन समस्याओं को लिखित करने का यह विनम्र प्रयास किया गया है।

ये समस्याएँ मोटे रूप से मध्य एशियाई, तुर्की-तथा ईरानी परम्पराओं और परिपाटियों पर आधारित थी परन्तु भारतीय शातावरण में रहते हुये यह सम्भव नहीं था कि ये यहाँ की परम्पराओं से अछूती रह जावें। इस कारण सल्तनतकाल में जो सम्भव की प्रक्रिया आरम्भ हुई वह उस युग की अस्थिरता से भागे न बढ़ सकी। मुगलकाल में शासकों की उदार नीति ने इसे गति प्रदान की और इसीलिये सल्तनतकाल में जो विकास का ऐतिहासिक क्रम आरम्भ हुआ था वह मुगलों के समय में पूर्ण मौवनावस्था प्राप्त कर सका। धक्कर के शासन के अन्त तक जो विकसित रूप सामने आया वह भारतीय और इस्लामी मान्यताओं के बीच एक समझौता था। उसके उत्तराधिकारियों के समय में यद्यपि इसमें आवश्यक सुधार किये गये परन्तु मूल ढांचा अकबरकालीन ही बना रहा। इसी आधार पर राजसत्ता का स्वरूप; मनसबदारी प्रथा;

सैनिक व्यवस्था, श्रमीर वर्ग, केन्द्रीय व प्रान्तीय शासन, भू राजस्व, व्यापार, उद्योग, कर सिद्धान्त तथा बैंकिंग व मुद्रा, स्थियों की स्थिति, मुस्लिम व हिन्दू वर्ग तथा समाज के विभिन्न वर्गों की दशा का चित्रण किया गया है।

प्रस्तुत रचना मध्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञों हेतु न होकर उन लोगों के लिये है जिनकी इतिहास में सामान्य रुचि है और जो मध्यकालीन सस्यामों को समझने के इच्छुक हैं। यही कारण है कि पॉइंटिफ़िणी सन्दर्भ का पूरा उपयोग न कर केवल महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ ही दी गई हैं। इस कमी को पूरा करने के लिये अन्त में धन्य-सूची दी गई है जो मध्यकालीन इतिहास के किसी पक्ष विशेष का अध्ययन करने में उसभुक व्यक्ति के लिये सहायक हो सके। इस आधार पर यह शोध तथा एम.ए. (इतिहास) के विद्यार्थियों के लिये उपयोगी पुस्तक सिद्ध होगी।

लेखक किसी मौलिक खोज का दावा नहीं करता अपितु उसने समकालीन इतिहासकारों की कृतियों और विद्वान लेखकों की पुस्तकों का भरपूर उपयोग किया है और उनके विचारों तथा भावनाओं को ध्यास्थान देने की कोशिश की है। लेखक इन सभी विद्वानों और लेखकों के प्रति भीमारी है।<sup>17</sup>

पुस्तक की रचना में मुझे मेरी स्वर्गीय पत्नी, सरोज सक्सेना से अत्यधिक प्रेरणा मिली जो दुर्भाग्यवश इस कृति के प्रकाशन को न देख सकी।

लेखक सभी प्रकाशन, जयपुर के प्रबन्धक श्री वी के सची के प्रति भीमारी प्रकट करता है जिन्होंने इस कठिन समय में पुस्तक को अत्यधिक तत्परता से प्रकाशित किया। विषय से सम्बद्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद भी इसमें कमियाँ रहना स्वाभाविक है, भाशा है विद्वान पाठक इसके प्रति मुझे सचेत करेंगे। इस पुस्तक से यदि मध्यकालीन इतिहास की सस्यामों को हिन्दी भाषा में समझने में कुछ सहायता मिल सके तो लेखक अपने को कृतार्थ समझेगा।

## अनुक्रम

1. मध्यकाल में राजगता का स्वरूप	1- 20
2. मनसबदारी प्रथा	21-42
3. मध्यकालीन सैनिक	43-74
(अ) सल्तनतकालीन सेना व उसकी व्यवस्था	
(ब) मुगलकालीन सेना व उसकी व्यवस्था	
4. छमौर बर्ग—संगठन व स्वरूप	75-103
5. केन्द्रीय शासन	104-140
(अ) सल्तनतकालीन केन्द्रीय शासन-व्यवस्था	
(ब) मुगलकालीन केन्द्रीय शासन व्यवस्था	
6. प्रान्तीय व स्थानीय शासन	141-168
(अ) सल्तनतकालीन प्रान्तीय व स्थानीय शासन	
(ब) मुगलकालीन प्रान्तीय व स्थानीय शासन	
7. भू-राजस्व (1206-1556 ई.)	169-195
8. भू-राजस्व (1556-1740 ई.)	196-211
9. मध्यकाल में व्यापार व उसकी व्यवस्था	212- 22
10. मध्यकाल में उद्योग और उसकी व्यवस्था	223-233
11. मध्यकालीन कर-सिद्धान्त व व्यवस्था	234-244
12. बँकिग व मुद्रा	245-254
13. मध्यकाल में विद्यार्थी की स्थिति	255-267
14. मुस्लिम व हिन्दू बर्ग	268-276
15. मध्यकालीन छमौर बर्ग, मध्यम बर्ग व साधारण बर्ग की दशा	277-287
सन्दर्भ ग्रन्थ	298-290
अनुक्रमणी	291-





# 1

## मध्यकाल में राजसत्ता का स्वरूप

इस्लाम सामाजिक और राजनैतिक समानता की नींव पर आधारित है और इसीलिए राजसत्ता पर किसी वर्ग-विशेष अथवा परिवार का एकाधिकार स्वीकार नहीं करता। स्वयं हजरत मुहम्मद ने केवल योग्य को ही मुस्लिम वर्ग पर शासन के लिये चुने जाने की ओर मकेत किया था, परन्तु निर्वाचन के लिये समस्त मुस्लिम वर्ग का एकाधिकार करना कोई सहज कार्य नहीं था और न ही ऐसे साधन उपलब्ध थे जिनके द्वारा इस आदेश का पालन किया जा सकता। सुनिश्चित व्यवस्था के अभाव में तथा राज्य के बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को निभाने के लिये निर्वाचकों की संख्या क्रमशः कम होनी चली गई, यहाँ तक कि यह केन्द्र के अग्रणी मुस्लिम सदस्यों तक सीमित हो गई। निर्वाचकों की संख्या यहाँ तक कम होती गई कि धीरे-धीरे शासक अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करने लगा। निर्वाचन पद्धति की अन्तर्दृष्टि के लिये यह अंतिम क्रिया थी। तत्पश्चात् राजसत्ता का वशानुगत आधार पर निश्चित हो जाना स्वाभाविक था और प्रत्येक शासक-वंश-परम्परा में भी अपने पुत्र को ही अधिक बरीयता देना रुचि कर सम्भता था। परन्तु इससे यह अभिप्राय निकालना कि निर्वाचन-प्रणाली को पूरी तरह से त्याग दिया गया था, उचित न होगा, क्योंकि इसके बाद संदन्तिक आधार पर राजसत्ता सम्पूर्ण मुस्लिम वर्ग में निहित थी जिससे कि वे समय पड़ने पर अग्रगण्य व अवाञ्छनीय उत्तराधिकारी से स्वयं को मुक्त कर सकें। डा. आर पी त्रिपाठी<sup>1</sup> की मान्यता है कि व्यवहार में यह निर्वाचन अथवा वशानुगत प्रणाली के लाभ से वंचित थी अर्थात् सम्भवतः इसमें दोनों प्रणालियों की हानियाँ मौजूद थीं।

सन्तत काल के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक ऐसा शासक जिसको उलमा और सामन्त वर्ग, प्रमुखतः मुस्लिम सामन्त वर्ग का सहयोग

1 डा० आर० पी० त्रिपाठी—सम आस्पेक्टस ऑफ मुस्लिम एवमिनिस्ट्रेशन—पृष्ठ 3

प्राप्त न हो उसके लिये राजसत्ता को बनाये रखना अथवा राज्य कार्य को चलाना अत्यधिक दूभर था ।

मुस्लिम राजसत्ता खलीफा को इस्लामी समाज और कानून को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये अवश्यसमावी अंग मानती है और इसी आधार पर मुस्लिम समाज का धार्मिक नेता ही उनका राजनैतिक नेता भी माना गया है । एक धर्मपरायण राज्य की स्थापना इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिये यह आवश्यक भी थी । इमोलिय इस्लाम अपने राजनैतिक जीवन के आरम्भक काल में धर्म के इर्द गिर्द घुमराता रहा और खलीफा इस्लामी समाज और राजनीति का शताब्दियों तक नेतृत्व करता रहा । वास्तविकता यह है कि एक शक्तिशाली कार्यपालिका की समस्त शक्ति खलीफा में निहित थी । परन्तु जैसे-जैसे इस्लाम की सीमाएँ अरब के रेगिस्थानी प्रदेश से निकल कर चारों ओर फैलने लगी वैसे ही खलीफा का पद केवल शोभनीय रह गया, क्योंकि न तो यह सम्भव था कि खलीफा इस्लाम की बढ़ती हुई राजनैतिक मांगों का एक स्थान में संचार कर सकें और न ही कभी इस्लाम ने इसकी कल्पना भी की थी कि उनकी राजनैतिक आकांक्षाएँ एक ऐसे प्रदेश में फैलेंगी जहाँ के निवासी इस्लाम से अलग ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों । खलीफा को इन प्रदेशों में अब केवल अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर ही सन्तुष्ट होना पड़ा और राज्य के दिन प्रतिदिन व शासन के लिए अधिकधिक स्वतन्त्रता देने व लिए बाध्य होना पड़ा । खलीफा अब ऐसे मुस्लिम शासकों को मान्यता देकर ही सन्तुष्ट रहने लगा । ऐसी स्थिति में स्थानीय शासक केवल नाम मात्र के लिये ही खलीफा के अधीन थे । व यद्यपि स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे परन्तु वास्तविक रूप में न तो शासन चलाने में वे खलीफा के आदेश ही प्राप्त करते थे और यदि प्राप्त हो भी जावें तो भी उन्हें लागू करने की परवाह न करते थे । भारत में तुर्कों के राज्य की स्थापना के बाद यही स्थिति थी ।

मस्लमत युग में शासक स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिये जिनसे कि मुस्लिम वर्ग उनको अपना निर्विरोध शासक मान ले खलीफा से स्वीकृति प्राप्त कर लेते थे । यह एक साधारण सा रिवाज बन गया था क्योंकि इसमें उन्हें लाभ की अपेक्षा हानि नाम मात्र की नहीं थी । इसकी प्राप्ति के बाद भी शासक पूरी तरह से स्वतन्त्र था और अपने तथा राज्य के हितों को ध्यान में रखकर ही नीति निर्धारित करता था । यदि ऐसा न होता तो 1258 में हुलाकू द्वारा खलीफा का अन्त कर देने के बाद भी उसके प्रतिनिधियों को भारत में यथोचित सम्मान न मिलता । इससे यह स्पष्ट है कि तुर्क शासक खलीफा के स्वीकृति पत्र को केवल एक दिखावा ही मानते थे और वस्तुतः अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुये वे खलीफा के विरोधियों को भी अपने पक्ष में करने में किंचित साधन भी न हिचकते थे ।

मुहम्मद बिन कासिम जो भारत की भूमि पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति था, जिमी आधार पर भी भारत का मसजिद नहीं गिना जा सकता। कारण कि उसने भारत के बहुत ही छोटे भाग 'दुबई और मुल्तान पर ही अधिकार किया था। ऐसी स्थिति में उसने द्वारा राजसत्ता के किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करना अथवा राजसत्ता को स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सर वूल्फ्रे हेग के अनुसार "भारत के इतिहास में यह एक आधारभूत घटना थी और उसने इस विशाल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के एक छोटे प्रदेश मात्र को प्रभावित किया।" उन्हीं प्रकार स लेनपूल ने भी लिखा है कि "यह इस्लाम के इतिहास की गीला तथा महत्वहीन घटना थी।" महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी के समय राजसत्ता का स्वरूप निश्चित करना सम्भव नहीं था, क्योंकि महमूद गजनवी राज्य-स्थापना की अवस्था में प्राप्ति को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता था और मुहम्मद गौरी यशरि राज्य स्थापना की कल्पना अवश्य करता था परन्तु वह मध्य एशिया की राजनीति का शिकार होकर रह गया और उसकी अचानक मृत्यु ने उसके कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया।

मुहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने प्रतिनिधि के रूप में छोड़ा था। हाँ धार भी दिवाठी के अनुसार कुतुबुद्दीन को इस्लामी भारत का अनुसन्ता सम्पन्न शासक मान लेना ठीक नहीं है।<sup>1</sup> मुस्लिम शासकों की परम्परा के अनुसार न तो उनके कुतुबे के कोई प्रमाण मिल पाये हैं और न ही उस द्वारा राज्याभिषेक पर जारी किये गये सिक्कों का ही विवरण मिल पाया है। इन वस्तुओं को उसे दिल्ली का प्रथम शासक नहीं मानता था। इसके अतिरिक्त फीरोजशाह तुगलक के द्वारा जो सूची अपने अस्तित्व के लिये तैयार करवाई थी उस में भी कुतुबुद्दीन का नाम नहीं था।<sup>2</sup> इसका बाद भी यह प्रमाणित करना कि भारत में स्थित समस्त मुस्लिम अधिकारियों ने, जो मुहम्मद गौरी के द्वारा छोड़े गये थे, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया हो नितांत सन्देहास्पद है क्योंकि बयाना का शासक बहाउद्दीन ही उसकी अपना स्वामी स्वीकार करने को तत्पर न था। परन्तु इसके बाद भी उसकी समस्त प्राप्ति को महत्वहीन मान लेना भूल होगी क्योंकि उसने गजनी की सर्वोच्चता को लगभग दो शताब्दियों में चली आ रही थी उसे समाप्त कर भारत में स्वतन्त्र हाँ से मुस्लिम शक्ति के विकास की आधारशिला रखी और इस प्रकार से भारत में एक स्वतन्त्र सल्तनत की स्थापना में योगदान दिया।

1 लेनपूल—महोबल इंडिया, पृष्ठ 24

2 डा धार पी त्रिपाठी—वही, पृष्ठ 23

3 आकीफ, पृष्ठ 106-107

डा आर पी त्रिपाठी के शब्दों में "भारत में मुस्लिम सप्रभुता का इतिहास इस्तुतमिश से आरम्भ होता है।" ऐबक ने जिस काम को घघूरा छोड़ दिया था, इस्तुतमिश ने उसे पूरा किया।<sup>1</sup> डा क ए निजामी ने लिखा है कि "ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति तैयार की थी, इस्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरण-शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया।" उसे न तो ऐबक की भाँति गौरी का समर्थन ही प्राप्त था और न ही उसकी भाँति उसे तुर्कों सरदारों का समर्थन ही प्राप्त था अपितु उसे इसमें अपने प्रतिद्वन्द्वी आरामशाह से युद्ध कर अपनी श्रेष्ठता को साबित करना पड़ा। दिल्ली के अभिजात वर्ग व अधिकारियों ने उसे गद्दी के लिए आमन्त्रित किया और उस समय की परिस्थितियों में जबकि दिल्ली का राज्य स्वयं एक नवजात शिशु के रूप में था एक ऐसा ही व्यक्ति जो कुशल मैतानी, विजता तथा राज्य को सुगठित करने का सामर्थ्य रखना हो, की आवश्यकता थी। इस्तुतमिश को अपने कार्यों से इस विश्वास की पूर्ति करनी थी।

इस्तुतमिश राजसत्ता को किसी दूमरे के साथ बाटने को तैयार नहीं था। इसीलिए बगाल के शासक गिधासुद्दीन जिसने की बगदाद के खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया था और "शाहमानीशाह" की उपाधि से स्वयं को विभूषित कर रखा था इस्तुतमिश के लिए एक बड़ा रोड़ा था। इस्तुतमिश जो कि राजसत्ता के बटवारे में विश्वास न रखता था उसे गिधासुद्दीन के विरुद्ध अभियान करना पड़ा और उसे पराजित कर बाध्य किया कि वो उसे 'सुल्तान ए आज़म' स्वीकार करे। यल्दुज के प्रति भी उसकी नीति इमी बात का प्रमाण है।

यल्दुज के प्रति इस्तुतमिश ने कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। जब वह सिंहासन पर बैठा तो यल्दुज ने उसे अपने आधीन मानते हुए छत्र, दण्ड आदि राज चिन्ह भेजे जिनको इस्तुतमिश ने शान्ति में स्वीकार कर लिया। परन्तु जब यल्दुज ने प्राकृतिक सीमाओं का दावा प्रस्तुत किया तो उसके पाग केवल युद्ध करने के अनिच्छित कोई चारा नहीं था। तराइन के युद्ध में उसे पराजित कर इस्तुतमिश ने राजसत्ता के एक प्रमुख दावेदार को समाप्त कर दिया और साथ ही दिल्ली का गजनी से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया।

इस्तुतमिश ने अपनी राजसत्ता को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, मुस्लिम वर्ग की सटानुभूति प्राप्त करने, तथा शरा की औपचारिकता को पूरा करने के लिए बगदाद के खलीफा के स्वीकृति-पत्र प्राप्त किया। डा त्रिपाठी के अनुसार उसने इसने लिए स्वयं प्रार्थना की थी घघवा खलीफा मगोनों के बड़ने दूरे जोसिम के विरुद्ध

एक शक्तिशाली मुस्लिम शासक की सहायता का इच्छुक था स्पष्ट नहीं है।<sup>1</sup> खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किये जाने से उसका पद बानूनी बन गया और दिल्ली सल्तनत भी बानूनी रूप से एक स्वतन्त्र राज्य बन गया। इसी स्वीकृति के साथ इल्तुतमिश को यह लाभ भी हुआ कि अब वह सुल्तान के पद को वशानुगत बना सकता था।

इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और वास्तव में वह भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था। उसकी राजशक्ति तीन बातों पर आधारित थी—वह अधिकारी वर्ग द्वारा निर्वाचित किया गया था, वह विनय करने का अधिकारी था तथा आशावागिता को लागू करने का सामर्थ्य रखता था, यगदाद के खलीफा के द्वारा भी उसे स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी। डा० त्रिपाठी के इस मत की पुष्टि प्रो० हबीबुल्ला न करते हुये लिखा है कि “इल्तुतमिश ने ऐबक की खोलली नींव पर आधारित राजसत्ता का अपूर्ण काम को अपने हाथों में लेकर पूर्ण रूप दे यह प्रमाणित कर दिया कि उसमें रचनात्मक कूटनीतिज्ञता के गुण थे।”

इल्तुतमिश ने अपने जीवन-काल में अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी लड़की रजिया का नाम घोषित कर दिया था। यद्यपि इस कार्य में उसे महमूद गजनवी से प्रेरणा अवश्य मिली थी, परन्तु वह महमूद से एक कदम आगे निकल गया जबकि उसने अपने समस्त पुत्रों की तुलना में अपनी पुत्री को चुना। राज्य के विभिन्न अधिकारियों को जो कि इस प्रकार के सर्वथा नये प्रयोग के विरोधी थे यह कहकर संतुष्ट कर दिया कि उसके पुत्र शासन प्राप्ति के लिए पूर्ण योग्य और निकम्मे हैं तथा उसकी पुत्री ही उसके वंशजों में इस पद के लिये योग्यतम है। शासन की योग्यता न केवल इल्तुतमिश अपितु तुर्क सरदारों के लिये भी निर्णयात्मक शर्त थी।

उसकी मृत्यु पर तुर्कों ने रजिया को राज्य पद से वंचित रक्खा क्योंकि वे अभी तक एक स्त्री के द्वारा शासित होने के विचार को पाच्य नहीं कर सके थे। इसका प्रतिरिक्त यह विचार मुस्लिम सिद्धान्त वैज्ञानियों के विचारों के विरुद्ध था तथा गजनवी और गौरी वंश में इसका कोई उदाहरण न था। सामन्तों ने इल्तुतमिश की घोषणा की परवाह न की, परन्तु समय आने पर मैनियो तथा मैनिको ने प्रधान-मन्त्री मुहम्मद जून्दी और उसके नाजिक समर्थकों के विरोध में रजिया को राजसत्ता सौंप दी। मुस्लिम राजसत्ता के इतिहास में यह एक सर्वथा नया प्रयोग था।

यद्यपि रजिया का राज्यकाल अल्प था तथापि उसकी महत्ता पर सन्देह नहीं किया जा सकता। यह कम से कम 13वीं शताब्दी के तुर्कों की दूर्गदर्शिता तथा उनके

1 डा० आर० पी० त्रिपाठी—वही, पृष्ठ 26।

स्वस्थ मस्तिष्क का सूचक है कि उन्होंने समय आने पर इस प्रकार के एक घनूठे प्रयोग को करने का साहस किया।

गुलाम वश के इतिहास का महत्व इस बात में भी है कि इन काल के सामन्त वर्ग ने इल्तुतमिश के वशजों को ही राजसत्ता की स्वीकृति प्रदान की। वशानुगत राज्य का इस्लामी कानून में कोई अधिक महत्व नहीं है क्योंकि स्वयं तुर्क भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते थे, परन्तु भारत के मुस्लिम राजसत्ता के क्षेत्र में यह एक घनूठा उदाहरण था। इल्तुतमिश का मृत्यु के तीस वर्ष बाद भी व्यक्ति यह विश्वास करते रहे कि दिल्ली के सिंहासन पर केवल उसी के वश का अधिकार है, इसीलिये जब सीदी मौला के समर्थकों ने जुलालुद्दीन खलजी को सिंहासन से हटाने का पद्यन्त्र किया तो अमीरो का समर्थन प्राप्त करने के लिये उन्होंने सीदी मौला का विवाह इल्तुतमिश के वश और मृतक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की एक पुत्री से करने का विचार किया। राजसत्ता के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण योगदान था।

1240 ई० में रजिया के वध के बाद बहरामशाह को गद्दी पर बैठाना तुर्की सरदारों की विजय का प्रतीक था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शक्ति के लिये जो सघर्ष सुल्तान व उसके तुर्की सरदारों के बीच हुआ उसमें तुर्की सरदारों की विजय हुई। तुर्की सरदारों ने रजिया के व्यवहार से यह निश्चित किया कि भविष्य में वे सुल्तान को शासन का कोई अधिकार न देंगे। समस्त अधिकार 'नाइब' अथवा 'नाइब-ए-मामलिकात' के अधीन रहेंगे और इन पद के लिये एतनीन को चुना गया। सुल्तान ने अपनी राजसत्ता, प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में तुर्की सरदारों से समझौता करना अपने लिये अपमान-जनक समझा और परिणामस्वरूप तुर्की सरदारों और उसके बीच राजसत्ता के प्रश्न को लेकर जो सघर्ष चला उसमें अन्त में सुल्तान का वध कर दिया गया। तुर्की सरदार अपनी शक्ति के विस्तार में एक कदम और आगे बढ़ गये। अब यह स्पष्ट होने लगा कि राज्य की वास्तविक शक्ति तुर्की सरदारों के हाथों में निहित होगी और सुल्तान केवल नाम मात्र का शासक बन कर रहेगा। परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि तुर्की सरदारों में इस समय कोई भी इतना योग्य सरदार न था जिसको समस्त सरदार सुल्तान मानने को तैयार हों।

जब मलिक इज्जुद्दीन कश्गू खान ने राजसत्ता अपने हाथों में लाने का प्रयत्न किया, उसी समय अमीरो ने अलाउद्दीन ममूदशाह को राजपद देने का निश्चय किया। उस भी इस शर्त पर शासन सौंपा गया था कि राज्य की शक्ति का प्रयोग वह अपने नाइब द्वारा करेगा। राजसत्ता अब पूर्ण तरह से अमीरो के हाथों में जा चुकी थी। इसीलिये अमीर बुद्ध समय के लिए प्रसन्न थे क्योंकि नये शासक नासिरुद्दीन महमूद ने पूर्ववत् राजाघरा व भाग्य को देख कर राजनीति में हस्तक्षेप करना पूरी तरह से छोड़ दिया था और सम्पूर्ण शक्ति बलबन के हाथों में थी।

नासिरुद्दीन की निस्सतान मृत्यु पर उसके समुद्र बलबन ने सम्पूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया। एक अनुभवही सैनिक व कुशल प्रशामनिक होने के नाते उसने प्रधानमन्त्री-काल में पायी शक्ति तथा प्रभाव को इस प्रकार से गठित किया था कि इस समय राजसत्ता को हृदयधारे में उभरे कोई कठिनाई अनुभव न हुई। उसने यह अनुभव किया था कि वगैर सफल नेतृत्व के तुर्की अमीरों को संगठित रखना सम्भव नहीं है। इसके प्रतिगठित मंगोलों की बढ़ती शक्ति पर सफलता से अकुश लगाने के लिये आवश्यक था कि राजसत्ता का स्वामी एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको सम्पूर्ण प्रशासन व वैधिक अधिकार प्राप्त हों।

बलबन के लिये यह कार्य सरल नहीं था क्योंकि एक ओर तो सुल्तान की प्रतिष्ठा लुप्त प्राय थी और दूसरी ओर तुर्की अमीरों की शक्ति काफी बढ़ गयी थी। बलबन के लिये आवश्यक था कि वह अमीरों की बढ़ी हुई शक्ति पर अकुश लगाये और उनमें राजसत्ता के प्रति सम्मान और भय की भावना जाग्रत कर अन्वया यह सम्भव था कि अमीर दूसरे शासकों की तरह उस भी पगु कर केवल नाम मात्र के शासक रूप में उससे व्यवहार करें। इसीलिये प्रा० हज़ीवुल्ला न लिखा है कि "इल्तुतमिश ने मन्था (दिल्ली सल्तनत अर्थात् सुल्तान का पद)की शरारत का केवल निर्माण ही किया था। उसको पुनर्जीवित करन और उसे उसकी स्थिति की पूर्णता तक पहुँचाने का कार्य बलबन के लिय छोड़ दिया गया था।"

बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद और अधिकार के बारे में और अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता के बारे में विचार प्रकट किया। प्रो० के ए निजामी के शब्दों में "यह सुल्तान के सम्मान में वृद्धि करने तथा अन्य अमीरों से बचने के लिये आवश्यक था परन्तु इसका एक कारण उसकी हीनता की भावना भी थी जिसके कारण वह अपने विचारों को निरन्तर व्यक्त करके अपने अमीरों को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि वह किसी हत्यारे के छुरे अथवा जहर के प्याले के कारण सुल्तान नहीं बना है अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण ही यह पद प्राप्त कर पाया है।"

बलबन के राजसत्ता के सिद्धान्त की दो प्रमुख विशेषताएँ थीं। प्रथम वह सुल्तान के पद को ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ मानता था तथा दूसरे सुल्तान का निरकुश होना वह आवश्यक समझता था। उसके अनुसार "सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और पंगम्बर के बाद वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। सुल्तान को काम करने की प्रेरणा ईश्वर-दत्त है इसलिये जन-माधारण को उसके कार्यों की ध्यान-रचना का कोई अधिकार नहीं है।" एक बार अपने पुत्र बग़रा खा को सम्बोधित करन हुए उसने कहा था कि "सुल्तान का पद निरकुशता का जीवित प्रतीक है।"



राजसत्ता सम्बन्धी अपने इन विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिये उमने अपने एक सक्रिय बंदम उठाये। उसने स्वयं को अफीसियाब का वंशज बनाया। अपने इस मिथ्या अथवा सत्य की पुष्टि उसने केवल उन लोगों को जो सम्मानित वंशों में सबिधत थे अपना सरक्षण प्रदान कर पूर्ति की। राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पद केवल उन लोगों को दिये जो सम्मानित वंशों में सम्बन्धित थे। उसने एक बार राज्य के तीस अधिकारियों को केवल इसलिये पदच्युत कर दिया कि वे साधारण अथवा दीन-हीन वर्ग में जन्मे थे। उसने साधारण व्यक्ति तो क्या छोटे अमीरों और सरदारों से मिलना बन्द कर दिया। दिल्ली के धनाढ्य व्यापारी पत्थर बाबरी ने मुल्तान से एक बार मिलने के लिये अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति देने का वचन दिया परन्तु फिर भी बलबन ने उसे मिलने की अनुमति न दी। बलबन यह मानता था कि प्रत्येक आदमी से मिलने से उमका सम्मान समाप्त हो सकता है।

मुल्तान की प्रतिष्ठा के अनुरूप उसने अपने व्यवहार को भी गम्भीर और एकाकी बना लिया। वह अधिकतर एकान्त में रहने लगा तथा शराब पीना बन्द कर दिया। उमने न कभी के सामने अस्वाभाविक हर्ष ही प्रकट किया और न ही कभी अपने दुःख की छाया मुह पर छा जाने दी। यहाँ तक कि जब उमके उत्तराधिकारी और प्रिय पुत्र महमूद की मृत्यु का समाचार उम दरबार में मिला तो भी वह बगैर तनिक विचलित हुये राज्य-कार्य में उसी प्रकार व्यस्त रहा जैसे कोई घटना ही न घटी हो, यद्यपि उसकी सम्पूर्ण आशाये शहजादे महमूद पर ही निर्भर थी। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह इस शहजादे के लिये फूट फूट कर रोया परन्तु अपने राजनैतिक जीवन को उससे बिल्कुल अछूता रखता। दरबार में हमना और मुस्कगना एक अदम्य भूल समझी जाने लगी और केवल प्रधानमन्त्री निजामुल-मुत्क के अनिर्दिष्ट दूसरे अमीर का साहस न था कि वो मुल्तान को सम्बोधित कर सके।

दरबार के लिये उसने ईरानी परम्पराओं को लागू किया और अमीरों के लिये "सिजदा" और "पैबीस" की अभिवादन की रीति को आरम्भ किया जिसमें कि अमीर लोग भी उसके आगे सिर को नीचा रखकर खड़े रहें। बड़े-बड़े सरदारों को छोड़कर सबको दरबार में खड़े रहने के आदेश दिये और ईरानी लोहार नीरोज को सज-धज के साथ मनाने की आज्ञा निकाली। ऊँचे और भयानक व्यक्तियों को अपना अग्ररक्षक नियुक्त किया जो उसके सिंहासन के दोनों ओर चमचमाती नगी तलवार लिये खड़े रहते थे। बाहर जाते समय यही अग्ररक्षक नगी तलवार लिये हुये उनके साथ चलते थे। अपने व्यक्तिगत व्यवहार और दरबार की शान-शोका तथा सत्ता के प्रदर्शन से बलबन ने निश्चित ही सुल्तान की प्रतिष्ठा में बढोत्तरी की और जन-साधारण उमकी चमक-दमक से स्तम्भित रह गया। बरनी ने लिखा है कि "दरबार की सज-धज को देखने के लिये लोग चार-चार सौ मील की यात्रा करके आते थे।"<sup>1</sup>

1. बरनी—तारीख-ए-फीरोजशाही पृष्ठ 46,

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बलबन की राजसत्ता ताज की प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित थी। उसका उद्देश्य समस्त सैनिक व प्रशासनिक अधिकारियों पर छा जाना था। वह इल्तुमिश की तरह केवल अमीरों का नेता बन कर सन्तुष्ट नहीं था अपितु वह ताज को एक शानदार सत्ता बनाकर उसे एक सुस्पष्ट व्यक्तित्व प्रदान करना चाहता था जो अमीरों से शक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा अपने प्रबल अन्तर्निष्ठ स्रोत से शक्ति प्राप्त करे।<sup>1</sup> परन्तु इसके बाद भी वह बुद्धिहीन कार्य करने के लिए तत्पर न था और अपने सलाहकारों का न केवल समुचित आदर करता था, अपितु उनकी सलाह के अनुसृत्य कार्य भी करता था।

बलबन को समस्त आशाओं उसके पुत्र मुहम्मद पर आधारित थी और यदि वह युद्ध में न मारा जाता तो सम्भवतः बलबन द्वारा राजसत्ता को प्रतिष्ठित और सम्मानित बनाने का कार्य और तेजी से पूर्ण हो जाता। उसकी मृत्यु बलबन के लिये एक आघात थी। वह यद्यपि अपने दूसरे पुत्र बुगरा खा के प्रति अधिक हीन विचार रखता था परन्तु फिर भी उसने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति करने का विचार किया। परन्तु बुगरा खा ने बलबन की मृत्यु से पहले ही पुनः बगाल की ओर प्रस्थान कर दिया। इसलिये बलबन ने मुहम्मद के पुत्र कैशुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अमीरों से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली।

बलबन की मृत्यु पर अमीरों ने उसके स्थान पर बुगरा खा के पुत्र कंकुवाद को सुल्तान घोषित किया। यहाँ पर राजसत्ता के क्षेत्र में नये विद्वान्त को प्रतिपादित किया गया जबकि अमीरों ने एक ओर तो सुल्तान द्वारा घोषित उत्तराधिकारी को टुकराया परन्तु फिर भी यह वर्ग सुल्तान के वश के प्रति आभारी रहा। दूसरे पक्ष के जीते जी पुत्र को राजसत्ता देना एक सर्वथा नया प्रयोग था। बुगरा खा इसका मह्यं स्वीकार करने के लिये तत्पर न था और उसने अपने आपको बगाल का स्वतन्त्र शासक घोषित कर दृढ़ करनेके लिये प्रस्थान किया। युद्ध तो टल गया और यद्यपि उसने दिल्ली के सुल्तान की आधीनता को भी स्वीकार कर लिया परन्तु उसने साथ ही यह भविष्यवाणी भी की कि बलबन का वंश शीघ्र ही समाप्त हो जावेगा।

इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इल्बारी तुर्कों ने वशानुगत उत्तराधिकारी के माध्य-माध्य निर्वाचन प्रणाली को भी बनाये रखने का प्रयत्न किया परन्तु राजनैतिक अस्थिरता तथा सीमित राजनीतिक अनुभव के कारण वे निश्चित निष्कर्षों को स्थापित करने में अक्षम रहे।<sup>2</sup> उत्तराधिकारी चुनने के नियमों की अनुपस्थिति में यह कार्य और भी अधिक दुष्कर बनकर रह गया।

1 डा० धार० वी० त्रिपाठी—वही पृष्ठ 37.

2 डा० धार० वी० त्रिपाठी—वही पृष्ठ 38-40.

इल्बारी तुक प्रायः यह मानत थे कि राजसत्ता के केवल मात्र वे ही अधिकारी हैं इसीसे स्वाभाविक रूप में वे लागू जो तुक नस्ल से सम्बन्धित नहीं थे वे इसका विरोध करने को तत्पर हो गये। अतः खलजी विद्रोह न इस वंश का अंत करके एक नये वंश की नींव डाली और राजसत्ता के क्षेत्र में इस विचारधारा का सदैव के लिये अंत कर दिया।

जलालुद्दीन ने सिंहासन पर अधिकार न ता वंशानुगत आधार पर, न ही चुनाव द्वारा और न ही पड़ोसियों द्वारा किया अपितु सैनिक शक्ति के आधार पर किया था। खलजी अपनी सैनिक प्राप्तियों के आधार पर इसके इच्छक भी थे और स्वाभाविक रूप से इल्बारी कुलीनत वंश जो कि उनके मांग में बाधक थी उसके प्रति ईर्ष्यालु भी थे। कैकुबाद की बीमारी ने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिये एक अवसर दिया और इसका लाभ उठाकर उन्होंने उसके तीन वर्षीय पुत्र ककाऊस को जलालुद्दीन खलजी के संरक्षण में सुल्तान घोषित कर दिया। डाँ आर पी त्रिपाठी का मत है कि यद्यपि इस व्यवस्था के पक्ष में कुछ लाभ अवश्य थे परंतु पूरी तरह से न ता इस व्यवस्था को सख्त अथवा दूरदर्शितापूर्ण कहा जा सकता है।<sup>1</sup>

यद्यपि इस व्यवस्था के आधार पर बलबन के वंश के प्रति सम्मान अवश्य प्रदर्शित किया गया था परंतु एक तीन वर्ष के बालक को गद्दी पर बैठाकर तुकों ने कोई विवेकपूर्ण काम नहीं किया था। तुकों के लिये यह एक पूर्णतया नई स्थिति थी जिसका उन्हें सामना करना था। तुकों के सम्पन्न इतिहास में पहली बार उन्हें इस अनिश्चित व आकस्मिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। राजकीय वंश के शासनाधिकार को बढोतरतम परीक्षण की कमीठी पर आका जाना था और तुक एक बालक के नाम पर भी इल्बारी वंश के शासन के अधिकार को बनाये रखना चाहते थे परंतु खलजियास उनका कमजोरी व घबराहट किसी प्रकार से छिपी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में जलालुद्दीन का सकोच और बलबन के वंश के प्रति सम्मान ने सकट को तीन महीने के लिये टाल दिया। इस काल में जलालुद्दीन ने ककाऊस के नाम पर राजसत्ता अपने पास रखी और ककाऊस की हत्या के बाद वह पूर्ण रूप से शासक बन बैठा। 13 जन 1290 ई को कैकुबाद द्वारा बनवाये गये अपूर्ण किलोखरी (कीलगढी) के महल में उसने अपना राज्याभिषेक किया।

खलजी विद्रोह ने पहली बार यह स्पष्ट किया कि दिल्ली के मुस्लिम वंश में जनमत भी अपना स्थान रखता है क्योंकि यद्यपि जलालुद्दीन एक सफल सनानायक

था और उसे शक्तिशाली मेना की सहायता व सहानुभूति भी प्राप्त थी परन्तु फिर भी वह बाग्ह महीने तक राजधानी में प्रवेश करने का साहस न कर सका और उमने किलोखगे में ही दृग्द्वार लगाना प्रारम्भ कर दिया ।

जलालुद्दीन ने न तो मुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल व्यवहार ही किया और न ही उसके अनुकूल उमकी महत्वाकांक्षाएँ ही रही । वृद्धावस्था के कारण वह ध्रुव युद्ध-प्रिय न था तथा अधिक उदार और सहिष्णु हो गया था । कुछ समय पश्चात् जब वह बलबन के लाल किले में गया तो बाहर ही फाटक पर घोंडे से उतर गया और मिहामन पर बँटने में मना कर दिया । वरनी के अनुसार "वह उस मिहामन पर बँटने बँट सकता है जिसके सामने वह भय और सम्मान से घण्टो खड़ा रहा करता था ।" डा. आर. पी. त्रिपाठी के मत में उसका चरित्र तथा जन-भाषारण का प्रतिकूल व्यवहार इसके लिये उत्तरदायी था और किसी आघार पर इमकी पूर्णतया नाटकीय बढ़ना उचित न होगा । तुर्की सरदार खलजियो को गैर-तुर्क मानते थे और इमलिये वे इनसे घणा करते थे । उन्हें शामक स्वीकार करते में वे स्वयं को प्रसम्मानित अनुभव करते थे । ऐसी परिस्थिति में जलालुद्दीन की उदारता और सहिष्णुता की गलत समझा गया ।

जलालुद्दीन ने यद्यपि इत्थारी वंश का अन्त कर दिया था परन्तु वह तुर्की धर्मियों की शक्ति समझता था । इमलिये उमने उनको बड़े-बड़े पद देकर सतुष्ट करने की नीति अपनाई । जलालुद्दीन की इस नीति को उसके साथी उसकी शक्तिहीनता मानने लग गए और इमलिये उम्होन अली" (अलाउद्दीन) को समर्थन देने का निश्चय किया जो अपने चाचा का वध कर स्वयं राज्याधिकारी बन बैठा ।

डा. त्रिपाठी के अनुसार जलालुद्दीन के वध के साथ ही सैनिकवाद व हिर्नपी-शासन के सिद्धान्तों के बीच जो तर्पण चला आ रहा था वह समाप्त हो गया ।<sup>1</sup> अलाउद्दीन ने इत्तुतमिश व बलबन व राजसत्ता के सिद्धान्त को पुनः लागू किया और सैनिक शक्ति के आधार पर राजसत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया । यद्यपि उसका और बलबन के राजसत्ता-सिद्धान्त में कोई मौलिक विभिन्नता नहीं थी परन्तु न तो वो बलबन व देवी सिद्धान्त में विश्वास करता था और न ही राजनीति को धर्म के अधीन ही स्वीकार करता था । वास्तव में वह पहला शासक था जिसने यह घोषणा की कि राज्य, धर्म से नेतृत्व प्राप्त न कर स्वयं अपने स्वार्थों की रक्षा करे । अलाउद्दीन ने शामक से न तो इस्लाम के सिद्धान्तों की दुहाई दी, न ही उनेमाओ से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया । केवल नाम मात्र

1 डा० आर० पी० त्रिपाठी—वही पृष्ठ 46.

2 वही पृष्ठ 48

की ही संज्ञा रखी वह सतीदान की मस्यौदा की देना रहा। इनमिए डा ए एम. धीरानन्द ने लिखा है कि "इस तरह समाजहीन दिल्ली का सूलान या तिमने पद पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित किया और ऐसे तरीके को ब्रह्म दिया तिमने ब्रह्म ने ब्रह्म सिद्धांत को राज्य समाजशास्त्रिक आधार पर गहरा हो सकता था।"

समाजहीनने अपनी राजमत्ता को सुरक्षित रखने हेतु समीचीन की शक्ति मस्यौदा का उनको बतौर अनुमान में बांध दिया और केवल वही जो उसकी राजमत्ता के प्रति स्वाभिमान में उनको ही उच्च पर ध्यान दिये। समाजहीन के इस सिद्धांत को मजबूत करी कमी यह रही कि यह केवल राजा के व्यक्तिगत पर आधारित था और जनता के समक्ष में राज्य के नियंत्रणकारी सिद्ध हो सकता था।

समाजहीन की मृत्यु पर उसके विधायनीय दाम मयिक कायूर ने राजमत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। ब्रह्म 36 दिन में ही मयिक कायूर का पद का दिया गया और समीचीन ने मुबारक शाह को राजा बनाया। मुसलमान द्वारा उत्तराधिकारी घोषित करने के निमित्त का उत्पन्न किया गया। परन्तु इसके बाद भी मुबारक शाह का धारण का शासनशासन राजमत्ता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था।

मुबारक शाह पर समाजहीन या तिमने पूरी तरह से सतीदान ने सहाय्य विचार दिए और इस प्रकार किसी भी शाही शक्ति की स्थापना को रोकने में दिल्ली शासन को सहाय्य बनाया। तमने स्वयं को ईशान्य की घोषणा किया और एक तिथी शासन प्रशासन की अधिकारिणी हो गई।

इस प्रकार इस तरह कह सकते हैं कि समीचीन की प्रभुत्व शासन की स्थापना प्रथम प्रथम पर आधारित न होकर मयिक मयिक शक्ति पर आधारित थी। इनका संश्लेषण समाजहीन मुबारक शाह के अधिन में समाजहीन पर राजमत्ता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था।

समीचीन के राजमत्ता के विकास में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई—प्रथम कि राजमत्ता किसे नियंत्रित करने वाली का अधिकार न होकर शासन शक्ति के अधिकार में ही रहें वह शक्ति और घोषणा में पूर्ण आधार को। द्वितीय राजमत्ता करीब किसी व्यक्तिगत शासन के भी आधार नहीं था मयिक ही समाजहीन का अधिकार तमने प्रशासन के अधिकार के अधिकार सिद्ध है।

मुबारक शाह की मृत्यु के बाद शाही शक्ति (समाजहीन) मुसलमान राजमत्ता का अधिकारी बना। समाजहीन की अधिकारिणी के बाद ही सतीदान का एक

भी यह मान्यता थी कि राज्य का अधिकार केवल वंशानुगत है और इसलिए खलजी वंश का कोई जीवित उत्तराधिकारी तुगलक वंश की अपेक्षा अधिक मान्य था। गाजी मलिक का इस जनमत में अप्रभावित रहना सम्भव नहीं था इसलिए उसने यह कोशिश की कि खलजी वंश का कोई व्यक्ति राजसत्ता का स्वामी हो परन्तु खुसरो खा ने मुबारक शाह के सभी पत्रों को मरवा दिया था अतः स्वाभाविक रूप से प्रत्युत्सत्ता गाजी मलिक के हाथों सीपी गई।

गाजी मलिक ने राजसत्ता धर्म के नाम पर ली थी और इसलिए उसके लिए सम्भव नहीं था कि वो मुस्लिम राजतन्त्र के धार्मिक पक्ष की दयाग दे। गियासुद्दीन ने अपने दरबार को अत्यधिक सयमी बनाने का प्रयास किया, अमीरों और राज्य के अधिकारियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित किया और सल्तनत की मर्यादा को बनाये रखने का प्रयत्न किया और अलाउद्दीन खलजी के समान सैनिक शासन को स्थापित करने का प्रयास किया। यदि गियासुद्दीन के बाद फिरोज तुगलक गद्दी का अधिकारी बन गया होता तो सम्भवतः खलजियों के द्वारा धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना का जो प्रयोग किया गया था वह मूलतः नष्ट हो जाता। डा त्रिपाठी के इस मत में अधिक सत्यता दिखाई देती है।

मुहम्मद तुगलक बादबन की तरह विश्वास करता था कि सुल्तान ईश्वर की छाया है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के आधार पर ही उसने सिक्को पर यह अंकित करवाया कि "अल सुल्तान जिल्ली अस्लाह" अर्थात् सुल्तान ईश्वर की छाया है। उसके अनुसार राजसत्ता सभी का अधिकार नहीं होती अपितु विशेष निर्वाचित व्यक्ति को ही प्राप्त होती है और इसलिए सुल्तान की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उसने राजसत्ता के इस सिद्धान्त को पुनर्जीवित कर इसको बनाये रखने के लिए अनेकों प्रयत्न किये परन्तु वह असफल रहा। डा त्रिपाठी के अनुसार इस अमकनता के लिए तीन कारण उत्तरदायी थे।<sup>1</sup> प्रथमतः अमीर इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि सुल्तान निरकुश शक्ति का उपयोग करे। वे उसकी तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध थे और वे नहीं चाहते थे कि वो उनकी सामान्य बातों में हस्तक्षेप करे। दूसरे उसे दिल्ली के धार्मिक वर्ग का नैतिक सहयोग भी प्राप्त न था अपितु उन पर उसके विरोधी होने की आशंका थी। तीसरे सबसे बड़ी कठिनाई उसका स्वयं का चरित्र था जो किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं कर सकता था तथा समझौता करने के लिए तत्पर न था। उसने अपना स कड़ा था "मेरी आज्ञा की लेशमात्र भी अवज्ञा होने पर मृत्यु दण्ड देना है और मैं तब तक

इसी प्रकार कठोर दण्ड देता रहूँगा जब तक या तो मैं स्वयं नष्ट नहीं हो जाना  
अथवा प्रजा ठीक नहीं हो जाती तथा विद्रोह और घाज़ा की अवहेलना करना  
नहीं छोड़ देती।”

मुहम्मद तुगलक ने अपनी सत्ता को स्थापित करने हेतु अनेक प्रयत्न किये।  
उमने बुद्धि व तर्क को ही अपनी नीति का आधार बनाया यद्यपि वह इस्लाम धर्म के  
काननों की उपेक्षा करने का इच्छुक नहीं था। समय-समय पर उमने विद्वानों व  
मलाह भी ली परन्तु कार्य वह अपनी इच्छानुसार ही करता था। राज के काननों से  
कोई भी मुक्त न था चाहे वह उनेमा अथवा साधारण वर्ग में सम्बन्धित हो।  
इसी कारण मुसलमान धार्मिक वर्ग उसका विरोधी हो गया।

अमीर वर्ग के महत्त्व को समाप्त करने के लिए उसने साधारण वर्गों में म  
योग्यता के आधार पर लोगों को पद देना आरम्भ किये और भारतीय मुसलमानों  
और हिन्दुओं को भी सम्मानित पद प्रदान किये। दिल्ली के मुल्तानों में वह पहला  
मुल्तान था जिसने इस नीति को अपनाया और इमीलिए तत्कालीन इतिहासकार  
बरनी ने उसकी निन्दा की है। परन्तु मुहम्मद तुगलक महिष्यु होत हुए भी अपनी  
प्रजा की सहानुभूति प्राप्त न कर सका और सम्भवतः इमने लिये उसकी कठोर  
नीति अधिक उत्तरदायी थी। इसी कारण परेशान होकर और यह मानकर कि  
सम्भवतः उसकी कठिनाइयों का कारण खलीफा द्वारा उसके पद की अस्वीकृति है  
उमने 1340 ई० में खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। परन्तु इसका  
वाद भी उसकी कठिनाइयों का कोई अन्त न था।

सिन्ध में अचानक उसकी मृत्यु हो जान के कारण राजसत्ता के बारे में पुन  
समस्याएँ खड़ी हो गयीं। अमीर वर्ग ने फीरोज तुगलक का राजसत्ता देने का निश्चय  
किया। दूसरी ओर ख्वाजा ए-जहान ने मुहम्मद तुगलक के अल्पायु पुत्र को गद्दी पर  
बैठाना चाहा। तीसरी ओर मृत सुल्तान की बहन ने अपने पुत्र का राजसत्ता दिल न  
की वाशिश की। अतः अमीर वर्ग ने सुल्तान की बहन की इच्छाओं को मिन्ध में ही  
रुमाप्त कर दिया। जब फीरोज दिल्ली की ओर आ रहा था तो ख्वाजा-ए-जहान ने  
उसकी अपनी गल्ती की क्षमा मांगी और इस प्रकार फीरोज राजसत्ता का अधिकारी  
बना।

फीरोज का शासन बनना महत्त्वपूर्ण होने के साथ ही साथ रुचिकर भी है।  
उसके पक्ष में किया गया नियम इस बात का सबूत था कि शासक को निर्वाचन का  
नियम जो प्रायः लुप्त होता जा रहा था वह पुन जीवित हो उठा है और साथ ही  
वशज-उत्तराधिकारी के नियम को भी नहीं ठुकराया गया है। इमने यह भी पुन

स्थापित कर दिया कि राजसत्ता केवल शक्तिवान का ही देनी चाहिये। मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर पुनः काले बादल छा जाने की जो सम्भावना पैदा हो गयी थी, उसमें फीरोज ही केवल ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली सल्तनत को इस बंठिनाई से बचा सकने में समर्थ था।

जिन परिस्थितियों में फीरोज का निर्वाचन किया गया तथा धार्मिक वर्ग से सहयोग प्राप्त किया गया था उसमें वह अपने आप को सल्तनत का न्यासी मानता था। उसने इसी आधार पर अपनी राजसत्ता के लिए खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करना उचित समझा। उसने खुतबे में अपने नाम के साथ ही अपने से पूर्व सभी सुल्तानों के नाम पढ़वाये।<sup>1</sup> इस आधार पर न केवल उसे मुस्लिम वर्ग में अधिक सम्मानित दृष्टि से देखा जाने लगा अपितु साथ ही साथ उसे अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक बहाना भी मिल गया।

फीरोज के राजसत्ता प्राप्त करने से यह स्पष्ट हो गया कि सुरतान के लिये एक महान मैनानी होना आवश्यक नहीं है। कैबूबाद के बाद दिल्ली सल्तनत प्रायः महान सैनिकों के हाथ में ही रहती थी। फीरोज किसी आधार पर भी एक अच्छा सैनिक नहीं था परन्तु इसके बाद भी वह सरल-स्वभाव का तथा परोपकारी शासक था और इसीलिए दीर्घकाल तक शासनमयी ढंग से राज्य करता रहा। सम्भवतः मुस्लिम जनमत का सहयोग सुन्नी वर्ग के प्रति उसकी सहिष्णुता की नीति और साधारण वर्ग की सम्पन्नता ने इसमें योगदान दिया। दुर्भाग्यवश यही गुण जो उसकी राजसत्ता को स्थापित करने और उसको बनाये रखने के लिए उत्तरदायी थे वही सल्तनत काल के पतन लिए उत्तरदायी भी सिद्ध हुए।

फीरोज ने 1359 ई. में फतह खाँ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया परन्तु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गयी। फीरोज ने फिर अपने पुत्र जफर खाँ का नाम घोषित किया परन्तु वह भी शीघ्र ही मर गया। तत्पश्चात् स्वामाधिक रूप से उस अपने तीसरे लडके का उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिये था परन्तु फीरोज ने फतह खाँ के पुत्र तुगलक शाह को उत्तराधिकारी नामांकित किया और इसीलिए फीरोज के पुत्र मुहम्मद खाँ ने पड़पुत्र रचा। परिणामस्वरूप बजीर का वध कर दिया गया और फीरोज ने राज्य पद छोड़ दिया। मुहम्मद खाँ ने यद्यपि राजसत्ता पर अपना एकाधिकार कर लिया था परन्तु फिर भी वह असंमित शक्ति वाले मन्त्री से अधिक न था। निम्नो पर फीरोज का नाम अब भी प्रकृत किया जाता था और खुतबे में भी उसी का नाम पढ़ा जाता था।

1. दुर्भाग्यवश उसमें बतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था।



फीरोज के उत्तराधिकारी न केवल अयोग्य थे अपितु शक्तिहीन भी थे इसी लिए अधिक समय तक राजसत्ता को बनाये रखना सम्भव न था। उनकी इस कमजोरी में हिन्दुओं के विद्रोह तथा कोप के रिक्त होने से तुगलक वंश के पतन का अधिक निकट ला दिया।

सिकन्दरशाह की मृत्यु के बाद सामन्त वर्ग सुल्तान का निर्वाचन करने में लगभग पन्द्रह दिन असफल रहा। अन्त में मुहम्मद शाह के पुत्र महमूद को गद्दी पर बैठाया गया। वह इस समय केवल दस वर्ष का था। दस वर्ष के बालक को गद्दी पर बैठाने के कार्य को पहली बार पूर्ण स्वीकृति मिली। सुल्तान महमूद की मृत्यु के बाद राजसत्ता तुगलक वंश के हाथों में निबल गई।

तुगलक वंश के बाद राजसत्ता सैयद वंश के हाथों में आई किन्तु सिद्ध नहीं है कभी भी सुल्तान की पदवी धारण न की। डा. आर. पी. त्रिपाठी का मत है कि "वास्तव में सैयदों को प्रभुसत्ता सम्पन्न शासक नहीं माना जा सकता।" वे ता मुगलों द्वारा शासक बनाये गये थे। अन्तिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह प्रशासकीय बुद्धि से विहीन और कमजोर था इस कारण राजसत्ता बहलोल लोदी ने अपने अधिकार में कर लोदी वंश की स्थापना।

अफगानों का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त तुर्कों से बिलकुल भिन्न था। तुर्की सुल्तान निरंकुश शासक थे और उनके उनके सरदार अर्थात् कर्मचारियों अथवा सलाहकार से अधिक नहीं थे। वो इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि कोई उनकी बराबरी का दावा करे अथवा प्रभुसत्ता में साभेदार हो। उन्होंने प्रभुसत्ता में देवत्व के अंश का दावा किया था परन्तु अफगान सरदार सुल्तान को अपने में से ही एक बड़ा सरदार मानते थे और सुल्तान में देवत्व के अंश को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे शासन में स्वयं को भागीदार मानते थे और इसी आधार पर सुल्तान के साथ समानता का दावा करते थे। उनका यह अनुमान था कि यदि उन्होंने अपने में से किसी एक को सुल्तान स्वीकार कर लिया तो उनकी स्थिति साधारण सेवकों की रह जावेगी और उन्हें अपने ही परिवार के सदस्य के सम्मुख जमींधार करने पर बाध्य होना पड़ेगा। इस आधार पर अफगानों का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त सरदारों की समानता पर आधारित था और ऐसी स्थिति में उनकी शासन-व्यवस्था राजतन्त्रीय न होकर कुलीनतन्त्रीय थी।

अफगानों की इन जातीय विशेषताओं के आधार पर वे सुल्तान को अपनी शक्ति पर निर्भर रखना चाहते थे जिससे कि वे बड़ी-बड़ी जागीरों का उपभोग कर सकें और शासक को प्राप्त सुविधाओं के अनुसार ही स्वयं भी उन सुविधाओं का उपभोग कर सकें।

बहलोल अफगानों का प्रथम शासक था और उसकी शक्ति अफगान सरदारों के सहयोग पर निर्भर थी, इसी कारण उसने अफगानों के स्वतन्त्रता और समानता

सिद्धान्तों के साथ समझौता करना उचित समझा। वह अपने अमीरों को "मसनद-ए-बाली" कहकर पुकारता था और उनके साथ एक ही कालीन पर बैठता था। मुश्ताकी ने लिखा है कि यदि कोई अमीर बीमार अथवा उससे नाराज हो जाता तो वह स्वयं उसके घर जाता, अपनी पगड़ी उतार कर उसके सामने रख देता तथा उससे क्षमा माचना करता था। उसका खाना प्रतिदिन किसी न किसी अमीर के घर से ही आता था, और घोड़े पर सवार होते समय उसे कोई न कोई अमीर अपना घोड़ा देता था। फरिश्ता ने लिखा है कि वह इससे ही सन्तुष्ट था कि उसका नाम राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। बहलोल ने अमीरों के साथ सुल्तान जैसे व्यवहार की अपेक्षा सम्मानता का व्यवहार किया तथा हर प्रकार से उन्हें सम्मानित किया। वह सुल्तान की उपाधि और अफगानों का नेता होने से ही सन्तुष्ट था। उसके समय का अफगान साम्राज्य शासक के नेतृत्व में विभिन्न जातियों का केवल एक सभ मात्र था।

बहलोल के मध्यम में इन विचारों को प्रो. इत्तिदार हुसैन सिद्दीकी ने स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार यह ठीक है कि बहलोल का अपने अमीरों के प्रति व्यवहार उदारता और शिष्टता से पूर्ण था परन्तु इसका कारण अफगानों का प्रभुसत्ता का मिद्धान्त न होकर उस समय की परिस्थितियाँ थीं। बहलोल के लिए अपनी शक्ति की स्थापना में अफगानों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था और उसने इस तथ्य को समझ कर अफगानों को अपनी ओर मिलाने के लिए ही इस प्रकार की नीति अपनाई अर्थात् वह स्वयं एक निरंकुश शासक था। बहलोल ने समस्त अफगानों को अपनी ओर मिलाने के लिए ही इस प्रकार का व्यवहार किया क्योंकि इन अफगानों को मिलाने के प्रतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा चाना भी नहीं था। बहलोल के समय की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी उसे अक्सर मिला उसने समस्त विरोधियों को कुचलने का प्रयत्न किया चाहे वे अफगान ही अथवा दूसरी जाति के जैसा कि मियालकोट, लाहौर और दीपालपुर के अमीरों के उदाहरण से स्पष्ट होता है। इसीलिए यदि उसने यह नीति अपनाई तो यह केवल उसकी कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता थी जिससे उसने अफगानों को एक शक्ति के रूप में मगलित कर लोदी वंश की स्थापना के लिए उपयोग किया।

प्रो० सिद्दीकी का मत नक्सबत प्रतीत होता है। उसने अफगानों की स्वतन्त्रता और समानता का आदर करने के बाद भी उनकी शक्ति पर अंकुश लगाये रक्खा। इसका यह प्रमाण है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके अमीरों ने उसी के पुत्रों में से एक को सुल्तान चुनने का निश्चय किया और अपने में से किसी को भी सुल्तान बनाने का विचार तक नहीं किया।

मिक्न्दर लोदी अफगानों की परंपराओं में परिवर्तन करना चाहता था और अफगानों को अधिक नियंत्रण में रख प्रभुसत्ता को पुनः सम्मानित स्थापित दिलाने का

इच्छक था। उसकी नीति मुन्तान के विशेषाधिकारों पर बंध देना की थी और इसके लिए अनुशासन और कठोरता आवश्यक तत्व थे। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह अकारण ही सरदारों व अमीरों को असम्मानित करना चाहता था। इस आधार पर उसने सिंहासन पर बैठना शुरू किया सरदारों को मुल्तान के प्रति सम्मान दिखाने के लिये बाध्य किया दरबार का नई साज सज्जा थी तथा याय म छांट और बड के भेद भाव को समाप्त किया। अमीरों को मुल्तान की आजा प्राप्ति कराने के लिए प्रांतीय राजधानियों से छ मील दूर आकर उनको प्राप्त कराने का आदेश दिया व सभी का अपना आदेशों को पालन करवाने के लिए नियम बनाये तथा व अमीर जो उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करते उन्हें बठोर दण्ड देने की व्यवस्था की। मुस्ताकी ने लिखा है जिस किसी ने भी उसकी आज्ञाओं का विरोध किया उसने उसका सिर बटवा दिया अथवा साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। जिन 22 सरदारों ने उसके स्थान पर उनके छोटे भाई पतह खा को गद्दी पर बठान का पडयन रचा था उसने उन सब को मरवा डाला। परंतु इस प्रकार के कठोर दंड देते समय न तो वह अत्यायी था और न ही अत्याधुनिक काम करता था। उसने उस समय तक किसी को दण्डित नहीं किया जब तक कि अपराधी का अपराध सिद्ध न हो गया हो। उसने बड अफगान अमीरों का सम्मान किया और केवल ऐसी स्थिति में ही जब कि वे उनके विरोधी हो गये हों उन्हें हटाकर उनकी जगह अपने प्रति वफादार अफगानों को नियुक्त किया। इस प्रकार उसने अफगान अमीरों की स्वतंत्र प्रवृत्ति पर अक्रुश लगाकर मुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। प्रो० सिद्दीकी ने लिखा है कि सिक् दर लोनी पहला अफगान मुल्तान था जिसने एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न बादशाह की भाँति व्यवहार किया और अपने सरदारों से पूर्ण आज्ञापालन और अधिचलित वफादारी की माँग का।

परंतु इब्राहीम लोदी के मुल्तान बनते ही मुल्तान तथा अफगान अमीरों के बीच सघप शुरू हो गया। इब्राहीम लोदी अफगान अमीरों पर और अधिक अक्रुश लगाने में विश्वास करता था। अफगान अमीरों यद्यपि पहले की तुलना में अधिक अनुशासित हो गये थे परंतु उनमें स्वतंत्रता और समानता की भावनाय पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाई थी। इब्राहीम लोदी के समय में ऐसे अफगान अमीर थे जिनके पास बड बड इक्ता अथवा जागीरें थी और उनी के अनुसूचक वे सेनाएँ चलाते थे। इब्राहीम लोदी के लिए आवश्यक था कि वे इन अमीरों के प्रति बुद्धिमत्ता पूर्ण नीति अपना कर स्वयं की स्थिति को दृढ़ करे परन्तु अपने ही और शकालु प्रवृत्ति के कारण वह शीघ्र ही अफगान सरदारों के साथ सघप में फँस गया। जलाल खा को जौनपुर का शासक मानने में उसने अपनी भूतों आरम्भ की और इसी सघप में अमीर मुल्तान के प्रति अधिक शकालु हो गये। मुन्तान का अमीरों से अधिक बठोर व्यवहार भाग्यो ने प्रति क्रूरता आजम हुमायूँ फतह खा व मिया भुआ को जल में डालने

से अमीर लोग और अधिक शक्तु हो गये तथा इब्राहीम का विरोध करने लगे । उसने पुराने अफगान अमीरों को हटाकर उनके स्थान पर नये सरदारों को प्रतिष्ठित करने की नीति अपनाई जो कि अफगानों के लिए असहनीय थी । इस्लाम लॉ न विद्रोह किया और यद्यपि इस सघर्ष में इब्राहीम की सफलता अवश्य मिली परन्तु विजय की कीमत के रूप में श्रेष्ठ 10 000 अफगान सैनिकों का मारा जाना एक बड़ी हानि थी । इब्राहीम इसके बाद और अधिक उदण्ड हो गया और मन्देहान्पद परिस्थितियों में आजम हुमायूँ और मिया भूषा की हत्या ने अफगान अमीरों को और अधिक उसका विरोधी बना दिया । चारों ओर अफगान अमीर उसके विरोधी बन गये और उसकी महायत्ना करने के बजाय बाबर को उसके विरुद्ध सहायता देने की तत्पर हो गये । ऐसी स्थिति में परिणाम निश्चित था और सुल्तान इब्राहीम बाबर के विरुद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया ।

सुल्तान इब्राहीम ने समय जो राजसत्ता के लिए सघर्ष बना उसमें स्पष्ट है कि इस सघर्ष में सिद्धान्त कम और व्यक्तिगत आकाशायें, भय एक हठ अधिक मात्रा में था । इब्राहीम लोदी ने अपनी अद्वयवहारिकता तथा अकुशलता से उन अमीरों का भी जो निकन्दर लोदी के समय सुल्तान की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर थे विद्रोही बना दिया । सुल्तान इब्राहीम भी तुर्कों की तरह एक निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना करना चाहता था परन्तु अफगान सरदार समय की इस मांग को समझन में असमर्थ रह जिसके कारण न केवल लोदी वंश का अन्त हो गया परन्तु उसके साथ ही अफगान साम्राज्य का जड़ो को तोखला कर दिया और एक नये राजवंश की स्थापना सम्भव हो सकी ।

बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना की, राजसत्ता को केवल राजा का अधिकार ही मानता था । वह किसी अन्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तैयार नहीं था । इस आधार पर वह निकन्दर और इब्राहीम लोदी की परम्परायाँ व अधिक निकट था । बाबर ने सुल्तान की अपेक्षा "पातशाह" की उपाधि धारण की ।

बाबर "पातशाह" को केवल सम्राट ही नहीं अपितु सर्व शक्तियों का स्वामी मानता था । वह राजसत्ता को वशानुकूल देने के पक्ष में था जो मुगल जाति का चारित्रिक गुण था । जब वह भारत आया तो उसने यहाँ की भूमि का अपनी सम्पत्ति के रूप में स्वीकार किया । वह कहा करता था "यहाँ पर मेरे पूर्वज आये थे अतः इस भूमि पर अधिकार करना मेरा वर्तव्य है ।" मुगल जाति के गुणों के आधार पर वह राजसत्ता को वाटने के लिए तैयार नहीं था और न ही उसमें किसी प्रकार की हिस्सेदारी को स्वीकार करता था । तैमूर के वंशज होने के नाते वह हममें विश्वास करता था कि "बयोकि ईश्वर एक है, उसका कोई हिस्सेदार नहीं, इसलिए सम्राट भी उसकी भूमि पर एक ही होता चाहिए ।" बाबर ने अपने जीवन-

काल में प्रभुसत्ता के इस आदर्श को बनाये रखा परन्तु उसके मरने के बाद हुमायूँ को प्रभुसत्ता से हाथ धोने पड़े। उसने मरने से पहले हुमायूँ को कहा था कि "यदि आप राज्य का छह भाग रखेंगे तो कामरान पाच भाग रहेगा।" बाबर की यह अन्तिम इच्छा हुमायूँ के लिए घातक सिद्ध हुई।

अकबर अपने पिता की कठिनाइयों से परिचित था और उन्हे पुनः दोहराना नहीं चाहता था। स्वयं उदार होने के साथ व सहिष्णु तथा कुशल राजनीतिज्ञ भी था और अनुभव करता था कि बगैर हिन्दुओं की सहानुभूति जीते वह राजसत्ता को स्थायित्व प्रदान न कर सकेगा, इसलिए उसने जैन बौद्ध, हिन्दू, ईसाई, पारसी आदि जातियों के साथ सदव्यवहार कर उन्हे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने राजपूतों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये और दीन ए इलाही स्थापित कर भारत की समस्त जातियों को एक सूत्र में बाधने का प्रयत्न किया। अपने काल में वह इस कार्य में सफल भी हुआ।

जहागीर ने राजसत्ता पूरी तरह से नूरजहा के हाथों में मीप दी थी परन्तु इसके बाद भी उसे राजसत्ता से पूरी तरह मुक्त नहीं माना जा सकता। नूरजहा के कारण ही शाहजहा ने विद्रोह किया और राजसत्ता को हानि पहुँची।

शाहजहा और औरंगजेब के समय में राजसत्ता धर्म के चारों ओर चक्कर काटने लगी। प्रभुसत्ता को प्राप्त करने के लिए औरंगजेब ने धर्म को आधार बनाया और राजसत्ता केवल उसकी ही सहचरी रह गयी जो शक्तिशाली हो।

इस आधार पर हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि यद्यपि मुगल-कालीन राजसत्ता बश परम्परागत थी परन्तु इसके साथ ही अन्य दूसरे तत्वों को भी स्थान मिल चुका था। शक्तिशाली होना आवश्यक शर्त थी। केवल अकबर और कुछ अंशों में जहागीर को छोड़कर अधिकतर मुगल शासक हिन्दू विरोधी थे और यही कारण उनके पतन के लिए अधिकतर उत्तरदायी था।

## मनसबदारी प्रथा

मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ किसी स्थान भयवा पद में है। अतः मनसब शब्द से स्थान और पद का अर्थ निकलता है। मनसबदार शाही सेवा के अंतर्गत उच्च पद प्राप्त अधिकारी होते थे। इरबिन के अनुसार, मनसब उम पद को कहा जाता है जिससे सम्राट के द्वारा किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता था और दरबार में उसके बैठने के स्थान का पता चलता था। मनसब से ही उसके वेतन की भी जानकारी होती थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकारी अधिकारियों की दर्जाबन्दी वरन् व उनके वेतन को निश्चित करने के लिए मनसब प्रथा एक सरल माध्यम था। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सी रुपये वेतन पाता है तो मुगल राज्य में इस व्यक्ति को दस का मनसबदार मान लिया जाता था। रुपये में उसके वेतन को न वृत्त कर मनसबदारी की श्रेणी से उसके वेतन को निश्चित किया जाता था। इतिहासकार बदायूनी को निश्चित वेतन मिलता था और इस वेतन के आधार पर वह बीम का मनसबदार समझा जाता था। आवश्यक नहीं था कि मनसबदार का सम्मान केवल सैनिक पदाधिकारियों को ही दिया जावे अपितु मुगल शासन में चाहे वह सेना, सामन्त भयवा नागरिक शासन से सम्बन्धित हो मनसब प्राप्त थे। मुगल शासन में सैनिक व प्रशासनिक अधिकारियों में कोई अन्तर न होने के कारण प्रत्येक शाही अधिकारी मनसबदार था।

मनसबदारी प्रथा को समझने के लिए आवश्यक है कि इसका ऐतिहासिक सदर्भ में अध्ययन किया जावे। मुगल मर्यादाएँ मुख्य रूप से मध्य एशिया के मंगोलों के रीति रिवाज तथा प्रचलन पर आधारित थीं, इसलिये चंगेज खा और हमीर सीमूर के समय में प्रचलित सत्वाधों का अध्ययन आवश्यक है।

मौररुंड ने लिखा है कि बाबर ने उत्तरी भारत में सबसे पहले तीमूर की पद्धति को लागू किया था परन्तु अब्दुल अजीज<sup>1</sup> इस कथन को स्वीकार करने में अमर्थ हैं क्योंकि मनसबदारी प्रथा शेरशाह के समय तक काफी पुरानी हो चुकी थी तथा बाबर द्वारा इसकी प्रारम्भ करने से इसका समुचित रूप से इतनी जल्दी विकास होना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खलजी के समय में प्रचलित थी। बाबर को इतना समय नहीं मिला कि वह सैनिक व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार करे और न ही उसकी आत्मकथा अथवा तुजुक में इसका कोई विवरण ही मिल पाता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि बाबर ने इस सबसे पहले उत्तरी भारत में लागू किया। अब्दुल अजीज का मत है कि 1221 से 1327 ई० के बीच पश्चिमी भारत पर मंगोल आक्रमणों से भारतीय इस प्रथा से परिचित हुए और जर्न जर्न अलाउद्दीन खलजी (1296-1316 ई.) के समय तक इस मान्यता मिल गई।

सैनिक कुलीनता जो भारतीय मनसबदारी का विशिष्ट लक्षण था के चरण चगज खाँ की सस्थापना में मिलते हैं। वह स्वयं का साधारण वग या नायक मानन की अपेक्षा कुलीनों का नायक ही मानता था और इसीलिए उसने साधारण वग की सम्बोधित करने की अपेक्षा केवल कुलीन वग को ही सम्बोधित किया है। यद्यपि हमारे पास इस समय की नस्थापनों का कोई विश्वमनीय विवरण नहीं है परन्तु साधारणतया यह व्यवस्था ही रही होगी कि जब एक कबील का सरदार अपने आदमियों सहित अपनी सेवायें प्रस्तुत करता था तो उस सेना में अधिकारों का पद मिल जाता था और इस आधार पर वह लूट के माल का भागीदार हो जाता था।

होवाथ न लिखा है कि मंगोल जाति घुमकड लोगों से गठित की गई थी य लाग सैनिक जीवन व्यतीत करते थे और अपने जीवन के लिए आवश्यक सामग्री व पशु एक स्थान से सरे स्थान ले जाते थे। चगज खाँ ने ऐसा काम को गठित करने के लिए एक नियम बनाया जिसके अंतर्गत प्रत्येक 10 व्यक्तियों के खण्ड अथवा भाग पर एक सरदार चुनते होते थे। इसी दशमलव पद्धति के आधार पर 10 000 आदमियों पर जिस कमाण्डर को नियुक्त किया जाता था वह मंगली भाषा में 'तुमान' कह कर पुकारा जाता था। किसी भी व्यक्ति को दल कबीला अथवा खण्ड बदलने का अधिकार नहीं था और प्रत्येक का निविवाद रूप से आज्ञा पालन करना अनिवार्य था। सम्भवतः यह आज्ञा पालन की भावना उमकी मफलनाओं के लिए उत्तरदायी था। सम्भवतः इसी व्यवस्था के आधार पर मुगल

1. अब्दुल अजीज—द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी पृ० 13

सैनिक व्यवस्था गठन की गई थी जिसने कि प्रागे चल कर मनसबदारी का रूप धारण कर लिया ।

बंगाल तथा ने भी इस व्यवस्था को अमीर तीमूर से अपनाया था । तीमूर के पास सैनिक अधिकारियों के रूप में छोटे और बड़े 313 अधिकारी थे । अमीर-उल-उमरा जो शासक का नायब था उसके आधीन 12 अमीर थे जो कि क्रमशः 12 000 से लेकर 1,000 घुड़मवारों के अधिकारी थे और प्रत्येक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आधीन था । यन्त्र का अधिकारी 'अमीर ए हजारा' कहलाता था जिसके आधीन 1,000 घुड़मवार होने थे जिसे 'मिगवासी' भी कहा जाता था । मिगवासी के आधीन 'युगवासी' व उसके आधीन 'यूनवासी' होता था जिसके पास क्रमशः 100 व 10 घुड़मवार होने थे ।

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति व्यवस्थित व क्रमिक थी तथा युद्ध भूमि में दर्जाय पराक्रम पर निर्भर थी । घुड़मवारों की भी उन्नति इसी प्रकार में होती थी तथा वे जिन्होंने युद्ध भूमि में विशिष्ट पराक्रम दिखाया हो 'बहादुर' के नाम से पुरस्कारे जाते थे । इनका वेतन भी साधारण घुड़मवारों की तुलना में अपेक्षाकृत तीन चार गुना होता था । यूनवासी का वेतन साधारण घुड़मवार का 10 गुना, यूजवासी का यूनवासी से दो गुना व मीणवासी का यूजवासी से तिगुना वेतन होता था । मुगलों ने इसी व्यवस्था पर मनसबदारी प्रथा की व्यवस्था की थी ।

दिल्ली सल्तनत के सैनिक संगठन के विषय में बर्नो का कथन है कि 10 सैनिकों पर एक सर-ए-खेल, 10 सर-ए-खेल पर एक सिपहसालार, 10 सिपहसालार पर एक अमीर, 10 अमीर पर एक मलिक, 10 मलिकों पर एक खान, और 10 खानों पर सुल्तान होता था । बर्नो का यह वर्णन मंडारान्तिक है । 11वीं शताब्दी में भारत में प्रायः विदेशी यात्री अलबरूनी ने इसके प्रागे यह बताया है कि एक खान के आधीन 10 हजार, मलिक के आधीन 1000 व अमीर के आधीन 100 सैनिक रत्न थे । अस्तु अमीर न इस वर्णन को स्वीकार किया है और उनका कहना है कि दिल्ली सल्तनत में एक खान के आधीन 10,000 से अधिक सैनिक नहीं होने थे परन्तु बर्नो कथन व समय का वर्णन करते हुए लिखता है कि बदायूँ के मुक्ति मलिक दरबख्त क्रिमे 10 000 घुड़मवार रखते थे वह केवल 4 हजार सवार ही रखता था । सिक्न्दर लोदी और इब्राहीम लोदी के समय 10,000 व 12 000 घुड़मवारों के अधिकारी व—जैसे जमाल खाँ की जोनपुर की जागीर के बदले में 12,000 घुड़मवारों को रखने की आज्ञा दी गई थी । इससे यह परिणाम निकलता है कि साधारणतया एक अधिकारी के पास 10 000 सैनिक ही रहते थे परन्तु विशेष परिस्थितियों में सुल्तान के द्वारा अधिक सैनिकों को रखने की आज्ञा प्रदान कर दी जाती थी । इसी साधारण पर मुगल काल में मनसबदारी की व्यवस्था की गई ।



वास्तविक रूप में भारत में मनसबदारी का व्यवस्थित विकास बाबर के समय से आरम्भ हुआ। दुर्भाग्यवश बाबर व हुमायूँ के समय की समुचित जानकारी हम प्राप्त नहीं है। हुमायूँ के समय के अमीरों और अधिकारियों की केवल एक श्रेणीकृत सूची ही मिल पाई है जिससे केवल यह जानना सम्भव है कि उसके समय में सरकारी अधिकारियों की श्रेष्ठता किस प्रकार निश्चित की गई थी। इसलिए सेना की समुचित व्यवस्था को पुनर्नियोजित करने का भार शेरशाह को ही वहन करना पड़ा।

उसने जागीर प्रथा के आधार पर सैनिक व्यवस्था को पुनः आयोजित किया तथा दाग लगाने की प्रथा को प्रभावी ढंग से लागू किया। व्यक्तिगत रूप में उसने घोड़ों का निरीक्षण किया और माफी की जमीनों पर राज्य का अधिकार स्थापित कर उसने नई जागीरों का पुनः वितरण किया और पुनः दागने के समय प्रत्येक व्यक्ति के घोड़ों को देखा। शेरशाह द्वारा स्थापित व्यवस्था के आधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं कि उसके समय में प्रत्येक अधिकारी राज्य द्वारा निश्चित घुड़सवारों की संख्या रखता था। प्रत्येक मनसबदार के पास पैदल सैनिक तथा घुड़सवार होते थे मनसबदार की जागीर का कुछ भाग सैनिकों को निर्धारित किया जाता था, जिस पर मनसबदार का कोई कानूनी अधिकार न था तथा प्रत्येक सैनिक को इस जागीर की आय में से मासिक वेतन दिया जाता था।

शेरशाह का शासन काल अत्यधिक अल्प था इसलिए दाग लगाने की प्रथा का पुनः लोप हो गया और समस्त व्यवस्था केवल अर्ध मात्र में ही रह गई। बदायूनी ने लिखा है कि अमीर अथवा मनसबदार धन जुटाने अथवा आराम से जीवन बिताने व फिजूल खर्च करने में लग थे अपेक्षाकृत इसके कि वे अपने सैनिकों को सुसज्जित रखते अथवा किसानों की स्थिति को सुधारन का प्रयास करते।

अकबर को इस स्थिति का सामना करना पड़ा और उस समय की परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं था कि सम्पूर्ण व्यवस्था का समाप्त कर एक बारगी नयी व्यवस्था लागू कर दी जावे अथवा समस्या के समाधान होने को अपेक्षा उसके जटिल होने की अधिक संभावना थी। इसलिए अकबर धीरे-धीरे इस बार में अग्रसर हुआ। सबसे पहले उसने मनसब की एकात्मक व्यवस्था को समाप्त कर उस द्वैधरूप बनाया। इसके अंतर्गत मनसबों को यथास्थिति में बनाय रखकर मनसबदारों को हाथी घोड़ों बोझा ढोने वाले पशुओं को रखने का दायित्व भी सौंपा जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त निश्चित वेतन मिलता था। इसको उसने जात पद की संज्ञा दी। इन श्रेणियों के लोगो के पास किसी प्रकार के घुड़सवार नहीं थे पर तु ऐसे मनसबदारों की संख्या नगण्य थी। अधिकतर प्रत्येक मनसबदार के पास जात पद के अतिरिक्त सवार पद भी होता था जिसका अर्थ था कि उसे सम्राट की सेवा के लिए कुछ घुड़सवारों

को रखना आवश्यक था। सवार पद कभी भी जात पद से अधिक नहीं होता था और ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हैं जबकि दोनों पदों की संख्या बराबर हो। अधिकतर सवार पद को मर्यादा जात पद से कम ही होती थी। अकबर ने मनसबदारी पर ये दबाव डाला कि वे राज्य द्वारा निर्धारित घुड़सवारों की संख्या रखें। इस प्रकार से कुछ अंशों में व्यवस्था स्थापित की गई और घोड़ों को दगवाने पर बल दिया गया। टोडरमल ने दगवान की प्रथा का अनुमोदन किया परन्तु मुनिम खा और मुज्जफर खा ने सहबाज खा के निर्देश पर इसका विरोध किया। अकबर इसके लागू करन के लिए कटिबद्ध था। इसलिए समस्त भूमि को खालसा में परिवर्तित कर लिया गया और बरोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। परन्तु इसका बाद भी सैनिक की योग्यता अथवा क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई क्योंकि इतने अधिकारियों के स्वार्थ निहित थे।

उम व्यवस्था में सुधार करने हेतु यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक अमीर अपनी जीविका 10 (दस) घुड़सवारों के रूप में प्रारम्भ करे और जब वो इन घुड़सवारों का दगव न के लिए प्रस्तुत करे तब ही उसकी अगल मनसब पर पदोन्नति की जावे और अमानुमार पज हजारी के मनसब तक पदोन्नति की जावे, जो उम समय में सबसे बड़ा मनसब था। परन्तु यदि हाजिरी के समय वे उपयुक्त प्रदर्शन न कर सकें तो उनका दर्जा घटा दिया जावे या उन्हें पदावनत कर दिया जावे। इसका बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि हाजिरी के समय अमीर बाजारू लोगों को सैनिक कपड़े पहना कर प्रस्तुत कर दिया करते थे और जागीर प्राप्ति के बाद उन्हें भग कर देने थे। इस प्रकार से मनसबदार की आय यद्यपि स्थायी बनी रही परन्तु न तो सैनिकों की अवस्था में सुधार हुआ और न ही राज्य को किसी प्रकार का लाभ हुआ। इसलिए पुनः दगवाने की प्रथा को कठोरता लागू किया गया।

अकबर कालीन मनसबदारी प्रथा यद्यपि दशमलव प्रणाली पर आधारित थी जो मंगोलों की देय है, परन्तु सम्पूर्ण मनसबदारी प्रथा को मंगोल अथवा चंगेज प्रणाली कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अकबर की मनसबदारी प्रणाली पूर्व प्रणालियों की तुलना में अधिक जटिल थी। चंगेजी परंपरा में यह निम्न प्रकार से भिन्न थी—

अकबर के सब ही मनसबदार चाहते थे 10 के अथवा 5000 के ही उमक प्राप्ति पर, जबकि मंगोल प्रणाली में ऐसा नहीं था। इसके अतिरिक्त अकबर ने अठारह शताब्दी के मनसबदारों को जात और सवार के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया था जो कि पहले नहीं था। तुरान में 11वीं व 12 शताब्दी में दो श्रेणियाँ, मेह श्रेणी व महीनदारी और 3 का नियम लागू किया गया था परन्तु अकबर के अरम्भिक काल में ये नियम नहीं थे। इस प्रकार यदि मुगल मनसबदारी प्रथा में चंगेजी परंपरा के लक्षण हैं तो वेकन दशमलव प्रणाली तक ही सीमित है।

आरम्भ में अकबर ने मनसब को जात व सवार के आधार पर विभाजित नहीं किया था। मनसब एक ही प्रकार का होता था परन्तु उसने देखा कि प्रदेश मनसबदार को जितनी सस्या में छोड़े रखने चाहिये, जिसके लिए उनको धन दिया जाता है, उन्हें नहीं रखते हैं। अकबर ने इस कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले घोड़ों को दगवाने व सवारों की हुलिया लिखन की पद्धति को अपनाया परन्तु जब उसने देखा कि अष्टाचार में इन तरीकों से कोई कमी नहीं आई है तो उसने मनसब को जात और सवार में विभाजित कर दिया। जात से मनसबदार के व्यक्तिगत रैंक का और सवार से उसके पास रहने वाले घुड़सवारों की सस्या का ज्ञान होता था। जैसे यदि एक मनसबदार 2000 जात व 1500 सवार के रैंक का है तो दरबार में वह 2000 के मनसबदारों की पक्ति में खड़ा होगा और उसे अपने पास 1500 घुड़सवार अनिवार्य रूप से रखने पड़ेंगे।

जात और सवार पद को लेकर इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। ब्लाकमैन का यह कहना है कि जात पद सैनिकों की उस सस्या को बताता था जिनको मनसबदारों से रखने की आशा की जाती थी। सवार पद उस सस्या को बताता था जो कि वास्तविक रूप से मनसबदार रखते थे। स्वर्गीय प्रो० बी० पी० सक्सेना दो कारणों से इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार "यदि इसको स्वीकार कर लिया जावे तो जिस उद्देश्य से सवार पद का प्रतिपादन हुआ वही निरस्त हो जाता है, दूसरे यह कि कुछ ऐसे मनसबदार थे जिनका पद केवल जात का ही था। यदि हम ब्लाकमैन का मत स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ होगा कि केवल जात पद वाले मनसबदार को जात व सवार पद दोनों पद वाले मनसबदार की अपेक्षा ज्यादा सस्या में सैनिक रखने पड़ते होंगे। यह बात बिल्कुल ही अयुक्त प्रतीत होती।"<sup>1</sup>

इरविन सवार पद को एक अतिरिक्त सम्मान मानता है। इस पद को प्राप्त करने वाले को जात-पद में सूचित सस्या के अतिरिक्त सवार पद में निर्दिष्ट सैनिक सस्या को भी रखना पड़ता था। यह मत भी प्रो० बी० पी० सक्सेना का तकहीन प्रतीत होता है। उनके अनुसार, "यदि इस मत को हम स्वीकार कर लें तो मुगल सैनिकों की कुल सस्या एक अविश्वसनीय अंक तक पहुँच जायेगी। दूसरे यह कि यदि सम्मान प्राप्त अधिकारी से अतिरिक्त सैनिकों के पीपण की आशा की जाती तो ऐसा सम्मान विशिष्टता की अपेक्षा भार अधिक होता, और तीसरे यह कि कुछ मनसबदार ऐसे भी थे कि यदि जात और सवार दोनों की सस्या का जोड़ लिया जावे तो योगफल एक राजकुमार के मनसब से भी बड़ जाता है। अतः यह भी अविश्वसनीय है।"<sup>2</sup>

1 बी० पी० सक्सेना—मुगल सम्राट शाहजहाँ पृष्ठ 302

2 बी० पी० सक्सेना —मुगल सम्राट शाहजहाँ, पृ० 302-303

डा. त्रिपाठी के अनुसार सवार-पद एक ऐसा सम्मान था जिसके आघार पर बिना उतने घुड़सवार रखे ही उसको प्रतिरिक्त भत्ता प्राप्त हो जाता था। दूसरे शब्दों में सवार-पद का वास्तविक सख्या से कोई सम्बन्ध नहीं था।

एस के राव के अनुसार ज्ञात पद पैदल सैनिकों की सख्या बताता था तथा सवार पद मनसबदार के पास घुड़सवारों की सख्या को निश्चित करता था। अमदुल अजीज ज्ञात पद को मनसबदार का व्यक्तिगत पद मानते हैं व सवार-पद का अर्थ था कि मनसबदार अपने पास कितने घुड़सवार रखेगा। यही मत अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है।

5000 से ऊपर के मनसब आरम्भ में प्रायः शहजादों के लिए सुरक्षित रखे गये थे। परन्तु इससे नीचे के मनसब को तीन श्रेणियों में बाटा गया था। जिनका ज्ञात व सवार-पद बराबर हो, जिनका सवार-पद, ज्ञात पद का आधा या आधे से अधिक हो, जिनका सवार-पद, ज्ञात-पद के आधे से कम हो क्रमशः प्रथम, दूसरे व तीसरी श्रेणी में रखे गये थे। इनका वेतन भी भिन्न-भिन्न था।

अकबर के राज्यकाल के आरम्भ में प्रत्येक दहवाशी मनसबदार के पास दो चहार-घस्या, तीन सेह-घस्या, तीन दो-घस्या और दो एक-घस्या घोड़े होते थे। अर्थात् प्रत्येक 10 के मनसबदार के पास 25 घोड़े होते थे।<sup>1</sup> परन्तु अकबर ने इसको प्रथमार्थपूर्ण मानकर इसका त्याग कर दिया और इसके स्थान पर यह आदेश दिया कि प्रत्येक दहवाशी अर्थात् 10 का मनसबदार तीन सेह घस्या, चार दो-घस्या, तीन एक घस्या घुड़सवार रखेगा अर्थात् 10 घुड़सवारों के लिए 20 घोड़े होंगे।

इन विवरण से यह सिद्ध हो जाता है कि अकबर के समय में दो घस्या व सेह घस्या शब्दों के प्रयोग प्रचलित थे और ये सम्मान सूचक होने की अपेक्षा सवार और घोड़ों के अनुपात सूचक थे। इसी आघार पर वेतन निश्चित किया जाता था।

अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा का गठन किया था जहांगीर ने भी उसे प्रचलित रखा परन्तु अपने राजतिलक के दसवें वर्ष में उसने इसमें एक और विशेषता जोड़ दी। उसका उद्देश्य था कि सैनिकों की सख्या बढ़ाई जाके परन्तु व्यय में किसी प्रकार की बढ़ोतरी न हो। इसके लिए उसने महाबत खा को दक्षिण के अभियान पर भेजते समय सम्भवतः उसके मूल पद (3000, 2000) में तो कोई बढ़ोतरी की परन्तु उसके सवार पद में 1700 सवार दो घस्या, सेह-घस्या कर दिये उसमें कितना आधिक लाभ हुआ इसका विवरण नहीं मिल पाता है परन्तु सवार-पद के एक मुनिश्चिन नियंत्रण को दो घस्या, सेह घस्या कर देन की प्रथा बन पड़ी। जहांगीर के समय में दो घस्या, सेह-घस्या पद बहुत ही कम मनसबदारों की प्राप्ति

1. आई० एच० कुरेणो—द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5 मुगल एम्पायर पृ० 120

या परन्तु शाहजहाँ के समय में यह नियन्त्रणीय पद उदाहरण में दिया जाने लगा जिससे परिस्थिति गभीर हो गई। चम्बुस हमीद साहोरो ने पादशाहता में यह स्पष्ट किया है कि दो-घरिया, सेठ-घरिया नियन्त्रणीय भागदार को केवल सवार पदाधारी मनसबदार की तुलना में दो घुड़सवार रखे जाते थे। उदाहरण के लिए 5000 डाक व 5000 मनसबदार को 300 मह-घरिया 600 दो-घरिया व 100 यक-घरिया सवार रखने पड़ते थे। इन प्रकार असली और व्यावहारिक संख्या में 1 : 5 का अनुपात था। किन्तु जिन मनसबदार का पद 5000 जान व 5000 सवार इन (सामान्य) दो-घरिया, सेठ-घरिया, या उम 600 मह-घरिया, 1200 दो-घरिया और 200 यक-घरिया सवार रखने पड़ते थे।<sup>1</sup> यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी स्थिति में दो-घरिया, मह-घरिया या नियन्त्रणीय पद सवार पद में अधिक नहीं हो सकता था और उगी प्रकार के जिन प्रकार में सवार-पद, जान-पद में अधिक नहीं हो सकता था।<sup>2</sup>

इससे अनिष्ट व्यवस्था को दूर करने के लिए उम्र अपने राज्यपाल व बीमों वप में कुछ नियम बनाये। इसके अन्तर्गत जिन मनसबदार की जागीर भारत में थी उमरी अपने जान और सवार-पद की एक तिहाई गणना में सवार रखने को आज्ञा दी गई, यदि उमकी नियुक्ति भारत व बाहर किसी अन्य क्षेत्र में थी तो उम केवल एक-चौथाई सवार रखने पड़ते थे। बन्त के अधिपति के अनुपात कम करके पानवा भाग कर दिया गया था। इसके साथ ही उमन जान-पद तथा सवारों के वेतन में भी कमी कर दी।

शाहजहाँ के समय में दहवाणी के मनसबदार के द्वारा अपने जान वाल पोड़ों की समस्या में भी परिवर्तन किया गया। इसको हम मासिक वेतन अनुपात कह सकते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई कि मनसबदारों को दी गई जागीर का जमा (निर्धारित किया गया लगान) व हासिल (वास्तविक रूप में प्राप्त किया गया लगान) में बहुत अंतर था। इसको दूर करने के दो ही उपाय थे या तो भूमि का पुनर्विभाजन किया जावे और जमा तथा हासिल में अनुरूपता स्थापित की जावे अथवा हासिल के आधार पर मनसबदार का वेतन महीनों के अनुपात में नियत किया जावे और उसी के अनुपात से उम पोड़ों को रखने की सुविधा प्रदान की जावे। उदाहरण के लिए वे मनसबदार जो वर्ष में 12 महीनों का वेतन लेते थे वे प्रत्येक घुड़-सवारों के लिए 22 घोड़े रखते थे वे जो वर्ष में 11 मास का वेतन लेते थे वे प्रत्येक 10 सवारों के लिए 20 घोड़े रखते थे। इस प्रकार वे मनसबदार जो वर्ष में 10

1 साहोरी, भाग 2, पृ० 505-508

2 कुरेशी—वही पृ० 98

महीने में कम वा बेतन लेते थे उन्हें सेह-घरसा वा नियताशिक पद नहीं मिलता था यह अनुपात 18, 16, 14½, 12½ व 11 घोड़ो तक था जो क्रमश वर्ष में 10, 9, 8, 7, 6 महीनों का बेतन लेते थे। वे मनसबदार जिनको वर्ष में केवल 5 महीने का बेतन मिलता था उन्हें केवल यक-घरसा पद ही प्राप्त था यद्यपि 10 घुडसवांगे के लिए 10 घोड़े ही रतत थे।<sup>1</sup>

दक्षिण के मनसबदारों की स्थिति और भी अधिक शोचनीय थी। उन्हें अपनी जागीर से अधिक से अधिक चार माह का बेतन ही मिल पाता था इसलिए वे सदैव इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे कि उन्हें उत्तरी भारत में नियुक्त किया जावे जहां जमा और हासिल में इतना अधिक अन्तर नहीं था।

अबदुल फजल के अनुसार अकबर ने मनसबदारों को 66 विभिन्न श्रेणियों में बांटा था जिसमें 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबदार थे। आरम्भ में 5,000 से ऊपर के मनसब केवल राजकुमारों के लिए मुर्शिद थे। अब्बर के तीन पुत्रों को 7000 से 10,000 तक के मनसब प्राप्त थे। परन्तु अपने शासन के पाचवें वर्ष में राजा मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया गया जो कि इस बात का सूचक है कि वशिष्ट कृपागत्रों को सम्मानित करने के लिए उन्हें राजकुमारों के समरूप ही माना जाता था। बाद के शासनकाल में राजा जयसिंह को भी सम्मानित करने के लिए ऊंचा मनसब प्रदान किया गया था। शाहजहां के शासनकाल में उत्तरोत्तर मनसबों में वृद्धि होती रही। पादशाहनामा के अनुसार शाहजहां के चार पुत्रों का 20,000, 15,000, 15,000 व 12,000 के मनसब प्राप्त थे। उच्च अधिकारियों के मनसब भी 9,000 तक थे। मनसब की ये उत्तरोत्तर वृद्धि उसके शासनकाल में और अधिक बढ़ती चली गई यहां तक की दारा शिकोह 60,000 का मनसबदार था और उसका बेतन 40 करोड़ दाम था। शाहजुजा और औरंगजेब का बेतन 24 करोड़ दाम व पुरार का 12 करोड़ दाम था, यह भी निश्चित किया गया कि 6,000 से लेकर 60,000 तक के मनसबदार प्रथम श्रेणी के गिन जावेंगे। यद्यपि यह नियम बनाया गया था कि 10,000 के मनसबदार का बेतन 12,000 दाम होगा परन्तु राजकुमारों के बेतन इस नियम की भूमिका में ऊंचे थे क्योंकि वे निश्चित रूप से सम्मानित थे।

यद्यपि अब्दुल फजल ने मनसबदारों की 66 श्रेणियां बनायी हैं परन्तु उसकी धी हुई सूची में केवल 33 श्रेणियां ही मिलती हैं। सम्भवत इसका कारण था कि अब्बर अबजद प्रणाली के आधार पर अल्लाह के अक्षरों के योग (1+30+30+1=66) पर ही मनसबदारों की श्रेणियां बनाना चाहता था। 33 श्रेणियों के

अतिरिक्त बाकी 33 श्रेणियां केवल सैद्धांतिक थीं और उनमें कभी किसी की नियुक्ति न की गई परन्तु डा० ए. एल. श्रीवास्तव इसको मानने के लिए तत्पर नहीं हैं। उनका तर्क है कि अबुल फजल की सूची पूर्ण नहीं है इसमें उन मनसबदारों के नाम नहीं हैं जो मर चुके थे अथवा 1602 ई० के बाद बनाए गए थे।

अबुल फजल की सूची के अनुसार अकबर के काल में 1800 मनसबदार थे जिनमें से 412 के पास 5,000 से 200 तक के मनसब थे और शेष 150 से 10 तक के थे। यह सूची 1602 ई० तक की है। पादशाहनामा के अनुसार शाहजहा के समय में मनसबदारों की कुल संख्या 8,000 थी। खाकी खाँ ने शाहजहा के बीमार पड़ने और उत्तराधिकार के युद्ध के समय का विवरण दिया है जिसके अनुसार उस समय केवल एक के पास सात हजार का छह के पास छह हजार का 15 के पास 5,000 का 14 के पास चार हजार का, एक के पास 3,500 का 47 के पास 3,000 का 20 के पास 1,500 का और 59 के पास 1,000 का मनसब था। ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 से ऊपर का मनसब केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता था। शाहजहा के समस्त काल में राजकुमारों को छोड़कर केवल चार व्यक्ति ऐसे थे जिनको 7,000 का मनसब प्राप्त था। औरंगजेब के समय में दक्षिण के युद्धों के कारण मनसबदारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही क्योंकि सम्राट ने उच्च मनसबों का खाल देकर अनेकों शत्रुओं को अपनी ओर मिला लिया था तथा दक्षिण के शासकों द्वारा उसकी आधीनता मानने पर उन्हें भी उच्च मनसबों से विभूषित किया था। यद्यपि यह ठीक है कि मनसबदारा की बढ़ोतरी ने राज्य पर कुप्रभाव डाले परन्तु औरंगजेब के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। स्थिति इतनी गम्भीर थी कि मनसबदारों की संख्या व उनके पद लगातार बढ़त जा रहे थे और राज्य में ऐसी भूमि शेष न थी जिसको कि जागीर के रूप में बेतन पूति के लिए इन नये मनसबदारों को प्रदान की जा सके। इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति में ही 5,000 के ऊपर के मनसबों को जो तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटने की परिपाटी चली आ रही थी समाप्त कर दिया गया क्योंकि 5,000 के ऊपर के मनसबों के उपभोक्ताओं की संख्या इतनी कम थी कि इस विभाजन को कोई आवश्यकता अनुभव न हुई और न ही मनसबदारों में श्रेष्ठता को निश्चित करने की कोई आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। मनसबदारों के मनसबों के अतिरिक्त उनको अनेक उच्च खिताब प्रदान किये जाते थे जिनसे केवल इस बात की जानकारी मिलती थी कि प्रमुख व्यक्ति सम्राट की निगाह में कितना सम्मानित है। इतिहासकार निजामुद्दीन के अनुसार 500 का मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर पुकारा जाता था। 500 से 2,500 तक के मनसब वालों को 'उमरा' कहा जाता था, 3,000 और इससे खपर के मनसबदारों को उमरा ए. अकबर कहा जाता था और उससे बड़े मनसबदारों को अमीर-उमरा कहते थे। 'खान ए. खान' का सर्वोच्च खिताब (उपाधि) एक

समय में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मुजक-ए-जहागीरी के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए 'अमीर-उल-उमरा' से ऊंचा खिताब नहीं था। ये सम्भवतः अकबर के काल के लिए उचित ही क्योंकि पादशाहनामा इस खिताब का उपयोग सर्वोच्च जीवित अधिकारी के लिए ही करता है। इसी तरह का उपयोग, अरगज़ेब के समय भी प्रचलित था। निम्न स्तर के सरकारी कर्मचारियों को मनसबदार न कहकर 'रोज़िनदार' कहते थे।

साधारण मनसबदारी की श्रेणी जिनको यूनवासीज कहते थे जो कि अधिकतम 100 के मनसबदार थे उनको उनके सवार पद के अनुसार 11 श्रेणियों में बाटा गया था जिन मनसबदारों का जात पद सवार पद के बराबर था प्रथम श्रेणी में थे, प्रत्येक श्रेणी प्रमश. 10 सवारों की घटोतरी बताती थी जबकि अन्तिम 11वीं श्रेणी में कोई सवार पद न होना था।

मनसबदारी की पदोन्नति अथवा अवनति सम्राट द्वारा ही की जाती थी। मनसबदार द्वारा कोई प्रशसनीय कार्य किये जाने पर उमका दरबार में स्वागत किया जाता था। राज्याभिषेक, धार्मिकोत्सव अथवा वर्षगांठ अथवा नौरोज के अवसर पर मनसबदारी को भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्मानित किया जाता था। जब शासक किसी युद्ध में विजयी होकर लौटता तो वह मनसबदारी को कीमती पोशाकें, अशकिया आदि देकर सम्मानित करता था। मनसबदार के साहसपूर्ण काम पर उसे नयाडा बजाने अथवा पताका फहराने का अधिकार दिया जाता था। अत्यन्त गौरव और साहसपूर्ण कार्य करने पर मनसबदार को 'माही मरातिब' का अधिकार-विन्हु प्रदान किया जाता था। उन्हु अन्दी नस्ल के घोडे अपने सारे साजो-सामान के साथ अथवा हाथी भी इनाम में दिये जाते थे। शासक के अधिक प्रसन्न होने पर वह स्वयं मनसबदार के घर जाकर उसे सम्मानित करता था जैसे अकबर ने बीरबल के घर 1574-1583 ई० में स्वयं जाकर उसे सम्मानित किया था।

यद्यपि मनसबदार का क्रमशः पद-वृद्धि करने का कोई नियम नहीं था और शासक यदि चाहता तो मनसबदार को अपनी मर्जी के अनुसार थोड़े समय में ही ऊंचे से ऊंचा मनसब दे सकता था। पदोन्नति करते समय यह ध्यान रखा जाता था कि यह 50 प्रतिशत से अधिक न हो। केवल औरंगज़ेब का समय इस नियम का अपवाद है। उसने खानजहा से प्रथम होकर उसका मनसब 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया। परन्तु ऐस उदाहरण बहुत ही कम हैं।

मनसबदारी को सम्मानित करने के लिए मशहूर मनसब भी दिये जाते थे। इसका अर्थ था कि किस मनसबदार की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होने के साथ ही उसके वेतन में भी बढ़ोतरी कर दी जाती थी। उदाहरण के लिये यदि एक मनसबदार जो किसी क्षेत्र का फौजदार है यदि उसे दूसरे क्षेत्र का भी फौजदारी मीपी जाने





हैं। प्रत्येक जागीर में इसके लिये बकाया लिखने वाले तथा गुप्तचर मौजूद थे जो इन बातों की सूचना अधिकारियों को दिया करते थे। कुम्भवस्था होने पर जागीरा को धीन लिया जाता था अथवा मनसबदारों का स्थानान्तरण कर दिया जाता था।

मनसबदार अपने वेतन के लिये राज्य पर निर्भर थे चाहे ये वेतन उन्हें जागीर अथवा नगदी के रूप में मिला हो। वतन मनसबदारों को उनके मनसब के अनुसार दिया जाता था। वेतन के अतिरिक्त इनाम व रूप में भी मनसबदार को धन दिया जाता था।

मनसब जात व सवार में विभाजित था। सवार पद में दो-अस्था सोह-अस्था भी सम्मिलित थे। इस समस्त सेना के बदले में मिलने वाले वेतन को तलब कहा जाता था। जान पद के विरुद्ध जो वेतन का भाग मिलता था उसे खासा या घात कहते थे जिमकी कि मनसबदार अपने व अपने परिवार के पालन-पोषण पर खर्च करता था। सवार पद के आघार पर दिये गये वेतन को ताबीनान कहते थे। इससे वह घोड़ा, घुड़सवारी, बोमा डोने वाले पशुओं आदि का खर्च बहन करता था।

घात अथवा खासा और ताबीनान वेतन देने के अनग-अलग तरीके थे। अबुल फजल ने जात पद के 1,000 से ऊपर के मनसबदारों के वेतन अलग-अलग तरीके से निर्धारित करने का विवरण दिया है। अबुल फजल के अनुसार प्रथम श्रेणी के पाँच हजार के मनसबदार को 30,000 रु० मासिक मिलते थे। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के 500 के मनसबदार को 2,500 रु० प्रति माह मिलते थे। 10 के मनसबदार का 100 रुपये प्रति माह दिये जाते थे। इसी प्रकार 5000, 500 व 10 व तृतीय श्रेणी के मनसबदार को क्रमशः 2,800, 2,100 व 75 रुपये प्रति माह दिये जाते थे। मनसबदारों के वेतन में इनाम भी मिला होता था। उदाहरण के लिये सादुन्ना खा जिमका मनसब 7000/7000 (5000, 2-3 एच) था उसका वार्षिक वेतन इस प्रकार से था—जात पद का वेतन=1 40 करोड़ दाम।

सवार पद का वेतन (10,000+2,000=12,000 सवार, प्रत्येक पर 8,000 दाम का खर्च=9 60 करोड़ दाम

कुल 11 करोड़ दाम

नौ रोज के उत्सव पर उसे 1 करोड़ दाम इनाम के रूप में दिये गये थे। जिसके आघार पर उसका वार्षिक वेतन 12 करोड़ दाम अथवा 30 लाख रुपये था।

मनसबदारों के वेतन की कसौटी के आघार पर शहजादों के वेतन को निर्धारित करना सम्भव नहीं है। उनका बगैरे एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और उन्हें उनके मनसब की तुलना में कहीं अधिक वेतन दिया जाता था जैसे दारा शिकोह को अपने मनसब पर 20 करोड़ दाम प्रति वर्ष दिये जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें मनसबदारों की श्रेणी में लेने के पहले ही उनके दैनिक भत्ते निश्चित कर दिये जाते

ये जैसे दारा शिकोह, शाहजुजा, और गजेव व मुराद बंश के क्रमश 1000, 750, 500 व 250 रुपये निश्चित कर दिये गये थे ।

मौरलेण्ड के अनुसार जो वेतन प्रकरण के समय निश्चित किय गये थे वे क्रमश शाहजहा के समय में कम होने लगे परन्तु प्रो. इरफान हबीब इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं । उनके अनुसार यह कमी 1618 से 1630 ई० के बीच हुई थी । अतः शाहजहा पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है । इसके विरोध में प्रो० कुरेशी का कहना है कि अनेको दस्तूर-हुच-प्रमन में वेतन की दी गई दरें पादशाहनामा में दी गई दरों से मेल खाती हैं और दूसरे साधनों के आधार पर यह निष्कर्ष लेना सम्भव है कि शाहजहा के समय में वेतन में कटौती की गई थी ।

शाहजहा के शासन के तीसरे दशक में स्थिति लगातार गिरती चली गई । राज्य की आय कम होनी चली जा रही थी और व्यय बढ़ता जा रहा था । अधिन समय तक ये असन्तुलन सम्भव नहीं था । खाफी खा ने लिखा है कि शाहजहा के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में स्थिति इतनी गम्भीर थी कि राज्य में कोई स्थानमा प्रथवा जागीर भूमि दीय न थी राज्यकोष में धन न था और वे जागीरदार मनमवदार जिनको नगद वेतन दिया जाता था उनकी भी दुर्दशा थी । शिकायत करना व्यर्थ था उन्हें बगैर जागीर के मनसब लेकर ही सन्तुष्ट रहना पड़ता था ।

और गजेव के समय में स्थिति और अधिक खराब हो गई । अगर उसका शासनकाल शान्ति और सम्पन्नता का युग रहता तो भी अब्दुल अजीज का मत है कि मनसबदारी प्रथा का पतन होना निश्चित था । धन वाले सकट का रोकने के अथवा टालने की कोई सम्भावना न थी मनसब लगातार पुराने ऊँच वेतन पर दिये जा रहे थे चाहे उनके वेतन का भुगतान हो अथवा नहीं । और गजेव के अन्तिम 27 वर्ष मुख्यतः दक्षिण के युद्धों में बीते और इनके कारण राज्यकोष पर लगातार भार बढ़ता रहा । खाफी खा ने लिखा है कि राज्यकोष की मुरझाने नकदी का अधिकतर भाग खर्च हो गया था और नकदी धन की मांगों को पूरा करने के लिये कोई बकाया नहीं था ।<sup>1</sup> सर यदुनाथ के शब्दों में 'प्रशासनिक अधिकारियों व सैनिकों का तीन साल का वेतन बकाया था और राज्य की समस्त भूमि भी बढ़ी हुई सैनिक सेवाओं की पूर्ति के खर्च को पूरा करने में असमर्थ था'<sup>2</sup> मनसबदार जिन पर राजकीय पशुओं को पालने का उत्तरदायित्व था उनके पास इतनी कम जागीरें थी कि वे स्वयं ही भूखमरी से पीड़ित थे ।

1 खाफी खा-मुन्तलब-उल-लवान भाग 1 पृ० 411

2 सर यदुनाथ सरकार-हिस्ट्री आफ और गजेव भाग 4 पृ० 448-49

जात पद की स्थिति दयनीय थी और उमी के साथ ताबोनान की स्थिति भी किसी प्रकार में सन्तोषजनक नहीं थी। मित्र-मित्र शासकों के अधीन घुडसवारों का वेतन अलग-अलग था और राज्य पर खर्चों का अधिक भार था। अकबर के समय में घोड़े की नस्ल पर वेतन इस प्रकार दिया जाता था :—

घोड़े की नस्ल	घुडसवार का मासिक वेतन
ईरानी	30
मुजघस	25
सुर्की	20
पावू	18
ताजी	15
जगल	12

कुछ समय पश्चात् जाति के आधार पर घुडसवारों का वेतन इस प्रकार निश्चित किया गया<sup>1</sup> :—

घुडसवार की जाति	नेहे अस्था		दू-अस्था		यक-अस्था	
	मासिक दाय	वार्षिक खर्च	मासिक दाय	वार्षिक खर्च	मासिक दाय	वार्षिक खर्च
गुगल, अफगान, शामीद	1000	300	800	240	600	180
राजपूत	800	240	600	180	—	—

यदि राजपूतों के दिये जाने वाले विशेष वेतन को अलग कर दिया जावे और 3 सह-अस्था, चार दू-अस्था व 3 यक-अस्था अर्थात् 10 घुडसवारों के लिए 20 घोड़ों के आधार पर खर्चा निकाला जावे तो औसतन एक घुडसवार का वार्षिक वेतन 9600 दाम अथवा 240 रु० आता है।

जहांगीर के समय में हाकिम घुडसवार का वार्षिक वेतन 240 रु० वार्षिक मानता है जबकि यामम रो ने इसे 200 रुपये स्वीकार किया है। यामम रो के आकड़ों को अब्दुल अजीज व प्रो० इरफान हबीब स्वीकार करते हैं।<sup>2</sup>

शाहजहा के समय में घुडसवारों का वेतन औरंगजेब के द्वारा दिया गया है, दूसरे समकालीन इतिहासकार इस सम्बन्ध में मौन हैं। उसके अनुसार 1630 ई०

1 अब्दुल अजीज—वही, पृ० 95

2 वही, पृ० 97.

में प्रत्येक घुडसवार का वार्षिक वेतन घटाकर 8800 दाम कर दिया गया था और पुनः कुछ वर्षों बाद (1048 ए०एच) इसे घटाकर 8000 दाम कर दिया था। इस प्रकार अक्बर के समय की तुलना में घुडसवार का वेतन 9600 दाम से घटाकर 8000 दाम कर दिया गया था। यहाँ पर हमके साथ ही यह ध्यान देने योग्य बात है कि अक्बर जहाँ केवल एक घुडसवार को सेवारत कर एक घुडसवार का कार्य ले लेता था वहाँ शाहजहाँ 3 या चार और कभी-कभी 5 घुडसवारों को नियुक्त करने के लिये बाध्य था।<sup>1</sup>

औरंगजेब के समय में इरबिन के अनुसार प्रत्येक घुडसवार का वार्षिक वेतन 8000 दाम अथवा 200 रुपये था। (16 रु० 10 आने 8 पाई प्रति माह)। इस प्रकार से एक अस्था को 200 प्रति वर्ष व दू-अस्था व सेह-अस्था को 11000 दाम या 275 रु० प्रति वर्ष दिये जाते थे जिससे यह परिणाम निकलता है कि यद्यपि दो व सेह-अस्था का वेतन एक-अस्था से अधिक था परन्तु अनुपातिक नहीं था।

इन बातों और घुडसवारों के वेतन के आकड़ों को देखकर अनुभव होता है कि मुगलकाल में इनका वेतन अत्यधिक था। परन्तु प्रो० कुरेशी यह मानते हैं कि ये वेतन वास्तव में उतने ऊँचे नहीं थे जितने कि दीखते हैं।<sup>2</sup> सर्वप्रथम इस वेतन में से लगभग 10 प्रतिशत जागीर की व्यवस्था करने में व्यय हो जाता था। यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा जागीर व प्रशासन में अनिश्चित उत्तरदायित्व डाल दिया जावे तो इस अनिश्चित प्रशासन के व्यय का भार भी मनसबदार को सहन करना पड़ता था। यदि किसी वर्ष सूखा अथवा अकाल पड़ जावे तो मनसबदार को ही इस हानि को वहन करना पड़ना था। इसके अनिश्चित घोड़े, बोझा देने वाले पशु माडियों आदि के व्यय का भार भी उसी पर था। इन सबके बाद सवार पद की जटिल व्यवस्था में इस वेतन को और अधिक अर्थहीन बना दिया था क्योंकि ये ही मनसबदार जिनके मनसब में दो-अस्था और सेह-अस्था सवारों की सग्रा अधिक थी केवल उन्हें ही 12 महीनों का वेतन मिलता था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी थी कि कुछ मनसबदारों को वर्ष में केवल 5 महीनों का ही वेतन प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में यद्यपि राजकीय आकड़े 12 महीनों का वेतन बनाने से परन्तु वास्तविक रूप में वेतन इससे कहीं कम था। औरंगजेब द्वारा मादुलनाखा को लिखित पत्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि मनसबदारों के घान अथवा रासा वेतन में और अधिक कटौती की गई तो यह उनके द्वारा मंत्रिक भर्तों पर कुप्रभाव डालेगी। उसके अनुसार पहले मनसबदार अपने वेतन का चौथाई भाग घान अथवा रासा वेतन के रूप में होता था परन्तु अब उसका यह भाग केवल  $\frac{1}{3}$  ही रह गया है। इस आकार पर मनसबदार

1. वही, पृ० 98

2. भाई० एच० कुरेशी, वही, पृ० 108

के वेतन को प्रत्यक्ष मृत्यु भ्रयवा घ वित्त मृत्यु के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।<sup>1</sup>

मुगल काल में प्रचलित जन्मी प्रथा क्लोनतन्त्र के उत्कर्ष में सबसे बड़ी बाधक थी। इस व्यवस्था के द्वारा किसी भी मनसबदार भ्रयवा भ्रमीर की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली जाती थी, यद्यपि कुरान में किसी को किसी भ्रय की निजी सम्पत्ति पर अधिकार करने की मनाही की गई है। प्रायः मनसबदार राज्य से कर्ज लिया करते थे। परन्तु नगका भुगतान नहीं कर पाने थे अथ उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति पर अधिकार कर जिनना बकाया होता था सरकार उसे वसूल कर लेती थी। यह भी माना जाता है कि क्योंकि भ्रमीर राज्य के सेवक थे और उन्होंने यह धन राज्य के सेवक के रूप में ही अर्जित किया था इसलिए उनकी मृत्यु के बाद इस धन पर राज्य का अधिकार होना चाहिये न कि उनके पुत्रों का। बनिपर ने इस व्यवस्था को जगली कहकर पुकारा है और भ्रय विदेशी यात्रियों ने इसे विचित्र व्यवस्था की मजा दी है। इसी कारण मुगलकाल में शक्तिशाली भ्रमीर वर्ग का उत्कर्ष नहीं हो सका क्योंकि प्रत्येक भ्रमीर के पुत्र को अपना जीवन नय सिरे से आरम्भ करना पड़ता था और अपने पिता की सम्पत्ति से उस कोई लाभ नहीं मिलता था।

यद्यपि भ्रवुल फजल जन्मी प्रथा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है परन्तु यह निश्चित है कि किसी न किसी रूप में यह प्रणाली के समय में प्रचलित थी। यदि किसी मनसबदार का उत्तराधिकारी नहीं होता भ्रयवा उस पर राज्य का बकाया निकलता होता या उसकी जागीर का हिमाक माफ नहीं होता तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। जहागीर ने लिखा है कि मनसबदार के मरने पर उसकी सम्पत्ति पर उसके उत्तराधिकारी का पूर्ण अधिकार है। भ्रय किसी को इसमें से कुछ प्राप्ति का अधिकार नहीं है परन्तु यदि मनसबदार भ्रयवा भ्रमीर सत्तानहीन हो तो सरकार अधिकारी को भेज कर अधिकार कर सकती है और उस धन राशि को शरियत के अनुसार खर्च कर सकती है। जहागीर ने गज्यभिदेक के समय जो 12 अध्यादेश जारी किए थे उनमें भी इसी प्रकार का आभास मिलता है। इस आधार पर हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि जहागीर के समय में जायदाद की जन्मी उस समय की जाती थी जबकि किसी मनसबदार का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता था। एकदर की मृत्यु के तीन वर्ष बाद 1608 ई० हाकिम ने लिखा है 'इस मुगल बादशाह जहागीर की यह नीति है कि यदि कोई भ्रमीर मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है। इस सम्पत्ति में से मनसबदार या भ्रमीर के

मनसबदार यह जानते थे कि उनके पद का अस्तित्व अथवा उनकी पदोन्नति सम्राट की कृपा पर निर्भर है इसलिए वे सम्राट के प्रति स्वामिभक्त रहते थे और अपनी सेवाओं, उपहारों व भेंटों से सम्राट को प्रसन्न और सन्तुष्ट रखते थे। इसका प्रभाव साधारण सैनिकों व सेनानायकों पर भी पड़ता था और वे भी स्वामिभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करते थे। अप्रत्यक्ष रूप से इसके दो लाभ हुए। एक और तो जब मनसबदार यह जानता था कि क्योंकि उसकी पदोन्नति अथवा पदावनति उसकी सैनिक सेवा की श्रेष्ठता पर निर्भर है इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत विनिष्ठा बताने के लिए सदैव प्रयत्न करता था और इस आधार पर सैनिक क्षमता में वृद्धि होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर मनसबदारों की स्वामिभक्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त यह व्यवस्था क्षमता और अनुशासन से बनाये रखने में अधिक सहायक थी।

पुनः इस व्यवस्था से योग्य व्यक्तियों को दायित्वपूर्ण काम आसानी से सौंपे जा सकते थे और उनकी योग्यता के आधार पर उनसे कार्य लिया जा सकता था चाहे ये कार्य सैनिक हो अथवा असैनिक, प्रशासकीय हो अथवा वित्त सम्बन्धी। जैसे राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य का वजीर होने के साथ ही सचिव वित्त मन्त्री और सेनानायक भी था। जिस भी रूप में उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती उमी रूप में उसे कार्य लिया जाता था।

गोत्र अथवा कबीला पद्धति से खड़ी की गई सेना का एक दूसरे के विरुद्ध भी सफलता से उपयोग किया जा सकता था। बर्नियर के लेख से मालुम पड़ता है कि किस प्रकार मुगल सेना की एक टुकड़ी शत्रु के विरुद्ध अथवा अलग से एक दूसरे के विरुद्ध प्रयुक्त की जा सकती थी। वो लिखता है कि किस प्रकार से राजपूत राजाओं पर अक्रुश रखने के लिए तथा वे राजा जिन्होंने मुगलों की आधीनता को स्वीकार न किया हो अथवा खिराज देने को मना किया हो अथवा आज्ञा प्राप्ति पर मुगल सेना में आकर न मिले हो उनके विरुद्ध दूसरे राजाओं को तैयार कर उन पर दबाव डालने के लिए गोत्र अथवा कबीले पर आधारित मनसबदार प्रथा किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुई। उसने आगे लिखा है कि शासक सदैव राजपूत राजाओं में प्रतिस्पर्धा तथा मनमुटाव पैदा कर एक को दूसरे के प्रति उपयोग कर उनकी आकांक्षाओं पर अक्रुश लगाये रखने में समर्थ था। इसी प्रकार में वह अपने विद्रोही उमरावों के विरुद्ध इन कबीलों की भावना का उपयोग कर उनको दबा सकने में समर्थ होता था। इसी नीति का उपयोग कम्पनी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार ने भारत में किया जबकि वे जाति अथवा गोत्र के आधार पर अलग अलग सैनिक टुकड़ियों का निर्माण कर एक दूसरे के विरुद्ध उनको प्रयुक्त कर अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहे।

इसके अतिरिक्त इस प्रथा पर राज्य के समस्त भागों में अपने आप ही मनसबदारों की टुकड़ियाँ मौजूद थीं जिनको किसी भी सकटकालीन स्थिति में सैनिक अथवा प्रशासनिक रूप में काम लिया जा सकता था। इसके साथ ही उमर युग में

जबकि शासक के पास स्थायी सेना अधिक नहीं रहती थी, इस प्रथा से सेना इकट्ठी की जा सकती थी और युद्ध में भेजी जा सकती थी। इससे यह साम हुआ कि सेना-संगठन, व्यवस्था और अनुशासन के दृष्टिकोण से भुगत राज्य बच गया।

किन्तु मनसबदारी प्रथा में धनकों दोष भी थे। इसमें अत्याचार की अधिक सम्भावना थी और जैसे ही शासन कमजोर पड़ा वैसे ही अत्याचार और अधिक बढ़ गया। मनसबदारों के पास उनका मनसब के अनुसार जो बुद्धिसवार रहते थे उनका सारा खर्चा राज्य देना था। इस धन की अभाव के लिए मनसबदार धनक अर्थात् उपायों का उपयोग करते थे। हाज़िरी के समय वे बाजार से साधारण व्यक्तियों को पकड़ लाते और उन्हें कौड़ी धरों पहनाकर सैनिक के रूप में ला खड़ा करते और निरीक्षण में सफल हो जाते थे। इरविन ने लिखा है, "भूठी सेना मग्रह एक ऐसी घुराई थी जो भुगत सेना में सबसे अधिक पायी जाती थी। अपने मनसब के हिस्से की पूरा करने के लिए मनसबदार दूसरों की अपने सैनिक उधार दे देते थे अथवा यात्रा से लोगों को पकड़ कर उन्हें किसी टट्टू पर बैठाकर दूसरा के साथ उनकी भी गिनती योग्य-निपाहियों में करा देते थे।" इस तरह बाजार से पकड़े गये व्यक्तियों को हमली निपाहियों की जगह ला खड़ा करना और सरकारी घोड़ों की जगह टट्टुओं को दिखाकर वे सैनिकों का वेतन और घोड़ों पर खर्च किये जाने वाले धन को स्वयं इजम कर जाते थे। अक्सर न घोड़ों को दगवान तथा हुलिया लिय कर इन घुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया परन्तु वह सफल न हो सका। बाद के शासन के समय में जब वे दक्षिण में अधिक व्यस्त हो गये तब रही सही व्यवस्था भी पूरी तरह से समाप्त हो गयी।

इसके अतिरिक्त मनसब प्रथा में मनसबदार के सैनिक बादशाह से अपने मनसबदार के प्रति स्वामिभक्त थे। परिणाम यह हुआ कि यद्यपि सैनिकों के वेतन का भार राज्य पर पड़ता था परन्तु दुर्भाग्यवश यदि शासक और मनसबदार में मनमुटाव हो जाये तो सैनिक शासक की अपेक्षा मनसबदार की ओर से लड़ते थे।

मनसबदारी की व्यवस्था के संचालन के लिए नियम तो बनाये गये थे परन्तु उनका पालन नहीं किया जाता था और बहुत कुछ शासक की इच्छा पर छोड़ दिया गया था जो किसी भी शृंखला के मनमाने ढंग से ऊचे से ऊचा मनसब दे देता था। इस कारण मनसबदारी में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना पैदा हो गई और वे समुचित रूप से अपनी ज़म्मेदारियों को निभाने में त्रिभङ्गिचाने लगे। कमजोर अथवा व्यस्त शासकों के समय में यह भावना और अधिक तीव्र हो गई और अज्ञान-वृत्त इनके कि वे एक जुट होकर शत्रु का सामना करें वे आपस में एक दूसरे की शक्तिओं को काटने में लगे रहे। ऐसी स्थिति में जब किसी एक मनसबदार की टुकड़ी ने युद्ध में सत्रिय भाग लेकर अपने पक्ष को विजय की स्थिति में पहुँचा दिया हो,



दूसरा मनसबदार उसको सम्मानित सम्मान मिलने की डाह से विरोधी कार्यवाही कर जीते-जिताये युद्ध को पराजय में बदल देने के लिए क्रियाशील हो जाता था। मनसबदारी प्रथा मनसबदारों के बीच असतोप और पटयन्त्रों का कारण बन गई जो मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी।

मनसबदारी प्रथा यूरोप के सामन्तवाद और जागीरदारी प्रथा से भिन्न थी। मुगल शासन के मनसबदार यूरोप के मध्य युग के जागीरदार नहीं थे। यूरोप के जागीरदार अपनी-अपनी जागीर के क्षेत्र में सर्वोत्कर्ष थे। अपने क्षेत्र में स्थायी थे, शक्तिशाली होने के नाते वे सम्राट की निरकुशता पर अकुश रखते थे और समय आने पर वे सिंहासन से भी उतार सकते थे। अपने क्षेत्र में उन्हें दीवानी और फौजदारी के समस्त अधिकार प्राप्त थे परन्तु मनसबदार इन शक्तियों से रहित थे।

मनसबदारों के पास अपनी जागीर में जहाँ उन्हें कर वसूल करने के अधिकार थे वहाँ भी प्रशासन उनके आधीन नहीं था। जागीर के निवासी उनकी कृपा पर निर्भर नहीं थे अपितु वे मनसबदारों के विरुद्ध केन्द्रीय शासन और सम्राट तक पहुँच सकते थे। यूरोपीय जागीरदारों के समान उनकी जागीरें स्थायी नहीं थी और किसी समय भी उन्हें एक जागीर से दूसरी जागीर में भेजा जा सकता था। इस स्थानान्तरण के कारण मनसबदार स्वेच्छावारी प्रशासक नहीं हो सकता था।

मनसबदारों को समय-समय पर अपने छोटे अथवा सैनिकों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था और यदि वे निरीक्षण में पूरे नहीं उतरते तो उनको दण्डित किया जाता था अथवा उनका वेतन कम कर दिया जाता था या मनसब में बंटौती कर दी जाती थी। इन विशेषताओं के कारण मनसबदारी ऐसे सामन्तों या जागीरदारों को जन्म न दे सकी जो सम्राट को गद्दी से उतारने का साहस कर सकें अथवा उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकें। ऐसी स्थिति में मनसबदारों को यूरोप के सामन्तों अथवा जागीरदारों के समान स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

## मध्यकालीन सैनिक व्यवस्था

(घ) सल्तनत कालीन सेना व उसकी व्यवस्था

13 वीं शताब्दी में शक्ति ही राजसत्ता को स्थापित करने और उसे बनाये रखने की अविभाज्य सहचरी थी।<sup>1</sup> यदि तुर्कों ने भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिये इसको माध्यम बनाया तो इस आधार पर उन्हें किसी प्रकार से दोषी ठहराना उचित न होगा। साधारणतया धारम्भ में प्रत्येक राज्य की स्थापना का यही आधार रहा है और सल्तनत की भौगोलिक स्थिति ने इसे और भी आवश्यक बना दिया था। उत्तर-पश्चिम में मंगोल आक्रमणों का भय सदैव ही बना रहता था और नव-स्थापित तुर्की राज्य को यदि सुरक्षित रखना था तो सफलता से विरोध करना न केवल आवश्यक था अपितु अवश्यभावी भी था। मंगोल क्योंकि स्वयं में एक शक्ति थे इसीलिये केवल शक्ति के प्रदर्शन से ही उनकी बढ़ती हुई आकांक्षाओं को रोकना सम्भव था। इस संकट का सामना करने के लिये मुल्तानों ने उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर सख्त दुर्गों की एक पंक्ति खड़ी कर तथा उनमें अपने योग्य और विश्वसनीय सेना-अधिकारियों की नियुक्ति कर इस समस्या का समाधान ढूँढा।<sup>2</sup>

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि सल्तनत की स्थापना एक ऐसे प्रदेश में हुई थी जहाँ की जनता का धर्म और आचार-विचार तुर्कों से सर्वथा भिन्न था और ऐसी स्थिति में दोनों में विरोध होना स्वाभाविक ही था। प्रत्येक जाति प्रत्येक स्थान पर नव-विजेताओं का विरोध करती आई है और यदि हिन्दुओं ने और विशेषकर राजपूतों ने इनका विरोध किया और इनके प्रति असहयोग और अपेक्षापूर्ण व्यवहार किया तो यह स्वाभाविक ही था और समय-मय पर तुर्कों के परतन्त्रता के जूड़े को उतार फेंकने का असफल प्रयास किया तो यह भी अपेक्षित था। ऐसी स्थिति में इनका विरोध करने के लिये तुर्कों अथवा अन्य किसी और

1. मिनहाज-उत-सिराज-तक़ात-ऐ-नासिरी, पृष्ठ 171.

2. डे० यू० एन०—सम आस्पेक्टस ऑफ़ मॅट्रिवल इन्डियन हिस्ट्री पृ० 31-57.

विजेता के सम्मुख अपनी शक्ति को दृढ़ बनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा न था। तुर्कों ने इसका समुचित उपयोग किया और भारत में क्योंकि तुर्कों की सस्या अत्यधिक कम थी इसलिए सुल्तानों ने प्रत्येक तुर्क के मिथ्याभिमान को कुरेद कर, राज्य में उनको सम्मानित पदों पर नियुक्त कर प्रत्येक से बर्बर भेद-भाव के सैनिक सेवा की आशा की। सैनिक और अर्सेनिक पदों में उठने कोई अन्तर नहीं रहता। तुर्कों के लिये यह आवश्यक भी था क्योंकि हिन्दुओं की सस्या अत्यधिक थी और उनका सफल विरोध करने के लिये प्रत्येक तुर्क का सहयोग आवश्यक था। योग्य अथवा अयोग्य का प्रश्न तो उस समय उठता जब मांग की मात्रा खपत से कम होती। तुर्कों को इस आधार पर एक शक्तिशाली सेना बनाये रखना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त सुल्तानों को स्वयं अपने अमीरों और इस्लाम में दीक्षित अनुयायियों की विद्रोहात्मक प्रवृत्तियाँ का भी सदेह था और इनको दबाना भी आवश्यक था अन्यथा किसी समय भी सल्तनत का दुर्गन्ध अन्त हो सकता था। इस समस्या के समाधान के लिये सुल्तानों ने सीधे अपने नेतृत्व में एक स्थायी सेना का निर्माण किया जिससे कि वह व्यक्तिगत रूप में सेना से सम्पर्क रख सकें और सैनिक केवल उन्हें ही अपना स्वामी और नेता समझे। इस आधार पर मध्यकालीन धारणा कि सेना ही राजपद है और राजपद ही सेना है, स्वीकार करना नीतिसंगत प्रतीत होता है।<sup>1</sup>

सल्तनत काल की सैनिक व्यवस्था मोटे रूप से तुर्की आदर्श पर आधारित थी। तुर्कों का चंगेला न अपनाकर उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार पुन व्यवस्थित किया था। चंगेज खाँ की सैनिक व्यवस्था अत्यन्त सफल थी। उसको सम्पूर्ण सैनिक व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और सम्पूर्ण सेना हजारों और दस की इकाईयों में बटी हुई थी। यही व्यवस्था गजनवी शासकों ने अपनाई और उन्होंने से तुर्कों ने इसे स्वीकार किया था। इसमें एक सारखेल के आधीन 10 अखावेत्ती, एक सिपहसालार के आधीन दस सारखेल, एक अमीर के आधीन दस सिपहसालार, एक मलिक के आधीन 10 अमीर और एक खान के आधीन 10 मलिक हुआ करते थे।<sup>2</sup> इस प्रकार में एक खान के आधीन 10,000 अश्वारोही, एक मलिक के आधीन 100 अश्वारोही और एक अमीर के आधीन 100 अश्वारोही हुआ करते थे।<sup>3</sup> डा० डे० के० अनुसार<sup>4</sup> यह सस्या अविचारियों द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की सस्या को दृष्टिगत नहीं करती है अपितु यह अमीर वर्ग का

1 बर्नी-फतवा-ए जहादारो, पृष्ठ 22

2 बर्नी-तारीख-ए-फीरोजशाही, पृष्ठ—145

3 मसालिक-उल-अवसार, इलियट भाग 3, पृष्ठ 577

4 डे० डा० यू० एन० द गवर्नमेन्ट ऑफ द सल्तनत, पृष्ठ 142

श्रेणी-विभाजन बताती है। अमीर खुसरो के कथन से मालूम होता है कि कैकूबाद के शासन में पाच हजार मलिकों ने 10 लाख सेना का संचालन किया था। इससे यही अनुमान ठीक प्रतीत होता है कि खान, मलिक व अमीर जो कि एक सैनिक श्रेणीकरण अथवा वर्गीकरण अमीरो की श्रेणी-बद्ध करने का एक सुलभ साधन था। व्यवहारिक रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि एक अमीर 50 से लेकर 1000 सैनिकों का अधिकारी था और एक मलिक के अधीन न्यूनतम 1000 सैनिक हुआ करते थे।<sup>1</sup> अमीर खुसरो ने 'तूनान' शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ 10,000 सैनिक थे, जो कि सेना की सबसे बड़ी इकाई थी।<sup>2</sup>

मुस्लिम राज्य में प्रत्येक मुमलमान आधिकारिक रूप में राज्य की सेना का सदस्य समझा जाता था परन्तु व्यावहारिक रूप में केवल पेशेवार सैनिक ही इसके सदस्य थे। सेना में विभिन्न श्रेणियाँ थीं। सर्वप्रथम 'जानदार' सैनिक थे जो सुल्तान के अग्र-रक्षक थे। इनके प्रतिरिक्त स्थायी सेना थी जिसको 'वजहिस' तथा अस्थायी सेना को 'गैर वजहिस' की संज्ञा से पुकारा जाता था। अमीरो और इफ्तदारो की सैनिक टुकड़ियाँ भी थीं जो कि सीमान्त प्रदेशों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर रक्की जाती थीं। इन समस्त सैनिकों को हम छोटे रूप से अश्वारोही, हस्ती व पैदल-सैनिक के रूप में बांट सकते हैं। इन सबमें अश्वारोही सेना सबसे महत्वपूर्ण थी और प्रत्येक सुल्तान इस भाग को सुमज्जित रखने के लिये प्रयत्नशील रहता था। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हस्ती सेना का था जिसको कि सुल्तान राज्य के लिये एक मूल्यवान निधि मानते थे। पैदल सेना को निम्न स्तर का समझा जाता था और समस्त सल्तनत काल में इसका कोई महत्व नहीं था। अधिकतर पैदल सेना के सैनिक बोझा ढोल अथवा सेना के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के काम में ही लगाये जाते थे।

अश्वारोही सेना ही शक्ति का प्रमुख आधार थी और प्रत्येक सुल्तान सेना के इस अंग को अधिक महत्व प्रदान करता था। इसी सेना की सहायता से सुल्तान मंगोलों को पराजित करने तथा उनमें आतंक फैला करने में समर्थ हुये थे। साधारणतया अश्वारोही सेना की वेप-भूषा, बाठी और रसातलक शस्त्र तुर्की आदर्शों पर आधारित थे। आरम्भिक तुर्की सुल्तानों के द्वारा प्रचलित अनेकों सिक्कों से हम कथन की पुष्टि होती है। घोड़े पर एक इस्पात की भ्रूम लटकी होनी थी तथा

1. मसालिक-उल-अबतार, इतिहास भाग 3, पृष्ठ 577.

2. कुरेशी, आई० एच०—डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ देहली, पृष्ठ 153.

प्रत्येक सैनिक एक बक्च और सिर-रक्षक से मुमज्जित रहता था। धारबोसा के अनुमार यह भूज इतनी हल्की होती थी कि घोड़े चोगान के खेल में भाग ले सकते थे।<sup>1</sup> प्रत्येक सैनिक के पास दो तलवारे, एक खजर, एक तुर्की कमान और अनेक अच्छे तीर होते थे। काठी से लगी हुई तलवार रकाब की तलवार कहलानी थी और दूसरी तरफ की तलवार कहलाती थी।<sup>2</sup> कई अशवारोही रुई की बडी (जेकेट) भी पहनते थे। यद्यपि धारबोसा दिल्ली के अशवारोहियों का वर्णन नहीं दे पाया है परन्तु वह उनकी चतुरता, युद्ध करने के गुण तथा अथवा अश्वों की प्रशंसा करता है। हमारे यात्रियों ने भी सैनिकों की तीव्रता व तीक्ष्णता की प्रशंसा की है।<sup>3</sup>

इस युग में प्रत्येक अशवारोही का एक अनिश्चित अश्व देने की और विशेष ध्यान दिया जाता था और इसलिए अशवारोहियों को "मुरातब", "सवार" व दो अस्था (अश्व)की श्रेणियों में विभक्त कर रक्खा था। मुरातब वे थे जिनके पास अपने घोड़े न थे। सवार के पास एक घोड़ा और दो अस्था" के पास एक अनिश्चित घोड़ा होता था। मुरातब अशवारोहियों का प्रथम अलाउद्दीन खलजी के समय में अधिक मिलता है। घोड़ों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक थोर तो स्वयं केन्द्र तथा प्रान्तों में अच्छी नस्ल के घोड़ों को पाला जाता था दूसरी ओर अरब, तुर्कमितां आदि से प्राप्त किये जाते थे। मंगोलों के आगमन के समय विदेशी नस्ल के घोड़ों का व्यापार काफी मन्द पड़ गया था और बवल राजधानी में ही ये मिलना सम्भव थे। अलाउद्दीन के पास लगभग 70,000 घोड़े थे। लीगोज तुगलक जो कि अपनी सेना के प्रति अधिक सजग था उसके पास सरकारी अस्त्रजला में घोड़ों की काफी संख्या रहनी थी। प्रत्येक युद्ध के समय सेना के साथ अनिश्चित घोड़े भजे जाते थे जिससे कि युद्ध में काम आये हुए घोड़ों की जगह इन्हें काम में लिया जा सके।<sup>4</sup>

अशवारोहियों के पश्चात् हस्ति सेना का महत्व था। सुल्तान इनकी बहुमूल्य मानते थे और इसीलिए प्रत्येक संधि में हाथियों को प्राप्त करने की शर्त मिलती है। अलाउद्दीन खलजी हाथियों को प्राप्त करने की शर्त पर बल देता था। बलघन भी एक हाथी को 500 अशवारोहियों के बराबर मानता था। अपने पुत्र दुगरा खा की लघनोती में नियुक्त करते समय उसने उसे स्पष्ट रूप में बगाल सह हाथी भेजन के आदेश दिये थे। वगैर सुल्तान की अनुमति के शमीर भी हाथी रखने में प्रसमर्थ थे और इसलिए दिल्ली सुल्तानों का हाथियों पर एजाधिकार था। समकालीन भारत में यद्यपि हाथिया के पालन पोषण की जानकारी के प्रमाण मिलते हैं, परन्तु ऐसा

1 धारबोसा—पृष्ठ 119

2 इब्न बतूतागिब—एच ए आर पृष्ठ 216

3 ममालिक उन-अबसार पृष्ठ 27

4 कुरेशी, आई एच—पृष्ठ, 141-42

अनुभव होता है कि दिल्ली में इसका समुचित रूप से विकास न हो सका इसलिए दूसरे प्रांतों से ही हाथी मगाये जाते थे। सुल्तान हाथियों की बड़ी सख्या रखते थे इसका इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मुहम्मद तुगलक के पास लगभग 3000 हाथी थे। फोरोज तुगलक न जय दूमरी बार बगाल पर आक्रमण किया तो उस समय उसके साथ 470 हाथी थे।<sup>1</sup>

हाथियों की देखभाल के लिए राज्य में शहना ए फील नामक अधिकारी होता था। साधारणतया दक्षिण व दाम भाग के लिए अलग अलग शहना और कभी-कभी दोनों ही भागों के लिए एक ही अधिकारी नियुक्त किया जाता था।<sup>2</sup>

हाथियों को दुर्ग तोड़ने, सैनिकों को भारी सख्या में युद्ध क्षेत्र में ले जाने, युद्ध करने और यहाँ तक कि नदी में धारा के प्रवाह को कम करने के काम में लिया जाता था जिससे कि सैनिक सरलता में नदी पार कर सकें। हाथियों पर घातु की भूल डाली जाती थी तथा इनकी सूँड़ को घातु से ढक दिया जाता था जिससे कि कोई हानि न हो। ये इतने प्रशिक्षित होते थे कि गुच्छ-क्षत्र में प्राते ही ये घोड़ों व सैनिकों पर टूट पड़ते थे जब इनके ऊपर बैठे हुए तीन अथवा चार घोड़ों पर घामान आदि से शत्रु पर प्रहार करते थे।<sup>3</sup>

सल्तनत काल में पैदल सैनिकों को 'पायक' की सजा दी गई थी। ये अधिकतर हिन्दु अथवा दास आदि थे जो स्वयं का घोड़ा लाने में असमर्थ थे इसलिए इनको साधारण कार्यों के लिए तैनात किया जाता था, जैसे द्वारपाल आदि। कभी कभी सुल्तान अशवारोहियों की कमी होने पर इनको राज्य की ओर से घोड़े देकर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया करते थे परन्तु इसके बाद भी वेतन आदि मामलों में इन्हें एक 'पायक' के रूप में ही माना जाता था। यद्यपि ऐसा वर्णन मिलता है कि इन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया था परन्तु इनके बाद भी जिन अभियानों में सैन्य संचालन द्रुत गति पर आधारित थे वहाँ इन पैदल सैनिकों का उपयोग सम्भव नहीं था। पैदल सैनिकों ने सल्तनत काल की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लिया था, जैसे अलाउद्दीन की अतक खाँ के आक्रमण से इन पैदल सैनिकों के द्वारा ही रक्षा की जा सकी थी और मलिक काफूर के विरुद्ध बुतबुद्दीन मुबारक शाह को गद्दी पर बैठाने का श्रेय इन पैदल सैनिकों के पटवन्त्र से ही सम्भव हो सका था।<sup>4</sup>

अमीर स्वयं अपने सैनिकों की भर्ती करते थे। बुगरा खाँ की समाना और सुनम का इकतेदार नियुक्त करते समय बलबन ने उसे आदेश दिया था कि वह पुराने

1 अफीक—सारीख ए फोरोजशाही पृष्ठ, 144

2 कुरेशी, आई एच —पृष्ठ 143

3 कुरेशी, आई एच —यही, पृष्ठ 144

4 ड ड यू एन द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 143

सैनिकों के वेतन बढ़ा दे तथा नये सैनिकों की भर्ती अधिक मात्रा में करे परन्तु सर्व्व ही सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करते समय सावक रहे और केवल विश्वासपात्र लोगों को ही उच्च पद प्रदान करे। स्वयं बलबन को यह सदेह बना रहता था कि कहीं अमीर अपनी मर्जी के अनुसार सैनिक भर्ती कर विद्रोही न हो जायें। उसने समस्त महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने अत्यन्त विश्वासपात्रों को ही नियुक्त कर रक्खा था। अमीरों के द्वारा स्वयं अपने सैनिकों की भर्ती की नीति सुचारु रूप से चलती रही और यदि इस सेना ने एक और मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया तो दूसरी ओर समय-असमय पर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई इन सैनिक टुकड़ियों को एकत्रित कर किसी अभियान के लिए प्रयुक्त करना अधिक सरल हो गया। मंगोलों के 1285 ई० के आक्रमण के समय बलबन ने दिल्ली, मुल्तान और समाना के सैनिकों को इन्हीं प्रकार इकट्ठा किया था और मलिक काफूर के वारगल-अभियान के समय अलाउद्दीन ने अपने अमीरों को उसके मिलने के आदेश भेजे थे तथा दीवान-ए-घारिज के द्वारा उनकी समस्त जाच-पडताल की गई थी जिसमें लगभग 14 दिन लगे थे।

मसालिक-उल-अबसार के लेखक के अनुसार<sup>1</sup> मुहम्मद तुगलक के अश्वारोहियों की कुल संख्या लगभग 9 लाख थी। निश्चित ही यह संख्या स्वयं मुल्तान और अमीरों द्वारा भर्ती किए गये अश्वारोहियों की है। स्वाभाविक रूप से यह सेना राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में बिखरी हुई थी। फीरोज ने राज्याभिषेक के तुरन्त बाद अपने विश्वासपात्र दास मलिक वशीर को घारिज-ए-मामलिक नियुक्त किया और सैनिक भर्ती का समस्त उत्तरदायित्व उसको सौंपा। फीरोज की सेना में, दासों के अतिरिक्त जो पूरे वर्ष ही सेवारत रहते थे, लगभग अस्सी से 90 हजार अश्वारोही थे। स्पष्टतः क्योंकि इनकी भर्ती घारिज-ए-मामलिक ने की थी इसलिए यह संख्या केवल केन्द्र में रहने वाले सैनिकों की ही थी।

सैनिक व्यवस्था के केन्द्रीकरण का श्रेय अलाउद्दीन के सैनिक सुधारों को है। उसके सुधारों के परिणामस्वरूप एक और तो सैनिकों को नकद वेतन दिया जाने लगा तथा दूसरी ओर उनकी स्थायी आधार पर सेवा के लिए नियुक्त किया जाने लगा। सैनिकों की भर्ती घारिज के द्वारा की जाती थी। वह न केवल मुल्तान में अधीन रहने वाली सेना की ही भर्ती करता था अपितु राज्य के महत्वपूर्ण तथा सामरिक स्थानों पर रखने वाली सेना की भी भर्ती करता था और वही उनका लेखा-जोखा भी रखता था। अलाउद्दीन के राज्यकाल में युद्ध के अनेक अवसरों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने इन सैनिकों को अभियान के लिए नियुक्त अधिकारियों से मिलने के आदेश दिये थे। देवगिरि के अभियानों के समय

1. डे. ए. एन. द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 143.

सीमाओं पर स्थित सैनिकों का इस प्रकार के घाटेनु भिन्ने थे। प्रताउद्दीन ने विधिवत घोड़ों को टांगने और 'हुलिया' निम्नने की नीति को प्रचलित किया था जिससे कि सैनिक न तो एक ही घोड़े को जांच के लिए दुबारा प्रस्तुत कर सकें और न ही अच्छे घोड़ों के स्थान पर निम्न कोटि के खच्चर ही सा सकें। यह स्वीकार करना कि प्रताउद्दीन ने इस नीति को विस्तृत व्यापार पर लागू किया होगा सम्भव नहीं है क्योंकि एक तो इस प्रकार का प्रयोग भारतीयों के लिए बिल्कुल नया था और दूसरी ओर पूरे साम्राज्य में लागू करना सम्भव नहीं था। अधिकतर समाधान यही है कि यह नेवल केन्द्र-स्थित सेना पर ही लागू किया गया होगा। मुहम्मद तुगलक के समय के घारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर तु फीरोज तुगलक के समय में इस नीति को श्याग दिया गया था। अधिकतर अमीर अपने दास, सेवक व सम्बन्धियों को हाजिरी के समय ले आने थे और सैनिकों के रूप में उनको प्रस्तुत कर उनके वेतन भत्ते आदि का स्वयं उपयोग कर लेते थे। घटिया किस्म के घोड़ों को आरिज के सम्मुख प्रस्तुत करके उनके सैनिक सेवा के योग्य होने का प्रमाण-पत्र लेकर स्वयं लाभ उठाया करते थे, यहाँ तक कि अपने सैनिक वापिक जांच के समय अपने घोड़ों को भी प्रस्तुत न करते थे। फीरोज के समय में सेना में प्रचलित घट्टाचार का अनुमान हमी से घाका जा सकता है कि अनी दयालु प्रवृत्ति के कारण उसने स्वयं एक सैनिक को एक टक देकर सम्बन्धित अधिकारी से अपने घोड़े को स्वीकृत बनवाने की व्यवस्था की। स्वयं शासक के द्वारा रिश्वत के लिए धन दिये जाने से सेना की योग्यता और व्यवस्था का महज ही में अनुमान लगाया जा सकता है।<sup>1</sup>

अपने राज्यकाल के आरम्भ में फीरोज ने सैनिक सेवा की वंशानुगत कर दी। अपनेकी वृद्ध और सैनिक सेवा के अयोग्य व्यक्तियों को सेवा में रहने दिया और मलिक ईशाक के प्रस्ताव को कि वृद्धों को सेना से निकाल कर उनके स्थान पर युवक और योग्य व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया जावे ठुकरा दिया। उसने यह नियम बनाया कि एक व्यक्ति के वृद्ध होने के पश्चात् उसका पुत्र, पुत्र न होने पर उसका दामाद, दामाद न होने पर उसका दास सेना में उसका स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है। एसी स्थिति में सेना में योग्यता और निपुणता का स्थान प्रमुख न रहा।<sup>2</sup> सैनिक संगठन को दुर्बल बनाने में दोष कमी सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन दिये जाने न पूरी कर दी। सैनिक व्यवस्था में इन्हीं दोषों के कारण मुस्तान के बगाल, उडीसा, नगरकोट व सिन्ध के अभियान असफल रहे। इस सैनिक अव्यवस्था ने ही मुस्लिम साम्राज्य की नींव हिला दी।

1 अफीक—तारीख-ए फीरोजशाही, पृष्ठ 300-301.

2 अफीक—वही, पृष्ठ 302-304.



जब सेना अभियान के लिए निकलती थी तो विभिन्न स्थानों पर स्थित मेना को एक निश्चित स्थान पर एक्त्रिन किया जाता था और वहाँ पर उनकी हार्डिरी व निरीक्षण होता था। बर्नी के विवरण से यह स्पष्ट होता है।

अभियानों के समय सेना की "तूमान" पद्धति पर व्यवस्था की जाती थी। ये तुकों की पुरानी पद्धति थी। अमीर खुसरो के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन ने इसी आधार पर सेना की व्यवस्था की थी। अमीर खुसरो ने लिखा है कि प्रत्येक "तूमान" (10,000) को 1200 गज भूमि निश्चिन कर दी जाती थी और उसे अपने निश्चित स्थान पर भेज दिया जाता था और इस प्रकार से दुगों को चारों ओर से घेर लिया जाता था।<sup>1</sup>

सल्तनत काल में सुल्तान ही सेना का अध्यक्ष व उसका सेनापति था। केवल सुल्ताना रजिया के राज्यकाल का छोड़कर राज्य में कोई स्थायी सेनापति न था। सम्भवतः स्त्री होने के नाते उस यह घटककर लगा कि वह स्वयं सेनापति का भार उठाये। इसलिए उसने म्यायी रूप से मलिक सेफुउद्दीन को सेनापति बनाया और उसकी मृत्यु पर मलिक कुतुबुद्दीन हुसैन को इस पद पर नियुक्त किया। प्रत्येक अभियान के अवसर पर सेनानायक नियुक्त किया जाता था और अभियान की समाप्ति तक ही उसका कार्य-काल होता था। बगाल के विद्रोही तुगरिल खा के विरुद्ध प्रथम अभियान में अमीर खा को सेनापति नियुक्त किया गया था।<sup>2</sup> इसी प्रकार मलिक काफूर को दक्षिण के अभियानों के लिए<sup>3</sup> और जूना खा को वारंगल और तैलंगाना के अभियानों के समय सेनानायक नियुक्त किया गया था। जब कभी सेनापति को युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व सौंपा जाता था तो साधारणतया मुल्तान उस एक लाल छतरी प्रदान करता था।<sup>4</sup>

युद्ध के समय में सेनापति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान अरिज-ए-मामलिक का होता था। वस्तुतः अरिज ही अभियान की सम्पूर्ण तैयारी के प्रति उत्तरदायी होता था और अभियान के लिए सैनिक टुकड़ियों को चुनने की ज़म्मेदारी भी उसी की थी। महत्वपूर्ण युद्धों में स्वयं अरिज सेना के साथ जाता था परन्तु कभी-कभी वह अपने अधीन नायब अरिज को भी भेज देता था। सेना के रमद आदि की वह वही व्यवस्था करता था। युद्ध के बाद समस्त लूट के माल का वही निरीक्षण करता था और सेनापति की उपस्थिति में उसका वटवारा किया जाता था। यह काम

1 डे० यू० एन वही, पृष्ठ 147

2 इलियट भाग 3, पृष्ठ 114

3 वही, पृष्ठ 200

4 हबीब, मो — खजान-उल फतह, पृष्ठ 56

अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इस तूट के मान में से राज्य का भाग 'खम्ह' बसूल किया जाता था और दोष सैनिकों में बांट दिया जाता था ।

शान्तिकाल में सुल्तान के बाद छारिज मेना का सबसे बड़ा अधिकारी था और इस नाते वह सेना की सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी था तथा उनको समुचित रूप से मुद्ध के त्रिये तैयार रखना था । वह प्रत्येक सैनिक की भर्ती करता था और प्रत्येक का वेतन निश्चित करता था । प्रत्येक सैनिक की पदोन्नति उसी के द्वारा की जाती थी । उनको हाजिरी भी यही लेता था और वर्ष में एक बार वह प्रत्येक सैनिक व उसने धर्म-शास्त्रों आदि का परीक्षण करता था ।

छारिज के पश्चात् अमीर अमूर भी सल्तनत काल की सेना का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था । यह सर्वे ही योग्य व्यक्ति होता था और राजधानी में सुल्तान के साथ ही रहता था । सम्पूर्ण सल्तनत काल में अमीर अमूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं मुहम्मद गौरी के राज्यकाल में अमीर अमूर था ।<sup>1</sup> अलाउद्दीन खलजी का भाई अलमस बेग भी इसी पद पर था और अलाउद्दीन उसी की सहायता से गद्दी प्राप्त करने में सफल हुआ था । फकहूद्दीन जूना खा भी कुतुबुद्दीन के राज्यकाल में इसी पद पर रहा<sup>2</sup> और फिर सुल्तान मुहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा । इन तथ्यों के बाद भी यह स्वीकार करना कि अमीर अमूर केवल पुडमाल का निरीक्षक था सम्भव नहीं है ।

जहां तक अमीरों और सैनिकों के वेतन का सम्बन्ध है हमें आरम्भिक युग के सम्बन्ध में जानकारी बहुत कम है । सल्तनत-काल के इतने लम्बे समय तक वेतनमान एक जैसा बना रहना सम्भव ही नहीं था । वेतन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उस समय की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति पर निर्भर था । सैनिकों की भाग व सुल्तानों की विजय-नीति भी इसमें निर्णायक तत्व थे । मसालिक-उल-अबसार से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक खान को एक लाख टक, एक मलिक को 50 या 60 हजार टक, एक अमीर को 20 या 40 हजार टक, एक सिपहसालार को 20 हजार टक व साधारण अधिकारियों को एक से 10 हजार टक प्रति वर्ष मिलते थे । इन अधिकारियों को वेतन के बदले इतनी भूमि दे दी जाती थी जिससे कि इनके वेतन के बराबर आय प्राप्त हो सके । ये उनका व्यक्तिगत वेतन था जिससे सैनिकों का वेतन नहीं मिला हुआ था ।<sup>3</sup> इस नीति से अमीरों को साधारणतया ऐसी भूमि

1. रेवर्टी—तुवकाल-ए-नामिरी, पृष्ठ, 514.

2. इलियट भाग 3, पृष्ठ 224.

3. मसालिक-उल-अबसार, पृष्ठ 28-29.

मिलती थी जिसकी आय निर्धारित वेतन से अधिक ही होती थी और एक प्रकार से वह अधिक लाभ का भागी भी होता था। परन्तु इसके अतिरिक्त इसमें एक कठिनाई थी। यह आवश्यक नहीं था कि जिस स्थान पर अमीर को भूमि दी गई हो उसी स्थान पर उसकी नियुक्ति की जावे। ऐसी स्थिति में स्वयं अमीर इस बात के लिए उत्तरदायी था कि वह अपने कारिन्दों को नियुक्त कर वहाँ से आय वसूल करें।

जहाँ तक सैनिकों को वेतन देने का प्रश्न था, ऐसा अनुभव होना है कि इल्तुतमिश ने सैनिकों को नकद वेतन देने के बदले उन्हें भूमि दे दी थी। बलबन के राज्यकाल में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उसके पहले लगभग दो हजार घुड़सवारों को दोघाब में वेतन के बदले गाय प्रदान किये गये थे परन्तु उन्होंने राज्य की उचित सेवा नहीं की थी। बलबन ने यद्यपि इस दोष में सुधार का प्रयास किया परन्तु वह भी पूर्ण-रूप से इस अव्यवस्था को सुधारने में असफल रहा। वेतन के अतिरिक्त सैनिकों को युद्ध की लूट में से भी हिस्सा मिलता था और क्योंकि आरम्भिक वर्षों में सुल्तानों के द्वारा अनेक अभियान किये जाते थे इसलिए इससे भी सैनिकों को काफी धन मिल जाता था। अलाउद्दीन के राज्याभिषेक तक सैनिक इस सुविधा का उपयोग करते रहे परन्तु जब अलाउद्दीन ने लूट के 4/5 भाग को स्वयं हस्तगत करने की नीति अपनाई तो सैनिकों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई क्योंकि आय का एक अच्छा साधन इस प्रकार समाप्त हो गया था।

अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को नकद वेतन देना आरम्भ किया परन्तु संभवतः यह नीति केवल उन सैनिकों पर ही लागू की गयी जिनको केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही भर्ती किया जाता था। प्रांतों में भर्ती की गई सेना को अब भी पहले की ही तरह भूमि की आय से ही वेतन दिया जाता था। बर्नों के द्वारा दिये गये आत्मव्यवहार से सैनिकों का वेतन सम्बन्धी विवाद उठ खड़ा हुआ है।

अलाउद्दीन के समय में एक मुरातब सैनिक को प्रति वर्ष 234 टक वेतन के रूप में दिये जाते थे। सरकारी आधार पर मुरातब सैनिक वह था जो कि पेशेवर रूप में सैनिक हो तथा जिसको निरीक्षण के पश्चात् सेना में नियुक्त किया हो। सैनिक के पास एक घोड़ा होना आवश्यक था और ऐसे सैनिक को प्रति वर्ष 234 टक दिये जाते थे।<sup>1</sup> यदि उसके पास एक अतिरिक्त घोड़ा हो, जो निश्चित रूप से उसकी कार्यक्षमता को बढ़ायेगा, तो उसको इस अतिरिक्त घोड़े के 78 टक प्रति वर्ष मिलते थे और जो दो अस्वा कहलाता था उसे 312 टक प्रति वर्ष मिलते थे। 234 टक उसके वेतन के रूप में और 78 टक अतिरिक्त घोड़े को रखने के। क्योंकि उसे अतिरिक्त भत्ता मिलता था इसलिए सुल्तान दो घोड़े रखने पर जोर देता था।

साधारण सैनिक को जो एक घोड़ा ही रखता था उसे एक घोड़ा कहा जाता था और प्रति वर्ष 234 टंक वेतन के रूप में मिलता था। बरनी के प्रतिक्ति दूसरे मध्यकालीन इतिहासकारों के विवरण से भी इसी की युष्टि होती है कि एक घोड़ा रखने वाले सैनिक को प्रति वर्ष 234 टंक मिलते थे और एक प्रतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 78 टंक प्रतिरिक्त प्रतिवर्ष दिए जाने थे। परन्तु डा. आई. एच. कुरेशी इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। डा. कुरेशी ने फरिस्ता के मत को स्वीकार करते हुए सैनिकों के तीन विभिन्न वेतनमान बताये हैं, जिनमें सैनिकों को 234, 156 व 78 टंक दिये जाते थे। उनके अनुसार मुरातब, सवार व दो घोड़ों को क्रमशः 234, 156, 78 टंक प्रति वर्ष वेतन दिया जाता था। उनके अनुसार सवार सैनिक दो घोड़ों से श्रेष्ठ था क्योंकि सवार अपने पराक्रम से एक सौ मंगोलों को खदेड़ सकता था जबकि दो घोड़ों केवल दस मंगोलों को बन्दी बना सकता था।

डा. कुरेशी के मत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाईयाँ हैं। प्रथमतः हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि मुरातब सैनिक एक वरिष्ठ अधिकारी था। यदि ऐसा होता तो बरनी कम से कम उसकी स्थिति में सम्बन्ध में जानकारी देता। इसके विपरित यह अधिक सत्य है कि मुरातब एक साधारण सैनिक (ग्रहल-ए-जिहाद) था जिसको 234 टंक प्रति वर्ष मिलते थे। इसके प्रतिरिक्त बरनी ने वही पर भी यह नहीं लिखा कि दो घोड़ों से सवार सैनिकों में सबसे निम्न था अथवा सवार दो घोड़ों से श्रेष्ठ समझा जाता था। 'सवार' शब्द का प्रयोग बरनी ने केवल घोड़ारोही के सदर्भ में ही किया जाता है। उनका मतलब केवल यही था कि भारतीय सैनिक इतना शक्तिशाली एवं कुशल हो गया था कि वह दस युद्धबन्दी बना सकता था। साधारणतया 10 को युद्धबन्दी बनाना, 100 को खदेड़ने से कहीं अधिक कठिन था। बरनी का प्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन केवल भारतीय सैनिकों की श्रेष्ठता को ही बताता है। इस प्रकार से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि एक सैनिक को 234 टंक अथवा 19½ टंक प्रतिमाह मिलते थे और एक प्रतिरिक्त घोड़े के रखने पर 4½ टंक और दिया जाता था।

सैनिक का वेतन कम था इसमें कोई दो मत नहीं हैं, परन्तु भलाउद्दीन इससे अधिक देने में असमर्थ था और वह भू-राजस्व के रूप में भी वेतन देने की तत्पर नहीं था इसलिए उसने जीवन की आवश्यकताओं को सस्ती बना दिया, उन पर नियन्त्रण कर दिया जिससे सैनिक नाम-मात्र के वेतन में जीवन निर्वाह कर सके। इसके प्रतिरिक्त कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। अपनी विजय लालसा को फनीभूत करने के लिए राज्य के सीमित साधनों के सन्दर्भ में यही एक मात्र उपाय था।

गया-सुद्दीन तुगलक के समय में दिये जाने वाले वेतन की हमको समुचित जानकारी नहीं है परन्तु इतना अवश्य है कि सैनिकों को भलाउद्दीन के राज्यकाल की

अपक्षा अधिक वेतन मिलता रहा होगा । गयासुद्दीन ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे रखा था कि वे सैनिका व वेतन से कोई कटौती न करें अपितु उह कुछ अधिक दे ।<sup>1</sup> डा० डे० के० अनुमार इससे यह आभास होता है कि यद्यपि सैनिक का वतन केन्द्रीय सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता था परन्तु इतनादार अथवा सैनिक अधिकारी अपने आधीन सैनिकों को वतन चुकाते थे ।<sup>2</sup> मुहम्मद तुगलक के समय में खाना, कपडा और चारे के अतिरिक्त सैनिक का वेतन 500 टक प्रतिवर्ष था ।<sup>3</sup> यह स्पष्ट नहीं है कि सैनिक को खाना, कपडा, चारा आदि केवल मुद्ध क समय ही दिया जाता था अथवा शान्ति काल में भी वह इनको पाने का अधिकारी था । मुहम्मद तुगलक भी वेतन नक्द के रूप में ही देता था । फ़रोज शाह ने नक्द वेतन की नीति को त्याग दिया और सैनिका को भूमि प्रदान की जो इससे प्राप्त पाय पर जीवन निर्वाह करत थे । अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक के समय क समस्त कठोर सैनिक नियम अब मृत प्राय हो गये थे । यद्यपि बरनी और अफीफ न सैनिकों के प्रति फ़ीरोज की नम्र नीति की प्रशंसा की है, परन्तु सुल्तान ने इस प्रकार की नीति अपनाकर सत्तनत को पतन की ओर तजी से अग्रसर किया ।

सत्तनत काल में यूनान के अग्नि शस्त्रा की जानकारी थी । आगजगाऊ बाण भाले व दाह्य पदार्थ शत्रु पर फेंके जाते थे । खजाइन उल फतह के अनुसार दिल्ली की सेना ने तैमूर के विरुद्ध हयगोला और अग्नि बाणों का प्रयोग किया था । 'कुशकगीर' शब्द क प्रयोग से ऐसा अनुभव होता है कि 13 वीं शताब्दी में ये तोप का अपरिष्कृत रूप था । 'मग ए भगरिवि' शब्द क उपयोग से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अलाउद्दीन के समय में तोपखाने का प्रयोग किया जाता था यद्यपि यह ठीक है कि सत्तनत काल में इस क्षेत्र में अधिक उन्नति नहीं हो पाई थी । इसका उपयोग अधिकतर गुजरात और दक्षिण में ही हो पाया था ।

दुग की दीवारों को तोड़ने अथवा दुग के अंदर गोल और दाहक पदार्थों को फेंकने के लिये अनेकों प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता था । समकालीन इतिहासकारों ने इस युग में प्रयोग होने वाली अनेकों मशीनों का वर्णन तो किया है परन्तु उनका विवरण नहीं दिया है । मगरवी का प्रयोग सम्भवत आग लगाने तथा शास्त्र जलने वाले पदार्थों को फेंकने के लिये किया जाता था । मंत्रालीक का प्रयोग

1 बरनी वही, पृष्ठ 429

2 डे, डा यू एन—वही पृष्ठ 152

3 इन्सिड भाग 3, पृष्ठ 577

4 अमीर खुसरो—खजाइन उल-फतह, पृष्ठ 85

5 कुरेशी घाई एच—वही, पृष्ठ 145

भी इसलिये किया जाता था। इनसे दुर्ग की मनिहारो घोर मुंढे रो पर ठीक निशाना लगाया जा सकता था। प्रक्षेपक (प्रोजेक्टाईल्स) साधारणतया भारी होते थे और गति से फेंके जाते थे। यह दुर्ग की दीवारो को भेदने में समर्थ थे। ये शस्त्र सुबाह्य अथवा स्थिर दोनों ही प्रकार के होने थे। 'गरगच' नामक चलता फिरता मचान था जिसे ऊँचा करके दुर्ग की दीवार के बराबर कर दिया जाता था जिसे दुर्ग पर आक्रमण करने में सुविधा होती थी। 'सावत' नामक एक टका हुआ स्थान बनाया जाता था जिससे कि सैनिको को शत्रु के प्रक्षेपास्त्रो से रक्षा की जा सके और वे दुर्ग की प्राचीर को तोड़ने में समर्थ हो सकें। 'पाशेव' का भी प्रयोग किया जाता था जो एक प्रकार के मिट्टी का मचान था जिसे दुर्ग की दीवारो को ऊँचाई के बराबर बनाया जाता था। इस पर आग और पत्थर फेंकने वाली मशीने रखी जाती थीं। कभी-कभी ये पादोव इतने अधिक बड़े होते थे कि इस पर 100 सैनिक साधारणतया एक साथ चल सकते थे। सुरग लगाने की व्यवस्था भी प्रचलित थी जिसमें किसी दीवार के नीचे एक सम्झा खड्डा खोदकर उसमें आग लगाऊ पदार्थ भरे जाते थे और फिर इसको जलाकर दुर्ग में दरार करने अथवा दीवार को तोड़ने का काम लिया जाता था।<sup>1</sup> दुर्ग की खन्दक को भरने के लिये बालू से भरे हुये घोरो का उपयोग किया जाता था जिससे कि सैनिको को दुर्ग की दीवार तक पहुँचने के लिये रास्ता मिल सके।

दुर्गों का उस समय अत्यधिक महत्व था। साम्राज्य की रक्षा करने, शत्रु को रोकने तथा उनका विरोध करने के लिये ये आवश्यक थे। सल्तनत काल में बराबन ने इनकी महत्ता को भाव कर मगोलो के आक्रमणो का सफलता से विरोध करने के लिये कम्पिल पटियाली और भोजपुर में दुर्गों का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खलजी ने भी इनका महत्ता को समझकर मगोलो के 1303 के आक्रमण के बाद पुराने दुर्गों की मरम्मत व नये दुर्गों के निर्माण के आदेश दिये।<sup>2</sup> दुर्गों के चारो ओर कटिदार वृक्ष व झाड़िया दूर दूर तक लगा दिये जाते थे जिससे कि शत्रु के अश्वारोही गति से दुर्ग को ओर न दृढ सके। अधिकतर दुर्गों में गुप्त रास्ता रक्खा जाता था जिससे कि आपत्ति काल में उससे निकल कर भागा जा सके। दुर्गों में रसद आदि की समुचित व्यवस्था रहनी थी जिससे अधिक समय का सामना सफलता से किया जा सके।

प्रत्येक दुर्ग में एक अधिकारी होता था जिसे साधारणतया कीतवाल बहते थे। उमी के नाम दुर्ग की चाबिया रहती थीं। कभी-कभी दुर्ग-अधिकारी और कोतवाल

1. अमीर हुसरो—सजाइन—उल—पन्तह, पृष्ठ 66
2. बरनी—बही, पृष्ठ 302-3

अलग-अलग व्यक्ति थे। मगू खा के कच्छ पर आक्रमण के समय मुहल्लीसुदीन कोत-वाल या परन्तु दुर्ग अधिकारी एक खोजा (नपुंसक) या परन्तु अधिकतर कोतवाल ही दुर्ग का अधिकारी होता था। बतूता के वर्णन से यह प्रमाणित होता है।

कोतवाल के अतिरिक्त दुर्ग में एक बड़ी सख्या में मुहरिद हुमा करते थे। सम्भवतः ये इन्जीनियर हुमा करते थे जो दुर्गों का निर्माण करने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाने के प्रति उत्तरदायी थे। काजी और मीरदाद नामक अधिकारी भी हुमा करते थे।

सुल्तानों की युद्ध-नीति परम्परागत मुस्लिम पद्धति पर आधारित थी। सेना को केन्द्र, उत्तर तथा दक्षिण भाग, हरावल व चन्दावल के रूप में सटा किया जाता था। इनके अतिरिक्त दो पार्श्व या वाजू के दल होते थे। सुल्तान स्वयं यदि वह युद्ध में भाग लेता तो उलेमाओ के बीच कन्द्र में रहता था। उसके आगे और पीछे घनुर्घारी होते थे। सबसे आगे की पक्ति में लोहे की भूमर से सुरक्षित हाथी सेना होती थी जिन पर अनेको योद्धा बैठे रहते थे। हाथियों के बाद घोड़ों, पैदल सैनिकों की टुकड़ियाँ रहती थी और उनके बीच शाली जगह छोड़ दी जाती थी जिससे कि अश्वारोही सेना इस जगह से निकलकर शत्रु पर सरलता से आक्रमण कर सके।<sup>1</sup>

सेना की सहायता के लिये गजीक (स्काउट) होना थे जो शत्रु की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते थे। सस्तनत युग में गजीक अत्यधिक महत्त्व रखते थे और प्रत्येक अभियान के साथ इनको ल जाया जाता था। वास्तविक रूप में ये एक प्रकार से सेना की आँखों के समान कार्य करने थे। सना भ अस्पताल-गाड़ी तथा जहमी सैनिकों के लिये अस्पताल की भी व्यवस्था थी।

सेना के साथ सदैव ही वाघकर रहते थे। फीरोज तुगलक ने इतने बड़े ढोलों का निर्माण करवाया था जो हाथियों पर ले जाये जाते थे। सेना के साथ बड़े बड़े ध्वज भी रहते थे। कुतुबुद्दीन एबब के ध्वज पर नव उदित चन्द्रमा, परदार सई अयवा सिंह की आकृति अंकित रहती थी। फीरोज तुगलक के ध्वज पर भी परदार सई की आकृति अंकित रहती थी<sup>2</sup> ये ध्वज इतने बड़े और भारी होते थे कि इन्हें हाथियों पर ही ले जाना सम्भव था और ग काफी दूर से चमकते थे। अमीरों को भी अपनेनिज ध्वज ले जाने की आज्ञा थी। मुहम्मद तुगलक के राज्यावधि में एक "खान" को सात ध्वज और एक अमीर को तीन ध्वज ले जान की आज्ञा थी। जिस समय फीरोज तुगलक ने बगाल के शम्सुद्दीन पर आक्रमण किया उस समय उसकी सेना में उसके तथा अधिकारियों और अमीरों के कुल ध्वजों की संख्या लगभग 500 थी।

1. कुरेशी, आई. एच — वही, पृष्ठ 149

2. अफीफ — वही, पृष्ठ 369

इस प्रकार सल्तनतकालीन सैनिक व्यवस्था मुख्य रूप से परम्परागत मुस्लिम पद्धति पर आधारित थी। यदि एक और घलाउद्दीन जैसे बठोर शासकों ने सेना में अनुशासन बनाये रखने का सफल प्रयास किया तो दूसरी ओर फीरोज तुगलक ने अपनी उदार नीति से उम समस्त अनुशासन व व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मना का विभाजन तथा उसकी व्यवस्था भी प्रचलित मुस्लिम पद्धति पर ही आधारित थी। सेना की युद्ध नीति में वे तरव दृष्टिगोचर होते हैं जो आगे चलकर बाबर ने इब्राहिम लोदी के विद्वह पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाय थे।

मुगलकालीन सेना व उसकी व्यवस्था —

मुगल शासकों की सेना का मुख्य आधार घुड़सवार सैनिक थे। आरम्भ में इनका सगठन बड़ी ही अव्यवस्थित दशा में था। बाबर और हुमायूँ न केवल योद्धा सैनिक-नेताओं की दुकडियों पर मध्य व्यवस्था बनाये रखी थी। और प्रत्येक योद्धा-सैनिक सेना को उसके महत्व के अनुसार वेतन दिया जाता था। इन दोनों शासकों के युग में साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत न था जिससे कि इनकी दुकडियों के सम्बन्ध में विश्वसनीय जानकारी रखने की आवश्यकता अनुभव हो। लगातार युद्ध ही इनको पटुता तथा सक्रियता का मापदण्ड था। परन्तु यह परिस्थितियाँ अकबर के शासन काल के आरम्भिक वर्षों के बाद बदलने लगीं और इसमें व्याप्त कमियाँ स्पष्ट होनी लगीं। अधिकारी वर्ग निश्चित सैनिकों की सत्ता रखने में डीसाई दिखाने लगे इंग्लिश अपने शासन के 11 वें वर्ष में अकबर ने आदेश दिया कि प्रत्येक अधिकारी अपने पद के अनुसार निश्चित की गई सैनिकों की सत्ता निर्वाह रूप में रखेगा। सैनिकों को दिये जाने वाले वेतन भी निर्धारित किये गये परन्तु यह आदेश प्रभावपूर्ण साबित न हो सका। अधिकारी इसके बाद भी निर्धारित सैनिक सन्ख्या को रखे बगैर ही उनका वेतन राज्य से वसूल कर लिया करते थे और निरीक्षण के समय नये-नये रगळ्टों को भरकर वे अपना काम चला लेते थे और निरीक्षण होने के तुरन्त बाद उन्हें भगत कर देते थे। अकबर इस प्रचलित कुप्रथा से परिचित था इसलिये अपने शासन के 19 वें वर्ष में उसने इसे रोकने के लिये अथ कदम उठाये। सर्वप्रथम उमने मनसब दारी प्रथा को अपनाया जिसके अन्तर्गत उच्च अधिकारियों का आदर्श (पेट्रॉन) निश्चित किया गया, उनका एक सम्मानप्रद पद निश्चित किया गया तथा उनके उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट कर दिया गया। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरम्भ की जिससे कि सरदार के घोड़ा देने की समावना न रहे। वे अधिकारी जिन्होंने इन सूचारों का विरोध किया उनको दरबार में उपस्थिति पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा मिर्जा अजीज कोका जैसे सम्बन्धियों से मनमव छीन कर उन्हें नजरबन्द कर दिया गया। अकबर अपनी हठना के आधार पर ही महत्वपूर्ण नियमों को लागू करने में समर्थ हुआ। इस हठता से ही अकबर ने अमीरों



की शक्ति पर प्रभुश लगाया तथा भ्रमीर पूर्णतया सर्वोच्च सत्ता के प्राधीन होकर उसके कृपा-पात्र के रूप में रह गये। जब तक शासक इन नियमों को कठोरता से लागू करते रहे, भ्रमीरों की हिम्मत न हुई कि वे आदेशों की अवज्ञा कर सकें। स्वाभाविक रूप से इन आदेशों का प्रभाव भू-राजस्व पर पड़ा क्योंकि जब तक भू-राजस्व के निश्चित भागड़े प्राप्त न हो जायें तब तक वेतन के रूप में भू-राजस्व को देना सम्भव न था। इसलिये अस्थायी रूप में कुछ समय के लिये समस्त भावटन निरस्त कर दिये गये तथा वेतन का मुगतान नगदी के रूप में किया जाने लगा।<sup>1</sup>

इस नीति के अन्तर्गत सर्वप्रथम घुडमवार व मनसबदार के बीच भेद निश्चित किया गया। वे जो मनसबदार बनने योग्य थे उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अपने रिसाले को राज्य के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे। अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् उन्हें घोड़ा को दगवाने व हुलिया दर्ज कराने का आदेश दिया जाता था। विशेष परिस्थितियों में सैनिकों को उनकी उपलब्धि के आधार पर उच्च पद दे दिये जाते थे। ऐसे सैनिक 'महदी' कहलाते थे। वे मनसबदार जो समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कर देते थे, नियमानुसार वेतन लेने के अधिकारी थे। कभी-कभी ऐसा भी सम्भव था कि भर्ती किया जाने वाले व्यक्ति भर्ती के योग्य होने के साथ ही कमान का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो परन्तु घनाभाव में छोड़े जुटाने में असमर्थ था, ऐसी स्थिति में उसे छोड़े खरीदने के लिये राज्य की ओर से धन दिया जाता था। इनको दूसरे मनसबदारों की तुलना में जो अपने घोड़ों का स्वयं इन्तजाम करते थे केवल आधारभूत वेतन ही दिया जाता था और ये 'बरवाडी' के नाम से प्रसिद्ध थे। इनमें से कुछ मनसबदारों के प्राधीन तथा कुछ राज्य की गैर-सैनिक सेवाओं में रख लिये जाते थे। दोनों के ही वेतन-दर अर्थात् जो मनसबदारों के प्राधीन सैनिक सेवाएँ करते थे तथा दूसरे वे जो खालसा भूमि में गैर सैनिक सेवाएँ करते थे, अलग-अलग थे। असाधारण परिस्थितियों में ही एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानान्तरण किया जाता था।

कभी-कभी ऐसे उम्मीदवार भी होते थे जो अपने प्राधीन सैनिकों को जुटाने में असमर्थ थे अथवा वे जो मनसबदारों व द्वारा प्रवर्तित नहीं हुआ करते थे परन्तु सैनिक सेवा के योग्य थे। ऐसी स्थिति में उनको विधिवत भर्ती कर ऐसे मनसबदारों के प्राधीन रख दिया जाता था जो स्वयं के सैनिकों को लाने में असमर्थ रहे हों। इस निम्न श्रेणी के मनसबदार उच्च श्रेणियों के मनसबदार की सैन्य टुकड़ी के रूप में कार्य करते थे जिन्हें 'दाखली' कहते थे। उदाहरणार्थ एक हजार सैनिकों का

प्रभोक्षक दस हजारी मनसबदार के आधीन रहता था प्रथवा पाँच सौ सैनिकों का प्रभोक्षक पाच हजारी मनसबदार के आधीन रखा जाता था।

कुछ मनसबदार ऐसे भी थे जिनको काम के अनुरूप अपने मनसब की सख्या से अधिक सैनिकों को रखने की आज्ञा दी जाती थी। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रतिरिक्त सैनिकों को भर्ती करने की अनुमति दे दी जाती थी परन्तु ये नये भर्ती किये गये सैनिक किसी प्रकार भी उनके स्थायी मनसब में नहीं गिने जाते थे। इस प्रकार के सैनिक 'कुमक' सैनिक कहलाते थे। दाखली और ऐमे सैनिकों में कबल यही अन्तर था कि ये स्थायी रूप से मनसब के अभिन्न अंग नहीं थे। इस प्रकार से छुडसवार सेना के प्रमुख अंगों में मनसबदार, अहदी, बरवाची, ताबोनान, दाखली व कुमक सैनिक थे।

अहदी सैनिक वे थे जिनको व्यक्तिगत रूप में भर्ती किया गया था तथा वे किसी मनसबदार की सैनिक टुकड़ी के अंग न थे। वे मोटे रूप से शासक के व्यक्तिगत सेवक थे। यद्यपि इनकी कोई मनसब न दिया गया था, परन्तु ये सैनिक रूप में सेवा के लिये अत्यधिक उपयोगी माने जाते थे और साधारण सैनिकों की अपेक्षा अधिक दक्ष व कार्यकुशल समझे जाते थे। भारत में कुछ अहदी सैनिकों के पास आठ घोड़े थे परन्तु बाद में इनकी अधिकतम सख्या पाँच घोड़ निश्चित की गई। इनकी व्यवस्था के लिये एक अलग बरशी व दोबान होता था<sup>1</sup> और एक उच्च थोपी व मनसबदार को इस वर्ग के सैनिकों की साधारण देखरेख के लिये नियुक्त किया जाता था। 1591 ई. में, 1000 अहदियों को सलीम के कमान में रख दिया गया था परन्तु ऐसा बहुत ही कम होता था।<sup>2</sup>

ये राज्य की सर्वोत्कृष्ट सैनिक टुकड़ी थी और साधारण सैनिकों की अपेक्षा इनका वेतन-मान भी अपेक्षाकृत उच्चतर था। उनके वेतन तथा वर्ष में तीन बार उनके घोड़ों तथा अस्त्र-शस्त्रों के निरीक्षण से उनका महत्व स्पष्ट हो जाता है। इनको केवल व्यक्तिगत आधार पर सेवा-रत किया जाता था और यद्यपि ये निर्विवाद रूप से कुशल सैनिक थे परन्तु इनको सैनिक रूप में संगठित नहीं किया गया था। अधिकतर इनको गैर-सैनिक कार्यों में प्रथवा महल सम्बन्धी कार्यों में ही लगाया जाता था। भारतीय काल में जब शासन सुरङ्ग न था वे अत्यधिक कार्य-रत थे, यहाँ तक कि अधिकारियों को प्रतिदिन अहदी सेना में नये रगस्टों को भर्ती कराने के आदेश थे परन्तु जैने-जैसे मुगल शासन अपने पतन की ओर अग्रसर होता गया तथा

1. भकबरनामा, बेबरिज, भाग 3, पृ 994

2. शर्मा, श्रीराम,—मुगल एडमनिस्ट्रेशन, पृ 146.

शासन में शिथिलता आने लगी वैसे ही वैसे ये केवल एक नाकारो की सस्या रह गयी तथा अकर्मण्यता और अहदी एव दूगारे के पर्यायवाची शब्द समझे जाने लगे ।

घुडसवारो मे सबसे महत्वपूर्ण भाग उन सैनिको का था जो मनसबदारो द्वारा सेवा के लिये लाये जाते थे तथा उनमे मनसब के अंग थे । इन्हें 'ताबीनान' कहा जाता था । इन्हे मनसबदारों द्वारा ही भर्ती किया जाता था तथा राज्य के बरूही अथवा कभी-कभी शासक के सम्मुख निगीशण के लिए प्रस्तुत किया जाता था । घोडो की नस्ल का निर्णय किया जाता था तथा उसी आधार पर घुडसवार का वेतन निश्चित किया जाता था । इन घुडसवारो को एक अस्या, दो अस्या व सी अस्या की श्रेणियो में बाटा गया था जो इस बात पर निर्भर था कि अमुक सवार कितने घोडे रखता है । मनसबदार के आधीन कितने इम प्रकार के सैनिक रहेगे इस बात पर निर्भर करता था कि उसका सवार दर्जा कितना है । साधारणतया औरंगजेब के समय मे प्रत्येक का मासिक वेतन 25 रु था । दस घुडसवारा का अधिकारी दहवाणी कहलाता था । दस घुडसवारो को इस प्रकार सयोजित किया जाता था कि प्रत्येक दशा मे घोडो की सस्या मनुष्यो की मरुपा से अधिक रहे । ये एक-अस्या, अर्थात् एक घोडा रखने वाले, दो-अस्या अथवा दो घोडे रखने वाले और सी-अर्थात् तीन घोडे रखने वाले होते थे । आरम्भ में इन तीन श्रेणियो के अतिरिक्त चौथी श्रेणी चहार-अस्या अर्थात् चार घोडे रखने वाले सैनिक की भी हुमा करती थी । परन्तु ऐसा अनुभव होता है कि बाद मे यह श्रेणी बन्द कर दी गई थी । अकबर के आरम्भिक काल म 10 सवारो के पास 25 घोडे हुमा करते थे जिनमे दो चहार-अस्या, तीन सी-अस्या, तीन दो-अस्या व दो एक-अस्या थे । आगे चलकर प्रत्येक 10 सवारो के पास 20 घोडे रहा करते थे जिनमे तीन सी-अस्या, चार दो अस्या व तीन एक अस्या हुमा करते थे ।<sup>1</sup> शाहजहा के समय मे 10 सवारो के पास 22 घोडे रहते थे जिनमे तीन सी-अस्या, छ दो अस्या व एक एक अस्या थे । इस अनुपात को केवल कुछ ही मनसबदार अपनी घुडसवार सेना मे रखने थे क्योंकि यह इस बात पर आधारित था कि मनसबदार को वर्ष मे कितने महीनो का वेतन दिया जाता है । वे मनसबदार जो पूरे वर्ष का वेतन लेते थे वही प्रत्येक 10 सवारो के लिये 22 घोडे रखते थे और जो वर्ष मे 11 मास का वेतन लेते थे वे 10 सवारो के लिये 20 घोडे ही रखते थे । वे मनसबदार जिनको वर्ष म 10 अथवा इससे भी कम मास का वेतन दिया जाता था उनके घुडसवार सैनिको मे सी-अस्या की श्रेणी नहीं होती थी । जिनको वर्ष मे 10, नौ, आठ, सात तथा छ महीनो का वेतन मिलता था, प्रत्येक

दस सवारों के लिये श्रमण भट्टारह, सोनह साठे चौदह, साढ़े बारह व 10 घोड़े रखते थे। वे मनसबदार जिनकी वर्ष में केवल पांच महीनों का वेतन मिलता था वे 10 सवारों के लिये 10 घोड़े ही रखते थे।<sup>1</sup>

अकबर और शाहजहाँ के शासनकाल में सवारों द्वारा घोड़ों की अनुपातिक मर्यादा रखने में अन्तर जो अप्रत्यक्ष रूप में उनके द्वारा वर्ष में प्राप्त महीनों के वेतन पर निर्भर थी किसी प्रकार से यकायक लागू नहीं की गई थी।<sup>1</sup> ऐसा अनुमान है कि अकबर के समय में ही यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी क्योंकि इसके अनेकों प्रमाण हैं। अकबर के समय में वर्ष में पूरे बारह महीनों का वेतन नहीं दिया जाता था। आईन-ए अकबरी के अनुसार अहमदी मंत्रियों को वर्ष में बारह महीनों का वेतन नहीं मिल पाता था और उन्हीं प्राचार पर यह मभावित है कि मनसबदारों पर भी यही नियम लागू कर दिया गया हो, यद्यपि हमारे पास इसके लिये कोई प्रकृत्य प्रमाण नहीं है। मूल अनुपात में जिनके अन्तर्गत प्रत्येक 10 सवारों के लिये 25 घोड़े रखे जाते थे प्रत्येक मानकर उसमें रद्दीबदल कर दिया गया था। यह भी अधिक संभव है कि 10 सवारों के लिये जो 20 घोड़ों को रखने की व्यवस्था लागू की गई थी उसे भी प्रत्येक मानकर त्याग दिया हो क्योंकि यह स्वीकार करना कि सवारों में 30 प्रतिशत लोग प्रति सवार तीन घोड़े, 40 प्रतिशत लोग प्रति सवार दो घोड़े ला पायेंगे, प्राप्त नहीं था और विशेषकर उस समय जबकि उन्हें स्वयं ही घोड़ों को खरीद कर प्रस्तुत करना पड़ता था। सम्भवतः अकबर ने इसीलिये बरवाही सैनिकों की भर्तियों को प्रोत्साहन दिया जो यद्यपि कुछ सवार थे परन्तु घोड़ा खरीदने में असमर्थ थे। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य के सम्मुख ऐसे प्रायियों की सहाय प्रयत्न कम थी जो स्वयं का घोड़ा अथवा घोड़े रखते हो और सेना में इनके साथ भर्ती होने के लिये तैयार हो। समस्त मुगल काल में बरवाही सैनिकों की भर्तियाँ लगातार होनी रहीं इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भर्तियों होने वाले प्रायियों के पास अपने निजी घोड़े नहीं के बराबर ही थे। इन प्राचारों पर हम यही परिणाम निष्कर्षित हैं कि इस नयी व्यवस्था का जन्म अकबर के समय में ही हुआ था। हमारे पास इसके प्रमाण नहीं हैं क्योंकि समकालीन लेखकों की रचनायें इस परिवर्तन के पढ़ने ही लिखकर पूर्ण हो चुकी थीं। हमें यह भी ज्ञान नहीं कि समस्त मुहम्मद गैना में सवार 2 घोड़ों का अनुपात क्या था। यद्यपि हमें कुछ काल विशेष में मनसबदारों के नाम, पद व श्रेणी की जानकारी है, परन्तु क्योंकि हम यह नहीं जानते कि उन्हें वर्ष में कितने मास का वेतन मिलता था इसलिये उनके द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों की मर्यादा की जानकारी करना संभव नहीं है।

1. फारुग हमीद माहोरी—शाहजहानामा, पृष्ठ 507.

देरी करता तो विलम्ब के समय ही वेतन का 10 प्रतिशत वेतन काट लिया जाता था। साधारणतया इस नियम में अनेको अपवाद थे। वे मनसबदार जिनकी नियुक्ति दुर्गम स्थानों पर थी उनके लिए इस नियम का पालन करना सम्भव न था और यह भी अनुचित था कि मनसबदार को अपनी क्यूटी छोड़कर हाजिरी की व्यवस्था करने की छाता दी जावे।

मुगलों में घुड़सवार-सैनिक सेना के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भ्रग थे। बाबर की इब्राहिम सोदी व राणा सांगा के विरुद्ध विजयों का श्रेय मुख्य रूप से इन घुड़सवार सैनिकों को ही जाता है। घुड़सवार सैनिक अपनी यह भूमिका लगातार निभाते रहे परन्तु मुगल राज्य के अन्तिम चरण में ध्याप्त पतन के साथ ही यह विभाग भी पतनमुख्य हो गया। जब वे यूरोपीय सेनाओं के सम्पर्क में आये तो इनकी कमजोरियाँ और भी अधिक स्पष्ट हो गईं। अष्टता और प्रतिद्वन्द्विता, जो कि मुगल शासन के अन्तिम चरण में सेना की विशिष्टतायें थी तथा स्वयं को दूर रखने की रुचि ने मुगल सेना की रही-सही शक्ति व युद्ध-पटुता का सर्वनाश कर दिया था। मुगल सैनिकों में इन समय भी अपनी परम्परागत धीरता और शौर्य क्षिप्तमान थे और वे अब भी व्यक्तिगत रूप में अथवा समूह के रूप में युद्ध करने में पारंगत थे, परन्तु युद्ध में यदि वे किसी कारणवश अपने दल से अलग हो जायें तो ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः एक जुट होकर युद्ध करने अथवा सकटग्रस्त टुकड़ी की किसी प्रकार से सहायता करने कीउन की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। इस असम्बद्धता के कारण ही शौर्य-पूर्ण सेना भी जो अविचिन समझी जाती थी उसे पराजय का मुह देखना पड़ता था। इसके अतिरिक्त मुगल सैनिक अब स्वयं को कठिन परिस्थितियों में उलकर युद्ध करने से मुह मोड़ने लगे थे। इसका कारण था कि यदि दुर्भाग्यवश युद्ध में उनका घोड़ा काम आ जावे तो ऐसी स्थिति में उन्हें काफी नुकसान होने की सम्भावना थी और अविध्य में समुचित रूप से उनका सेवा-रत रहना भी दुविधापूर्ण था। मनसबदार उन्हें नया घोड़ा देने के लिए तत्पर न था, यद्यपि घोड़े की हानि में सैनिक का अना कोई दाव न था। सम्भवतः इसका एक मात्र कारण था कि अच्छी नस्ल के घोड़े काफी कम संख्या में प्राप्त थे और फिर उनका मूल्य अत्यधिक था। सैनिक इस आधार पर भी परेशान थे कि अनेको कारणों से उनके वेतन का पूरा भुगतान भी नहीं हो पाता था। एक और तो यह पवृत्ति थी कि सैनिकों का वेतन बकाया रक्खा जावे जिसमें कि उनकी अपनी स्वामिभक्ति अथवा राजभक्ति का सोदा करने से रोका जा सके तो दूसरी और कभी कभी कोप खाली होने अथवा प्रायः कम होने के कारण भी सैनिकों के वेतन का भुगतान करना सम्भव नहीं था। इन आधारों पर सैनिकों के अनेको माह के वेतन बकाया रहना साधारण सी बात थी।

इसके अतिरिक्त प्रदेशके सैनिकों को 'सक्तनामा' अथवा अपने घोड़े की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता था जिससे कि उसकी मृत्यु के समय तक का भत्ता

मल सके। यदि सैनिक यह प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहता तो केवल उसे प्रतिम हाज़िरी के समय तक का ही भत्ता मिलता था और दो गई रकम की उसके वेतन में से बटौती कर ली जाती थी। वेईमानी को रोकने के लिए मरे हुए जानवर की खाल प्रमाण हेतु प्रस्तुत करनी पड़ती थी। यदि किसी चोटग्रथवा अघिक अवस्था के कारण घोड़े को सैनिक सेवा के अयोग्य समझा जाता था तो भी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। इन परिस्थितियों में हम अनुमान लगा सकते हैं कि सैनिकों के अपने व्यक्तिगत शौर्य और पराक्रम के बाद भी घुड़सवार सेना की अजेयता, जिसके लिए वह आरम्भिक वर्षों में प्रसिद्ध थी, शनैः शनैः समाप्त हो गयी थी।

### तोपखाना—

मुगलों की सेना का एक महत्वपूर्ण भाग तोपखाना था। सुल्तानों ने तोपखानों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जिसके कारण ही इब्राहीम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी गलती का भुगतान करना पड़ा। यद्यपि हमें यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि बाबर के तोपखान में इस युद्ध में कितनी तोपें थी परन्तु इसके बाद भी यह निश्चित है कि पानीपत और खानवा के मैदानों में उसने रोमन पद्धति के आधार पर तोपों की योजना रची थी।<sup>1</sup> बाबर के समय में उस्ताद अली तथा मुस्तफा नाम के प्रमुख तोपची थे जिन्होंने बाबर के तोपखाने का शिलान्यास किया था।

हुमायूँ ने तोपखाने को पुनः व्यवस्थित किया और अब्दुल मलिक को मीर आतिश के पद पर नियुक्त किया। तोपखाने की सफ़लता के लिए वह मुख्य रूप से तुर्की गोलन्दाजों पर निर्भर था और इसी आधार पर हमी खाँ, उस्ताद इमिन, उस्ताद अहमद आदि प्रसिद्ध गोलन्दाजों को उसने अपने यहाँ स्थान दिया। कन्नौज के युद्ध में (1540 ई०) हुमायूँ के पास तोपें मौजूद थीं। मिर्जा हैदर के अनुसार 700 गरदून थे और प्रत्येक गरदून को घाट बँलों से लीचा जाता था। इनसे 500 मिस्बल का गोला पैका जा सकता था। इसके अतिरिक्त उसके पास 20 भारी तोपें भी थीं।<sup>2</sup>

अबुल फ़ैज ने इस दिशा में सन्निय नीति अपनाई और मीर खानसाना के आधीन मीर आतिश नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो रोज-मर्रा के इस विभाग के प्रशासन की देखभाल करता था। यह तोपखाने के कर्त्तव्यकारी यत्नों में रूचि रखता था और इसलिए एक बड़ाई याने की स्थापना की गई। इसमें विभिन्न प्रकार की

1 एरस्किन एण्ड लिटन—मेमायसं आफ बाबर, पृ० 292। 9वीं शताब्दी तक तुर्की, रोम के ही नाम से पुकारा जाता था क्योंकि यह वृहद् रोमन साम्राज्य का अंग था।

2 इतिहास एंड साउथ, भाग 5, पृ० 131-32.

छाटी और बड़ी तोपों का निर्माण किया जाने लगा जिनसे 12 मन के गोले फेंके जा सकते थे। रणघम्वीर के अभियान के समय छोटी तोपों में से एक तोप लगभग 3 मन का गोला फेंक सकती थी। जहागीर के समय में इस विभाग का विकास होता रहा और उसने मीर आतिश राम पतरदास, को 50,000 गोलन्दाजों को भर्ती करने का आदेश दिया था। शाहजहाँ के समय में जब मुगल अभियान कंधार पर लगातार असफल होते रहे तो पुनः तोपखाने की व्यवस्था को प्राक्का गया और यह परिणाम निकला कि ईरानियों की तुलना में भारतीय तोपखाना निम्न श्रेणी का है।

औरंगजेब के दक्षिण के धायसराय के काल में वहाँ के शामको व यूरोपीय जातियों के सम्पर्क में आने के कारण तोपखाने में विकास हुआ और यदि इरबिन के बचन को स्वीकार किया जावे तो "मालमगीर के पास अपने पूर्वजों की तुलना में अच्छा तोपखाना था"। उसने कर्मठ अधिकारी मीर खलोल ने प्रत्येक छोटे और बड़े दुर्ग का स्वयं निरक्षण किया और यहाँ की जिन तोपों तथा तोपचियों को अनुपयोगी पाया जो बिना किसी उपयोगिता के राज्य के खर्च का भार बढ़ा रहे थे, ऐसे समस्त तोपचियों को पेंशन देकर मुक्त कर दिया गया तथा पुरानी तोपों के स्थान पर नयी तोपें दुर्गों में भेजी गईं। औरंगजेब के शासन काल में इन सुधारों को और गति दी गई जिससे कि आने वाले समय में तोपखाना घुड़सवार सेना के समानान्तर ही बन गया।

अकबर के राज्य-काल में तोपखाने की व्यवस्था मीर खान सामा के आधीन थी और मीर आतिश अथवा दरोगा ए तोपखाना उसका सहायक अधिकारी था। जहागीर ने मीर आतिश को एक स्वतन्त्र अधिकारी बनाया जिसका काम तोपचियों को भर्ती के लिए सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करना, उनका हुलिया लिखना तथा समस्त विभाग की व्यवस्था करना था। उसके आधीन मीरदह व सदीवाल नामक अधिकारी थे जो क्रमशः 10 व 100 तोपचियों के अधिकारी थे।

आरम्भ में विदेशियों को इस विभाग में अधिक सख्या में रक्खा जाता था क्योंकि वे इसमें अधिक दक्ष समझे जाते थे। बर्नीयर तथा मनची ने अनेकों पुर्तगाली, फ्रांसीसी व अंग्रेज अधिकारियों को इस विभाग में देखा था। एक साधारण से सैनिक अधिकारी को 200 रुपये प्रतिमास तक वेतन दिया जाता था परन्तु जब औरंगजेब के समय में मुगल तोपखाना व्यवस्थित व शक्तिशाली हो गया तो उसने विदेशियों का वेतन घटाकर मात्र 32 रुपये प्रतिमाह निश्चित किया। धीरे-धीरे विदेशियों को इस विभाग से अलग करने की नीति भी अपनाई गई।

आरम्भ में राज्य विस्तृत न होने व कारण तोपखाना केन्द्र में ही स्थित था परन्तु अकबर के समय में जैसे-जैसे राज्य का विस्तार होता गया वैसे ही वैसे सूबों में भी तोपखाना रखने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस आधार पर

केन्द्रीय व प्रान्तीय तोपखाने की व्यवस्था की गई। केन्द्रीय तोपखाने को 'तोपखाना-ए नकदी' कहा जाता था और यह सदैव ही सम्राट के साथ उपस्थित रहता था चाहे सम्राट अभियान, श्राद्ध या मनोरंजन के लिए या किसी विनोद स्थल प्रयाग सैर के लिए ही क्यों न गया हो। इसमें वो ही हल्की तोपें थी जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं आती थी। इसलिए बर्नियर ने इसे 'लाइट आर्टिलरी' की संज्ञा दी है। इन तोपों में गजनाल (हाथियों पर ले जाने वाली) घुतरनाल (ऊंटों पर ले जायी जाने वाली) जवूर (मधु मक्खी जैसी आवाज करने वाली) आदि तोपें प्रसिद्ध थीं।<sup>1</sup>

दूसरे प्रकार की तोपें भारी तोपें थी और यद्यपि युद्ध में इनका समुचित उपयोग करना सम्भव नहीं था, परन्तु फिर भी ये राज्य-शक्ति का प्रतीक समझी जाती थी। हुमायूँ ने 1540 ई० में कन्नौज के युद्ध में ऐसी 20 तापों का उपयोग किया था जिनमें से प्रत्येक का 8 बैलों की जोड़ियाँ खिंचती थीं। 1739 में मुहम्मदशाह व पास बरनाल के युद्ध में ऐसी तोपें थी जिन्हें 1 हजार बैल खिंचते थे।<sup>2</sup> प्रकबर ने भी ऐसी तोपों का प्रयोग किया था जिसमें से 12 मनु के गोले चलाये जाते थे। युद्ध के दिन इन भारी तोपों का प्रयोग करना एक जटिल समस्या थी और बाबर हम क्षेत्र में भाग्यशाली था कि उस उस्ताद अली जैसे कुशल तोपची की सेवामें प्राप्त थी जो कि युद्ध के दिन 8 से 16 बार तक तोपों को दाग सकता था। प्रकबर ने इस कठिनाई को अनुभव कर ऐसी हल्की तोपों का निर्माण कराया जिन्हें आवश्यकतानुसार अलग किया जा सकता था और समय पर जोड़ा जा सकता था।<sup>3</sup>

समस्त प्रालोचक जिन्होंने मुगलों के तोपखाने का अध्ययन किया है यह स्वीकार करते हैं कि तोपखाना निम्न स्तर का था। शत्रु को हानि पहुँचाने की प्रयत्ना तापें शीघ्र प्रेषित करती थी और एक दिन में अधिक बार नहीं दागी जा सकती थी। यह भी सम्भावना रहती थी कि यह फट जावे और अपने ही पक्ष की मृत्यु का कारण बनें।

#### पैंसल सेना—

18 वीं शताब्दी के पहले जब तक कि प्रशिक्षित और अनुशासित यूरोपीय सेना ने भारतीय सेनाओं की तुलना में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर दी तब तक पैंसल सेना की ओर विशेष ध्यान न दिया जाता था। मध्यकालीन मुस्लिम शासक मुख्य रूप से अपनी सैनिक शक्ति के लिए तोपखाना व घुड़सवार सेना पर ही आश्रित

1. घाईन-ए प्रकबरी, ब्लाखमैन, भाग 1, पृ. 113

2. इरविन—वही पृ 120.

3. घाईन-ए-प्रकबरी, ब्लाखमैन, भाग 1, पृ 112-13



थे तथा व इन विभागों को ही सैन्य शक्ति का प्रतीक मानते थे। मुगल शासक यद्यपि घुडसवार सेना पर अधिक बल देते थे, परन्तु फिर भी उन्होंने पैदल सेना के महत्त्व को जान लिया था। इसी कारण अकबर के समय में पदादा, पायस आदि शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है जिनके अन्तर्गत सैनिक रूप में घनुपगारी अथवा तलवारिया और गैर-सैनिकों के रूप में द्वारपाल, पहरेदार व सईस आदि सम्मिलित थे। अकबर की सेना में इन व्यक्तिगत सेवकों की संख्या लगभग 12000 थी और सूबों में लगभग चालीस लाख व्यक्ति थे। इनको हम छोटे रूप से तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं—(अ) लडाकू, जैसे बन्दूकची तलवारिया आदि (ब) अर्ध-लडाकू जैसे सदेश-वाहक दास व चौबदार (स) गैर लडाकू जैसे लुहार, खनिक या सुरगयार्जक और अनेक प्रकार के सेवक जो पड़ाव आदि की व्यवस्था करते थे।

बन्दूकचियों की संख्या पैदल सेना में सबसे अधिक थी। ये सम्राट के व्यक्तिगत सस्थापन के अभिन्न अंग थे। अकबर ने इनकी व्यवस्था के लिए एक विभाग स्थापित किया था जिसका अधिकारी वित्तकची कहलाता था। अकबर तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय में इनका वेतन 2-3/4 रु० से 6-1/4 रु० प्रति मास के बीच था। औरंगजेब ने इनके वेतनमाम में कुछ सुधार किया था।

तलवारियों की विभिन्न श्रेणियाँ थीं और जिस प्रकार की तलवार का वे उपयोग करते थे उसी के आधार पर जाने जाते थे। इनका वेतन दो से 15 रुपये प्रति माह के बीच था। इनके अतिरिक्त सेना में अनेकों पहलवान या मलयद्ध करने वाले होते थे। अकबर के पास इनकी संख्या लगभग 1 हजार थी।

घुडसवार अधिकारियों के समान ही पैदल सेना के अधिकारी थे। दस तथा एक सौ पैदल सैनिकों के अधिकारियों को ब्रमश मीरदह व सादीबाल कहा जाता था। इनका वेतन निश्चित करते समय इनकी योग्यता व नस्ल पर उचित ध्यान दिया जाता था। मुगलों तथा यूरोपीय नस्ल के लोगों को दूसरी नस्ल के लोगों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता था।

अर्ध-लडाकू श्रेणी में सदेश-वाहक सम्राट अथवा अधिकारियों के सदेश एक दूसरे तक पहुँचाते थे। ये सदैव सम्राट की सेवा में उपस्थित रहते थे और राज्य के दूसरे अधिकारियों से अलग स्थानों के लिए रुईय ही चौब रखते थे जो कि साधारणतया अष्टकोणी हुप्पा करती थी। शाहजहाँ ने इनकी तीन भागों में बांट दिया था। वे जो सोने का चौब रखते थे सम्राट व शहजादा के मध्य सदेश-वाहक थे, चांदी का गदा रखने वाले सम्राट व सैनिक अधिकारियों के बीच सदेश पहुँचाते थे, तथा इस्पात या पीलाद का चौब रखने वाले सम्राट और साधारण वर्ग के बीच सदेश लाने ले जाने का काम करते थे।

दाखली सैनिकों को राज्य की धोर से वेतन दिया जाता था परन्तु प्रशासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत उनको मनमवशारों के अधीन रखा जाता था। इसमें लडाकू व गैर-लडाकू दोनों ही सम्मिलित थे। भवुल फजल ने लिखा है कि, 'सैनिकों की सूची में दूध पँदलों को 'नीमसवारान' अर्थात् अर्ध-घुड़सवार माना जावे'<sup>1</sup> इसका अर्थ था कि दो दाखली सैनिकों के बीच एक घोड़ा होता था। दाखली सैनिकों में से 1/4 बटुकची, शेष धनुषधारी होते थे। सेह बन्दी किम्म के सैनिक वे थे जिनको शान्ति व व्यवस्था बनाने रखने तथा राजस्व इकट्ठा करने के लिए रखा जाता था।

इनके अतिरिक्त कहार, नक्कारखाने के सेवक, दरवान आदि थे। इनका अधिकारी 'खिदमत-राय' कहलाता था जिसके अधीन दस, बीस, पचास खिदमत-गारों के अधिकारी हुमा करते थे।

गैर लडाकू व्यक्तियों में आतिश-बाज, मोची, बेलदार, आहनगार (लुहार), सग-तराश, नज्जर (सुतार), आदि थे। इनका वेतन अलग-अलग था और इनके महत्व और योग्यता के आधार पर निश्चित किया जाता था।

घुड़सवार और पँदलों के अतिरिक्त मुगलों के पास हस्ति सेना भी सेना का एक महत्वपूर्ण भाग समझी जाती थी। मुगल शासक सेना के इस भाग के प्रति आकर्षित थे और विशेषकर अकबर ने खान जमान के विरुद्ध 1567 ई० में तथा चित्तौड़ के घेरे के समय 1567-68 में हस्ति सेना का उपयोग किया था। 1576 में मिर्जा सुलेमान के स्वागत में उसने 5000 युद्ध सज्जा से मुसज्जित हाथियों का प्रदर्शन किया था। इससे यह आभास होता है कि अकबर के पास 5000 हाथी थे।<sup>2</sup> जहाँगीर की सेना में लगभग 12000 हाथी थे।<sup>3</sup>

शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में भी ये प्रचुर संख्या में मौजूद थे। युद्ध के समय हाथियों के सिर पर लोहे का तवा लगा दिया जाता था। उनके पैरों तथा अन्य भागों पर भी सुरक्षा के उपकरण लगा दिए जाते थे। इनकी सूँड में तलवार तथा दोनों दाँतों में दो तखवार बांध दी जाती थी। फीलवान अपनी रक्षा के लिए जिरह-वस्त्र पहनता था और होदे में बँटे चार सिपाही हाथियार चलाते थे परन्तु जैसे-जैसे समुचित रूप से तोपखाने का विकास होता गया वैसे-ही-वैसे हाथियों की महत्ता कम होती गयी और इनका प्रयोग बोभा होने वाले अथवा तोपों को खँचने वाले पशुओं के रूप में किया जाने लगा।

1. आईन-ए-अकबरी, ब्लाकमैन भाग 1, पृ. 254-55

2. आईन-ए-अकबरी ब्लाकमैन भाग 1, पृष्ठ 177-78.

3. हारिंस, पृष्ठ 424-26.

बोभा ढोने वाले पशुओं के रग में उँट, सच्चर व बैलो का भी प्रयोग किया जाता था। विशेष रूप से प्रशिक्षित साडनी अपनी तेज चाल व बोभा ढोने के लिए सबसे प्रसिद्ध थी। अकबर ने साडनी की सवारी कर आगरा से गुजरात की यात्रा मात्र 9 दिन में पूरी कर अपने शत्रुओं को आश्चर्यचकित कर दिया था। ऊँट व बैलो का उपयोग छोटी-छोटी तोपों को खेंचने व बोभा ढोने के लिए भी किया जाता था। सच्चर भी परम्परागत रूप में बड़ी यात्राओं पर बोभा ढोने के काम में लिये जाते थे। मुगल सम्राटों ने इन पशुओं के लिए उपयुक्त भस्तबलो का प्रबन्ध कर रखा था और सम्राट स्वयं इनका ध्यान रखते थे। विशेषकर घोड़ों और हाथियों के प्रति वे अधिक रूचि रखते थे।

मुगल शासक अभियान हेतु शुभ-मुहूर्त और शत्रुओं को देखकर निकलते थे। 1546 ई० में काबुल पर अधिकार हेतु निकलने के पहले हुमायूँ ने शत्रुओं को दिखवाया था। अकबर ने भी 1572 में गुजरात अभियान के समय ऐसे ही शुभ-मुहूर्त में कूच किया था। यदि कारणवश अभियान की सम्पूर्ण तैयारी न हो पायी हो तो शुभ-मुहूर्त में सम्राट सेना के कुछ भाग सहित राजधानी से कूच कर कुछ दूरी पर जाकर डेरा डाल लिया करते थे और वही पर बाकी सेना व भोजन की प्रतीक्षा किया करते थे।<sup>1</sup>

सेना के कूच के समय सबसे आगे हाथियों पर बैठे नवकारची हथिया करते थे। जिनमें एक समय-समय पर नगाड़े बजाता था। इसके पीछे घुड़सवार सेना होती थी। सम्राट सेना के मध्य होता था जिसके पीछे चन्दावल सेना होती थी। औरंगजेब की सेना के कूच के विवरण से मालूम होता है कि हरावल के रूप में भारी तोपखाना तथा उसके पीछे शाही राजाना तथा परिवार रहता था। तत्पश्चात् अनेकों जानवरों पर सदा हथिया सरकारी बैगाडें होता था। इसके पीछे लगभग 50-50 ऊँटों पर स्वच्छ जल व सम्राट के लिए खाद्य पदार्थ लादे जाते थे जिनके पीछे लगभग 50 गायें हथिया करती थी क्योंकि औरंगजेब का गाय के दूध का अत्यधिक चाव था। इसके पीछे बाबरची खाने के सेवक व शाही हरम की स्त्रियाँ होती थी। इसके बाद अनेकों जानवरों पर खाद्य सामग्री लदी रहती थी। घुड़सवार और पैदल सैनिक इसके पीछे रहते थे और उसके बाद सम्राट स्वयं चलता था। सर्वत्र ही कूच के समय अनेकों जानूस साथ में रहते थे जिससे कि वे शत्रु की गतिविधियों की जानकारी दे सकें।<sup>2</sup>

परिवहन हेतु घोड़े, ऊँट, बैल, हाथी पानी आदि काम में लिये जाते थे। रथ, गाड़ियों, डोली, पालकी का भी प्रयोग किया जाता था। घनवान वर्ग द्वारा

1. बनियर पृष्ठ 367

2. फुल डा आर के — आर्मीज आफ इस्ट इंडिया पृष्ठ 230-31

पालकियों का अधिक प्रयोग किया जाता था। नावें अधिकतर जानवरों के खाल की बनाई जाती थीं और वे इतनी बड़ी-बड़ी होती थीं कि एक बार में लगभग 50 घोड़े उन पर नदी पार कर सकते थे।

केवल शाही परिवार व सेनापति के निकटतम अनुयायियों के अतिरिक्त सेना में रसद विभाग की व्यवस्था सरकारी तौर पर किसी के लिए भी नहीं की जाती थी। सेना के साथ ही सर्वे एक बलता-किरता बाजार लगा रहता था जहाँ फूँचा व पका हुआ खाना खरीदा जा सकता था। सैनिक इसी बाजार से अपनी आवश्यकता की चीजों को खरीद लिया करते थे। व्यापारियों को बजारों द्वारा सामान पहुँचाया जाता था और यह वर्ग इस कार्य में दक्ष था। राज्य बाजार-मूल्यों पर नियन्त्रण रखता था।

साधारणतया मुगल सेना कूच में धीरे-धीरे ही चलती थी। मोटे हथ से प्रतिदिन 3 से 10 मील की यात्रा करना एक स्वाभाविक बात थी। सम्राट अथवा सेनापति वेकार में ही लम्बे-लम्बे समय तक अभियान के मध्य मुकाम कर लिया करते थे। 1558 में अकबर को देहली से आगरा पहुँचने में 21 दिन लगे थे। 1573 में अहमदाबाद से फतहपुर सीकरी की यात्रा एक महीने 21 दिन में तय की गई थी। जहांगीर व अंग्र सम्राटों के समय भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था। भूले-भटके ही सेना की गति तेज हो जाती थी। अकबर ने एक बार 450 मील की यात्रा, तीन हजार घुड़सवारों के साथ, केवल 11 दिन में तै कर ली थी।

मुगल सेना की इस धीमी गति के अनेकों कारण थे। सरदारों के परिवार कूच में साथ रहते थे, प्रत्येक सैनिक के पास अपना खैमा होता था, और सामन्त और मनमवदार के एक से अधिक खैमे रखते थे जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आवश्यक था। कूच के समय मुगल सेना ऐसी लगती थी जैसे कोई छोटा मोटा शहर उठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। इस ममस्त लवाजमा के होते हुए तेज गति से कूच करना संभव नहीं था।

युद्ध के लिए मुगल सेनामें रुडिगत आघार पर ही जमाई जाती थीं। बाबर द्वारा प्रदर्शित पटुता पूर्णतया समाप्त हो गई थी और घिमो-पिटी युद्ध कला का ही प्रयोग किया जाता था जिसके अन्तर्गत हरावल तथा उसके पीछे हरावल सेना हुआ करती थी। इसके दायी और बायीं ओर छोटी-छोटी सैनिक टुकड़ियाँ इस तरह से तैनात रहती थीं जिससे कि वे समय पर बरावल सेना की सहायता कर सकें अथवा हरावल की दायी और बायीं टुकड़ियों की रक्षा कर सकें। हरावल के पीछे सेना का मुख्य भाग था जिसके दोनों ओर दायें और बायें (गस्त और चप) सैनिक टुकड़ियाँ रहती थीं। सेनापति का स्थान केन्द्र में ही होता था। सेनापति के पास अनेकों अधिकारी रहते थे जो समय-समय पर उनकी आज्ञाओं को सैनिक टुकड़ियों में पहुँचाते थे जिससे कि सैनिक अनुशासित रहकर दशाज्ञा से कार्य कर सकें।

मुगलों ने सामरिक महत्व के स्थानों पर किलों का निर्माण कराया था। अधिकतर दुर्ग किसी नदी अथवा पानी के स्रोत के किनारे ही बनाये जाते थे। किले या तो किसी पहाड़ी पर अथवा कृत्रिम पहाड़ी पर भी बनाये जाते थे और बहुधा इनके आसपास घने जंगल होते थे जिससे कि किले की रक्षा करने में सहायता मिल सके। किलों के दरवाजे अत्यधिक मजबूत हुआ करते थे और इन पर लोहे की बड़ी कीले लगी रहती थी जिससे दरवाजों को तोड़ना कठिन हो। किलों में रसद आदि निव्वस्था काफी मात्रा में ली जाती थी जिससे कि वे अधिक समय तक शत्रु के घिराव का सफलता से सामना कर सकें। इसी कारण अधिकतर किले वालों को लम्बे अवधि तक घेरा चलाकर भूखे मारने की नीति अपनाई जाती थी। आक्रमण कर किले पर अधिकार करना केवल एक असाधारण घटना थी। किले के लोगों को भूखे मारने अथवा पानी के स्रोतों को काटकर किले पर अधिकार करना अधिक प्रचलित था क्योंकि यह अधिक सरल एवं कम खर्चीला था। कभी-कभी घूस देकर किल पर अधिकार कर लिया जाता था और शत्रु पक्ष के लोग किले के दरवाजों को खोल दिया करते थे। इसी कारण बाद के मुगल शासक इसके प्रति अधिक सतर्क हो गये थे।

अकबर ने आगरे, इलाहाबाद, लाहौर के मुहड किलों का निर्माण करवाया।<sup>1</sup> शाहजहाँ ने दिल्ली के आल किले को बनवाया और एक समकालीन पाण्डुलिपि में औरंगजेब के काल के 42 राजस्वी दुर्गों का उल्लेख है।<sup>2</sup>

मुगलों के पास आज की स्थिति के अनुरूप कोई जहाजी बेड़ा तो अवश्य नहीं था परन्तु मीर बहार शाही सेना के लिए कुछ नावों को तैयार रखता था जिससे कि जब कभी सेना को नदी पार करना हो तो वो नावों के पुल की सहायता से इसे करने में सफल हो। विशेषतः बंगाल और बिहार में भागी चपा के कारण साधारणतया सैनिकों को घल मार्ग से ले जाना अथवा युद्ध सम्बन्धी सामान को युद्ध स्थल तक पहुँचाना सरल न था और ऐसे स्थानों पर ही राज्य की नावों के बेड़े का प्रयोग किया जाता था। अब्दुल लतीफ ने जहागीर के समय में बंगाल के अभियान के समय लगभग बीस प्रकार की विभिन्न राजकीय नावों का वर्णन किया है। इसी प्रकार से 1666 ई० में मुगलों द्वारा चिटगाव के अभियान के समय लगभग 288 नावें थीं जिनकी सहायता से ही यह अभियान सफल हो सका था। इन छोटे से नावों के बेड़े

1. इरविन—वही, पृ 261.

2. ब्राउन, पर्सी—इंडियन आरकियोलॉजिस्ट पृ 99-101.

3. इरविन,—वही, पृ 269

के प्रतिरक्त समस्त मुगल काल में जल सेना की ओर कोई ध्यान न दिया गया। इसीलिए मुगलों ने पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा का भार भवीमिनियनो तथा जजीरा के सिद्धियों को सौंप रखा था और पूर्वी तट पर समुद्री लुटेरों के विरुद्ध पुर्तगालियों की सेवा-रत रक्खा था।

मुगलों की सैनिक सख्या का अनुमान लगाना काफी कठिन है। 'आईन-ए-अकबर' में सम्भावित शक्ति की मर्यादा, सैनिक रूप में उच्चिकर होने की अपेक्षा-केवल विद्वत्तापूर्ण ही है। मनसबदारों की सख्या के आधार पर कुल सख्या का अनुमान लगाना इसलिए कठिन है क्योंकि साधारणतया उसमें वास्तविक सवार-पद की जानकारी नहीं मिल पाती है। अनेकों मनसबदार ऐसे थे जो गैर-सैनिक अथवा साधारण प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे थे। स्वयं सम्राट के पास राजधानी में उसकी व्यक्तिगत सेवा के लिए सेना का एक छोटा भाग ही उपस्थित रहता था। शेष सेना उस समय की परिस्थिति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में तैनात थी जो कि मनसबदारों के अधीन थी। ऐसी स्थिति में मुगल शासकों द्वारा समय-समय पर शत्रुओं के विरुद्ध प्रयुक्त की गई कुल सैनिक सख्या के आधार पर ही उनकी कुल सैनिक सख्या का अनुमान लगाना ही सम्भव है। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय बाबर के पास लगभग 12 से 15 हजार सैनिक थे तथा 1527 ई० में खानुवा के युद्ध के समय उसके पास एक लाख सैनिक थे। बाबर ने अपनी शासन-क्षमता में एक भारतीय घुड़सवार का वेतन लगभग 1000 टक स्वीकार किया है और उसके राज्य की आय लगभग 40 से 42 करांड टक थी जिसके आधार पर उसके पास लगभग 4 लाख घुड़सवार होने चाहिये। इस आधार पर यह सख्या प्रतिरजित मालूम पड़ती है। 1540 ई० के बघौज के युद्ध में हुमायूँ के पास 'तारोख-ए-रशोदी' के अनुसार 40,000 नियमित सैनिक थे।<sup>1</sup> अहमदुल अजीज के अनुसार अकबर व जहागीर के समय के सैनिक आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।<sup>2</sup> स्मिथ<sup>3</sup> न अकबर के सैनिकों की सख्या 25,000 बताई है जबकि आ० आर० पी० त्रिपाठी, 'आईन-ए-अकबर' में दो हुई सख्या को न्यायोचित मानते हैं। इस प्रकार से अकबर के समय की सैनिक सख्या के सम्बन्ध में अत्यधिक मतभेद है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि उसके राज्यकाल में सेना का विभिन्न वर्गों में संगठन था, जैसे सम्राट की व्यक्तिगत सेना, प्रान्तीय सैनिक टुकड़ियाँ, मनसबदारों की सेना तथा अमीनस्य जागीरदारों की सैनिक टुकड़ियाँ। डी० लेट ने मुगल मनसबदारों के 'जात' पद पर यह अनुमान लगाया है कि जहागीर के पास 1,068,

1. इलियट—बाबर एण्ड हुमायूँ, पृष्ठ 102.

2. अहमदुल अजीज—मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी, पृ० 227.

3. स्मिथ—अकबर, पृष्ठ 361.

248 घुडसवार थे, परन्तु उसका यह अनुमान युक्ति-युक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि 1595 ई० में ही जात पद का महत्व समाप्त हो गया था और सवार पद अभी त्रिकुल नया ही था। हाकिम्स ने सैनिक सख्या लगभग 3 लाख बतलाई है।

शाहजहा के शासन काल में लगभग 3,40,000 घुडमवार थे। 1630 ई० में उसने 1,40,000 घुडसवारों को खान जहा लोदी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। 1647 ई० में शाहजहा के पास लगभग चार लाख सेना थी। 1647 ई० के बाद शाहजहा की सेना में अवश्य ही वृद्धि हुई होगी क्योंकि उसे कंधार को पुन प्राप्त करने के लिए अभियान करने पड़े थे। सायर-ए-मुतखरीन के अनुसार उसकी सेना में 8,50,000 सैनिक थे।

औरंगजेब का ममस्त युग मराठों, राजपूतों, जाटों और सिक्खों से युद्धों का युग था और इसीलिए उसकी सेना की समुचित सख्या की जानकारी के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विदेशी विवरणों के आधार पर ही कुछ अनुमान लगाना सम्भव है। इन आधारों पर औरंगजेब के पास लगभग 6 से 7 लाख घुडसवार सेना थी और यदि मनुष्य व घुडसवार व पैदल सैनिकों के 1 : 2 के अनुपात को स्वीकार किया जावे तो उसके पास लगभग 13 से 14 लाख पैदल सैनिक रहे होंगे।<sup>1</sup>

इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मुगलों की सैनिक व्यवस्था सफल अथवा कार्यकुशल नहीं थी। यह निश्चित है कि मुगल सैनिकों ने इब्राहीम लोदी व राणा सांगा को पराजित किया था और अकबर के सुधारों के कारण वे एक साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुए थे परन्तु यह किसी प्रकार से उनकी दक्षता को प्रमाणित नहीं करता। वे केवल इसलिए सफल हुए कि जिन विरोधियों का उन्होंने सामना किया, उनकी सैनिक व्यवस्था मुगलों से भी अधिक अस्त-व्यस्त व शक्तिहीन थी और ये शक्तियाँ मुगलों की अपार शक्ति व सामर्थ्यपूर्ण साधनों का मुकाबला करने में असमर्थ थीं। कंधार के असफल अभियानों व उजबेकों के साहसपूर्ण विरोधों की पृष्ठभूमि में मुगल सैनिक मगठन की कमजोरियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। समय के अनुसार मुगल शासक सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने में असहाय सिद्ध हुए और जब मराठों के विरुद्ध मुगलों का लगातार संघर्ष चलता रहा तब भी वे परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन करने में असफल रहे। केवल औरंगजेब जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ व कर्मठ व्यक्ति ही मराठों और बबीलों के बढ़ते हुए साहस को रोक सकने में समर्थ हुआ।

1 फूल डा आर के—आर्मीज ऑफ द ग्रेट मुगल्स, पृ 126-132

2. फूल डा आर के—वही

## 4

### अमीर वर्ग-संगठन व स्वरूप

अमीर अथवा अमीरजात्य वर्ग के संगठन के अध्ययन की आवश्यकता इमनिचे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ग की अतिविधियाँ अपने अध्ययन-काल में निरूपित थीं। सल्तनत काल के समकालीन इतिहासकार यथार्थतः इस वर्ग के शक्तिशाली दलों की ओर संकेत करते हैं जिनमें इस्तुतमिश के राज्यकाल के 'तुर्कान-ए-बिहालगानी, (चालीस सरदारों का गूट) सलजियो के 'बारवार सरदार' और तुगलकों के 'अमोरान-ए-सादा' प्रमुख शक्तिशाली दलों में संगठित थे। इनके अतिरिक्त भी जातीय आधार पर बने हुए अनेकों दल थे जिनमें अरबीनीयन, खोरासानी, अफगान व मंगोल दूसरे दलों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे। समकालीन इतिहास में इस वर्ग की उत्पत्ति के आधार अत्यधिक अस्पष्ट हैं। सर्वप्रथम डा० अशरफ ने तुर्की अमीरजात्य वर्ग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सोज की ओर मोटे रूप से इसे उन्मा व उमराहो की श्रेणी में बाँटा। साधारण रूप में उन्हें 'अहल-ए-कलम' (बुद्धिजीवी) व 'अहल-ए-तेग' (मैनिक) की सजाओ से सम्बोधित कर सकते हैं। इन वर्गों के अतिरिक्त बारह वर्ग और भी थे परन्तु वे सब इन दो वर्गों की मर्यादा की तुलना में नगण्य व शक्ति-हीन थे।<sup>1</sup>

अमीरों का उत्थान आकस्मिक था और इसमें वे सब परिस्थितियाँ निहित थीं जिनके कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी।<sup>2</sup> मुहम्मद गौरी की राय पिघौरा अथवा पृथ्वीराज पर विजय के पश्चात् हिन्दुस्तान में साम्राज्य स्थापना का कार्य केवल मुहम्मद गौरी के ही पौरुष और रण-कुशलता का परिणाम न था अपितु उत्तरीभारत

1. अशरफ, के. एम. — साइफ एण्ड कण्डीशन ऑफ द पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान पृष्ठ 170.
2. मित्रामी, के. एच. — मम आस्पेक्टम् ऑफ रीलिजन एण्ड पोलिटिक्स इन इण्डिया इयूरिंग द एरटीग्य सेन्चुरि पृष्ठ, 12.



की ये विजय-नीति अभिजात्य वर्ग या अमीरो के सहयोग से ही पूरी हो पाई थी जिन्होंने उसके नाम पर विभिन्न प्रदेशों को धीजित किया था। यही वर्ग अभिजात्य वर्ग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इस वर्ग के प्रत्येक सदस्य ने सुल्तां अथवा किसी अमीर के दास के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया और अपनी स्वामीभक्ति से अमीर का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात् अपनी नोजि प्राप्तियों से मलिक व खान की सम्मानित उपाधियाँ प्राप्त थीं। इनकी व्यक्तिगत श्रेणी इनकी उपाधियाँ व इत्ता (सूबा) भरातिव पर आधारित थी। ये इत्ता तथा शासकीय पद वशानुगत न थे अपितु सुल्तान की इच्छा पर छोड़े जा सकते थे। अमीरो का राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार न था और उनके पास केवल सुल्तान के प्रति स्वामिभक्ति अथवा स्वतन्त्र शासक रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसलिये ही डा० अशरफ का मत है कि उनकी स्थिति एक भाड़े के नौकरशाही जैसी दयनीय थी जिसका सुल्तान की अनुपस्थिति में बने रहना सम्भव नहीं था।

अभिजात्य वर्ग में दूसरा स्थान उलेमाओ का था जो कि अपने में ही एक अभिन्न जाति थी, परन्तु उनको अभिजात्य वर्ग का एक अंग स्वीकार करना उचित न होगा क्योंकि सल्तनत काल की राजनीति में उनका सक्रिय योगदान नहीं था। राजनीति में वे केवल सहयोगी थे और साधारणतः सुल्तान और अभिजात्य वर्ग के बीच सघर्ष में वे शक्तिशाली दल का ही पक्ष लेते थे। इसके अतिरिक्त सल्तनत काल के प्रथम तीन वशों (इल्बारी तुर्क, खलजी व तुगलक) के समय में समय-समय पर अभिजात्य वर्ग में नये तत्वों के समावेश ने उनके सगठन को अत्यधिक प्रभावित किया और कतिपय पुराने वर्गों को समाप्त कर नये वर्गों की स्थापना की। इन परिवर्तनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने तथा उनका अभिजात्य वर्ग के सगठन पर पड़े प्रभाव की जानकारी के लिए तीनों वशों के समय में इस वर्ग का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है।

प्रो हबीब का यह मत सत्यता के अधिक निकट है कि 13 वीं शताब्दी में भारतीय-तुर्कीदास-नौकरशाही, समुक्त कुटुम्ब की आरम्भिक स्थिति में थी। अभिजात्य वर्ग के सदस्य अधिकतर तुर्क थे यद्यपि खलजी और ताजिकों का वर्ग भी अर्थात् था। क्योंकि तुर्कों को मुहम्मद गोरी की सरक्षता प्राप्त थी इसलिये उनको हन्दुस्तान के उपजाऊ और सम्पन्न प्रदेशों को अपना कार्य-क्षेत्र बनाने की अनुमति मिल गई थी और खलजियों को सरक्षता की अनुपस्थिति में खदेड़ दिया गया था तथा गजाम, बंगाल, बिहार आदि के दूरस्थ-प्रदेशों में जाने के लिये बाध्य कर दिया गया। ये जातीय सगठन तुर्की अभिजात्य वर्ग का विशिष्ट लक्षण था जो सुल्तान मुईजु-न-कैकूबाद के शासन के अन्त तक बना रहा।

इल्बारी तुर्कों के अभिजात्य वर्ग के बाद दूसरा शक्तिशाली वर्ग विदेशियों का

था जिन्होंने ताजिक कह कर पुकारते थे। ये प्रारम्भ से ही दरबार में प्रतिभाशाली पदों पर धामीन थे। मध्य एशिया की गतिविधियों तथा मंगोल आक्रमणकारियों के कारण घनेको राजवंश के राजकुमार तथा परिवार व्यवसाय की खोज में हिन्दुस्तान आ गये थे और इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा सम्मानित व्यवहार प्राप्त करने में सफल हुये थे। मलिक फीरोजशाह, मलिक अलाउद्दीन, मलिक इजाजुद्दीन इसी प्रकार के राजकुमार थे जो इल्तुतमिश के अधिजात्य वर्ग में सम्मिलित थे। सिराज ने इल्तुतमिश फीरोजशाह के समय में तुर्की सैनिकों द्वारा घनेको ताजिकों के वध का वर्णन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि उसने समय में ताजिकों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई थी। यह ठीक है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में घनेको ताजिकों को अपदस्थ कर दिया गया था परन्तु फिर भी मुल्तान नामिद्दीन के समय में वे घनेको महत्वपूर्ण पदों पर थे और तुर्की धमीरों के साथ मिलकर वे इमादुद्दीन रहेयान के पतन में सक्रीय थे।

हिन्दू जो कि कर देने वान घमीर थे और दरबार में समय समय पर उपस्थित थे वे यद्यपि उनकी संख्या अच्छी थी परन्तु उनका राजनैतिक योगदान नगण्य था। य दनुज, जिसने बलवन को तुगरिल के पकड़ने में सक्रीय सहायता दी थी, के साथ लिये गये सम्मानपूर्ण व्यवहार से यह स्पष्ट है कि बलवन ने हिन्दू कर देने वालों को अतिमम्य ढंग से बने रहने देने की नीति अपनाई थी। मुल्तान मुद्दुद्दीन कंबूबाद के राज्य-काल में हिन्दू राय और राजा अग्रणीत थे। कंबूबाद की मृत्यु के बाद जब नान जलालुद्दीन ने कडा के विद्रोही मलिक अज्जु के विरुद्ध सेना भेजी थी तो राय अम देव कोटन तथा राय भीम देव ने बलवन के वध के प्रति निष्ठा के कारण अज्जु की सहायता की थी।

घमीरों का एक अन्य वर्ग एबिसिनियनस का था जो कि तुच्छ था। कुतुबुद्दीन के समय में मलिक बमयाज रूमी अघव का मुक्ति था। इसी प्रकार नामिद्दीन का का एक घमीर मलिक सिनान-उद-दीन था जो सिन्ध और देबल का मुक्ति। रजिया के राज्यकाल में एबिसिनियन घमीर विशिष्टता प्राप्त कर सके परन्तु मुद्दुद्दीन याकृत की घटना से स्पष्ट हो गया कि इल्बारी तुर्क ये सहन नहीं करे। वे कि कोई विदेशी घमीर उनके शासक के साथ इतने घनिष्ठ सम्बन्ध रखे। पतन के साथ ही दरबार से एबिसिनियन प्रभाव कुछ समय के लिये समाप्त हो यद्यपि मुल्तान अलाउद्दीन अमूदशाह के समय में उन्हें थोड़े समय के लिये पुनः प्राप्त हो सकी।

इल्बारी तुर्कों के उत्तराधिकारी समय में नये मुसलमान जो कि पहले मंगोल थे भी प्रभाव बढ़ा और बलवन के समय इनमें से कुछ सम्मानित पदों पर थे। मुल्तान कंबूबाद के राज्यकाल में घनेको उच्च पद इन्हें प्राप्त हुये परन्तु

इल्बारी तुर्कों इनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से इनके भयभीत थे कि इनमें से अधिकतर का उन्होंने घब कर दिया।

अफगान अमीरो की उदरति भी इल्बारी तुर्कों के समय में आरम्भ हुई और उन्होंने मुहम्मद गोरी की सैनिक कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया। पृथ्वीराजचौहान के विरुद्ध युद्ध के समय उसकी सेना में 12,000 अफगान घुड़सवार उपस्थित थे। मलिक मुहम्मद सोदी उनका नेता था और मुहम्मद गोरी ने उनके भाई को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अफगानों को आश्रय दिया और उनमें से अनेकों को अमीर बनाया। इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय में अफगान अमीरो की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई परन्तु पुन बलवन के समय में अफगान सैनिकों की संख्या लगभग 3000 तक पहुँच गई। बलवन को अफगानों पर अत्यधिक विश्वास था और इसलिये जलाली का नव निमित्त दुर्ग विजय करने के बाद उसने उसे अफगान अमीर के सुपुर्द कर दिया।

खलजियों के समय में अभिजात्य वर्ग का सगठन :—

खलजी अभिजात्य वर्ग की विशेषता जातीय-सगठन थी। यद्यपि जलालुद्दीन खलजी ने पुराने तुर्कों अमीरो को सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयास किया परन्तु तुर्कों अमीरो ने समय-समय पर खलजियों को अपदस्थ करने का भरसक प्रयास किया। जलालुद्दीन ने इसलिये राज्य के महत्वपूर्ण पद अपने सम्बन्धियों को ही दिये। जलालुद्दीन के राज्यकाल में नये मुसलमानों को अधिक सरक्षण मिला। अनेकों नये मुसलमान जो कि इल्बारी तुर्कों के समय में पदामीन थे जलालुद्दीन ने उन्हें उनके पदा पर बने रहने दिया तथा शासन के दूसरे वर्ग में अनेकों नये मुसलमान अमीर बनाये गये। 1291-92 में अल्तुनशाह के आक्रमण के समय सुल्तान ने उसके साथ एक समझौता किया और अपनी एक पुत्री का विवाह उलगू नामक नये मुसलमान के साथ कर दिया। अनेकों को सुल्तान ने जमीरों व इत्ता प्रदान किये और वे कीलोखेडी, गयासपुर आदि मोहल्लो में बस गये। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में इन नये मुसलमान अमीरों ने सक्रिय भाग लिया था।

अलाउद्दीन ने बलवन की तरह इस व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन किया और प्रत्येक ऐसे वर्ग को जिसने पुन अपनी शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया उसे कुचल दिया। उसने न केवल इल्बारी तुर्कों के अमीर-वर्ग को जो जलालुद्दीन के समय में आंशिक सरक्षणता प्राप्त किये हुए थे, शमन किया अपितु जलालुद्दीन के समस्त खलजी समर्थकों का भी अन्त कर दिया। तत्पश्चात् उसने मुगल अमीरो के सर्वनाश के लिए विधिवत् कदम उठाये।

अलाउद्दीन के समय में धर्म-परिवर्तित हिन्दू अभिजात्य वर्ग के एक प्रमुख वर्ग थे। इनमें से अधिकतर न एक दास के रूप में जीवन आरम्भ किया था और

क्षणे-क्षणें अपनी स्वामिभक्ति से अमीर का पद प्राप्त किया था। मलिक काफूर-कुशंगे खा, मलिक ग्रहमद, मलिक शहीन आदि का उरथान ऐसे ही हुआ। अलाउद्दीन ने खलजी अमीरों के विरुद्ध सन्तुलन बनाये रखने के लिए इस वर्ग को प्रोत्साहित किया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय में भी अमीरों का ये वर्ग शक्ति सम्पन्न रहा परन्तु अपने विरोधियों का समुचित नाश कर शक्ति-प्राप्त करने की मृग तृष्णा में इन्होंने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया।

अफगान अमीर वर्ग ने जिसने इल्वारी तुकों के समय में कुछ मान्यता प्राप्त की थी, खलजियों के समय में इन्होंने और प्रगति की। अलाउद्दीन खलजी ने उन्हें अमीर वर्ग में दीक्षा दी। खलजियों के समय में मलिक इल्तमाहद्दीन अफगान व अब्दुस करीम शेरवानी प्रमुख अफगान अमीर थे।

तुगलकों के समय में अभिजात्य वर्ग का संगठन—

तुगलकों के आगमन तक जाती पर आधारित अभिजात्य वर्ग के संगठन का मिथान पूर्णतया बहिष्कृत हो गया था। प्रथमतः तुगलक भारत के लिए स्वयं विदेशियों जैसी स्थिति में थे और खलजियों के पहले उनकी गणना कुलीन वर्ग में नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे पुराने खलजी अमीरों पर ही आधारित थे क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नों से वे सत्तास्थ हो पाये थे। मुहम्मद तुगलक की शासन के आधार को अधिक विस्तृत और प्रसारित करने की नीति भी इसके लिए उत्तरदायी थी और इसलिए उसने हिंदू, मगोल, अरब व खोरासनी लोगों को प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन के बाद भी उसने किसी भी वर्ग को अपने विरुद्ध संगठित होने का अवसर नहीं दिया। इसी कारण उसकी मृत्यु के समय अभिजात्य वर्ग एक पिण्ड के समान था जिसमें विभिन्न नस्ल और जाति के लोग सम्मिलित थे। इस अभिजात्य वर्ग ने एकमत से फीरोज तुगलक को उसका उत्तराधिकारी चुना।

फीरोज तुगलक ने अभिजात्य वर्ग की इस स्वामिभक्ति का समुचित आदर किया और प्रत्येक को सन्तुष्ट करने के लिए वेमेल अमीर वर्ग को जन्म दिया। भाग्य-वशात् ये व्यवस्था सन्तोषपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि उसके स्वामिभक्त अधिकारियों ने अपने स्वार्थों की अपेक्षा राज्य के स्वार्थों को प्राथमिकता दी। इस प्रकार से जातीय आधार पर अभिजात्य वर्ग के निर्माण को सुल्तान के प्रति स्वामिभक्ति के सिद्धान्त में बदल दिया गया।

तुगलकों के राज्य-काल में अभिजात्य वर्ग के संगठन के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि आरम्भ में जब गयामुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तब अधिकतर वही अमीर वर्ग बना रहा जो अलाउद्दीन खलजी व उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय में था। यही वर्ग मुहम्मद तुगलक और फीरोज तुगलक के समय में भी प्रभावपूर्ण बना रहा। गयामुद्दीन तुगलक ने न केवल पुराने खलजी अमीरों को

भाधम प्रदान किया अपितु वे समस्त भमीर जो बि बलान के समय के थे और इन समय भी जीवित थे उनका यथोचित सम्मान किया ।

मुहम्मद तुगलक ने पुराने भमीर वर्ग में तीन अभिन्न तत्व और जोड़ दिये । प्रथमतः उसने विदेशियों में मुख्यतः खुरासानी और अरबों को भाध्य प्रदान किया । उसने उनको राज्य में ऊँचे पद दिये और उनको अजीज अथवा प्रिय राजाओं से संबोधित किया । खुरासानी भमीरों में मलिक अलाउल मुल्क, मलिक अजर, शेखजादा दमिश्की आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । दूसरा तत्व अफगान भमीरों का था । मलिक इस्तयारुद्दीन अफगान पहले की ही तरह मुहम्मद तुगलक के शासन में सम्मानित पदों पर आसीन रहा । बहराम अफगान, मन्डी अफगान और मलिक साहू लोरी उसके प्रमुख अफगान भमीर थे । उसके उत्तराधिकारी फीरोज तुगलक ने भी मुहम्मद की नीति का अनुसरण किया और अफगानों को संरक्षण प्रदान किया । मलिक अफगान, मलिक दाऊद खाँ अफगान, मलिक मुहम्मद शाह अफगान आदि प्रमुख अफगान भमीर थे । तीसरा तत्व हिन्दू भमीरों का था जो बि मुहम्मद तुगलक के समय में राज्य कार्यों में सक्रीय सहयोगी था । बरनी ने अनेकों हिन्दू उच्च अधिकारियों की सूची दी है । रतना जिमको कि मुल्तान ने 'अजीम-उम-सिन्ध' की उपाधि दी थी सर्व-विदित है । घरा को मुहम्मद तुगलक ने देवगिरी का नायब बजीर नियुक्त किया था और बहरन उसके समय में गुलबर्ग का मुक्ति था । सुल्तान फीरोज के समय उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति से हिन्दू भमीरों की स्थिति सर्वथा महत्वहीन हो गयी और केवल इने-गिने ही हिन्दू भमीर रहे ।

मंगोलों को भी तुगलकों के समय में सम्मानित स्थान मिला । मुहम्मद तुगलक और फीरोज तुगलक दोनों ही ने उनको संरक्षण प्रदान कर ऊँचे पदों पर नियुक्त किया । मलिक भुमज्जम, भमीर अहमद इब्बाल आदि इस समय के प्रमुख मंगोल भमीर थे ।

सैयद और लोदी वंशों के समय अमिजात्य वर्ग का संगठन—

सैयद वंश के चार शासकों ने मद्यपि लगभग 37 वर्ष तक राज्य किया परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से उनका कोई योगदान नहीं रहा । दिल्ली सल्तनत के विघटन और पुनर्निर्माण के क्रम में सैयद वंश केवल एक अनिवार्य कड़ी ही था । प्रथम सुल्तान लिख खाँ ने फीरोज के समय के तुर्कों भमीरों को सन्तुष्ट करने की नीति अपनाई तथा उन्हें उनकी जागीरों से बचित नहीं किया । परन्तु तुर्कों भमीर इससे सन्तुष्ट नहीं हुये और इस सुविधा का उपयोग उन्होंने निरन्तर विरोध और विद्रोह करने के लिए किया । लिख खाँ के सम्पूर्ण राज्यकाल (1414-29 ई०) में यह स्थिति रही कि प्रत्येक वर्ष उसे या उसके निरन्तरीय सरदारों को राजस्व वसूल करने के लिए सैनिक अभियान करने पडते थे और विभिन्न भमीर या तो पराजित होने के पश्चात्

राजस्व देने से अथवा अपने किले में बन्द होकर अपनी शक्ति के अनुसार विरोध करते थे। खिख खा ने इन अमीरों की शक्ति पर अकुण सगाने के लिए बुद्ध संवद जानि व लोगों को सम्मानित पद देने प्रारंभ किये और हिन्दुओं को भी विध्यास में लेने का प्रयत्न किया परन्तु तुर्की अमीर वर्ग की स्थिति इतनी सुख ही चुकी थी कि जाति और वर्ग के आधार पर भी अमीर वर्ग को संगठन करने के बाद मुल्तान की स्थिति अयनोपजनक ही रही। दूसरा मुल्तान मुबारकशाह भी विद्रोही सरदारों और अमीरों को स्थायी रूप से दवाने में असफल रहा। उसने मुख्य रूप से मुगल-मानों को ही अमीर बनाया परन्तु दरबार के अमीरों को चुनने में वह असफल निद्र दृष्टा जिसके कारण ही उसकी हत्या का पड़थान सफल दृष्टा। मुहम्मद शाह के समय में इन दिल्ली के मुसलमान अमीरों ने आक्रमणकारियों के साथ सहयोग करने का वचन दिया और वस्तुतः इन अमीरों की इस नीति के कारण ही संयाद वश का पतन हो गया।

अफगानों का राजत्व सिद्धान्त तुर्कों से भिन्न था और इसलिए अमीर वर्ग का संगठन और मुल्तान से उनका सम्बन्ध भी भिन्न आधार पर था। तुर्कों ने बख्त और अलाउद्दीन के नेतृत्व में एक अत्यधिक केन्द्रित राजतन्त्र की स्थापना की थी और शासक को देवी अधिकांश, गौरव और प्रतिष्ठा का प्रति-रूप स्वीकार किया था परन्तु अफगानों ने इसके स्थान पर एक सघोष आधार पर जातीय राजतन्त्र की स्थापना की।<sup>1</sup> इस परिवर्तन का एक मात्र कारण समय की घोषितता थी क्योंकि अफगान समाज जातीय व्यवस्था के अन्तर्गत ही संगठित था। एक शक्तिशाली केन्द्र का अभाव तथा पर्वतों व उन्मुक्त वातावरण ने उन्हें जातीय व्यवस्था पर आधारित सरकार का आदी बना दिया था। जाति का अग्रगण्य यद्यपि उनके सम्मान का पात्र था परन्तु फिर भी वह समस्त समान अफगानों में केवल प्रथम अफगान सरदार ही स्वीकार किया जाता था। इसलिए विभिन्न जातीय प्रधानों का व्यवहार अपने नेता के प्रति अधिक नम्र अथवा आज्ञाकारिता का होना सम्भव नहीं था। लोदी सुल्तान बहलोल को तुर्कों, मुगलों अथवा मुसलमानों से कोई महायत्ना अथवा सहयोग की सम्भावना नहीं थी, ऐसी स्थिति में अफगानों को हट कराना न तो उचित था और न ही समयानुकूल। इसलिए यदि बहलोल को शासक बनने की इच्छा पूर्ण करनी थी तो उसे ऐसी स्थिति में अफगानों के अहकार को बनाये रखना आवश्यक था और उन्हें वे अनुभव कराना था कि सुल्तान की समृद्धि और सम्मान उनके सम्मान और समृद्धि से अनुबन्धित है और वे एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं।<sup>2</sup> इस

1 पाण्डेय, ए वी—द फाँसट अफगान अम्पायर इन इंडिया पृष्ठ 215

2 वही, पृष्ठ 216

आघार पर बहलोल लोदी ने जातीय आघार पर न केवल प्रभुसत्ता अपितु अमीरो के संगठन की रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार से बहलोल ने अमीरो की स्थिति को ऊँचा बिया और वे स्वयं को अर्द्ध-शासक के रूप में स्वीकार करने लगे परन्तु सुल्तान केवल अमीरो के बीच एक प्रधान अमीर बन कर रह गया।

सुल्तान बहलोल लोदी अपने सम्बन्धियों और मित्रों के प्रति अधिक दयालु था और इसलिए उसने राज्य के अमीर और उच्च अधिकारियों का चयन अफगानों और अपने सम्बन्धियों में से ही किया। उसने रोहू आदि के अफगानों को भारत आने के लिए आमन्त्रित किया और उन सभी को उनकी योग्यतानुसार पद और जागीरें प्रदान की तथा अनेकों को अमीर के रूप में आसीन किया। बहलोल अमीरो के साथ भाईचारे का व्यवहार करता था, उनके सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। किसी के भी घर जाकर नि सक्चे खा पी लेता था और दुःख सुख में उनके साथ सहानुभूति और आत्मीयता का व्यवहार करता था। बहलोल इस प्रकार सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सुल्तान के आदर्श को तो अपने सम्मुख न रख सका और उस परिस्थितियोंबश अफगानों को बड़ी-बड़ी जागीरें देकर उन्हें शक्तिशाली बनने का अवसर भी प्रदान करना पड़ा जो लोदी-वंश की दुर्बलता का कारण बना, परन्तु बहलोल अफगान अमीरो का सुल्तान रहा और उनकी स्वतन्त्र-प्रवृत्ति को अपने काबू में रख सका। बहलोल ने अपने अमीरो को विभिन्न जातियों के सदस्य होने के बजाय एक 'बिरादरी' के सदस्य होने की भावना दी और सफलतापूर्वक उन्हें अपनी शक्ति की स्थापना का साधन बन गया। साथ ही साथ उसने अपने विरोधी अमीरो को चाहे वे अफगान ही क्यों न हो, समाप्त करने का प्रयत्न भी किया जैसा कि सियालकोट, लाहौर और दिपालपुर के शक्तिशाली अमीर तातार खा के दमन से स्पष्ट होता है।

सिकन्दर लोदी और इब्राहीम लोदी के समय में सुल्तान और अमीरो के बीच सघर्ष आरम्भ हो गया। उन्होंने अमीरो को अनुशासन में रखने तथा सुल्तान के विशेषाधिकारों पर बल दिया। राज-दरबार में अमीरो के लिए अनेकों नये नियम पारित किये गये जिससे अमीरो को उनकी आधीन स्थिति का बोध हो और जिस किसी ने सुल्तान की आज्ञाओं का विरोध करने का साहम किया उनके सिर कटवा दिये गये अथवा उन्हें अपने साम्राज्य से निकालित कर दिया गया। इब्राहीम लोदी कुछ परिस्थितियोंबश और अधिकांश अपनी हठी और शकालु प्रवृत्ति के कारण बहुत शीघ्र ही अपने अफगान अमीरो के साथ प्रत्यक्ष सघर्ष में फस गया। सुल्तान का अमीरो से अत्यधिक कठोर व्यवहार तथा अपने समस्त पुराने अमीरो पर शका करके नवीन अमीरों को श्रेष्ठ पद प्रदान करने की नीति ने इस्लाम खा के विद्रोह को जन्म दिया। दरिया खा और दीलत खा जैसे अमीरो के साथ किये गये कठोर व्यवहार ने अमीरो को सुल्तान के प्रति न केवल अस्वामिभक्त बनाया अपितु वे विदेशियों की

सहायता करने के लिए भी तत्पर हो गये। इस प्रकार, इब्राहीम लोदी अपने धमीरों को नष्ट करने प्रयत्न करने के बजाय उन्हें दबाने में ही धमकाने न हुआ अपितु स्वयं शक्तिहीन हो गया और इस स्थिति में उसे विदेशी आक्रमणकारी बाबर से लोहा लेना पड़ा।

मुल्तान और धमीरों के बीच हुए इस सघर्ष से यह स्पष्ट होता है कि इन सघर्षों में सिद्धान्त कम और व्यक्तिगत आशाकांक्षा, भय एवं हठ अधिक मात्रा में सम्मिलित था तथा इब्राहीम की अक्रियता और अव्यवहारिकता इसके लिए अधिक प्रशंसा में उत्तरदायी थी। यह सघर्ष न केवल लोदी-वंश के पतन के लिए उत्तरदायी हुआ अपितु भारत में एक नये राज-वंश की स्थापना में सक्रिय कारण सिद्ध हुआ।

मुगल काल में धमीर वर्ग उस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो सामक के निकटवर्ती अधिकारी होते थे और जिन्हें राजनीतिक जीवन में उच्च स्थान प्राप्त थे। साधारणतया ऐसे पदाधिकारियों का मनसब 1000 या इससे ऊपर ही होता था परन्तु अकबर के समय में 200 के मनसब प्राप्त अधिकारियों को भी धमीर की श्रेणी में ही गिना जाता था।<sup>1</sup> मुगल धमीर वर्ग प्रायः इन मनसबदारों से ही बना था। बाबर के समय में इन्हें 'वेग' की मजा से पुकारा जाता था परन्तु बाद के काल में यही 'वेग' धमीर कहलाने लगे थे। यह धमीर वर्ग ही वृद्धि जीवियों में प्रमुख वर्ग था इसलिए राज्य के पदाधिकारियों का चयन इसी वर्ग से होता था। इनमें से अनेकों साहसिक थे जो कि सम्मान, पद और शक्ति की खोज में एशिया के विभिन्न भागों से आये थे। वे जहरत-मन्द सैनिक थे और मुगल दरबार में उनकी योग्यता को समुचित रूप में बताने के लिए सम्मानित जीवन यापन करने की प्रार्थना थी। बर्नियर ने लिखा है कि उमराह (धमीर का बहुवचन) अधिकतर वे साहसिक व्यक्ति थे जो कि विभिन्न देशों से आये थे तथा जिन्हें मुगल दरबार की शान-शोबन प्रलोभित कर लायी थी। मुगल काल में यूरोपीय धमीरों के नाम भी यदा कदा सुनाई पड़ते हैं जिन्हें भारतीय उपाधियाँ दे दी गई थीं, जैसे फ्रांसिस खा, फरगी खा आदि। जहागीर हॉकिन्स को भी धमीर बनाने का इच्छुक था। पूर्वजों से, जो किसी समय मुगल सेवा में रह चुके थे, मुगलों की धन-सम्पदा की कहानियाँ सुनकर अनेकों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए मुगल दरबार में आ गये। इन्हीं साहसिक व्यक्तियों की श्रेणी में से ही आरम्भ में मुगल धमीर वर्ग का सगठन सम्भव हो सका।

धमीर वर्ग में प्रवेश हेतु वंश एक महत्वपूर्ण बमोटी थी। इसलिए खानजीद और राजकुमार धमीर वर्ग में बड़ी संख्या में थे। सगमग आया मुगल धमीर वर्ग

1. खोलता, धार० पी०—मुगल किंगडम एन्ड नोबिलिटी पृष्ठ 231.



इन्हीं मनसबदारों द्वारा सगटित था। 1658 से 1678 ई० तक 486 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 1000 का पद था। इनमें से 213 ऐसे थे जो मनसबदारों के निकट सम्बन्धी थे। 1675 से 1 07 ई० के बीच 575 मनसबदारों में से 272 खानजोद अमीर थे।

विदेशी अमीरों में अधिकांश तूरानी व ईरानी थे। अक्सस नदी के उत्तर से आने वाले, जहाँ तुर्की भाषा बोली जाती थी, तूरानी कहलाये। ये सुन्नी सम्प्रदाय के थे और क्योंकि ये शासित वर्ग से सम्बन्धित थे जो इन्हे अपना निकट सम्बन्धी ही मानते थे और साथ ही मुगलों के सम्प्रदाय के ही थे इसलिए मुगल दरबार में इनको अधिक सम्मान मिला था। धीरे-धीरे तूरानी अमीरों की सरया घटती गई और 16५8-78 में केवल 67 तूरानी अमीर ही शेष थे। सम्भवतः यह माना जाता है कि जहाँगीर इन तूरानियों से अप्रमत्त था इसलिए उम समय में अनेक तूरानी अमीरों ने इस वर्ग को छोड़ दिया। दूसरा वर्ग ईरानियों का था जो अक्सस नदी के दक्षिण से आये थे। इनको खुरासानी भी कहा जाता था। ये शिया सम्प्रदाय के थे और इसलिए भारतीय मुसलमानों के बहुमत से अथवा मुगलों के धर्म से इनका ताल-मेल नहीं था। यद्यपि ये योग्य थे और इसलिए ही राज्य के अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे परन्तु सुन्नी लोगों के साथ इनका रिश्ता कम ही था। प्रो० खोसला ने लिखा है कि, "उत्पत्ति और धर्म में विभिन्नता होने के कारण दोनों वर्गों के बीच प्रतिद्वन्द्वता की बड़ी भावनाएँ थी जो यदा-कदा वैर भाव में विकसित हो जाती थी।"<sup>1</sup>

अफगान अमीर वर्ग के एक साधारण अंग थे। पूर्व में सिन्धु नदी और पश्चिम व कन्धार के बीच के प्रदेशों से आये ये लोग सभ्य व सुमस्तृत जीवन बिताने के लिए अधिक उपयोगी नहीं समझे जाते थे। मुगलों ने इन्हीं में भारत का राज्य छोड़ा था इसलिए इन्हे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। परन्तु फिर भी जिन अफगानों ने मुगलों की आधीनता स्वीकार कर ली थी उन्हें अमीर वर्ग में ले लिया गया था। इन अफगान अमीरों की सरया बहुत कम थी।

अमीर वर्ग में हिन्दुस्तानी व भारतीय मुसलमान भी थे। भारतीय मुसलमान वे थे जो विदेशों से आकर यहाँ बस चुके थे तथा उनकी दूसरी तथा तीसरी पीढ़ी इस समय जीवित थी। वरह के समय जो काफी पहले यहाँ बस गये थे और जिन्होंने इसी देश को अपनी मातृभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया था वे इस श्रेणी में थे। वे स्वयं को भारतीय मानते थे तथा तूरानियों और ईरानियों के साथ उनकी कोई सद्भावना नहीं थी। इनकी सहायता मुगल अमीर वर्ग में 12 से अधिक नहीं थी।

इसी वर्ग के अन्तर्गत राजपूत अमीर भी आते थे। यह वर्ग जमींदार अथवा राजा के नाम से विख्यात था। अकबर ने ऐसे लोगों को अपना अमीर बनाकर इन्हें मनसब दिये। जिन राज्यों अथवा भूमि पर इनका अधिकार था उनको वतन-जागीर मान कर इन्हीं के पास रहने दिया और मुगल अमीर के रूप में इन्हें नयी जागीरें प्रदान की गईं। 1658-78 ई० में ऐसे अमीरों की संख्या 68 थी जबकि उच्च अधिकारियों की कुल संख्या 486 थी।

समकालीन लेखक अहमद खान ने जो मुगल अमीर वर्ग की मिश्रित प्रकृति का वर्णन किया है वह अधिक उचित और तर्क-संगत प्रतीत होता है। उसने लिखा है, "अरब, ईरानी, तुर्क, ताजिक, कुर्द, लारी, तातार, रूमी, हब्शी, फार्सियाई इत्यादि विभिन्न जातियां तथा रूम (तुर्की) मिस्र, सीरिया, ईराक, अरब, फारस, गिलान, मजदरान, खुरासन, सीस्तान, ट्रान्सऑक्सियान, खवारिज्म, किपचक की मरुभूमि, तुर्किस्तान, गरीजिस्तान, बुखारेस्तान, जैसे देशों के विभिन्न वर्गों एवं प्रत्येक जाति के लोगों ने शाही दरबार में शरण ली है तथा हिन्दुस्तानियों के विभिन्न वर्गों के विद्वान एवं कुशल सैनिकों, उदाहरणार्थ, बुखारी, ... शेरजादे ... अफगान कबीले जैसे लोदी, रोहिल आदि तथा राजपूतों के कुल ... और हिन्दुस्तान के अन्य लोग अहदी पदों पर आसीन हैं ... तथा कर्नाटक, घासाम, बगाल ... आदि प्रदेशों से उनके सम्पूर्ण समूह एवं वर्गों ने शाही दरबार की चौखट चूमने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लिया है।"<sup>1</sup>

मुगल अमीरों का ये वर्ग जिसमें इतने विभिन्न तत्व थे और उतने ही विभिन्न स्वार्थ, उनसे यह आशा करना कि वे एक सुसंगठित वर्ग के रूप में संगठित हो सकेंगे केवल दुराशा मात्र थी। इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे का विरोधी सहज ही में बनाया जा सकता था। उनके साधारण रूप से दो ही उद्देश्य थे—प्रथम व्यक्तिगत उन्नति तथा राज्य की सेवा के प्रति उनका दायित्व।<sup>2</sup> ऐसी स्थिति में उनसे यह आशा करना कि राज्य के सेवक के रूप में वे अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से निभायेंगे सम्भव नहीं था क्योंकि सर्व ही उनके व्यक्तिगत स्वार्थ उनके इस कर्तव्यपालन में बाधक थे, जब तक कि शासक शक्तिशाली न हो।

इनमें से सबसे अधिक दुर्जेय तैमूरी वंश से सम्बन्धित व्यक्ति थे जो हुमायूँ और अकबर के साथ भारत आ गये थे। इनमें से प्रत्येक स्वयं को सम्राट के समान ही सम्मानित समझता था तथा प्रभुसत्ता में साभेदार मानता था। साधारणतया ये

1. अली, एम. अतहर द्वारा गुलदस्ता, अलोगड, सर मुलेमान सग्रहसे उद्धरत पृष्ठ 201.
2. खोसला; भारत. पी—मुगल किंगडम एन्ड नोबिल्टी पृष्ठ 228.

मिर्जा कहलाते थे और वंश-परम्परा की महत्ता के कारण इनको अव्यक्त काल में ही अमीर वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता था। मुहम्मद हुसैन मिर्जा, इब्राहीम मिर्जा अकबर के समय के ऐसे अमीरों के उदाहरण हैं।<sup>1</sup> एक शक्तिशाली बेन्द्रिय शासन इनकी इच्छामुक्त के विरुद्ध था और ये शासक की शक्ति केवल दिल्ली अथवा उसके आस-पास के प्रदेशों तक सीमित रखने के समर्थक थे जिससे कि वे अपनी-अपनी जागीरों में तानाशाह के समान शासन कर सकें। ऐसी स्थिति में सामन्तवादी प्रथा उनके लिये अत्यन्त अचिन्तनी थी। शासक को इसलिए सदैव ही एक ऐसे अभिजात वर्ग के साथ संघर्ष-रत रहना पड़ता था जो अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए कटिबद्ध थे। इन विरोधी विचारधाराओं के बीच सम्राट व उसके अभिजात वर्ग में किसी प्रकार का स्थायी समझौता सम्भव ही नहीं था। समस्त मुगल काल इस संघर्ष का एक उदाहरण था।

मुगल अमीर वर्ग की सस्या के अकबर हमें चंगेज खान के राजनैतिक संगठन में मिलते हैं। चंगेज खान ने पूर्व के विरोध में सभी जातियों की शक्ति अपने हाथ में ले ली और सबको अपनी आज्ञानुसार चलाया। अमीर वर्ग के संगठन की विशेषता थी कि वे उसके तथा प्रजावर्ग के बीच मध्यस्थता का कार्य करें। उन्हें प्रदत्त क्षेत्रों से कर वसूल करने का अधिकार दिया गया था परन्तु समय-समय पर उनका स्थानान्तरण किया जाता था। अमीर तीमूर ने भी चंगेज की अभिजातवर्गीय सस्या बनाये रखी परन्तु उसने इस श्रेणी में अन्य जाति के लोगों को भी लेना प्रारम्भ कर दिया जिसमें तुर्क मुख्य थे। बाबर ने तूरानियों, मिर्जाओं, मंगोलों, उजबकों, इरानियों और यहाँ तक की अफगानों, को भी अभिजात वर्ग में सम्मिलित किया। विभिन्न जाति के लोगों को लेने पर भी बाबर ने उनसे अपनी आज्ञाओं का सदैव पालन करवाया। बाबर जब भारत आया तो वह अपने साथ चंगेज खानों के बीच उत्पन्न सामन्तवर्गीय सस्या भी लाया। बाबर का प्रारम्भिक जीवन संघर्षमय था और अमीरों की सहायता से ही उसने सफलता प्राप्त की थी इसलिए अमीर वर्ग का शासन में प्रभावशाली होना स्वाभाविक था। महत्वपूर्ण नीति के निर्धारण में उनकी सम्मति ली जाती थी और सेना तथा राज्य में उन्हें ऊँचे पदों पर नियुक्त किया जाता था। हुमायूँ को अपने को वार उनको बातों को मानने के लिये बाध्य होना पड़ा था। 1538 ई. में हुमायूँ की कठिनाइयों का लाभ उठाकर अमीरों ने अधिक अधिकार प्राप्त कर लिये थे और अपनी सैनिक सस्या, जागीर और भत्ते में बढोत्तरी प्राप्त कर ली थी। हुमायूँ के सम्पूर्ण राज्य में अमीर वर्ग शक्तिशाली व प्रभावशाली रहा।

अकबर के समय तक अभिजात वर्ग केवल इस्लाम धर्मावलम्बी ही थे जिनमें

1. वही, पृष्ठ 230.

तुर्क, मगोल, ईरानी आदि प्रमुख थे। अकबर ने अपने उच्च आदर्श और समकालीन परिस्थिति के आधार पर भमीर वर्ग के द्वार दूसरे घम वालों के लिये भी खोल दिये। हिन्दू और भारतीय मुसलमान इस नीति के आधार पर भमीर वर्ग में सम्मिलित करे जाने लगे। 1562 ई में आमेर के कछवाहा राजवंश के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करने के बाद कछवाहा राजा भारतल के पुत्र और पौत्र क्रमशः भगवानदास और मानसिंह को भमीर वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया। राजपूतों के प्रतिरिक्त टोडरमल, बीरबल, पुरपोत्तम को भी उच्च पदों पर नियुक्त कर भमीर वर्ग का सदस्य बना दिया गया। यह सबर्था एक नवीन और श्रातिकारी नीति थी जिसका आधार व्यक्ति की योग्यता थी। धर्म की कसौटी अब गौण हो गई और योग्यता ही चुनाव का आधार माना जाने लगा। इसी कारण दरबार में ऐसे लोगों का प्रवेश सम्भव हो सका जो प्रतिभामय, कर्मठ व मेधावी थे। टोडरमल, तानसेन, फौजी आदि ऐसे ही लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर ही सामान्य परिवारों से उत्पन्न होने के बाद भी उन्नति की और भमीर वर्ग के सबल और प्रतिष्ठित सदस्य बन गये।

इस नीति के आधार पर किसी एक विशेष जाति के भमीर अत्यधिक शक्ति शाली नहीं बन सके। ऐसा अनुभव होता है कि अकबर इन समस्त जातियों को मुगल भमीर वर्ग में लाकर उनका समाकलन करना चाहता था। प्रायः वह विभिन्न वर्गों के भमीरों को एक श्रातिकारी के अन्तर्गत नियुक्त कर देता था लेकिन इसके साथ ही प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत उत्तम प्रथक प्रकृति का आदर करता था। प्रशासन ही विनियमित किया करता था कि किस अनुपात में अमुक भमीर अपनी ही जाति अथवा कुल के लोगों को भर्ती कर सकेगा।

अकबर-युगीन भमीर वर्ग वशानुगत न होकर शासक द्वारा निर्मित था। इसलिये इसे निर्मित भमीर वर्ग कहते हैं। वशानुगत भमीर वर्ग का यह लाभ था कि यह राज्य का एक शक्तिशाली वर्ग होने के ताते सकट काल में शासक की सहायता करने में समर्थ था परन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि यह वर्ग अपने अधिकारों के लिये सतत जागरूक रहता था। ऐसी स्थिति में यदि शासन इनकी शक्ति का दमन करने का प्रयत्न करता तो वे उसका शक्ति से विरोध करने में भी नहीं चूकते थे। इसके विरोध में क्योंकि निर्मित भमीर वर्ग का आधार जन्म न होकर योग्यता थी इसलिये इसके सदस्य अधिक कर्मठ और कुशल व्यक्ति थे। इनके संगठित होने पर भी शासक को पहले वे समान ही सकट उत्पन्न हो सकता था। परन्तु इनमें पाग्लिपरिक द्वेष और मतभेद इतना अधिक था कि इनमें संगठन अथवा एकता होना सम्भव ही नहीं था। अतः निर्मित भमीर वर्ग अकबर की सूभ की एक लाभदायक देन थी।

अकबर के शासनकाल में दो प्रकार के भमीर थे। एक तो वे जो राज दरबार

में शासक के साथ रहते थे (तैनात-ए-नकाव) और जो शासक के साथ मूवो का भ्रमण करते थे और दूसरे वे जो सूबेदार या दीवान के रूप में प्रान्तों में रहते थे या सेना-नायक होकर युद्ध-स्थलों में जाते थे (तैनात ए-भूवाजात)। परन्तु ये दोनों प्रकार के अमीर स्थायी रूप से अलग-अलग नहीं थे। दोनों को दोनों ही प्रकार के काम—प्रशासकीय व सैनिक—करने पड़ते थे। इस प्रकार वहाँ विविधता में एकता थी, और विविधता में तनाव उत्पन्न करने की क्षमता थी।

जहाँगीर के राज्यकाल में भी अभिजात्य वर्ग का संगठन इसी प्रकार से बना रहा और जैसे-जैसे राज्य का प्रसार दक्षिण भारत तक होने लगा वैसे ही वैसे बिजापुरी हैदराबादी लोगों को भी अभिजात्य वर्ग में स्थान मिलने लगा। जहाँगीर के समय में अकबर के राज्यकाल के समान ही विदेशों से आने वाले अमीरों की संख्या में कमी होने लगी। मम्मूत इसका एक कारण यह हो सकता है कि जहाँगीर तुरानियों से प्रसन्न नहीं था। शाहजहाँ के शासन काल में भी विदेशी अमीरों की संख्या लगातार कम होती चली गई। दोनों के ही शासनकाल में राजपूत अमीरों की संख्या में वृद्धि हुई। शाहजहाँ के राज्य के मनसबदारों की मालिकाना जो सूची दी है उसमें 1000 जात व उसके ऊपर के 437 अमीरों में से 82 अमीर राजपूत थे। कोई भी राजपूत उसके सम्पूर्ण राज्यकाल में 7,000 का मनसब प्राप्त न कर सका था। शाहजहाँ के प्रारम्भिक वर्षों में जब सम्राट अहमदनगर राज्य को समाप्त करने के लिए दक्षिण की ओर गया तो उसने अमीरों के वर्ग में मराठा को और अधिक स्थान देने प्रारम्भ किये। यद्यपि इस प्रकार की नीति शाहजहाँ की इच्छा के अनुकूल नहीं थी परन्तु राजनैतिक परिस्थितियों ने इस प्रकार से उग्र रूप धारण कर लिया था कि उसके सम्मुख कोई विकल्प ही नहीं था। उसके समय में मराठा अमीर वर्ग के मुख्य रूप से 1<sup>1</sup> सदस्य जिनमें 5000 हजार से ऊपर के मनसबदार 3,3000 से 4500 के बीच 6 व 1000 से 2700 के बीच 4 थे। शाहजहाँ की इस नीति का अत्यधिक प्रसार औरगजेब के समय में हुआ जत्रकि परिस्थितियों के दबाव के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध भी उसे मराठों को सेवा में लेने के लिए तथा उन्हें अमीर वर्ग में सम्मिलित करने के लिये पूर्ण रूप से द्वार खोलने पड़े। इस प्रकार राजपूत और मराठे अमीर वर्ग के सम्मानित अंग हो गये।

औरगजेब के समय में अभिजात्य वर्ग का संगठन—औरगजेब के समय में 1000 और उससे ऊपर के मनसबदार ही अभिजात्य वर्ग अथवा अमीर की संज्ञा से सम्बोधित किये जाते थे। पूर्व के शासकों की तरह यह आवश्यक नहीं था कि योग्यता के निर्धारित मापदण्ड के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अमीर बनाया जावे। इनकी नियुक्ति के समय सबसे अधिक बल बग की कुलीनता पर दिया जाता था और इसी आधार पर खानजादे या मनसबदारों के वंशज इसके सबसे अधिक अधिक

कागी थे। इसलिये धीरगजेव के धमीर वर्ग में खानजादों की सन्ध्या घाथे से कुछ कम ही थी। 1658-78 ई के बीच कुल 486 एक हजारों या उससे ऊँचे मनसबदारों में खानजादों आदि की सन्ध्या 213 थी और 1669-1707 के बीच 575 में से 272 धमीर इसी वर्ग के थे। इनके धार्मिक अधिकतर धमीर के थे जो सामान्य भयवा जमींदार थे और जिनका कोई भी सम्बन्ध उम वर्ग से नहीं था जो मनसबदार थे। इन जमींदारों की पैतृ सम्पत्ती इन्हीं के पास रहने दी जिसे 'घतन जागीर' की सजा दी गई और सरकारी अधिकारी होने के नाते इन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में जागीरें प्रदान की गयीं। धीरगजेव के अन्तिम तीस वर्षों में 575 मनसबदारों में इनकी संख्या 81 व लगभग थी। अन्य राज्यों के धमीर भयवा विदेशों से आने वाले लोगों को भी उनके अनुभव, स्तर, प्रभाव तथा उनके अधिार में होने वाली सैनिक दुर्कियों के आधार पर धर्मजात्य वर्ग भयवा धमीर वर्ग का सदस्य बनाया जाता था जैसे बखरा के हुसैन पाशा के भारत में आने पर किया गया था। धीरगजेव के अन्तिम तीस वर्षों में इनकी संख्या 575 में से 13 थी। इनके धार्मिक धमीर वर्ग में शि.स.वि.दे, विद्वानों तथा धार्मिक व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाता था जैसे धीरगजेव ने मुन्गी बाबिल तौ तथा इनायत उल्लाह तौ को धमीर बनाया था।

पूर्ववर्ती शासकों के अनुसार धीरगजेव के समय में भी कुछ विशेष मान्यता-प्राप्त जातीय वर्ग थे। उनमें उजबग, ईरानी, तूरानी, अफगान, राजपूत, दक्षिणी आदि भी थे। तूरानी शब्द का प्रयोग उन समस्त लोगों के लिय किया जाता है जो मध्य एशिया के ऐसे प्रदेशों से आते थे जहाँ तुर्की भाषा बोली जाती थी। शायद कदाचित् स्वयं तूरानी या इसलिये मायारणुनवा ये सोचा जाता है कि धीरगजेव के समय में तूरानियों का गुट शक्तिशाली रहा होगा परन्तु ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसके शासन के धार्मिक बीस वर्षों में 1600 और उसके ऊपर के 486 मनसबदारों में से केवल 67 तूरानी थे और अन्तिम तीस वर्षों में 575 मनसबदारों में से केवल 72 तूरानी थे। इनकी अपेक्षा ईरानियों की संख्या इन दो विभिन्न कालों में 138 व 126 थी।

राज्यकाल के धार्मिक वर्षों में धीरगजेव अफगान धमीरों की संख्या को बढ़ाने के प्रति मर्तक था परन्तु उत्तरकालीन वर्षों में अफगान धमीरों की संख्या में कुछ हुई और सम्भवतः ये इसलिये हुई कि वे अफगान जो पहले बीजापुर राज्य के सबक थे वे शाही सेवा में भर्ती कर लिये गये थे। 1658-78 के बीच केवल 3 अफगान 5000 या इससे ऊँचे मनसब के अधिकारी थे परन्तु 1679-1707 के बीच इनकी संख्या 90 हो गयी। अफगान धर्मार्थों की संख्या बढ़ने से धमीर वर्ग की आन्तरिक संसक्ति शक्तिहीन हो गयी और वह साम्राज्य के लिय उपयोगी सिद्ध नहीं हुई।

धीरगजेव ने अपने राज्यकाल के प्रथम वर्षों में राजपूतों को धर्मजात्य वर्ग में उच्च मनसब देने में सहृदयता दिखाई। स हजहाँ के सम्पूर्ण शासनकाल में एक भी

राजपूत 7000 का मनसबदार नहीं था परन्तु औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह व जसबन्तसिंह के मनसबों में वृद्धि कर 7000 जात व 7000 सवार का मनसब प्रदान किया। जहाँगीर व शाहजहाँ के शासनकाल में किसी भी राजपूत भ्रमीर को कोई भी महत्वपूर्ण प्रान्त नहीं सौंपा गया था परन्तु औरंगजेब ने 1665 ई में जयसिंह को दक्षिण का वायसराय नियुक्त किया। जसबन्तसिंह को भी दो बार गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। बनियर ने लिखा है कि, "यद्यपि महान् मुगल एक मुमनमान शासक है, और इस प्रकार हिन्दुओं का शत्रु है परन्तु फिर भी वह सदैव राजाओं को अधिक सस्या में अपनी सेवा में रखता है तथा उन लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा दूसरे भ्रमीरों के साथ, तथा अपनी सेनाओं में महत्वपूर्ण कमानों पर उनकी नियुक्ति करता है।"<sup>1</sup> औरंगजेब के प्रथम दशक के अन्त से पूर्व, राजपूत अभिजात्य वर्ग की पदोन्नति करते समय समय रखना शाही नीति बन गई थी जिसका प्रथम उदाहरण औरंगजेब द्वारा मारवाड़ के उत्तराधिकारी के प्रश्न को हल करते समय दिखाई देता है। इस बदली हुई नीति के कारण जहाँ 1558-78 के बीच राजपूत अभिजात्य वर्ग की सस्या 14.6 प्रतिशत थी वह 1679-1707 के बीच घट कर केवल 12.6 प्रतिशत रह गयी।<sup>2</sup> प्रो एम आर शर्मा का यह निष्कर्ष अधिक मान्य दिखता है कि औरंगजेब ने नियमानुसार नये राजपूत भ्रमीरों को उनके पूर्वजों की तुलना में निम्न श्रेणी के मनसब दिये, यद्यपि यह मनसब उन्हें पुश्तनी जमीनों या बतान-जागीरों को ध्यान में रखते हुये ही दिये गये थे।<sup>3</sup> 1705 तक यह स्पष्ट हो गया कि औरंगजेब साधारणतया किसी राजपूत को गवर्नर और महातक कि फौजदार के पद पर भी नियुक्त करने का विरोधी था।

औरंगजेब के अभिजात्य वर्ग में हिन्दुओं का होना भी स्वाभाविक था क्योंकि अपनी सम्पूर्ण हिन्दू विरोधी नीति के बाद भी हिन्दुओं को निकालना अथवा अभिजात्य वर्ग से पूर्णतया पृथक करना सम्भव नहीं था। डा. एस. आर. शर्मा का मत है कि औरंगजेब के अन्तर्गत 1000 जात व उसके ऊपर के 160 हिन्दू मनसबदार थे। उनका मत है कि कुल मनसबदारों की सस्या दुगुनी हो जाने पर भी, हिन्दू भ्रमीरों की सस्या उतनी ही बनी रही जितनी कि वह शाहजहाँ के राज्यकाल में थी। डॉ. अतहर अली इसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार डॉ. शर्मा की सूची अपूर्ण आँकड़ों पर आधारित है तथा जवाबित-ए-मालमगोरी के गलत पठन के कारण है जिसमें मनसबदारों, अहदियों, तोपचियों आदि की कुल सस्या केवल भ्रमीरों

1 बनियर, पृष्ठ 40

2 अली, एम. अतहर.—औरंगजेब-कालीन मुगल भ्रमीर वर्ग, पृष्ठ, 40

3 शर्मा एस. आर.—रिलीजस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्प्राई, पृष्ठ 134

के लिये ही प्रयोग की गई है।<sup>2</sup> डॉ. प्रतहर शर्मा के अनुसार औरंगजेब ने अन्तिम तीस वर्षों में शाही सेवा में हिन्दू अमीरों की संख्या का अनुपात शाहजहाँ या उनसे पूर्व किसी भी काल की अपेक्षा अधिक था। इसका कारण यह हो सकता है कि इस काल में अमीर वर्ग में मराठों की संख्या राजपूतों से भी अधिक हो गई थी अतः इनके प्रवेश के कारण हिन्दुओं की संख्या में वृद्धि हो गई थी। उनकी भर्ती धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर नहीं हुई थी अतः दक्षिण की उलझी हुई परिस्थिति को सुलझाने का एक मात्र राजनैतिक हल यही था कि मराठों को शाही सेवा में लिया जाये। उन्हें अमिजात्य वर्ग का अंग बनाये जाये जिससे कि वे दक्षिण की स्थिति सुधारने में सहयोग दें। वास्तविकता यह है कि दक्षिण में उलझने के पहले औरंगजेब ने हिन्दू अमीरों की सरया घटान की चेष्टा की परन्तु अन्त में अपनी दोनता व असहाय स्थिति से ऊब कर मराठों को अमीर वर्ग में सम्मिलित करने की नीति अपनाई।

औरंगजेब के अमिजात्य वर्ग में भारतीय मुसलमान, दक्षिणी व मराठे भी थे। भारतीय मुसलमान साधारण सेलजादे कहे जाते थे। 1671-1707 के बीच 5000 से ऊपर के अमीरों में इनकी संख्या केवल 10 थी। दक्षिणी उन सभी अमीरों को समझा जाता था जो मुगल सेवा में आने के पूर्व बीजापुर या गोलकुण्डा की सेवा में थे। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रथम बीस वर्षों में अमिजात्य वर्ग में दक्षिणियों का अनुपात अधिक नहीं था। वे न केवल संख्या में ही कम थे वरन् उन्हें अमीरों की नीचली श्रेणी में समझा जाता था। 1680 ई. के बाद जब औरंगजेब दक्षिण गया और उसने एक ऐसी नीति का अनुसरण किया जिसके कारण सम्पूर्ण दक्षिण का विलयीकरण हो गया तो स्थिति बिलकुल बदल गयी और औरंगजेब ने इस बदली हुई स्थिति में दक्षिणी अमीरों को मुगल अमीरों का पद देने की नीति अपनाई। बीजापुरी, हैदराबादी अमीरों को शाही सेवा में लाने के लिये या तो उन्हें भेंट देकर मनाया गया अथवा अपने गठों को समर्पित करने के लिये तत्पर किया गया। इसके बाद भी जब औरंगजेब मराठों के विरुद्ध सैनिक अभियानों में असफल रहा तो दक्षिणियों को पद देने की नीति अपनाई गई जिसके कारण मुगल अमिजात्य वर्ग की प्रतिष्ठा एवं उसका स्वरूप ही पूर्णतया घुँघला हो गया।

मराठा शक्ति का उत्कर्ष मूल रूप से शिवाजी के समय में हुआ और जिसका परिणाम स्वतन्त्र मराठा राज्य के रूप में हुआ। मराठों के बढ़ते हुये महत्व को देख कर एक और तो औरंगजेब ने यह प्रयास किया कि उनकी सैनिक शक्ति को सैनिक शक्ति के द्वारा ही समाप्त कर दिया जाये तथा इनकी और दूसरी अमकनना ने उसे

1. अमीर, एम. प्रतहर — औरंगजेब-कालीन मुगल अमीर वर्ग पृष्ठ 46.



उन्हें अपने अभिजात्य वर्ग में सम्मिलित करने के लिये प्रेरित किया। परन्तु 5000/5000 का मनसब प्रदान करके भी शिवाजी को अपने भभीर वर्ग की ओर आकृषित नहीं कर पाया। उसके जीवन के अन्तिम वर्षों में, शिवाजी का पौत्र, साहू 7000/7000 का मनसबदार था, और इस प्रकार उसकी गणना यद्यपि प्रतीक रूप से ही सही, साम्राज्य के सर्वोच्च अमीरों में थी तथापि मराठों सरदारों को मनसब प्रदान कर अपने पक्ष में करने की चेष्टा अन्त में असफल सिद्ध हुई, क्योंकि कुछ मराठा सरदार तो अमीर बना लिये गये किन्तु अनेकों मराठा सरदारों ने औरगजेब का विरोध करना ही मराठा जाति के लिये हितकर समझा और अमीर वर्ग के प्रलोभन में न आकर ये महाराष्ट्र में नये नये दुर्गों का निर्माण कर औरगजेब के विरोधी रहे। परिणामस्वरूप औरगजेब के अन्तर्गत मराठा अमीर-वर्ग अपनी स्वामिभक्ति में अस्थिर रहा,<sup>1</sup> उनके सरदार मुगलों के पाम आते रहे और उन्हें छोड़कर निरन्तर जाते भी रहे। इस प्रकार राजपूतों के समान मराठा अभिजात्य वर्ग मुगल प्रशासक वर्ग में वास्तव में प्रभाव-शाली स्थान प्राप्त न कर सका।

### स्वरूप

इस्लाम सामाजिक और राजनैतिक समानता के सिद्धान्त को स्वीकार करता है और इसी आधार पर प्रनुसत्ता पर यशानुगत अथवा वर्ग-विशेष अथवा किसी विशिष्ट परिवार का एकाधिकार स्वीकार नहीं करता। हजरत मुहम्मद साहब के निदेशानुसार केवल योग्य ही मुस्लिम वर्ग पर शासन करने का एकमात्र अधिकारी है परन्तु ऐसी स्थिति में जब की योग्यता का कोई विशेष मापदण्ड न हो और न ही उसकी चुनने की कोई निश्चित विधि या व्यवस्था ही हो, ऐसी स्थिति में शक्ति ही शासन-प्राप्ति का एक मात्र आधार बन गई और शक्तिशाली ही शासन करने का एक मात्र अधिकारी रह गया। मध्ययुगीन शासकों को इस प्रकार अपनी इच्छानुसार शासन चलाने में कोई बाधा न रही। उसके आदेश ही कानून थे और उसकी शक्ति उन कानूनों को लागू करने की सहचरी थी। इस शक्ति को बनाये रखने के लिए सुदृढ़ और शक्तिशाली सेना की नितान्त आवश्यकता थी जो राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ शान्ति व्यवस्था की भी बनाये रखने। राज्य की इस आवश्यकता ने एक ऐसे सैनिक वर्ग को जन्म दिया जो अभिजात्य वर्ग के रूप में उभरा और जिसने उस शक्ति तथा सम्पदा का उपभोग किया जिस पर मुख्यतः शासक का ही एकाधिकार था।

अभिजात्य वर्ग अथवा अमीरों का उत्थान आकस्मिक था और इसमें वे सब परिस्थितियाँ निहित थीं जिनके कारण दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ था। मुहम्मद

1. अली, एम. अहमद — औरगजेब कालीन मुगल अमीर वर्ग, पृष्ठ 46.



इन दो विरोधी विचारधाराओं का वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने के लिये आवश्यक है कि हम यूरोप में प्रचलित ताल्लुकेदारी व्यवस्था के मूल गुणों का अध्ययन करें। आरम्भ में यह जान लेना अधिक हितकर होगा कि यूरोप के प्रत्येक देश में यह व्यवस्था दूसरे यूरोपीय देशों से भिन्न थी और इस आधार पर इसे किसी प्रकार की व्यवस्था अथवा पद्धति की सजा देना ही उचित नहीं है। परन्तु इसके बाद भी मोटे रूप से इन विभिन्न प्रचलित पद्धतियों में अनेको लक्षण समरूप थे जिनकी व्याख्या एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इस प्रकार से की है कि, "अपने यौवन काल में भी जागीरदारी प्रथा को मुख्यस्थित सभ्या की मजा नहीं दी जा सकती। अनेकों विषमतायें अथवा विभिन्नतायें सब और विद्यमान थीं और प्रत्येक जागीर में विभिन्न रीति रिवाज तथा विभिन्न मान्यतायें प्रचलित थीं। परन्तु इन विभिन्नताओं से होते हुए भी कुछ आधारभूत मान्यतायें, भिद्धान्त सब दूर समान थे। इनमें से प्रमुख आसामी और स्वामी (लार्ड) का सम्बन्ध, यह सिद्धान्त की भूमि का उपयोग करने वाला केवल आसामी अथवा किरायदार है न की स्वामी, कि वे परस्पर स्वाधीनता के सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे, इस धर्म वा प्रत्येक सदस्य, न्यूनतम से निम्नतम तक, सरक्षण और सेवा-कारिना के सिद्धान्त में अनुबन्धित होगा, स्वामी और आसामी के बीच सम्पर्क ही उनके अधिकारों को निश्चित अथवा निर्धारित करने की कसौटी होगी तथा यही सम्पर्क प्रचलित कानूनो में सुधार करने अथवा उनका रूप-भेद बदलने और नये कानूनो के निर्माण करने में निर्णायक होगा" मोटे रूप से ये यूरोप में प्रचलित जागीरदारी प्रथा के कुछ आधारभूत सिद्धान्त थे और तेरहवीं तथा चौदहवीं शताब्दी के भारत में इसके प्रतिरूप की जानकारी के लिये यह प्रथमतया आवश्यक होगा कि क्या इनमें से कुछ लक्षण भारतीय व्यवस्था में विद्यमान थे।

मोरलेण्ड ने बहुत पहले ही इस और सबेत् किया था कि सल्तनत कालीन इतिहासकारों ने जागीरदारी सस्थाओं के सम्बन्ध में बहुत ही द्विधात्मक परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जैसे 'विलायत' और 'वली'। विलायत के ही अनेका अर्थ हैं जैसे राज्य, का एक निश्चित भाग (प्रान्त), राज्य का एक अनिश्चित भाग (क्षेत्र), समुचित रूप से राज्य, एक वदेशी प्रदेश आदि। वली अथवा सर्वेनर कनल नोकर-शाही (bureaucratic) की स्थिति में था और शासक के नाम पर वह जिन भी प्रदेश का शासन संचालित करता था उसमें उसके अपने नीहित स्वार्थ विद्यमान थे।<sup>1</sup>

1 एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटानिका भाग 8 पृष्ठ 204-71

2 मोरलेण्ड, डबल्यू एच—द ऐथेरियन सिस्टम ऑफ मोस्लिम इंडिया, पृष्ठ 218



शासकीय ढाँच में सहायक की स्थिति में प्रतिरिक्त न तो 'मुक्ति' का किसी प्रदेश पर स्वामित्व था और न ही वो किसी प्रदेश में भूमिगत अधिकार रखता था। वह सुल्तान के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था और उस पद पर सुल्तान की सदा भावना तक ही रह सकता था।<sup>1</sup> किसी भी समय उसका स्थानान्तरण निलम्बित अथवा सेवा-मुक्त करना सुल्तान का अधिकार था और राज्य में किसी भी प्रदेश में उसको नियुक्त किया जा सकता था। उसकी स्थिति केवल प्रशासक के रूप में ही थी इससे और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि वह अपने भू-क्षेत्र का न केवल सर्वोच्च सैनिक अधिकारी था अपितु राजस्व एकत्रित करने, न्याय की समूचित व्यवस्था करने आवागमन के साधनों को बनाय रखने और अनेकों प्रकार के प्रशासकीय कार्यों का करने के लिये उत्तरदायी था। यहाँ तक की दुर्भिक्ष के समय उसे अन्न भी जुटाना पड़ता था। इससे यह स्पष्ट है कि सल्तनत कालीन भारत में यूरोपीय ताल्लुकदारों अथवा जागीरदारों के गुण भारतीय अभिजात्य वर्ग में विद्यमान नहीं थे।

इसके प्रतिरिक्त इक्तेदारों द्वारा जो सैनिक टुकड़ियाँ रखी जाती थीं उनका वतन का भुगतान राज्य से किया जाता था और इस आधार पर वे राज के सबक था यद्यपि सैनिकों की टुकड़ियों को सभालने का पद्धति को अनेक बार सल्तनत काल में दोहराया गया परन्तु शासकीय व रक्षात्मक दृष्टि से मुक्ति ही सुल्तान का नायक अथवा प्रतिनिधि के रूप में सनाया नृत्य करता था। सैनिकों से यह आज्ञा की जाती थी कि वे मुक्ति की अपेक्षा सुल्तान के प्रति स्वामीभक्त रहें। हमारे काल में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब कि सैनिकों ने विद्रोही मुक्तियों के साथ सहयोग न करके सुल्तान के स्वार्थों को सुरक्षित रखा तथा अनेकों बार विद्रोहों मुक्तियों का घब भी कर दिया। अलाउद्दीन के समय में अमरोहा के सैनिकों ने दिल्ली में हाजीमीला के विद्रोह का दबाया। इसी प्रकार ही मुहम्मद तुगलक के समय में अनेकों विद्रोह इन सैनिकों का सतकता तथा स्वामीभक्ति के कारण आरम्भ में ही दबा दिए गए। फोराज तुगलक के समय में गुजरात के बली शमसुद्दीन ने सुल्तान विरोधी विद्रोह को दबाने के लिए बही के स्थानीय सैनिक ही उत्तरदायी थे।<sup>2</sup>

इसके प्रतिरिक्त स्थानीय शासन को चलाने के लिये राजस्व में से एक का अधिकार मुक्ति को इच्छानुसार सम्भव नहीं था। वह अनेकों समस्त घायल व रक्त का सना रखता था जो कि निर्विवाद रूप से राज्य के अधिकारियों द्वारा रखा जाता था।

1 बर्नी तारीख—ए कीरोबनाही पृष्ठ 401

2 निपाठी, भारत की—सम आस्पस्टम पॉर मुस्लिम रून इन इंडिया पृष्ठ 245-46

घोरीर दोषी मुक्तिपत्रों को बंदीर दण्ड दिया जाता था। मुक्ति मुल्तान की अनुमति के बिना न तो कोई नया कर लागू कर सकता था और न ही उसे घमूल करने का अधिकार रखना था। राजस्व में से यह एक टका भी बिना राजस्व-मंत्रि की अनुमति के न निर्धारित मदों पर खर्च नहीं कर सकता था। राजस्व में से एक निश्चित धन-राशि उसे वेतन तथा भत्ते के रूप में मिलती थी और उसके अनिश्चित उमका राजस्व पर कोई अधिकार नहीं था।

इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुक्ति नीवरणाही व्यवस्था के केवल एक घग भाग थे। वे मुल्तान के द्वारा नियुक्त किये जाते थे तथा वही उनका स्थानान्तरण, पदच्युत करने तथा उनकी दण्डित करने का एवमात्र अधिकारी था तथा वे राजस्व विभाग के कठोर नियन्त्रण में रहते थे। य समस्त लक्षण यूरोप की जागीरदारी व्यवस्था के किसी प्रकार से भी घग नहीं थे।

इस प्रकार से इन दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस स्थिति में हैं कि उनमें समानताओं व विभिन्नताओं को जानकर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों व्यवस्थाएँ किनी सीमा तक एक दूसरे के समान्तरण थीं अथवा एक दूसरे के समरूप थीं।

पृथमत यूरोप में जागीरदारी प्रथा का जन्म शासक की शक्तिहीनता का परिणाम था परन्तु भारत में तुर्की अभिजात्य वर्ग की उत्थित भूतः मुल्तान के शक्तिशाली होने के कारण हुई। परिस्थितियों-वश यूरोप व शासकों व बाध्य होकर प्रती शक्ति की अभिजात्य वर्ग के माथ विभाजित कर उमका उपयोग करना हिनकर समभा परन्तु भारत में तुर्की मुल्तानों ने राज्य और शासन के आधार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये अभिजात्य वर्ग का निर्माण किया। इस वर्ग के निर्माण के पश्चात् भी मुल्तान उत्साहपूर्वक अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये सतक रहे और अभिजात्य वर्ग के प्रभुसत्ता में भागीदारी के प्रत्येक प्रयत्न को असफल कर दिया। यदि इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित तुर्की राज्य अधिक समय तक जीवित रहता तो यह समावना हो सकती थी कि अभिजात्य वर्ग को दी गई भूमध्य (mansor) शक्ति स्थायी अधिकारों में परिवर्तित हो जाती, परन्तु इल्तुतमिश का राज्य स्थापित परिवर्तियों अथवा माध्यांगुठन की इच्छा की प्रेरणा शक्ति पर आधारित था और केवल शक्ति के आधार पर ही इसे बनाये रखना सम्भव थी था परन्तु इनका धार्मिक संगठन इस प्रकार का था कि शक्ति द्वारा बनाये रखना सम्भव नहीं था और इसीलिये इसका पतन हुआ।

इसके अतिरिक्त धनेको क्षेत्रों में तुर्क कालीन पद्धति अथवा प्रतिरूप यूरोपीय पद्धति से भिन्न थी। तुर्की पद्धति में व सब विशेषाधिकार न थे जिनका उपयोग यूरोपीय जागीरदार करते चते प्राये थे। अथ, दूधेश अथवा नकशाने रखने

की अनुमति जिन्हें हम विशेषाधिकार अथवा मरातिब कह सकते हैं वास्तव में विशेषाधिकार न थे क्योंकि इनसे इनके धारण करने वाले को कोई आर्थिक लाभ न था। इसके अतिरिक्त ये मरातिब उनकी कुशल सेवाओं की स्वीकृति में दिया गया सम्मान था। एक प्रकार से ये राज्य के द्वारा प्रदान किये गये अधिकार थे जबकि यूरोपीय पद्धति में इस प्रकार की सुविधायें राज्य के विरुद्ध प्राप्त की गई थीं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय पद्धति में जागीरदारों अथवा ताल्लुकदारों को दी गई ये सुविधायें उनके भूमि प्राप्ति पर आधारित थी और इसलिये स्थानीय थी जबकि सल्तनत कालीन व्यवस्था में इन सुविधाओं का आधार राज्य पद की प्राप्ति थी और इसलिये अमीरों के स्थानान्तरण तथा पदोन्नति का उनकी विशेष सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तुर्की अमीर वर्ग को दी गई विशेष सुविधायें का उनका दिये गये 'इक्ता' से कोई सम्बन्ध नहीं था।

इस प्रकार इस विवेचन के पश्चात् हम इन परिणाम पर पहुँचने हैं कि तुर्क-कालीन अभिजात्य वर्ग का स्वरूप प्रमुखतः नौकरशाही था। इसमें कुछ समानतायें यूरोपीय जागीरदारी की भी थी परन्तु ये काफी बदले हुये रूप को लिये हुई थी। यह भेद सम्भवतः इसलिये था कि 13 वीं व 14 वीं शताब्दी का भारत समकालीन यूरोप से काफी भिन्न था। इसके अतिरिक्त तुर्की अभिजात्य वर्ग अमीर अपनी शैशव अवस्था में ही था तथा भारत में उसकी पृष्ठ-भूमि नाम मात्र की थी। तुर्क शासक जो मध्य एशिया की विशेषकर मिथ्र की नौकरशाही में अधिक परिचित थे वे साधारण स्थिति में अपने स्वार्थ की रक्षा-हेतु उसी व्यवस्था को भारत में लागू करने के अतिरिक्त और कुछ करने में असमर्थ थे। वाग्म्यार वश और राजनैतिक परिवर्तनों के कारण ये सत्या अपनी परिपक्वता को प्राप्त न कर सकी। इस तरह से तुर्ककालीन अमीर वर्ग का स्वरूप जागीरदारी की अपेक्षा नौकरशाही पर अधिक आधारित था। मुगल कालीन अभिजात्य वर्ग का संगठन —

मुगल-अमीर-वर्ग मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। मनसब (पद, स्थान, श्रेणी) शब्द किसी पद पर आसीन व्यक्ति के स्थान का सूचक था। वह उसके प्राप्त-वर्ता के स्तर को ही नहीं अपितु उसके वेतन को भी निश्चित करता था तथा इस तथ्य का द्योतक था कि अमुक अधिकारी (मनसबदार) कितने मैनिको, घोड़ों व साज-सज्जा के साथ राज्य की सेवा में तत्पर रहेगा।

मुगलों के पहले भी तुर्की सेनाओं में घुडसवारों का संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित था। जिसका एक आधार यह था कि निम्न श्रेणी के अधिकारी उच्च श्रेणी के अधिकारियों के अधीन रहें तथा उनके द्वारा रखी गई सैनिक टुकड़ियाँ उच्च श्रेणी के अधिकारियों की सैनिक टुकड़ियों का अंग बनी रहें। सम्भवतः बाबर और हुमायूँ के समय में इसी प्रकार से व्यवस्था बनी रही परन्तु अकबर ने अभिजात्य

वर्ग (अमीर वर्ग) को जिस मनसबदारी प्रथा पर व्यवस्थित किया वह पहले की प्रणाली से भिन्न थी। इस प्रथा में प्रत्येक मनसबदार चाहे वह न्यूनतम अथवा अधिकतम सवारों की भी नहीं संचालित करता हो शासक के अधीन था। अमीरों तथा मनसबदारों में भेद होते हुए भी राज्य के सैनिक संगठन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इनके प्रतिरिक्त मुगल मनसब 'जात' (निजी) व 'सवार' पदों पर आधारित था। अकबर के राज्यपाल के अन्तिम वर्षों से ही जात की संख्या वृद्धि संख्या बढ़ चुकी थी जो वेतन अधिकारी वर्ग में मनसबदार के स्थान को निश्चित करती थी तथा उसे मिलने वाले वेतन को बताती थी। इसलिये सवार पद आरम्भ हुआ जो कि अमीर अथवा मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों व घुड़सवारों की संख्या को बताता था और जो जात पद के या तो बराबर हुआ करता था या उससे कम। अमीरों का पदानुक्रम निश्चित करने की व्यवस्था के ये आधारभूत तत्व सत्रहवीं शताब्दी तक बने रहे किन्तु समय के साथ ही-साथ उनमें कुछ नये तत्वों का भी समावेश हो गया। जहांगीर के समय में दो अस्था और-सी-अस्था के पद मिलते हैं। शाहजहाँ के समय नये मासिक वेतनमान तथा विभिन्न सवार मनसबों के अन्तर्गत सैनिक टुकड़ियों का आधार निर्धारित करने के नियम बनाये गए। औरंगज़ब के समय में इसी प्रकार प्रतिबन्धित (मशहूर) मनसब की जानकारी मिलती है।

अकबर ने अमीर वर्ग के संगठन का व्यवस्थित रूप में मनसबदारी प्रथा पर आधारित किया। राज्य के प्रत्येक अधिकारी के पास किसी न किसी प्रकार का मनसब था। पलत मुगल सामन्त वर्ग इन्हीं मनसबदारों से संगठित हुआ। सभी कुलीन मनसबदार थे किन्तु सभी मनसबदार कुलीन नहीं थे। इसलिये यदि मनसबदारी प्रथा को अमीर वर्ग का आधार माना जावे तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। प्रत्येक मुगल अमीर का सैनिक होना अनिवार्य था और केवल सदर काजी को ही इस सैनिक सेवा से मुक्ति दी गई थी। यह कहना अधिक उचित होगा कि मुगल काल में अमीर वर्ग और मनसबदार प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द थे। बदायूनी स्वयं 20 घुड़सवार का मनसबदार था अतः वह 10 घुड़सवार के मनसबदार को भी अमीर की उपाधि देता है।

मनसबदार का साधारण अर्थ पद, प्रतिष्ठा अथवा नीकरी है। इरविन के अनुसार इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर उनके वेतन को निश्चित करना था। प्रत्येक श्रेणी के मनसबदार को अपने पद के अनुसार घोड़े, हाथी, सैनिक आदि रखने पड़ते थे और उसे एक निश्चित वेतन मिलता था। ये वेतन या तो नगदी के रूप में राजकोष से दिया जाता था अथवा जागीर के रूप में और जागीर में प्राप्त आय से वे अपने घुड़सवारों आदि का खर्च निकालते थे। जागीर क्योंकि सरकारी थी इसलिये समय-समय पर मनसबदारों की जागीरें बदल



दी जाती थी। इस प्रकार से राज्य के प्रत्येक अधिकारी को मनसब मिला हुआ था। और यही मनसबदारी वर्ग एक शक्तिशाली शमीर वर्ग था।

शकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लगभग 1595 ई के अन्त में आरम्भ की थी। उसके समय में मनसबदार का निम्नतम दर्जा 10 का था और सर्वोच्च दर्जा 12,000 का था जो कि केवल मुगल राजकुमारों के लिये ही सुरक्षित था। शकबर के समय में ही मनसब जात और मवार पद में विभक्त हो गया था। विभिन्न शमीरों का पदानुक्रम निर्धारित करने के लिये सांकेतिक पद जात मनसब का था। प्रत्येक शमीर द्वारा उसके वेतन या उसकी जागीर से आय के आधार पर सैनिक टुकड़ियाँ रखनी पड़ती थी और इन्हीं सैनिक टुकड़ियों पर ठीक रूप से नियन्त्रण रखने के लिए सवार पद की व्यवस्था की गई थी जो जात पद के या तो बराबर होता था अथवा उससे कम होता था। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जात पद से मनसबदार की श्रेणी का पता चलता था किन्तु सवार पद से यह जानकारी होती थी कि वास्तव में उसके पास कितने घोड़पवार थे। परन्तु कभी कभी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें सवार पद जात से अधिक था। शकबर के समय में इसका स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि सम्भवतः ऐसा प्रतिलिपि की त्रुटियों के कारण है।<sup>1</sup> परन्तु औरगजेब के शासन काल में अनेकों ऐसे मनसबदार थे जिनका सवार पद जात पद से अधिक था। इसका सम्भवतः ये कारण था कि उनके राज्य के अन्तिम वर्षों में क्योंकि अनुभवों योग्य एवं विश्वासपात्र अधिकारियों की कमी हो गई थी इसलिये उसने यह उचित समझा कि उन लोगों के सवार पद को बढ़ा दिया जावे जिन पर वो पूरी तरह विश्वास कर सकता था और इस प्रकार से शमीरों के जात पद में वृद्धि किये वगैर ही उन्हें अधिक सैनिक रखने की आज्ञा देकर राज्य का काम सुचारु रूप से चल सके।

जात और सवार पद में मशरूत (प्रतिबन्धित) पद भी जोड़ दिया गया। ये मनसब किसी विशिष्ट अधिकारी को किसी विशेष पद पर सेवाएँ करने की बात को ध्यान में रखकर दिया जाता था। जहाँगीर के शासनकाल में दो अस्था-सेह अस्था मनसब भी लागू किये गये और महाबत खा इसका सब प्रथम उदाहरण था। शाहजहाँ और औरगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसब प्राप्त करने वालों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई। औरगजेब के शासन के प्रथम दो-तीन वर्षों में 1000 जात व उसके ऊपर के कुल 486 मनसबदारों में से 68 मनसबदार दो अस्था-सेह अस्था थे। सैद्धान्तिक रूप से दो अस्था-सेह अस्था मनसब को सवार पद का ही एक भ्रम माना जाता था। इसको व्यक्त करने का ढंग इस प्रकार था—4000 जात, 4000 मवार

कुल (हमा) दो अस्था-सेह अस्था अर्थात् 4000 जात 4000 सवार उसमें से 1000 दो अस्था सेह अस्था । इसका अर्थ था कि 4000 सवारों में से यदि, 1,000 दो अस्था-सेह अस्था थे । शेष 3,000 को बाराबर्दों कहते थे । बाद वाले भाग के लिये प्रमीर को साधारण दर में भुगतान किया जाता था परंतु दो अस्था-सेह अस्था पद के लिये उसका उत्तरदायित्व एवं वेतन दोनों ही दुगुने कर दिये जाते थे ।

प्रत्येक प्रमीर का वेतन उसके मनसब के आधार पर होता था । मनसबदारी में जात व सवार पद थे, इस आधार पर वेतन में भी दो भाग थे । जात पद का वेतन प्रमीर अथवा मनसबदार अपने खान-पान अथवा व्यक्तिगत नौकरों पर ध्यय कर सकता था जिसे 'खासह' (व्यक्तिगत) कहा जाता था । सवार पद का वेतन उसके द्वारा रखी जाने वाली सैनिक टुकड़ियों के लिये किया जाता था जिसे 'तावीनान' कहा जाता था । जात मनसब की प्रत्येक श्रेणी के लिये वेतन अलग अलग थे । उच्चतर मनसब पर पदान्ति होने पर वेतन यथानुपात नहीं बढ़ता था । इसके प्रतिरिक्त 5,000 से नीचे के पदों के लिये जात पद का वेतन विविध रूप में तीन श्रेणियों में निश्चित किया गया था—जब सवार और जान पद बराबर हो या सवार पद जात पद के आधे से कम न हो, दूसरे जब सवार पद जात पद का आधा हो, और तीसरे जब वह आधे से भी कम हो । प्रथम श्रेणी का वेतन सबसे अधिक और तृतीय श्रेणी का सबसे कम होता था । सवार पद की दर प्रत्येक इकाई के लिये निरापवाद रूप में निश्चित होती थी और जब उसमें दो अस्था-सेह अस्था पद हो तो इस पद की सख्या को वेतन देने के लिये दुगुना कर दिया जाता था ।

मासिक अनुमाप या अनुपात का नियम सबसे पहले शाहजहाँ के शासनकाल में लागू किया गया । इसकी उत्पत्ति इस कारण से हुई प्रतीत होती है कि सरकार द्वारा निर्धारित रकम (जमा) तथा जागीर से वास्तव में वसूलों की रकम (हासिल) के बीच अंतर था । इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ऐसी जागीर प्राप्त करता जिसका जमा कागज पर उसके वार्षिक वेतन या दावे (तलब) के बराबर हुआ करती थी तो वस्तुतः उसे उस दावे का आधा या नौयाई ही प्राप्त होता था । ऐसी स्थिति में उस जागीर को क्रमशः 'शरामहा' (अमाही) या 'मेहमाहा' (तिमाही) वाली जागीर कहते थे । जहाँ वास्तविक वसूलों से जमा अल्पधिक हुआ करती थी वहाँ जागीर मासिक अनुमाप में बहुत ही नीचे होती थी । इसी कारण दक्षिण में अधिकतर मनसबदारों की जागीरें चार माहा की ही दृष्टा करती थीं ।

जबकी व्यवस्था और प्रमीर वर्ग जल्दी व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रमीर की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति को उसके पुत्रों में बांटने के बदले राज्य उसे जन्त कर लेता था या अपने अधिकार में कर लेता था । इसका आधार ये माना जाता था कि प्रमीर राज्य के मेवक होते थे और उनके द्वारा एकत्रित किया हुआ धन राज्य का

होना चाहिये क्योंकि इस धन को उन्होंने राज्य के सेवक के रूप में ही अर्जित किया था। इस आधार पर मुगल शासक अमीर को चल व अचल सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमा लेते थे। बनिमर ने इस व्यवस्था को जगली कहा है। इसी कारण मुगलकालीन भारत में शक्तिशाली अमीर वर्ग का उत्कर्ष नहीं हो सका क्योंकि अमीर के पुत्र को अपना जीवन नये तरीके से प्रारम्भ करना पड़ता था और पिता की सम्पत्ति से उसे कुछ भी प्राप्त न होता था।

यद्यपि इस प्रथा का प्रारम्भ कब हुआ यह जानना अत्यधिक कठिन है परन्तु इतना अवश्य है कि अकबर के समय में भी यह किसी न किसी रूप में प्रचलित अवश्य था। ये सम्भव है कि उसके समय में इसकी व्यवस्था विकृत न हुई हो जैसा कि शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में देखने को मिलती है। अकबर के समय में यदि किसी अमीर का उत्तराधिकारी नहीं होता, अथवा उस पर राज्य का बकाया हो, अथवा उसने अपनी जागीर का हिमाब साफ नहीं किया हो तो अमीर की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। जहाँगीर के समय में जब्ती प्रथा का आभास हमें उसके राज्यारोहण के समय जारी किए गये अध्यादेशों से मिलता है जिसके अनुसार किसी भी अमीर की सम्पत्ति उस समय जब्त कर ली जानी थी जबकि उसकी कोई कानूनी सन्तान न हो। परन्तु अकबर की मृत्यु के तीन वर्ष बाद 1608 ई० में केप्टन हाकिन्स ने लिखा है कि, "इस मुगल बादशाह जहाँगीर की यह रीति है कि यदि कोई अमीर मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है। उस सम्पत्ति में से अमीर के उत्तराधिकारियों को उतना ही दिया जाता था जितना की बादशाह की इच्छा होती। अधिकतर उत्तराधिकारियों के साथ बादशाह अचूका ही व्यवहार करता है, उनके पिता की सम्पत्ति को उनके बीच बांट दिया जाता है और ज्येष्ठ पुत्र के लिए उसके हृदय में ज्येष्ठ आदर रहता है।" शाहजहाँ और उससे भी अधिक औरंगजेब के काल में इस व्यवस्था में अत्यधिक रूप धारण कर लिया।

जब्ती व्यवस्था के कारण मुगलकालीन अमीर वर्ग अत्यन्त शक्तिहीन हो गया। बनिमर ने लिखा है, "बादशाह सब ही तरह की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था अतः कोई भी अमीर का परिवार अधिक दिनों तक अपना स्थान नहीं बनाये रख सकता था। अमीर वर्ग की मृत्यु के बाद उसका महत्व समाप्त हो जाता था। उसका पुत्र या क्रम से उसका पौत्र निर्धन और भिक्षारी हो जाता था। उन्हें साधारण घुड़सवार के रूप में सेना में भर्ती होना पड़ता था।" जब्ती प्रथा के कारण अमीर-वर्ग अपनी सम्पत्ति का उपभोग अपने जीवन काल में अधिक से अधिक करने के इच्छुक रहते थे इसी कारण इनका जीवन अधिक ऐश्वर्य-प्रिय हो गया था जिसने इनकी नैतिक और आर्थिक दशा को शोचनीय बना दिया था। इसके अतिरिक्त क्योंकि इस काल में स्वतन्त्र वशानुगत कुलीनतन्त्र का निर्माण न हो सका इसलिए अमीर बादशाहों की स्वेच्छाचारिता की न तो साहसपूर्वक आलोचना कर सके और न ही उनके अत्याचारों का विरोध। अतः प्रत्येक दृष्टिकोण से जब्ती प्रथा अमीरों और राज्य के लिए अहितकर सिद्ध हुई।

मनसब के अनुरूप उच्च पद पर रखना आवश्यक नहीं था—

यह आवश्यक नहीं था कि किसी उच्च मनसब प्राप्त व्यक्ति को उसके मनसब के अनुसार ही पद मिले। शासन को यह अधिकार था कि वह किसी भी अमीर अथवा मनसबदार को मनसब कम होने पर भी उच्च पद दे अथवा उसे ऊँचा मनसब होने पर भी किसी निम्न पद पर नियुक्त कर दे। अमीरों की उन्नति उनकी कार्य-कुशलता और उनकी स्वामीभक्ति पर निर्भर था। इसके साथ ही किसी भी अमीर को कोई भी काम सौंपा जा सकता था। अबुल फजल को विद्वान व इतिहासकार होने पर भी दक्षिण में सेना के साथ प्रस्थान करना पड़ा था और बीरबल को विद्वान होते भी यूसुफजाइया के विरुद्ध युद्ध में जाना पड़ा था। कुछ मनसबदारों को केवल शासन की सेवा में ही उपस्थित रहने और जो कार्य उन्हें बताया जाय उसे करने के प्रतिवृत्त और कोई काम नहीं था।

मनसबदारों के सैनिक उत्तरदायित्व—

जात व सवार पद के अन्तर्गत प्रत्येक मनसबदार को निर्धारित सख्या में घोड़े व घुड़सवार रखना आवश्यक था। कि तु अमीरों में इतना अधिक अण्टाचार था कि केवल कागजी आदेश उस दूर नहीं कर सकते थे। इसलिए सैनिक उत्तरदायित्वों को करने के लिए अकबर ने 'दाग' (निशान) और 'चेहरा' (हलिया) की प्रथा प्रचलित की थी। अबुल फजल के विवरण से एसा आभास होता है कि अमीर अथवा मनसबदार को अपने निर्धारित मनसब के अनुसार घोड़े और सवारों को प्रस्तुत करना पड़ता था। अकबर के समय में यह नियम था कि मनसबदार अथवा अमीर घुड़सवारों की सख्या से दुगुने घोड़े रखेगा। इस प्रकार 100 का एक मनसबदार या तो 100 आदमी और 200 घोड़े अथवा 50 आदमी और 100 घोड़े रखने पड़ते थे। शाहजहाँ के समय में 'एक बटा तीन' के नियम के अन्तर्गत उसको 33 आदमी और 66 घोड़े रखने पड़ते थे।

मनसबदारों की टुकड़ियाँ का निरीक्षण करने व उनके घोड़ों की दागने के विस्तृत नियम थे। 'नकदी मनसबदारों' को वर्ष में दो बार दागने वाले अधिकारी से नवीनीकरण पत्र प्राप्त करना पड़ता था। यदि कोई मनसबदार छ महीने के अन्दर यह पत्र प्राप्त नहीं करता तो उसे दो महीने का समय और दिया जाता था, और यदि इसके बाद भी पत्र प्राप्त न कर सके तो छ महीने से ऊपर का वेतन उसका रोक दिया जाता था। औरगजेब के समय में प्रत्येक नकदी मनसबदार को हर तीसरे महीने और प्रत्येक जागीरदार को हर छठे महीने अपनी सैनिक टुकड़ियों को दगवाने के लिए खाना पड़ता था।

इसी प्रकार से सैनिकों के सम्बन्ध में भी कठोर नियम थे। जो मनसबदार निर्धारित सैनिक सख्या से कम सैनिक रखते थे उनकी पदावन्ति करके या उन पर जुर्माना करके दण्डित किया जाता था और प्रायः उनकी जागीर घटा दी जाती थी।

# 5

## केन्द्रीय शासन

(घ) सल्तनतकासीन केन्द्रीय शासन—

1192 ई में मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीचत राइन का द्वितीय युद्ध अनेक कारणों से महत्वपूर्ण था। यह युद्ध निर्णयात्मक कहा जा सकता है क्योंकि इससे भारत में मुस्लिम आक्रमण की अन्तिम विजय सुनिश्चित हो गयी। परन्तु विजय को स्थायी बनाने के लिए एक व्यवस्थित शासन की भी आवश्यकता थी और भारत की तत्कालीन परिस्थिति में इसकी माँग और अधिक अनुभव की जाने लगी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, नव आगुन्तको द्वारा, एक ऐसे देश में की गयी थी जिसकी संस्कृति, शासन-तन्त्र आचार-विचार और शासन की अनेको समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण यहाँ स्थापित मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न था और इसलिए एक उचित प्रशासन की स्थापना अवश्यसम्भवी थी। समस्या का समाधान यही पर नहीं था अपितु उन्हें एक ऐसे देश में शासन की व्यवस्था करनी थी जो सर्वथा उनके लिए नया था। यदि ऐसे समय में एक ऐसे देश में प्रशासन स्थापित करने का प्रश्न होता जो पूर्ण रूप में इस्लामी मान्यताओं पर आधारित हो तो सम्भवतः इन तुर्क नव आगुन्तको को प्रशासन की स्थापना में कोई कठिनाई सामने नहीं आती, परन्तु यहाँ तो ऐसा नहीं था। अतः अब इस क्षेत्र में उनके पास केवल दो ही विकल्प थे—राजपूत प्रशासन के आदर्शों पर प्रशासन का ढाँचा तैयार करना अथवा तुर्कों की परम्परागत इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर प्रशासन को नये तौर पर शुरू करना।

यदि वे जल्दी में न होते तो सम्भवतः भारत में पूर्व-स्थित राजपूत (हिन्दू) आदर्श भी प्रशासन के क्षेत्र में पुनः लागू किये जा सकते थे अथवा उमम समयानुकूल बुद्ध रद्दीबदल करके कार्यान्वित किया जा सकता था परन्तु क्योंकि वे नये थे, यहाँ की शासन व्यवस्था से अपरिचित थे और साथ ही उन्हें इस आन्तरिक प्रशासन के आदर्शों पर आधारित प्रशासन-तन्त्र स्थापित करने में समय लगता इसलिए उनकी दृष्टि उन्हें इस्लाम पर आधारित प्रशासन-व्यवस्था को अपनाने के लिये ही तत्पर कर सकी।

इस्लामी आर्यताओं के आधार पर प्रशासन करने के विचार को चुनने के बाद भी समस्या का पूर्ण समाधान न हो सका। इस्लामी जगत में यह अनुभव किया गया था कि पैगम्बर भयवा उसके तत्कालीन उत्तराधिकारियों के जीवन पर चलकर शांति और व्यवस्था बनाये रखना सम्भव नहीं था। यह अनुभव किया गया कि ईरान के साम्राज्य के आधार पर शासन को व्यवस्थित कर जन साधारण को सुल्तान की आज्ञाओं के अनुसार चलना सम्भव हो सकेगा। इस आधार पर स्थिति अत्यधिक दुविधापूर्ण थी। क्योंकि यदि उ होने पैगम्बर की परम्पराओं का पालन किया तो राजतन्त्र और शासन-व्यवस्था को एक साथ मिलाना सम्भव न हो सकगा। इसके विपरीत ईरानी साम्राज्य के आदर्शों पर शासन का व्यवस्थित किया तो यह पैगम्बर की परम्परा की विरोधी होगी क्योंकि ऐसी व्यवस्था में सरकारी आदेशों का पालन करवाने के लिए विद्रोहियों को कुचलना आवश्यक था। इस्लामी देशों के शासकों ने इन दो विचारों में से ईरानी आदर्शों को ही चुना क्योंकि केवल इसी आधार पर व स्वयं की शक्ति का भी स्थापित करने के प्रति निश्चित थे। इस आधार पर इस्लाम में राजतन्त्र भयवा राजपद के विचार का समावेश हो गया जो कि पैगम्बर के आदर्शों के विरोध में था।

तुर्कों का शासन कर्ष में उत्पत्ति का श्रेय अम्बासिद् खलीफा मुनेसिम (833-42 ई०) को है जिसने तुर्कों गुलामों को इतनी अधिक सत्ता में नियुक्त किया था कि बगदाद उनके रहने के निय छोटा पड़ने लगा। इनकी प्रवृत्ता से नक बनाने के साथ ही साथ कुशल प्रशासन बनाने की शिन्धा भी दी गई और इन्होंने धीरे धीरे शासन पर अधिकार कर लिया। भारत में मुसलम साम्राज्य की स्थापना के बाद इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की और धावर के समय तक इसी शिन्धा से सम्बोधित किये जाते रहे। कुलान में इसका उपयोग भववाचक रूप में शक्ति, सत्ता भयवा प्रभुत्व के रूप में किया गया है।<sup>1</sup> दाले शले इसका प्रचलन साधारण रूप में प्रभुत्व-सम्पन्न व्यक्ति के लिए किया जाने लगा। खलीफात की पतनी-मुख अवस्था में विभिन्न प्रांनों के सूबदार जिन्होंने खलीफात की इस अवस्था का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर दिया था, सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पर तु केवल उपाधि धारण करने से समस्या का हल सम्भव नहीं था। और इससे सुल्तान की स्थिति सुदृढ़ न हो पायी थी। सम्पूर्ण सल्तनत काल में तुर्की अमीरों के आपसी बंमनस्य, विदेशी और देशी मुसलमानों के बीच कटुता तथा शासक-व्यवहार का उच्च और सम्मानित बण से संबंधित न होने के कारण सुल्तानों को अनेक कठिनाइया का सामना करना पडा।

1 धनलिङ्ग—खलीफात, पृष्ठ, 202.

विदेशी और देशी मुसलमानों के बीच कटुता दिल्ली के सुल्तानों की कठिनाइयों का दूसरा कारण था। इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात् ये घर्षे परिवर्तित लोग स्वयं को तुर्कों मुसलमानों के समान मानते थे, परन्तु तुर्क लोग इनके साथ शासन में कोई भागदारी करने को तत्पर न थे और इसलिए इन्होंने स्वयं को एक दल में संगठित करना ही उचित समझा। और इसका ज्वलन्त उदाहरण इजामुद्दीन रायहान का है।<sup>1</sup> जिसने 1253 ई० में कुछ समय के लिये बकीन्दार का पद प्राप्त कर लिया। अलाउद्दीन के समय में भी मलिक काफूर का असफल प्रयास इस कटुता का द्योतक है। नासिरुद्दीन तुसरोशाह के अल्पकालीन राज्यकाल में प्रगुसत्ता की प्राप्ति (अप्रैल 15 सितम्बर 7, 1320) इसकी पराकाष्ठा थी। इस घापसी संघर्ष ने सुल्तानों के लिए अनेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी।

इसके अतिरिक्त क्योंकि दिल्ली के सुल्तान मध्य एशिया के किमी सम्मानित शासकीय वंश से सम्बन्धित न थे इसलिए उनकी कोई वंशीय प्रतिष्ठा नहीं थी और इसीलिये इरनुतमिश जैसे सामक को भी अपने समान दासों के साथ समझौता करना पड़ा था। गयामुद्दीन बलबान ने इनकी शक्ति को समाप्त कर दिया क्योंकि वह उनके अक्षय्यपत्र अथवा धर्म के सहन करने के लिए तत्पर नहीं था। वह स्वयं 'चालीम' तुर्की सरदारों के गुट का सदस्य रहा था इसलिए वह भली-भाँति जानता था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा उस समय तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक वह कि इन सरदारों के गुट को समाप्त नहीं कर देता है। अपने अशानुगन अधिकार की कटुता को समझकर ही उसने अपने को विद्वान् फिरदौसी की रचना 'शाहनामा' के शूरवीर पात्र अफीसीयाव का वंशज बताया। अपने व्यक्तिगत व्यवहार और दरबार की शान-शौकत तथा सत्ता के प्रदर्शन से उसको सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने में सहायता मिली। इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि जो कुछ प्रतिष्ठा उसने स्थापित की थी, खलजिया के अभ्युदय से यह धूलि धुसरित हो गई। जलालुद्दीन खलजी स्वयं दूसरे खलजी अमीरों की तरह ही गद्दी का आकांक्षी था और यदि वह राज्य प्राप्त करने में सफल हुआ तो अपनी सेवाओं के आधार पर ही उसे प्राप्त कर सका। उसकी नरम नीति ने खलजी अमीरों को स्वयं अपने अस्तित्व बनाये रखने के लिये सतर्क कर दिया। अलाउद्दीन यदि राजतन्त्र स्थापित करने में सफल हुआ तो प्रो० हबीब के अनुसार इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि वो जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा जो कि अमीरों के बोझ से अत्यधिक पिस रहा था।<sup>2</sup> संघर्ष और लोदी सुल्तान पूर्णतया अपने अमीरों के सहयोग पर निर्भर थे और

1 रेवर्टी—सबकात ए-नासिरी, पृष्ठ 829

2 डे. यू. एन.—वही, पृष्ठ 50

सोदियो के समय तो सुल्तान की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अफगान अमीर, ताज में स्वयं को सहयोगी समझने लगे थे ।

### सुल्तान और खलीफा—

सैदाभिक आधार पर सल्तनत खलीफात का ही अंग थी और प्रमाण-स्वरूप सुल्तान खलीफा के प्रतिष्ठापन अभिशेक स्वीकार करते थे और उसकी प्राप्ति के प्रयत्नशील भी रहते थे । व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं था और खलीफा नाम मात्र का ही अधिपति था । प्रथम बार खलीफा ने इल्तुतमिश की ये प्रतिष्ठापन अभिशेक प्रदान किये<sup>1</sup> और उसके पुत्र, अमीर और यहाँ तक की दासों को भी यथोचित सम्मान दिया ।<sup>2</sup> इस मिथ्या सम्बन्ध के साथ ही कानूनन रूप में खलीफा द्वारा सुल्तान की मान्यता जड़ गई ।<sup>3</sup> यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि स्वयं इल्तुतमिश न भी खलीफा को अधिपति स्वीकार नहीं किया और बगाल के शासक गयासुद्दीन को अधीन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई यद्यपि उसे भी इल्तुतमिश के समान ही खलीफा ने प्रतिष्ठापन अभिशेक से मुशोभित किया था ।<sup>4</sup> और इस प्रकार दोनों ही न केवल समान स्थिति के थे अपितु दोनों ही खलीफा के समर्थक थे । इस प्रकार से आरम्भ में ही जबकि इस मिथ्या विचार की स्थापना भी न हो पायी थी तब ही इसकी महत्ता को न केवल कम कर दिया अपितु भ्रूणभोर भी दिया । इस स्थिति में डा० बनारसी प्रसाद की पत्र धारण की इल्तुतमिश ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित न होकर केवल अपने माय माये हुए अंग तुर्क साधियों का तथा निम्नतर भारत में बसने आने वाले अन्य इस्लाम समर्थकों का पक्ष प्राप्त करने के आक्षेप से ही इसे स्वीकार किया था उचित प्रतीत होगा है । इसकी पुष्टि इसमें भी होनी है कि हुलाकू ने यद्यपि 1258 ई० में बगदाद के खलीफात को मटियामेट कर दिया था परन्तु फिर भी 1260 ई० में जब उसके प्रतिनिधि भारत आये तो उनका भय स्वागत किया गया ।<sup>5</sup> यदि सुल्तान में खलीफात के प्रति किसी प्रकार का सम्मान दोष न होता तो इस प्रकार के भय स्वागत की वह व्यवस्था नहीं करना । लौकिक मार्गों के सम्मुख उसको नत-मस्तक होना पडा, क्योंकि ये अधिक आवश्यक थी । इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि खलजियों के समय में स्वयं सिद्दी मौला

1. कुरेशी आई एच.—द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ देहली पृ 27.
2. इलियट एण्ड हाउसन, भाग 2, पृष्ठ 243.
3. त्रिवाठी, आर. पी.—सम प्रास्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन पृ. 26
4. रेवट्टी—पृष्ठ 774
5. तबकत-ए-नासिरी इलियट द्वारा उद्धृत अनुवादित भाग 2, पृष्ठ 382-83.



को जो पदयन्त्रकारियों का नेता था खलीफा बनाने का विचार किया जाने लगा।<sup>1</sup> इससे यह स्पष्ट है कि साधारण वर्ग खलीफा और खलीफात के प्रति अधिक रुचि नहीं रखता था और खलीफा के पद पर कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति और पराक्रम से प्राप्ति हो सकता था।

अलाउद्दीन ने नासिर-ए-अमीर-उल-मुमनिन व यामिन-उल-गिलाफत की उपाधि धारण की थी।<sup>2</sup> यद्यपि ये दोनों उपाधियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि वह स्वयं खलीफा बनने का विचार नहीं रखता था, परन्तु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि दरबार में एक ऐसा दल भी था जो सुल्तान द्वारा खलीफा के पद को लेने के पक्ष में था। अमीर खुसरो की रचना 'खजार्दन-उल-फनह' के अध्ययन से एमी भलक मासुम होती है। अलाउद्दीन को सम्भवतः यह विश्वास नहीं था कि वह धार्मिक मामलों में सफलता से हस्तक्षेप कर सकेगा और इसीलिए वह खलीफा की उपाधि धारण करने में हिचकिचाता था, परन्तु इसके साथ ही उसने अपने दरबारियों पर उसे खलीफा पुकारन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया।<sup>3</sup>

अपने राज्य काल के आरम्भिक वर्षों में मुहम्मद तुगलक ने खलीफा की तरफ कोई ध्यान न दिया परन्तु अन्त क वर्षों में उसने न केवल खलीफा के नाम को पुनः स्तुतवे में शामिल किया उससे प्रतिष्ठात्मक अभिषेक भी प्राप्त किए। सम्भवतः अपनी असफल योजनाओं से अर्जित अलोकप्रियता को समाप्त कर वह विरोधियों को सहानुभूति जीतना चाहता था।<sup>4</sup> फीरोज तुगलक ने खलीफा के प्रति हार्दिक सम्मान प्रदर्शित किया और दो बार प्रतिष्ठात्मक अभिषेक प्राप्त हुए। फीरोज तुगलक ने स्तुतवे में दूसरे सुल्तानों के नाम के साथ ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का नाम भी स्तुतवे में सम्मिलित किया जिसने कि स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। यदि फीरोज जैसे धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के हृदय में खलीफा अथवा खलीफात के प्रति तनिक भी सम्मान होता तो वह ऐसे व्यक्ति का नाम स्तुतवे में कभी भी सम्मिलित नहीं करता।<sup>5</sup>

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सुल्तान खलीफा के प्रति केवल दिखावे के रूप में विनीत अथवा विनम्र थे जिससे गद्दी पर बने रहने में उनकी स्थिति

1 बरनी-तारीख-ए-फीरोजशाही, पृष्ठ 598

2 कुरेशी, आई एच — द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ देहली, पृष्ठ 29

3 वही, पृष्ठ 31

4 डे यू एन — वही, पृष्ठ 53-54

5 अफीफ-तारीख-ए-फीरोजशाही पृष्ठ 107.

रूढ़ बनी रहे तथा खलीफायत के नाम पर वे बट्टर भयवा धर्माग्र मुस्लिम वर्ग की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। इस्लाम की डुहाई तथा मुर्दों को जिहाद घोषित करना इसी नीति के अन्तर्गत थे।

सल्तनत में प्रशासन के ढांचे में सर्वोच्च पद पर सुल्तान था। वह सल्तनत का प्रथम सेवक था और सम्पूर्ण प्रशासन को अपने नेतृत्व में चलाने के प्रति उत्तरदायी था। यदि सुल्तान के बाधों की विवेचना करे तो मुस्लिम विधिवेत्ताओं के अनुसार उसके दस प्रमुख कार्य मान्य होते हैं—(1) इस्लाम के आधारभूत सिद्धान्तों की रक्षा करना, (2) न्याय की व्यवस्था करना, (3) इस्लामी राज्य की सुरक्षा करना तथा पाताघात के साधनों को यात्रियों के लिए सुरक्षित करना, (4) फौजदारी कानूनो को कायम रखना तथा उन्हें लागू करना, (5) मुस्लिम राज्य की सीमाओं को आक्रमणकारियों के विरुद्ध दृढ़ बनाये रखना, (6) इस्लाम के विरोधियों के विरुद्ध जिहाद करना, (7) राज्य-करो को वसूल करना, (8) योग्य पत्रों को अनुदान देना, (9) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जो उसके न्यायिक और सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने में सहायता करें और (10) व्यक्तिगत सम्पत्तियों से साधारण वर्गों की स्थिति की जानकारी रखना।<sup>1</sup>

सुल्तान के इन अधिकारों की सूची से ऐसा अनुभव होता है कि वह एक अत्यन्त निरबुध शासक था परन्तु व्यवहार में उसके अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रयत्न थे। प्रत्येक राजनीतिक शक्ति, शक्तिशाली तत्वों के सहयोग पर आधारित होती है और सल्तनतकालीन सुल्तान इससे किसी प्रकार मुक्त नहीं थे। दूसरे सुल्तान हिन्दुओं तथा मुसलमानों के व्यक्तिगत तथा धार्मिक कानूनों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। सुल्तान स्वयं इस तथ्य का अनुभव करते थे और यद्यपि वे हिन्दुओं में प्रचलित अनेकों रीति रिवाजों से अप्रमत्त थे परन्तु वे हस्तक्षेप करने में प्रमत्त थे।<sup>2</sup> इसी प्रकार से सुल्तान शरा नियमों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था सुल्तान को उन्हेमा वर्ग के अनेकों विद्वान् धर्म-विज्ञानी का सहयोग भी प्राप्त करना पड़ता था क्योंकि मुस्लिम वर्ग उनसे प्रभावित रहता था।<sup>3</sup>

स्वयं सुल्तान का गद्दी प्राप्त करना रहस्यात्मक था क्योंकि दिल्ली सल्तनत के युग में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम न था। परन्तु फिर भी सुल्तान इल्तुतमिश के समय से एक ऐसी परम्परा बनी थी जिसके अनुसार सबसे पहले सुल्तान के पुत्र अथवा पुत्री तब को ही सिंहासन प्राप्त करने का अधिकार था।

1. कुरैशी—वही, पृष्ठ 42-48

2. धरनी—वही, पृष्ठ 28.

3. वही, पृष्ठ 341-46.

साराश में सुल्तान कानून बनाने, उन्हें लागू करने और न्याय का प्रधान था। राज्य की सेना का वह सबसे बड़ा सेनापति था तथा उसकी आज्ञा ही सर्वोपरि थी। राज्य के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, हटाना, उपाधियों का वितरण आदि करना उसी के अधिकार में थे, परन्तु ये उसके कानूनी अधिकार थे। व्यवहारिक रूप में राज्य के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न वह 'मजलिस-ए-भाम' अथवा 'मजलिस ए-सलवत' के सम्मुख रखता था।<sup>1</sup> जिसमें उसके अत्यधिक विश्वासपात्र अथवा उच्चाधिकारी ही हुमा करते थे। 'मजलिस ए-सलवत' में राज्य के चार प्रमुख मन्त्री भी हुमा करते थे। यद्यपि सुल्तान के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह इसके निर्णय को स्वीकार करे परन्तु फिर भी वह यह उचित समझता था कि किसी भी नीति को लागू करने के पहले वह उपयुक्त व्यक्तियों से परामर्श ले ले। बलबन द्वारा अपने पुत्र मुहम्मद को इस प्रकार के आदेश देने से कि वह किसी अभियान को करने के पहले परामर्श-दाताओं से विचार-विनिमय कर ले यह स्पष्ट करता है कि इसकी कितनी अधिक महत्ता थी।<sup>2</sup> इसी प्रकार अलाउद्दीन ने भी दिल्ली के कोतवाल फकरुद्दीन की सलाह मानकर अपने विश्व-विजय के विचार को त्याग दिया था।<sup>3</sup> सुल्तान के दुर्बल होने की स्थिति में ही सरदारों का शासन में प्रभाव बढ़ जाता था। उलेमा वर्ग का भी प्रभाव बढ़ जाता था। केवल अलाउद्दीन खलजी और मुबारक शाह खलजी जैसे शासक ही उनके प्रभाव से मुक्त रहे थे।

शासन में सहायता करने के लिए मन्त्रि वर्ग हुमा करता था और इनमें से विशेषकर चार मन्त्रियों की स्थिति दूसरों की अपेक्षा महत्वपूर्ण होती थी। ये यद्यपि अलग-अलग विभाग के अध्यक्ष होते थे, परन्तु विभागीय नीति का निर्धारण स्वयं सुल्तान ही करता था। नासिरुद्दीन तुगरा खाँ द्वारा अपने पुत्र मुईजुद्दीन कैकुबाद को दी गई सलाह इसका स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य में चार मन्त्रियों की स्थिति दूसरों की अपेक्षा महत्वपूर्ण थी।<sup>4</sup>

मन्त्रियों के अतिरिक्त सल्तनत काल में किसी अमीर को 'नायब ए मुल्क' या लाइ लेफ्टीनेंट भी चुना जाता था और उसके अधिकार सुल्तान के चरित्र के अनुसार घटते बढ़ते रहते थे। कभी-कभी यह एक थी ही उपाधि ही थी और कभी-कभी वह पूर्णरूपेण तानाशाही अधिकारों का उपभोग करता था। वह सैनिक व्यवस्था का अध्यक्ष भी होता था।<sup>5</sup> नासिरुद्दीन महमूद के समय में उलूग खाँ और अलाउद्दीन क

1 बरनी—वही, पृष्ठ 289.

2 वही, पृष्ठ, 78

3 ड यू एन—वही पृष्ठ 59

4 डे. यू एन—वही, पृष्ठ 59

5 कुरेशी, आई एच—वही, पृष्ठ 93-94

## केन्द्रीय शासन

राज्य में मलिक काफूर इस बे ज्वलन्त उदाहरण हैं। मुहम्मद तुगलक को एक व्यक्ति के हाथों में इतने अधिकार देकर शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी बनाने की बात उचित नहीं लगी इसलिए उसने फीरोज शाह, मलिक बबीर व महमद अयाज की एक रीजेन्सी कौंसिल स्थापित की थी। सुल्तान की सहायता के लिए और अपने अधिकारों के जैसे बरीद-ए-मुमालिक, दीवान-ए-ख़रान, मीर ईमारात आदि परन्तु इनसे अधिक महत्वपूर्ण मन्त्री ही थे।

समस्त शासन की व्यवस्था अकेले सुल्तान के लिए सम्भव न थी। मुस्लिम विधिशास्त्रियों ने आरम्भिक काल में ही सभासदों की आवश्यकता अनुभव की थी और इस बात पर बल दिया था कि स्वयं ईश्वर ने भी पैगम्बर को अपने अनुयायियों की सलाह लेने का आदेश दिया था। परन्तु खलीफ़ाओं के अन्तर्गत इस लोक-त्रीय व्यवस्था में अनेकों परिवर्तन आ गये और मुस्लिम विधिशास्त्री भी स्वयं को इनकी पचा सकने में असमर्थ रहे। डा० कुरेशी यह स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम विधिशास्त्रियों की लोकतन्त्रीय व्यवस्था के आधार पर नई सत्ताओं के निर्माण की असफलता अत्यधिक स्पष्ट है। उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण ने अटकलवाजी पर अनुशा लगाया परन्तु इसके साथ ही वे प्रचलित वातावरण से भी मुस्लिम विधिशास्त्री यद्यपि स्वयं को मुक्त न कर पाये। इस आधार पर यह तो निश्चित है कि मन्त्रियों को रखने की आवश्यकता को अनुभव करते थे परन्तु कहीं पर भी इन मन्त्रियों की जन-साधारण के प्रतिनिधि के रूप में और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी ठहराने की कोई कानूनन व्यवस्था नहीं की थी। इस आधार पर सुल्तानों ने मन्त्रियों को राज्य के सबक के रूप में नहीं अपितु व्यक्तिगत सेवकों के रूप में नियुक्त किया और इनको शासन-व्यवस्था चलाने का काम सौंपा। इसलिए मन्त्रिगण केवल सुल्तान के प्रति ही उत्तरदायी थे। इससे यह सोचना कि मन्त्री के कोई वास्तविक अधिकार न थे प्रमात्मक होगा क्योंकि उसकी स्थिति तथा अधिकार मुस्लिम कानून के द्वारा पूर्णतया परिभाषित थे जिनको परम्पराओं न पुनीतता प्रदान की थी।<sup>1</sup> यदि सुल्तान मन्त्रियों के परामर्श अथवा सलाह पर समुचित ध्यान देता था तो इसलिए नहीं कि इनको मानना उसके लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य था अपितु इसलिए कि वह इस प्रकार की सलाह को सुनना उचित नीति मानता था। मन्त्रियों की महत्ता का आभास हमें नासिरुद्दीन तुगरा खाँ द्वारा अपने पुत्र सुल्तान मुईजुद्दीन फकूबाद को दी गई सलाह से स्पष्ट होना है।<sup>2</sup>

1 वही, पृष्ठ 78.

2 वरनी, पृष्ठ 153

राज्य के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, समस्त राजकीय सेवकों को वेतन बाटना, तथा वजीफे आदि की व्यवस्था उसी के विभाग द्वारा की जाती थी। इस प्रकार से वह मुल्तान के बाद राज्य की शासन-व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसी की दूरदर्शिता, योग्यता, व्यवस्था आदि पर राज्य की समृद्धि आधारित थी।

अन्य विभागों में डा. करेशी के अनुमार, 'दीवान ए-रसालत' अधिक महत्वपूर्ण था।<sup>1</sup> सदर-उस-सुदर इसका प्रधान था। वह इस्लाम धर्म के कानूनों को प्रजा में प्रसार करने उनका पालन कराने और मुसलमानों के विशेष हितों की सुरक्षा करने के प्रति उत्तरदायी था। जकात कर से वसूल किये गये धन पर उसका अधिकार होता था। योग्य और धार्मिक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता तथा जागीरें उसकी सलाह के अनुसार ही दी जाती थीं। मस्जिदों, मकतबों और मदरसों को आर्थिक सहायता वही देता था। शाही खेरात (दान) की भी व्यवस्था वही करता था। वही 'राजो-ए मुमालिक' भी होता था और इस आधार पर सुल्तान के बाद न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी था। मुकदमों उसकी अदालत में आरम्भ भी किये जाते थे और निम्न काजियों के निर्णयों पर भी वह पुनः विचार कर सकता था।

डा० डे० के अनुमार सम्भवतः फीरोज तुगलक के शासन काल में ही इस विभाग ने कुछ महत्ता प्राप्त की थी परन्तु इसके विवरण के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।<sup>2</sup> अलाउद्दीन के समय में ही दीवान-ए-रियासत विभाग को ही दीवान-ए-रसालत का रूप दे दिया गया था जिसके अन्तर्गत बाजार नियन्त्रण के नियमों को लागू किया जाता था और व्यापारियों को इसी विभाग में स्वयं को पंजीकृत कराना होता था। व्यापारियों के नाप-तौल का निरीक्षण करना तथा छल-कपट करने वाले व्यापारियों को दण्डित करना इसी के आधीन थे। प्रतिदिन बाजार में प्रचलित भावों की सूचना देना इसी का काम था।<sup>3</sup> इस मन्त्रालय का प्रभाव केवल अलाउद्दीन के समय में ही रहा हो और बाजार नियन्त्रण के साथ ही सम्भवतः इसकी महत्ता तथा अस्तित्व ही समाप्त हो गया।

राज्य के सेना-विभाग की देखभाल 'दीवान-ए-आरिज' करता था। इसका अध्यक्ष 'आरिज-ए-मुमालिक' कहलाता था। दिल्ली सल्तनत मुख्यतः सैनिक शक्ति पर आधारित थी इसलिए इस विभाग की अत्यधिक महत्ता थी। सैनिकों की भर्ती करना, उनकी रसद की व्यवस्था, उनके निरीक्षण की व्यवस्था, घोड़ों पर दाग और

1. बुरेशी, आई एच — वही, पृ 85
2. बर्नी — वही, पृ 319
3. रेवट्टी — तबकात-ए नासिरी पृ 175.

सैनिकों की टूलिया करते जाने की व्यवस्था इसी विभाग के अन्तर्गत थी।<sup>1</sup> शान्ति के समय में वह प्रमुखतः यही काम करता था, परन्तु युद्ध के समय वह भयवा उसका सहायक सैनिकों के आवागमन व उनकी रसद की व्यवस्था करता था। युद्ध में प्राप्त हाथी भयवा लूट के माल की व्यवस्था भी वही करता था। वह यद्यपि राज्य का सेनापति नहीं था, परन्तु समय-समय पर विभिन्न युद्धों के लिए अपनी इच्छानुसार सेनापति नियुक्त करता था।

घारिज स्वयं की सन्तुष्टि पर किसी भी योग्य सैनिक की वेतन वृद्धि कर सकता था। उसकी इन समस्त ज़म्मेदारियों को पूरा करने के लिए नाइब व अनेको दबीर (लेखक) उसके पास होते थे। एक अवसर पर स्वयं फीरोज तुगलक ने एक सैनिक को एक टक इमलिए दिया कि वह रिश्तत के रूप में सैनिक विभाग के अधिकारी को देकर अपने घोड़े की स्वीकृति कराये। यह स्पष्ट करता है कि सैनिक अधिकारियों में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ था और इसी से सैनिक शक्ति का सहज ही में अन्दाज लगाया जा सकता है।

'दीवान-ए-इन्शा' शाही पत्र-व्यवहार व स्थानीय शासन की देखभाल करता था। इसके अध्यक्ष को 'दबीर-ए-मुमालिक' पुकारा जाता था। शाही आज़ाओ का प्रारूप बनाना।<sup>2</sup> सुल्तान के आदेशों को राज्य के विभिन्न भागों में भेजना और सुल्तान की सभी तरह की डाक को देखना, उसके उत्तर तैयार करना तथा भेजना इसी विभाग का काम था। वास्तविक रूप में वह केन्द्रीय व प्रान्तीय शासन के बीच एक कड़ी थी इसलिए उसे बड़ी ही सतर्कता से काम करना पड़ता था क्योंकि सल्तनत काल में गर्वनरो को केन्द्र के आधीन बनाये रखना एक दुश्वार कार्य था। फीरोज तुगलक के समय में इस मंत्रालय की महत्ता समाप्त हो गई और इसकी राजस्व विभाग के अन्तर्गत एक साधारण विभाग का रूप दे दिया गया था।<sup>3</sup>

इन चार मंत्रालयों के अतिरिक्त सल्तनतकाल में अनेको छोटे-छोटे विभाग होते थे। ये मंत्रालयों के नियन्त्रण से मुक्त थे और प्रत्येक के लिए अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति भी जाती थी। ये सब विभाग सुल्तान की देख-रेख में काम करते थे। इनमें बरीद-ए-मुमालिक नाम का अधिकारी सुल्तान के शुलखर विभाग के सगठन का प्रधान अधिकारी था। उसके अधीन वाकिया-नवीस, खबर नवीस व

1. बरनी—वही पृष्ठ 319.

2. रेवटों—सबकात-ए-नासिरी, पृष्ठ 175

3. बरनी—वही, पृष्ठ 361

वाकिया निगार आगे थे जो बरीद के माध्यम से बेग्न को सभी सूचनाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देते थे। राज्य के प्रत्येक बेग्न में एक स्थानीय बरीद की नियुक्ति की जाती थी जो बेग्न को हर प्रकार की सूचनाओं से अवगत कराता रहता था। मूलतः काम में जबकि बेग्न और प्रांतीय सर्वेक्षकों के बीच सम्बन्ध अत्यन्त निर्दिष्ट था और केवल शक्ति के आधार पर ही इसे बनाये रहना सम्भव था ऐसी स्थिति में बरीदों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। यदि किसी [अधिकारी की अग्रिम घटना की सूचना देने में यह अग्रगण्य रहता था तो स्वयं उसे अपने जीवन में इसका भुगतान करना पड़ता था।<sup>1</sup> मुस्लिम समकालीन इतिहासकारों द्वारा भेजी गई सूचनाओं का सम्मान करता था और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मार्ग रहता था। बरीद अपने सहायकों को स्थान-स्थान पर भेजता था। राज्य के समस्त विभागों और यहाँ तक कि सैनिकों की भर्ती के समय भी बरीद अथवा उमराव अत्यन्त उत्सुक रहता था जिसमें वो समस्त जानकारी मुस्लिम को भेज दे तथा भर्ती जितने हुए सैनिकों के बारे में अग्रिम विचारों से मुस्लिम को अवगत करा दे। इस तरह इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ईमानदार अधिकारियों को ही इन पर नियुक्त किया जाता था। सभी कमी विभागों की भी राज्य-हित में उनकी दृष्टि के विरुद्ध इस पद को स्वीकार करता रहता था।<sup>2</sup>

एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी 'वकील-ए-दर' होता था जो राजपरिवार की व्यवस्था का अधिकारी था। मुस्लिम के अतिमूल्य सम्पत्तियों का वित्त आदि दिखाने के अतिरिक्त वह पूर्णतया महान की व्यवस्था करता था, यहाँ तक कि राजकीय उत्तरी पर और पुस्तकालयों के नेटवर्क में थे। राजपरिवार सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उसी के माध्यम से होती थी जिसके लिए उमराव ही अधिकृत होता था। वकील-ए-दर के अधीन एक नायब होता था जिसकी महायत्ना से वह व्यवस्था करने में समर्थ था। नायब वकील-ए-दर की सामयिक सूचना के कारण ही असाठहीन अथवा ता के पदच्युत से अग्रिम पाया था।

अमीर-ए-हाजिब यारबक दरबार की शान-शोकेत व सम्मों के अग्रिम उत्तरदायी था। वह मुस्लिम से मिलने वालों की देख-भाल करता था और उमरावों आदि पर अमीरों के पद के अनुसार बैठने की उपयुक्त व्यवस्था करता था। उसके अथवा उसके सहायक हाजिबों की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति मुस्लिम से नहीं मिल सकता था और न ही कोई प्राथमिक-पत्र प्रस्तुत कर सकता था। इन महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों की भूमिका में यह पद राजकुमारों अथवा मुस्लिम के अत्यन्त विश्वास-पात्र

1. कुरेशी, आई एच.—यही, पृ. 89.

2. कुरेशी—यही, पृ० 89.

व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित था ।<sup>1</sup> यहाँ तक कि नाईब हाजिव का पद भी केवल निक्ट सम्बन्धी प्रथवा सुल्तान के किसी मित्र को ही दिया जाता था । सदैव ही कुछ हाजिव सुल्तान की सदा में रहते थे और एक प्रथवा दो हाजिव उस समय भी उसकी उपस्थिति में मौजूद रहते थे जब वो किसी भ्रमीर से मनना कर रहा हो । ऐसे चुने हुए हाजिवो को ग्रास हाजिव कहते थे । प्रमुख-प्रमुख हाजिवो को विशेष उपाधिया जैसे 'सैयद उल हाजिव' दी जाती थीं ।<sup>2</sup> अधिकतर हाजिव प्रशिक्षित सैनिक होते थे और इन्हें भ्रमियाओ का नेतृत्व सौंपा जाता था । जब कभी सुल्तान किसी भ्रमियाओ का स्वयं नेतृत्व करता था तो हाजिव उसके व्यक्तिगत सचिव के रूप में कार्य करता था और हाजिव को युद्ध समिति में भी आमंत्रित किया जाता था ।

'सर ए-जांदार' सुल्तान के प्रगरक्षको का प्रधान था जिसके अधीन घनेको लम्बे, हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर तथा जांदार होते थे जिन्हें पूरी तरह से सैनिक शिक्षा दी जाती थी और शस्त्रो से लेस रखा जाता था । उनका यह कर्तव्य था की सुल्तान के सार्वजनिक रूप में उपस्थित होने पर वे सदैव उनके साथ रहे । हाथ में नगी तलवार लिये वे ऐसे भ्रवसरोँ पर सुल्तान के चारो ओर रहते थे जिसस सुल्तान की रक्षा के साथ ही उसकी भयता को बढ़ाते थे । ऐस महत्वपूर्ण पदो पर केवल निबिवाद स्वामि-भक्त गुलामा को ही नियुक्त किया जाता था ।

ये सभस्त पद मन्त्रियो के पद की तुलना में तो न थे परन्तु इनमें से प्रत्येक सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान प्रथवा घाराभ से सम्बन्धित था । इस कारण स ये अधिकारी सुल्तान के व्यक्तिगत सम्पकं में घाते थे । उसके विश्वासपात्र होने के कारण ये कभी-कभी मन्त्रियो से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते थे ।

शाही महल प्रथवा राजपरिवार के घनेको और छोटे-छोटे अधिकारी भी थे । 'मलिक-उल-हुकमा' शाही बैच था, किलाबदार पुस्तकालय का अध्यक्ष था और चाश-नीगर शाही रसोई की देखभाल करता था । शराबदार सुल्तान के शराब की व्यवस्था करता था । जो 'सावी-ए-खास' के द्वारा प्रस्तुत की जाती थी । इसी प्रकार से दवातदार, फराशिदार आदि अधिकारी थे ।

सुल्तान फिरोज ने अपने 1,80,000 दामा की देखरेख व व्यवस्था के लिये एक भलग विभाग खोला था । इनमें से किन्हीं को विभिन्न व्यवसायो की शिक्षा दिलाई गई और किन्हीं के लिये शिक्षा का प्रबन्ध किया गया था । अफीक के अनुसार, "कुछ दास पवित्र धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने तथा उन्हें कण्ठस्थ करने में अपना समय

1. बरनी—वही, पृष्ठ 36-37

2. बरनी—वही, पृष्ठ 527-28



सगाते थे और कुछ उनकी प्रति बनाने में सलग्न रहते थे।<sup>1</sup> इन दासों में से लगभग 1200 शिल्पी थे और लगभग चालीस हजार सुल्तान के अग्ररक्षक के रूप में सदैव तैयार रहते थे। शाही परिवार के अनेको दैनिक कार्यों के लिए इन्हे नियुक्त किया जाता था; जैसे छत्रदार, झन्दादार, शमादार, सगतराश आदि। इसके अतिरिक्त इनको अनेको राजकीय कारखानों में भी रक्खा जाता था।

दासों के प्रबन्ध के लिये 'असहब-ए-दीवान-ए-बन्दगाने' नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी<sup>2</sup> और इनके भत्ते आदि देने के लिये एक कोष की अलग से स्थापना की गई थी।

फीरोज तुगलक के समय अनेकों राजकीय कारखाने थे जिन पर सुल्तान समुचित धन-राशि व्यय करता था और उनको उपयोगी बनाने तथा सम्भव प्रयत्न करता था। ये कारखाने लगभग 36 प्रकार के थे जिनको रतीबी और गैर रतीबी श्रेणियों में बाटा जा सकता है। रतीबी कारखानों में फीलखाना, चुतरखाना, सग-खाना, शमाखाना आदि थे।<sup>3</sup> इन विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों पर सुल्तान लगभग एक लाख साठ हजार टक प्रति माह व्यय करता था और इतना ही धन इस क्षेत्र से सम्बन्धित अधिकारियों में बाटा जाता था। गैर रतीबी कारखानों में फर्श-खाना, रकाबखाना सिलहखाना, जमदरखाना, अलमखाना आदि थे। अलमखाने पर लगभग अस्सी हजार टक प्रति वर्ष व्यय किये जाते थे और इसी प्रकार दो लाख टक प्रति वर्ष फर्शखाने पर व्यय आता था। प्रत्येक कारखाना किसी खान अथवा अमीर के नेतृत्व में रक्खा जाता था। स्वाजा अब्दुल हसन खा समस्त कारखानों के उपर निरीक्षक का काम करता था। अलग-अलग कारखानों के लिये अलग अलग लेखाकार नियुक्त थे और इनका हिसाब रखते थे और उनको अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत करते थे।<sup>4</sup>

इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि देहली सुल्तानों के तीन सौ वर्षों के कार्यकाल में एक पल भी ऐसा नहीं आया कि जब प्रशासन के कार्य में स्थिरता आई हो। उन्होंने नयी व्यवस्था स्थापित करने के बजाय पुराने ढाँडों पर ही शासन चलाना अधिक हितकर व उपयोगी समझा और केवल अवश्यसभावी ही परिवर्तन किये। जो भी सुल्तान एक बार आता था वह सदैव अपनी ही व्यवस्था पैदा करता था।

1. अफीफ शम्सी सिराज-तारीख-ए-फीरोजशाही, पृष्ठ 80-81. (इलियट)
2. अफीफ—वही, पृष्ठ 271.
3. अफीफ—वही, पृष्ठ 337.
4. डे. यू. एन.—वही, पृष्ठ 82

एक बात आवश्यक है कि हालांकि सुल्तान कोई निश्चित प्रशासन प्रणाली को जन्म नहीं दे सके पर उनके इस प्रयोग का मूल्यांकन करते समय हमें भाज के प्रशासकीय आदर्शों के आधार पर उनके प्रशासकीय आदर्शों की तुलना नहीं करनी चाहिये। सही मूल्यांकन तो तब ही सम्भव है जब हम उस समय के विश्व के अन्य इस्लामी देशों के प्रशासन से उनकी तुलना करें।

### (घ) मुगलकालीन केन्द्रीय शासन

1526 ई० में जहीरूद्दीन मुहम्मद बाबर और इब्राहीम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध अनेक कारणों से महत्वपूर्ण था। मुगल वंश की स्थापना इसी युद्ध से हुई जिसने लगभग 325 वर्ष तक यहाँ शासन किया। अपनी इस विजय को स्थायी बनाने के लिए एक व्यवस्थित शासन की आवश्यकता का अनुभव करना स्वाभाविक था और विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि अफगान लोग पुनः अपने खोये हुए राज्य की प्राप्ति के लिये उत्सुक थे। मुगल बादशाह<sup>1</sup> (सम्राट) इस क्षेत्र में भाग्यशाली थे कि उन्हें पूर्णरूपेण एक नये शासन व्यवस्था स्थापित नहीं करनी पड़ी क्योंकि सल्तनत काल की जड़ें व्यवस्था किसी न किसी रूप में अब भी विद्यमान थी, और केवल उसे ही समय की मांगों के अनुसार कोई समुचित रूप ही देना था। पूर्वकाल में इस्लामी शासन की स्थापना के कारण उन्हें किसी विकल्प पर विचार करने की अधिक आवश्यकता अनुभव न हुई क्योंकि वे स्वयं भी उसी धर्म के अनुयायी थे जो सल्तनत-कालीन सुल्तानों का भी धर्म था। इसके प्रतिरिक्त सुल्तानों की अपेक्षा जो कि पूरी तरह से नवान्तुक थे मुगल सम्राट जाति और नस्ल के रूप भले ही उनमें भिन्न हो, परन्तु धर्म की समरूपता के कारण उन्हें उस विरोध का सामना नहीं करना पड़ा जो एक नव प्रागुन्तक को सर्वथा विरोधी संस्कृति, विरोधी आचार-विचार वाले देश के निवासियों से करना पड़ता है। स्वयं इस्लाम समर्थक होने के कारण उन्होंने यही अधिक हितकर समझा कि इस्लाम पर आधारित प्रशासक को स्थापित करना ही उनके लिए अधिक उपयोगी और श्रेयकर सिद्ध होगा।

1. सल्तनत काल (1206-1526) के शासक सुल्तान और मुगल शासक बादशाह (सम्राट) कहलाते थे। बाबर ने सम्राट की पदवी धारण कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी अतः उसके उत्तराधिकारी बादशाह ही कहलाते रहे।

बादशाह शब्द 'पाद' तथा 'शाह' से मिलकर बना है। इसका अर्थ ऐसे सम्राट से है जिनमें इनकी शक्ति हो कि वह किमी के द्वारा पदच्युत न किया जा सके।

कालीन लेखों में गुसलखाने का उपयोग दीवान के व्यक्तिगत कक्ष के रूप में किया गया है। वास्तविकता यह थी कि दीवानखाने और जनानखाने के बीच एक कक्ष जहाँ अकबर स्नान करने के बाद चुने हुये व्यक्तियों से मन्त्रणा करता था। इस प्रकार से यह क्योंकि गुसलखाने के पास था इसलिये इस कक्ष को गुसलखाने की सजा दे दी गई। तत्पश्चात् वह शाही बुर्ज में जाता था और वकील से मन्त्रणा करता था। इसी प्रकार से मध्यान्ह के पश्चात् वह शासन-कार्यों में व्यस्त रहता था और ये कार्यवाहियाँ तीनों सभ्राटों के बाल म र त्रि में काफी समय तक चलती रहती थीं।

अकबर, जहागीर व शाहजहा ने त्रमश बृहस्पतिवार, मंगलवार व बुधवार स्वयं न्याय करने के लिये निश्चित कर रखे थे जबकि वे झरोखा-दर्शन के बाद सीधे न्याय करने के लिये चल जाते थे। न्याय विभाग के अधिकारियों तथा कुछ उलेमाओं के अतिरिक्त, जो विद्वता में अद्वितीय थे तथा असाधारण रूप से ईमानदार थे, किसी और का यहाँ प्रवेश निषेध था।

इन तीन मुगल शासकों की दिनचर्या से यह स्पष्ट होता है कि वे इस तथ्य को समझ गये थे कि राजतन्त्र में शासन व्यवस्था इस पर आधारित है कि शासक किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी तथ्य की अनुभूति ही उनकी सफलता की कुंजी है। प्रसन्नता और तत्परता से शासन के उत्तरदायित्व को पूरा कर उन्होंने उन अधिकारियों के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया जो वास्तविक रूप में शासन चलाने के लिये उत्तरदायी थे। अकबर, जहागीर और शाहजहाँ शासन के सूक्ष्मतम विवरणों को स्वयं देखकर प्रजा को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिये प्रयत्नशील रहे। औरंगजेब की नीति भिन्न थी और राज्यकाल के अन्तिम 25 वर्षों में वह इस बुरी तरह दक्षिण में व्यस्त रहा कि शासन-व्यवस्था केवल नाम मात्र की ही रह गई और उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में तो शासक के सम्मुख शासन को व्यवस्थित करने का आदर्श ही रहा और न ही ऐसी परिस्थितियाँ रही जहाँ व्यवस्थित प्रशासन का प्रयास किया जाये।

इन शासकों की दिनचर्या से एक और तो यह स्पष्ट होता है कि वे किस प्रकार से अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिये सदैव व्यस्त जीवन व्यतीत करते थे और दूसरे वे प्रजा का वर्ग-वर्गीय किसी रोक-टोक के स्वयं से मिलने का अवसर देकर विद्रोहात्मक तत्वों का काफी मात्रा में अन्त करने में मग्न हो पाये थे। गुसलखाने में मन्त्रियों तथा विभाग-अधीन से मन्त्रणा कर वे उन्हें एक ऐसा अवसर दे सके जबकि वे मन्त्राट के सम्मुख उन बातों को स्पष्ट कर सकें जो कि वे तल्ले दरवार में बहने में असमर्थ थे।

सम्राट शासन का प्रधान होने के साथ ही साथ सेना का प्रधान भी था और न्याय-व्यवस्था का भी उद्गम था। ऐसी स्थिति में न्याय, की अन्तिम अपील उसी के

सम्मुख प्रस्तुत की जाती थी। राज्य का प्रधान सेनापति होने के नाते सैनिक अभियानों की व्यवस्था के लिये वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी था। इसके अनिर्दिष्ट यह इस्लाम का सरक्षक तथा अपनी मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता भी था। अकबर का विचार था कि सम्राट और धर्म-गुरु के अलग-अलग होने पर राज्य पर विपत्ति आ सकती है और इसलिये वह राज्य और धर्म दोनों का प्रधान था। अकबर सब धर्मों व जातियों में केवल शान्ति स्थापित करना ही नहीं अपितु उस सार्वभौम धर्म का प्रचार करना चाहता था जो शास्त्र पर आधारित न होकर बुद्धि अथवा तर्क पर आधारित हो।

आध्यात्मिक नेता होने के कारण वह मुसलमानों से जकात वसूल करता था और उसे मुसलमान प्रजा की भलाई तथा मुसलमान साधु-सन्तो और दीनों की सहायता तथा मस्जिदें आदि बनवाने में व्यय करता था।

मुगल सम्राटों के इतने विस्तृत अधिकार तथा मुगल शासन का स्वरूप उदार अथवा निरंकुश राजतन्त्र होने के कारण इन समस्त अधिकारों का उचित रूप में उपभोग करना अकेले व्यक्ति के लिये सम्भव न था इसलिये शासक राजतन्त्री सिद्धान्तों के अनुसार मन्त्री अथवा सलाहकार रखते थे। इस सस्था को प्रचलित भाषा में इजारात की मज्जा दी गयी थी। मुस्लिम विधिशास्त्रियों ने इसके अन्तर्गत केवल एक शक्तिशाली वजीर की कल्पना की थी। अलमावर्दी के अनुसार वजीर दो प्रकार थे— (अ) असीमित अधिकारों वाले (ब) और सीमित अधिकारों वाले वजीर। अरब विधिशास्त्री एक से अधिक असीमित अधिकारों से सम्पन्न वजीर के अस्तित्व की स्वीकार नहीं करते परन्तु राज्य-युक्त की विशालता और कार्य के भार को ध्यान में रखते हुये वे इसकी अनुमति देते हैं परन्तु ऐसी स्थिति में या तो उनका कार्य-क्षेत्र निश्चित हो अथवा वे सम्मिलित रूप में शासन की एक ईकाई के रूप में कार्य करें। सैदान्तिक आधार पर ऐसी स्थिति में दूसरे वजीर केवल विभागाध्यक्ष के रूप में वजीर के आधीन काम करते थे।<sup>1</sup>

असीमित अधिकारों वाले वजीर केवल मुसलमानों में से ही चुना जा सकता है। अल-मावर्दी पहला विधिशास्त्री था जिसने दूसरी श्रेणी के वजीर के लिये गैर-मुसलमान की नियुक्ति की भी मान्यता दी। इब्न-ए-खाल्दून राजनैतिक आधारों पर यद्यपि अलमावर्दी के विचारों का विरोध करता है<sup>2</sup> परन्तु इसके बाद भी मिथ जैसे इस्लामी राज्य में भी गैर मुस्लिम वजीर के पद पर नियुक्त होते रहे थे।

1. हसन, इब्न—वही, पृष्ठ 112

2. हसन, इब्न—वही, पृष्ठ 117-118

तुर्क जब भारत आये उस समय तक उन्हें वजारत का अर्थात् खाता अनुभव था। एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के साथ ही वजारत की सत्पा का भी यहाँ विकास हुआ और उसकी महत्ता बढ़ती चली गई।

ऐसे वातावरण में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और परम्परा के अनुसार एक शक्तिशाली वजीर की नियुक्ति की जो सैनिक व प्रशासकीय कार्यों के लिये उत्तरदायी था। निजामुद्दीन, खलीफा तथा हिंदू वेग क्रमशः बाबर और हुमायूँ के आधीन इसी प्रकार के वजीर थे।

अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के काल में वजीर पद वकील अथवा वकील-ए-मुतलक को दिया गया था। बाद के कुछ सम्राटों ने वकील का पद पुनः स्थापित किया जैसे जहाँदार शाह ने असद खा को वकील ए-मुतलक बनाया और उसके पुत्र मुल्तफकार को वजीर बनाया।

सैद्धान्तिक आधार पर वकील शासन का प्रधान था और राज्य की समस्त कार्यवाहियों के प्रति उत्तरदायी था। इस आधार पर वह शासक का प्रमुख सलाहकार था और नियुक्तियाँ, पदोन्नति और पदच्युत करने में सम्राट को सलाह देता था। यद्यपि वित्तीय व्यवस्था उसके सीधे अधिकार में नहीं थी परन्तु फिर भी वह वित्त संबंधी लेखे-जोखे कि प्रतिपा प्रत्येक विभाग से प्राप्त कर सकता था और उनका साराश अपने पाम रखता था।<sup>1</sup> ऐसी स्थिति में जब की वकील के पास कोई विशेष अधिकार नहीं रहे। तब भी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा शासक का विश्वासपात्र होने के कारण वह शासन-व्यवस्था की जांच पड़ताल करने का अर्थात् माध्यम था क्योंकि उसके द्वारा ही राज्य की समस्त आज्ञायें सम्राट के सम्मुख अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की जाती थी।

अकबर ने बराम खा की सेवाओं को ध्यान में रखते हुये उसे वकील बनाया। बराम खा के पांच वर्ष के इस अल्पकाल में ही अकबर ने अनुभव किया कि राज्य में समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित करना राज्य के लिये हितकर नहीं है। इसलिये बराम खा के समस्त अधिकार तथा प्रतिष्ठा तीन विभिन्न व्यक्तियों में विभाजित की। थोड़े ही समय में वकील का पद तीन व्यक्तियों को दिया जाना— शिहाबुद्दीन, अतव खा व मुनीम खा—शासक की बढ़ती हुई शक्ति व उसके अधिकार के उपयोग की और सकेत था। शासन के आठवें वर्ष में अकबर ने मुजफ्फर खा को दीवान नियुक्त किया और राजस्व तथा शक्ति सम्बन्धी समस्त अधिकार उसे प्रदान किए जो कि वकील के पद तथा प्रतिष्ठा को एक नया आघात था। वकील के पद की प्रतिष्ठा अगातार गिरती चली जा रही थी।

जहांगीर ने अपने शासन काल के चौथे साल से लेकर इक्कीसवें साल तक कोई वकील नियुक्त नहीं किया। अपने शासनकाल के अन्तिम समय में जब वह

लगावत खां के चमूल से मुक्ति या मका तब ही उसने धामफ या को इस पद पर नियुक्त किया था। धामफ या शाहजहाँ के शासन काल में भी वकील के पद पर हा और उसके शासनकाल के पन्द्रहवें वर्ष में उसकी मृत्यु के बाद कोई वकील नियुक्त नहीं किया। पत्थरवात् । दीवान ही कार्य करते रहे।

व्यवहारिक रूप में सम्राट और वकील के व्यक्तिगत सम्बन्धों पर ही वकील की स्थिति निर्भर रहती थी, जैसे अकबर के प्रारम्भिक काल में बैराम खां ने वकील के रूप में अधिकतर अधिकारों को अपने ही अन्तर्गत कर रखा था। वकील के पद से सम्बन्धित अधिकारों में लगातार कमी होती चली गई, और यद्यपि उस पद का सम्मान व प्रतिष्ठा उन्नीसवें शताब्दी में बनी रही परन्तु वह अधिकार रहित हो गया, यहाँ तक की कमी-कमी वकील का पद ही रिक्त पड़ा रहा और यदि नियुक्ति की भी गई तो यह केवल एक सम्मानमूचक दिशावा मात्र था। जैसे अकबर की मन्तव्य खानखाना और खान ए-आजम मिर्जा कोका की नियुक्ति केवल प्रतिष्ठा मूचक कार्यवाही ही थी। इसके साथ ही अकबर के समय में मुजफ्फर खां की तथा जहाँगीर के समय में शीफ की नियुक्ति इस बात की सूचक है कि अर वकील का पद अमीर वर्ग अथवा निष्ठा पूर्ण सेवा अथवा महत्वपूर्ण सम्बन्धियों के लिये ही सुरक्षित नहीं था।

शक्तिविहीन होने के बाद भी वकील सर्वे ही सम्राट के विश्वासपात्र रहे और उचित सम्मान के भागी रहे।

वकील को शक्तिविहीन करने के पश्चात् यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि उसके उत्तरदायित्व को किन्हीं मन्त्रियों को सौंपा जावे जो कि शासन के भार को सम्भालने के बाद भी स्वयं अधिक शक्तिशाली न होने पावे। इसके लिये यह उचित समझा गया कि राज्य कार्य अनेक मन्त्रियों में बाँटा जावे जो एक दूसरे से स्वतंत्र होने पर भी शासक के प्रति उत्तरदायी हों। इसी आधार पर वकील के अतिरिक्त चार मन्त्री मुगल राज्य में बाबर से अकबर तक थे, जिनकी सत्ता और ग जेद के शासनकाल में 6 हो गई थी। वे इस प्रकार थे —

(1) कोष तथा वित्त राजस्व विभाग (दीवान के अधीन) (2) सैनिकों का वेतन तथा जमाखर्च विभाग (मीरवन्शी के अधीन) (3) राजकीय गृह-विभाग (याने सामान अथवा और सामान के अधीन) (4) न्याय विभाग (दीवानी तथा फौजदारी) प्रधान काजो के अधीन (5) धार्मिक धन सम्पत्ति निर्धारण तथा दातव्य विभाग (प्रधान सद के अधीन) (6) जनता का सदाचार निरीक्षण विभाग (मुहत्सिब के अधीन)। इसके अतिरिक्त दो और छोटे छोटे विभाग थे जिन्हें उत्तरकालीन मुगल सम्राटों ने अन्य विभागों के समकक्ष ही बना दिया था। वे विभाग थे — (1) तोपखाना विभाग (और आतिश अथवा दरोगा ए तोपखाना के अधीन) (2) समाचार तथा डाक विभाग (डाक चौकी के दरोगा के अधीन)।

वजीर जो दीवान-ए-जुल अथवा दीवान-ए-माला भी कहा जाता था राज्य के समस्त वित्तीय प्रशासन का प्रधान था। सैद्धान्तिक धाधार पर यद्यपि वह वकील के अधीन था परन्तु व्यवहारिक रूप में वह स्वतन्त्र था<sup>1</sup> सम्राट द्वारा ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जो वित्तीय मामलो मे किसी प्रकार का दखल रखता हो उसी स्थिति में वह वजीर की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकता था। कभी-कभी वकील और वजीर के पद मिला दिये जाते थे जैसे कि जहाँगीर के समय शरीफ खा को एक साथ दोनों पद दिये गये थे।<sup>2</sup>

वजीर का कार्य बहुत ही द्रुमर था। उसके कर्तव्य सम्राट से भी अधिक कठिन और विलिप्त थे क्योंकि सम्राट अपने प्रतिष्ठा रूपी पद के पीछे प्रत्येक कार्य कर सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और गौरव के भागे कोई उदङ्ग होने का साहस नहीं कर सकता था। वजीर अथवा दीवान के पास ऐसी कोई ढाल नहीं थी। राज्य की स्थिरता शासक का गुण और राज्य का विघटन वजीर की जिम्मेदारी माना जाता था। इसलिये वजीर को दार्शनिक की तरह चतुर, भाव वालो की तरह सादा निश्चल वैश्य की तरह धन खर्च करने मे सतर्क और योद्धा की तरह पराक्रमी होना चाहिये।<sup>3</sup> वजीर की स्थिति किंतनी अधिक दुविधापूर्ण थी और किस प्रकार से उसे तलवार की नोक पर चलना पडता था, इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक और तो उसे सम्राट को तथा दूसरी ओर उसे जनसाधारण से दिन-प्रतिदिन सम्पर्क बनाये रखना पडता था इसलिये उसमें दोनों के हितो को सन्तुष्ट करने की क्षमता एक अनिवार्यगण था। इसके अतिरिक्त उसे राज्य के स्व-समान अधिकारियो से भी व्यवहार करना पडता था जो शासक के निकट होने के साथ ही जब साथ रहने के भी सम्पर्क में थे। निजाम-उल मुल्क द्वारा वजीर के उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु अपने पुत्र को दी गई सलाह इस सम्बन्ध मे उचित है। उनके अनुसार वजीर को चार दिशाओ में अपनी निगाह रखनी चाहिये—ईश्वर, शासक, शासक के निकट आने वाले व्यक्ति तथा जन साधारण। उसको सदैव ही यह ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने समस्त कार्यों के लिये ईश्वर के सम्मुख उत्तरदायी है। उसे शासक को प्रसन्न व उसकी मान-भर्यादा को बनाये रखने, शासक के निकट आने वाले व्यक्तियों से स्वयं को सुरक्षित करने और जन साधारण की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये तत्पर रहना चाहिये।

वजीर के इन उत्तरदायित्वो के साथ उसके अधिकार भी अत्यन्त विस्तृत थे। यद्यपि यह समझा जाता था कि वह वित्तीय मामलो का सक्षेप वकील को प्रस्तुत

1 अबुल फजल-एन ए-अकबरी भाग एक, पृष्ठ 4

2. कुरेशी, आई. एच. —द एडमिनिस्ट्रेशन आफ द मुगल इम्पायर, पृष्ठ 72.

3 हसन, आई—वही, पृष्ठ 113.

करेगा परन्तु वह किसी रूप में भी उसके आधीन नहीं था। अपने निर्णयों के लिये उसे वकील से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी और वह अपने समस्त मामले सीधे सम्राट से अन्तिम आशा लेने के लिये प्रस्तुत करता था। सम्राट प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले में उसकी सलाह लेता था और ये सत्य है कि सम्राट के लिए उसकी सलाह मापने रखती थी। सादुल्ला खा तथा इतमाउदोला जैसे वजीर सम्राट के पूर्ण विश्वास प्राप्त थे। सम्राट यद्यपि राज्य के प्रत्येक मामले को बारीकी से देखता था परन्तु उसके बाद भी अनेकों मामले वजीर की सलाह से ही निपटाये जाते थे। विशेषकर राज्य के विराट् सम्बन्धी मामलों में उसकी राय अधिक महत्ता रखती थी। प्रान्तीय गवर्नरों और दीवानों की नियुक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में थी यद्यपि सम्राट की इच्छा हमेशा अन्तिम रूप से निर्णायक थी। सरदार और परगने के अधिकारी उसी द्वारा नियुक्त किये जाते थे और औपचारिक रूप से सम्राट की अनुमति लेकर उन्हें पदाब्द कर दिया जाता था।<sup>1</sup> सम्भवतः वह सम्राट से पहले नियुक्ति करने के पहले अनुमति ले लिया करता था। प्रान्तीय दीवानों पर उसका अक्रुश दृष्ट था और प्रान्त की आय तथा व्यय के सम्बन्ध में उसे विस्तृत विवरण समय-समय पर जाच के लिये भेजे जाते थे।

केन्द्र में वजीर की सहायता के लिए तीन अधिकारी—दीवाने-खालसा, दीवान-ए-तन व मुसतफी होते थे। ये तीनों ही स्वतन्त्र रूप से अपने-अपने विभागों के प्रधान थे और सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। वजीर उनमें अग्रगण्य था और उनके कार्यों का सम्बन्ध करता था। उन पर उनका अधिकार सम्पूर्ण नहीं था।

दीवान-ए-खालसा राज्य की खालसा भूमि की आय सम्बन्धी अधिकारी था तथा उसकी वसूला करना उसी के अधिकार क्षेत्र में था।<sup>2</sup> दीवान-ए-तन<sup>3</sup> राज्य के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए उत्तरदायी था। ये भुगतान नकद अथवा जागीर के रूप में किया जाता था। दीवान-ए-तन यह देखता था कि तनख्वाह के रूप में भोगी को इतनी ही भूमि दी जा रही है जो समुचित रूप से उसके वेतन के बराबर हो जिससे कि न तो वेतन भोगी और न ही राज्य किसी प्रकार हानि के भागी हो। मुसतफी<sup>4</sup> राज्य का लेखा परीक्षक (माहीटर जनरल) था।

राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुचारु और दृढ़ रूप से चलाने के लिए आवश्यक था कि सम्राट वजीर को उचित प्रोत्साहन दे तथा ढाढस बंधाये। सम्राट

1. कुरेशी, आई. एच.—वही, पृष्ठ 74.
2. सरकार बहनाथ,—मुंगल एडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ 41-45.
3. कुरेशी—वही, पृष्ठ 75; मिर्झाकी, नोपाल अहमद—लॉर्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अण्डर दे मुगल्स पृष्ठ 64.
4. इब्न हसन—वही, पृष्ठ 209.



में एकता बनाये रखन अथवा उसकी व्यवस्था की देखरेख करने के लिए सम्राट सेना के साथ जाता था जैसे शाहजहा करता था, ऐसी स्थिति में मीर बरशी यात्रा के समय की साधारण जुम्मेदारिया को पूरा करता था। यदि उसे अभियान में किसी विशेष सैनिक टुकड़ी का अधिकारी बनाया हो अथवा अभियान के नेतृत्व की जुम्मेदारी ही सौंप दी गई हो तो ऐसी स्थिति में वह एक साधारण सैनिक अधिकारी अथवा अभियान के नेता के रूप में कार्य करता था। कभी-कभी शहजादे अथवा उच्चतम अमीर के नेतृत्व में भेजे गये अभियान में केवल अतिरिक्त महत्वपूर्ण अभियानों में अथवा सफरनामा के समय में जब उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो उसे भेजा जाता था, जैसे राजा टोडरमल और मिर्जा अजीज कोषा के साथ शहबान खा को और रवाजा अब्दुल हसन के साथ जहांगीर को भेजा गया था।<sup>1</sup> इन तीनों ही स्थितियों में सेना की रूपरत्ना अथवा नक्शा निश्चित करने में मीर बरशी का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। शाहजहा के समय में सेना के प्रस्थान के पहले ही समस्त योजनाएँ बनाली जाती थी और उसी के आधार पर समुचित आदेश अथवा हिदायत दे दी जाती थी।

मीर बरशी मनसबदारों के वेतन के विल पास करा कर अपने पास रखता था इसलिये उसे पे मास्टर जनरल कहा गया है, परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि वेतन का भुगतान दीवान-ए-तन ही करता था।<sup>2</sup> केवल उस समय जबकि सेना एक लम्बे अभियान पर हो तब ही वह मनसबदारों को अस्थायी रूप में वेतन का भुगतान करता था। अभियान की समाप्ति पर दीवान-ए-तन द्वारा हिसाब करते समय इसको ध्यान में रखा जाता था। सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य में केवल एक ही उदाहरण है जब कि शेख फरीद बुखारी ने ऐसा किया था परन्तु बरशी की यह कार्यवाही अनुचित मानी गई थी और दीवान की भी जिसने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की थी भरसंगा की गई।<sup>3</sup>

सैनिक विभाग का अध्याय होने के नाते मीर बरशी महल की चौकीदार करने के लिए मनसबदारों की नियुक्ति करता था। राजधानी में रहने वाले मनसबदारों की नियुक्ति करता था। राजधानी में रहने वाले मनसबदारों को सात भागों में बाटा गया था और प्रत्येक भाग सम्राट के एक निश्चित दिन महल पर तैनात किया जाता था। यद्यपि यह सूची मीर बरशी के द्वारा तैयार की जाती थी परन्तु सम्राट स्वयं इसे देखता था। अकबर के अन्तिम समय में मीर बरशी शेख फरीद ने इसी अधिकार

1 हसन, आई — वही, पृ 222-223

2 आईन-ए-अकबरी ब्लाकमैन भाग 1, पृ 161

3 कुरेशी, आई एच — वही, पृ 79

के कारण न केवल अप्रिय घटना से राज्य को बचाया अपितु शहजादे सलीम (जहांगीर) का उत्तराधिकारी बनना सुरक्षित कर दिया ।<sup>1</sup>

मीर बरशी को प्रांतीय यदिशयों द्वारा वहाँ की प्रमुख घटनाओं की जानकारी मिला करती थी जिनमे से वह महत्वपूर्ण घटनाओं को छ्दाट कर सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करता था । युद्ध-क्षेत्र मे वाक्पा-नवीस का कार्य बरशी को सौंप दिया जाता था जो सम्राट की समस्त घटनाओं की सूचना भेजता था ।

इन समस्त उत्तरदायित्वों को पूरा करना सम्भवतः एक व्यक्ति के लिए असंभव कठिन था इसलिए उसकी सहायता के लिए दूसरे बरशी भी हुमा करते थे । एन-ए-अकबरी के पृष्ठों मे यद्यपि बरशियों की निश्चित संख्या नहीं दी गई है परन्तु इतना आभास होता है कि बरशी एक से अधिक थे जिनमें से एक मीर बरशी कहलाता था ।<sup>2</sup> जहांगीर के राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में अहमदी सैनिकों के बरशी के प्रतिरिक्त तीन बरशी और भी थे । इनके प्रतिरिक्त जहांगीर के राज्यकाल में ही एक बरशी-ए-हुजूर व बरशी-ए-शाहिद पेशा (परिलू नौकरों वा बरशी) भी हुमा करता था ।<sup>3</sup> शाहजहा के शासनकाल में तीन बरशी ही थे और उनकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय बरशी कहा जाता था । प्रथम बरशी राजकुमारों और उच्चतम थ्रेणों के मनसबदारों से सम्बन्धित मामलों का देखता था । दूसरा बरशी दूसरी थ्रेणों के और तीसरा बरशी निम्नतम थ्रेणों के मनसबदारों से सम्बन्धित मामलों को देखता था ।<sup>4</sup>

इस प्रकार से मीर बरशी प्रशासन मे वजीर के समान ही प्रभावशाली व सम्मानित व्यक्ति था और प्रत्येक एक दूसरे पर अकुश का कार्य करते थे । इस प्रकार से इनके अधिकारों की व्यवस्था की गई थी कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे को गौण स्थितियों मे नहीं ला सकते थे । मीर बरशी राज्य के सैनिक विभाग का अध्यक्ष था और इस प्रकार वह मनसबदारों का प्रतिनिधि था परन्तु इस आधार पर न तो कमान्डर-इन-चीफ था और न ही अपने पद के आधार पर किसी अभियान का नेतृत्व करने के अधिकार उसमे निहित थे । स्वयं सम्राट परिस्थितियों के अनुसार अभियान का नेतृत्व निश्चित करता था । अधिकतर विभिन्न बरशी अभियान के लिए नियुक्त किये जाते थे और यह आवश्यक नहीं था कि बरशी के विभाग से प्रथम उसकी सहमति से ही नियुक्त किये जावें । युद्ध-क्षेत्र में स्वयं की उपस्थिति प्रथम किसी

1. श्रीवास्तव, ए. एस.—अकबर द ग्रेट भाग 1, पृ. 487.
2. सरकार जदुनाथ—मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पृ. 25.
3. हमन, आई.—वही, पृ. 229.
4. कुरेशी, आई. एच.—वही, पृ. 78-79.

महत्वपूर्ण भूमि भयवा राजकुमार की नियुक्ति वरणी पर अ कुश का काम करती थी ।

बरशी के पद के लिए यद्यपि सैनिक गुणों का होना अनिवार्य था परन्तु दरबार में तथा उसके दफ्तर के कार्य के आधार पर बरशी वा सुमस्कृत होना भी आवश्यक था । मुगल साम्राज्य के अधिकतर बरशी इन दोनों विशेषताओं के आधार पर ही चुने गये थे । अकबर के अधीन आसफ खा व शेख फरीद इसी प्रकार के व्यक्त थे । इस प्रकार से बरशी वा पद महत्वपूर्ण था ।

बरशी के बाद तीसरा व्यक्ति खानेसामान भयवा मीरसामान कहलाता था । अकबर के समय में मीरसामान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था ।<sup>1</sup> अकबरनामे में इस पद के समरूप दूसरे अधिकारियों का वर्णन मिलता है । जहागीर और शाहजहा के काल में मीरसामान शब्द का प्रयोग किया गया है । औरंगजेब के समय में खानेसामान ही अधिक प्रचलित था । इससे ऐसा अनुभव होता है कि अकबर के शासनकाल में खानेसामान मन्त्री नहीं कहलाता था किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में यह पद पूर्णतया सुसंगठित मन्त्री विभागों की तरह ही महत्वपूर्ण हो गया था ।<sup>2</sup>

खानसामान केन्द्रीय शासन के कारखाने भयवा बयूतात वा प्रधान था जिसमें राज्य की आवश्यकता सम्बन्धी भोजन और भण्डार की ममस्त वस्तुएँ रहती थी । वस्त्र, आभूषण और हीरे-जवाहरात से लेकर सेना के लिए घोड़े, हाथी, तोपें आदि इसी विभाग के अन्तर्गत थी । इस आधार पर वह राज्य के प्रत्येक मन्त्री के सम्पर्क में आता था । यदि मीर बरशी सेना की व्यवस्था करता था तो खानेसामान सेना के साज-सामान को जुटाता था । यदि एक उसके शिकार वा प्रबन्ध करता था तो दूसरा शिकार के सामान व आवश्यक वस्तुओं को जुटाता था और दोनों ही शासक के साथ जाते थे ।

खानसामान केवल बयूतात सम्बन्धी विभाग को सुचारु रूप से चलाने के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति भी उत्तरदायी था । वह सम्राट के निजी नौकरो एव दास और घरेलू विभागों का प्रधान था । ऐसे नौकरो का वेतन उसी की सिफारिश पर दिया जाता था । सम्राट, उसके जनानखाने तथा दरबार के लिए जिन-जिन वस्त्रों, आभूषणों तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उन सब के कारखाने उसी के अधीन थे । जब सम्राट द्वारा कोई भेंट दी जाती थी और यदि वह नकद रूप में न हो तो वही इस भेंट को प्रमाणित करता था तथा उसको कारखाने

1 वेवरिज—अकबरनामा, भाग 3, पृ 877.

2 हसन, आई—वही, पृ 235-238.

आदि से प्राप्त करवाता था। सम्राट को प्राप्त भेंट आदि का लेखा भी वही रखता था और प्रत्येक ऐसी चीज का हिसाब रखता था। राजकुमारों के विवाह से संबन्धित प्रत्येक उत्सव की व्यवस्था करना उसी की ज़म्मेदारी थी।<sup>1</sup>

राज्य की सरकारी बागों, दुकानों व मकानों से प्राप्त आय का हिसाब वही रखता था और ऐसी भ्रष्ट सम्पत्ति जो इजारे पर दी गई हो उसका धन प्राप्त करता था। मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति का हिसाब रखना भी इसका काम था जिससे कि राज को आय प्राप्त हो सके और मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के लिए सम्पत्ति सुरक्षित रखी जा सके।

खानेसामान केवल वित्तीय मामलों में वजीर के अधीन था अन्यथा उसका सम्राट से सीधा सम्बन्ध रहता था।<sup>2</sup> वास्तविक-रूप में दीवान-ए-बयूतात वजीर के अधीन था और वित्तीय पक्ष से सम्बन्धित बातों में वजीर का प्रतिनिधित्व करता था। खानसामान अपने विभाग के अनुमानित खर्च का प्रबंधाधिक व्यौरा बनाता था और वजीर तथा सम्राट से उसकी स्वीकृति प्राप्त करता था।<sup>3</sup>

खानेसामान की सहायता के लिए अनेक सहायक अधिकारी होते थे। दीवान-ए-बयूतात विभाग के विभिन्न सम्बन्धी मामलों को देखता था। प्रत्येक कारखाने के लिये एक दरोगा नियुक्त किया जाता था जो उस कारखाने में कार्य करने वाले कारीगरों को दैनिक कार्य व उनसे सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करता था। प्रत्येक कारखाने का तहवीलदार अपने कारखाने से सम्बन्धित मकद और माल का हिसाब रखता था और मुस्तफी उसकी सहायता करता था। खानसामान इन सब के कार्यों की देखभाल करता था।

इस प्रकार खानसामान के अन्तर्गत राज्य के कारखानों ने न केवल सस्ते मूल्य पर राज्य की सभी आवश्यकतायें पूरी कीं परन्तु साथ-ही-साथ इन कारखानों ने गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। कारखानों द्वारा निमित्त वस्तुएं कारीगरों के लिए एक आदर्श के रूप में रहीं और स्थानीय कारीगरों को सहज ही में वस्तुओं के नमूने मिल सके। शाहजहाँ द्वारा पांच लाख रुपये के बड़े कारखानों से निमित्त उतने मूल्य की वस्तुओं को बेचकर तथा इनसे प्राप्त लाभ भी मक्का को भेंट करने की आज्ञा से इन कारखानों और इनमें निमित्त वस्तुओं के बारे में अन्दाजा लगाया जा सकता है। शाहजहाँ के समय में मीर सामान के पद का महत्व इसी आधार पर माना जा

1. सरकार, जदुनाथ—मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन; पृ. 48-52.
2. अबुल फजल—एन-ए-प्रकबरी भाग 1, पृ. 4.
3. अबुल फजल—एन-ए-प्रकबरी भाग 2, पृ. 26.

सकता है कि मीर सामान, मीर जुमलन, का पद 4000 जात व 2500 सवार का था।

चौथा विभाग का न्याय का था जो प्रधान काजी के अधीन था। मुगलों की न्याय-व्यवस्था पूर्णतया मुस्लिम विधिशास्त्रियों के सिद्धान्तों पर आधारित तथा उत्तरी भारत से मुस्लिमों के द्वारा स्थापित व्यवस्था थी। यद्यपि मुस्लिम विधिशास्त्रियों के काजी वगैर न्याय करने के सम्बन्ध में विभिन्न विचार हैं परन्तु वे इस बात पर सहमत हैं कि सम्राट को न्याय करने का अधिकार है। न्याय करने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है इसलिए ये विश्वास किया जाता है कि सम्राट एक विद्वान उलेमा को काजी का पद देगा। काजी का पद इस आधार पर परमावश्यक है और इसलिए उलेमाओं का एक ऐसा समूह भी होना चाहिए जो कानूनी बारीकियों के बारे में पूरी तरह फतवा दे सके। इस प्रकार से मुस्लिम विधिशास्त्री न्याय के लिए दो माध्यमों को स्वीकार करते हैं—सम्राट तथा प्रधान काजी।

सम्राट अपने काल का खलीफा माना जाता था और वही सबसे बड़ा न्यायधीश था और सप्ताह में एक दिन अपनी कचहरी लगाता था।<sup>1</sup> उसका न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय था। ऐसा अनुभव होता है कि सम्राट प्रत्येक दिन खुले दरवार में साधारण मुकदमों की सुनवाई करता था परन्तु ऐसे मुकदमों जिनमें गवाहों के बयान, तर्क-वितर्क करना पड़ता था उन्हें सप्ताह में एक दिन ही सुनता था।<sup>2</sup> अबुल फजल के अनुसार अकबर इस दिन लगभग साढ़े चार घण्टे न्याय करने के लिए बैठता था और जहागीर प्रतिदिन ही लगभग दो घण्टे न्याय के लिए बैठता था।<sup>3</sup> सम्राट की यात्रा, अभियान आदि में भी न्याय का कार्य इसी प्रकार चलता रहता था। राज्य कार्य में सम्राट की अत्यधिक व्यस्तता के कारण उसके लिए यह सम्भव नहीं था कि वह सब अपीलों को सुन सके इसलिए एक प्रधान काजी होता था जो प्रधान न्यायधीश कहलाता था।

प्रधान काजी की नियुक्ति स्वयं सम्राट ही करता था और वही उसे पदच्युत भी कर सकता था। सम्राट के जाने-पहचाने व्यक्तियों में से जिनके ज्ञान के बारे में वह सन्तुष्ट हो, केवल वही इस पद पर नियुक्त किये जाते थे। एन-च अकबरी में इस

1. अकबर ने बृहस्पतिवार, जहागीर ने मंगलवार व शाहजहाँ ने बुधवार इसके लिए निश्चित कर रखे थे।

2. हमन, आई—वही पृ. 317.

3. हाकिमस, डब्ल्यू—ट्रेवल्स पृ. 116.

पद के लिए इस शर्त का भी आभास मिलता है कि व्यक्ति अकबर के धार्मिक विचारों का समर्थक हो।<sup>1</sup> इस आधार पर यह सहज ही में विश्वास किया जा सकता है कि अकबर के अधीन न्याय-विभाग और उसके अधिकारी न तो किसी प्रकार से स्वतन्त्र विचारों के ही रहे होंगे और न ही वे स्वयं को घूमखोरी से बचा सके होंगे। बदाउनी के प्रतिरजित विवरण को यद्यपि अक्षरशः सत्य नहीं माना जा सकता, परन्तु फिर भी इतना अवश्य निश्चित है कि अकबर कालीन न्याय विभाग के अधिकारी किसी प्रकार के आदर्श न्यायधीश नहीं थे। अकबर के अन्तिम समय में जब उसे धार्मिक नवाचार में रुचि कम होने लगी तब ही काजी के कार्य में हस्तक्षेप भी कम होने लगा और न्याय विभाग की स्वतन्त्रता स्थापित हो सकी। काजी और विशेषकर प्रधान काजी की श्रेष्ठता औरगजेब के समय में ही स्थापित हो सकी।<sup>2</sup>

प्रधान काजी राज्य के समस्त अर्थात् अधीनस्थ काजियों की नियुक्ति करता था। अधिकतर यह मान्यता है कि केवल केन्द्र प्रान्तीय राजधानियों तथा बड़े-बड़े शहरों में ही काजी नियुक्त किये जाते थे परन्तु ऐसा उचित नहीं दिखता। कस्बों तथा परगनों में भी काजियों की नियुक्ति की जाती थी। काजी के अधिकार बहुत थे और वह अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था किन्तु वह अपने अधिकारों का प्रायः दुरुपयोग किया करता था। उसके विभाग में बहुत भ्रष्टाचार था। सर यदुनाथ सरकार के अनुसार, "मुगल काल में जितने भी काजी थे उनमें से कुछ प्रतिष्ठित अपवादों को छोड़कर सभी घूमखोर थे।"

आरम्भ में प्रधान काजी दीवानी और फौजदारी मुकदमों तथा घर्म सम्बन्धी मुकदमों का फैसला मुस्लिम कानून के अनुसार करता था। समय के अनुसार उसके कार्यों में बढ़ोतरी होती चली गई और अनेकों मुस्लिम परोपकारी सस्याएँ उसके अन्तर्गत आ गईं जैसे बट्टे, अनाथों, दिवालियों और पागलों की सम्पत्ति का मरक्षक हा गया। ऐसी विघनायें जिनके हितों को सुरक्षित करने वाला कोई न था उनके पुनर्विवाह आदि की व्यवस्था भी उन्हीं के हाथों में आ गई।

यद्यपि सद्र का पद मुगल काल में औरगजेब के पहले भी था परन्तु उसने उस मन्त्री का रूप दिया था। औरगजेब ने दूसरे मुगल शासकों की अपेक्षा धार्मिक भावनाएँ अधिक थीं और इसलिए सम्भवतः यह शक्ति को कठोरता से पालन करना चाहता था जिनके अनुसार मुस्लिम मन्त्राट का दायित्व न केवल स्वयं सच्चे मुसलमान के रूप में जीवन व्यतीत करने से समाप्त हो जाता है अपितु वह इसके लिए भी

1 कुर्ेशी, भाई एच — वही, पृ 186

2 मनुषी, एन — स्टोरिया डो मोगर इन्ड्यू, इरविन द्वारा अनुवादित भाग दो, पृ 256

उत्तम्दायी है कि उसकी समस्त मुस्लिम जनता सच्चे मुसलमान के रूप में जीवन व्यतीत करे। ऐसा ही मुस्लिम सम्राट जो शरियत के आधार पर ही शासन करता है वही 'हाकिम ए-म्रादिल' कहलाता है।<sup>1</sup>

दिल्ली सल्तनत के काल में उलेमाओं में से एक व्यक्ति जो अपनी विद्वत्ता व सदाचार के आधार पर सुल्तान को सलाह देने के लिए चुना जाता था उसे 'शेख-उल-इस्लाम' की सजा से पुकारते थे। मुगल काल में यही व्यक्ति 'सदर-अस-मुदूर' के नाम से जाना जाने लगा। मुस्लिम विधिशास्त्रियों के अनुसार सदर सम्राट और जन-साधारण के बीच एक कड़ी है जो कि उलेमाओं का प्रतिनिधि व शरा का समर्थक था। शासक को उससे प्रत्येक कानूनी व धार्मिक मामलों में सलाह लेनी चाहिये व उसके द्वारा दी गई सलाह को लागू करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिये। यदि राज्य का कोई अधिकारी उसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य न करे तो सम्राट को उसे उचित दण्ड देना चाहिए।

सदर धार्मिक धन-सम्पत्ति तथा दातव्य विभाग का प्रधान होता था। सम्राट एवं शाही परिवार के सदस्य, विद्वान उलेमा और साधु-सन्तों की सहायता के लिए जागीर तथा धन-राशि प्रलग से निश्चित कर दिया करते थे। सदर का पहला काम था कि वह योग्य व्यक्तियों, ईमानदार और योग्य शिक्षकों, बुद्धिमान व गरीब विद्यार्थियों, उलेमाओं आदि के प्रार्थना-पत्रों की जाच कर उनको वजीफा अथवा "मदद-ए-माश" दिलवाने की सिफारिश करें।<sup>2</sup> अकबर और जहांगीर के शासनकाल में केवल सम्राट ही सदर की सिफारिश पर दान आदि स्वयं देता था परन्तु शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में सदर को भी इन प्रकार से दान में जागीर अथवा नकद धन देने का अधिकार दिया गया था। इनके अतिरिक्त शाहजहाँ और औरंगजेब के राज्यकाल में दान आदि की राशि अकबर और जहांगीर से अधिक थी।

सदर अपने अधीन प्रान्तीय सदरों की नियुक्ति करता था। कभी-कभी प्रधान मद्र ही प्रधान काजी का भी काम करता था, किन्तु अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के काल में इन दोनों पदों पर भिन्न-भिन्न व्यक्ति ही कार्य करते थे।

अकबर के अधिकतर सदरों के पास कोई मनसब न था, केवल भूमि थी। शाहजहाँ के शासनकाल में मूसवीखान के पास 4000 जात व 750 सवार का मनसब था। सैयद सदर जलाल के पास 6000 जात व 2000 सवार का मनसब था जो कि किसी सदर को दिया गया उच्चतम मनसब था।<sup>3</sup>

1 हसन, आई — वही, पृ 255

2. कुरेशी, आई एच — वही, पृ 208

3 हमन, आई — वही, पृ 288.

सदर के बाद जनता का सदाचार निरीक्षक अथवा मुहत्सिब यह देखता था कि मुसलमान, पैगम्बर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। मुस्लिम जनता को शरियत के विरुद्ध कार्य करने से वह रोकता था। उसका काम खिची हुई शराब अथवा उत्तेजक जौ की शराब, भाग और मादक द्रव्यों का पीना, जुए का खेलना तथा कुछ विशेष प्रकार के मैयुनों को रोकना होता था। वह उन मुसलमानों को दण्ड देता था जो नमाजों तथा रोजों का त्याग करते थे और पैगम्बर की बताई हुई बातों में विश्वास नहीं करते थे। औरगजेब के समय में मुस्लिम जनता के सदाचार निरीक्षक के साथ ही वह हिन्दू मन्दिरों को ध्वस्त करने वाला अधिकारी भी था। औरगजेब के काल में आठ सदर नियुक्त हुये जिनमें कलीय सा दो बार सदर बना।<sup>1</sup>

इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मुगल सम्राटों में अकबर ने पहली बार केन्द्रीय शासन-व्यवस्था में परिवर्तन करना प्रारम्भ किया। अकबर ने मुस्लिम विधिशास्त्रियों के एक शक्तिशाली वजीर के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इसलिए एक और तो उसने इस मुस्लिम परम्परा को त्यागा और दूसरी ओर वजीर की शक्ति पर अकुश लगाया। इस नीति का सबसे पहला शिकार वकील हुमा। वकील के पद को उतारने अवश्य बनाये रक्वा परन्तु वह पद अब केवल दिखावे का पद रह गया।

तत्पश्चात् दीवान (वजीर) की बारी आई। राज्य में इसके पहले समस्त अधिकारों के भोक्ता दीवान और भीरवरथी थे। उनसे राज्य की समस्त मैनिक और प्रशासनिक मनाओं को मनसबदारी प्रथा के अन्तर्गत करके उन दोनों के स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब शासन का कुशलता पूर्वक चलाने के लिए दोनों ही उत्तरदायी ठहराये गये।

शासन के कार्य में यद्यपि इसके बाद भी दीवान का स्तर श्रेष्ठ था परन्तु भीर वरथी को केन्द्रीय सरकार में अधिक प्रभुत्व प्रदान कर उसने दीवान की शक्ति को सन्तुलित किया तथा दोनों को ही सीधे शासक के प्रति उत्तरदायी बनाया।

तीसरा मन्त्री खानेसामान यद्यपि दूसरे मन्त्रियों के समान ही प्रभावपूर्ण था परन्तु उसकी शक्ति को सन्तुलित करने के लिए एक और तो दरबार के कार्यों को ज़ुम्मेदारी भीर वरथी को दी और दूसरी ओर गुसनखाने के दारोगा की नियुक्ति की तथा उस विभाग के दीवान को अधिक महत्व दिया। दीवान खानेसामान की तरह समान अधिकारों का भोक्ता था और उसका वजीर से सीधा सम्पर्क था।

गुसनखाने के दारोगा की नियुक्ति, जो कि शासक के निजी सचिव के रूप में कार्य करता था, अर्ज ए-मुकरर जो कि सम्राट की आज्ञाओं को दोहरा कर पुनः उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता था और इन दोनों का ही सीधे ही सम्राट के

1 सरकार, जदुनाथ—औरगजेब एब्द हिज टाइम्स, पृ 433-34



प्रति उत्तरदायी होने तथा इन पदों पर अपने विश्वासपात्रों को नियुक्त करने के कारण तीनों ही मंत्रियों की शक्ति को नियन्त्रित करने में सम्राट ने सफलता प्राप्त की।

चौथे मंत्री सद्र की शक्ति को सतुलित करने के लिए उसने प्रान्तीय सद्रों की नियुक्ति की, सद्र के भूमि दान देने अथवा वजीफा देने पर प्रतिबन्ध लगाया और इस प्रकार की व्यवस्था की कि सद्र के द्वारा दान दी गई समस्त भूमि सम्बन्धी कामजात योग तीनों मंत्रियों की भी स्वीकृति प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त अकबर की सुलहकुल की नीति ने भी सद्र के अधिकारों पर सबसे बठोर आघात किया। केवल यही नहीं, अपितु सुलहकुल के सिद्धान्त में विश्वास रखना सद्र के पद के लिए एक आवश्यक शर्त बना दी।

इस प्रकार से राज्य की शासन सम्बन्धी शक्तियाँ चार समान शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण मंत्रियों में बाँट दी और यद्यपि प्रत्येक अपने विभाग में स्वतन्त्र था परन्तु फिर भी अनेक अवसरों पर उन्हें एक-दूसरे की सहायता लेना अनिवार्य था।

शक्ति सतुलन का यह कार्य केवल चार मंत्रियों में शक्ति विभाजन से ही समाप्त नहीं हुआ। कभी-कभी अकबर शासकीय कार्यों के निरीक्षण के लिए दरबार के ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति कर देता था जो राज्य के किसी भी विभाग से सम्बन्धित नहीं होते थे, जैसे अपने शासन काल के 35वें वर्ष में उसने आसफ खा को कश्मीर में इनाम के रूप में जागीर देने भेजा यद्यपि आसफ खा का दीवान के विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसी तरह से सम्राट अपनी मजलिस में मंत्रियों के अतिरिक्त अनेकों अधिकारियों अथवा अमीरों को भी आमन्त्रित कर लेता था। इससे एक ओर तो वह मंत्रियों की शक्ति को सतुलित करने में समर्थ रहा तथा दूसरी ओर अनुभवहीन अधिकारियों का लाभ उठा सका। इन सबके अतिरिक्त सम्राट की उपस्थिति, शासन-कार्य की बारीकियों में उसकी रुचि, राज्य की समस्त कार्यवाहियों पर उसका निरीक्षण स्वयं अपने में ही शक्ति सतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम था।

## प्रान्तीय व स्थानीय शासन

### (अ) सल्तनत-कालोन

एक वृहत् राज्य के लिये एक ही केन्द्र से शासन की सुव्यवस्थित और मुचारू से चलाना निस्तान्त असम्भव है और विशेषकर मध्ययुग में जबकि आवागमन के साधन नाम मात्र के होने के साथ ही साथ अत्यन्त धीमी गति से चलित थे। यह अव्यवस्था साम्राज्य के बढ़ने के साथ ही साथ और अधिक जटिल होती गई। इस समस्या के निराकरण के लिए आरम्भ से ही केवल एक हल सम्भव रहा और वह था कि राज्यों को विभिन्न प्रान्तों अथवा उससे भी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाने। इसी हल के आधार पर प्रान्तों की शासन-व्यवस्था का उदगम् हुआ जो अलग-अलग समय में और बढ़ती हुई परिस्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न स्वरूप लेता रहा।

इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित थी और तुर्क शासक भी भारत में आने के पहले इससे परिचित थे। उम्मासिद शासकों ने फारसी नमूने अथवा आदर्श के आधार पर ही अपने राज्य को प्रान्त में बांट रखा था और अम्मासिद वंश के लोग भी इससे अपरिचित नहीं थे। अलीफाओ ने अपने वृहत् राज्य को प्रान्तों में बांट कर उन्हें विभिन्न अमीरों अथवा आमीरों (गवर्नर) के नेतृत्व में रखा था और ये अधिकारी योग्यता तथा शासकों की शक्ति के अनुपात में अधिकारी व मुवि आमीरों का उपभोग करते थे। स्वाभाविक है कि दूरस्थ प्रान्त के अमीर अधिक अधिकारों का उपभोग करते थे और साधारण रूप से उनका व्यवहार स्वतन्त्र अथवा अर्धस्वतन्त्र शासक के समान होता था। अधिकारों की इस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विधि-शास्त्रियों ने गवर्नरों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। मायबों ने इनकी तीन वर्गों में विभाजित किया है—सीमित अधिकारों वाले,

1 वरम खुदा—ओरियन्ट एण्डर द कैलिफम पृष्ठ, 262-76  
कुरेशी, भाई० एच०—द एडमिनिस्ट्रेशन आफ द सल्तनत आफ देहली,  
पृष्ठ 25.

असीमित अधिकारो वाले तथा "डी फेक्टो" अर्थात् स्वतन्त्र शासक गवर्नर जिनको कि वह अनाधिकार ग्राही गवर्नर की सजा देता है ।

असीमित अधिकारो वाले गवर्नर के प्रमुख कार्यों की हम इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं—प्रान्त की सैनिक व्यवस्था का वो सर्वोच्च अधिकारी था और इसके अन्तर्गत वह सैनिको को विभिन्न स्थानो पर रखने तथा उनका वेतन निश्चित करने के प्रति उत्तरदायी था, प्रान्त मे काजियो को मनोनित करने मे भी वह सर्वोच्च अधिकारी था, प्रात में सार्वजनिक सुरक्षा को बनाये रखने तथा ईद और जुम्में (शुक्रवार) की नमाजो का नेतृत्व करना उसी का कार्य था, वार्षिक हज के लिए हाजियो के सज समान की व्यवस्था करना तथा उन्हें भेजना उसी के अधिकारा के अन्तर्गत आता था । इसी प्रकार म वह नागरिको के सार्वजनिक-नैतिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भी ज़ुम्मेदार था, करो को लगाने तथा उनको उगहाने के लिए वह कर-अधिकारियो की नियुक्ति करता था, काफ़िरो के विरुद्ध युद्ध करना तथा प्राप्त लूट मे से राज्य और सैनिको के हिस्सो का बटवारा करना भी उसी के अधिकारो क अन्तर्गत आता था ।

गवर्नर के इन अधिकारो के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे सर्वशक्तिमान शासक ही थे और उक पर किसी प्रकार का अकुश नहीं था । सत्यता का इसम कुछ अश भ्रवश्य है परन्तु यह स्वीकार करना कि वे सर्व सवा ही थे किसी प्रकार उचित नहीं है । सर्वप्रथम यहा यह जान लेना भी आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था में असीमित अधिकारो वाले गवर्नर न केवल शासन अपितु धार्मिक कार्यों के प्रति भी उत्तरदायी थे क्योंकि जहाँ उन्हें एक और प्रजा के नैतिक जीवन को देखना पडता था वहा क हाजियो को सुविधा पहु चाने के लिय भी उत्तरदायी ठहराये जा सकते थे । उस समय की व्यवस्था मे यह सर्वमान्य था क्योंकि उस समय मे धर्म निरपेक्ष राज्य की कल्पना का भी जन्म नहीं हुआ था । गवर्नर पर इसके पश्चात् भी अनेको अकुश थे । गवर्नर खलीफा के द्वारा निर्धारित सैनिको के वेतन मे कोई बढोतरी नहीं कर सकता था और यदि किसी कारणवश उसन ऐसा किया भी हो तो ये बढोतरी केवल अस्थाई थी जब तक कि खलीफा द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त न कर ली जावे । गवर्नर इस बात के लिए अधिकारी था कि वो किसको वार्षिक वृत्ति प्रदान करे अथवा सैनिको को पारितोषिक के रूप मे कुछ धन दे दे । वित्तीय क्षेत्र मे गवर्नर को शासन के खर्च वाद वची हुई राशि को खलीफा को प्रेषित करनी पडनी थी परन्तु वास्तविकता यह थी कि प्रान्तो की आय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रयाप्त नहीं होती थी इसलिए सदैव ही गवर्नर को खलीफा की सहायता पर निर्भर रहना पडता था । इन सबस बडा अकुश स्वयं उसके कार्यकाल के रूप म था । यदि गवर्नर की नियुक्ति स्वयं खलीफा ने की हो तो ऐसी स्थिति में वह खलीफा की मृत्यु के बाद भी अपने पद पर

प्राप्तिन रहता था परन्तु यदि उसकी नियुक्ति किसी असमीमित अधिकार वाले वजीर के द्वारा की गई हो तो वजीर के अपदस्थ होने पर अथवा उसकी मृत्यु पर गवर्नर को भी अपदस्थ कर दिया जाता था, यदि उसी नियुक्ति की स्वीकृति खलीफा के द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो। इन प्राधारों पर यह अनुमान लगाना कुछ सीमा तक ठीक है कि असमीमित अधिकार होने के बाद भी गवर्नर पूरी तरह से स्वतन्त्र नहीं थे और अर्थात्वाव के कारण वे खलीफा के विरुद्ध कार्य करने में असमर्थ थे। इन असमीमित अधिकारों वाले गवर्नरों को "इमारत-ए-खास" की सजा दी गई थी।

सीमित अधिकार वाले गवर्नर इतने विस्तृत अधिकारों का उपभोग नहीं करते थे। न्याय व्यवस्था अथवा करों को लगाने का उनका अधिकार नहीं था और फौजदारी मामलों में भी उनके अधिकार सीमित थे क्योंकि ऐसे समस्त मामले जिनमें धार्मिक कानूनों की अवहेलना की गई हो काज़ी के अधिकार क्षेत्र में थे। इनके अतिरिक्त फौजदारी मामलों में भी वे तब ही हस्तक्षेप कर सकते थे जब कि कोई गार्ड अपना मुकदमा उनके सम्मुख लाये। प्रथम सम्बन्धी मामलों में भी उन पर अकुश था। प्रान्तीय शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने, शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने तथा प्रान्तीय सैनिक व्यवस्था को बनाये रखना उनके प्रमुख अधिकार थे। बापिक हज़ के लिए हाज़ियों के साज-समान को व्यवस्था करना भी उसके अधिकारों के अन्तर्गत ही था। इनको "इमारत-ए-आम" की सजा दी गई थी।

इन दो प्रकार के गवर्नरों के अतिरिक्त विधि-शास्त्रियों ने एक तीसरे प्रकार के गवर्नर की ओर भी भ्रूण भवेत किया है और इनको 'इमारत-ए-इस्तिला' की सजा दी है, अर्थात् वे गवर्नर जिन्होंने अनधिकार ग्रहण किया हो और इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष शर्तें भी लगाई हैं। हमारे अध्ययन काल में इस प्रकार के गवर्नरों का कोई विशेष अस्तित्व नहीं रहा क्योंकि ये दो प्रान्त थे जिनमें भी स्थानीय सरदारों को अपने प्रदेश पर अधिकार बनाये रखने की आज्ञा दी गई थी और इसके बदले में वे मुल्तान को बापिक कर दिया करते थे। ऐसे प्रान्तों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी सरदार पुरानी परम्पराओं के अन्तर्गत शासन चलाते थे।

ये समस्त वर्गीकरण मोटे रूप में सैद्धान्तिक ही था - क्योंकि प्रान्तीय गवर्नरों के अधिकार, उनकी व्यक्तिगत योग्यता, खलीफा की शक्तिहीनता तथा केन्द्र से प्रान्त की भौगोलिक स्थिति के अनुगत में, घट बढ़ जाते थे। केन्द्र के निकट होने पर असमीमित अधिकारों का उपयोग करना सम्भव नहीं था।

तुर्की मुल्तानों के सम्मुख शासन स्थापित करने सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ थीं। प्रथमतः वे विदेशी विजेता थे और ऐसी स्थिति में आरम्भिक वर्षों में उनकी शासन व्यवस्था केवल सैनिक रूप में ही सम्भव थी। जैसे-जैसे उनकी स्थिति दृढ़ होती चली गई वैसे ही वैसे अत्यधिक धीमी गति से प्रशासन की ज़म्मेदारियाँ बढ़ने

लगी। भारम्भिक रूप में इन सुल्तानों ने अपने मातृ-देश आदि की ही कुछ शासकीय संस्थाओं को नये विजित प्रदेशों पर लागू किया और यहां पर प्रचलित शासन व्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपनाई और केवल ऐसी शासकीय संस्थाएँ जो कि पूर्णरूपेण विजेताओं के अधिकार क्षेत्र में आती थीं उनमें ही उन्होंने अपने मातृ-देश के आचार पर शासकीय संस्थाओं को लागू किया। इसलिए सल्तनत काल के भारम्भिक वर्षों में विशेषकर प्रान्तीय व स्थानीय शासन में अथवा भू-राजस्य में विजेताओं ने कोई शलाघनीय परिवर्तन नहीं किया। समय के अनुसार जैसे-जैसे उनके साथ मातृ-देश के साथ कम होते चले गए और उनकी विजयों में स्थायी रूप धारण किया तथा उनका क्षेत्र विस्तृत होने लगा वैसे ही वैसे शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता उन्होंने अनुभव की। इसीलिए ममलुक तुर्कों की शासन व्यवस्था मूलरूप से प्रयोगों की एक शृंखला थी जो शासन में व्यापक रूप धारण करने में असमर्थ रही।

इसके प्रतिरिक्त सल्तनत काल में राज्य-विस्तार एक निरन्तर प्रक्रिया थी जिसका विकास मुहम्मदगोरी द्वारा पृथ्वीराज को तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित करने के साथ ही आरम्भ हुआ। यह प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही। मुहम्मदगोरी ने अपने विश्वासपात्र कुतुबुद्दीन ऐबक को विजय के अपने अग्रदूतों के काम को करने के लिए छोड़ा और स्वयं पुनः मध्य एशिया की राजनीति में फँस गया जहाँ से वह कुतुबुद्दीन के कार्यों का नेतृत्व करता रहा और समय समय पर केवल दुर्जेद शत्रु के विरुद्ध ही उसके लिए सहायता हेतु आना सम्भव हो सका। इस्तुनबुल की राज्य सीमाएँ भी सीमित ही रहीं और बगाल जैसे दूरस्थ प्रदेश पर अधिकार केवल नाम मात्र का ही रहा। इल्तारी तुर्कों को राज्य विस्तार की नीति का परित्याग करना पड़ा क्योंकि आधे दिन उन्हें तुर्की परतन्त्रता को उखाड़ फेंकने के विरुद्ध किये जाने वाले पड़यंत्रों के विरुद्ध अभियान करने पड़ते थे। इसलिए बलबन ने तथाकथित मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई और अपने पुत्र गुमरा खाँ को बगाल का गवर्नर नियुक्त करके ही मनोप किया अलाउद्दीन के राज्याभिषेक के साथ ही एक नवीन नीति का श्री गणेश किया गया और राज्य विस्तार के अन्तर्गत मालवा, गुजरात, राजपूताना और दक्षिण के कुछ प्रदेशों पर अधिकार किया गया। दक्षिण के सम्बन्ध में अलाउद्दीन ने इसमें सन्तोष किया कि ये राज्य उसकी आधीनता मानकर उमको वार्षिक कर देते रहे। आन्तरिक शासन में बिल्कुल स्वतन्त्र रहे। इस प्रकार से उसके राज्य का बीजकोप (Core) पूर्वी पंजाब, मुल्तान और दोआब के प्रदेश ही रहे। राजपूताना और दक्षिण राज्य केवल करद-राज्य थे और मालवा के प्रदेश केन्द्र द्वारा नियुक्त गवर्नरों के आधीन थे। बगाल और बिहार स्वतन्त्र राज्य थे।

तुगलक शासकी के समय में दक्षिण को पूर्ण रूप से राज्य के प्रभाव-क्षेत्र में करने के जो असफल प्रयास किये गये उनके कारण दक्षिण में और अधिक अव्यवस्था फैली और उनके बाद राज्यों की स्थिति भी समाप्त हो गई । क्रि.श. 1390 में तुगलक ने असफल बंगाल- अभियान के पश्चात् दोष राज्य पर अपना अधिकार बनाये रखकर ही सतोष किया केवल पंजाब, मुल्तान और दोघ्राव के प्रदेश ही दोष रहे ।

इस आधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं कि शासन व्यवस्था के लिए सल्तनत काल में केवल तीन प्रकार के ही प्रान्त थे (अ) मुल्तान, पंजाब व दोघ्राव का प्रदेश । (ब) दूरस्थ प्रदेश जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल व बिहार (स) करद राज्य जो नाममात्र के लिये अधीन थे । क्योंकि करद राज्यों की शासन व्यवस्था के लिए सुल्तान उत्तरदायी नहीं थे और इन प्रदेशों के राज्य स्वायत्त राज्य थे इसलिए हमारे अध्ययन काल में केवल दो ही प्रकार के ही प्रान्त थे ।

सल्तनत काल में अधिकतर छोटे ही प्रान्त थे जिन पर सुल्तानों का पूर्ण प्रभुत्व था । 13 वीं शताब्दी में दोघ्राव के प्रदेशों की मेरठ, वाराणसी और कोल नामक प्रान्तों में विभाजित किया गया था और अलाउद्दीन ने इन तीन प्रान्तों को केन्द्र के राजस्व विभाग के अधीन ही रखा था ।<sup>1</sup> इसके बाद बनारस और कटा के प्रान्त थे । गंगा नदी से लगे अमरोहा व सम्भल के प्रान्त थे जिनके उत्तर में बदायूँ का प्रान्त था । बदायूँ के पूर्व में अवध और अवध के दक्षिण-पूर्व में जोनपुर का प्रान्त था । गंगा का दक्षिण-पश्चिम में महीवा और उसके बाद बयाना का प्रान्त था । दिल्ली के पश्चिम में सर्हिंद, ममाना और हांसी थे और उसके पश्चात् लाहौर दिपालपुर व मुल्तान के प्रान्त थे । कुद्दू समय के लिए राजपूताना में चितौड़ का भी प्रान्त बनाया गया था । मोटे रूप में यही केन्द्र के बीजकोष थे । परन्तु इन प्रान्तों की सीमाओं को कोई स्थायीकरण नहीं था इसलिए दो प्रान्तों से लगे सीमाओं के गांधी की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी ।<sup>2</sup>

दूसरे प्रकार के दो प्रान्त थे जो केन्द्र से दूर स्थित थे और जो वास्तविक रूप में राज्य के अन्तर्गत राज्य थे । बंगाल, दक्षिण और गुजरात के प्रान्त इसी श्रेणी में आते हैं । अलाउद्दीन के समय में बंगाल एक ऐसा दण्डात्मक प्रान्त माना जाता था जहाँ ऐसे व्यक्तियों की भेजा जाता था जिनका केन्द्र के पिबट रहना स्तरनाक था । उर्फर खाँ की अलाउद्दीन ने इसी आधार पर बंगाल भेजने का विचार किया था ।<sup>3</sup> इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के समय में सखनीती का अधिकारी नासिरुद्दीन था ।

1. बरनी पृ० 323

2. वही पृ० 50

3. वही पृ० 254.

कभी बंगाल के मुक्ति मुल्तान की उपाधि भी धारण कर लिया करते थे जिसमें यह स्पष्ट होता है कि उनकी स्थिति दूमरे मुक्तियों की स्थिति से असाधारण थी। बलबन ने अपने पुत्र तुगरा खा को बंगाल में एक सह-स्वतन्त्र शासक के अधिकारों का उपभोग करने की आज्ञा भी दे दी थी।

बलबन और मुहम्मद तुगलक के समय में बंगाल का प्रान्त तीन उपभागों में विभाजित था—सतगाँव, गुनारगाँव व लखनौती जिसमें लखनौती इन उपभागों का केन्द्र थी। लखनौती का अधिकारी दो प्रान्तों के अधिकारियों में थोड़ा था। इसी प्रकार दक्षिण भी कई उपभागों में विभाजित था। सुल्तान अलाउद्दीन के समय में ये स्वायत्त राज्य थे परन्तु मुहम्मद तुगलक के समय में दक्षिण के प्रदेशों को चार भागों में विभाजित कर दिया गया था और इन चारों भागों के लिए मुरूर-उल-मुल्क मखलिस-उल मुल्क, मुसूफ बघरा व अजीज कमर को नियुक्त किया था तथा देवगिरी को इन चारों भागों का केन्द्र बनाया गया था जिसका अधिकारी एक बाघसराय के समरूप था।

समकालीन इतिहासकारों ने राज्य के विभाजन को 'इक्ता' अथवा 'विलायत' की सजा दी है। शाब्दिक रूप में 'इक्ता' का अर्थ एक सामन्तीय विभाजन है जो सम्भवतः मध्य एशिया में प्रचलित था जिसको कि तुर्कों ने अपना लिया था। रेवर्टी ने इस शब्द का प्रयोग 'जागीर' के रूप में किया है जो कि उचित नहीं है<sup>1</sup> क्योंकि जागीर व्यवस्था में जागीरदार अपने प्रदेश में वास्तविक रूप से स्वतन्त्र होता है जबकि 'इक्ताओं' पर सुल्तानों का अधिकार प्रभावपूर्ण था।

निजाम-उल-मुल्क तुसी ने 12 वीं शताब्दी में मुक्तियों के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किये थे।<sup>2</sup> मुक्ति केवल शान्ति पूरा ढंग से उचित कर (माल-ए-हक) लेने के अधिकारी है और उनका जनता के जीवन, सम्पत्ति व परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई नागरिक सुल्तान के सम्मुख सीधी अपील करना चाहे तो मुक्ति को उसे इससे रोकना नहीं चाहिये। यदि मुक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दण्डित व सेवा मुक्त कर देना चाहिये। प्रत्येक तीन-या चार वर्ष बाद मुक्तियों का तबादला कर देना चाहिये जिससे कि वे अधिक शक्तिशाली न हो सकें। मुक्तियों के सेना, राजस्व अथवा न्याय के सम्बन्ध में अधिकार तथा उत्तर-दायित्वों का वर्णन निजाम-उल-मुल्क ने नहीं किया है।

1 हबीबुल्ला, ए बी एम—द फाउण्डेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया पृ 252

2 निजाम-उल-मुल्क—सियासन नामा, पृ. 37.

ठीक इन्ही पर आधारित व्यवस्था मुल्तानो ने अपने समय में अपनाई थी। मुल्तान ही मुक्ति की नियुक्ति करता था और वही उसे अपनी इच्छानुसार अपदस्थ, दण्डित तथा स्थानान्तरित कर सकता था। परन्तु अधिकतर क्योंकि इस प्रकार का स्थानान्तरण मुक्तियों के द्वारा अपमानजनक ही माना जाता था इसलिये मुल्तानो की अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने में बल प्रयोग करना पड़ता था। गुलामवंश के समय में केवल कबीर खाँ और विशानू खाँ को इल्तुतमिश तथा बलवन के द्वारा दण्ड देकर दूसरे इत्ताओं में भेजने का वर्तन मिलता है। इल्तुतमिश ने कबीर खाँ का मुल्तान से स्थानान्तरण किया था और 1253 में किशानू खाँ को नागीर इत्ते से कड़ा भेजा गया था। सल्तनत काल में मुक्ति के ही लोग थे जो उच्च वर्गों के थे तथा जिन्होंने अपनी सैनिक योग्यता प्रमाणित कर दी थी। डा० डे० का मत है कि साधारण रूप में मुक्ति का पद केवल सैनिक अधिकारियों के लिये ही सुरक्षित होता था।<sup>1</sup>

साधारणतया प्रत्येक मुक्ति अपने अपने इत्ता में ही रहता था परन्तु राजधानी के निकट इत्ताओं में मुक्ति अनुपस्थित ही रहता था और इत्त की व्यवस्था उमरु नायब के द्वारा चलाई जाती थी जो कभी-कभी केन्द्र के द्वारा नियुक्त किया जाता था।<sup>2</sup> बलवन जो अमीर ए हाजिब व बाद में नायब-ए माभर्लौकत के पद पर रहा उसने अपने इत्ता, हामी व सिवालिक, के प्रदेशों की व्यवस्था अपने नायब द्वारा करवाई थी। उमरु आदम्य किये जाने पर हामी का इत्ता महमूद के नागालिष पुत्र का दिया गया था और स्त्राभाविक रूप में उसके लिए एक नायब की नियुक्ति की गई होगी।<sup>3</sup> यद्यपि छोटे इत्ताओं में नायब की नियुक्ति कभी-कभी केन्द्र द्वारा भी की जाती थी परन्तु बड़े इत्ताओं में स्वयं मुक्ति ही नायब की नियुक्ति कर देता था।

मुक्तियों के वेतन का विवरण नहीं मिलता है परन्तु इतना निश्चिन है कि उसे इत्ता के राजस्व का निश्चिन भाग मिलता रहा होगा। सल्तनत काल में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब मुक्ति पाम के हिन्दु राज्यों को जीत कर अपने इत्ता का क्षेत्र बढ़ाने में अथवा निकट स्थिति इत्ताओं को जीतने का प्रयत्न करते थे जिससे यह सम्भावना होती है कि मुक्तियों का वेतन उनके राजस्व के अनुपात में होता था। इन अनुपात का अनुमान लगाना नितान्त असम्भव है। गयासुद्दीन तुगलक ने ये आदेश दिये कि यदि कोई मालिक अथवा अमीर अपने पद के अनुलाभ के अतिरिक्त इत्ता अथवा बिलायत के राजस्व का 1/10, 1/11, 23 अथवा 2/11 भाग को हथिया

1. डे० यू० एन०—द गवर्नमेंट ऑफ द सल्तनत पृ. 73.

2. वरनी पृ. 38

3. मिनहाज-उल-सिराज—तत्काल ए नागिरी पृ 157-58



लता है तो उसे इम आधार, पर दडिडन न किया जाये । इसका यह अर्थ हुआ कि तुलान सुल्तान मुक्तिवा क निश्चित वान क वाद भी उन्ट ऊार इदय गये अनुपात म घन दन को त्तर थे । इमी प्रकार मुम्मद तुगलक भी राजस्व का 1/20 भाग दाली ने रू में मुक्तिवा को देता था ।<sup>1</sup>

समकालीन लखको के वगन से यह बात स्पष्ट नहीं है कि मुक्ति इरते की आय से शासन तथा सैनिक व्यय निकाल कर अतिरिक्त घन केन्द्रीय कोष म जमा करता था या नहीं परन्तु अनेका ऐसे उदाहरण मिलन है जिनसे मुक्ति द्वारा अतिरिक्त धन कोष मे जमा करन की सभावना हाती है । 1204 ई में लाहोर और मुल्तान के मुन्सो को य आदेश दिए गय थ कि व राजस्व का वकामा जमा करें ।<sup>2</sup> इसी प्रकार स बरनी के अनुसार<sup>3</sup> बलबन का ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद प्रत्येक वर्ष स्वय अतिरिक्त आय को बलबन के पास लाता था । अलाउद्दीन न भी जलालुद्दीन खलजी से अवध की अतिरिक्त आय मे च देरी पर आक्रमण करने के लिए सेना को सुसज्जित करने की आज्ञा मागी थी । मुक्ति हाग जो आय व्यय का वार्षिक ब्यौरा भेजा जाता था उसकी टीवान ए बजारत द्वारा लेखा परीक्षा (आडिट)की जाती थी और वे मुक्ति जो उचिन रूप से इस ब्यौरे को नहीं भेजते थे उनके साथ कठोर कार्यवाही की जाती थी । गयामुद्दीन तुगलक क द्वारा इस सम्बन्ध मे दिए गये आदेश इसकी पूर्ति करते हैं ।

मुक्ति के अनेको कर्तव्य थे । साधारणतया वह एक सैनिक टुकडी रखता था जिमसे इक्ता में शान्ति व्यवस्था बनाय रखे तथा अपनी सीमाओ को रक्षा कर सके । केन्द्रीय सरकार के द्वारा उसकी ये सैनिक टुकडी किमी भी समय सेवा के लिए बुलाई जा सकती थी और मुक्ति के द्वारा इमकी पूर्ति न करने पर वह केन्द्र के विरुद्ध गिरोह ममभा जाता था । यद्यपि यह ठीक है कि प्रत्येक मुक्ति सैनिक सेवा करने का बद्ध था परन्तु वास्तविकता यह है कि केवल देहली के आसपास के प्रदेशों के मुक्तियों को ही इसके लिए बुलाया जाता था ।

बरनी के लेखो से यह अनुभव होता है कि तुगलक सुल्तानो ने मुक्ति की सेना की सख्या, उनका वेतन तथा उनकी साग मज्जा निश्चित की थी जिनमें मुक्ति किमी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता था ।<sup>4</sup> परन्तु ऐसा लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था प्रथम बार तुगलक सुल्तानो के अन्तर्गत ही की गयी थी क्योंकि हमे बरनी के विवरण स मालूम पडता है कि बलबन क अपने पुत्र बुगरा खा को जो सामना व

हबीबुल्ला ए बी एर—वही पृ 260

2 तमकत ए-नामिरी (अनु०) रेवटी पृ० 482

3 बरनी—वही, पृ 57

4 बरनी—वही, पृ 431

मुनम का मुक्ति था, यह अधिकार दिया था कि वह नयी शर्तों वर अपनी भौतिक सभ्या का दुगुनी करदे तथा उनका बँतन भी बढा दे ।<sup>1</sup>

साधारण रूप मे फीरोज तुगलक के समय गवर्नर अथवा मुक्ति को नियुक्ति के समय दिय गये आदेशों के आधार पर उसके अधिकारों व उत्तरदायित्वों की जानकारी करना महज है । फीरोज तुगलक के आदेशों के अनुसार यह कार्यपातिका का अध्ययन, राज्य में कानूनों को बनाये रखने तथा उनकी श्रेष्ठता को स्थापित करने, जनता की सुरक्षा करने तथा उनके स्वार्थों की रक्षा करने, विद्वानों और उन्नेपाथों को उचित सम्मान देने सेना को मन्वुष्ट रखने, वित्त की व्यवस्था करन, कृषकों की अनुचित करों के विरुद्ध रक्षा करने और सार्वजनिक अधिकारियों के काम की देख-भाल करने के लिए उत्तरदायी था ।<sup>2</sup> जिहाद अथवा धार्मिक युद्धों को करने में पूर्णतया कुरान की आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य था और केवल ईश्वरीय आज्ञाओं के पालन-हेतु ही इस प्रकार के युद्ध करना मान्य थे । न्याय के क्षेत्र में उसे शीघ्रता से बचने और गवाही को पूरी तरह तोल कर वगैर किसी आक्रोश के निष्पक्ष न्याय करने के आदेश थे ।

इस प्रकार के विवरण से ऐसा अनुभव होता है कि मुक्ति अथवा गवर्नर के अधिकार असीमित थे परन्तु यह केवल सैद्धांतिक थे । वास्तविक रूप में अधिकारों का उपभोग मुक्ति के व्यक्तित्व तथा सुल्तान के शक्तिशाली अथवा अशक्त होने पर अधिक निर्भर करता था । इत्तफा की केन्द्र से दूरी अथवा निकटता भी इसके लिए एक उत्तरदायी तत्व था ।

गवर्नर की सहायता के लिये अनेकों सहायक अधिकारी थे । वित्तीय व्यवस्था की देखभाल 'साहिब-ए-दीवान' करता था जो कि वजीर की मिफारिश पर सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था । उसकी सहायता के लिए मुतसरिफ व कारकून हुआ करते थे । ख्वाजा नामक अधिकारी भी होता था परन्तु उसके कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में मतभेद है । मोना सम्बन्धित कार्य आरिज के अधीन था । न्याय के लिए काजी की नियुक्ति की जाती थी जो प्रान्तीय मुख्यालय के काजी के अधीन था । न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त वह शिक्षा और मस्जिदों को भी देखता था ।

प्रान्तीय न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तीय-मुख्यालय परधानों में न्यायालय तथा गाँवों में पचायत होती थी । गाँव शासन की सबसे छोटी इकाई थी और यहाँ की व्यवस्था स्थानीय लोगों के अधिकार-क्षेत्र में थी । अनेकों गाँवों को एक पचायत

1 बरनी—वही, पृष्ठ 80

2. रिजवी, संपद ९० ए०—तुगलक कालीन भारत भाग दो, पृ 374.

के आधीन कर रखा था जिसमें पाच व्यक्ति हुग्रा करते थे। सरपंच की नियुक्ति मुक्ति अथवा फौजदार करता था। पचायत अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाय रखने के अतिरिक्त दीवानी, और फौजदारी मुकदमे सुना करती थी। पचायतों के निर्णय के विरुद्ध गवर्नर अथवा काजी-ए-सूबा की अदालत में अपील की जा सकती थी।

पचायतों के ऊपर परगने का न्यायालय था जिसमें काजी-ए-सूबा व कोतवाल न्याय का कार्य करते थे। फौजदार भी छोटी-मोटी शिकायतों को सुनवाई करता था। परगने के ऊपर प्रांतीय न्यायालय का न्यायालय था जिनके अन्तर्गत गवर्नर, काजी-ए-सूबा, दीवान-ए-सूबा व सदर-सूबा के न्यायालय थे। गवर्नर का न्यायालय प्रान्त में सर्वोच्च था तथा दीवान-ए-सूबा राजस्व सम्बन्धित मामलों के प्रति उत्तरदायी था।

सेना सम्बन्धी व्यवस्था में इक्ता की सैनिक टुकड़ियाँ हुग्रा करती थी जिनकी सरया उनके क्षेत्र तथा केन्द्र से दूरी के आधार पर निर्भर थी। यह नियम सीमा के इक्ताओं के लिये लागू न था क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा की समस्या अधिक महान थी। इक्ता के अधिकारी सुल्तान के आदेश पर अपनी सैनिक टुकड़ियाँ केन्द्र को भेजते थे तथा उनकी आदेश दिये गये थे कि वे न तो सैनिकों को कम वेतन दें और न ही उनके वेतन में से किसी प्रकार की कटौती ही करें।

भू राजस्व के सम्बन्ध में सुल्तान द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि किसानों से निश्चित किये हुए राजस्व के अतिरिक्त कोई धन वसूल न किया जाव। केवल अलाउद्दीन के समय को छोड़कर जबकि दिल्ली के आसपास के प्रदेशों को केन्द्रीय राजस्व के आधीन कर लिया गया था और अधिक राजस्व वसूल किया जाता था, समस्त सल्तनत काल में यही व्यवस्था लागू रही।

गवर्नर आदि की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए 'वरीदों' की नियुक्ति की गई थी जो सुल्तान को प्रत्येक घटना की जानकारी देने के लिए उत्तरदायी थे। सुल्तान बलबन ने अपने द्वितीय पुत्र, बुगरा खा, की समाना क गवर्नर के पद पर नियुक्ति करते समय वरीदों की नियुक्ति की थी।

गवर्नरों की शक्ति पर अनेक अकुश थे। वरीदों तथा गुप्तचरों की नियुक्ति, सुल्तान के द्वारा उनके अपदस्थ अथवा स्थानान्तरण करने का अधिकार गवर्नरों को अपने कार्यों के प्रति सचेत रखता था। वास्तविक रूप में ये शक्तिशाली अकुश थे और गवर्नरों को ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। विलीय मामला में क्योंकि प्रांतीय दीवान केन्द्र के प्रति उत्तरदायी था इसलिए गवर्नर के लिए सम्भव न था कि वह वहाँ को धाय का दुरुपयोग कर सके, जो स्वयं में एक अकुश था। गवर्नर इस बात से भी डरते थे कि वे अपने क्षेत्र में अप्रिय न होने पावें क्योंकि एनी स्थिति में लोग उसके कुशासन के विरुद्ध सीधे सुल्तान के सम्मुख अपनी शिकायतें रख सकते थे। अन्त में क्योंकि प्रांतीय अदालतों के विरुद्ध अरीतों केन्द्र के

न्यायालयों में भी जा सकती थी इसलिए गवर्नर अपने कामों के प्रति सजग रहने थे। इस प्रकार के गवर्नरों के अधिकारों को सीमित करने के लिए प्रयत्न किया गया था।

प्रांतों को अन्य इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिनमें सबसे छोटी इकाई गाँव थी। सलगत काल में गाँवों के शासन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मुकद्दम, सुत और चौधरी व्यवस्था बनाये रहते थे। यद्यपि यह सत्य है कि अलाउद्दीन के द्वारा लागू किए गये नियमों से चौधरी, सुत, और मुकद्दमों के राजस्व सम्बन्धी अधिकारों और उनके अनुभागों पर आघात पहुँचा था परन्तु फिर भी ये गाँव में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी थे। कई गाँवों को मिलाकर एक परगना बनता था। परगने के सम्बन्ध में अत्यधिक कम जानकारी है क्योंकि एक ही समयकालीन इतिहासकारों ने परगने और कस्बे को परिधापवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया है और हमारे कोई विशेष नियम न थे जिनके आधार पर परगनों का निर्माण किया जाना हो। इन्वैतुता के कारण में ऐसा आभास होता है कि सम्भवतः एक परगने में एक ही गाँव होने था।

समकालीन इतिहासकारों के विवरण में हमें विलायत, शिक व खिता शब्दों का भी प्रयोग मिलता है जो विभिन्न अधिकारियों को दिए गये प्रदेशों के सूचक हैं। विलायत प्रांतों के समान ही भू प्रदेश थे। शिक एक प्रकार का प्रशासनिक भाग था जो कि प्रांत का उप भाग था और कई परगना को मिलाकर बनाया जाता था। समकालीन इतिहासकारों ने खिता शब्द का प्रयोग बड़े ही मुक्त ढंग से किया है और राज्य के किसी भी भू-भाग के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। यरनी के विवरण से ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रथम बार यह उप-विभाजन सुल्तान बलबन के शासन के उत्तरार्द्ध में किया गया था और उसके बाद यह व्यवस्था इसी प्रकार चलती रही। फीरोज़ तुगलक के अन्तिम वर्षों तक शिक और विलायत शब्दों का प्रयोग प्रशासन के छोटे और बड़े भागों के रूप में किया जाने लगा था। शिक के अन्तर्गत कई परगन और शिक का मुख्यालय होता था। लौदियों के समय में शिकदार शब्द का प्रयोग खालसा भूमि के परगनों तथा शहरो के लिए उपयोग किया जाने लगा और फीरोज़दार एक सैनिक अधिकारी मात्र रह गया। इसी समय में जब शिक के स्थान पर सरकार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तब इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को शिकदार-ए-शिकदारान के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।

परगने में शान्ति व्यवस्था को बनाय रखने के अतिरिक्त शिकदार का अर्थ था कि वह ग्रामीणों को राजस्व उठाने में सैनिक सहायता दे तथा विद्रोही सुत और मुकद्दमों को दबाये, ऐसे व्यक्ति जिनको राज्य की ओर से इनाम की भूमि प्राप्त हुई हो उनके अधिकारों को सुरक्षित रखे। ऐसा अनुभव होता है कि शिकदार को

सैनिक टुकड़ी रखने के लिए राजस्व का कुछ भाग भिरता था परन्तु यह भाग कितना होता था इसकी कोई जानकारी नहीं है। परगने में सहायक अधिकारियों के रूप में ग्रामील, मुशरिफ, खजानदार, काजी आदि होते थे। ग्रामील मुख्य रूप से राज-वसूल करता था, मुशरिफ हिसाब रखता था और खजानदार, जैसा कि उसके नाम से मालूम पड़ता है, खजाने का अधिकारी था। काजी न्याय सम्बन्धी कार्य करता था।

### (ब) मुगल कालीन

सल्तनत काल की तुलना में मुगल काल में प्रान्तीय व्यवस्था की जानकारी के साधन अधिक उपलब्ध हैं। इसलिए इस काल का समुचित रूप से अध्ययन करना सहज है। प्रथम मुगल सम्राट बाबर मूल रूप से एक सैनिक था और भारत की उस समय की परिस्थितियाँ बाबर की प्रवृत्ति के अनुकूल थीं तथा वह इस अवसर को लो लेने वाला शासक न था। परन्तु एक बार विजय के पश्चात् उस विजय को व्यवस्थित करने का प्रश्न जब उसके सम्मुख आया तो बाबर स्वयं को उसके अनुरूप सिद्ध नहीं कर सका और पुसंत के समय को शासन को, समुचित रूप से व्यवस्थित करने की अपेक्षा अपने पसन्द के भवनों को बनवाने में लगाया और इसलिये वह अफगानों की पुरानी और लुप्त-प्राय व्यवस्था का अपनाकर ही सन्तुष्ट रहा। अपने विश्वमनीय तुर्की सरदारों को उसने राज्य में विद्यमान प्रान्तों में नियुक्त किया और उन्हें स्वयं अपनी ही शक्ति पर निस्सहाय रूप में छोड़ कर अपने साधनों और शक्ति के आचार पर इन प्रान्तों से राजस्व वसूल करने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व छोड़ा। इस प्रकार राज्य का 1/5 भाग उन पुराने जमींदारों को दिया जिन्होंने उसकी आधीनता स्वीकार कर स्वामिभक्ति का वचन दिया था शेष 4/5 भाग उसने अपने अनुयायियों को सौंप दिया। बाबर ने इन प्रान्तीय तुर्की सरदारों में सम्पर्क बनाये रखने के लिए केवल अर्ध-व्यवस्थित डाक व्यवस्था का प्रयत्न ही किया। इसके अतिरिक्त उसके समय में कोई दूसरे मुशरिफ सम्भव न हो सके। हम यहाँ ने भी प्रान्तीय व्यवस्था के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। अपने राज्यकाल के उत्तरार्द्ध में उसने पूर्वकालीन मुस्लिम व्यवस्था से अलग एक नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया परन्तु यह केवल अल्पकालीन सिद्ध हुई और उस इतना समय न मिल पाया कि वह इन प्रयोगों को स्थायी रूप दे सके।<sup>1</sup>

इस प्रकार से प्रथम दो मुगल सम्राटों का प्रान्तीय व्यवस्था में योगदान नगण्य ही रहा। क्योंकि तुर्की सरदारों और सैनिकों की मृत्या अत्यधिक कम थी

1 धर्मकिन, डब्ल्यू — हिस्ट्री ऑफ इण्डिया अन्डर द फर्स्ट टू सवरेन आफ द हाउस ऑफ तैमूर, भाग 2, पृ 520-23.

इसलिए अधिकतर प्रदेश पुराने अफगान सरदारों के ही अधीन रहे। वे यह अनुभव करते थे कि उनके परम्परागत अधिकारों पर किसी भी समय आघात या सक्ती है और इनकी बार उनकी इस उद्विग्न प्रवृत्ति के विस्फोटक प्रमाण भी मिले। यद्यपि यह ठीक है कि मुगल सम्राट उनकी बुद्ध-स्थल में पराजित करने में समर्थ हुए थे परन्तु वा कोई ऐसा उपाय हुआ निकालने में असमर्थ रहे जिससे कि वे इन विद्रोही अफगानों को बदली हुई परिस्थिति में अल्पकाल के लिए भीर नई व्यवस्था के अन्तर्गत शान्ति-पूर्ण ढंग से जीवन-यापन करने के लिए तत्पर कर सकें। ऐसी परिस्थिति में जन-जीवन अक्षय व आस्थाहीन हो बना रहा और उनके विश्वास को पुनः प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।<sup>1</sup> प्रान्तीय सरदार और अधिकारों पर होने की तरह ही स्वच्छन्दता से जीवन बिताते रहे और कन्द्रीय शक्ति न तो उनकी गतिविधियों पर अकुशल ही लगा सकी और न ही अपनी इच्छाओं और आज्ञाओं को उन पर लागू करने में समर्थ हो सकी।

शेरशाह ने अत्यन्त रूप से इस क्षेत्र में कुछ सुधार किये। अफगानों की शासक से समानता और उन्नी के अनुरूप ममभने की प्रवृत्ति पर वह कुछ सीमा तक अकुशल लगान में सफल हुआ और अपने कठोर, सतर्क व व्यक्तिगत परिश्रम से अफगान सरदारों को अक्षय वाल समय व प्रान्तीय गवर्नर अथवा जागीरदारों व समर्थ कर सका। इस सुधार से शांति और व्यवस्था की स्थापना हुई तथा साधारण जीवन सम्पन्न हुआ। यद्यपि अफगान सरदार अब भी शासक के अक्षय हुए का दम्भ अक्षय रहे परन्तु वे अब शासक के प्रति अधिक निष्ठावान हो गये। शेरशाह ने उनकी समानता की भावनाओं को चोट पहुँचाये और अपने कठोर परन्तु उदार नीतियों तथा नम्रता पूर्ण व्यवहार से उन पर अकुशल लगान में सफलता प्राप्त की। उसका सम्पूर्ण राज्य अफगान सरदारों को जागीरों के रूप में दिया गया था परन्तु उसमें इन सरदारों को वे अनुभव करा दिया कि उनकी इस शक्ति तथा सौभाग्य के साथ ही उनके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का अभिन्न सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और वे इनका उभयों केवल उन्नी समय तक कर सकेंगे जब तक कि वे अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं।<sup>2</sup> कर्तव्य के प्रति इस प्रकार की भावना को स्थापित करना उनकी कोई नगण्य प्राप्ति नहीं कही जा सकती।

शेरशाह के इन प्रयासों के बाद भी अक्षय के समय के पहले व्यवस्थित और अक्षय रूप में प्रान्तीय शासन व्यवस्था का उदय न हो सका। राजपूतों मगलों और विद्रोही अमीरों को खान में केन्द्रिय शक्ति इतनी अक्षय थी कि प्रान्तीय

1. अक्षय, पी — द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स, पृष्ठ 147

2. वही, पृ 151.

व्यवस्था को उचित रूप देने का उसको समय ही नहीं मिला। उस काल में अमीर के पास यदि कोई ऐसा भू-भाग हो जिसमें एक विशिष्ट दुर्ग हो तो उसे ही साधारण रूप में एक प्रान्त की सजा दे दी जाती थी।<sup>1</sup> ऐसी स्थिति में प्रान्तों की संख्या और उनका क्षेत्रफल आये-दिन बदलता रहता था। प्रान्तीय अधिकारी अपनी वृद्धिमत्ता और माधनो के आधार पर इसकी व्यवस्था करते थे और शासक यदा-कदा ही हस्तक्षेप कर पाता था। यद्यपि यह ठीक है कि शेरशाह ने इस व्यवस्था को सुधारण का प्रयास किया था परन्तु फिर भी कोई दूरगामी सुधार न हो सके। इसीलिए डा० कानूनगो का यह मत है कि सम्भवतः शेरशाह प्रान्तों को शासन की इकाई के रूप का समाप्त करना चाहता था और उसके शासन की प्रमुख इकाई परगना थी। डा० पी० शरण ने इस मत का विरोध कर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि शेरशाह के समस्त शासन-काल में प्रान्तों की व्यवस्था थी परन्तु वे य अवश्य स्वीकार करते हैं कि शेरशाह ने साधारणतः प्रान्तीय व्यवस्था में कोई नवीन सुधार लागू नहीं किया। डा० त्रिपाठी का यह मत अधिक न्यायसंगत है कि शेरशाह के राज्यकाल में बड़े प्रान्त भी थे परन्तु साथ ही बगल जैसा प्रान्त भी था जिसका प्रान्तपति नाम-मात्र का था।

अकबर को प्रान्तीय व्यवस्था की स्थापना में अपनी ही सूझ-बूझ से कार्य करना पड़ा। उसने निश्चय किया कि प्राकृतिक सीमाओं और शासकीय सुविधा के आधार पर समान क्षेत्रफल के प्रान्तों का निर्माण किया जावे व केन्द्रीय शासन के समरूप ही वहाँ शासन व्यवस्था स्थापित की जावे। 1581 ई० में उसने राज्य को 12 सूबों में बाटा और इनके प्रमुख शहर के आधार पर ही इनका नामकरण किया।<sup>2</sup> ये सूबे काबुल, लाहौर, मुल्तान, देहली, आगरा, अजमेर, इलाहबाद, भवध, बिहार, बगल, मालवा व गुजरात थे। जब नये प्रदेशों को विजित किया गया तो काश्मीर व कन्धार के प्रदेश काबुल, उड़ीसा का प्रदेश बगल और सिन्ध का प्रदेश मुल्तान के सूबों में मिला दिये गये। दक्षिण की विजय के बाद खानदेश, बरार और अहमदनगर के नये सूबे बनाये गये और इस प्रकार सूबों की कुल संख्या 15 हो गई।<sup>3</sup> जहांगीर के राज्यकाल में भी सूबों की संख्या इतनी ही रही। शाहजहाँ के शासनकाल में निजामशाही राज्य के दोष प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया गया और अहमदनगर के सूबे को दो भागों में बाट दिया गया। 1638 ई० में जब कन्धार को विजय

1. त्रिपाठी आर पी — वही, पृष्ठ 304

2. श्रीवास्तव, ए एल — अकबर, भाग 2, पृ 113

3. पण्डे ए पी — वही, पृष्ठ 103

किया गया तो उसको एक भिन्न सूबे का रूप दिया गया। बाबुल, मुल्तान और बगाल के सूबो से क्रमशः काश्मीर, मट्टा और उडीसा को प्रलग कर नये सूबे बनाये गये क्योंकि ये सूबे आवश्यकता से अधिक बड़े थे। इस प्रकार से शाहजहा के शासन काल में सूबो की संख्या 70 हो गई। कुछ समय के लिये बलख और बदखशा भी उसके अधिकार में थे इसीलिए अब्दुल हमीद लाहौरी ने सूबो की संख्या 22 दी है परन्तु जब ये दोनो सूब तथा कंधार शाहजहा के अधीन नहीं रहे तो सूबो की कुल संख्या 17 मात्र रह गई। औरंगजेब ने सोसकुण्डा और श्रीजापुर को जीनर और बाराबाद व भीजापुर के नये सूबे बनाये, तेल्गाना और दौलताबाद सूबो के नाग बदल कर बीदर और औरंगबाद रखे गये। इस प्रकार से सूबो की संख्या 21 हो गई। औरंगजेब के समय में सूबो की संख्या 22 दी गई है परन्तु यह उस समय तक ठीक नहीं है जब तक कि आनाम की प्रस्थापी विजय को भी इसमें न मिलाया जावे।<sup>1</sup>

प्रत्येक बरद राज्य को अपने क्षेत्रफल और महत्व के आधार पर सरकार या परगने के समान समझा जाता था। इस प्रकार से प्रकबर के समय से मार्राज्य का छोटे से छोटा हिस्सा भी किसी सूबे का भाग था और प्रत्येक सूबे की व्यवस्था साधारणतया एक समान थी। केवल कुछ अवस्थाओं में एक से अधिक सूबों के लिए एक ही सूबेदार नियुक्त किया जाता था, जैसे प्रकबर के समय में सम्पूर्ण दक्षिण के लिए एक ही सूबेदार नियुक्त किया गया जो नायब सूबेदार की सहायता से शासन चलाता था। कभी-कभी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक सूबों के दोवानी अधिकार दे दिये जाते थे जैसे मुशिद कुली खा को बगाल व उडीसा के दोवानी अधिकार दे दिये गए थे। इस प्रकार से अनुपस्थित सूबेदारों की प्रथा आरम्भ हुई जो बाद में मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई।

मुगल शासन व्यवस्था का स्वरूप आज के समान व्यापक नहीं था। शासन का समस्त कार्य कुछ निर्धारित विभागों में बंटा हुआ था और यद्यपि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य का कोई विभाग नहीं था परन्तु इसके बाद भी इनकी कार्य विधि और कार्य शीलता में कोई बाधा नहीं आई।<sup>2</sup> स्कूलों की कोई कमी नहीं थी और प्रत्येक मस्जिद अथवा मन्दिर एक स्कूल था जहाँ शिक्षा मुफ्त दी जाती थी। अधिकतर प्रमुख शहरों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी जहाँ दर्शनशास्त्र, विज्ञान व कल्पित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार से जनसाधारण के स्वास्थ्य की

1. वही पृ 204.

2. शरण पी — द प्रोविशियन गवर्नमेंट आफ द मुगल्स, पृ 156.



व्यवस्था के लिये राजकीय सहायता से औपधान्य स्थापित किए गये थे जहाँ आयुर्वेद और धूनानी पद्धति से इलाज किया जाता था ।

अकबर के समय में सूबे के अधिकारी को शासकीय आभार पर सिपहसालार के नाम से पुकारते थे ।<sup>1</sup> साधारणतया उसे सूबेदार अथवा सूबा-साहब भी कहते थे । अकबर के उत्तराधिकारियों के समय में उसे नाजिम कह कर पुकारने लगे थे । वह सूबे में सम्राट का स्वरूप ही था । उसके बाद दीवान का पद था परन्तु वह किसी तरह से सिपहसालार के आधीन नहीं था । वस्तुतः सूबे की शासन व्यवस्था की संपूर्ण ज़ुम्मेदारी इन्हीं दो अधिकारियों के बीच बंटी थी । सिपहसालार राज्य में कार्यपालिका, सुरक्षा, फौजदारी व्यवस्था व साधारण कार्यों की देखभाल करता था और दीवान मुख्यतः राजस्व विभाग के प्रांत उत्तरदायी था । इन दो अधिकारियों की सहायता के लिए बरूशी-सदर, काजा, कोतवाल, मीर बहार व वाक्या नवीस नामक अधिकारी थे । इन अधिकारियों के अतिरिक्त कभी-कभी प्रान्त में अमीन नामक अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था । यद्यपि इसके कार्य-क्षेत्र और स्वरूप की जानकारी नहीं है क्योंकि समकालीन इतिहासकार इस सन्दर्भ में मौन हैं परन्तु इतना अवश्य है कि 17वीं शताब्दी में वह सूबे के दीवान के आधीन राजस्व अधिकारी था और 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के आरम्भ में वह न्यायिक अधिकारी था । इन अधिकारियों के अतिरिक्त सम्राट प्रचलित प्रथा के अनुसार अनेक अमीरों को प्रान्त में जागीर देकर सूबेदार की सहायता के लिए भेजता था । ये अनौपचारिक रूप से महत्वपूर्ण विषयों में उसकी सहायता करते थे और समय-समय पर वह इनसे सलाह ले सकता था ।

अधिकतर अनुभवी और ज़ुम्मेदार व्यक्ति ही सूबेदार बनाये जाते थे परन्तु राजकुमारों और महत्वपूर्ण अमीरों के लड़कों के सम्बन्ध में इसका कठोरता से पालन नहीं किया जाता था । जब कभी सूबेदार के पद पर राजकुमारों आदि की नियुक्ति की जाती थी तब निश्चित रूप से अतालिक (पराभर्षदाता) नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती थी जो अपने अनुभव, उत्तरदायित्व के आधार पर राजकुमारों को शासन चलाने में सहयोग देता था और उनको यह आदेश था कि वा उसकी सलाह को मानें ।<sup>2</sup> वास्तविकता यह है कि कभी-कभी युवक राजकुमारों के लिए अतालिक ही वास्तविक रूप में सूबे का अधिकारी था । कभी कभी यह भी होता था कि सूबेदार किसी कारणवश अपनी नियुक्ति पर न पहुँच सके तो ऐसी स्थिति में सम्राट से आज्ञा लेकर अपनी इच्छानुसार कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को भेज देता था जो उसके

1 लोदी और सूरों के शासनकाल में उसे 'हाकिम' कहते थे ।

2 शरण, पी — बही, पृ 159.

नाम से शासन व्यवस्थित करता था। इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं जैसे महावत खा ने 1663 ई० में दोनताबाद की सूबेदारी प्राप्त करने पर अपने स्थान पर नसरत खाँ को भेजा था।

सूबेदार की नियुक्ति वजीर की सलाह से शाही फरमान द्वारा की जाती थी जिसे 'फरमान-ए-सब्ती' कहते थे। सामारणतया वह उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था और नियुक्ति के समय उसका मनसब और भी बढ़ा दिया जाता था। अपने उच्च मनसब के कारण वह काफी वेतन लेता था और कभी-कभी उसे प्रतिरिक्त भत्ता भी मिलता था। इसलिए वो बड़ी शान-शोकरत से रहता था। विदेशों यात्री इनकी शान-शोकरत को देखकर आश्चर्यचकित थे क्योंकि यूरोप में यह मय सम्भव नहीं था। सूबे में कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सम्पदा और महत्व के सामने फीका पड़ता था।

उसकी नियुक्ति अथवा पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई नियम न थे और न ही समकालीन लेखकों के विवरण में उनकी छुट्टी, पेन्शन आदि के कोई नियम मिलते हैं। सैदाबतक आघार पर सारे ही उच्च अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट की इच्छा पर थी परन्तु वास्तविक रूप में वह नियुक्ति के पहले मंत्रियों अथवा योग्य व्यक्तियों की सलाह लेता था और केवल योग्यता ही नियुक्ति की सबसे बड़ी कसौटी थी। उदाहरण के लिए सूबेदार और दीवान के पद भिन्न-भिन्न योग्यता के लोगों को दिये जाते थे। कभी भूले-भटके ही ऐसा उदाहरण मिलता है जबकि दीवान, सूबेदार अथवा एक सूबेदार, दीवान के पद पर नियुक्त किया गया हो। केवल टोंडरमल को छोड़कर जो योग्य दीवान के साथ ही योग्य सूबेदार भी था हमें मुगलबाल में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है, जब एक को दूसरे की जगह पर नियुक्त किया गया हो। वीरवल को एक कठिन मुहिम पर नियुक्त करने की गलती सम्भवतः अपने में ही एक उदाहरण है और इसके पीछे सम्राट की वीरवल के प्रति अत्यधिक स्नेह की भावना है अथवा योग्यता और स्वाभिमान ही नियुक्ति के प्रमुख आघार थे।

यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि सूबेदार कितने समय के लिए एक सूबे में नियुक्त किया जाता था परन्तु ट्रेवनियर के विवरण से ऐसा आभास होता है कि सम्भवतः तीन वर्ष में उसका तनाटला कर दिया जाता था।<sup>1</sup> पीटर मुन्डी के विवरण से भी यही परिणाम निकलता है<sup>2</sup> परन्तु अधिकतर शासन की आवश्यकता को ध्यान में रख कर सवादले भी इस ही किये जाते थे।<sup>3</sup>

1. ट्रेवनियर, जे. पी.—ट्रेवलस इन इण्डिया, पृ. 63.

2. पीटर मुन्डी—भाग 2, पृ. 75

3. शरण, पी.—वही, पृ. 164.

सूबेदार, सूबे के शासन की घुरी था। सूबेदार की नियुक्ति के समय सम्राट उसे मोहर आदि प्रदान करता था तथा उसे कुछ निर्देश देता था। आईन-ए-प्रकबरी में इस प्रकार के निर्देश आईन-ए-सिपहसालार के नाम से मिलते हैं।<sup>1</sup> उसका प्रमुख कार्य सूबे में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिरिक्त सूबे के सहयोगी, अधिकारियों के काम की देखभाल करना था। इसके लिए वह नग्नता परन्तु इदना से काम लेता था और समय पर उनके गुणों के सम्बन्ध में तथा उनकी पदोन्नति के बारे में सम्राट को सिफारिश करता था। परन्तु घालसी, बेईमान और दृष्टान्तकारी अधिकारियों के विरुद्ध भी उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए शासक को सिफारिश करता था। साधारणतया बढोतरी अथवा दण्ड के सम्बन्ध में शासक उनकी सिफारिशें मान लेता था। इस आधार पर सूबेदार अपने क्षेत्र में अनुशासन बनाये रखने में समर्थ था। स्थानीय जमींदारों की भावनाओं के प्रति वह सजग रहता था और उदण्डों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करता था। अधिकतर वह व्यक्तिगत सबन्धों, भेदों तथा अपनी शक्ति के आधार पर उन पर अक्रुश रखता था। उसकी यह ज़ुम्मेदारी थी कि वह ऐसा वातावरण अपने क्षेत्र में बनाये रखे जिससे पूरा राजस्व वसूल किया जा सके और आवश्यकता पडने पर दीवान को सैनिक सहायता दे सके। स्वयं सूबेदार ऐसे जमींदारों से राजस्व वसूल करने के लिए भी ज़ुम्मेदार था जो राजस्व सम्बन्धी मामलों के लिये उसके सूबे में शामिल कर दिए गये हों परन्तु ऐसे प्रदेश जिनका सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से हो उनमें सूबेदार कोई हस्तक्षेप नहीं करता था।

वह प्रत्येक पखवाड़े अपने क्षेत्र सम्बन्धी रिपोर्टें केन्द्र को भेजता था और इस समस्त पत्र-व्यवहार के लिए केन्द्र में अपना एक प्रतिनिधि रखता था। उसी की बुद्धिमत्ता पर उसकी सफलता आधारित थी इसलिए वह उसके चुनाव के प्रति अधिक सतर्क रहता था। कभी-कभी कुछ सूबेदार अपने ही मन से युद्ध प्रारम्भ कर देते अथवा सम्राट के लिए काम में आने वाली शब्दावली का प्रयोग करते, उच्च अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत चाकरो जैसा व्यवहार करते थे, ऐसी स्थिति में सम्राट हस्तक्षेप करता था। जब इस्लाम खा के व्यवहार को जहागीर ने आपत्ति-जनक समझा तो उसके विरुद्ध आदेश निकाले। औरंगजेब को भी इसी आधार पर गाजीउद्दीन फिरोज जंग के विरुद्ध कार्यवाही करनी पडी थी।

प्रजा की लुप्तहाली पर साम्राज्य की स्थिरता आधारित थी इसलिए उसे यह आदेश था कि वो किसानों को प्रोत्साहन देकर कृषि के क्षेत्र में विस्तार करे तथा किसानों की सुविधा के लिए सिचाई के साधनों को जुटाये।<sup>2</sup> वह किसानों से सबकुछ

1 आईन-ए-प्रकबरी—जेरेट व सरकार द्वारा अनुवादित, भाग 2, पृ 37-39.

2. शरण, पी.—वही, पृ. 186.

ऐ ठने की कोशिश न करे क्योंकि एक बार किसानों की स्थिति दयनीय होने के बाद उसको ठीक स्तर पर लाना काफी कठिन है। किसानों से केवल उतना ही लिया जावे जो राज्य को देय है।

शासक की तरह उसे भी किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की आज्ञा न थी। उस आदेश था कि वह विद्वानों और धार्मिक लोगों का आदर करे तथा उनको पठन-पाठन में प्रोत्साहन दे। शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में धार्मिक नीति में परिवर्तन के कारण सूबेदार को दिये गये निर्देशों में भी परिवर्तन हुए परन्तु बाद के मुगल सम्राटों के समय में इस नीति में पुनः परिवर्तन आ गया।

सूबेदार के लिये अपने उत्तरदायित्व को निभाने हेतु जासूसों को नियुक्त करने के आदेश थे परन्तु उन्हें इस बात से आगाह कर रखा था कि वे एक ही जासूस पर निर्भर न रहें तथा कई जासूस रखें। गलत सूचना पर जासूसों को दण्डित करें तथा उनकी सूचनाओं का संकंता से उपयोग करें।

सूबेदार के कार्यों में न्याय प्रशासन भी था और उसे निर्देश दिये गये थे कि वह मुकदमों में बगैर अनुचित देर किए हुये यथाशीघ्र निर्णय दे। तथ्यों तक पहुँचने के लिए उसे स्वयं जाँच-पड़ताल करनी चाहिये और केवल गवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दण्ड देते समय उसे नर्म और क्षमाशील होने के निर्देश थे और भिन्न भिन्न स्तर के लोगों को भिन्न-भिन्न दंड देने का सुझाव दिया था। अपील के मुकदमों का निर्णय सूबेदार तथा प्रान्तीय काजी मिलकर करते थे। प्रान्तीय दीवान व काजी के मुकदमों की अपील उसी की अदालत में आती थी। ऐसे मुकदमों जिनमें मृत्यु-दण्ड की सम्भावना होती थी वह केन्द्रीय न्यायालय को भेज देता था क्योंकि उसे मृत्यु-दण्ड देने का अधिकार न था।

सूबेदार के बाद प्रान्तीय दीवान का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण था। उसका चयन केन्द्रीय दीवान करता था और केन्द्र के द्वारा हस्ब-उल-हूकम नामक सनद से उसकी नियुक्ति होती थी तथा वो प्रान्तीय सूबेदार के किसी प्रकार से आधीन नहीं होता था। 1576 ई० में अकबर ने आदेश निकाला था कि प्रत्येक प्रान्तीय दीवान केन्द्रीय दीवान के सुझावों के अनुसार सम्राट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया करे। दीवान की सहायता के लिए अनेक सहकर्मचारी होते थे।

उसका प्रमुख काम सूबे की वित्तीय व्यवस्था को अनुष्ण रखना तथा सरकारी राजस्व को समय पर वसूल करना था। यह उसका कर्तव्य था कि वह आमील और

तहसीलदारों की कार्य विधियों के प्रति सजग रहे जिससे कि वे न तो किसानों को दुखी करें और न ही राज्य के धन का दुुरुपयोग करें। आवश्यकता पडने पर वह किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को सेवा-मुक्त करन की सिफारिश कर सकता था। वह इस बात से भी सतर्क रहता था कि सहायक अधिकारी किसी प्रकार के 'नाजायज अववाव' (निपिद्ध कर) वसूल नहीं करते हैं और इसलिए वह उनके वामजों का कठोरता से निरीक्षण करता था। समय समय पर उपज बढ़ान के लिए वह किसानों को प्रोत्साहन देता था तथा बजर भूमि को खेती योग्य बनान के लिए ऋण भी देता था। फसलों के खराब हो जाने की स्थिति में वह राजस्व भी कम कर सकता था। यदि किसी कारणवश राजस्व बकाया रह जाता था तो वह प्रत्येक फसल पर बकाया का 5 प्रतिशत वसूल करता था जिससे कि न तो किसानों को अधिक भार सहन करना पडे और सरकार भी धीरे-धीरे अपना बकाया भर वसूल कर सके। राजस्व इकट्ठा करने का समय समाप्त होने पर वह सूबे के खजाने में उस जमा करवा कर केन्द्र को भेजने की व्यवस्था करता था। प्रत्येक पखवाडे वो राजस्व वसूली और खर्च की रिपोर्ट के साथ ही सूबे की साधारण स्थिति के बारे में केन्द्र को अपनी रिपोर्ट भेजता था।

प्रांतीय दीवान न्यायिक कार्य भी करता था। वह राजस्व सम्बन्धी मुकदमों का निर्णय करता था तथा परगनों से घाई हुई राजस्व सम्बन्धी अपीलों की सुनवाई करता था। उसके निर्णय के विरुद्ध केन्द्र में दीवान ए-प्राता के सम्मुख अपील की जा सकती थी।

यद्यपि यह ठीक है कि दीवान और सूबेदार के बीच अधिकारों का विभाजन से एक द्विधामक शासन की स्थापना की गई थी परन्तु वास्तविकता यह है कि सूबेदार की तुलना में दीवान की स्थिति गौण थी। सम्भवत इसका उद्देश्य यही रहा होगा कि सूबे के उच्चतम अधिकारी एक दूसरे के कार्यों पर अकुश रहें तथा बन्द इत्तम सूचित रहे। इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि दोनों अधिकारियों के बीच चिर-स्थायी रूप से शासन चलाने में शका और तनाव के बीज बो दिये जावें अपितु शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए दोनों के बीच सहयोग अत्यधिक आवश्यक शर्त थी। जब कभी केन्द्र को इस प्रकार की सूचना मिलती कि सूबे के दीवान और सूबेदार के बीच तालमेल समाप्त हो रहा है अथवा वे एक दूसरे के सहयोग से काम करने में असमर्थ हैं तब ही एक अथवा दोनों को वापिस बुला लिया जाता था। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि यद्यपि दीवान किसी प्रकार से सूबेदार के प्राधीन नहीं था परन्तु फिर भी वह उसकी बराबरी करने में असमर्थ था। सूबेदार एक और तो कार्यपालिका का अध्यक्ष था और दूसरी ओर उसका पद अधिक सम्मानित था इसलिए साधारण रूप से जनता में वह अधिक सम्मान प्राप्त करने में समर्थ था।

सूबे में बरगो का पद भी महत्वपूर्ण था। उसकी नियुक्ति केन्द्रिय बरगो की सलाह से तथा उसकी मोहर से हुआ करती थी। वो सूबे के सैनिकों की देखभाल करता था। सेना की भर्ती, उनकी आवश्यकताओं एवं सात्र-सज्जा की पूर्ति, घोड़ों की दगवाना तथा सेना के नियमों को लागू करना उसीकी ज़म्मेदारी थी। वह राज की आज्ञाओं का पालन करवाने के प्रति भी उत्तरदायी था। वह सूबे के समस्त अधिकारियों के वेतन का हिसाब रखता था और यह देखता था कि पुढ के समय अथवा वार्षिक निरीक्षण के समय प्रत्येक मनसबदार व जागीरदार उचित रूप में निश्चित सरया प्रस्तुत करते हैं। बरगो के प्रमाण-पत्र के आधार पर ही मनसबदार प्रान्तीय दीवान से वेतन प्राप्त करते थे। मनसबदारों को छुट्टी के लिए भी बरगो को प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता था बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने वाले मनसबदारों को बरगो 'मगोडा' घोषित करता था तथा इस आधार पर वे दण्ड के भागी होते थे।<sup>1</sup>

मनसबदार की मृत्यु पर बरगो उसकी जागीर को अपने कब्जे में कर लेता था तथा इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे देता था। मनसबदार का हिसाब साफ हो जाने पर राज्य के आदेशानुसार वह पुनः जागीर मनसबदार को दे देता था।

बरगो प्रान्त में 'वाकियानवीस का भी काम करता था। इस आधार पर वह प्रत्येक पलवाहे सम्राट की प्रान्त की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना देता था जिसमें मालगुजारी की वसूली, प्रान्त की गान्ति व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था मुख्य थे। वह गुप्तचरों के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त करता था। गुप्तचर अनेक प्रकार के थे। इनमें वाकियानिगार व शुकियानवीस प्रमुख थे। पहले वाले गुप्तचर सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना देने थे परन्तु अबसर इनकी सूचनाएँ पूरी तरह सही नहीं होती थीं इसलिए दूसरे गुप्तचर सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी घटनाओं की सूचना भेजने के लिए नियुक्त किए गये थे। सेना के लिए अलग गुप्तचर थे। इन गुप्तचरों के होते हुए यदि बरगो किसी प्रकार की सूचना सम्राट से छिपाना भी चाहे तो वह असमर्थ था। सम्राट द्वारा बरगो को दोषी पाने पर उसे इष्ट दिया जाना था। इस समानान्तर गुप्तचर व्यवस्था से प्रान्त के समस्त अधिकारी सतर्क रह कर कुशलता से कार्य करते थे। गुप्तचर विभाग की कार्य-कुशलता का वर्णन जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में किया है। वह लाहौर के निकट एक आक्स्मिक तूफान का वर्णन इन्हीं गुप्तचरों की सूचना के आधार पर करता है। विदेशी घातों में गुप्तचरों में अत्यधिक प्रभावित थे।

1. धीवास्तव, ए. एत.—वही, भाग 2, पृ 122.

• प्रान्त के अन्य अधिकारियों में सद्र प्रमुख था जिसकी नियुक्ति बन्द के सद्र-अस-सुदूर की मस्तुति से बादशाह करता था।<sup>1</sup> वह सद्र-अस सुदूर के आधीन कार्य करता था और अपने क्षेत्र में इस्लाम धर्म के हित के लिए उत्तरदायी था। इसके अन्तर्गत उसका प्रमुख काम धार्मिक, शैक्षणिक अनुदान तथा भूमि (मदद ए-मान तथा आयाम) अनुदानों को देना था। परन्तु अकबर ने उनका इस अधिकार पर काफी अकुश लगा दिया था। प्रान्तीय सद्र अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के बजीफे के लिए प्रमुख सद्र को सिफारिश भेजता था। औरगजेब के समय में उसकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ही प्रान्त के सद्र की शक्ति काफी बढ़ गई थी। कभी-कभी प्रांतीय सद्र तथा काजी ए सूबा एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता था, जिससे सद्र को न्यायिक अधिकार भी मिल जाते थे।

काजी ए सूबा की नियुक्ति बादशाह द्वारा काजी-उल कुजान की मस्तुति पर किया जाता था। वह दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों को सुनता था। उसके सहायकों के रूप में मीर अब्दुल मुप्ती काजी आदि थे। काजी-ए-सूबा मुसलमानों के वैवाहिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमों का फैसला भी करता था।

मीर अदल नाम का अधिकारी पहली बार अकबर के समय में न्यायपालिका का अधिकारी था। उसका काम था कि वह न्यायालय में पहुँचे हुए सभी मुकदमों की जांच पड़ताल करे और या तो वह स्वयं उनका निणय करे अन्यथा अपनी सिफारिशों के साथ काजी को भेज दे जिसके आघार पर फैसला किया जा सक।<sup>2</sup> इससे यह अनुभव होता है कि वह तथ्यों की छान-बीन करने वाला अधिकारी था जिसके आघार पर फैसले किये जाते थे।

बड़े-बड़े नगरों, प्रान्तीय राजधानियों में कोतवाल नाम का अधिकारी रहता था। आईन-ए-अकबरी में कोतवाल के कार्यों का वर्णन मिलता है।<sup>3</sup> वह मुख्यतया नगर की पुलिस का प्रधान था और नगर की व्यवस्था, सुरक्षा और शान्ति के अतिरिक्त राजाजाओं का पालन/करवाने के प्रति उत्तरदायी था। अबुल फजल ने लिखा है कि इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति वही हो सकता है जो शक्तिशाली, क्रियाशील व विचारवान हो।

कोतवाल अपने कार्यों को पूरा करने के लिए समस्त नगर को अलग अलग भागों में विभाजित कर देता था और प्रत्येक के लिए एक अधिकारी नियुक्त करता था। यदि नगर में कोई फेरी होती तो वह यह देखता था कि नाविक यात्रियों से

1 श्रीवास्तव, ए० एल—अकबर द ग्रेट, भाग 2, पृ 124

2 वही

3 सरकार, जदुनाथ—मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पृ 69

उचित किराया लेते हैं तथा सरकारी अधिकारी कोई राहदारी वसूल नहीं करते हैं । नगर की सूचनापत्रों के लिए वह अनजाने आदमियों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करता था । मनुची ने औरगजेब के समय का वर्णन करते हुए लिखा है कि कोतवाल जासूसों के लिए महतरो का उपयोग करते थे जो दो बार सफाई के लिए घरों में जाते थे ।<sup>1</sup>

कोतवाल नगर में घाने जाने वालों की जानकारी रखता था और उनके ठहराने की व्यवस्था करता था । वह मित्र मित्र वर्ग के व्यक्तियों की श्राय पर ध्यान रखता था । वह कसाईयों, शिकारियों, मेहतगों को अलग अलग भागों में बसाता था । नगर को चोरो आदि से सुरक्षित रखने के लिए वह रात को घोंडे पर गश्त लगाता था ।

समय समय पर राज्य द्वारा दी गई आज्ञाओं को वह पालन करवाता था । आईन-ए-अकबरी के अनुसार उसे ऐसे आदेश निकालने की आज्ञा थी जिनसे वह यह देख सके कि लोगों से निर्धारित कर के अतिरिक्त और कोई कर नहीं वसूल किया जाता है । बाजार का मूल्य नियन्त्रण करने, तौल-माप के बाटों का परीक्षण करना, पुरुषों-स्त्रियों के लिए अलग-अलग कुद्या और घाटों की व्यवस्था करने का कार्य उसी का था । लावारिस मरे हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति की समुचित व्यवस्था करना जिससे कि भविष्य में उसके उत्तराधिकारियों को ये सम्पत्ति मिल जावे, उसी का काम था ।

अकबर ने कोतवालों का आदेश दे रखा था कि वे अपनी नीमाओं में मुलाओं का त्रय-वित्रय न होने दे और न ही किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध सती होने दिया जावे । वे अपने क्षेत्र में घोड़ों, ऊटों, बैलों, भैंसों का बंध न होने दें ।<sup>2</sup> औरगजेब के समय में कोतवाल का कर्तव्य था कि वह शराब का आसवन न होने दे, बेश्याओं को नगर में न रहने दे तथा शासन द्वारा निषेध कोई भी कार्य न होने दे ।<sup>3</sup>

इन कार्यों के अतिरिक्त कोतवाल दण्डाधिकारी भी था । उसकी बचहरी को चबूतरा कहते थे । मनुची उसे सम्पूर्ण नगर का दण्डाधिकारी मानता है ।<sup>4</sup> नगर क्षेत्र में पकड़े गये अपराधी को कोतवाल की बचहरी में प्रस्तुत किया जाता था और वही उसके अपराध के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाच पढताल करता था । शरीयत सम्बन्धी

1. मनुची—वही, भाग 2, पृ. 240-41.

2. श्रीवास्तव, ए एल.—अकबर द ग्रेट भाग 2, पृ 125-26

3. सरकार, जदुनाथ—मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 70.

4. मनुची, निकोलो—स्टोरिया दी मोगोर भाग 2, 292. (इरविन द्वारा अनुवादित)



अपराध होने पर उसे काजी की कचहरी में भेज दिया जाता था। यदि अपराध राजस्व सम्बन्धी होता तो अपराधी को सूबेदार या दीवान की अदालत में भेज दिया जाता था। ट्रेवनियर ने लिखा है कि "कोतवाल का दफ्तर एक प्रकार की चौकी थी जहाँ दंडाधिकारी के रूप में वह स्थानीय विवादों पर निर्णय देता था।"<sup>1</sup> थेविनो ने भी लिखा है कि "फौजदारी के मुकदमों कोतवाल के न्यायाधीन थे।"<sup>2</sup> यदि किसी को उसके विरुद्ध शिकायत होती तो काजी की कचहरी में मुकदमा पेश हो सकता था। इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मुगल काल में नगर अधिकारियों में कोतवाल का महत्वपूर्ण स्थान था और क्योंकि उस काल में उच्च वर्ग नगरों में ही रहता था इसलिए कोतवाल का उत्तमदायित्व और भी बढ़ जाता था।

मुगलों ने प्रान्तीय सूबेदार तथा उसके मन्त्रियों पर नियन्त्रण रखने के लिए अपने को उपभोग निकात रखे थे। प्रथमतः सूबेदारों को एक ही मूबे में अधिक समय तक नहीं रहने दिया जाता था और उनका तथा उनके मन्त्रियों का तबादला कर दिया जाता था। यदि शासक को यह जानकारी मिलती कि वे अयोग्य अथवा अश्याचारी हैं तो उन्हें तुरन्त ही वापस बुला लिया जाता था अथवा दण्डित किया जाता था। मानसिंह जैसा प्रभावशाली व्यक्ति भी काबुल से वापिस बुला लिया गया क्योंकि शासन को ये जानकारी मिली थी कि वे तथा उनके सहयोगी राजपूत लोगों के साथ कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में गुप्तनगर विभाग का जाल बिछा हुआ था जिसमें कि सरकारी अधिकारी अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहते थे।

बखी भी वाक्यानवीस की हैसियत से केन्द्र को प्रत्येक पलवाड़े सूबे की समस्त जानकारी देता था जिससे सूबे के अधिकारी सतर्क रहते थे। सूबे में द्वेष शासन भी था जो स्वयं अपने आप में उच्च अधिकारियों पर एक अकुश था। इसके अतिरिक्त शासक की किसानों के प्रति सजगता और सरकारी दौरे भी अधिकारियों को नियन्त्रण में रखते थे। 1572 ई० में मन्नाट अकबर के पंजाब के दौरे के समय के समय उसे लोगों से जानकारी मिली कि शाहकुली महाराम, सूबेदार, आतताइयो को दण्डित नहीं कर रहा है जिससे न्याय का उचित प्रबन्ध नहीं है, अकबर ने उसे अत्यधिक फटकारा।<sup>3</sup> इसके अलावा मुगल शासक ऊँचे अधिकारियों को नियुक्त कर सूबों का निरीक्षण करवाते थे। अकबर ने 1573 ई० में आसफ खा को नियुक्त कर कश्मीर के प्रशासन, सैनिक व्यवस्था तथा वहाँ की जनता की कठिनाइयों का ब्यौरा

1 ट्रेवनियर—ट्रेवल्स, पृ. 92.

2 थेविनो—भाग 3, पृ. 19-20.

3 अबुल फजल—आईन-ए-अकबरी भाग 3, पृ. 247.

निया। इसी प्रकार टोडरमल को बगाल भेजा गया।<sup>1</sup> इन सबके प्रतिरिक्त शासकों द्वारा भारोसा दर्शन को अमान्य से, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला था, राज्य का कोई भी नागरिक शासक से न्याय पाने हेतु अपनी कठिनाई सामने रख सकता था।

इस व्यवस्था के आधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं कि केवल कुछ टुट-भुट मामलों को छोड़कर जहा कठोरता और व्यवस्था रही होगी अधिकतर मुगल काल में शान्ति व्यवस्था बनी रही और लोग प्रसन्न व सन्तुष्ट रहे।

प्रत्येक सूबे को सरकार से, और सरकार को परगनों अथवा महलों में बाँट रखा था। परगना राज्य के शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिससे नीचे गाव की पचासत होती थी। फाईन-ए-अकबरी के अनुसार 1576 ई० में सरकारों की संख्या 105 व परगनों की संख्या 2737 थी परन्तु यह संख्या नये प्रदेशों को जीतने अथवा पुनर्व्यवस्था के आधार पर बदलती रहती थी।

शोरलुंग का यह कथन की सूबे को साधारण शासन की सुविधा के लिए सरकार के प्रतिरिक्त किन्ही भागों में बाँट रखा था उचित नहीं है। डा. शरण का मत है कि सूबे को ही सरकारों में बाँटा गया था और उसके अधिकारियों में फौजदार तथा अमल गुजार प्रमुख थे।<sup>2</sup> शेरशाह के समय में सरकार के इन अधिकारियों को शिखदार-ए-शिखदारान व मुन्सिफ ए-मुन्सिफान कहने थे। मुगल राज्य में फौजदार व अमल गुजार के प्रतिरिक्त काजी तथा कीतवाल होने थे जो न्याय और धार्मिक विभागों के अधिकारी थे। यहाँ यह जान लेना अधिक उपयुक्त होगा कि फौजदार को सरकार से कोई न्यायिक अधिकार न थे और इसलिए वह सरकार से गवर्नर का केवल शांति व्यवस्था बनाये रखने में ही प्रतिनिधित्व करता था।<sup>3</sup> न्यायिक अधिकार कीतवाल का क्षेत्र था और वह केवल सरकार के मरुफावय का ही नहीं अपितु सरकार से समस्त कम्बो का भी अधिकारी था।

फौजदार का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण था इसलिए सम्भवतः उसकी नियुक्ति फारमान-ए-सबती द्वारा होती रही होगी। साधारणतया वह एक उच्च मनसबदार होता था। सरकार से शान्ति व्यवस्था बनाये रखना उसकी जम्मेदारी थी। उसके आधीन एक सैनिक टुकड़ी रहती थी जो व्यवस्था को बनाये रखने व उपद्रवियों को दण्डित करने में उसकी सहायता करती थी। असाधारण स्थिति में वह सूबेदार से सहायता की प्रार्थना कर सकता था।

1 अब्दुल कादर बदायूनी—मुत्तसब-उत-तवारीख, पृ. 365.

2 शरण, पी.—वही, पृ. 172-73.

3 शरण, पी.—वही, पृ. 175.

अपराध होने पर उसे काजी की बचहरी में भेज दिया जाता था। यदि अपराध राजस्व सम्बन्धी होता तो अपराधी को सूबेदार या दीवान की अदालत में भेज दिया जाता था। ट्रेवनियर ने लिखा है कि 'कोतवाल का दफ्तर एक प्रकार की चौकी थी जहाँ दंडाधिकारी के रूप में वह स्थानीय विवादों पर निर्णय देता था।'<sup>1</sup> बेविनो ने भी लिखा है कि "फौजदारी व मुकदमों कोतवाल के न्यायाधीन थे।"<sup>2</sup> यदि किसी को उसके विरुद्ध शिकायत होती तो काजी की बचहरी में मुकदमा पेश हो सकता था। इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मुगल काल में नगर अधिकारियों में कोतवाल का महत्वपूर्ण स्थान था और क्योंकि उस काल में उच्च वर्ग नगरों में ही रहता था इसलिए कोतवाल का उत्तुंग्दायित्व और भी बढ़ जाता था।

मुगलों ने प्रान्तीय सूबेदार तथा उसके मन्त्रियों पर नियन्त्रण रखने के लिए अनेको उपाय निकाल रखे थे। प्रथमतः सूबेदारों को एक ही मूँध में अधिक समय तक नहीं रहने दिया जाता था और उनका तथा उनके मन्त्रियों का तबादला कर दिया जाता था। यदि शासक को यह जानकारी मिलती कि वे अयोग्य अथवा अत्याचारी हैं तो उन्हें तुरन्त ही वापस उला लिया जाता था अथवा दण्डित किया जाता था। मानसिंह जैसा प्रभावशाली व्यक्ति भी बाबुल से वापिस बुला लिया गया क्योंकि शासन को ये जानकारी मिली थी कि वह तथा उसके सहयोगी राजपूत लोगों के साथ कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में गुप्तचर विभाग का जाल बिछा हुआ था जिसमें कि सरकारी अधिकारी अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहते थे।

वर्षी भी वाक्यानवीस की हैसियत से केन्द्र को प्रत्येक पक्षवाड़े सूबे की मामूली जानकारी देता था जिससे सूबे के अधिकारी सतर्क रहते थे। सूबे में द्वेष शासन भी था जो स्वयं अपने आप में उच्च अधिकारियों पर एक अकुश था। इसके अतिरिक्त शासक की किसानों के प्रति मजगता और सरकारी दौरे भी अधिकारियों का नियन्त्रण में रखते थे। 1572 ई० में अकबर के पंजाब के दौरे के समय के समय उसे लोगों से जानकारी मिली कि शाहकुली महाराम, सूबेदार, घातताइयों को दण्डित नहीं कर रहा है जिससे न्याय का उचित प्रबन्ध नहीं है, अकबर ने उस अत्यधिक फ़कारा।<sup>3</sup> इसके अलावा मुगल शासक ऊँच अधिकारियों को नियुक्त कर सूबों का निरीक्षण करवाते थे। अकबर ने 1573 ई० में अफ़खा को नियुक्त कर कश्मीर के प्रशासन, सैनिक व्यवस्था तथा वहाँ की जनता की कठिनाइयों का ज्योरा

1 ट्रेवनियर—ट्रेवल्स, पृ 92

2 बेविनो—भाग 3 पृ 19-20

3 अबुल फजल—प्राईन ए अकबरी भाग 3 पृ 247

निधा । इसी प्रकार टोडरमल को बगाल भेजा गया ।<sup>1</sup> इन सबके अतिरिक्त शासकों द्वारा भागोस्ता दर्शन को ग्रामान से, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुखा था, राज्य का कोई भी नागरिक शासक से न्याय पाने हेतु अपनी कठिनाई सामने रख सकता था ।

इस व्यवस्था के आधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं कि केवल कुछ छूट-पुट मामलों को छोड़कर जहाँ कठोरता और अल्पवस्था रही होगी अधिकतर मुगल काल में शान्ति व्यवस्था बनी रही और लोग प्रसन्न व सतुष्ट रहे ।

प्रत्येक सूबे को सरकार में, और सरकार को परगना अथवा महलो में बाँट रखा था । परगना राज्य के शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिससे नीचे गाव की पचासत हानी थी । घाईन-ए अकबरी के अनुसार 1576 ई० में सरकारों की संख्या 105 व परगनों की संख्या 2737 थी परन्तु यह संख्या नये प्रदेशों को जीतने अथवा पूर्वव्यवस्था के आधार पर बदलती रहती थी ।

मौरलंग का यह कथन की सूबे को साधारण शासन की सुविधा के लिए सरकार के अतिरिक्त किन्हीं भागों में बाँट रखा था उचित नहीं है । का शरण का मत है कि सूबे को ही सरकारों में बाँटा गया था और उसके अधिकारियों में फौजदार तथा अमल गुजार प्रमुख थे ।<sup>2</sup> शेरशाह के समय में सरकार के इन अधिकारियों को शिकदार-ए शिकदारगन व मुसिफ ए मुनिफान कहते थे । मुगल राज्य में फौजदार व अमल गुजार के अतिरिक्त काजी तथा कोतवाल होते थे जो न्याय और धार्मिक विभागों व अधिकारों थे । यहाँ यह जान लेना अधिक उपयुक्त होगा कि फौजदार को सरकार में कोई न्यायिक अधिकार न थे और इसलिए वह सरकार में गवर्नर का केवल शांति व्यवस्था बनाये रखने में ही प्रतिनिधित्व करता था ।<sup>3</sup> न्यायिक अधिकार कोतवाल का क्षेत्र था और वह केवल सरकार के मुहतालय का ही नहीं अपितु सरकार में समस्त कस्बों का भी अधिकारी था ।

फौजदार का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण था इसलिए सम्भवत उसकी नियुक्ति फरमान ए सबती द्वारा होती रही होगी । साधारणतया वह एक उच्च मनसबदार होता था । सरकार में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना उसकी ज़ुम्मेदारी थी । उसके आधीन एक मैजिक टुकड़ी रहती थी जो व्यवस्था को बनाये रखने व उपद्रवियों को दण्डित करने में उसकी सहायता करती थी । साधारण स्थिति में वह सूबेदार से सहायता का प्रार्थना कर सकता था ।

1 अकबर का दर बदायूनी—मुतखब उत-तवारीख, पृ 365

2 शरण, पी—वही, पृ 172-73

3 शरण, पी—वही, पृ 175

सरकार के फौजदारों के अतिरिक्त सीमाओं पर भी फौजदारों की नियुक्ति की जाती थी। यद्यपि यह जानकारी सम्भव नहीं है कि सीमाओं पर कितने फौजदार नियुक्त थे परन्तु समकालीन लेखकों के विवरण से इतना स्पष्ट है कि इन फौजदारों के आधीन आनेको याने थे। इनमें अटक के निकट का फौजदार, काँगडा, आसाम व बरेली के फौजदार प्रमुख थे।

इनकी प्रमुख ज़ुम्मेदारी सीमाओं की निगरानी रखना व उपद्रवी व विद्रोही जमींदारों को दण्डित करना था। समय-असमय पर पहाड़ी जमींदारों द्वारा राज्य के प्रदेशों पर आक्रमण करने तथा उन्हें उजाड़ने के जो प्रयत्न किये जाते थे उनको दण्डित करना फौजदार का ही उत्तरदायित्व था। पहाड़ी जमींदारों से जिन्होंने की आधीनता स्वीकार कर ली थी उनसे वार्षिक खिराज वसूल करना और नये प्रदेशों को अधीन करना इन्हीं के कार्यक्षेत्र में आता था और क्योंकि खिराज वगैर जबरदस्ती के वसूल करना सम्भव न था इसलिए फौजदारों को इस आघार पर कार्य काफी करना पड़ता था।

सरकार के फौजदार का प्रमुख काम अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाय रखना था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को अनक थानों में बांट दिया गया था और प्रत्येक थान के लिए एक कोतवाल की नियुक्ति की गई थी। थाने का कोतवाल सरकार के कोतवाल के आधीन कार्य करता था। सरकार के कोतवाल की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। आईन ए प्रकबरी में दिए गये आईन-ए कोतवाल से उसके कार्यों की जानकारी प्राप्त करना सहज है। इनको हम इन पांच भागों में बांट सकते हैं—(1) अपने क्षेत्र की निगरानी करना तथा शांति व्यवस्था बनाये रखना, (2) बाजार पर नियंत्रण रखना (3) लावारिस सम्पत्ति की देखभाल करना तथा उसका बँध निपटारा करना, (4) लोगों के आचरण का ध्यान रखना तथा अपराधों को रोकना, (5) सामाजिक कुरीतियाँ जैसी सती आदि की रोकथाम करना तथा बूचडखाने, शमशान आदि की व्यवस्था बनाये रखना।<sup>1</sup>

सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कोतवाल को ये आदेश थे कि लोगों की पहुँच उसके पास सरलता से हो जिससे कि बगैर किसी देरी के अत्याचारी को दण्डित किया जा सके। इसके लिए गुप्तचरों की नियुक्ति क अतिरिक्त उसे अपने क्षेत्र को विभिन्न मोहल्लों में बांट कर प्रत्येक के लिए एक मुखिया नियुक्त करने का आदेश दिया गया था जो कि अपने मोहल्ले की प्रत्येक अप्रिय घटना की सूचना उसे दे। वह अपने क्षेत्र में हुई प्रत्येक चोरी अथवा डकैती के लिए उत्तरदायी था और अगर वह अपराधियों को डूँडन में समर्थ होता तो उसे

स्वयं नुकसान की पूर्ति करनी पड़ती थी।<sup>1</sup> विदेशी यात्रियों के बखान से स्पष्ट है कि कोतवाल इस प्रकार की चारी प्रथवा ठकंती के लिए उत्तरदायी था। बेविनो ने बखान किया है कि किस प्रकार से कोतवाल के सहायक रात में तीन बार अपने अपने मोहल्लों की गश्त लगाते थे।<sup>2</sup> बाजारों में नाप-तौल का ध्यान करना तथा जवरदस्ती मती की जाने वाली स्त्री को बचाना, बचाव वध को रोकना तथा साल में निपेक्ष महीनो प्रथवा दिनों में पशु-वध को रोकना उसके प्रमुख कर्तव्य थे। इन सब कामों की पूरा करने के लिए उसे अपने अधीन सहायकों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी। सर जेडुनाथ सरकार का मत है कि सारी ज़ुम्मेदारियाँ क बाद भी इसमें कोई शक नहीं है कि कोतवाल अपनी ज़ुम्मेदारियों को पूरा करने में कोई फटिनाई अनुभव न करता था।<sup>3</sup>

सरकार के प्रायः अधिकांश मामलों में मालगुजारी काजी ए-सरकार वित्तकी व व सजानदार प्रमुख थे। सरकार में दीवान ए-सूबा का समकक्ष मालगुजारी था। यद्यपि उसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती थी परन्तु वह प्रांतीय दीवान के प्राथमिक काम करता था। सालसा, जागीरदारी व मदद-ए-भाश की भूमि, सरकार में उसी के अधीन थीं। किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहन देना, अधिक म प्रायक भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि की पैमाइश करना और समय पर मालगुजारी वसूल करना उसी के कर्तव्य थे। दूसरी ओर उसे बेईमान और उग्रवी किसानों के साथ सख्तों का व्यवहार करने के निर्देश भी दे रखे थे। वह निश्चित समय के अन्दर मालगुजारी वसूल कर वेद में भेजता था। साधारणतया उसके बतन का चौथाई भाग बकाया मालगुजारी वसूल होने तक रोक लिया जाता था और जब वह उसे वसूल करके भेज देता था तो उस वाकी बतन दे दिया जाता था।

काजी ए-सरकार की नियुक्ति काजी ए-सूबा की सत्सुति पर सर प्रस-सुदूर करता था। वह मुसलमानों के धर्म, उत्तराधिकार विवाह आदि में मन्वधिकत मुकदमों का निखय इस्लामी कानून के अनुसार करता था। इस्लामी कानून की व्याख्या के लिए मफती उसका सहायक था। 'यायाधिकारी का कार्य करने के कारण उसे शरीअत-पनाह भी कहते थे।<sup>4</sup> वह इसक अतिरिक्त मस्जिदों की देखभाल भी करता था और ज़ुम्मे (गुजवार) और ईद की नमाज का नेतृत्व भी करता था। औरगजब व समय में उस जवात और जजिया वसूल करने के अधिकार भी दे दिये

1 मन्वी — एन भाग दो पृष्ठ 421 (स्टोरिया व मोगोर इरविन डब्ल्यू द्वारा अनुवादित)।

2 बेविनो जे डे — म व तीन पृ 20 (मैन एस एन द्वारा संपादित)

3 सरकार जे एन — मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पृ 68-69

4 बशीर ए — एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मेडिवल इंडिया, पृ 156

गये थे।<sup>1</sup> राज्य की ओर से सरकार को जो भूमि धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती उसके वितरण की ज़म्मेदारी भी उसी की थी।

वितरकची मुगल काल में भूमि सम्बन्धी घाकड़े रखता था। प्रत्येक गाव की अनुमानित मालगुजारी, प्रत्येक किसान द्वारा दय रकम व किसान की भूमि का विवरण वही रखता था। उसी के द्वारा तयार किए हुए आँकड़ों के आधार पर अमल-गुजार मालगुजारी वसूल करता था। किसानों पर बकाया रकम का लखा-जाधा भी वही तैयार करता था जिसकी एक प्रति अमलगुजार को तथा दूसरी दरबार का प्रशित करता था। अपने क्षेत्र की वह उसी स्थिति में ही छोड़ता था जबकि अमल-गुजार उसके कार्य से पूरा सन्तुष्ट हो जावे।

सरकार के कोष के अधिकारी को खजानदार कहते थे। वह किसानों से लगान वसूल कर उसकी रसीद उनको देता था तथा रोज के हिसाब का मिलान कर अमलगुजार के दस्तखत करवाता था। बिना प्रान्तीय दीवान की आज्ञा के वह कोई बड़ी रकम का मुगतान नहीं कर सकता था। खजाने पर अमलगुजार व खजानदार दोनों के ताले लगते थे जिससे कि दोनों की सहमति के बगैर खजाने से धन नहीं निकाला जा सके।

इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मुगल काल में प्रान्तीय व स्थानीय शासन की व्यवस्था पूरी तरह उन्नत थी और मुगल शासकों को ये श्रेय था कि वे इस व्यवस्था को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने में सफल हुए।

## भू-राजस्व (1206-1556 ई०)

समस्त मुस्लिम स्मृतिज्ञों (Jurists) के राजस्व सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार-भूत स्रोत यद्यपि एक ही है परन्तु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर इनके सिद्धान्त एक दूसरे से भिन्न हैं। भारत में समस्त मुस्लिम काल में हुनावी विचारधारा ही प्रबल रही और इसी के सिद्धान्त राज्य की नीति निर्धारित करने के आधार बने रहे।

मुस्लिम स्मृतिज्ञों ने सरकार की धन्य के दो प्रमुख साधन माने हैं—(1) धार्मिक (2) मौलिक। धार्मिक कर की जकात की मजा दी गई है जो सम्पत्ति का 40वां भाग होता था। धार्मिक करों के अतिरिक्त खिराज, जजिया व खम्स कर प्रमुख थे। खिराज भू-राजस्व था जिसका अर्थ किसी भूमि के टुकड़ से कर वसूल करना था। खिराज को दो भागों में बाटा गया है—(1) अनुपातिक (2) स्थिर। अनुपातिक का अर्थ था किसी भूमि से उपज का  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{4}$  या  $\frac{1}{3}$  भाग। स्थिर खिराज इसके विपरित किसी भूमि से प्रति एकड़ या प्रति वृक्ष पर निश्चित कर लेने की व्यवस्था को कहते थे। इसका अर्थ था कि कर निर्धारण की दो पद्धतियाँ थीं जिसके अन्तर्गत कर या तो उपज के अनुपात में अथवा जोती हुई भूमि की नाप के आधार पर लिया जाता था। जरीब के द्वारा नाप की पद्धति में जोनी गई भूमि का क्षेत्रफल को जानकारी कर ली जाती थी और भूमि की प्रकृति का अनुमान मुख्यतः तीन आधारों पर निश्चित कर लिया जाता था—प्रथम वह भूमि जो तुलनात्मक आधार पर कम अथवा अधिक उपज देती थी, द्वितीय की भूमि पर कौन सी फसल बोई जाती है क्योंकि प्रत्येक बोई हुई फसल का मूल्य एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता था, और तृतीय कि भूमि प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर है। नकद कर देने की स्थिति में इस पर भी ध्यान दिया जाता था कि भूमि तथा शहर अथवा बाजार के बीच कितनी दूरी है क्योंकि ऐसी स्थिति में किसान को भू-राजस्व देने के लिए अपनी उपज को बाजार अथवा शहर में बेचना आवश्यक था। कोई व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष, व्यस्क अथवा अल्पवयस्क, दास अथवा स्वतन्त्र व्यक्ति, हिन्दू



हिंदू सरदारों को दवाने में व्यस्त रहने के साथ ही मुद्द-अभियानों में अधिक जगह हुआ था इसलिए वो भू राजस्व व्यवस्था में विसी प्रकार के सुधार करने में असमर्थ था। बलबन के समय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि इस्तुतमिश ने अपने सैनिकों और भतीजों उनके वतन के बदले में कुछ भू प्रदेश बांटे थे जिनका इत्ता की मजा से सम्बोधित किया जाता था।

बलबन जो 13वीं शताब्दी में अधिकतर समय में सुल्तान रहा उसे मंगोल आक्रमणों की समस्या का सामना करना पड़ा जिसके कारण उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा कर तथा अपनी विजय-नीति को ध्याये। इस आधार शस्त्र से प्राप्त आय पूरी तरह समाप्त हो गयी और दूसरी ओर सेना का खर्च अत्यधिक बढ़ गया। बलबन ने स्वयं कहा था कि, "मैंने अपना समस्त राजस्व सना को शक्तिशाली बनाने तथा उनको शस्त्रों से सुसज्जित करने में खर्च कर दिया है और मरी सना सदैव मंगोलों का सामना करने के लिए तैयार है।" बलबन ने इसलिए समस्त राजस्व व्यवस्था का सर्वेक्षण किया और देखा कि इत्तादारों में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। विशेषकर दा आब में इत्ता का अधिकार वशानुगत हो गया है और मूल इत्तादारों की मृत्यु पर उनकी विधवाया और कभी कभी दासों ने इन इत्ताओं को अपने अधिकार में ले लिया है और राज्य की किसी प्रकार की सेवा अथवा सैनिक सेवा किये बगैर वे राजस्व का उपभोग कर रहे हैं यह स्पष्टत इत्ताम कानूनों के विरुद्ध था तथा राज्य के लिए अहितकर था। बलबन ने इसलिए उनकी जानकारी कर ऐसे इत्ताओं को जिनके स्वामी मर चुके थे अथवा सैनिक सेवा के लिए अयोग्य हो गये थे उन्हें खालसा भूमि में मिलाने का प्रयास किया। बलबन विधवाओं और भनायों का इत्ताओं के बदले में उनकी आवश्यकताओं के लिए कुछ धन देने को तैयार था। साथ ही वह उन इत्ताओं को खालसा भूमि में मिलाना नहीं चाहता था जिनके इत्तादार सैनिक सेवा के योग्य हों। परन्तु बलबन के इस सुधार का विरोध इस आधार पर किया गया कि इत्तादारों को इत्ता इनाम के रूप में दिये गये थे और उनसे इनको वापिस लेना उनके सरनाश को आमंत्रित करना था। बलबन दिल्ली के कोतवाल फकहूद्दीन की प्रार्थना पर कोई सक्रिय परिवर्तन करने में असमर्थ रहा परंतु जैसा कि डा जिपाठी का मत है कि 'सुल्तान का ये रवैया दूसरे इत्तादारों के लिए एक चेतावनी सिद्ध हुई और सम्भवतः कुछ समय के लिए इत्ता के वशानुगत होने की नीति पर रोक लगा दी।' इस प्रयास में असफल होने पर बलबन न शासन को बढ़ाकरने के लिए आय की राशि और उसके खोतों पर कठोर नियंत्रण रखने की नीति अपनाई। उन्होंने ऐसे अधिकारियों का निवारण

दिया जिन पर उसे विभवान न था और उनके स्थान पर विषवासपात्र और स्वामि-पक्ष सेवकों की नियुक्ति की। इत्युत्तमिष के उदाहरण को सामने रखकर उसने राज्य के प्रमुख प्रान्त को अपने पुत्रों के आधीन रक्ता। इस प्रकार मुल्तान समाना, प्रवध और रगाल के प्रदेश उसके अपन पुत्रों के आधीन थे। इसके अतिरिक्त उसने प्रमुख इत्तामो में 'रगजा' नाम के अधिकारी की नियुक्ति की स्वाजा वजीर की सिफारिश पर मुल्तान के द्वारा नियुक्त किये जाते थे। वे इस प्रकार से केन्द्रिय सरकार के प्रति उत्तरदायी थे और मुक्ति के कार्यों पर अकुण्ठ का कार्य करते थे। यद्यपि मुक्ति इत्ता वा प्रमुख अधिकारी था और 'स्वाजा' उसके आधीन था परन्तु क्योंकि वह केन्द्रिय सरकार के प्रति उत्तरदायी था। इसलिए वो मुक्ति की मनमानी पर रोक लगाने में समर्थ था। इस तरह से बलबन ने बड़े ही सीमित रूप में इत्तामो में द्वैष शासन लागू किया था।

स्वाजा तथा मुक्ति में किसी प्रकार से ऐक्य को रोकने के लिए बलबन ने गुप्तचरों की नियुक्ति की थी जो मर्दव ही घूम-घूमकर वित्त विभाग अथवा मुल्तान की सूचनाएँ पहुँचाते रहते थे।

इत्तामो के अतिरिक्त 'सत' तथा 'बस्वा' नाम के छोटे भाग भी थे जिनमें कारकून, मुतसफ, चौधरी या मुकद्दम नाम के अधिकारी थे। मुतसफ व कारकून राजस्व तथा दफ्तर के काम से सम्बन्धित अधिकारी थे और ऐमा अनुभव होना है कि वे प्रत्यक्ष रूप से किसानों के सम्पर्क में नहीं थे। चौधरी तथा मुकद्दमों के माध्यम से वो किसानों से सम्पर्क करते थे।

भूमि कर आंकने के लिए बलबन के सम्मुख तीन पद्धतियाँ थीं—(1) नपाई (2) बटाई और (3) कम्पडिन्डिंग। हमें यह निश्चित रूप से जानकारी है कि अलाउद्दीन के पहले भूमि को नपवाने का प्रयास नहीं किया गया।<sup>1</sup> इसलिए बलबन के समय में इस आधार पर लगान निर्धारित करना सम्भव नहीं था। हमें यह भी जानकारी है सल्तनत काल में 'इत्ता' साधारण रूप से विद्यमान थे और इसके अधिकारियों को मुक्ति कहते थे। मोरलैंड के अनुसार इत्ता भूमि का वह टुकड़ा था जो सैनिक सेवा के लिए दिया गया हो।<sup>2</sup> मोरलैंड इत्ता को एक ऐसी भूमि का टुकड़ा भी स्वीकार करते हैं जो लगान के सम्पूर्ण (जमोग Assignment) में दिया गया है।<sup>3</sup> दोनों ही परिभाषाओं को एक माप पढ़ने से हम यह परिणाम निकालते हैं कि इत्ता भूमि का ऐसा टुकड़ा था जिसका राजस्व प्राप्तकर्ता के वेतन के बराबर होता था। इसके

1 त्रिपाठी, धार—पृ. 261

2 मोरलैंड डब्ल्यू एच—दी ऐम्पियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इन्डिया पृ 27

3 वही, पृ 273.

अधिकार को स्थापित किया।<sup>1</sup> क्योंकि इस प्रकार की भूमि केवल मुसलमानों के पास ही थी। इसीलिए उनका इस नीति से प्रभावित होना स्वाभाविक है परन्तु बर्नी का यह कथन भी उनकी स्थिति दयनीय ही गई थी केवल मात्र अतिशयोक्ती ही लगती है। इस मुद्धार से राज्य की सालसा-भूमि में निश्चित ही वृद्धि हुई और साथ ही भूमि अब उचित व्यक्तियों के अधिकार में रही जिनके लिए सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त रहना प्रायःपक्व शर्त बन गई और साथ ही साथ एक नये वर्ग का निर्माण कर अनुनातिक पुरान सरदारों का प्रभाव क्षीण हो गया।

तत्पश्चात् अलाउद्दीन या ध्यान हिन्दू जमींदारों की शक्ति को, जिन्होंने राज्य की भूमि को एक निश्चित राशि देना या खचन देकर प्राप्त की थी, उनकी और आवृष्ट हुआ। ये दो वर्ग था जो सरकार और कृषकों के बीच भू-राजस्व एकत्रित करने में मध्यस्थ अथवा पञ्च थे अथवा स्वयं कृषक थे। मूलतः कालीन भारत में इन्हे सूत, मुकद्दम, चौधरी आदि सजाओ से संबोधित किया है। ये अधिकारी सरकार के लिए राजस्व एकत्रित करते थे जिसके बदले में उन्हें विशेष सुविधायें प्राप्त थीं। एकत्रित की हुई राशि में से यथावधि धन देना के पश्चात् भी उन्हें राज्य से भूमि व चरागाह भी दिये गये थे। क्योंकि इन अधिकारियों की निष्ठा व शानुगत थी तथा वे ही भूमि के सम्बन्ध में गूढ़ जानकारी रखते थे इसलिए अपनी इन विशेषताओं का लाभ उठाकर तथा अपने व्यक्तिगत प्रभाव व शक्तिहीन पन्द्र का लाभ उठाकर वे अधिक से अधिक धन अर्ध रूप में अधिकार में कर लेते थे और इस प्रकार व्यक्तिगत लाभ के आधार पर राज्य की हानि थी। वे राज्य को खराज, जजिया, करी व चराई आदि कर देना भी टाल देते थे और इसलिए उनकी स्थिति सम्पन्न थी। बर्नी ने लिखा है कि, "वे अच्छे घोड़ों पर सवार होते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, ईरानी घनुषों का प्रयोग करते थे, शिकार करने तथा आपस में युद्ध करते थे और शराब की तथा उरसव-सम्बन्धी दावतें करते थे" अलाउद्दीन ऐसी स्थिति को सहन करने के लिए तत्पर नहीं था और विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उमन बगैर किसी हिवकि-आहट के मुसलमानों के अधिकारों को रद्द कर दिया था तो कोई कारण नहीं था कि वो हिन्दुओं को किसी प्रकार की विशेष सुविधायें दे। राजस्व में कमी के साथ ही हिन्दुओं के आपस के झगड़े राजनैतिक अव्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी थे। अधिक व राजनैतिक कारणों के आधार पर अलाउद्दीन ने समस्त सूत, मुकद्दम और हिन्दू लगान अधिकारियों के विशेषाधिकारों को तथा खराज कर देने में जो सुविधाओं को वे अनुचित रूप से उपभोग करते चले आ रहे थे उन्हें समाप्त कर दिया। इस प्रकार से हिन्दू तथा मुसलमान अनुनातिक उपभोग के रूप में इस भू-राजस्व मुद्धार से

1. त्रिपाठी डॉ. आर पी —सम आस्पेक्टस ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ 256.

2. बर्नी, जियाउद्दीन—तारीख-ए-फिरोजशाही पृष्ठ 291.

प्रभावित हुए। क्योंकि अधिकतर हिन्दू ही इस प्रकार की मुविद्याओं का उपभोग करते चले आ रहे थे इसलिए उनकी स्थिति अधिक दयनीय हो जाना स्वाभाविक था। सर वूल्जले हेग ने ठीक ही लिखा है कि, "सम्पूर्ण राज्य में हिन्दुओं की निर्धनता तथा पीडा के निम्नतर स्तर पर पहुँचा दिया और यदि कोई एक वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक दयनीय स्थिति में था तो वह पृथक आधार पर निर्धारित करने और उसे वसूल करने वाले पदाधिकारियों का था जो पहले सबसे अधिक सम्मानित थे।" हिन्दुओं की सम्पन्नता नष्ट हो गई परन्तु फिर भी बरनी का यह कथन कि, "निर्धनता के कारण धन कमाने के लिए पुतों और मुकद्दमों की स्त्रियाँ मुसलमानों के घरों में कार्य करने जाने लगीं" ठीक नहीं लगता है।

अलाउद्दीन ने न तो इत्ता और न ही 'कोठी' पद्धति को समाप्त किया और न ही इनको समाप्त करके किसी दूसरी पद्धति को लागू करने की सम्भावना ही थी खून आदि अपने अनुपातिक धन को पहले ही समान प्राप्त करते रहे परन्तु इसके पश्चात् वे साधारण किसानों की तरह अतिरिक्त कर देने के लिए बाध्य कर दिये गये।

अलाउद्दीन ने अपने समय में धनेको बरी को समाप्त कर दिया और इसलिए राजस्व में कमी हुई होगी। एक ओर राजस्व प्राप्ति में कमी और दूसरी ओर राज्य की बढ़ती हुई सैनिक-व्यय की मांगों ने अलाउद्दीन को भूमि कर बढ़ाने के लिए न केवल प्रोत्साहित किया अपितु प्रेरित भी किया। उसने पँदावार का भाषा भाग कर के रूप में वसूल करना धारम्भ किया। पिछले सुल्तानों के समय में भूमि कर कितना था इसकी प्रमाणिकता प्राप्त नहीं होती। अनुमान के आधार पर यह उपज का  $\frac{1}{2}$  भाग होती थी। अलाउद्दीन ने शरियत द्वारा निर्धारित सीमा के आधार पर इसे  $\frac{1}{3}$  कर दिया जो कि समस्त पहले सुल्तानों से अधिक था। इसका औचित्य सभवतः इसी में था कि समय की यही मांग थी और शासन के अनुरूप थी।

भू-राजस्व के क्षेत्र में अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने पँमाइश (नाप) के आधार पर कर-निर्धारित करने की नीति को लागू किया।<sup>1</sup> यद्यपि निश्चित रूप से यह पद्धति दक्षिणी भारत में प्रचलित थी परन्तु उत्तरी भारत के सम्बन्ध में समुचित जानकारी नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जलालुद्दीन खलजी तक के शासकों ने इस क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था और ग्रामीण, वारकुर आदि कर्मचारियों की सहायता से राजस्व वसूल किया जाता था। अलाउद्दीन ने 'बिस्वा' को इकाई मान कर भूमि कर वसूल करना धारम्भ किया। परन्तु यह

1. साल, डॉ. के. एस.—खलजी वंश का इतिहास पृष्ठ 179.

त्रिपाठी, डॉ. भार. पी.—सम आस्पेक्टस ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ 261.

मानना कि यह व्यवस्था सम्पूर्ण राज्य पर लागू की गई थी उचित नहीं है। भूमि को नाप कर किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गयी थी। निचला दोआब, अवध गोरखपुर, बिहार, बंगाल, मालवा पश्चिमी पंजाब गुजरात और सिंध इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं थे। जिन प्रदेशों पर यह व्यवस्था लागू की गई वहाँ पर सरकार जमींदारों, कृषकों व कर उगाहने वालों की कार्यवाहियों पर अकुश लगाने में समर्थ रही।

पूर्व प्रचलित राजस्व व्यवस्था में यह एक दोष था कि कृषकों पर राजस्व का वकाया धन काफी मात्रा में रह जाता था। क्योंकि इस समय तक राजस्व व्यवस्था का स्वरूप समुचित रूप से निश्चित नहीं था इसलिए इस प्रकार का वकाया रह जाना स्वाभाविक था। इसके अनिश्चित केन्द्रीय शासन के निम्नतम अधिकारियों में घूस व बेईमानी अधिक मात्रा में फैली हुई थी जिससे राजस्व वसूल करना और अधिक दुश्वार कार्य हो गया था। अलाउद्दीन ने अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत इन कर्मियों को दूर करने के लिए एक अलग विभाग 'दीवान-ए-मुसतखराज' स्थापित किया और आमिल, मुशरिक, मुहस्सिल, गुमाश्ता, नबसिन्दा और सरहग नाम के पदाधिकारियों की नियुक्ति की। भू-राजस्व विभाग में रिश्वत व बेईमानी को समाप्त करने के लिए पहले तो उसने लगान अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की जिससे कि वे समुचित रूप से जीवन-यापन कर सकें परन्तु जब इससे कोई लाभ न हुआ तो उसने उनको कठोरतम दण्ड भी देने आरम्भ किये। बरनी ने लिखा है कि, "पाँच सौ अथवा एक हजार टका के लिए लगान अधिकारी को वर्षों तक जेल में रहना पड़ता था और कोई अधिकारी किसी से भी एक टका रिश्वत के रूप में लेने का साहस नहीं कर सकता था। प्रजा भी इतनी भयभीत हो गई थी कि एक साधारण लगान अधिकारी बारह खुत और चौधरियों को पीटकर उनसे लगान वसूल कर सकता था। साधारण व्यक्ति लगान-अधिकारियों से इतनी घृणा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने को तैयार नहीं था।"<sup>1</sup> अलाउद्दीन की इस नीति से रिश्वत और बेईमानी काफी सीमा तक दूर गई जिससे प्रत्यक्ष रूप से सरकारी कोष की आय बढ़ गई।<sup>2</sup>

अलाउद्दीन ने पटवारियों के पत्रों (बही) को भी देखा जिससे कि वह यह जानकारी प्राप्त कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के क्षेत्र में कितनी भूमि है। अलाउद्दीन यह मानता था कि पटवारियों के लेखे ही समुचित रूप से भूमि तथा उससे प्राप्त राजस्व की सही जानकारी दे सकते हैं।

1 बरनी—पृष्ठ 296

2 बरनी—पृष्ठ 287, 289, 292.

कर-वसूली के सम्बन्ध में अलाउद्दीन नकद कर लेने के लिए इच्छुक नहीं था । अलाउद्दीन ने बाजार-नियन्त्रण की व्यवस्था की थी और इसकी सफलता के लिए आवश्यक था कि कृषक भूमि कर उपज के रूप में दें इसीलिए वह इसका समर्थक था । उसने आदेश निकाले कि दो भाग में स्थित समस्त खालसा भूमि का लगान उपज के रूप में वसूल किया जावे तथा शहर-ए-नूर और उसके समीपवर्ती प्रदेशों से लगान का आधा भाग उपज के रूप में ही वसूल किया जावे परन्तु डा. आर. एन. त्रिपाठी का मत है कि दो भाग में शहर-ए-नूर में स्थित समस्त खालसा भूमि से भूमि कर उपज के रूप में ही वसूल किया जावे ।

अलाउद्दीन ने भूमि कर के अतिरिक्त 'आवास-कर' व 'चराई-कर' भी लगाये । बरनी का कहना है कि मुस्तान ने समस्त दुग्ध पशुओं पर चराई कर लगाया था परन्तु फरिश्ता के अनुसार दो जोड़ी बैल, एक जोड़ी भैंस, दो गायें तथा दस चरियाँ कर से मुक्त थे ।<sup>1</sup> चराई-कर लगाने से मास के भावों में सम्भावित वृद्धि हुई होगी और अलाउद्दीन ने इसलिए पशुओं पर लगाने वाले कर को रद्द कर दिया । इस रद्दिकरण का उन मुसलमान नागरिकों ने स्वागत किया जो व्यापार आदि के लिए अनेको पशु पालते थे और इस कारण इस से थोड़ी सुविधा प्राप्त कर सके । चराई-कर की अपेक्षा पशु-कर को रद्द करने का सम्भवतः यह कारण था कि अलाउद्दीन इस आघार पर कृषि योग्य भूमि को चरागाह के रूप में परिवर्तित होने से बचा सकता था । यह वैद्यमान सूत और मुकद्दम आदि किया करते थे और इस प्रकार भूमि-कर देने से बच जाया करते थे और अलाउद्दीन इस वैद्यमानी को रोककर राज्य की भूमि से प्राप्त आय को बढाना चाहता था ।

अलाउद्दीन की इस भूमि-व्यवस्था को बरनी ने कठोर आलोचना की है । कृषक, जमींदार इससे प्रभावित हुए । भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ भूमि-कर ही राज्य की आय का प्रमुख साधन था, उस कर में बढोतरी स्वाभाविक रूप से कृषकों व जमींदारों को प्रभावित करती । परन्तु बरनी का यह कहना कि इस भू-राजस्व की बढोतरी कर वह हिन्दुओं की कमर तोड़ना चाहता था केवल एक अति-शयोक्ति है । समस्त वर्गों पर ही इस बढ़े हुए भू-राजस्व का प्रभाव पडा और क्योंकि कृषक व जमींदार अधिकतर हिन्दू ही थे इसलिए इस वर्ग पर इसका कुप्रभाव अधिक पडना एक साधारण परिणाम ही था । इसके अतिरिक्त क्योंकि सूत और मुकद्दम हिन्दू ही थे इसलिए उनकी स्थिति भी दयनीय हो जाना स्वाभाविक थी । परन्तु भू-

1. बरनी पृष्ठ 305-306 ।

त्रिपाठी, आर. एन.—पृष्ठ 263.

2. फरिश्ता तारीख-ए-फरिश्ता पृष्ठ 109.

राजस्व को बढ़ाना भी आवश्यक था क्योंकि आन्तरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए भयवा सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ग को यह भूल्य चुकाना आवश्यक-भावी था। इसके विपरित यह भी मत कुछ शशो तक स्वीकार किया जाता है कि इन वर्षों में बड़ोतरी के पश्चात् भी कृषकों की भौतिक स्थिति पर कोई प्रभाव न पड़ा क्योंकि इससे बाद भी न तो कृषकों की भूमि छोड़कर भागे और न ही बड़ोतरी के विरुद्ध कोई विद्रोह ही हुये। अप्रत्यक्ष रूप से कृषकों कुछ सीमा तक इस आधार पर सन्तुष्ट थे कि उन पर अत्याचार करने वाले सूत और मुकद्दमों की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई है। परन्तु यह सन्तुष्टि केवल मनोवैज्ञानिक है और उसका स्थायी रूप से बने रहना सम्भव नहीं। कृषकों जो भूमि कर के रूप में अपनी उपज का पचास प्रतिशत कर के रूप में देते थे और उसके पश्चात् भी उन्हें अनेकों कर देने पड़ते थे ऐसी स्थिति में उनके पास भरण पोषण के लिए नाम-मात्र का ही धन बचता होगा। ऐसी स्थिति में भौतिक कठिनाइयों को अनुभव करते हुए मनो-वैज्ञानिक आधार पर सन्तुष्ट रहना अधिक समय के लिए सम्भव नहीं था। अतः यह मानना अधिक ठीक है कि बड़ी हुई कर व्यवस्था जन-साधारण के हित में नहीं थी और उससे स्थायी लाभ प्राप्त न हो सके। डा. ताराचन्द्र का मत अधिक न्याय-संगत है कि यह यदि आत्मघातक सिद्ध हुई क्योंकि इसने मोने के अण्डे देने वाली भुर्गी को ही मार दिया। इसने उत्पादन-वृद्धि और कृषि में सुधार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं छोड़ा। सम्भवतः अलाउद्दीन के कठोर नियम उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गये क्योंकि इन नियमों में जनता की सहानुभूति न थी और न ही इनमें उनको सम्पन्न रखने के गुण थे। इसलिए अलाउद्दीन की भू-राजस्व व्यवस्था यद्यपि उसके राज्य काल में उसके उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ रही परन्तु वह स्थायी न रह सकी।

गयासुद्दीन तुगलक के राज्याभिषेक के पहले भू-राजस्व की ओर कोई ध्यान न दिया गया। उसने समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह उचित न समझा कि वह मुबारक शाह की नीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन करे। क्योंकि उसने राज्य सैनिकों की सहायता से ही प्राप्त किया था इसलिए आवश्यक था कि वह सैनिकों और सामन्तों को प्रसन्न रखे। ऐसा न करने पर पुनः विद्रोह और अशान्ति फैलने की संभावना थी। इसलिए उसने पुनः उन्हें इत्ता प्रदान किये तथा राजस्व वसूल करने में भी अनुग्रह दिखाया। उसने अलाउद्दीन के द्वारा सुरक्षित रखे हुए प्रदेश में भी इत्ता प्रदान कर दिये। सम्भवतः यह भी हो सकता है कि गयासुद्दीन प्रमुत्त एक सैनिक था वह अलाउद्दीन की कठोर नीति की अपेक्षा समय तथा विकाश की नीति का पोषक था।

इस साधारण नीति के पालन में तथा सार्वजनिक सहानुभूति प्राप्त करने हेतु उसने अलाउद्दीन की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। अलाउद्दीन की नीति का

सबसे बड़ा दोष था कि वह वगैर किसी consularion के नियमित व निश्चित राजस्व एकत्रिन करने पर बल देता था। गयामुद्दीन ने इस नीति को पक्षापात-पूर्ण माना और उन्हें ये आदेश दिया कि फसलों के भावस्मिक खराज हो जाने भयवा कोई प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में उचित छूट देना उचित है। गयामुद्दीन के इस न्यायोचित कदम से एक ओर तो वह नीति का भागी हुआ तथा राज्य को प्राप्त होने वाले भू राजस्व में न्यूनतम अप्राप्त धन की सम्भावना को कम से कम कर दिया। डा. आर. एस. त्रिपाठी का मत है कि गयामुद्दीन को यह नीति से सत्तनत-कालीन भू राजस्व नीति को उपयोगिता के उस उच्चतम शिखर तक पहुँचा दिया जो कि सूर भयवा मुगल वश में भी प्राप्त न हो सके। यदि गयामुद्दीन ने पुनः इत्ता प्रणाली न प्रारम्भ की होती भयवा मुत्ताआ के प्रति शिथिलता भयवा उदासीनता न दिखाई होती और नाप की पद्धति को अपनाया होता तो सम्भवतः उसकी नीति सर्वश्रेष्ठ होती। परन्तु इन कमियों के होते हुए भी उसकी नीति राजकीय राजस्व नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान था।

गयामुद्दीन भी भू-राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता को अनुभव करता था परन्तु इस दिशा में वह उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के पक्ष में था परन्तु इसका ये भय नहीं कि उसने भू-राजस्व के रूप में मूल उपज का केवल 1/3 भयवा 1/2 भाग लेना ही स्वीकार किया। एक ऐसा सुल्तान जिसको परिस्थितिवश एक विशाल सेना का बालन आवश्यक हो तथा साथ ही साथ राज्य के सैनिक भ्रमीरों को भी मन्तुष्ट रखना एक आवश्यक शर्त हो वो इस प्रकार भू-राजस्व की दर को इतनी कम कर केवल पतन की ही आमंत्रित कर सकता है। यह अधिक सम्भव हो सकता है कि उसने ये आदेश दिये हो कि किसी एक वर्ष में एक इत्ता के राजस्व में 1/3 या 1/2 प्रतिशत से अधिक वृद्धि न हो। यह सम्भावना इसलिए और अधिक मान्य दिखती है कि उसकी नीति भू-राजस्व में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की थी न कि अमानुषिक बढ़ोतरी की। इसके अतिरिक्त गयामुद्दीन के समय में भू राजस्व व्यवस्था इत्ता पद्धति पर आधारित थी और साधारण रूप से प्रत्येक मुक्ति अपने इत्ता पर एकदम बढ़ोतरी की नीति का समर्थक नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसी स्थिति में उसकी आय बढ़ोतरी के अनुपात में कम हो जाती जो उसके स्वयं के स्वार्थों के प्रतिबल थी।

गयामुद्दीन ने इसके अतिरिक्त अधिकारियों को आदेश दिया कि भू-राजस्व की माग पूर्णतया 'हासिल' पर आधारित हो। इसके पहले सरकारी माग केवल अनुमानित उपज पर भयवा राज्य में प्राप्त आबडो पर आधारित होती थी जो समय के अनुसार न केवल अनुभवयोगी अपितु हानिकारक भी थी। इस सुधार से वित्त विभाग और इत्ता के स्वामियों को अधिक मुनिष्ठा हो गई तथा वे अनुमानित उपज के आधार पर जो अधिक राजस्व देते थे उसको चिन्ता से मुक्त हो गये।



गयासुद्दीन अलाउद्दीन के समान खून और मुकद्दमों के प्रति कठोर नीति का पोषक नहीं था। इन लोगों को पुराने अधिकार पुन दे दिए गये और उन्हें वर-मुक्त भूमियों के प्रतिरिक्त चरामाह वर से भी मुक्त कर दिया। इस आधार पर कि वे जन-साधारण से राज्य द्वारा मान्य वरा के प्रतिरिक्त कोई दूसरा वर वसूल नहीं करेंगे। उसका मह विचार था कि इन अधिकारियों का साथ यदि साधारण जनता के समान व्यवहार किया जावेगा तो वे अपने कार्य में कोई विक्षय रुचि न दिखायेंगे। इसके प्रतिरिक्त क्योंकि इनके उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हैं इसलिए इनको राज्य की ओर से कुछ सुविधायें उचित हैं। हिन्दू लगान अधिकारियों को उनके पुरान अधिकार देन के वाद भी उसने सरकारी कर्मचारियों को ये आदेश भी दे रखा था कि वे इस बात का ध्यान रखें कि राज्य में हिन्दू अधिक घनवान न हो जावे। कर्मचारियों को किसानों की भलाई के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यदि कोई अधिकारी किसानों से बहुत अधिक वर वसूल कर लेता था तो उसे कठोर दण दिया जाता था परन्तु साधारण कठोरता करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अपनी इस उदार व मध्यम मार्ग की नीति से गयासुद्दीन ने किसानों, लगान अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सुखी और मन्दुष्ट बनाये रखने में सफलता प्राप्त की। राज्य के भू-राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई, श्रृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई है और इसी वृद्धि के आधार पर गयासुद्दीन अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्यावित करने में समर्थ हुआ।

गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात् मुहम्मद बिन तुगलक के समय में भू राजस्व व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही तथा अलाउद्दीन व गयासुद्दीन के समय में लागू किया हुआ बना रहा। मुहम्मद तुगलक स्वयं ने राज्य के कामों में रुचि दिखाकर अनेकों नियम तथा अध्यादेश लागू किये। उसने सबप्रथम मवा की धाय व्यव के हिसाब का एक रजिस्टर बनवाया और सभी सूबेदारों को आदेश दिया कि वे नियमित रूप से अपने अपने सूबे का हिसाब भेजा करें। उसका उद्देश्य था कि सम्पूर्ण साम्राज्य के एक समान ही भू-राजस्व लागू रहे तथा कोई गाँव लगान देन से छूट न जावे। परन्तु यह पता नहीं चलता कि इस रजिस्टर का क्या लाभ हुआ और सुल्तान ने किस प्रकार विभिन्न या क्योंकि अधिक दूर किया।

उसके राज्यकाल के आरम्भ में राजस्व विभाग का कार्य इतनी सरलता से चलता रहा कि बाल और गुजरात जैसे दूरस्थ प्रदेशों से राजस्व नियमित रूप से सरकारी कोष में जमा होता रहा। जिहाउद्दीन बरनी स्वयं इसकी मुक्त कठ से प्रशंसा करता है और कहता है कि ऐसा अनुभव होता था जैसे केन्द्रिय राज्य व इन दूरस्थ प्रदेशों की दूरी समाप्त हो गयी हो।<sup>1</sup> स्वयं मुहम्मद तुगलक अपने वित्तीय विभाग से

पूर्णतया सन्तुष्ट था और डगी से प्रभावित होकर उसने भारत के बाहर अपने राज्य विस्तार की योजना बनाई जिस हेतु उसने यह उचित समझा की राजस्व में और विशेषकर भू राजस्व की दरों में बढ़ोतरी की जावे और वे प्रदेश जो दूसरे की तुलना में अधिक उपजाऊ हैं उन पर भू राजस्व बढ़ावा जावे ।

इसके लिए उसने दोघाब के प्रदेश को चुना सम्भवतः इसलिए कि एक तो ये अधिक उपजाऊ था तथा राजधानी के निकट स्थित था । डा. ग्रार एम. त्रिपाठी के अनुसार सुल्तान अफगनी प्रायः 5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना चाहता था और क्योंकि भूमि पहले से ही अत्यधिक कर का भार वहन कर रही थी इसलिए उसने ये उचित समझा कि पुराने करों को पुनः लागू किया जावे । इस आधार पर मकान-कर व खरागाह-कर लागू किये गये ।<sup>1</sup> दरनों के अनुसार बढ़ाया हुआ कर है उस से बीस गुना अधिक था और परिश्रम उसे तीन या चार गुना मानता है । परन्तु आयुनिबन्ध इतिहासकारों का यह मत है कि वह कुपको से पैदावार का पचास प्रतिशत लेता था । कर बढ़ाने के सम्बन्ध में डा. मेहदी हुसैन और डा. ईश्वरी प्रसाद ने अलग ही कारण दिये हैं । डा. मेहदी हुसैन के अनुसार सुल्तानों का वाध्य होकर कर बढ़ाना पडा था क्योंकि पुरातान की विजय के लिये समर्थित सना को खत्म करने की वजह से कुपको की सहायता में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई थी । डा. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार कर में वृद्धि नवीन योजनाओं को और विशेषतया कारजाल के अधिमान के लिए धन संचित करने के की गई थी ।

इतिहासकार बदायूनी कर की वृद्धि का कारण दोघाब की प्रजा को दण्ड देने के लिए मानता है क्योंकि दोघाब के घनी हिन्दू सदैव ही मुसलमान शासकों का विरोध किया करते थे । इसलिए उनको नियन्त्रण में रखने के लिए यह कई बार लागू किया गया था । वास्तविकता यह भी हो परन्तु इतना निश्चित है कि कर में वृद्धि हुई थी । समकालीन इतिहासकार वरनी का कथन इतना अधिक अस्पष्ट है कि उससे यह निकालना कि कर की वृद्धि किस रूप में की गई नितान्त असम्भव है ।

कर की वृद्धि से स्वाभाविक रूप से दोघाब के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और सरकारी कर्मचारियों ने जिस कठोरता से करों को वसूल किया उससे कुपको में और अधिक भ्रष्टता उत्पन्न हुई । सम्पूर्ण कृषक भी दरिद्रता की स्थिति में आ गये । स्थिति गम्भीर से गम्भीरतर हो गयी जब इसी समय दोघाब में मयकर प्रवाल पडा और इस भीषण स्थिति में भी सरकारी कर्मचारियों ने कर वसूली में कोई शिथिलता न बर्ती । राज्य कर्मचारियों के अत्याचार से पीड़ित हो किसान अपने खेत व ग्राम छोड़-छाड़कर भाग गये और सुल्तान की राजकीय आय बढ़ाने की

योजना पूर्णतया विफल दिखाई देने लगी। सुल्तान इस विफलता से अत्यधिक क्रोधी था और जैसा बरनी ने लिखा है कि, "लगान वसूली की असफलता से रूष्ट होकर सुल्तान ने हिन्दुओं का जगली जानवरो की तरह शिकार किया जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गये।"

सुल्तान को जैसे ही अकाल की विभिन्नता की जानकारी हुये उसने किसानों के कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। किसानों को बीज, बैल आदि के लिये धन दिया गया परन्तु ये असहायक सिद्ध हुये क्योंकि प्रमुख समस्या अनावृष्टि से उपस्थित पानी की अत्यधिक कमी थी। सुल्तान ने इससे पश्चात् एक फरमान निकाल कर कुछ खुदानों का आदेश दिया। उसने यह भी विकल्प दिया कि पीड़ित परिवार सकट के समय के लिए दूसरे प्रदेशों में निवास हेतु चले जावें और यदि आफीक के कथन को स्वीकार किया जावे तो सुल्तान ने राहत हेतु दो करोड़ के धन-राशि खर्च की। निश्चित ही ऐसी कुसमय में राजकीय कोष पर और अधिक भार पडा होगा तथा अलाउद्दीन के समय से संचित अनाज भी सम्भवतः समाप्त हो गया होगा।

मुहम्मद तुगलक इस अकाल की विभीषिका से अत्यन्त पीड़ित था और उसने यह अनुभव किया कि किस प्रकार से केवल इस उपजाऊ प्रदेश पर निर्भर रहना भयकर भूल है इसलिये उसने अन्न-उपजाऊ भूमि को प्रत्यक्ष सरकारी देखरेख के अन्तर्गत कृषि-योग्य बनाने की योजना बनाई। इस हेतु उसने 'दीवानेकोही' नाम के नये विभाग की स्थापना की। वास्तविकता यह थी कि इस विभाग के स्थापना से दो-आब के रूप में किसानों की सहायता के लिये उसने पहला इसका प्रयोग साठ बर्ग मील की भूमि पर किया गया और दो वर्ष में इस पर सत्तर लाख टक खर्च किये गये। परन्तु सुल्तान का ये प्रयोग असफल रहा। तत्पश्चात् उसने भूमि अन्य लोगों को बाटी तथा उनकी देखभाल के लिये सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त किये परन्तु यह प्रयोग भी असफल रहा। असफलता के लिए अनेको कारण उत्तरदायी थे—जैसे कि यह प्रयोग उस युग में बिल्कुल नया था; इस प्रयोग के लिए चुनी गई भूमि उपजाऊ नहीं थी; तीन साल का काल इस प्रयोग के लिये कम था और अन्त में सरकारी कर्मचारियों ने बेईमानी से काम किया तथा किसानों ने इस धन का उपयोग अपनी गिरी हुई स्थिति को सुधारने में किया।

अलाउद्दीन की तरह मुहम्मद तुगलक भी नपाई की पद्धति में विश्वास करता था। यह पद्धति किसानों को रक्षित नहीं थी परन्तु फिर भी मुहम्मद तुगलक ने इस पद्धति को लागू किया। बरनी के विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि उसने इस पद्धति को त्यागा अथवा नहीं।

जहाँ तक भू-राजस्व एकत्रित करने का प्रश्न था मुहम्मद तुगलक ने प्रचलित परम्परा के अनुसार इत्का प्रदान किये। प्रमुख प्रान्तों में शासन के प्रतिनिधि के रूप

में एक 'नायब' नियुक्त किया जाता था और वजीर समस्त वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था। राज्य के छोटे प्रदेशों में एक 'वली' अथवा 'हाकिम' तथा एक 'अमीर' होता था। कई वलियों के अधिकार में 1500 ग्राम तक थे। इनसे छोटी इकाइयों में 'मुक्ति' या 'अमील' नियुक्त किये जाते थे और इनसे नीचे छोटी इकाइयों में 'शिवदार' हुआ करते थे।

मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय राज्य की अधिकांश स्थित शोचनीय थी। राज्य-वर्मधारियों की लूट खसोट, प्राकृतिक प्रकोप और बरों की मात्रा अधिक होने से कृषक अधिक पीड़ित थे और इसलिए फीरोज तुगलक ने आरम्भ में ही कृषकों के प्रति उदार नीति का अवलम्बन किया जिससे कि उनमें राज्य के प्रति पुन विश्वास व स्वामीभक्ति उत्पन्न हो जावे। इस आधार पर फीरोज ने समस्त ऋण जो तकावी के रूप दिया गया था और जो लगभग दो करोड़ टक के करीब था उसे माफ कर दिया। यह कहना ठीक है कि सम्भवतः वह प्रस्त किसानों से इस ऋण को वसूल करने में असमर्थ रहता पर तु उसके बाद भी यह फीरोज के लिये प्रशंसनीय है कि उसने दूरदर्शिता से काम लेकर राज्य की असमर्थता को एक वरदान के रूप में बदल दिया। स्वामाधिक रूप से इसमें किसानों में सन्तोष बढ़ा और वे राज्य के प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगे। अपनी इसी उदार नीति के अन्तर्गत उसने वजीर के द्वारा दी गई समस्त भेंटों को, जो उसने मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद जनता व अधिकारियों को मुहम्मद तुगलक के पुत्र का राज्याराहण का पक्ष लेने के लिये बाटे थे, माफ कर दिये। सुल्तान ने इसी तरह अपने अधिकारियों का वेतन भी बढ़ा दिया तथा हिसाब बिताब अथवा 'मतालबा', दैते समय जो उनको शारीरिक यातनायें दी जाती थी अथवा उन्हें जिस प्रकार से असम्मानित किया जाता था उसे भी बन्द कर दिया। फीरोज के इन आरम्भिक कार्यों ने साधारण जनता और अधिकारी वर्ग में उसके प्रति सहानुभूति पैदा कर दी।

फीरोज ने उलेमा वर्ग को भी समुष्ट करने का सफल प्रयास किया। पिछले पचास वर्षों में उलेमाओं के प्रति अत्यन्त उदासीनता की नीति अपनाई गई थी और क्योंकि इस वर्ग का प्रजा पर सक्रिय प्रभाव था इसलिये फीरोज ने इस वर्ग को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया। इसलिये वा समस्त भूमि जो इस वर्ग की खानसा में परिणित कर ली गई थी पुन उन्हें लौटा दी गई तथा समस्त भूमि जो इनसे छीन ली गई थी उसे पुन उन्हें अथवा उनके उत्तराधिकारियों को दे दी गई। फीरोज के पहले प्रान्त के राजस्व अधिकारी जब प्रान्त की आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत करने जाते थे तो सुल्तान द्वारा उन पर भ्राय बढ़ाने का दबाव डाला जाता था। इसके अतिरिक्त इन राजस्व अधिकारियों को समय समय पर सुल्तान को भेंट देनी पड़ती थी जिसका भार अप्रत्यक्ष रूप से किसानों पर ही पड़ता था, फीरोज ने इन प्रथाओं को अन्त कर दिया।

यद्यपि यह स य है कि फीरोज के ये सुधारवादी कार्य राजनैतिक दृष्टिकोण से उपयोगी थे परन्तु वित्तीय दृष्टिकोण से ये इतने अधिक उपयोगी नहीं थे। फीरोज के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या अव्यवस्था और अशान्ति को समाप्त कर साधारण जनता में पुन राज्य के प्रति आस्था स्थापित करनी थी और फीरोज इसमें सफल हुआ। डा त्रिपाठी का यह मत पूर्णतया उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित प्रतीत होता है।

इन सुधारों को करने के पश्चात् फीरोज ने राजस्व मामलों की ओर ध्यान देकर यह निश्चय करना चाहा कि राज्य की कुल आय कितनी है जिससे कि इसी के अनुरूप खर्च चलाने और बड़े हुए खर्चों में कटौती करने के उपाय ढूँढ निकाले जायें। रवाजा हिसामुद्दीन को उसने इसके लिये नियुक्त किया। उसने 6 वर्ष के अथवा परिश्रम के बाद अपने निरीक्षण के आधार पर आय 6 करोड़ 75 लाख टक निश्चित की।<sup>1</sup> राज्य की आय निश्चित करने में भूमि की नाप तोल की अपेक्षा अनुमान की पद्धति को आधार बनाया गया था और लगान विभाग के पुराने लेखे जासके की महायत्ना ली गई थी। यद्यपि ये पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी परन्तु फिर भी फीरोज के सम्पूर्ण राज्य में यही पद्धति लागू रही। इस आधारभूत दोष के बावजूद लगभग स्थायी रूप से भूमिकर निश्चित करना फीरोज की एक महान सफलता थी।<sup>2</sup>

फीरोज के समय में लगान, पैदावार का  $\frac{1}{3}$  से  $\frac{2}{3}$  भाग तक लिया जाता था और इस लगान को एकत्रित करने में उसने मुहम्मद तुगलक की नीति की अपेक्षा गयासुद्दीन की नीति को अधिक उपयोगी समझ कर लागू किया। उसने आदेश दिये कि लगान 'हासिल' के आधार पर वसूल किया जावे और उसके अतिरिक्त किसानों से कोई दूसरी माँग न की जावे। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण योगदान फीरोज द्वारा मिर्वाडे के लिये नहरों का निर्माण था। सम्भवत गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण के सम्बन्ध में कदम उठाया था परन्तु उसकी नीति अत्यधिक सीमित थी। फीरोज ने इसे भू राजस्व नीति का आधार बनाया। फीरोज ने पाँच बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इनमें से एक 150 मील लम्बी नहर यमना से हिंमार तक बनायी गयी थी। दूसरी 96 मील लम्बी मतलज से घग्घर तक जाती थी। तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ियों के निकट से आरम्भ होकर हाँसी तक जाती थी। चौथी घग्घर से फिरोजाबाद तक और पाँचवी यमुना से फीरोजाबाद तक जाती थी। इन नहरों का महत्व इसी से स्पष्ट हो जाना

1 अफीफ तारीख-ए-फीरोज शाही पृ 94-100

2 श्रीवास्तव, डॉ ए एल, -दिल्ली सल्तनत पृ 203

है कि केवल रजीवा और अलगखानी नहरो से ही लगभग 160 मील का भूमि का क्षेत्र लाभान्वित हुआ था। फीरोज ने उलेमाग्रो की स्वीकृति से मिर्चाई कर भी लगाया जो उन कृषकों को देना पड़ता था जो अपने खेतों की मिर्चाई के लिये सरकारी नहरो से पानी लेते थे और ये कर उपज का  $\frac{1}{10}$  भाग हुआ करता था। यदि फिशला की बात को स्वीकार किया जावे तो फीरोज ने मिर्चाई की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों पर 50 बाँध और 30 भील अथवा जल को सग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया था।

फीरोज के ये सुधार लाभदायक सिद्ध हुए। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हो गई, व्यापारिक सुविधाएँ बढ़ी और मिर्चाई-कर के रूप में राज्य की आय में वृद्धि हुई। परन्तु इनके अतिरिक्त नहरो के किनारों पर अनेकों नयी आबादियाँ बस गईं। यहाँ तक की अकेले दोआब में ही लगभग 52 नई आबादियाँ दिखाई देने लगी। अफीक ने लिखा है कि, "एक गाँव भी अब उजाड़ नहीं रहा और न ही एक वर्ग गज भूमि खाली जूनी रही"<sup>1</sup> अफीक ने आगे लिखा है कि, "जीवन की आवश्यकताएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं और फीरोज के सम्पूर्ण शासन-काल में बिना किसी प्रयत्न के अनाज के मूल्य अलाउद्दीन के समय के समान ही सस्ते रहे।"

फीरोज ने इन नहरो से प्राप्त पानी के आधार पर पूर्वी पंजाब के प्रदेश को उपजाऊ बना दिया और किसानों को श्रेष्ठतर फसलें जैसे गेहूँ, गन्ने आदि की खेती करने के लिये प्रोत्साहित किया।

फीरोज कि इस मिर्चाई व्यवस्था का डॉ. त्रिपाठी के अनुसार एक और लाभ यह हुआ कि उसने दिल्ली प्रदेश को खाद्यान्न के मामले में आराम-निर्भर बना दिया जिससे कि वो सबक के समय अपनी आवश्यकताओं की स्वयम् पूर्ति कर सके<sup>2</sup> और इस प्रकार से उसने मुहम्मद तुगलक के समय में पड़ चुके अकाल की पीड़ा को पुनः दोहराने से बचा लिया।

फीरोज ने भू-राजस्व से आय बढ़ाने के लिए दिल्ली के निकट 1200 फनों के बाग लगवाये जिससे उसे प्रति वर्ष एक लाख अस्सी हजार टक की आय प्राप्त होती थी और इस प्रकार से उसने समुचित रूप से राज्य की आय में वृद्धि की।

फीरोज की भू-राजस्व नीति सर्वथा दोष-मुक्त नहीं थी। इसमें मूलतः दो दोष थे—प्रथम उसने भूमि को ठेके पर देने की नीति अपनाई जिससे भूमि ऊँची से ऊँची होती लगाने वालों को दी जाने लगी। ठेकेदार किसानों से अधिक में अधिक धन लेने का प्रयास करते थे जिससे अन्त में किसानों पर कर का भार अधिक हो जाता

1. अफीक पृ. 295.

2. त्रिपाठी, डॉ. धार. एस-पृष्ठ 299

था। दूसरे सुल्तान ने जागीरदारी प्रथा को प्रचलित किया और जागीरों केवल राज्य के बड़े पदाधिकारियों को ही नहीं अपितु सभी महत्वपूर्ण सैनिक और असैनिक अधिकारियों को दी जाती थी। इससे राज्य पुनः छोटे-छोटे भू-भागों में बँट गया जो राज्य की सुरक्षा व किसानों के हित के प्रतिबल थी। जमींदारों से यह आशा करना कि वे किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे सम्भव न था। इन दोषों के रहते हुये भी फीरोज के राज्य में प्रजा सुखी थी, विश्वसनीय है।

फीरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात् चारों ओर स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना ने व्यवस्था को पूर्णतया नष्ट कर दिया तथा दिल्ली सल्तनत की शक्ति और सम्मान को आघात पहुँचाया। ऐसी स्थिति में यह नितान्त असम्भव था कि भू-राजस्व की पुरानी नीति को अक्षुण्ण रख कार्यन्वित किया जा सके। किसी प्रकार से उसमें सुधार करना तो और भी असम्भव था। जो कुछ भी व्यवस्था हुई वह केवल लोदी वंश की स्थापना के बाद ही सम्भव हो सकी परन्तु दुर्भाग्यवश न तो लोदी शासकों में शासकीय योग्यता ही थी और न ही उनका इस ओर रुझान था। उनके विचार, उनकी मन्थार्ये तुर्क शासकों से भिन्न थी और फिर लोदी शासक राजनैतिक गति-विधियों और सैनिक कार्यवाहियों में इतने अधिक व्यस्त थे कि उनके लिये भू-राजस्व में किसी प्रकार का सुधार करना सम्भव न था। लोदियों के लिये सर्वप्रथम आवश्यकता थी कि वे अपनी राजनैतिक सत्ता की स्थापना में तनमयता से लग जावें इसलिये भी भूमि की ओर कीर्ति ध्यान न दिया गया।

बहलोल लोदी के लिये राजनैतिक सत्ता को बनाये रखना अधिक आवश्यक था और उस समय की परिस्थिति में यह सत्ता केवल अफगान सरदारों पर ही आधारीत हो सकती थी इसलिये बहलोल लोदी ने राज्य की भूमि को पुराने समय के अनुसार इस्काफो में विभाजित कर दिया और इस प्रकार में अफगानों को बड़ी बड़ी जागीरें देकर उनसे मत्पुष्ट रक्खा। ये अफगान सरदार जब तक इनको पुरानी पद्धति के अनुसार भू-राजस्व मिलता रहा तब तक वे उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थे। सम्भवतः वे परिवर्तन करने में असमर्थ भी थे और उनके पास समय और शक्ति दोनों की ही कमी थी।

सिकन्दर लोदी के गद्दी पर बैठने के समय परिस्थितियाँ कुछ बदल चुकी थी और लोदी वंश की राजनैतिक सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। सिकन्दर ने प्रनिहन्दी जौनपुर के राज्य को समाप्त कर दिया था, घोलपुर, मर्दल, उतगिर, नरवर और नागौर को जीतने में सफलता प्राप्त की थी तथा कुछ समय के लिये खोखरो का भय भी समाप्त हो गया था। दूसरी ओर अफगान सरदारों के प्रति उसका दृष्टिकोण बहलोल के दिसखुन भिन्न था इसलिये उनमें भू-राजस्व की ओर रुचि दिखलाई। उनमें सभी सूबेदारों और जागीरदारों को अपनी भाय और व्यय का विवरण देने की आज्ञा दी

श्रीर जिसने भी राज्य के धन का गवन किया अथवा हिसाब दिखाने में अना-  
कानी की उसने उसे दण्ड दिया। जौनपुर के सूबेदार को इसी आघार पर दण्डित  
किया गया और उससे राज्य का धन वसूल किया गया। परन्तु सिकन्दर लोदी का  
प्रमुख योगदान अनाज पर जकात कर की समाप्ति थी। इस उपयोगी नीति का  
सम्भवत यह कारण था कि उनके समय में राज्य के कुछ प्रदेशों में भयंकर अकाल  
पड़ा था इसलिये वो चाहता था कि सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध होता रहे।  
सिकन्दर के समस्त राज्यकाल में पुन यह कर नहीं लगाया गया। सिकन्दर का  
दूसरा उपयोगी कार्य सम्पूर्ण भूमि को नापने के लिए एक समान गज का निर्माण था  
जो 4। अंगुल का था। इसी सिकन्दरी गज का उपयोग शेरशाह ने, और अकबर ने  
अपने शासन के 3। दो वर्ष तक किया।

सिकन्दर के इन सुधारों के कारण उसके समय में सभी वस्तुओं के मूल्य कम  
रहे। डॉ. एस. ए. हलीम ने लिखा है कि, 'वस्तुओं के मूल्य में कमी होने का कारण  
मोन-बादी की कमी और साम्राज्य में किसी समुद्रतट के सम्मिलित न होने के कारण  
विदेशी व्यापार तथा विनिमय की कठिनाई थी।' परन्तु इसके बाद भी यह उचित  
है कि सिकन्दर के समय में अधिक आघार पर जन-साधारण सुखी और  
सम्पन्न था।

इब्राहीम लोदी एक योग्य, परिश्रमी व प्रजा की भलाई चाहने वाला शासक  
था। यद्यपि उसने बहुत कम समय शासन किया परन्तु भू-राजस्व के क्षेत्र में उसने  
एक नया प्रयोग किया। उसने आदेश दिया कि किसानों से भू-राजस्व उपज के रूप  
में लिया जावे। अनाउद्दीन के बाद व पहला शासक था, जिसने इस प्रकार की व्यवस्था  
की। यद्यपि इतिहासकार यह मानते हैं कि समस्त भूमि पर इस प्रकार का नियम  
लाग किया गया परन्तु साधारण बुद्धि के आघार पर इस पर विश्वास नहीं किया जा  
सकता।

इब्राहिम के इस सम्बन्ध में क्या उद्देश्य थे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है।  
सम्भवत, बाँटो की समान रूप से कमी अथवा राज्य-कर एकत्रित करने के लिये समान  
मापदण्ड बनाना उसके उद्देश्य रहे हो। इस नीति का यह परिणाम निकला कि  
अनाज तथा आवश्यकताओं की वस्तुओं का मूल्य कम हो गया। इसका कारण यह  
हो सकता है कि वे सरकारी अधिकारी जो इच्छा के स्वामी होने के नाते राजस्व उपज  
के रूप में एकत्रित करते थे उन्हें अपनी प्रतिदिन का खर्च चलाने के लिये नकद धन  
की आवश्यकता होती थी और इसके लिये वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर अपने भाग  
की उपज को शीघ्र से शीघ्र बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे और  
स्वाभाविक था कि इस प्रतिस्पर्धा में नकद धन प्राप्ति के लिये वे अपनी वस्तुओं की  
कम मूल्य पर भी बेच देते थे। यदि सरकारी कर्मचारियों के लिये यह नीति उचित  
थी तो साधारण लोगों के लिये यह और भी अधिक उचित थी।



इब्राहीम की पराजय के बाद बाबर शासक हुआ। बाबर ने भू-राजस्व के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग नहीं किया और इब्राहीम के द्वारा स्थापित व्यवस्था को जो निश्चित ही जर्जर हो गई होगी उसे ही बनाये रखा। यद्यपि बाबर फरगना के राज्य में भू-राजस्व उपज के रूप में लेने का आदी था परन्तु यहाँ की परिस्थिति में उसने नगद धन के रूप में ही भू-राजस्व की माग की क्योंकि अपनी आरम्भिक विजयों में उसने अपार धन खर्च किया था और शेर भेंट तथा उपहारों में बाट दिया था इसलिये उसे धन की आवश्यकता थी। दिल्ली के सुरतानों की तरह बाबर ने भी राजस्व को राज्य के अधिकारियों में बाट दिया और भूमि का समुचित भाग खालसा भूमि के रूप में अपने पास रखा। मुहम्मद जयान को बिहार के राजस्व का एक बड़ा भाग दिया गया था परन्तु उसके बाद भी एक करोड़ पचास लाख राजस्व की भूमि खालसा के रूप में रख ली गई थी। बाबर ने इन प्रान्तों को विभिन्न अधिकारियों को देते समय वहाँ पर एक-एक दीवान की नियुक्ति की जो कि वहाँ से राजस्व एकत्रित करता था। इस प्रकार से बाबर की विजय ने कोई नये भू-राजस्व के सिद्धान्त को लागू नहीं किया। दिल्ली मलानत के समान ही खालसा जागीर और मयूरघल भूमि हुआ करती थी। राज्य में प्रशासनिक भाग, भू-राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था और यहाँ तक की प्रान्तीय विभाजन भी इब्राहीम लोदी के समान ही था। उसने केवल मुसलमानों पर से 'समगा' नामक कर समाप्त कर दिया था।

हुमायूँ अपने समय में राजनैतिक व सैनिक गतिविधियों में फँसा रहा और इसलिये भू-राजस्व अथवा भूमि सुधारों की ओर समुचित ध्यान न दे सका। भूमि सुधार इसलिये शेरशाह के समय में ही सम्भव हो सके। यद्यपि शेरशाह भी हुमायूँ की तरह व्यस्त था परन्तु अधिक सतर्क और क्रियाशील होने के नाते तथा राजस्व में हथि के कारण वह इस ओर अधिक ध्यान देने में समर्थ हो सका।

अपने पिता की जागीर के प्रयत्न के रूप में फरीद ने यह निश्चय कर लिया था कि सब वर्गों के हितों में कोई हस्तक्षेप न किया जावे। इसलिये उसने सैनिक जमींदारों के खातों की पुष्टी कर दी और यह भी स्वीकार किया कि यदि अधिक भूमि पर कृषकों से खेती करवाई जायेगी तो जमींदार भी इसी बढी हुई आय में से कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे परन्तु इस आधार पर कि वे कृषकों को घोराना न देंगे। उसने सैनिकों को यह स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि वे कृषकों पर किसी प्रकार की ज्यादती करेंगे अथवा किसी किसान के खेत से एक घास का तिनका भी लेंगे तो वह उनके प्रति बटोर व्यवहार कर दण्डित करेगा। तत्पश्चात् उसने किसानों की दशा सुधारने और भू-राजस्व में आयी हुई कमियों को पूरा करने के लिए प्रयत्न किया।

दृपको को सबसे बड़ी कठिनाई थी कि भूमिकर बहुत भारी था और मनमाने ढंग से निश्चित किया जाता था जिससे वकाया की रकम बढ़ती चली जाती थी। भूमिकर इकट्ठा करने वाले अर्ध-सरकारी-कर्मचारी विद्वान्तहीन थे और पटवारी तथा मुकद्दम लोग ग्रामियों से मिलकर किसानों से दण्ड या बमूल कर लिया करते थे और किसान लोग इन कर्मचारियों के विरुद्ध जागीरदार तक भी नहीं पहुँच सकत थे और परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और बेईमानी अधिक थी। इसमें सरकार का दृपको से इतना सम्पर्क नहीं था जितना गांव के कर्मचारियों से जैसे मुकद्दम, चौधरी पटवारी आदि। भूमिकर के मगह तथा शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में सरकार इन्हीं लोगों पर आश्रित थी। सरकार का इस प्रकार से दृपको से कोई सम्पर्क नहीं था और भूमि-सम्बन्धी सुधारों के लिये इस ढंग में सुधार करना आवश्यक था। फरीद ने इस वर्ग के साथ रहना तथा चुतुता से काम लिया और उसने इस वर्ग को जो पहले मिलता आया था उसकी पुष्टि कर दी। फिर वह किसानों की स्थिति को सुधारने के लिये अग्रसर हुआ। अन्वय के शब्दों में "जब वह मिपाहिमों को सलाह दे चुका तो उसने रयत से कहा "माज तुम अपनी पसन्द करने में स्वतंत्र हो" कुछ रयत जरीब और कुछ गत्ता देने पर महमत हो गये। फरीद ने रयत से (पटवारियों से) उन्ही के हाथों निम्न कबूलियत लिखाई —

"मैंने मोहस्सिल लोगों की दैनिक मुराक और मुहस्सिलत निश्चय कर दिया है। इसलिये यदि यह पता लगेगा कि इसमें अधिक ले लिया है तो डिगाव लेते समय उनको मोहस्सिलाना नहीं मिलेगा। तुमको जानना चाहिये कि मैं अपने सामने ही सब हिमाव लुंगा और जो कुछ तुमने उचित खर्च किया है वही मुजरा दिया जावेगा-जाविने के अनुमार भूमिकर लिया जावेगा। गरीफ का लगान खरीफ के समय और रवि का लगान रवि के समय पूरा लिया जावेगा। जरीब (भूमिकर निश्चय) के समय रयत के प्रति नमी दिगानी चाहिए और देवना चाहिये कि उन लोगों में कितना लगान देना क्षमता है परन्तु भूमिकर मगह करते समय कटोरता बगतनी चाहिये और यदि रयत घोषा दे और लगान देने से बचना चाहे तो उनको ऐसा दंड देना चाहिये जो दूगरो के लिये सबक हो।"

इस अवतरण में फरीद की भू-राजस्व नीति का निचोड़ है। अन्वय ने अपनी पुस्तक तारीख-ग़ दोरशाही में लिखा है कि जब फरीद का रयत के साथ प्रथम सम्पर्क हुआ तब ही जरीब, कबूलियत, पट्टा और जाविदा आदि जारी कर दिये गये थे। अन्वय का कथन कुछ भ्रमात्मक है क्योंकि जब फरीद ने मियाँ हसन का प्रशामन अपने हाथ में लिया तब इन बातों का कहीं नामो-निशान भी नहीं था और सम्भवतः फरीद ने धीरे-धीरे ही इस व्यवस्था को लागू किया होगा। अन्वय ने क्योंकि अपनी पुस्तक की रचना अकबर के समय में की थी इसलिये उमने पुरानी परोपक्वक भूमिकर व्यवस्था का एकदम वर्णन कर दिया है।

शासक बनने पर शेरशाह ने अपनी जागीर में प्रचलित भूमि व्यवस्था के आधार पर ही अपने समस्त राज्य की भूमि व्यवस्था को विवक्षित किया।

शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उसने एक-समान पद्धति पर भूमि की नाप करवाई और जिस भूमि पर उपज होती थी अथवा हो सकती थी, उसे प्रत्येक गाँव में निश्चित कर दी। पैदावार योग्य समस्त भूमि तीन श्रेणियों में विभाजित कर दी गई—उत्तम, मध्यम व खराब और तीनों प्रकार की जमीनों पर की जाने वाली पैदावार भी निश्चित कर दी। इसको जोड़कर फिर जमीन की औसत पैदावार प्रति बीघा निकाली और इस औसत पैदावार का 1/3 भाग भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जाने लगा। राज्य की प्रमुख फसलों की औसत पैदावार प्रति बीघा निकालने के बाद इसी आधार पर अन्य फसलों के पैदावार की भी औसत निकाली गई। डॉ. आर. पी. त्रिपाठी इसे शेरशाह की प्रमुख देन मानते हैं और सम्भवतः शेरशाह ही प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में इसे पहली बार लागू किया था।

सरकारी लगान नकद अथवा जिन्स के रूप में अदा किया जा सकता था। लेकिन अंधवास खा की तारीख के अध्ययन से ऐसा अनुभव होता है कि नकद लगान लेना ही अधिक पसन्द किया जाता था। अनाज के प्रचलित भाव के अनुसार सरकारी हिस्सा नकद देना पड़ता था। क्योंकि प्रत्येक स्थान की जमीन और उसकी पैदावार भिन्न होने के कारण जमीन की औसत पैदावार की एक ही दरें रखना असम्भव था इसलिए प्रत्येक स्थान के लिए प्रत्येक प्रकार के अनाज के लिये पृथक्-पृथक् दरें थी। इसी प्रकार पैदावार के सरकारी हिस्से को नकदी में बदलने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न दरें थी। यह मानना कि उसने अपने राज्य में सर्वत्र एक समान लगान की दरें निश्चित की थी किसी प्रकार भी उचित नहीं है। सरकारी आलेखों से ज्ञात होता है कि मुल्तान के मामले में जमीन की नाप (पैमाइश) के अनुसार लगान निश्चित करने पर जोर नहीं दिया था और इसी तरह राजस्थान, मालवा और पश्चिमी पंजाब में भी जमीन की नाप करना अनिश्चित असम्भव था क्योंकि ये प्रदेश पूर्ण रूप से उसके अधीन नहीं हुये थे। इन प्रदेशों में उसने लगान निश्चित करने की तीनों प्रणालियों को पहले के अनुसार ही चलने दिया। यतीनों प्रणालियाँ इस प्रकार थी—(1) गल्ला-बबशी अथवा बटाई, (2) नशक अथवा मुकताई या कलकूल (3) नकद अथवा जप्ती या जभाई।

बटाई से अभिप्राय पैदावार का किसानों के साथ हिस्सा बाँट करने से था और इस प्रकार से सरकारी भाग को निर्धारित करने की परिपाटी काफी समय से चली आ रही थी। बटाई भी तीन प्रकार से निश्चित की जाती थी—(1) खेत बटाई (2) लाक बटाई और (3) रास बटाई। खेत बटाई में खड़ी फसल अथवा खेत

बोने के तुरन्त बाद ही खेत बाँटकर जमींदार का भाग निर्धारित कर दिया जाता था। सब बटाई में खेत बाँटने के बाद किसान फसल को खेतियान में लाता था जहाँ धनाज से भूसा छलंग निय बगैर जमींदार और किसान का हिस्सा निश्चित कर दिया जाता था। राम बटाई में धनाज से भूसा छलंग करने के बाद हिस्सा निश्चित किया जाता था। नशक अथवा कनकून प्रथा में जमीन से मोटेतीर पर होने वाली उपज भाँक ली जाती थी और हिस्सा निश्चित कर लिया जाता था। लगान निश्चित करने की ये प्रणाली किसान के लिए बड़े ऊँछ थी थी। नकदी प्रथा में जमींदार और सरकार के बीच समझौता होता था जिसके अनुसार तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित कर दिया जाता था, चाहे खेत में पैदावार हो अथवा नहीं। इसकी दर जमीन की उपज शक्ति और उसकी स्थिति पर निर्भर रहती थी। किसान इस भूमि पर एक से अधिक फसल भी उत्पन्न कर सकता था परन्तु साथ ही यदि प्रकृति प्रबोध के कारण भूमि पर उपज न हो तो भी उसे निश्चित धन-राशि राज्य को देनी पड़ती थी अर्थात् किसान को पूरी तरह से लाभ अथवा हानि का भागी होना पड़ता था। समझौते की अथवा म सरकार लगान नहीं बढ़ा सकती थी। इन तीनों प्रणालियों में से नकदी की ही किसान सबसे अधिक पसन्द करता था। इस प्रकार से शेरशाह ने इन अर्ध-बीजित प्रदेशों के अतिरिक्त समस्त राज्य में नपाई की पद्धति लागू की। प्रमुल फजल के इस मत में अधिक सरयता है कि, "शेरशाह ने बटाई की पद्धति को हतोत्साहित किया और उसने तथा उसके उत्तराधिकार इस्लाम शाह ने भारत को इस पद्धति से पूर्णतया मुक्त कर दिया।" शेरशाह ने स्थानीय नाप के अतिरिक्त समस्त भूमि के निरीक्षण अथवा नाप करने का आदेश दिया जिससे कि केन्द्रीय सरकार इसका उपयोग कर सके। अहमद खा की समस्त कृषि योग्य अथवा धन उपजाऊ भूमि को नापने का आदेश दिया और इसके आधारे पर एक रजिस्टर तैयार करवाया जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि की नाप व किसानों के अधिकार का लेखा-जोखा लिखा। इस रजिस्टर के आधारे पर ही उसने किसानों को पट्टे दिये जिसमें सरकार को देय भू-राजस्व का विवरण होता था। प्रत्येक किसान को कयूनियत (शर्तनामे) पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे जिसका अर्थ था कि वह निर्धारित लगान देना स्वीकार करता है। इन दोनों पत्रों में किसान के अधिकार में जमीन का क्षेत्रफल भी लिखा रहता था।

श्रीमत् उपज का 1/3 भाग भू-राजस्व में लेने के पश्चात् शेरशाह दस अस्तार<sup>2</sup> प्रति बीघा के हिसाब में जिन्स के रूप में वसूल करता था और इसकी

1 आइन-ए-अकबरी भाग दो पृष्ठ 296.

2 एक अस्तार बीस बहलोली के बराबर था और प्रत्येक बहलोली एक सोला अठ मासा व सात रती के बराबर होता था।

सरकारी गोदामों में रखता था जिससे कि अकाल या प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में वह इसे कम मूल्य पर बेच सके। अलउद्दीन ने भी इसी प्रकार से जिनस को गोदामों में भरे रखने की नीति अपनाई थी परन्तु उसके एकत्रित करने का ढंग अतिरिक्त कर न होकर भू-राजस्व को जिनस के रूप में इकट्ठे करने से था। शेरशाह का ये अतिरिक्त कर सम्भवतः अकबर द्वारा लगाये गये 'दह सेरी' कर का अग्रगामी था। इसके अतिरिक्त सरकार किसान से जमीन का सर्वे करने वालों का मेहनताना भी वसूल करती थी। ये अतिरिक्त कर जो जरीबाना (सर्वे करने वालों की फीस) और मह-सिलाना (कर एकत्रित करने वालों की फीस) कहलाते थे और प्रत्येक किसान को देय लगान पर  $2\frac{1}{2}$  से 5% तक देना पड़ता था।

भूमि-कर वसूल करने के लिये उमने प्रत्येक परगने में एक अमीन, एक शिकदार, एक खजाची, एक हिन्दी कारकून और एक फारसी लेखक नियुक्त किया था। उसने अपने सुबेदारों को आदेश दे रक्खा था कि जब साख आये तो नाप के अनुसार भूमि-कर वसूल किया जावे। किसी समय में फसल खराब होने पर किसानों को लगान से मुक्त कर दिया जाये तथा उनको सरकारी खजाने से कर्ज दिये जाने की व्यवस्था की जावे। प्रत्येक सरकार में उसने एक शिकदार-ए शिकदारान और मुन्सिफ ए मुन्सिफान नियुक्त किया जिनका काम सरकारी कार्यों की देखभाल करना था। यदि किसान भूमि कर वसूली में किसी प्रकार का विघ्न डालते तो शिकदार-ए-शिकदारान को आदेश था कि वे उनको कठोर दण्ड दे। इस प्रकार की व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि किसान सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों से बच गये और कोश में पूरा धन आने लगा।

कृषकों की भलाई के लिये शेरशाह सदैव सचेत रहना था। फीरोज तुगलक को छोड़कर मध्ययुगीन भारत में कोई ऐसा शासक न था जिसने की किसानों की भलाई का इतना ध्यान रक्खा हो जितना की शेरशाह ने रक्खा था। उसकी ये मान्यता थी कि किसानों की भलाई में राज्य का हित निहित है और किसान के सन्तोष के साथ ही राज्य की सम्पन्नता है। इसलिए वो लगान निश्चित करते समय तो नरमी दिखाता था परन्तु उसके वसूल करते समय वह कठोर था क्योंकि अगर किसान एक बार राज्य के ऋण में दब जाये तो फिर मुक्त होना अत्यधिक कठिन है। जो लोभ किसानों को सताते थे उन्हें वह कठोर दण्ड देता था। सेनाओं के जाने आने के समय यदि फसलों को किसी प्रकार की हानि होती तो वह इसका मुआवजा देता था।

इन लाभों के बाद भी उसके भू-राजस्व में अनेकों दोष रह गये थे। भू-राजस्व का मूल आधार तीन प्रकार की भूमियों की औसत पैदावार का एक-तिहाई लगान के रूप में वसूल करना था, तीसरी थोड़ी-थोड़ी जमीन से ज्यादा कर लिया जाता था

जबकि पहली श्रेणी की जमीन से कम कर वसूल किया जाता था। परन्तु जैसा कि मोरलैंड ने लिखा है इस प्रकार की असमानता सम्भवतः "फसलों की बढ़न-बढ़न कर होने से ठीक हो जाती थी" दूसरे सरकार द्वारा पंदावार का 1/3 वसूली के साथ सर्वे करने वालों की फीस व लगान वसूल करने वालों की फीस जो 2½ से 5% तक होती थी वसूल की जाती थी जाकि किसान पर एक प्रतिरिक्त भार था। तीसरे वार्षिक बन्दोबस्त होने के कारण किसानों तथा सरकारी अधिकारियों को बड़ी असुविधा थी क्योंकि प्रत्येक वर्ष भूमि नाप कर फसल के आधार पर लगान निश्चित करता पड़ता था। चौर यह मान लेना कि मालगुजारी विभाग में सभी प्रकार का अष्टाचार समाप्त हो गया होगा उचित नहीं है। इस विभाग के समन्वयियों की आमदनी दूसरे विभागों की तुलना में अधिक होती थी और इसीलिये शेरशाह उनकी बढ़ती हर दूधर-तीसरे साल कर देता था। सम्भवतः डॉ. त्रिपाठी की यह धारणा अधिक उचित है कि उठका शिटबोण था कि, "अमलदारी के साथ और सुविधाओं की अधिक से अधिक लोग भोग करें।" इसके प्रतिरिक्त शेरशाह के समय में जागीर प्रथा प्रचलित थी और इस बात पर मुन्विजल से ही विश्वास किया जा सकता है कि जागीरदार अपनी जागीरों का प्रबन्ध गुमास्तों द्वारा नहीं करवाते रहे होंगे। ऐसी स्थिति में जागीरों क्षेत्र के किसानों को हानि उठानी पड़ती होगी। शेरशाह ने यद्यपि दुर्गों का निर्माण करवाने, नये नगरों की स्थापना करने भ्रमवा मस्जिदों और सरायें बनवाने में काफी धन खर्च किया परन्तु कभी भी उसे किसानों की भलाई के लिए नहरों के निर्माण की बात नहीं मूर्छा।

इन दोषों के बाद भी क्योंकि शेरशाह सदैव किसानों की भलाई व उन्नति के लिये चिन्तित रहता था इसलिये किसानों की दशा अच्छी रही होगी। उसने बीच के मुखियाओं के अस्तित्व को यदि इत्कुल मिटाया नहीं तो कम से कम उनके अधिकारों पर एव प्रबल अधिकार लगा दिया। वास्तव में उसने प्रत्येक किसान और सरकार के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था की थी। इसीलिये उसकी भू-राजस्व व्यवस्था की रीयतवादी कहा जाता है, जमींदारी नहीं।

उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया। वह अधिक भूमि को राज्य के प्रत्यक्ष अधीन रखने के लिये उत्सुक था। यद्यपि कुछ लेखक यह मानते हैं कि उसने जागीर प्रथा को समूल नष्ट कर दिया था परन्तु यह केषल अतिशयोक्ति ही लगती है।<sup>1</sup> वाक्यात-ए-मुश्नाकी का समकालीन लेखक यह मानता है कि उसने सैनिकों को जागीरें दी थी। इसलिये यह मानना अधिक उचित होगा कि वह खालसा भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने का इच्छुक था।

## भू-राजस्व व्यवस्था

(1556-1740)

सल्तनतकाल में प्रचलित भू-राजस्व में भारतीय तथा इस्लामी परम्पराओं का समन्वय था और जैसा कि डा. कुरेशी ने ठीक ही लिखा है कि इन शासकों ने स्थानीय प्रणाली को ग्रहणनाया तथा उसे एक कानूनी रूप प्रदान कर दिया। भारतीय हिन्दू किसान इससे किसी प्रकार भी चिन्तित न थे क्योंकि मुख्यतः उन्हीं की रीति-नीति के आधार पर इन नये कानूनों को मान्यता दी गई थी। भारतीय रीति-नीति तथा इस्लामी परम्पराओं में इतना अधिक समन्वय था कि मुस्लिम साम्राज्य के इतिहास में दोनों प्रणालियों का कोई अलग-अलग उल्लेख नहीं मिलता है।<sup>1</sup>

सल्तनतकाल में अलाउद्दीन खलजी पहला शासक था जिसने वैज्ञानिक आधार पर भूमि की पैमाइश करा कर, कर निर्धारित किया। कनकूत और बटाई की प्रथा को तुलना में वह उपज के रूप में ही भूमि-कर लेने को अधिक मान्यता देता था। तत्पश्चात् फीरोज तुगलक के समय में मालगुजारी नकद तथा उपज दोनों में ली जाने लगी। लोदी काल में सिकन्दर लोदी ने साठे चार सिकन्दरी का गज (41 ग्रगुल) प्रचलित किया जो लगभग 1577 ई. तक चलता रहा। इब्राहिम लोदी ने मालगुजारी उपज में लेने की प्रथा लागू की।<sup>2</sup>

बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद मालगुजारी सम्बन्धी नियमों में कोई रद्दो-बदल न आ पाया कारण कि बाबर एक सफल प्रशासक की अपेक्षा कुशल घोड़ा था और इसी कारण लोदियों के समय में लागू मालगुजारी व्यवस्था चतुर्थी रही। बाबर ने बीजित भू-भाग में से कुछ भाग मुगल अमीरों को जागीर के रूप में बांट दिया। बाबरनाम से स्पष्ट है कि उसने मीरा से बिहार तक के साम्राज्य को जिसकी मालगुजारी 52 करोड़ टक प्रति वर्ष थी (उसमें से 8-9 करोड़ टक की ग्राम

1. कुरेशी, आई.एच.—द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, पृ. 161.

2. साल, के.एम.—हिस्ट्री ऑफ द खलजीज.

उन प्रदेशों में होती थी जो पुराने राजा-राजों के अधीन थे)। उसमें से उसने कुछ खालसा भूमि में भी परिवर्तित कर ली। यह लिखता है कि, "विहार में से एक करोड़ की भूमि को खालसा बनाकर मैंने पचास लाख की महसूल या सोहानी की धीरे 50 लाख की जलास खां को दे दी। उन्होंने एक करोड़ राजस्व के रूप में देना स्वीकार किया।"<sup>1</sup>

हुमायूँ के शासनकाल में भू-राजस्व सम्बन्धी सुधारों में तिवन्दरी गज को इक्तालीस से बढ़ाकर ब्यासीस कर दिया गया। उसके समय में एक 'खरवार' (घाठ मन से कुछ अधिक) घनाज पर दो बावरी तथा चार टक पर लिया जाता था जो निश्चित ही खरवार के समय में वसूल किये जाने वाले कर में कम था।<sup>2</sup>

बाबर और हुमायूँ के शासनकाल में भू-राजस्व को व्यवस्थित करने का कोई सक्रीय प्रयास नहीं किया गया। इसका श्रेय अकबर को ही है। इस सुधार के पीछे एक सामान्य सी घटना है। अकबर ने जब अपने कोषाध्यक्ष म बेगल 18 रुपये की मांग की तो उसे जानकारी हुई कि जोप में इतना धन भी जोप नहीं है। साम्राज्य के आर्थिक ढांचे की इस शोचनीय अवस्था को देखकर अकबर निश्चित ही चिन्तित था और उसे पूरी तरह यह जानकारी थी कि क्योंकि राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि ही है इसलिए भू-राजस्व को संगठित करना आवश्यक है। लगभग 30 वर्षों तक विभिन्न प्रयोग करके यह इसको व्यवस्थित करने में समर्थ हुआ।

इस मदर्म में सबसे पहले उसने 1560 ई में अहमद मजीद (आसफ खां) को भूमि व्यवस्था में सुधार करने के लिये नियुक्त किया। इनके पहले मालगुजारी की रकम भिन्न भिन्न उपजों (घनाजों) के रूप में ली जाती थी और क्योंकि दौरशाह के समय की ही पुरानी दरें अब भी मान्य थीं इसलिए भू-राजस्व का समुचित रूप से इत्तहा करना सम्भव न था। इसके प्रतिरिक्त भूमि का अधिकतर भाग चेतन के बदले अधीरों को जागीर के रूप में दे दिया गया था जिसके कारण राजस्व और भी कम वसूल हो पाता था। आसफ खां ने भू-राजस्व को बढ़ाने के लिए वर्ग-विशेष वैज्ञानिक आधार के इन जागीरों में प्राप्त भू-राजस्व में कमी व बढ़ाव कर दी। इससे राज्य को लाभ होने की अपेक्षा हानि ही अधिक हुई क्योंकि वर्ग-बद्ध के राज्य ने एक सम्भावित निष्ठावान वर्ग को नाराज कर दिया, इसलिये अकबर ने 1562 में आसफ खां की जगह मलिक फूल को एतमाद खां की उपाधि देकर नियुक्त किया।

उसके नियमों के अनुसार राज्य को दो प्रकार से लाभ हुआ। एक और तो सर्व में कमी की गई और दूसरी ओर अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व में जो गवन किया

1 वात्ररनामा (बेवरीज) पृ. 520-21.

2 वही, पृ. 676.

3 डे, यू एन — द मुगल गवर्नमेंट, पृ. 108



# 8

## भू-राजस्व व्यवस्था

(1556-1740)

सल्तनतकाल में प्रचलित भू-राजस्व में भारतीय तथा इस्लामी परम्पराओं का समन्वय था और जैसा कि डा. कुरेशी ने ठीक ही लिखा है कि इन शासकों ने स्थानीय प्रणाली को अपनाया तथा उस एक कानूनी रूप प्रदान कर दिया। भारतीय हिन्दू किसान इससे किसी प्रकार भी चिन्तित न थे क्योंकि मुख्यतः उन्हीं की रीति-नीति के आघार पर इन नये कानूनों को मान्यता दी गई थी। भारतीय रीति-नीति तथा इस्लामी परम्पराओं में इतना अधिक समन्वय था कि मुस्लिम साम्राज्य के इतिहास में दोनों प्रणालियों का कोई अलग-अलग उल्लेख नहीं मिलता है।<sup>1</sup>

सल्तनतकाल में अलाउद्दीन खलजी पहला शासक था जिसने वैज्ञानिक आघार पर भूमि की पैमाइश करा कर, कर निर्धारित किया। कनकूत और बटाई की प्रथा को तुलना में वह उपज के रूप में ही भूमि-कर लेने को अधिक मान्यता देता था। तत्पश्चात् फीरोज तुगलक के समय में मालगुजारी नकद तथा उपज दोनों में ली जाने लगी। लोदी काल में सिकन्दर लोदी ने साढ़े चार सिकन्दरी का गज (41 अंगुल) प्रचलित किया जो लगभग 1577 ई. तक चलता रहा। इब्राहिम लोदी ने मालगुजारी उपज में लेने की प्रथा लागू की।<sup>2</sup>

बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद मालगुजारी सम्बन्धी नियमों में कोई रद्दो-बदल न आ पाया कारण कि बाबर एवं सफल प्रशासक की अपेक्षा बुझल थोड़ा था और इसी कारण लोदियों के समय में लागू मालगुजारी व्यवस्था चलती रही। बाबर ने जीजित भू-भाग में से कुछ भाग मुगल अमीरों को जागीर के रूप में बांट दिया। बाबरनाम से स्पष्ट है कि उसने मीरा से बिहार तक के साम्राज्य को जिसकी मालगुजारी 52 करोड़ टक प्रति वर्ष थी (उसमें से 8-9 करोड़ टक की भाय

1. कुरेशी, आई.एच.—द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, पृ. 161.

2. नात, के.एस.—दिस्ट्री ऑफ द खलजीज

उन प्रदेशों में होती थी जो पुराने राजा-रायों के अधीन थे)<sup>1</sup> उसमें से उसने कुछ खालसा भूमि में भी परिवर्तित कर ली। वह लिखता है कि, "बिहार में से एक बरोड की भूमि को खालसा बनाकर मैंने पचास लाख की महसूद या लोहानी को और 50 लाख की जखाल खा को दे दी। उन्होंने एक बरोड राजस्व के रूप में देना स्वीकार किया।"<sup>2</sup>

हुमायूँ के शासनकाल में भू-राजस्व सम्बन्धी सुधारों में सिकन्दरी गज को इकतालीस से बढ़ाकर बयालीस कर दिया गया। उसके समय में एक 'खरवार' (घाठ मन से कुछ अधिक) भनाज पर दो बावरी तथा चार टक कर लिया जाता था जो निश्चित हो भ्रववर के समय में वसूल किये जाने वाले कर में कम था।<sup>3</sup>

बावर और हुमायूँ के शासनकाल में भू-राजस्व को व्यवस्थित करने का कोई सक्रीय प्रयास नहीं किया गया। इसका खेप भ्रववर को ही है। इस सुधार के पीछे एक सामान्य सी घटना है। भ्रववर ने जब अपने कोपाध्यक्ष से केवल 18 रुपयों की माग की तो उसे जानकारी हुई कि कोप में इतना धन भी दोष नहीं है। साम्राज्य के अधिक टांचे की इस शोचनीय अवस्था को देखकर भ्रववर निश्चित ही चिन्तित था और उसे पूरी तरह यह जानकारी थी कि क्योंकि राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि ही है इसलिए भू-राजस्व को संगठित करना आवश्यक है। लगभग 30 वर्षों तक विभिन्न प्रयोग करके वह इसकी व्यवस्थित करने में समर्थ हुआ।

इस मदर्भ में सबसे पहले उसने 1560 ई में अम्बुल मजीद (घासफ खां) को भूमि व्यवस्था में सुधार करने के लिये नियुक्त किया। इनके पहले मांगुजारी की रकमें भिन्न भिन्न उपजों (भनाजों) के रूप में लिखी जाती थी और क्योंकि दोरशाह के समय की ही पुरानी दरें अब भी मान्य थीं इसलिए भू-राजस्व का समुचित रूप से इक्ट्टा करना सम्भव न था। इसके अतिरिक्त भूमि का अधिकतर भाग खेतन के बदले अमीरों को जागीर के रूप में दे दिया गया था जिसके कारण राजस्व और भी कम वसूल हो पाता था। घासफ खां ने भू-राजस्व को बढ़ाने के लिए वगैर किसी वैज्ञानिक आधार के इन जागीरों से प्राप्त भू-राजस्व में कमी व बढ़ोतरी कर दी। इससे राज्य को लाभ होने की अपेक्षा हानि ही अधिक हुई क्योंकि वगैर खेतन के राज्य ने एक सम्भावित निष्ठावान वर्ग को नाराज कर दिया, इसलिये भ्रववर ने 1562 में घासफ खां की जगह मलिक फूल को एतमाद खां की उपाधि देकर नियुक्त किया।

उसके नियमों के अनुसार राज्य को दो प्रकार से लाभ हुआ। एक और तो खर्च में कमी की गई और दूसरी और अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व में जो गदन किया

1 बावरनामा (बेवरीज) पृ 520-21.

2 वही, पृ 676

3 डे, यू एन — द मुगल गवर्नमेंट, पृ 108.

जाता था वह समाप्त हो गया। उसने पूरे राज्य की खालसा भूमि को बराबर भागों में बाटा जिससे कि प्रत्येक भाग से एक करोड़ दाम भू-राजस्व के रूप में वसूल हो सके। इससे राज्य की आय में वृद्धि अवश्य हुई परन्तु एक करोड़ दाम के भू-राजस्व की आय के आधार पर खालसा भूमि को बाटना अवैज्ञानिक था क्योंकि भूमि में पैदावार के आकड़े नहीं मिलते थे और जब तक य न मिल जायें तब तक सुधार अर्थ-हीन ही था।

अकबर ने 1567 में मुजफ्फर खा तुरंगी को वजीर नियुक्त किया और वास्तविक रूप में भू-राजस्व के सुधार का काम यही से प्रारम्भ होता है। उसने भू-राजस्व को उपज में वसूल करने की अपेक्षा नकद राशि में लेना शुरू किया और इसका लिये ही परगने की हर फसल के लिये अलग-अलग दरें निर्धारित कीं। कानूनगोस अपन अपने परगने की भूमि और उपज के आकड़े मगवाय और इन्हीं के आधार पर नई दरों को लागू किया गया। इसमें सबसे बड़ी कमी थी, जैसा कि डा श्रीवास्तव ने लिखा है, कि खरीफ और रबी की फसलों तथा विभिन्न खाद्यान्नों के लिये मालगुजारी की अलग अलग निश्चित दर सूचिया थी और पूरे साम्राज्य की मालगुजारी (जमा) भी निश्चित हो चुकी थी परन्तु क्योंकि ये वास्तविक उपज के विवरण पर आधारित नहीं थीं इसलिये यद्यपि मुजफ्फर खा का सुधार सही दिशा में था परन्तु फिर भी अपूर्ण था।<sup>1</sup>

1573-74 में किये गये भूमि-सुधार का उद्देश्य खालसा भूमि का विस्तार करना था और इसके अन्तर्गत बिहार, बंगाल, गुजरात आदि के अमीरा को दूसरे स्थानों पर जागिरें देकर उनकी भूमि को खालसा में ले लिया—जैसे मुर्मी खा को जौनपुर के बदले बिहार में जागिर दी गई और उसकी भूमि को खालसा में ले लिया गया। इस सुधार के परिणामस्वरूप राज्य का अधिकतर भाग खालसा में परिणत कर लिया गया।

इस सुधार को समुचित रूप से त्रियान्वित करने के लिये जरूरी था कि वैज्ञानिक ढंग में पैमाइश कराई जावे तथा भूमि का उपज के आधार पर वर्गीकरण किया जावे। इसके लिए अकबर ने विधिवत कार्य शुरू किया और सिकन्दरी गज (41 अंगुल) को मापदंड चुना तथा रस्ती के स्थान पर बास के डडों को लोहे के कडों से जुड़वाकर पैमाइश करवाई। रस्ती के स्थान पर, जो शेरशाह के समय में प्रचलित थी, बास के डडों से पैमाइश करवाने का काम इसलिये जरूरी था कि रस्ती द्वारा तपाईं स सदैव ही ताप के घटने-बढ़ने की आशंका बनी रहती थी जो इस आधार पर अमान्य हो गई थी।

1 श्रीवास्तव, ए एल—वही, पृ 175.

मालगुजारी निर्धारित करने के लिए समस्त भूमि को उपज के आधार पर चार किस्मों में बांटा गया। पोलज पारती, चाचर व बजर। जिस भूमि से प्रत्येक वर्ष फसल ली जा सकती थी 'पोलज' कहलाती थी। 'पारती' वह भूमि थी जिससे प्रत्येक वर्ष फसल लेना सम्भव न था, तथा पुन खेतीशक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। 'चाचर' भूमि से केवल 3 अथवा 4 वर्ष में ही फसल ली जा सकती थी और बजर भूमि वह थी जिसमें पांच साल तक फसल उगाना सम्भव न था।<sup>1</sup> पोलज और पारती भूमि को अर्द्ध, मध्यम तथा खराब भूमि में विभाजित किया गया और इन तीनों की प्रति बीघा (60 वर्ग गज) औसत उपज को उस भूमि के प्रति बीघा की उपज मान लिया गया। पारती भूमि पर खेती के वर्षों में पोलज की ही दर से मातगुजारी वसूल की जाती थी क्योंकि उस वर्ष उसकी उपज पोलज के ही समान थी। चाचर भूमि में पहले माल खेती करने पर निश्चित दर का केवल 2/5 भाग ही मालगुजारी के रूप में लिया जाता था और पांच साल खेती होने के बाद ही सामान्य दर में मालगुजारी वसूल की जाती थी। बजर भूमि से भी पांच साल के बाद ही पूरी दर से मालगुजारी वसूल की जाती थी।

इससे लाभ यह हुआ कि अब क्योंकि समस्त भूमि का वर्गीकरण हो चुका था और प्रत्येक वर्ग की भूमि की उपज का जानकारी भी हो गई थी इसलिए अब मालगुजारी निश्चित करना सरल हो गया। समय पर निश्चित मालगुजारी वसूल करने के लिए राज्य की 182 भागों में बांटा गया जिससे कि प्रत्येक भाग से अनुमानित एक करोड़ दाम प्राप्त हो सकें। मुगलान नकद अथवा उपज के रूप में भरने की छूट दी गई परंतु नकद वसूली पसन्द की जाती थी। अधिकारियों को आदेश दिया गया कि 'जब उत्पीड़नकारी' प्रमाणित न हो, अनाज का मूल्य बाजार के दर के अनुसार नकदी में लिया जाव। समस्त अधिकारियों को अपने क्षेत्र के आकड़े भेजने तथा एकत्रित मालगुजारी की सरकारी कोष में जमा करने के आदेश दिये गये।

इन सुधारों की पृष्ठभूमि में ही 1580 में आईने दहशाला या दस माला बन्दोबस्त लागू किया गया। राजा टोडरमल व ख्वाजा शाह मसूर इसके लिए उत्तरदायी थे। डॉ. कुरेशी के अनुसार मुगल काल में किये गये भूमि सुधारों में यह अत्यन्त मौलिक व दूरगामी सुधार था।<sup>2</sup> आईने ए अकबरी के अनुसार राजस्व विभाग ने अकबर के राज्यकाल के 15वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष (10वर्ष) के आकड़े एकत्रित किये जिनसे मालगुजारी की जानकारी प्राप्त हुई। इन आकड़ों को जोड़कर उसको

1 हबीब, इरफान - द ऐग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इन्डिया, पृ 354

2 कुरेशी, आई एच - वही, पृ 168.

10 से विभाजित किया गया और औसत निकाली गई। इस औसत को सालाना नकद मालगुजारी के रूप में स्वीकार किया गया। अबुल फजल के अनुसार हर परगने की पिछले दस साल (हाल-ए-दहसाला) की उपज और उपज की कीमतों को इकट्ठा किया गया और उसके दसवें भाग को (माल-ए-हरसाला) वार्षिक मालगुजारी के रूप में निश्चित किया गया। मोरलेण्ड के अनुसार पिछले दस वर्षों में जो धनराशि मालगुजारी के रूप में वसूल की गई थी उसी का औसत जमा दहसाला थी। यह विचार ठीक मालुम नहीं पड़ता क्योंकि अबुल फजल का वर्णन स्पष्ट है और उसमें यह मेल नहीं खाता है। 'हिदायतुल फवायद' के अनुसार दहसाला सम्बन्धी कागजों में प्रत्येक महाल के वृषीय क्षेत्रफल का विवरण तो था ही, इसके अतिरिक्त विभिन्न खण्डों के गत दस वर्षों का उर्वरता भाव, तथा दरों का भी ब्योरा था। इस प्रकार एक और तो पैदावार के आकड़े एकत्रित कर लिए गये थे और दूमरी और बाजार-दर के आकड़े भी आ गये थे। यदि किसानों के लिए गत दस वर्षों के लगान या मालगुजारी के आधार पर लगान निश्चित करना था तो इन आँकड़ों की आवश्यकता नहीं थी।<sup>1</sup>

इन आँकड़ों को इकट्ठा करने का लक्ष्य 'दस्तुखल-अमल (भूमिकर व्यवस्था) तैयार करना था। "यह जिम्मा, दर व भाव की वह पूजा थी जो ऐसे क्षेत्र से संचित हो जहाँ वृषि की दशा समान हो।"<sup>2</sup> इस प्रकार अकबर के शासन के चौबीसवें वर्ष (1580) तक दस्तुखल-अमल तैयार हो गये जिसमें प्रत्येक धीघा का नकदी दर दिया हुआ था। डा इरफान हबीब का मत है कि ये दरें चौबीसवें वर्ष की नहीं थी अपितु अकबर के शासन के चालीसवें वर्ष की थी।<sup>3</sup> आशिवादी लाल श्रीवास्तव का मत है कि आईने दहसाला पिछले दस वर्षों की औसत उपज और औसत किरातों पर एक बंदोबस्त तो था ही पर साथ ही साथ इस लागू होने की तिथि से अगले दस साल के लिए लागू किया गया था।<sup>4</sup>

डा० श्रीवास्तव का मत पूरी तरह से ठीक नहीं है। यह उचित मालुम पड़ता है कि मालगुजारी पिछले दस वर्षों की उपज पर आधारित थी परन्तु यह कहना है कि ये मालगुजारी अगले दस वर्षों के लिए निश्चित थी ठीक नहीं है। संभवतः यह बंदोबस्त प्रत्येक वर्ष सशोधित किया जाता था और दस वर्ष की औसत उपज निकालने के लिए पहिले वर्ष की उपज को रद्द कर दिया जाता था और उसके स्थान

1 श्रीवास्तव, एच एस — मुगल शासन प्रणाली, पृ 151.

2 वही, पृ 151.

3 हबीब, आई — वही, पृ 210.

4 श्रीवास्तव, ए. एल — वही, भाग 2, पृ 179.

पर प्यारहूवे वर्षों की उाज उसमें जोड़ दी जाती थी।<sup>1</sup> मम्भवत मालगुजारी का नवद मे, 'मुग्तान करने के लिए 10 वर्षों में प्रचलित मूल्यां के आधार पर घोसत निकाल लिया जाता था। इसको मोटे रूप से 'जिन्स ए कामिन्' कहा जाता था। अक्बर न विभिन्न परगनों में जहाँ भूमि एक जमीनी ही थी और जहा अनाज की कीमत एक समान ही थी वहाँ के लिए अलग दरनूर बनवा दिये थे।

15६2 मे खानमा भूमि को चार भागों में बाटा गया और प्रत्येक भाग के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति की गई। 1595 मे हर एक मूचे मे एक-एक-दीवान की नियुक्ति किया गया जो सीधे दीवान ए-आला (बजीर) के अधीन था तथा सूबेदार से मुक्त था।

1585 मे सिवन्दरी गज की जगह 'गज ए-इलाही' को राज्य भर में इकाई स्वीकार कर लिया गया। पहले गज तथा इनाही गज में 39 41 का अनुपात था।

शाहजहा के राज्य-काल में भूमि की पैमाइश की इकाई में पुन परिवर्तन किया गया और मदद ए-माश भूमि तो अक्बर कालीन 'बीघा ए-इलाही' पर ही नापी जाती रही परन्तु सरकारी अभिलेखों के लिए भूमि 'दिरा ए शाहजहानी' नामक इकाई में नापी जाने लगी जिसे 'बीघा ए-दफ्तरी' कहा जाता था और ये बीघा ए-इलाही का दो बटा तीन भाग था। डा एच एस थीवास्तव ने लिखा है कि, "वास्तविक नाप स्थानीय माप के आधार पर होता रहा, किन्तु दफ्तर के अभिलेखों में एकपता खान के लिए उसे 'बीघा ए-दफ्तरी' में परिवर्तित कर दिया जाता था। औरगजेब के पश्चात् की अराजकता से बदलित 'बीघा-ए-दफ्तरी' का प्रयोग बन्द हो गया। इस तरह मुगल काल के अन्त तक आधाररुतया 'बीघा-ए-इलाही' प्रचलित रहा।"<sup>2</sup>

अक्बर के समय में मालगुजारी वसूल करने की विभिन्न प्रणालियाँ थीं। जल्दी प्रथा, जिसका वर्णन पहले किया गया है, भूमि सर्वेक्षण, मालगुजारी निश्चित करने के लिए दरनूरी अमल और जल्दी खसरे की रीतारी पर आधारित थी। यद्यपि यह ठीक है कि दूसरी प्रणाली की तुलना में इसके अनेको लाभ थे परन्तु इसके माय ही इसमें अनेको हानियाँ भी थीं और समस्त राज्य पर इसे लागू करना सम्भव नहीं था।

इसी प्रकार साम्राज्य के अनेको भागों में परम्परागत अन्य प्रणालियाँ ही चलती रहीं—बटाई, कनकूत, नस्व आदि। बटाई प्रथम गल्ला बरशी तीन प्रकार की

1. कुरेशी, धाई एच —वही, पृ 169.
2. थीवास्तव, एच एम —वही, पृ. 152

थी—रास बटाई, खेत बटाई, लाक बटाई। रास बटाई में घनाज तैयार हो जाने पर खलिहान में राज्य और किसान के भाग का बटवारा हो जाता था और लाक बटाई में कटी फसल के बराबर-बराबर बोभे तैयार कर लिए जाते थे और उन्हें राज्य तथा किसान के बीच बांट लिया जाता था और इस प्रकार से राज्य के साथ ही किसान भी हानि तथा लाग का भागीदार था। इस सम्पूर्ण प्रणाली में चाहे बटाई किसी भी पद्धति से की गई हो, सरकार को काफी बढिनाई अनुभव होती थी। प्रथमतः सम्पूर्ण मालगुजारी उपज के रूप में ली जाती थी जिसको रखने के लिए सरकार को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त फसल बटवाने आदि की ज़म्मेदारी भी राज्य की थी जो कष्टदायक थी तथा जिसके लिए राज्य को अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति में अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता था। इसलिए इस प्रणाली को अधिक प्रोत्साहन न दिया जाता था और जहाँ-जहाँ जन्ती प्रथा के लागू करने में कठिनाई थी वही पर इसे काम में लिया जाता था।

मालगुजारी वसूल करने की अन्य प्रथाएँ कनकूत और नस्क प्रणालियाँ थीं। इसमें खेत को नापा जाता था और उस क्षेत्र में प्रति बीघा पैदावार का अनुमान लगाया जाता था और फिर राज्य तथा किसान के हिस्सों को निश्चित कर दिया जाता था। नस्क प्रथा में भूमि-कर की राशि व्यक्ति से वसूल करने की अपेक्षा एक समूह में निश्चित कर ली जाती थी।

विभिन्न शासकों ने विभिन्न सूबों के लिए मालगुजारी की विभिन्न दरें लागू की थीं। अकबर ने यद्यपि उपज का  $\frac{1}{3}$  भाग मालगुजारी के रूप में निश्चित किया था परन्तु यह मान लेना कि पूरे राज्य में यहाँ दर प्रचलित थी उचित न होगा जैसे सूबा अजमेर में उपज का  $\frac{1}{4}$  से  $\frac{1}{5}$  भाग वसूल किया जाता था, गुजरात जैसे उपजाऊ प्रदेश में उपज का  $\frac{1}{5}$  भाग लिया जाता था। 17वीं शताब्दी के दूसरे तथा तीसरे दशक में रबी की फसल का  $\frac{1}{3}$  तथा खरीफ की फसल का  $\frac{1}{4}$  भाग मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाता था। ये मालगुजारी उन भागों में वसूल की जाती थी जहाँ कनकूत प्रणाली लागू थी। शाहजहाँ के समय में दक्षिण में साधारण भूमि से  $\frac{1}{5}$  भाग तथा कुएँ द्वारा सिंचित भूमि में  $\frac{1}{4}$  भाग मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाता था। औरंगज़ेब के समय में भी गुजरात के अधिक उपजाऊ होने के कारण लाहौर, सिंध, दिल्ली की अपेक्षा  $\frac{1}{3}$  भाग अधिक मालगुजारी वसूल की जाती थी।<sup>1</sup>

मालगुजारी की दर निश्चित करने के बाद उनको किस माध्यम से वसूल किया जावे प्रमुख समस्या थी। मुगल शासक नकदी के रूप में वसूल करना अधिक उपयोगी और कम कष्टदायक मानते थे। क्योंकि राज्य घनाज को रखने-

बेचने तथा अधिकारियों की बेईमानी से बच जाता था इसलिए इसी को प्रोत्साहन दिया जाता था परन्तु प्रत्येक सूबे में नकदी प्रथा को लागू करना सम्भव न था जैसे राजपूताना, कश्मीर, आदि । ऐसे प्रान्तों में भी मालगुजारी के भाग को बाजार की दरों पर नकदी में परिवर्तित कर दिया जाता था और यथासम्भव मालगुजारी नकदी में ही वसूल की जाती थी । इससे जहाँ राज्य को लाभ था तथा मालगुजारी वसूल करने का खर्च भी कम पड़ता था वहाँ किसान के लिये यह हानिकारक था । प्रथमतः क्योंकि राज्य मालगुजारी वसूल करने में कठोरता से काम लेता था और जब तक किसान मालगुजारी व तकावी का भुगतान न कर दे तब तक उसे पैदावार उठाने की अनुमति न थी,<sup>1</sup> इसलिए किसान को मजबूर होकर एकदम फसल के कटते ही उसे बेचने की व्यवस्था करनी पड़ती थी । इस फसल को बेचने में नुकसान होता था क्योंकि फसल के खरीदने वाले किसान को मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम से कम मूल्य देने की कोशिश करते थे । दूसरे प्रायः फसल के बटने पर दरों का कम होना स्वाभाविक था और ऐसे समय में किसान को लगान देने के लिए उपज को कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था । इसी उपज से कुछ समय पश्चात् उस अधिक मूल्य मिलने की संभावना हो सकती थी जो कि उसे मालगुजारी देने के लिए तिलाजली देनी पड़ती थी ।

मालगुजारी की वसूली साल में दो बार की जाती थी । रबी की होली और खरीफ की वसूली दशहरा पर होती थी । लगान चुकाने में किसान को विकल्प था कि वह या तो सीधे खजाने में जमा करवा दे, जिसकी रसीद उसे प्राप्त हो जाती थी, अथवा मुकद्दम, पटवारी आदि लगान वसूल कर इसको प्रमाणित कर देते थे ।

मोटे रूप से लगान सीधे किसान से वसूल किया जाता था क्योंकि प्रत्येक किसान को पट्टा तथा कबूलियत दिया जाता था, जिसमें उसकी भूमि का क्षेत्र, बोई गई भूमि का क्षेत्र, बोई गई फसल का विवरण आदि होता था । इस व्यवस्था से यह अधिक आशंका है कि किसान तथा राज्य का अधिकारियों के माध्यम से सीधा सम्पर्क था । प्रो इरफान ह्योब<sup>2</sup> का मत है कि प्रत्येक किसान से मालगुजारी वसूल करना कठिन था इसलिए कुछ भागों में लगान किसान से व्यक्तिगत रूप में न लेकर सामूहिक रूप में गाव से वसूल किया जाता था । जमींदार तथा जागीरदार से गाव का सम्पूर्ण लगान एक मुश्त वसूल कर लिया जाता था जो अपने वारिन्दों से किसान से वसूल कर लिया करते थे । यद्यपि उनको आदेश था कि वे नियमानुसार ही लगान वसूल

1. वही, पृष्ठ 241.

2. ह्योब, आई—वही पृ 230-34.



करें परन्तु इसके बाद भी यह मान लेना कि वे ईमानदारी से निश्चित लगान किसान से वसूल करते रहे होगा सम्भव नहीं दिखता ।

मालगुजारी वसूल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न अधिकारी थे । केन्द्र में दीवान-ए-आला या और वह राज्य का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी था, प्रान्त में मालगुजारी का प्रमुख अधिकारी प्रान्तीय दीवान था, सरकार में इसी अधिकारी को मालगुजार कहते थे । परगने में ग्रामीण, कानूनगो तथा ग्रामीण भू-राजस्व के प्रमुख अधिकारी थे । कानूनगो जोड़ी गई भूमि, उसमें बोयी गई फसल, लगान आदि का लेखा रखता था, ग्रामीण भू-राजस्व निर्धारित करता था और ग्रामीण लगान वसूल करने में इन अधिकारियों की सहायता करता था । गांव के अधिकारियों में मुकद्दम तथा पटवारी प्रमुख थे । मुकद्दम गांव की मालगुजारी वसूल करता था और उसे इस वसूल की गई मालगुजारी का ढाई प्रतिशत दस्तूरी के रूप में मिलता था । पटवारी गांव के किसानों के बकाया लगान आदि का ज़िम्मा रखता था । उसे वसूल की गई रकम का एक प्रतिशत दस्तूरी के रूप में मिलता था । इसके अतिरिक्त उम वेतन के रूप में फसलाना सुराकी भी दी जाती थी ।

जहां राज्य ने मालगुजारी वसूल करने के लिए समुचित व्यवस्था कर रखी थी वही पर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए भी राज्य पूरी तरह से जागरूक था । अकाल पड़ने पर लगान में छूट दी जाती थी तथा बगैर किसी व्याज के किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था । 1630-33 में अकाल पड़ने पर शाहजहाँ ने भू-राजस्व का 70 लाख रुपया माफ़ कर दिया था । इसी प्रकार से उसी के राज्य-काल में कश्मीर में अकाल पड़ने पर न केवल राज्य की धार सत्तर खोले दिए गये अपितु अकाल पीड़ितों में एक लाख रुपया भी बंटवाया गया था । इसके अतिरिक्त राज्य में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों को यह सुविधा दी गई थी कि वे वज्र भूमि को उपज योग्य बनायेंगे तो उनसे पांच साल के बाद ही पूरा लगान लिया जायेगा और बीच के काल में राज्य केवल अनुपातिक लगान ही लेने का अधिकारी होगा । किसानों का इस सम्बन्ध में यह भी सुविधा थी कि वे लगान निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी पटवारी को दे दें और उसी के अनुसार लगाव का अनुमान करें । यदि किसी गांव में खेती करने योग्य भूमि कम होती तो मालगुजार को वे आदेश दिए गये थे कि वे पास के गांव की भूमि को भी किसान को दे दें । राज्य हर सम्भव तरीके से कुएँ, नहरें आदि का निर्माण करवा कर खेती को प्रोत्साहन देने के लिए तत्पर रहता था ।

मुगलकालीन भू-राजस्व व्यवस्था में जमींदारी, जागीरदारी व मदद-ए-मास भूमि का महत्त्वपूर्ण स्थान था । अधिवन्त भूमि इन्ही तीन मर्कों में बटी हुई थी । 1426-27 में कालिका भूमि सम्पूर्ण जमा का केवल 1/20 भाग भी जो

1646-47 में जाकर  $\frac{2}{3}$  भाग हो गई थी और 1667 में औरगजेय के प्रयत्नो से  $\frac{1}{3}$  भाग तक पहुँच गई थी। इन आँकड़ो से यह स्पष्ट है कि राज्य में खालसा भूमि कम थी और अधिकतर भूमि जमींदारी, जागीरदारी में ही थी।

जमींदारी का ज्ञान हमें शाहजहा के समय के प्राप्त दस्तूखल-ग्रमल में मिलना है जिसके अनुसार वह मनुष्य जो पहली बार खेती करे अथवा उसके लिए भूमि तैयार करे जमींदार कहलाता था। यह काम वह अपने सहकृदुम्बियो अथवा जाति के लोगो की सहायता से करता था जिसके फलस्वरूप मध्य-युग में विभिन्न गाँव अथवा क्षेत्र किमी जाति-विशेष के अधिकार में ही थे। क्योंकि इन प्रदेशो पर अपनी शक्ति के आधार पर ही कब्जा किया गया था इसलिए उस जाति का मुखिया उस प्रदेश का जमींदार हो जाता था और उसे समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इसी प्रकार से चौधरी तथा बानूनगो जिनको वेतन के एवज में भूमि दी जाती थी वे भी धीरे-धीरे अपने क्षेत्रो में जमींदारी अधिकार प्राप्त कर लेते थे।<sup>1</sup>

ये जमींदार अलग अलग क्षेत्रो में अलग-अलग नाम से पुकारे जाते थे। राजस्थान में पट्टे द्वारा प्राप्त हुई भूमि के स्वामी को 'प्रांसिया' तथा ऐसी भूमि के स्वामी जिन्हें यह अनुदान के रूप में प्राप्त न हुई थी 'भूमिया' कहलाते थे। गुजरात में व्यक्तिगत किमानो के अधिकार की भूमि को 'रंयत' तथा इसके अतिरिक्त भूमि के स्वामियो को 'तानुकदार' कहते थे। इसी प्रकार अन्य स्थानो पर इन्हें 'जमींदार' कहा जाता था। जमींदार राज्य को लगान के रूप में एक निश्चित राशि देता था और उसी के अनुपात में किसानो से लगान वसूल करता था। किसानो से मालगुजारी (लगान) वसूल करने के एवज में जमींदार को मालगुजारी का 10 प्रतिशत मिलता था जिसे 'मालिकाना' कहा जाता था। किन्तु भिन्न-भिन्न भागो में इसमें थोड़ा अन्तर था तथा जहाँ मालगुजारी उपज के रूप में वसूल की जाती थी वहाँ प्रति बीघा दो बिस्वा की उपज जमींदार लेने का अधिकारी था परन्तु वह किसी स्थिति में लगान बढ़ाने का अधिकारी नहीं था। जमींदार अपने क्षेत्र में प्रभावशाली था और एक प्रकार से वह परोक्ष रूप में भूमि का राज्य के नाम पर सर्वोच्च अधिकारी था इसलिए अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर वह अपनेको ऐसे अववाव (कर) वसूल कर लेता था जिनकी राज्य द्वारा स्वीकृति न थी। किसान इस अतिरिक्त दबाव के बाद भी अकारण जमींदार से ऋगडा मोल लेने को तत्पर न था और इसीलिए जमींदार जन्म, विवाह, मृत्यु आदि पर किसानो से धन वसूल कर लेता था जो कि

1. हसन, मुहम्मद—याट् ग्रान एपेरियन रिलेशन इन मुगल इण्डिया, आई. सी. एच. भार प्रोसिडिंग्स वाल्यूम 36, 1961 पृ. 89-93.

उसकी व्यक्तिगत भाय थी क्योंकि राज्य को वह केवल निश्चित धन राशि के प्रतिरिक्त कुछ न चुकाता था।

जमीदार को अपने क्षेत्र में गढ़ी बनाने का अधिकार था जहाँ किलेबन्दी की जा सकती थी।<sup>1</sup> इसी कारण मध्ययुग में प्रत्येक जमीदार जिनकी स्थिति साधारण वर्ग के जमींदारों से कुछ अच्छी थी गढ़ी बनवाना अपने लिए सम्मान सूचक मानता था। स्वाभाविक है कि इन गढ़ियों में सैनिक भी रखे जाते थे जिनसे वह अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखता था। अकबर के राज्यकाल में जमींदारों के पास लगभग 3 84,558 सवार, 42,70 057 पैदल तथा 4260 तोपें थीं।

जमींदार अपने क्षेत्र की मालगुजारी के प्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सरकारी लगान वसूल करने का काम भी करते थे। औरंगजेब के अन्तिम समय में ऐसे जमींदारों को ताल्लुकदार कहा जाता था। ताल्लुकदारी का क्षेत्र विस्तृत होने के बावजूद भी उनके अधिकार जमींदारों से कम थे। मुगल काल में ताल्लुकदारों की स्थिति ज्यादा प्रभावपूर्ण हो गई थी और विशेषकर अवध में बड़े-बड़े जमींदारों से मालगुजारी वसूल करने का उत्तरदायित्व उन्हीं का था। बंगाल में उनकी स्थिति जमींदारों से गौण थी।

जागीरदारों का वह वर्ग था जिनको राज्य की ओर से नकद वेतन के बदले ऐसी जागीरें दे दी जाती थीं जिनकी आय उनके वेतन के बराबर होती थी। वेतन के बदले जागीर देने की परम्परा मुगलों के पहले भी प्रचलित थी। जागीर की आय का निर्यय करने का आधार जमा या भूमिकर था। जमा रकम मालगुजारी की अनुमानित राशि थी और जमा हासिल वह रकम थी जो वास्तविक रूप में वसूल होती थी। जब जागीर वेतन के बदले दी जाती थी तो ऐसी जागीर को 'जागीर-ए-तनखाह' तथा जब जागीर किसी पद के बदले दी जाती थी तो, उसे 'मशरूत' जागीर कहते थे। ऐसी जागीर जिसके लिए कोई अनुबन्ध न था इनाम' कहलाती थी। ऐसी जागीर जो किसी से ले ली गई हो परन्तु उसे किसी दूसरे व्यक्ति को न दी गई हो 'पापवाकी' कहा जाता था। सम्पूर्ण मुगल काल में अनेकों उदाहरण मिलते हैं जबकि इस प्रकार की जागीरें दी गईं। अकबर के समय में भी इसी प्रकार की परम्परा मौजूद थी।

जागीरदार क्योंकि अकबर के समय के पहले से ही ऐसी जागीरों का उपभोग करते चले आ रहे थे इसलिये वे इसे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति मानने लगे थे जिसमें शासक का कोई एहसान न था। ये विचार भूलरूप से ही गलत था क्योंकि ये जागीरें उन्हें पद के लिये गवना वेतन के बदले दी गई थीं इसलिये अकबर ने 1568 में

इनकी शक्ति को कम करने के लिये तथा उनको यह अनुभव कराने लिए कि ये जागीरों राज्य की कृपा से प्राप्त हुई हैं और अन्तिम रूप में जागीरदार इनके स्वामी न होकर राज्य ही स्वामी है, उसने जागीरदारों की एक सूचे से दूसरे सूचे में बदली करना शुरू कर दी। इस प्रक्रिया से तथा भू राजस्व में सुधार के कारण जागीरों की जमा में उलटफेर होता रहता था इसलिए अकबर ने मालगुजारी वसूल करने के काम को सरकारी अधिकार में ले लिया तथा वसूल की गई रकम से वेतन नकद रूप में देना शुरू किया। स्वाभाविक था कि जागीरदार इस व्यवस्था से असन्तुष्ट थे और इस कारण विरोध के लक्षण उभरने लगे। अकबर ने पुनः जागीर प्रथा को लागू कर दिया।

जागीरदार अपनी जागीर से मालगुजारी वसूल करने हेतु ग्रामीण, ग्रामीण, पोतदार तथा कारकून नियुक्त करते थे। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब जागीरदार जागीर को अपने सेवकों में बांट दिया करते थे जिनसे उनके वेतन के अनुसार उस भूमि से उन्हें भाग प्राप्त हो सके। जागीरदार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के प्रतिरिक्त जागीर में राज्य के अधिकारी जैसे कानूनगो, चौधरी, फौजदार आदि भी रहते थे जो मालगुजारी सम्बन्धी नियमों को देखते थे तथा जागीर में शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी थे।

यद्यपि मालगुजारी की दरें सरकार द्वारा निश्चित की जाती थीं परन्तु फिर भी जागीरदार किसानों से अधिक मालगुजारी वसूल कर लेते थे। इसके प्रतिरिक्त वे ऐसी अनेकों सेवायें प्राप्त करते थे जिनका कानूनी आधार पर कोई प्राधिकार न था। सामान्यतया मालगुजारी वसूली के उतार-चढ़ाव का परिणाम जागीरदारों को ही भुगतना पड़ता था क्योंकि यह मान लेना कि फसलें लगातार एक जैसी अच्छी होती रहेंगी, कभी अकाल या अधिक वर्षा के कारण खराब न होंगी, अथवा किमान बराबर मालगुजारी का भुगतान करता रहेगा असम्भव था। परन्तु जब कभी किसी उचित कारण के आधार पर राज्य से मालगुजारी कम लेने की प्रार्थना की जाती थी तो राज्य उसकी जांच कर जागीरदारों को कुछ छूट दे देता था। इस प्रार्थना की अनुपस्थिति में यदि जागीरदार सरकारी देय की रकम में किसी प्रकार की देरी करता तो अस्थाई रूप से उसकी जागीर जब्त कर भी जाती थी।

जागीरदारी प्रथा के फलस्वरूप अनेकों कठिनाईयाँ पैदा हो गईं। जागीरदारों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला करने की नीति अपनाते से यद्यपि जागीरदारों को बढ़ती हुई शक्ति पर प्रकुश अवश्य लग गया परन्तु इस नीति के कारण जागीरदार अपनी जागीर की उप्रति करने के प्रति उदासीन हो गये क्योंकि उन्हें सर्वत्र यह डर बना रहता था कि उनकी जागीर किसी भी समय बदली जा सकती है।<sup>1</sup> इसके प्रतिरिक्त जैसे-जैसे समय बीतता गया जागीरदारी प्रथा और अधिक

जटिल होनी गई। औरंगजेब के समय में उसकी दक्षिण नीति के फलस्वरूप यह व्यवस्था, अव्यवस्था में बदल गई। उसने दक्षिण पर अधिकार करने के लिए मुक्त-हस्त से मराठों को जागीर देना शुरू किया क्योंकि इसी आधार पर मराठे उसका पक्ष ले सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में जागीरदारा की संख्या अधिक थी और उन्हें जागीर के रूप में भूमि देने के लिए कोई जगह शेष न बची थी। इसी से यह कहा जाने लगा कि मनसब प्राप्ति के पश्चात् जागीर मिलने में इतनी देर हो जाती थी कि नौजवान के बाल सफेद हो जाते थे।<sup>1</sup> ऐसी अव्यवस्था में जब जागीरों का तबादला होता तो जागीरदार यह जानकर कि नयी जागीर मिलने में अत्यधिक देर होगी अथवा सम्भव है उहके जीतेजी दूसरी जागीर उसके नाम न लिखी जा सके, अधिवारियों को घूस देकर उसे रकबा लेते थे। इस प्रकार औरंगजेब के समय में जागीरदारी प्रथा में घूमखोरी और जड़ गई। आन्वदगम मुबलिस ने 1713-19 के बीच वा जो वरुंग दिया है उसके अनुसार मनसबदारी को दी जाने वाली जागीर कागज पर ही रह जाती थी।<sup>2</sup>

इन कमियों के अतिरिक्त राज्य को जागीरदारी में यह भी हानि थी कि जागीरदार राज्य में सैनिक सेवा के बदले में जागीर प्राप्त करने के वाद भी निश्चिन्त और सुसज्जित सैनिक नहीं रखते थे। राज्य इस प्रकार से धन खर्च करने से वाद भी अच्छे सैनिकों की सेवा से वंचित रहता था।

जमींदारों और जागीरदारों के अतिरिक्त 'बतन जागीर' भी मुगलकाल में प्रचलित थी। वे जमींदार जो मुगल सेवा में मनसबदार भी थे उन्हें अपने ही अधिकार क्षेत्र की मातंगुजारी (जमा) के बराबर मनसब प्राप्त हो जाता था जिसे 'बतन जागीर' कहते थे। बतन जागीर प्रायः वशानुगत होती थी और प्राप्त करने वाले की मृत्यु के पश्चात् सम्राट द्वारा नियुक्त उसके उत्तराधिकारी को मिल जाया करती थी। जसवंतसिंह के 1679 में मर जाने पर जब औरंगजेब ने जोधपुर की बतन जागीर को खालसा घोषित कर दिया तो राठोड़ों ने परम्परा के विरुद्ध इस कार्यवाही का विरोध किया।<sup>3</sup> जब कभी 'बतन जागीर' के मनसबदार अपनी जागीर की प्रायः से अधिक का मनसब प्राप्त कर लेते थे तो उन्हें अतिरिक्त जागीर तन्वाह जागीर की रूप में दे दी जाती थी। महाराजा जसवंतसिंह को मारवाड़ 'बतन जागीर' के रूप में मिला था परन्तु मनसब बढ़ने पर हिसार की जागीर 'तनरवाह जागीर' के रूप में मिली थी।<sup>4</sup> गुजरात का सूबेदार नियुक्त होने पर उनकी ये जागीर स्थावरित कर दी गई थी।

1 श्रीवास्तव, एच एम — मुगल शासन प्रणाली, पृ 163

2 चन्द्र, सतीश—पाट्टीज एण्ड पोपिटिकस एट द मुगल कोर्ट, पृ 29.

3 चन्द्र, सतीश—वही, पृ 31-32.

4 श्रीवास्तव, एच एम — वही, पृ 163-64

इनके अनिश्चित 'मदद ए माश' की भूमि देना भी प्रचलित था। अकबर के समय में मदद ए माश, विद्वान, धार्मिक और विप्रजन (जिनमें जीविकोपार्जन की शक्ति न थी, तथा श्रेष्ठ कुल के वे लोग जो अज्ञानवश नौकरी नहीं करते थे) आदि लोगों को दी जाती थी। यह भूमि स्थानान्तरित नहीं की जाती थी तथा प्राप्तवर्ता की मृत्यु तक रही उसका उपभोग किया जा सकता था। यदि प्राप्तवर्ता की मृत्यु के बाद उक्त परिवार में साहित्यिक, धार्मिक परम्परा कायम रहती तो यह उस परिवार को पुन दे दी जाती थी। 'मदद-ए माश' की भूमि समस्त लोगों को बगैर किसी धार्मिक विभेद के दी जाती थी। बदायुनी को इस प्रकार की भूमि मिली थी। व्यक्तियों के अनिश्चित यह मस्यामो को भी दी जाती थी जिसे 'बकफ' कहते थे। मस्जिदें, दरगाह, मदरसे इसके अंतर्गत आते थे।

जहाँगीर ने 'मदद ए-माश' की तरह 'अलतमगा' नाम से लोगों को जागीरें दी। ये जागीरें अमीरों को इसलिए दी गईं कि वे अपना परिवार स्थाई रूप से रख सकें। क्योंकि ऐसे फरमानों पर सम््राट की अलतमगा नामक मुहर लगाई जाती थी इसलिए इसे इस नाम से पुकारने लगे।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा भारत पर अधिकार करने के बाद मूल रूप से इसी ढाँचे को अपनाया इस बात का प्रमाण है कि अकबर द्वारा संगठित भू राजस्व व्यवस्था ठोस सिद्धान्तों पर आधारित थी। विसेंट स्मिथ, जो कि पूर्वं ब्रिटिश शासन के किसी भी प्रकार से प्रशंसक नहीं बह्ये जा सकते, भी इसकी पुष्टि करते हैं। उनके अनुसार, "पक्षेप में यह पद्धति प्रशंसनीय थी। निहित सिद्धान्त सुदृढ थे, और अधिकारियों को दिये गये व्यावहारिक निर्देश नितान्त वाछनीय"।<sup>1</sup> मोरलैण्ड के अनुसार भी अकबरकालीन बंदोबस्त ब्रिटिशकालीन बंदोबस्त के समान ही था और कुछ बातों में ये पूर्णतया प्राधुनिक है।<sup>2</sup>

परन्तु इससे बाद भी भू राजस्व व्यवस्था में कई दोष थे। सर्वप्रथम लगान वसूली की दर मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए बोझिल थी क्योंकि भूमि के विभाजन तथा उपज की तालिका में अशुभ निकाल कर मालगुजारी वसूल की जाती थी। ऐसी स्थिति में ऐसे किसानों से जिनके पास दूसरी और तीसरी श्रेणी की भूमि थी उन्हें पहली श्रेणी के किसानों से अधिक मालगुजारी देनी पड़ती थी। क्योंकि इन श्रेणियों के किसानों की सहायता तुलनात्मक आधार पर पहली श्रेणी के किसानों से अधिक थी इसलिए यह किसानों के हित में नहीं थी। इसके अनिश्चित क्योंकि अधिकतर भूमि

1. नागर, डा राजेन्द्रनाथ—महान् मुगल अकबर पृ 405-06

2. मोरलैण्ड, डब्ल्यू, एच —द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड प्रोविन्सेज, पृ 16.

जटिल होती गई। औरंगजेब के समय में उसकी दक्षिण भूमि के फलस्वरूप यह व्यवस्था, अव्यवस्था में बदल गई। उसने दक्षिण पर अधिकार करने के लिए मुक्त-हस्त से मराठों को जागीर देना शुरू किया क्योंकि इसी आधार पर मराठे उसका पक्ष ले सकते थे। ईमका परिणाम यह हुआ कि राज्य में जागीरदारों की संख्या अधिक थी और उन्हें जागीर के रूप में भूमि देने के लिए कोई जगह शेष न बची थी। इसी से यह कहा जाने लगा कि मनसब प्राप्ति के पश्चात् जागीर मिलने में इतनी देर हो जाती थी कि नौजवान के बाल सफेद हो जाते थे।<sup>1</sup> ऐसी अव्यवस्था में जब जागीरों का तबादला होता तो जागीरदार यह जानकर कि नयी जागीर मिलने में अत्यधिक देर होगी अथवा सम्भव है उसके जीतेजी दूसरी जागीर उसके नाम न लिखी जा सके, अधिकारियों को घूस देकर उसे रकवा लेते थे। इस प्रकार औरंगजेब के समय में जागीरदारी प्रथा में घूमखोरी और जूट गई। आग्नदशम मुखलिस ने 1713-19 के बीच का जो वर्णन दिया है उसके अनुसार मनसबदारों को दी जाने वाली जागीर काफ़ी दूर ही रह जाती थी।<sup>2</sup>

इन कमियों के अतिरिक्त राज्य को जागीरदारी से यह भी हानि थी कि जागीरदार राज्य से सैनिक सेवा के बदले में जागीर प्राप्त करने के वाद भी निश्चिन और सुसज्जित सैनिक नहीं रखते थे। राज्य इस प्रकार से धन खर्च करने से बाध भी अच्छे सैनिकों की सेवा से बचिन रहता था।

जमींदारों और जागीरदारों के अतिरिक्त, 'वतन जागीर' भी मुगलकाल में प्रचलित थी। वे जमींदार जो मुगल सेवा में मनसबदार भी थे उन्हें अपने ही अधिकार क्षेत्र की मान्यगुजारी (जमा) के बराबर मनसब प्राप्त हो जाता था जिसे 'वतन जागीर' कहते थे। वतन जागीर प्रायः वशानुगत होती थी और प्राप्त करने वाले की मृत्यु के पश्चात् सम्राट द्वारा नियुक्त उसके उत्तराधिकारी को मिल जाया करती थी। जसवन्तसिंह के 1679 में मर जाने पर ज़ब्र औरंगजेब ने जोधपुर की वतन जागीर को खालसा घोषित कर दिया तो राठोडों ने परम्परा के विरुद्ध इस कार्यवाही का विरोध किया।<sup>3</sup> जब कभी 'वतन जागीर' के मनसबदार अपनी जागीर की प्रायः में अधिक का मनसब प्राप्त कर लेते थे तब उन्हें अतिरिक्त जागीर तन्वाह जागीर की रूप में दे दी जाती थी। महाराजा जसवन्तसिंह को मारवाड़ 'वतन जागीर' के रूप में मिला था परन्तु मनसब बढ़ने पर हिमार की जागीर 'तनरवाह जागीर' के रूप में मिली थी।<sup>4</sup> गुजरात का सूबेदार नियुक्त होने पर उनकी ये जागीर स्थांतरित कर दी गई थी।

1 श्रीवास्तव, एच.एम.—मुगल शासन प्रणाली, पृ. 163.

2 चन्द्र, सतीश—पाट्टीज एण्ड पोलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, पृ. 29.

3 चन्द्र, सतीश—वही, पृ. 31-32.

4 श्रीवास्तव, एच.एस.—वही, पृ. 163-64.

इनके अतिरिक्त 'मदद ए-माश' की भूमि देना भी प्रचलित था। अक्टूबर के समय में मदद-ए-माश, विद्वान, धार्मिक और विप्रजन (जिनमें जीविकोपार्जन की शक्ति न थी, तथा श्रेष्ठ कुल के वे लोग जो अज्ञानवश नौकरी नहीं करते थे) आदि लोगों को दी जाती थी। यह भूमि स्थानान्तरित नहीं की जाती थी तथा प्राप्तकर्ता की मृत्यु तक रही उसका उपभोग किया जा सकता था। यदि प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद उक्त परिवार में साहित्यिक, धार्मिक परम्परा कायम रहती तो यह उस परिवार को पुनः दे दी जाती थी। 'मदद ए-माश' की भूमि समस्त लोगों को बगैर किसी धार्मिक विभेद के दी जाती थी। बदायुनी को इस प्रकार की भूमि मिली थी। व्यक्तियों के अतिरिक्त यह मस्जिदों को भी दी जाती थी जिसे 'वकफ' कहते थे। मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों इसके अन्तर्गत आते थे।

जहाँगीर ने 'मदद ए-माश' की तरह 'अलतमगा' नाम से लोगों को जागीरें दीं। ये जागीरें अमीरों को इसलिए दी गईं कि वे अपना परिवार स्थाई रूप से रख सकें। क्योंकि ऐसे फरमानों पर सच्चाई की अलतमगा नामक मुहर लगाई जाती थी इसलिए हमें इस नाम से पुकारने लगे।

हम पृष्ठभूमि के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा भारत पर अधिकार करने के बाद मूल रूप से इसी ढाँचे को अपनाया इस बात का प्रमाण है कि अक्टूबर द्वारा संगठित भू-राजस्व व्यवस्था ठोस सिद्धान्तों पर आधारित थी। विसैंट स्मिथ, जो कि पूर्व ब्रिटिश शासन के किसी भी प्रकार से प्रशंसक नहीं कहे जा सकते, भी इसकी प्रशंसा करते हैं। उनके अनुसार, "पक्षेप में यह पद्धति प्रशंसनीय थी। निहित सिद्धान्त सुदृढ़ थे, और अधिकारियों को दिये गये व्यावहारिक निर्देश नितान्त वाछनीय"।<sup>1</sup> मोरलैण्ड के अनुसार भी अक्टूबरकालीन बंदोबस्त ब्रिटिशकालीन बंदोबस्त के समान ही था और कुछ बातों में ये पूर्णतया प्राधुनिक है।<sup>2</sup>

परन्तु इसके बाद भी भू राजस्व व्यवस्था में कई दोष थे। सर्वप्रथम लगान वसूली की दर मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए बोझिल थी क्योंकि भूमि के विभाजन तथा उपज की तालिका में भीमत्त त्रुटि बर मालगुजारी वसूल की जाती थी। ऐसी स्थिति में ऐसे किसानों से जिनके पास दूसरी और तीसरी श्रेणी की भूमि थी उन्हें पहली श्रेणी के किसानों से अधिक मालगुजारी देनी पड़ती थी। क्योंकि इन श्रेणियों के किसानों की सख्या कुलनगरम आधार पर पहली श्रेणी के किसानों से अधिक थी इसलिए यह किसानों के हित में नहीं थी। इसके अतिरिक्त क्योंकि अधिकतर भूमि

1. नागर, डा राजेन्द्रनाथ—महान् मुगल अक्टूबर पृ 405-06.

2. मोरलैण्ड, डब्ल्यू, एच.—द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड प्रोविन्सेज, पृ 16.



पालसा न होकर जागीरदारी, मदद-ए-माश तथा बतन जागीर के रूप में ही थी इसलिए इस प्रकार की भूमि पर राजस्व सम्बन्धी नियमों को कड़ाई से लागू करना सम्भव न था। ऐसी स्थिति में गैर-स्वीकृत कर किसानों से वसूल किये जाते रहे। इनको बार-बार इन करों को वसूल न करने के आदेश जारी किये गये परन्तु उनका कोई परिणाम न निकला। 1668 में औरंगजेब से शिकायत की गई कि मालपुरा का फौजदार 'शुराक-ए-अस्पान' व गऊ चराई कर वसूल करता है। स्वाभाविक रूप से उसे दण्ड मिलना चाहिये था परन्तु उसे केवल आदेश दिया गया कि वह ये कर वसूल न करे।<sup>1</sup> यदि केन्द्र के निकट वाले प्रदेश में इस प्रकार की अवस्था थी तो दूरवर्ती प्रदेशों में क्या स्थिति रही होगी, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वयं सरकारी अधिकारी किसानों से अनेक गैर-स्वीकृत कर तथा सुविधाएँ प्राप्त कर लेते थे।

किसानों का भूमि से सम्बन्ध व उनकी दशा के बारे में विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न यूरोपीय यात्रियों के अनुसार सम्राट भूमि का स्वामी था<sup>2</sup> परन्तु डा० हर्षान हबीब का मत है कि भूमि का स्वामी न तो किसान था और न ही सम्राट किसान का कुछ परिस्थितियों में मिल्नकियत का अधिकारी था। सामान्य रूप से किसान न तो अपनी भूमि की बचन का अधिकारी था और न ही उसमें वेदव्यत किया जा सकता था। उसे भूमि सम्बन्धी मोरुमी अधिकार ही प्राप्त थे और राज्य द्वारा ऐसी भूमि को मान्यता देन के आदेश थे। यदि किसान भूमि छोड़कर चला जाता, जैसा कि अक्सर हुआ करता था तो सरकारी कर्मचारियों को आदेश थे कि वे उन्हें समझा-बुझाकर पुनः लेती बरत के लिए तत्पर करें।<sup>3</sup>

डा० कुरेशी का मत है कि किसान मुगल काल में अज्ञात थे क्योंकि किसानों की आवश्यकतायें आसानी से पूरी हो जाती थी और राज्य की ओर से कृषि के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाता था। राज्य यह भली प्रकार समझता था कि किसानों की अज्ञातली पर ही राज्य की अज्ञातली निर्भर करती है इसलिए सेना को आदेश था कि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाया जावे। यदि कमी नुकसान हो जाता तो राज्य, किसान को मुआवजा देता था। राज्य मर्दव ही इसके लिए प्रयत्नशील था कि अधिक से अधिक अरबी भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाया जावे और किसान द्वारा नई भूमि को उरज के योग्य बनाने पर राज्य की ओर से विशेष ध्यान दी जानी थी।<sup>4</sup> फसल की किस्म को अच्छा बनाने के लिए भी शक

1. अली, अतहर—वही, पृ 82

2. बनिपर—वही, पृ 204.

3. हबीब, आई—वही, पृ. 220-30

4. कुरेशी, आई एच.—वही, पृष्ठ 174

प्रयत्नशील थे जैसे प्रकवर ने आलू की फसल उगाने का प्रयत्न किया और जहागीर ने अनेक प्रकार के झरूरी की उपज करवाई। तम्बाकू और तरबूज भी पैदा किये जाने लगे और मुहम्मद रिदा को जिसने पहली बार तरबूज उगाये थे सम्मानित किया गया।

डा. कुरेशी<sup>1</sup> ने आगे लिखा है कि मुगलों के लिए उपज को बढ़ाना आवश्यक भी था क्योंकि उस काल में राज्य से विशेषकर गेहूँ और चावल का निर्यात किया जाता था। निर्यात के लिए जरूरी था कि उपज को लगातार बढ़ाया जावे जिससे कि आन्तरिक मांगों की पूर्ति के बाद निर्यात अच्छी मात्रा में किया जा सके। क्योंकि जनसंख्या कम थी और अनुपातिक रूप में किसानों की भी संख्या कम थी इसलिए यदि उपज कम हुई तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों को प्रभावित करती और कपड़े, चीनी, चमड़े का सामान आदि जो निर्यात होता था उसको प्रकट लगता। राज्य इसलिए इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता था कि उपज बढ़ती जावे जिससे निर्यात का मात्रा में कमी न हो।

इस आधार पर हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि यद्यपि मुगल काल में किसानों को सुविधाएँ प्राप्त थी परन्तु साथ ही साथ उनका शोषण भी होता था और उनसे अनेक गैर-स्वीकृत कर भी बसूल किये जाने थे जिससे कि वे भूमि को छोड़कर भाग जाते थे। बहुत से किसान खालसा भूमि को छोड़कर जमींदारी क्षेत्र में चले जाते थे। औरंगजेब के काल में बहुत से किसान तालकोवरण को छोड़कर जमींदारी क्षेत्र में चले गये और उनको जबरदस्ती वापिस लाकर छः सौ गावों में बसाया गया। इससे किसानों की स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से अब यह भी स्वीकार किया जाता है कि औरंगजेब के समय में जो जाटों और सत्तनामियों के विद्रोह हुए उनमें मूलतः किसानों का अमतीप ही महत्वपूर्ण कारण था।<sup>2</sup> इस प्रकार किसान न तो अधिक सुखी ही थे और न ही उनका जीवन यातनाओं से ही भरा था।

1. कुरेशी, आई एच — वही, पृ. 177.

2. सतीश चन्द्र, — वही, पृ. 9-11.

## मध्यकाल में व्यापार व उसकी व्यवस्था

प्राचीन काल में ही भारत विदेशों से व्यापार करता रहा है। 3000 ई पू में भारत के 'देवीलोनिया' से व्यापारिक सम्बन्ध थे। ईसा से 7000 वर्ष पूर्व मिस्र की 'मम्मो' भारतीय मलमल में लिपटी हुई मिली है। इसी प्रकार से रोम को अनेक भारतीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। पिन्नी ने लिखा है कि प्रत्येक वर्ष भारत को वस्तुओं के मूल्य के रूप में काफी धन भेजा जाता था। सम्पूर्ण व्यापार को श्रद्धापूर्वक करने से यह परिणाम निकलता है कि देश में सोना अधिक आता था जिसका अर्थ था कि भारत में आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक था जो कि भारतीय व्यापार की उस युग में विशेषता थी।

भारतीय अमीर वर्ग विदेशों से सुख-विलास की चीजें आयात करने के इच्छुक रहते थे। स्वयं सुल्तान विदेशों से घोड़ों का आयात कर अपनी सैनिक साज-सज्जा को अधुण्य बनाये रखने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील रहते थे। इन समस्त कारणों ने आन्तरिक और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया और व्यापार करने की एक परम्परा को स्थापित किया। देश में सड़कें, जो कि मुख्यतः सैनिक संचारण के लिए ही उचित व्यवस्था में बनाये रखी जाती थी, उन्हें ही व्यापारी भी उपयोग में लेते थे। यद्यपि देश में आधुनिक प्रकार के नाविक साधन उपलब्ध नहीं थे और समुद्री यात्रा कठिन ही नहीं अपितु हानिकारक और खतरनाक भी थी, परन्तु इन कठिनाइयों के होते हुए भी सामुद्रिक व्यापार भारतीयों में लोकप्रिय था। भारतीय व्यापारी अनेक देशों से व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे। समुद्री डाकूओं के लूट का भय भी अन्तर्वरत बना हुआ था परन्तु एक ही सफल यात्रा में इस समस्त हानि की पूर्ति की मरीचिका ने व्यापारी वर्ग को समुद्री व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ व्यापारियों ने विभिन्न देशों में अपनी व्यापारिक सस्थाओं की स्थापना कर रखी थी जिनके माध्यम से वे व्यापार करते थे। आन्तरिक व्यापार में अधिक कठिनाईयाँ नहीं थी क्योंकि

सामान को देने वाले सगठन व्यवस्थित थे। इन कारणों से भ्रान्तरिक और विदेशी व्यापार की गति और क्षेत्र व्यापक थे।

सल्तनत काल में भ्रान्तरिक व्यापार पर मुख्य रूप से एक विशेष वर्ग का अधिकार था जिन्हें वैश्य कहते थे। उत्तरी भारत के गुजराती अथवा मारवाड़ी और दक्षिण भारत के चेट्टी इस काल में भी व्यापारिक गतिविधियों में अपनी सम्मानित स्थिति को बनाये हुए थे। राजपूताने में बजारा कही जाने वाली जात अब भी भनाज के बाहको के रूप में मान्य है और इनमें से अनेक 40,000 बौलों के वाफिले के स्वामी थे जो भनाज देने का काम करते थे।

गावों में साप्ताहिक बाजार उस समय में भी प्रचलित थे जहाँ अनेक छोटे-छोटे व्यापारी अपने सामान को घोड़ों पर अथवा ठेलों में बेचने के लिए लाते थे। फेरी बाने और भ्रमणकारी व्यापारी भी साधारण रूप में भाग लेते थे। गाव के ये बाजार अधिकतर खुदरा व्यापार तक ही सीमित थे। व्यापार मुख्यतः कस्बों अथवा शहरों की मण्डियों में होता था जहाँ पर अतिरिक्त अथवा अधिशेष भनाज था। दूसरी तैयार वस्तुओं का भी क्रय-विक्रय यही होता था। मुल्तान लाहौर और देहली जैसे शहर अथवा प्रशासकीय इकाई बड़े मण्डियों के रूप में काम आते थे। वार्षिक अथवा पाँच-छे मेलों के अवसरों पर आसपास के व्यापारी अपने भण्डार को बचते थे तथा नयी वस्तुएँ प्राप्त करते थे। पशु मेलों इस काल में विशिष्ट स्थानों पर लगने थे जहाँ हर प्रकार के पशु क्रय-विक्रय के लिए प्रस्तुत किये जाते थे और इन मेलों में दूर-दूर से व्यापारी भाग लेने आते थे।

विस्तृत आधार पर व्यापार विशेष वर्गों के ही हाथों में था। इन वर्गों में उत्तरी भारत के मुल्तानी और पश्चिमी तट के गुजराती प्रसिद्ध थे। गुजराती व्यापारी मलाबार और कोचीन तक फैले हुए थे और दोनों ही भ्रान्तरिक तथा विदेशी व्यापार करते थे। विदेशी मुचलमान साधारण रूप से खुरासानी सत्ता से प्रसिद्ध थे और समुद्री तटों के अतिरिक्त समस्त देश में व्यापार करते थे। तटीय प्रदेश के शासकों ने विदेशी व्यापारियों को उनके राज्यकोप में अधिक कर देने के कारण विशेष सुविधायें प्रदान की थीं। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत के व्यापारियों को भी अनेक सुविधायें प्राप्त थीं।

इन व्यापारिक वर्गों के अतिरिक्त दलालों का प्रयोग से एक समूह था जो यद्यपि स्वयं व्यापार नहीं करते थे, परन्तु अधिकतर बड़ी मात्रा में भ्रान्तरिक और तटीय व्यापार इनके माध्यम से ही चलाया जाता था। ये अपना कमीशन दोनों ही पार्टियों से बमूल करते थे जिससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता था। अलाउद्दीन खलजी ने जब बाजार नियन्त्रण का प्रयोग किया तो उसे सबसे पहले इस वर्ग की गति-विधियों का अन्त करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े। अलाउद्दीन की मृत्यु पर

जब बाजार नियंत्रण अपनी पतनावस्था को पहुँच गया तो उसी के साथ पुनः दलालों का व्यापार पर अधिकार बढ़ गया। फीरोज तुगलक के समय तक इनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि यह आवश्यक समझा गया कि इनकी गतिविधियों को कानून के अन्तर्गत व्यवस्थित किया जावे। इसके साथ ही इस समय में बड़े-बड़े व्यापारी मंडियों अथवा प्रमुख शहरों में अपने ऐजेन्ट रखते थे, जो इन जगहों पर अपने स्वामियों के व्यापार की व्यवस्था करते थे। व्यापारियों को ब्याज पर धन उधार दिया जाता था जिसकी दर राज्य के द्वारा निर्धारित थी। ब्याज सम्बन्धी सब मुकदमों की सुनवाई राज्य के न्यायालयों में होती थी।

इस काल में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने ही ऋण देन के बन्धों को अपना लिया था। यद्यपि शरियत के अनुसार ब्याज लेना वर्जित था, परन्तु फिर भी यह देते थे। साधारण ब्याज की दर निश्चित नहीं थी परन्तु फिर भी यह अनुमान होता है कि कम धन-राशि पर 20 व अधिक धन-राशि पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष वसूल किया जाता था। गरीब लोग चक्रवर्ती ब्याज के बोझ से इतने दब जाते थे कि उनके लिए ऋण को चुकाना सम्भव नहीं होता था। अमीर वर्ग अपने साधनों तथा शक्ति के आधार पर इसमें परिवर्तन करवा लिया करते थे।

व्यापारी वर्ग के कोई नैतिक माप दण्ड होने की संभावना कम ही है क्योंकि सम्पूर्ण मध्ययुग में समस्त देशों में व्यापारी प्रत्येक प्रकार की बेईमानी को माध्यम बनाकर धन कमाने में कोई द्विचकिचाहट नहीं दिखाते थे। मिलावट व ताप-तोल के बाटों में हेरफेर करना बड़ी साधारण बात थी और उपदेश देकर इनको मुधारना सम्भव नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन को बाजार नियंत्रण लागू करत समय व्यापारी वर्ग की बेईमानीयों पर अक्रुश लगाने के लिए अत्यन्त कठोर साधनों का उपयोग करना पड़ा था। न केवल उसने खुलार अधिकारियों की नियुक्ति की, अपितु गुप्तचरों को भी भारी सख्या में नियुक्त किया और इसके बाद भी समय-समय पर वह छद्म-भेष में छोटे-छोटे बच्चों को भेजकर इन व्यापारियों की गतिविधियों की जानकारी लेता था। कम तोलने वाले व्यापारी के शरीर से उतना ही मास काट कर निकाल लिया जाता था। इस कठोर व्यवस्था के आधार पर ही अलाउद्दीन अपने राज्यकाल में व्यापारी वर्ग के द्वारा अपनाई गई अनियमितताओं को रोकने में समर्थ हुआ चाहे व्यापार पर इसका विपरीत प्रभाव ही क्यों न पड़ा हो। आन्तरिक व्यापार में भले ही कठोर नियम बनाये गये हों परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि तटीय व्यापारिक मंडियों में जहाँ भारतीय विदेशियों से व्यापार करते थे वहाँ उन्होंने सत्यता और ईमानदारी का जो आदर्श रखा वह अद्वितीय था। सामान्यन प्रत्येक विदेशी भारतीय व्यापारियों की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अत्यधिक प्रभावित था जो कि ताप-तोल में सही बाटों का प्रयोग करते थे, पूरा तोल कर देते थे और व्यापार में उचित माघों का ही प्रयोग करते थे। उनका तोल अनुकरणीय था।

समकालीन स्रोतों से अन्तरिक व्यापार का अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है। गावों की मण्डियों में तथा बड़े-बड़े नगरों में व्यापार की गति अधिक तेज थी।

मुल्तनत काल में अन्तरिक व्यापार में कई गतिरोध थे। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अनेक प्रकार के टैक्स और चुगी लगा रखे थे जिनके कारण इन प्रान्तों में स्वतन्त्र रूप से वस्तुओं का लाना-लेजाना एक प्रकार में अवरोध ही था। अलाउद्दीन खलजी के समय को छोड़कर अनाज के व्यापार पर एक मूबे से दूसरे सूबे में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, वस्तुतः समस्त मुल्तनत काल इस व्यापार-विरोधी नीति का शिकार रहा। इसके अतिरिक्त अलग-अलग सूबों के अधिकारी व्यापारियों से नौषाट चुगी के रूप में धन-वसूल करते थे जिसमें कि वस्तुओं का मूल्य स्वतः ही बढ़ जाता था। ऐसे सम्बन्धों के होते हुए व्यापार में वृद्धि होना सम्भव नहीं था और व्यापार में इस गिरावट के साथ ही राज्य की आर्थिक दशा और साधारण वर्ग की सम्पन्नता को ठेस पहुँचना स्वाभाविक ही था।

अन्तरिक व्यापार के साथ ही विदेशी व्यापार भी भारत प्राचीन समय से करता चला आ रहा था। इस्लाम के उत्थान और समुद्रों पर विदेशी एकाधिकार होने के कारण इस काल में उसका यूरोप से सीधा सम्पर्क नहीं रहा था परन्तु इससे भारतीय व्यापार अथवा यूरोपीय देशों में भारतीय माल के पहुँचने पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं हुई थी। अरबों के द्वारा भारतीय माल यूरोपीय देशों को पहुँचता था, जहाँ से पूर्वी अफ्रीका, सुदूर पूर्व तथा चीन तक भेजा जाता था। इसी प्रकार से भारत का मध्य एशिया, अफगानिस्तान, फारस आदि देशों में भी सम्बन्ध था और भारत, तुर्कान, ईराक आदि के बीच साधारणतया व्यापारिक कार्गिले आते-जाते रहते थे।

16 वीं शताब्दी के मध्य तक (पुलंगतियों के आने के पहले) भारत का सामुद्रिक व्यापार मुरीश व्यापारियों के हाथों में था जिनका इस पर एकाधिकार था। यह व्यापार मंगोल आक्रमणकारियों के कारण अधिक अस्थिर तथा असुरक्षित था। व्यापार की मात्रा अधिक न थी और आयात होने वाली वस्तुओं में अमीर वर्ग के लिए भोग-विलास की वस्तुएँ ही प्रमुख थी। भोग-विलास की वस्तुओं में रेशमी कपड़े, अलमल, मुलायम बमडा, कामदार पदों तथा इसी प्रकार की दूसरी वस्तुएँ थी। जरी, कमलाव, रेशमी कपड़ा मुहम्मद तुगलक के समय में चीन, ईराक आदि में आयात किया जाता था। इसी प्रकार में पश्चिमी देशों में अनेकानेक चीजें आयात की जाती थी। इनके अतिरिक्त घोड़ों का आयात भी अत्यधिक था और वर्ग-जाति-भेद के प्रत्येक राजा अथवा सुल्तान मध्य एशिया से घोड़े मगवाता था। अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घोड़े सवारी, सामान ढोने आदि के काम में भी लिये जाते थे। सुल्तानों द्वारा समय-समय पर अमीरों को भेंट करने के लिये अच्छी

नस्ल के घोड़ों का आयात किया जाता था। दक्षिणी भारत के शासक भी घोड़ों का आयात करने में पीछे नहीं थे विशेषकर ऐसे प्रदेशों के शासक, जहाँ जलवायु के कारण अच्छी नस्ल के घोड़ों की पालना लाभप्रद नहीं था।

सामुद्रिक व्यापार के प्रतिरिक्त थल से भी व्यापार की मात्रा अधिक थी। तुर्कों तथा मंगोलों को जब कभी भी अपने व्यस्त आणवणकारी जीवन से राहत मिलती तो वे तुरमनि, कस्तूरीमृग, लोचर्म घोड़े, ऊट आदि भारत के बाजारों में लाते थे। इन सब वस्तुओं में घोड़ों का आयात प्रमुख था क्योंकि एक और तो वे सस्ते थे और दूसरे इनकी भारत के नगरों में अधिक मांग थी। तुर्की स्तान में कई स्थानों पर विशेष रूप से भारत को निर्यात करने के लिए घोड़े पाले जाते थे। इनको यहाँ तक भेजने की समुचित व्यवस्था कर रखी थी। भारतीय सीमा में आने पर इनको घोड़े के अनुमानित मूल्य का 1/4 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। सुल्तान मुहम्मद तुगलक के समय में इन व्यापारियों से पहली बार सिन्ध की सीमा पर 7 टक प्रति घोड़े के रूप में और फिर मुल्तान की सीमा पर टैक्स लिया जाता था, परन्तु फिर भी यह टैक्स पहने की अपेक्षा कम ही था। निश्चित था कि टैक्स के कम होने से घोड़ों के आयात में वृद्धि हुई होगी मगर समकालीन इतिहास में कोई ऐसा विवरण नहीं है जिसके आधार पर इसकी मात्रा को निश्चित किया जा सके।

भारत के निर्यात व्यापार में मुख्यतः खाद्यान्न व कपड़ा था। खाद्यान्न में गेहूँ, चावल, दालें, बाजरा, तिलहन आदि थे। फारस की खाड़ी के अनेकों दश पूर्वतया भारतीय खाद्यान्नो के निर्यात पर ही निर्भर थे। यमन में चावल भारत से ही भेजा जाता था। खाद्यान्नो के बाद सूती तथा अन्य प्रकार के कपड़े प्रमुख निर्यात की चीजें थीं। बंगाल से कपड़े, चीनी, अनाज आदि का निर्यात काफी मात्रा में होता था। गुजरात से बहुमूल्य पत्थर, सूती कपड़ा, नील आदि निर्यात किये जाते थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत की सुगन्धित लकड़ियाँ, उत्तरी भारत की अफीम भी निर्यात की जाती थी। निर्यात के प्रमुख बन्दरगाह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे और वे तुर्की सीरिया, फारस, अफ्रीका, इथियोपिया आदि की समस्त भागों की पूर्ति करते थे। समकालीन स्रोतों से ऐसा अनुभव होता है कि फारस की खाड़ी, अरब सागर व लाल सागर के सीमावर्ती देशों में भारतीय माल की मांग थी। इन सब के बाद भी यह अनुमान लगाना अत्यधिक कठिन है कि भारत के निर्यात की मात्रा कितनी थी। समकालीन स्रोतों के आधार पर केवल यह जानकारी मिल पाती है कि खम्बात के बन्दरगाह पर प्रति वर्ष 300 विदेशी जहाज आते थे, अथवा बंगाल में रेशमी और सूती कपड़ों का उत्पादन लगभग 50 जहाजों को भरने के लिये काफी था। परन्तु फिर भी किसी प्रकार का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक और तो इन जहाजों के आयातन की हमें जानकारी नहीं है और दूसरी ओर अन्य वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

सल्तनत काल में व्यापार में किसी प्रकार का विकास न हो सका। मुगलकाल के इतिहास के फारसी स्रोत यद्यपि शासक तथा उससे सम्बन्धित शासकविधियों के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी देते हैं, परन्तु व्यापार सम्बन्धी जानकारी इनमें प्रत्यक्ष मात्रा में नहीं है।

अपनी आत्मकथा 'बाबरनामा' में बाबर ने भारत और काबुल के बीच व्यापार का वर्णन किया है। उसके अनुसार इन दोनों देशों के बीच बन्दार व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। काबुल में फरगना, तुर्कस्तान, समरकन्द आदि के काफिले आते थे। मेवों का व्यापार उन्नत दशा में था। भारत से प्रतिवर्ष लगभग 7000 घोड़े व 11000 ऊँट, बपड़े, गलीचे, वालीन, बम्वल, चीनी, जड़ी-बूटी आदि लेकर काबुल जाते थे। काबुल और भारत के बीच व्यापार की अत्यधिक मात्रा की ओर संकेत करते हुए बाबर ने लिखा है कि अनेकों व्यापारी ऐसे थे जो 300 अथवा 400 घोड़ों से कम के काफिले को सामान ढोने के लिये प्रयुक्त करने के पक्ष में नहीं थे। काबुल में खुरासन, ईराक, चीन आदि की वस्तुएँ सहज ही सुलभ थी। महा से अगूर, आड़ू, तरबूज आदि भारत भेजे जाते थे। हुमायूँ के समय में भी व्यापार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और निर्वाच रूप में यह पहले की ही तरह चलता रहा।

शेरशाह के समय में प्रजासक्तीय कठिनाईयों के कारण बगाल में विदेशी वस्तुओं पर किसी प्रकार का आयात कर वसूल नहीं किया जाता था। पूर्वोक्त पर कोई ऐसा प्राकृतिक स्थान नहीं था जहाँ सरलता से कर इकट्ठा किया जा सके। इसके प्रतिरिक्त अनेकों तटीय प्रदेश तथा उत्तर में अनेकों दर्रे होने के कारण तस्कर व्यापार को रोकना अत्यन्त कठिन था, परन्तु इसके बाद भी यह मानना भ्रम होगा कि उसने चिटगाव और सतगाव के छु गीघरों को बन्द कर दिया होगा जिससे महत्ता पुर्तगालियों के साथ व्यापार की वजह से काफी बढ़ गई थी। नकारात्मक प्रमाण के रूप में हम यह स्वीकार करते हैं कि यदि शेरशाह ने इन छु गीघरों में भी छु गी वसूल करने की मनाई की होती तो निश्चित ही पुर्तगाली इस ओर संकेत करते।

अकबर ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में रुचि दिखाई और विशेषकर विलाम की वस्तुओं का आयात बढ़ गया। निर्यात की वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, नील आदि था। इंग्लैंड से व्यापार का इस समय तक विकास न हो पाया था। पश्चिमी तट पर सूरत और हुगली के निकट सतगाव के बन्दरगाह व्यस्त रहते थे। छु गी की दर ऊँची न थी, परन्तु व्यापारियों पर घादी वहाँ ले जाने पर प्रतिबन्ध था।

अकबर स्वयं व्यापारी था और व्यापार में लाभ उठाने में उसे किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। चीन से काफी मात्रा में सम्राट और अमीरों के उपयोग के लिये चीनी, मिट्टी के बर्तन आयात किये जाते थे।



घपनी आवश्यकतानुसार वस्तुएँ तैयार करवाते थे और समयानुसार उन्हें एकत्रित कर जहाजों में भेज दिया करते थे। 17 वीं शताब्दी के मध्य तक डच व्यापारियों ने कासिम बाजार में लगभग 700-800 रेशमी बुनकरों को अनुबंधित कर रखा था। इसी प्रकार अंग्रेज व्यापारियों ने भी 200-400 बुनकरों को रेशमी वस्त्र तैयार करने के लिये अनुबंधित कर रखा था। अधिकतर सामुद्रिक विदेशी व्यापार विदेशियों के ही हाथ में था और केवल फारस, तुर्की तथा तिब्बत के व्यापार का कुछ भ्रंश जो कि थल से किया जाता था, भारतीय व्यापारियों के हाथ में था। इन देशों को जाने वाली वस्तुओं में सूती कपड़े, कुछ रे।मों कपड़े तथा मसाले प्रमुख थे।

विदेशी व्यापार की मात्रा का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि लगभग 24000 से 30000 टन माल विदेशों को प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता था। अधिकतर ऐसी चीजें ही विदेशी व्यापारी भारत में उरीदते थे जिनमें लाभ का प्रतिशत अधिक हो। भारत में एक लाख पौंड के माल की कीमत इंग्लैण्ड में लगभग चार लाख 92 हजार पौंड थी। यद्यपि यह ठीक है कि व्यापारियों को माल को विदेशी बाजारों में पहुँचाने के लिए अधिक किराया देना पड़ता था और साथ ही सुरक्षित रूप में माल पहुँचाने में जोखिम भी अधिक था, परंतु इसके बाद भी लाभ का प्रतिशत अत्यधिक था।

निर्यात की वस्तुओं में अफीम, रुई, सूती कपड़, चाय, रेशमी कपड़े, हीरे-जवाहरात, बहुमूल्य पत्थर, मसाले, चीनी, नील आदि प्रमुख थे। अफीम, चीन, फारस, जावा, बर्मा आदि को भेजी जाती थी। बिहार की अफीम बंगाल और खानदेश से और मालवा की अफीम सूत के बन्दरगाह से भेजी जाती थी। रुई फारस तथा अरब को सूत के बन्दरगाह से भेजी जाती थी। बंगाल के प्रतिरिक्त खानदेश और बरार में यह मुख्य रूप से पाई जाती थी। सूती चाय, सूत और अहमदाबाद में भेजे जाते थे। वस्त्रों के क्षेत्र में सूती वस्त्र सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किए जाते थे। 17 वीं शताब्दी के पहले दक्षिणी एशिया, सुमात्रा, सुदूर पूर्व आदि देशों में इसका निर्यात अधिक था। 17 वीं शताब्दी में सूती वस्त्रों की मांग इंग्लैण्ड में भी की जाने लगी थी। सूती कपड़ों पर चादी और सोने का काम बनारस, अहमदाबाद, बिहार और आगरा में किया जाता था और पूर्वी तथा पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से इसे बाहर भेजा जाता था। सूती कपड़ों में सबसे अधिक मात्रा में मलमल की थी जो कि बहुत ही बारीक व अच्छी किस्म की बनाई जाती थी। छींट तथा बंधे के कपड़ें भी यूरोपीय तथा एशिया के देशों को निर्यात किये जाते थे। 17 वीं शताब्दी के अन्त तक यूरोप में जरी और तापता की मांग बढ़ गयी थी। रेशम को रगने तथा बुनने की कला में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नेतृत्व में काफी सुधार हुआ था और इसलिये इसका निर्यात भी बढ़ गया था। उडीसा टमर (तसर) के लिए प्रसिद्ध था और वहाँ से ये विदेशों को निर्यात की जाती थी। हीरे-जवाहरात की खाने

सम्बलपुर से लेकर गोलकुटा तक फैली हुई थी। हीरे गोष्ठा के बन्दरगाह से ये वाहर भेजे जाते थे। चीनी, धाम, काबुल व फारस को भेजी जाती थी।

प्रायात व्यापार पर विचार करने के पहले उस क्षेत्र में आने वाली अनेक कठिनाइयों का विवरण आवश्यक है। विदेशी व्यापार मध्यकाल में भारत के पक्ष में था और इसलिये यहाँ पर बहुमूल्य धातु जैसे सोना और चाँदी की अधिक माग थी, परन्तु इंग्लैण्ड के व्यापारी और सरकार अपने देश से इन बहुमूल्य धातुओं के निर्यात के विरोधी थे। अनेक वस्तुओं के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था और यह भादश निकाले गये थे कि यदि इन वरिजत वस्तुओं को कम्पनी के जहाजों में निर्यात किया जावेगा तो ऐस समस्त जहाजों को जप्त कर लिया जावेगा तथा समस्त सामान कम्पनी अपने अधिकार में कर लगी।

प्रायात की वस्तुओं में प्रमुख रूप से बहुमूल्य धातुएँ थी। सोना और चाँदी चीन, जापान आदि से आता था और मुख्य रूप से सिक्के, आभूषण आदि बनाने के काम आता था। इनके अतिरिक्त कपडा, घोड़े, हाथी, हाथी दात, तावा और अनेक प्रकार की भोग विलास सम्बन्धी वस्तुएँ थी। चीन से मिट्टी के बर्तन तथा रेशमी वस्त्र आते थे। यूरोप से शीशा, शराब तथा अन्य वस्तुएँ प्रायात की जाती थी। प्रायात का अधिकतर भाग एशिया के देशों से ही आता था। यूरोपीय व्यापारियों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि उन्हें भारत से व्यापार करने के लिये ऐसी वस्तुओं को खूँड निकालना था जिनकी यहाँ आवश्यकता हो, क्योंकि वहाँ से सोना और चाँदी का निर्यात सम्भव नहीं था।

इस अध्ययन के फलस्वरूप हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अर्थात् मुगल इतिहास के स्रोतों के आधार पर निश्चय रूप से यह कहना कि मुगल शासकों की कोई व्यापारिक नीति थी, सम्भव नहीं है। बाबर और हुमायूँ का राज्यकाल इतना अल्प समय का था कि उसमें किसी नीति को निर्धारित करने अथवा उसका समुचित विकास करने की कोई सम्भावना ही नहीं थी। अकबर के समय के शान्ति-मय वातावरण में विकास सम्भव हो सका। यूरोपीय शक्तियाँ, जिन्होंने 17 वीं शताब्दी के आरम्भ में अपनी यहाँ व्यापारिक कौटुंबियाँ स्थापित की उनके सम्पर्क में आकर व्यापार और विकसित हो सका। दुर्भाग्यवश मुगल शासक सामुद्रिक शक्ति की महत्ता को समझने में असमर्थ थे जिसके कारण विदेशी व्यापार सर्वद्वेष ही इन विदेशी व्यापारियों के हाथ ही में रहा जिसका इन्होंने भरपूर उपयोग किया। ऐसी स्थिति में व्यापार का विकास सम्भव न हो सका। प्रावागमन के मार्गों की असुरक्षा तथा पूँजी की अन्तरिक व्यापार की बढ़ती गति की और अधिक धीमी करने में सहायक हुई।

औरगेजब के अतिरिक्त समस्त मुगल सम्राट व्यक्तिगत व्यापार कर लाभ उठाने में रुचि रखते थे जिसके फलस्वरूप देश के व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति

की अपेक्षा वे अपने व्यापारिक हितों की ओर अधिक ध्यान देते थे। ऐसी स्थिति में समुचित रूप से व्यापार का विकास सम्भव नहीं था।

अधिकतर मुगल शासकों ने कोई ठोस आर्थिक नीति का पालन नहीं किया। यह कहना दुस्साहस न होगा कि वे आर्थिक नीति से अवगत नहीं थे। अन्यायुक्त धन खर्च करने की आदत के कारण ही बाबर कसन्दर की सजा से विस्फात हो गया। यह ठीक है कि अकबर के समय में राजा टोडरमल के प्रभाव व व्यक्तित्व के कारण आर्थिक ढाँचा सभला था और व्यापार में उन्नति हुई थी, परन्तु पुन जहांगीर व शाहजहाँ के समय में पुरानी नीति की पुनरावृत्ति हुई। शाहजहाँ द्वारा तस्तेताऊम व भवनों के निर्माण में जिस प्रकार धन खर्च किया गया, अथवा "जसन" के अवसरों पर जिस अविवेक से धन बाटा गया उससे मुगल राज्य पुन दिवालिया-राज्य की परिधि में पहुँच गया। ये धन व्यापार और उद्योगों के विकास में भी खर्च किया जा सकता था। औरगजेब का राज्यकाल एक अन्तहीन सपर्प का समय था जबकि वह उत्तर और दक्षिण के युद्धों में व्यस्त था, इन कारण इतना धन भी नहीं बच पाया कि व्यापार आदि के विकास में उसका उपयोग किया जा सके। उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल राज्य मृतप्राय ही था और ऐसे समय में व्यापार की बढ़ातरी के सम्बन्ध में सोचना भी दुस्साहस होगा।

हम यह भी सम्भावना लगती है कि अकबर ने औरगजेब तक किसी भी मुगल शासक के पास कोई रचनात्मक व्यापार नीति नहीं थी। यद्यपि समय समय पर चुंगी और अन्य करों को व्यवस्थित करने के आदेश निकलते रहे, परन्तु इनकी अनेक कारणों से कार्यान्वित न किया जा सका। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में व्यापार का बढ़ना सम्भव नहीं था। इनके अतिरिक्त नये व्यापारिक केन्द्रों के स्वतन्त्र विकास का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया जिसके कारण व्यापार को नई चेतना अथवा अवसर नहीं मिला।

---

## मध्यकाल में उद्योग और उनकी व्यवस्था

भारत के कृषि प्रधान देश होने के बाद भी ऐसे अनेको प्रमाण हैं जिनके आधार पर स्पष्ट है कि यहाँ अनेको उद्योग थे। उद्योगों का माप-दण्ड यदि आज के आधार पर रक्खा जावे तो मध्यकाल में इन उद्योगों को किसी प्रकार से दूढ़ निकालना सम्भव न होगा, कारण कि न तो इतने भारी उद्योगों की माग थी और न ही इनकी आवश्यकता। साधारणतया राजकीय “कारखानों” को छोड़कर जहाँ पर कभी-कभी रेशमी कपड़ा बुनने के लिए 4,000 जुलाहों तक को रक्ष लिया जाता था, अधिकतर उद्योग कुटिर प्रवस्था में ही थे और सगठित एवं व्यवस्थित रूप से उनका विकास नहीं हो पाया था। कस्बों में रहने वाला छोटा उत्पादक शहर में किसी व्यापारी से जो कि उसके क्षेत्र में ही कार्य कर रहा हो, सम्पर्क कर अपनी वस्तुओं को उसी के हाथों बेच देता था जो उसे आगे बेचने का प्रबन्ध करता था। कभी-कभी उत्पादनकर्ता हाठ-बाजार में भी अपनी वस्तुओं को बेच दिया करता था, परन्तु इस बेची हुई वस्तु की मात्रा कम ही होती थी। आयात-निर्यात करने वाले व्यापारी मुगलत. समुद्री किनारों के कस्बों में रहा करते थे और वे या तो अपने एजेंटों के द्वारा माल खरीदा करते थे अथवा वे सीधे उत्पादनकर्ता से सम्पर्क कर, तैयार चीजें खरीद लिया करते थे। कभी-कभी वे कारीगरों को नियुक्त कर स्वयं अपने निरीक्षण में वस्तुएँ तैयार करवाते थे। ऐसे सगठनों में दिल्ली सुल्तानों द्वारा व्यवस्थित ‘कारखाने’ अधिक महत्वपूर्वक और सुसगठित थे जिनसे राज्य की मांगों की पूर्ति हुआ करती थी।

राज्य की मांगों की पूर्ति का प्रयास इसी से लगाया जा सकता है कि मुहम्मद तुगलक अर्धवार्षिक आधार पर 2,00,000 ‘खिलमज’ (सम्मानित वस्त्र) बाँटा करता था जिनमें कुछ चीन तथा दूसरे देशों से आयात किए हुए वस्त्र थे परन्तु अधिकतर दिल्ली में ही बनाये जाते थे। वह हरम की स्त्रियों तथा अमीरों और उनकी परिशियों को भेंट देने के लिए लगभग 4000 सोने के जालीदार कपड़े बुनने

व ल कारीगरों को रखता था। सत्य तो यह है कि शाही काम में घाने वाली प्रत्येक वस्तु राज्य व 'कारखानों' अथवा वर्कशापो में ही बनाई जाती थी। इसी प्रकार से अनेकों दूसरे 'कारखान' भी थे जो बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण करते थे परन्तु यह आवश्यक नहीं था कि ये सब राज्य के अधिकार-क्षेत्र में ही हों। कारखानों के उत्पादन तथा वितरण पर सरकारी एकाधिकार न था। सल्तनत काल में केवल अलाउद्दीन खलजी ने प्रशासनिक आधार पर दिल्ली के बाजारों को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया, परन्तु उससे देश की औद्योगिक स्थिति को आगे बढ़ाने में हमें कोई सहायता नहीं मिलती है।

भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बुनना था जिसके अन्तर्गत सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े आते हैं। मुख्यतः देशी रई का ही उपयोग किया जाता था और साधारण किस्म की ऊन यहाँ पर ही तैयार की जाती थी, परन्तु अच्छे किस्म की ऊन व लोमचर्म बाहर से आयात की जाती थी जिसका उपयोग अधिकतर अभिन्न वर्ग ही करता था। रेशम बंगाल में तैयार की जाती थी। कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित कशीदाकारी, सोने का जालीदार काम व रगई आदि देश में ही हो जाती थी। देश की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। बंगाल और गुजरात सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए अधिक महत्वपूर्ण केन्द्र थे। रेशमी कपड़ों का प्रयोग मुख्यतः अभिन्न वर्ग तक ही सीमित था और केवल उत्सवों को छोड़ कर निम्न वर्गों के लिए रेशमी वस्त्र पहनना सम्भव नहीं था।

अमीर वर्ग अधिकतर मलमल, या कमलाब, छालरी (लिनन) तथा अनेकों प्रकार के लोमचर्म का प्रयोग करते थे। इन कीमती वस्त्रों को बनाने में भारतीय कारीगरों की माहिती थी। अमीर खुसरों के बयान से यह स्पष्ट आभास होता है कि इस प्रकार के कपड़ों को बनाने में यहाँ के कारीगरों ने अत्यधिक पटुता व चतुराई प्राप्त कर ली थी। दक्षिण में देवगिरि व महादेव नगरी इसके प्रमुख केन्द्र थे, जहाँ का वातावरण कपड़ा अत्यधिक सुन्दर व उत्तम था। देहली भी अपने कपड़े और मन्दी के लिए प्रसिद्ध था। मलमल के एक अच्छे किस्म के धान की कीमत लगभग 100 टक थी। बड़े बड़े कस्बों और देहली में अच्छी किस्म की मखमल, जरी और रेशमी कपड़े के भण्डार थे।

सूती कपड़ों के निर्यात में बंगाल व गुजरात अग्रगण्य थे। इन प्रदेशों की जलवायु, समुद्र के निकट इनकी स्थिति तथा विदेशों से इनके व्यापारिक सम्बन्ध होने के कारण यहाँ पर सूती उद्योग का अधिक विकास हो गया था।

अमीर खुसरों बंगाल में निर्मित सूती कपड़ों की अत्यधिक प्रशंसा करता है। बंगाल के गवर्नर बुगरा खान द्वारा अपने पुत्र मुईजुद्दीन कंकूबाद के लिए कपड़े के धान इस प्रशंसा के प्रमाण हैं। खुसरों के अनुसार कपड़े का पोत अथवा बनावट

इतनी अच्छी होती थी कि पहनने पर भी समस्त शरीर उसमें से स्पष्ट दिखाई देना था। एक पूरे कपड़े को केवल नाखून के नीचे घड़ी बनाकर रक्ता जा सकता था। बारबोता के वस्त्रों में भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। बारबोता लिम्बता है कि देश में प्रान्तरिक खपन के लिए सूती और रेशमी साड़ियां बहुतायत में तैयार की जाती थीं। विदेशों में बंगाल के बन हुए सिरबन्द नामक कपड़े की अत्यधिक प्रतिष्ठा थी और अरबों निवासी इसका साफे के रूप में प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से गुजरात रेशमी वस्त्र बनाने का प्रसिद्ध केन्द्र था। खम्बात के रेशमी वस्त्रों पर अलाउद्दीन खलजी ने नियन्त्रण कर रक्खा था जिससे कि इसका उपयोग अमीर वर्ग कर सके। खम्बात छोटे हुए कपड़े, मलमल व अनेक प्रकार के रेशमी वस्त्रों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। कपड़े के अलावा दरिया, कालीन, तक्रिये-गिनाफ, नमाज पढ़ने के कपड़े आदि भी बनाये जाते थे।

सल्तनतकाल की तरह मुगल काल में भी कपड़े का उद्योग प्रमुख था जिसमें सूती कपड़ा-उद्योग उत्तम था। य पुटोर उद्योग के रूप में देश के समस्त भागों में व्यापक था। ढाका की मलमल अपनी बुनाई और उत्तमता के लिए सर्व प्रसिद्ध थी और इस प्रतिस्पर्धा के कारण मानचेस्टर के व्यापारी इसकी भर्त्सना करते थे। एक 20 गज लम्बे और 1 गज चौड़ा मलमल के कपड़े को बनाने के लिए लगभग छ महीने लगते थे और यह इतना बारीक होता था कि एक अंगुठी में से निकाला जा सकता था। यद्यपि 1888 ई० तक भी ढाका में मलमल बनाई जाती रही थी परन्तु यह उद्योग धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होता जा रहा था और इसकी उत्तमता भी संदेहास्पद थी। ऐसे उद्योग केवल राजकीय संरक्षण में ही पनप सकते थे, क्योंकि इनके खरीददार बहुत ही कम थे।

सूती वस्त्रों का उपयोग अत्यधिक था और ढाका की मलमल के साथ ही बान्डीकर का सादा कपड़ा भी (केलीको) अधिक प्रसिद्ध था। आईन-ए-प्रकवरी में खानदेश का सीरोसल और गुजरात का चिराट व पोटा नामक कपड़े अपनी उत्तमता के लिए मान्य थे। इनके अतिरिक्त दक्षिण का छता, साहीर और सखनऊ का चिकन का कपड़ा और गुजरात का बिमत्वाव, दुपट्टा, कुर्ता, कशीदे वाले कपड़े, पगड़ी और सरपेच भी प्रसिद्ध थे। औरंगजेब के समय में भड़ोच में बने हुए वस्त्रों की पूरे भारत में मांग थी। उड़ीसा और बुरुहानपुर में भी सूती कपड़े का उद्योग था। बुरुहानपुर का बना हुआ कपड़ा फारम, तुर्की, पोर्नैण्ड आदि देशों को निर्यात किया जाता था जहाँ इसे पुरखे, दुपट्टे और रुमाल आदि बनाने के काम में लिया जाता था। एक विशेष प्रकार की छालटी (लिनन) बनाई जाती थी जिसमें धातु की बुनाई के साथ ही एक दो पाये चाँदी या सोने के तार के डाले जाते थे। ये तुर्की में अमीरों की स्त्रियों द्वारा धरखे के काम में लिया जाता था।

सिरोज में बने हुए कपड़े की भी अत्यधिक प्रशंसा करता है। यह इतना बारीक होता था कि पहनने वाला नमन-समान ही लगता था। गमियों में हरम की स्त्रियाँ इसी की पोशाक बनाती थीं और शासक ऐसे वस्त्रों में उन्हें नाचते देखना पसन्द करते थे।<sup>1</sup> इनको निर्यात करने पर प्रतिबन्ध था और प्रान्तीय अधिकारी इनको शाही उपभोग के लिए सुरक्षित रखते थे। इस कपड़े के अतिरिक्त गलीचे, चादरें, दरी आदि भी बनाई जाती थीं।

सूती वस्त्रों का निर्यात काफी मात्रा में था। बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती प्रदेशों से दक्षिणी एशिया तथा जापान को कपड़ा भेजा जाता था। 17वीं शताब्दी के अन्त में इंग्लैण्ड में भी कपड़ा भेजा जाने लगा था। सूती कपड़ों पर सोने और चांदी के काम के लिए बनारस और अहमदाबाद प्रसिद्ध केन्द्र थे और यहाँ से सत्सारा के प्रत्येक भाग में इन कपड़ों का निर्यात किया जाता था।<sup>2</sup> 16वीं शताब्दी में बीदार इसके लिए प्रसिद्ध था। आगरा में भी शाही सरक्षण में इस उद्योग का विकास हुआ। ढाका और कासिमबाजार के अतिरिक्त मालवा में सिरोज, गुजरात में भडोच, बडोदा व नवसारी इसके प्रमुख केन्द्र थे। मछलीपट्टम अपनी छोट के लिए मान्य था और इस पर बनाये गये फूल आदि बिल्कुल प्राकृतिक लगते थे। गुजरात के बाद छोट के कपड़े में मालवा धाना था। क्योंकि इसकी मांग अत्यधिक थी इसलिए बहुत कम मात्रा में इसका निर्यात किया जाना था।

सूती उद्योग के साथ ही रेशमी वस्त्रों का उद्योग भी उन्नत था। मुर्शिदाबाद, बालदाह और बंगाल के दूसरे कस्बे रेशमी वस्त्रों के केन्द्र थे। जरी अथवा कमलाव से फूलोदार कपड़ा बनाने का काम बनारस और अहमदाबाद में अधिक होता था। रंगी की दोहरी बुनाई के लिए पूना प्रसिद्ध था। गुजरात में बने हुए कमलाव और रेशमी वस्त्र, उड़ीसा के रेशमी कपड़े, लाहौर का रेशमी घागा अधिक प्रिय थे। इलाहाबाद और दक्षिण में भी ऊँची किस्म का रेशमी कपड़ा बनाया जाता था।

सर यदुनाथ सरकार के अनुसार रेशमी कपड़ों के उद्योग पर बंगाल का एकाधिकार था। यद्यपि कपड़ा अधिकतर स्थानीय जुनाहो के द्वारा ही बुना जाता था, परन्तु काफी अधिक माल गुजरात में भी बुनने के लिए भेज दिया जाता था। सूरत में रेशम, सोने तथा चांदी के धागों के गलीचे बनाये जाते थे। अहमदाबाद में सब तरह के रेशम की सामग्री तैयार की जाती थी और बनारस आज की तरह ही

1. मुक्र्जी, टी. एम — ऐ हेण्डबुक ऑफ इन्डियन प्रोडक्ट्स, पृ. 1883.

2. ट्रेवनियर—ट्रेवल्स, भाग एक, पृष्ठ 20.

रेशमी कपड़े व रेशमी कशीदे के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि अक्बर के काल तक रेशम का उद्योग यहाँ क विशिष्ट उद्योगों की गिनती में नहीं था परन्तु उसके बाद क्योंकि रेशमी वस्त्रों की मांग अधिक बढ़ गई इसलिए यह एक प्रमुख उद्योग हो गया। वर्मा के बौद्ध लोग रेशमी वस्त्र पहनने के अधिक शौकीन थे इसलिए आरम्भ में यह कपड़ा वहाँ निर्माण कर दिया जाता था। 17वीं शताब्दी के अन्त तक रेशमी कपड़ा यूरोप भी भेजा जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इंग्लैण्ड से विशेषज्ञों को लाकर बंगाल के रेशमी कपड़े को रंग में विशेष सुधार किया।<sup>1</sup>

सामान्यतः मुगलों के समय में ऊन उद्योग महत्वपूर्ण नहीं था। केवल कुटीर उद्योग के रूप में ही इसका प्रचलन था। ऊन उद्योग के मुख्य केन्द्र कश्मीर, काबुल, आगरा, लाहौर, पटना और राजपूताना थे। अक्बर ने शाल बनाने के उद्योग में विशेष रुचि दिखाई और कश्मीर की गर्म शालें उत्तरी भारत में अधिक प्रचलित हुईं। कश्मीर में पट्टू और पशमीना के अतिरिक्त अच्छी किस्म की शालें तैयार की जाती थी। अबुल फजल के अनुसार क्योंकि सबसे सस्ता कम्बल 10 दाम में मिल जाता था इसलिए सर्व माघारण में इसका प्रयोग प्रचलित था। अमोर वर्ग के लोग विदेशी शालों और कम्बलों को काम में लेते थे।

कपड़े के उद्योग के साथ ही रंगसाजी का उद्योग भी अत्यधिक विकसित था। देश में नील वस्तुपात में मिलता था और स्त्री तथा पुरुष दोनों ही चमकदार कपड़ों के पहनने के शौकीन थे। साड़ियों पर अनेक प्रकार के दोहरे छाये जाते थे और बघेन का भी काम होता था। रजाई तथा गद्दों के कपड़ों पर सुन्दर और आकर्षक छपाई की जाती थी। मुगल काल में वर्मा आदि प्रदेशों में छपे कपड़े की मांग अधिक थी।

कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा प्रमुख उद्योग धातुओं से बनाई हुई वस्तुओं का था। भारतीय इतिहास में धातुओं से बनाई जाने वाली चीजें बनाई जाती रही हैं। लोहा, सीसा, पारा यहाँ पर काफी मात्रा में मिलता था। अबुल फजल यह स्वीकार करता है कि भारतीय धारीगर तांबा, सोना, जस्ता, पीतल, पारे आदि धातुओं का उपयोग कर लेते हैं। भारत में बनी हुई तलवारें तथा खन्जर आरम्भ से ही प्रसिद्ध थे और पारस तथा अरब के प्रदेशों में इनकी मांग थी। दिल्ली सुल्तानों के समय में इस उद्योग को उचित प्रोत्साहन दिया गया। इस्पात की तोपें, चाकू, कैंची आदि बनाई जानी थीं। सोने से अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती थीं। गुजरात में बिरोपवर सोने का काम काफी सुन्दर किया जाता था और सम्भवतः भारतीय



कारीगरी की कला से प्रसन्न होकर ही तैमूर अपने साथ इनमें से अनेक कारीगरो को ले गया था जिससे कि वो अपनी राजधानी, समरकन्द, को सुन्दर बना सके।

घातु-उद्योग में अक्रबर के समय में अधिक उत्पत्ति हुई। अद्युल फजल मुनारी के वर्ग की अत्यधिक प्रशंसा करता है। इन सुनारो को मजदूरी के रूप में कभी-कभी घातु के मूल्य से दस गुना धन दिया जाता था जो उनकी निपुणता का प्रमाण है। वे दस-दस मन के क्षीपवृक्ष बनाते थे जो अपनी साज सज्जा और विभिन्न प्रकार की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे।

नावे और पीतल के लिए बनारस अधिक प्रसिद्ध था। बनारस के अतिरिक्त मथुरा, नासिक, पूना लाहौर, आगरा, देहली, ढाका आदि भी इसके प्रमुख केन्द्र थे। दैनिक काम में आने वाले वर्तन अधिकतर प्रत्येक गांव में ही तैयार कर लिये जाते थे। अच्छी किस्म के वर्तन नदियो पर स्थित तीर्थ स्थानो में तैयार किये जाते थे जिससे कि तीर्थयात्री पवित्र जल को अपने साथ ले जा सकें। पूजा में काम आने वाले दूसरे वर्तन भी इन्ही स्थानो पर तैयार किये जाते थे। दमिष्की व मीना का काम भी उच्च कोटि का था और ढाल आदि हथियारो को सजाने के लिए दमिष्की का काम किया जाता था। सियालकोट लाहौर, बच्छ तथा सिन्ध इसके केन्द्र थे। राजपूताना में मीना के आभूषण तथा हर प्रकार की कलात्मक चीजें बनायी जाती थी। पत्थर की घड़ाई का काम भी राजपूताने में सुन्दर ढंग का किया जाता था।

सम्पूर्ण मध्य युग में लकड़ी-उद्योग लोकप्रिय नहीं था। साधारण वर्ग में फर्नीचर का प्रयोग अत्यधिक सीमित था और केवल बन्दरगाहो में विदेशी लोगो के अतिरिक्त कुर्मी और मेज का प्रयोग प्रचलित नहीं था। लकड़ी के सामान में अधिकतर कलमदान स्टूल, शतरज के बोर्ड, तथा सजावट के लिए छोटे छोटे सुन्दर मट्टक बनाये जाते थे जिनमें अधिकतर शीशम, बबूल, आम आदि की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। दुःप्राय चीजें चन्दन की लकड़ी से बनाई जाती थी। भारतवासियो की तुलना में पश्चिमी किनारे पर बसने वाले मुस्लिम व्यापारियो के यहाँ लकड़ी का फर्नीचर सुन्दर मिलता था। साधारण वर्ग में बहुत कम फर्नीचर पाया जाता था, यहाँ तक कि अमीरो के जनानखाने को छोड़कर दूसरे स्थानो पर फर्नीचर बहुत कम होता था। लकड़ी के माल की ख़ास माँग न होने के कारण अधिक सीमित था, पर तु कच्ची लकड़ी की कोई कमी नहीं थी।

गुजरात कलमदान बनाने तथा उन पर नक्काशी करने के लिए प्रसिद्ध था। तैमूर चन्दन की लकड़ी के लिए भाग्य था। अधिकतर इस प्रकार के उद्योग उन्ही जगह पर स्थित थे, जहाँ पर आसानी से कच्चा माल मिल पाये।

ऊँच किस्म की लकड़ी नाव तथा जहाज बनाने के काम में आती थी। बगाल, आगरा, इलाहबाद, लाहौर आदि में इस प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती थी। अद्युल

मध्यमाल में उद्योग और उरुकी व्यवस्था

फ़जल के अनुसार नावें युद्ध का सामान ढोने तथा शीघ्र यात्रा के उद्देश्य से बनाई जाती थी। युद्ध से सम्बन्धित नावों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता था कि जब उन्हें दुर्ग के किनारे पर लगाया जावे तो वे दुर्ग पर अधिकार करने में सहायता दें। व्यापारिक जहाज भी बनाये जाते थे जो कि लगभग 1000 टन सामान भरने की क्षमता रखते थे।

अधिकतर नाव और जहाज बनाने का उद्योग उन स्थानों पर केन्द्रित था जहाँ ऊँचे किस्म की लकड़ी मिलती थी। व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकतर जहाज पश्चिमी तट पर ही बना लिये जाते थे और इन्हीं के द्वारा भारतीय व्यापार चलता था। छोटी नावों का भी निर्माण यही होता था जिनसे बंगाल से लेकर सिन्ध तक व्यापार किया जाता था। बंगाल के प्रतिरिक्त लाहौर तथा सूत में भी नावें बनाई जाती थीं। केवल बंगाल में ही जहाजरानी के लिए 4200 बड़ी नावें तथा 4400 छोटी नावें थीं।

चमड़े के उद्योग का समकालीन लेखकों ने कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है, परन्तु क्योंकि खालें न तो निर्यात की जाती थी और न ही तैयार माल आयात किया जाता था इससे सहज ही परिणाम निकाला जा सकता है कि देश में चमड़े की कोई शमी नहीं थी। मम्भवत जूते, जीन, चडस आदि वस्तुएँ आवश्यकता के आधार पर स्थानीय कारीगरों के द्वारा तैयार की जाती थीं परन्तु इसके बाद भी इतना निश्चित है कि देश में किसी भी प्रकार से व्यापक रूप में यह उद्योग नहीं था।

भवन आदि बनाने का उद्योग अधिक विकसित था तथा इसमें लगे हुए कारीगरों (राज) की संख्या काफी थी। भारतीय कारीगरों की निपुणता यहाँ और बाबुल, मन्नी तथा समरकन्द में बने हुए भवनों से प्रमाणित होती है। अमीर खुसरो कहता है, 'कि दिल्ली के कारीगर और सग-तराश समस्त मुस्लिम जगत के कारीगरों से श्रेष्ठ थे।<sup>1</sup> इसका एक कारण राज्य द्वारा प्रदत्त आश्रय था तथा स्वयं सुल्तानों की भवन निर्माण में रुचि थी। अलाउद्दीन खलजी ने राजकीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 70,000 लोगों को नियुक्त कर रखा था। फीरोज़ तुगलक के समय में भी यद्यपि कारीगरों की संख्या काफी थी, परन्तु फिर भी उसने 4000 दासों को इस उद्योग को सीखने का आदेश दिया था। सुल्तानों की तरह हिंदू शासक भी कारीगरों को संरक्षण देते थे। खालियर और चित्तौड़ के भवन तथा आगू स्थित देववाड़ा के मन्दिर इस बात के प्रमाण हैं कि इस उद्योग का कितना अधिक महत्व

1. घशरफ, के एम—साइफ एन्ड कन्डीशन्स आफ द प्युपल आफ हिन्दु-स्तान, पृ 132.

था। व्यक्तिगत रूप में भी बनाई गई सरायें, धर्मशालायें तथा अनेकों मजार इस उद्योग के विकसित होने के प्रथम विकास को बताते हैं।

समस्त मध्ययुग में ईंट, पत्थर तथा तबड़ी का ब्रह्म प्रयोग किया जाता था।<sup>1</sup> साधारण वर्ग के लोगों के मकान मिट्टी, सरकण्डो के बने होते थे जिन पर छप्पर अथवा खपटा पड़ा रहता था। अमीर वर्ग महलो में रहता था। आगरा, देहली और प्रान्तीय राजधानियों में सरकार कारीगरों को बड़ी सख्या में रखती थी और वे राज्य के भवन आदि बनाने में व्यस्त रहते थे।

बाबर यद्यपि भारतीय कारीगरों की दक्षता से प्रभावित था, परन्तु वह उनके अनियमित कार्य का बटु आलोचक था। इसके बाद भी उसने आगरा, सीवरी, बयाना, धोलपुर और ग्वालियर में 680 सग-तराशों को सरकारी भवनों के लिए नियुक्त कर रक्खा था। इसके अतिरिक्त लगभग 1491 व्यक्ति भ्रम्य जगहों पर लगा रखे थे।<sup>2</sup> हुमायूँ को भवनों के निर्माण की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला।

भवन उद्योग की ओर अकबर ने समुचित ध्यान दिया। कारीगरों को विदेशों से बुलाने में भी उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 1564 ई० में बनाया गया जीवपुर के निकट गोमती नदी पर पुल विदेशी कारीगरों के द्वारा ही बनाया गया था। कासिम खाँ के नेतृत्व में आगरा और लाहौर के दुर्गों का निर्माण इस क्षेत्र में एक प्रशसाजनक प्रमाण है।<sup>3</sup> अकबर के समय के भवन-उद्योग की सबसे बड़ी सफलता उसकी नई राजधानी फतहपुर सीवरी है जिसमें अनेको सुन्दर भवन बनाये गये थे। जहांगीर के समय में नरजहा द्वारा बनाया गया एतमाउद्दौला का मकबरा है। इस काल में उसने सैकड़ों कारीगरों को नियुक्त किया था। शाहजहाँ ने दिल्ली के दुर्ग, ताजमहल आदि पर लगभग ढाई करोड़ रुपये खर्च किया था। अकेले ताजमहल पर लगभग 50 लाख रुपये की लागत आयी थी। इसी प्रकार प्रान्तीय राज्यों में महाराणा राजसिंह ने राजसमन्द का निर्माण करवाया जिस पर लगभग 39 लाख रुपये खर्च आया था। औरंगजेब के सत्ताखंड होने पर भवन-उद्योग का प्रायः पतन हो गया।<sup>4</sup>

इन उद्योगों के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे उद्योग भी थे जैसे कागज-उद्योग चमटा-उद्योग, कलारमक वस्तुओं का उद्योग आदि।

- 1 मोरलैण्ड—इन्डिया ऐट द डेथ ऑफ़ अकबर, पृ 165.
- 2 इलियट एन्ड ड्राउसन भाग पाच, पृ 126.
- 3 अबुल फजल—अकबर नामा भाग दो, पृ. 246-47.
4. केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इन्डिया भाग, 2 पृ 566.

ऐसा अधिकतर स्वीकार किया जाता है कि चीनी लोग कागज के जन्मदाता थे और मुसलमानों ने उन्हीं से यह सीखा था। यद्यपि यह ठीक है कि चीनी शहनूत के पेड़ से कागज बनाने की विधि जानते थे, परन्तु फटे हुए कपड़े अथवा चियड़े से कागज तैयार करने का श्रेय समरकन्द के कागज निर्माताओं को जाता है। निचोली कोष्ठी के विवरण से गुजरात में कागज के उपयोग का आभास होता है और सम्भवतः यह कागज उन्नत पद्धति के द्वारा बनाया हुआ था। अभीर खुसरो दिल्ली में शामी कागज के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी देता है जो दो प्रकार का होता था—सादा और सिल्वरुमा। इस काल के हस्तलिखित ग्रन्थ तथा दूसरे सरकारी और गैर-सरकारी पत्र आदि जो प्राप्त हुए हैं उनसे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सल्तनत काल में कागज उद्योग विद्यमान था। इसी प्रकार अभीर खुसरो के विवरण से यह भी अनुभव होता है कि दिल्ली में कित्ताव विप्रेताओं का एक नियमित धाजार था। इन सब तथ्यों के बाद भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कागज के उपयोग में सर्व साधारण को अधिकतम तमी अनुभव करनी पड़ती थी।<sup>1</sup>

मुगल काल में भी कागज की कमी थी। मोघा में रहने वाले पुर्तगाली, यूरोप, चीन आदि से कागज का आयात करते थे।<sup>2</sup> भारत में पटना, देहली, अवध व सिवालकाट में कागज बनाया जाता था। इनमें तीन किस्म के कागज—मानसिधी, खरपुरी, व जहांगीरी अधिक प्रसिद्ध थे। कागज की सुन्दर किस्म कश्मीर से प्राप्त की जाती थीं जहाँ पर राजा व सरदारों के अन्तर्गत इस उद्योग का विकास हो रहा था। सामान्यतः प्राचीन राजधानियों में कागज बनाने का वर्ग मुख्यतः एक ही स्थान पर रहता था जिस कागजीपुर कह कर पुकारा जाता था।<sup>3</sup>

मुगल शासक, सल्तनत काल की अपेक्षा अधिक पत्र-व्यवहार करते थे और साथ ही इस समय के प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या भी अधिक है इसलिए सामान्यतः यह अनुमान लगाया जाता है कि सल्तनत काल की अपेक्षा मुगल काल में कागज अधिक था।

चीनी-उद्योग भी देश में मौजूद था। चीनी अधिकतर गन्ने से ही बनाई जाती थी। राजा काल चीनी उद्योग का केन्द्र था जहाँ स्थानीय और आन्तरिक माँगों की पूर्ति के बाद भी चीनी का निर्यात किया जाता था। साधारण चीनी के अतिरिक्त बंगाल में ही दानेदार चानी भी बनाई जाती थी जिससे अनेक प्रकार की मिश्री व पगी हुई वस्तुएँ तैयार की जाती थीं। तत्कालीन साहित्य तथा इतिहास में अनेकों मिठाइयों का वर्णन मिलता है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि चीनी उद्योग समस्त देश में फैला था।

1 अशरफ, के एम—वही, पृ 134

2 मोरलैण्ड—इण्डिया ऐट द डेय ऑफ़ अकबर, पृ 164

3 सरकार के एन—स्टडीज इन औरिजिनेटिव् पृष्ठ 232

## मध्यकालीन कर-सिद्धान्त तथा अबवाब

ठोस वित्त व्यवस्था की आवश्यकता प्रति प्राचीन काल से ही अनुभव की जाती रही है क्योंकि उसकी दुर्बलवस्था में राज्य का दिवालिया होना सुनिश्चित है। दिल्ली के सुल्तानों ने वित्तीय प्रशासन शरा और अन्वामिद खलीफाओं की परम्पराओं पर नियोजित किया और जिस समय तक उन्होंने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की तब तक इसके सिद्धान्तों की जानकारी पूर्णतया स्पष्ट थी।

मुस्लिम विधि वेत्ताओं (जूरिस्ट) के अनुसार मुस्लिम राज्य की आय के दो साधन थे—धार्मिक तथा सांसारिक अर्थात् धर्म निरपेक्ष।<sup>1</sup> प्रथम श्रेणी के कर केवल मुस्लिम वर्ग से ही वसूल किये जाते थे जिनको कि सामूहिक रूप से जकात कहते थे। जकात का अर्थ है शुद्धिकरण और कुरान में स्पष्ट निर्देश है कि ईमाम को यह कर लागू करना चाहिये क्योंकि इस्लाम समर्थकों के लिये यह पवित्र देय कर है। इस कर को लागू करने के पीछे स्पष्ट उद्देश्य था कि धनी मुसलमानों की आय से निर्धन मुसलमानों की सहायता की जा सके। जकात का प्रयोग मुख्यतः तीन विभिन्न अर्थों में किया गया है (1) सम्पत्ति कर (2) भूमि कर (3) आयत—निर्यात कर अर्थात् व्यापारिक वस्तुओं पर चु भो। इसलिये ये सोना, चाँदी, पशु, व्यापारिक वस्तुओं पर ही लगाया जाता था जबकि बर-दाता ने इनका कम से कम एक वर्ष तक उपभोग कर लिया हो तथा वे एक निश्चित सीमा से अधिक हो, जिसे 'निसाब' कहते थे। मकान, सवारी या कृषि के काम में लिये जाने वाले पशुओं, पठन-पाठन में उपयोग की जाने वाली पुस्तकों, परिवार के लिए भरण-पोषण के लिए अन्न, सेवा-कार्य के लिये रखे गये दान, सड़ बट में उपयुक्त सामान्य वस्तुएँ जकात में नहीं आती थी। कुछ लोग इस दर से अपने आप को बचाने के लिये साल के अन्त होन के पूर्व ही अपनी समस्त सम्पत्ति अपनी पत्नी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम कर

1 कुरशी, आई० एब०—द एडमिनिस्ट्रेशन आफ द सलतनत आफ देहली, पृ. 95-96

देने थे और अगले वर्ष के आरम्भ में पुनः धरने नाम में वापस ले लिया करते थे। परन्तु यह कार्य निन्दनीय था क्योंकि जकात देने का पुण्य केवल उन्हीं को मिलता था जो इसका महत्व समझने थे।

यह सम्पत्ति का 1/40 भाग के रूप में लिया जाता था और इस्लामी विधि वेत्ताओं के अनुसार यह मुस्लिम फकीरों, ऐसे भ्रमलमान जिनके पास सम्पत्ति न हो, जकात एकत्रित करने वाले कर्मचारी, कर्जदार, जिहाद (धर्मयुद्ध) में भाग लेने वाले व्यक्तियों व यात्रियों पर खर्च किया जाता था।

आयात-निर्यात कर के विषय में यह नियम था कि सभी वस्तुओं के मूल्य का 2 प्रतिशत कर लिया जावे। परन्तु गैर-मुसलमानों के लिए यह कर दुगुना था, तथा घोड़ों के आयात पर यह 5 प्रतिशत था। इन्हें बसूता के अनुसार मुल्तान आयात का 1/4 भाग कर के रूप में वसूल करते थे परन्तु मुहम्मद तुगलक ने पुनः इसको घटाकर कानूनी अनुपात में निश्चित किया। सम्भवतः राज्य की आर्थिक स्थिति सराव होने का कारण ही कर में बढ़ोतरी की गई हो परन्तु जब यह पाया गया कि राज्य की आय कर के बढ़ाने से और अधिक कम हो गई है तो इसे पुनः कानूनी अनुपात में निश्चित कर दिया गया। शिवन्दर लोरी के समय में अनाज की कमी के कारण अनाज पर लगाये जाने वाले जकात कर को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद किसी भी मुल्तान ने इसे पुनः लागू नहीं किया।

भूमि-कर के सम्बन्ध में यह नियम था कि जिस भूमि से सभी खराज वसूल न किया गया हो और यदि वह मुस्लिम किसानों के अधिभार में हो तो उससे प्राकृतिक साधनों से सिंचाई करने पर उपज का 1/10 भाग और बुएँ आदि में सिंचाई करने पर उपज का 1/20 भाग कर के रूप में लिया जावे, और इस कर से प्राप्त धन को केवल धार्मिक कार्यों में ही खर्च किया जावे। इसलिए प्रायः यह धन एक पृथक् कोष में जमा किया जाता था और प्रधान सद्म इसके व्यय को नियमित करता था। फीरोज तुगलक के समय में इस प्रकार का एक अलग कोष था।<sup>1</sup>

मुगल शासक जकात आयात निर्यात कर के रूप में ही वसूल करते थे। अकबर ने 1563 में अनेक करों की लेना बन्द कर दिया था और उनमें से एक जकात भी था। उसने दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों जैसे कपड़, बतन आदि पर यह कर हटा दिया था।<sup>2</sup> जहांगीर के राज्यकाल में जकात के रूप में जो आयात निर्यात कर लिया जाता था वह भी बन्द कर दिया गया।<sup>3</sup> राजाज्ञा होने के बाद भी गैर कानूनी

1. कुरेशी आई० एच०—वही, पृ 96-99.

2. कुरेशी, आई० एच०—द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल इम्पायर, पृ 146.

3. तुजके जहांगीरी, (अनुवादिक राजसं) भाग 1, पृ 7.

रूप में यह कर वसूल किया जाता रहा। इसलिये घोरगजेब ने 1665 में मुसलमानों से जकात कर न लेने की आज्ञा निकाली। घोरगजेब को यह जानकारी मिली कि इसका दुरुूपयोग किया जा रहा है और हिन्दू व्यापारी मुसलमानों के नाम से घायात-निर्मित कर रहे हैं। इसलिये उसने पुनः यह आदेश दिया कि कुरान व अनुमार न्यूनाम छूट देकर प्राचीन माल पर जकात वसूल किया जावे। बदायित्त प्राधिकारियों के कारण उसने अपने शासन के पच्चीसवें वर्ष में इस कर को पुनः मुसलमानों से वसूल करना शुरू किया।<sup>1</sup>

घन निरपेक्ष अथवा सांसारिक धर्मों में सम्मत्, जजिया व खिराज थे। युद्ध में लूट के मातृ को 'गनीमह' कहते थे और इस्लामी धर्म (शरी) के अनुसार लूट का 1/5 भाग राज्य को तथा शेष 4/5 भाग, सैनिकों को बांटने की आज्ञा थी। सुल्तान अथवा सेनापति के लिए यह न्यायोचित था कि बटवारे में पहले ही लूट में से कोई एक वस्तु जैसे घोड़ा, तलवार या अन्य कोई चीज अपने लिए चुन लें और शेष का इस्लामी अनुपात के अनुसार बांटवारा कर दें। लूट का वह भाग जो राज्य कोष में जमा किया जाता था सम्मत् कहलाता था। अताउद्दीन ने इस नियम को उलट दिया था। सैनिकों को 4/5 भाग बांटने के बजाय केवल 1/5 भाग ही बांटता था और शेष 4/5 भाग राज्यकोष में जमा कर लेता था। यह नियम फीरोज शाह तुगलक के पूर्व तक चलता रहा। क्योंकि उल्लेख्य वर्ग इसे इस्लाम विरोधी मानता था इसलिये फीरोज ने पुनः पुराने नियम को लागू किया और 4/5 भाग सैनिकों को बांटवाना शुरू किया। बांटते समय घुट्टेदार को पैदल सैनिक की तुलना में दो अथवा तीन गुना दिया जाता था।

मुगल शासकों ने इस व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया। मुगल सैनिक क्योंकि वेतन भोगी कर्मचारी थे इसलिये उन्हें युद्ध में प्राप्त लूट का हिस्सा देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार मुगल काल में इस्लामी कानून के विरोध में सम्पूर्ण लूट की सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार हो गया।

जजिया का कुरेसी के अनुसार उन लोगों से वसूल किया जाता था जो विधर्मी होने के नाते इस्लामी राज्य की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी न थे। धर्मों का विचार था कि जिम्मी (ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने पर जजिया कर देकर अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त कर लिया हो) को इस्लामी सनातन में स्थान नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस्लाम को उन्नत में उनसे सहयोग करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती थी अतएव ऐसी सैनिक सेवा के बदले उन्हें धन देना चाहिये और यही जजिया कहलान लगा। प्रत्येक मुसलमान को राज्य की सैनिक सेवा करना अनिवार्य था और सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि होने के नाते यह सेवा प्राप्त करने

का अधिकार भी था परन्तु क्योंकि जिम्मियों से यह भाषा नहीं की जाती थी इसलिए वे सैनिक सेवा के बदले धन देते थे। इसलिये डा कुरेशी<sup>1</sup> के अनुसार कुछ विद्वानों का यह मत है मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों द्वारा रहने के अधिकार प्राप्त करने के बदले में जजिया कर वसूल किया जाता था गलत है क्योंकि अगर ऐसा होता तो औरतो और बच्चों से भी यह कर वसूल किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा प्रचलित नहीं था। डा कुरेशी ने इसको इस आधार पर भी उचित ठहराया है कि रोम में भी गैर रोमनों से इसी प्रकार का कर वसूल किया जाता था। शीघ्र ही यह कर प्रति व्यक्ति के रूप में उभर आया।

जजिया दिनना और विससे वसूल किया जावे इसका वृहद विवेचन मिलता है। मुहम्मद बिन कासिम ने सिन्ध-विजय के बाद पहली बार मुस्लिम जगत की सर्व-मान्य प्रचलित दरो व आधार पर जजिया वसूल करना शुरू किया। दिल्ली के सुल्तानों ने उन्नीस आधार को अपने समय में प्रचलित सिक्कों के मूल्य में बदल लिया जिसके अनुसार निर्धन लोगों से 10 टका, मध्यमवर्गीयों से 20 टका तथा धनी लोगों से 40 टका प्रति वर्ष प्रति पुष्प के हिमाब से लिया जाता था। यह जानकारी प्राप्त होना सम्भव नहीं हो पाई है कि किस आधार पर निम्न, मध्यम व उच्च श्रेणी का वर्गीकरण किया गया था।

भारत में यह कर पागल, अल्पवयस्क, बूढ़े तथा स्त्रियों से नहीं लिया जाता था। भिक्षारी और साधु मग्यामी भी इससे मुक्त थे। ब्राह्मणों को सम्भवतः पुरोहित वर्ग के अन्तर्गत समझ कर इस कर से मुक्त कर दिया गया था परन्तु धनी महतों को ये कर दना पड़ता था। फीरोज तुगलक के समय में ब्राह्मणों से भी यह कर लिया जाने लगा था जिससे राज्य में बड़ी अल्पवस्था उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने धनशन किया तब दिल्ली-निवासी धनी हिन्दुओं ने उनकी ओर से कर चुकाने का वचन देकर उनके प्राण बचाये। इस घटना से यह सम्भावना प्रतीत होती है कि केवल दिल्ली के ब्राह्मणों में ही जजिया मांगा गया था क्योंकि सम्पूर्ण राज्य के ब्राह्मणों की ओर से दिल्ली-वासी हिन्दुओं द्वारा कर चुकाना सम्भव न होता। ऐसा भी माना जाता है कि यह कर केवल नगरों में ही वसूल किया जाता था क्योंकि वहां सुल्तानों का पूर्ण अधिकार था। देहाती लोगों से जजिया वसूल करने की स्थिति में भीषण विद्रोह की प्रबल आशंका थी। कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन खलजी ने न तो हिन्दुओं को जिम्मी स्वीकार किया और न ही उनसे जजिया वसूल किया परन्तु समकालीन इतिहास में जजिया बन्द करने का बही उल्लेख नहीं मिल पाया है। निश्चित आकड़ों

1. कुरेशी, आई एच.—द एडमिनिस्ट्रेशन आफ द सल्तनत आफ देहली, पृ० 96



के न होने पर यह ठीक-ठीक अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं है कि समुचित जजिया किन-किन क्षेत्रों से वसूल किया जाता था ।

डा कुरेशी जजिया कर को इस आधार पर उचित मानते हैं कि यह कर हिन्दू राजाओं के समय में भी किसी न किसी रूप में लगाया जाता रहा था जैसे कन्नौज के गटखर वंश ने राज्य में रहने वाले हिन्दुओं व मुसलमानों से यह कर वसूल किया था जिससे कि आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा की जा सके । कर्नल टाड के समय में कुछ राजपूत राज्यों में भी इसी प्रकार का कर वसूल किया जाता था ।<sup>1</sup> परन्तु इसके बाद भी इतना अवश्य ठीक है कि यह एक ऐसा कर था जो एक ही राज्य में रहने वाले नागरिकों में भेद-भाव पैदा करता था । यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि उस समय धर्म-निरपेक्ष राज्य का विचार भी उत्पन्न न हो पाया था, परन्तु इसके बाद भी इस प्रकार के भेद करने वाले कर किसी प्रकार से उचित नहीं थे चाहे वे राजपूतों अथवा मुस्तानों द्वारा लगाये गये हों ।

बाबर तथा हुमायूँ के समय में सल्तनतकाल से चला आ रहा जजिया उसी प्रकार वसूल किया जाता रहा । अकबर ने 1564 में यह कर समाप्त कर दिया । उसका यह तर्क था कि यदि समस्त बलिष्ठ नागरिक सैनिक सेवा के लिये बुलाये जा सकते हैं जैसा कि अक्सर जमींदार सैनिकों के साथ हुमा करता था, तो इस कर को लगाने का कोई औचित्य नहीं है । जहांगीर और शाहजहाँ के काल में भी जजिया कर लागू न किया गया, यद्यपि इस काल में कुछ रुढ़ीवादी मुसलमानों ने जजिया पुनः लागू करवाने का प्रयत्न किया था । औरंगजेब ने 1679 में जजिया पुनः लागू किया क्योंकि वह कट्टर मुसलमान था । उसको इसे लागू करने में काफी कठिनाई अनुभव हुई । इसका स्पष्ट कारण था कि हिन्दू वर्ग ने कभी भी इस कर को उचित न समझा और दूसरे मनोवैज्ञानिक आधार पर एक लुप्त कर को पुनः लागू करने का प्रयास किया जावे तो स्वामाविक रूप से उसका विरोध निश्चित था । यदि कर कभी समाप्त न किया गया होता तो वे हिन्दू लोगों के जीवन का साधारण अंग बना रहता परन्तु इसकी समाप्ति ने उस अविच्छिन्नता को समाप्त कर दिया था, इसलिये इसका तीव्र विरोध हुआ । औरंगजेब इसको सैद्धान्तिक मानता था और इससे भी बड़ा प्रश्न यह था कि वह इस्लाम की सत्ता को स्थापित करने के लिए कटिबद्ध था ।

उसने इस्लामी परम्परा के आधार पर यह कर निर्धारित किया तथा उसके लिये दिरहम नामक एक नया सिक्का चलाया । जजिया देने वालों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया ।<sup>2</sup> दस हजार से अधिक दिरहम रखने वालों को प्रथम श्रेणी में, दो

1. वही, पृ 98.

2. कुरेशी, आई. एच.—द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल इम्पायर, पृ. 143-44.

सौ से दस हजार के बीच दिरहम रखने वालों को दूसरी श्रेणी में, दो सौ दिरहम से कम रखने वालों को तीसरी श्रेणी में रखा। प्रथम, दूसरी तथा तीसरी श्रेणी वाले प्रति वर्ष क्रमशः 48, 24 व 12 दिरहम जजिये के रूप में देते थे जो मुगलकाल में 1½, 16/3 तथा 3½ रु के बराबर थे। सोलहवीं शताब्दी के अन्त में 3½ रुपये से, जो कम से कम जजिया था, 9 मन गेहूँ खरीदा जा सकता था जिससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जजिये का भार कितना अधिक था।<sup>1</sup>

यह दर सम्भवतः शहरी क्षेत्रों के लिये थी, देहातो से भूमि कर का 4 प्रतिशत जजिये के रूप में लिया जाता था। यदि सरकार का कोई ऐजेन्ट पूरे वर्ष जजिया वसूल न कर पाये तो अगले साल बकाया कर देय नहीं था।<sup>2</sup>

1713 में फर्रुखसिद्दिक ने इसे समाप्त कर दिया। चार साल बाद 1717 में इसे पुनः लागू किया गया और 1719 में इसे पुनः हटा लिया गया और अन्त में मुहम्मद शाह ने इसे 1720 में समाप्त कर दिया। 1725 के बाद इसे लागू करने का उल्लेख नहीं मिलता है।<sup>3</sup>

इन चार करो के अतिरिक्त प्रायः के अनेक स्त्रोत थे जिनमें पेशकश नजर, सम्पत्ति जम्ही, उत्तराधिकार, खान टकसाल आदि प्रमुख थे।

मध्ययुग में ऐसा माना जाता था कि सम्राट के पास खाली हाथ जाना उचित नहीं है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति अपने पद तथा स्थान के अनुरूप सम्राट को भेंट देता था जिसे 'पेशकश' कहते थे। पेशकश के अतिरिक्त 'नजर', 'नियाज' और 'निसार' भी थे जो सम्राट को राज्य के अमीरों आदि से प्राप्त होती थी। 1700 ई० के औरंगजेब के फर्मान से ऐसा आभास होता है कि नकद पेशकश को नजर, राजकुमारों से प्राप्त उपहार को नियाज तथा अमीरों से प्राप्त उपहारों को 'निसार' कहते थे।

सल्तनतकाल में हमें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस प्रकार से पेशकश प्राप्त करने के प्रमाण मिलते हैं और उसके बाद फीरोज तुगलक के अतिरिक्त सम्पूर्ण समय में ये इसी प्रकार चलते रहे। फीरोज ने आज्ञा दी थी कि अमीर आदि द्वारा पेशकश के मूल्य को उस पर रहे हुए बकाया में से काट दिया जावे।

प्रत्येक व्यक्ति सुल्तान से मिलते समय उसे भेंट देता था जैसे फकीर नमाज की खादर, अमीर घोड़े, ऊट, शस्त्र आदि। इन्हें बतूता लिखता है कि मुहम्मद तुगलक ने प्रधान मंत्री न माणिक से भरे हुए सोन और चांदी के बर्तन भेंट किये थे।<sup>4</sup>

1. हबीब, आई. के अनुसार 12 दिरहम उन समय 3 रुपये 2 आने के बराबर थे—एंग्लो-इण्डियन सिस्टम आफ द मुगल इंडिया, पृ. 120.
2. कुरेशी आई एच—द एडमिनिस्ट्रेशन आफ द मुगल इम्पायर, पृ. 145.
3. इरविन, आई—लेटर मुगल्स, भाग 1, पृ. 338.
4. इब्न बतूता—रेहला, भाग 2, पृ. 17.

मुल्तान उनको सम्मानित करने के लिये उनसे कभी कभी हाथ मिलाता अथवा बगलगीर होता था ।

मुगलों के समय में भेंट आदि देने की प्रथा अधिक प्रचलित थी । सरकारी अधिकारी विशेष अवसरों पर जैसे सम्राट तथा उसके पुत्रों की बर्षगाठ, नवरोज, राज्यारोहण का वार्षिक समारोह, ईद, राज्य के बड़े अधिकारी प्रान्तों में अपनी नियुक्ति अथवा प्रान्तों से आने के समय, पदोन्नति आदि अवसरों पर भेंट देते थे । अपने राज्यारोहण के वार्षिक उत्सव पर जहाँगीर को एक बार साठे दम लाख रुपया, पैंतालीस घाड़े तथा नौ हाथी भेंट में मिले थे । इसी प्रकार से औरंगजेब को ऐसे ही अवसर पर पचास लाख रुपये की नजर प्राप्त हुई थी । कभी कभी जब सम्राट किसी भ्रमीर के यहाँ खाने का निमन्त्रण स्वीकार करता था तो ऐसे अवसर पर उसे भ्रमीर नजर प्रस्तुत करता था । दरवार में आने वाले राजदूत भी सम्राट को भेंट देते थे । जहाँगीर के दरवार में बल्ल, ईरान आदि के दूतों द्वारा दिये गये उपहारों का उल्लेख मिलता है ।<sup>1</sup> औरंगजेब ने भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति देने के लिए दो लाख रुपये की भेंट स्वीकार की थी । ईसाई मिशनरी भी सम्राट के लिये इसी प्रकार के उपहार देते थे । गद्दी पर बैठते समय जमींदार तथा वशानुगत अधिकारी सम्राट को पेशकश देते थे । करदाता राजा भी वार्षिक पेशकश देते थे ।<sup>2</sup>

पेशकश के लिये अक्टूबर के समय से ही एक अलग खजाना स्थापित किया गया था जो सम्पूर्ण मुगल काल में इसी प्रकार रहा । इन उपहारों से राज्य की काफी आय हो जाती थी और भ्रमीर बर्नियर के कथन को स्वीकार किया जावे तो पेशकश से उमरावों का सर्वनाश ही हो गया था ।<sup>3</sup> वास्तव में ये उपहार तथा पेशकश एक प्रकार से सम्राट को दी जाने वाली धूस ही थी जिससे देने वाले सम्राट को प्रसन्न रखते थे ।

इसके अतिरिक्त सम्पत्ति जब्ती की प्रथा प्रचलित थी । इसके अन्तर्गत ऐसे लोग जो बिना वारिस अथवा वसीयत के मर जाते थे राज्य उनकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया करता था । अठ्ठासी खलीफा व सल्तनतकाल में यह प्रचलित था । सल्तनतकाल में इन स्थितियों में मुसलमानों की मृत्यु पर राज्य सम्पत्ति पर अधिकार कर लेता था परन्तु ज़िम्मी की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति उसके समाज को दे दी जाती थी ।<sup>4</sup>

1 बेनी प्रसाद—हिस्ट्री आफ जहाँगीर, पृ 293-94.

2 भली, भ्रतहर—द मुगल नोबिलिटी अन्डर औरंगजेब, पृ. 143-44.

3 बर्नियर, पृ 211-12.

4 क्रेशी आई एच —एडमिनिस्ट्रेशन आफ द सल्तनत आफ देहली प 100

मुगल काल में भी अधिकारियों और उमराओ द्वारा एकत्रित सम्पत्ति राज्य की समझी जाती थी। यद्यपि आईन-ए-अकबरी में इसका उल्लेख नहीं मिलता है परन्तु विदेशी यात्रियों के विवरण से यह स्पष्ट है। मासरेट ने अकबर के काल के सम्बन्ध में लिखा है कि अकबर को अमीरों द्वारा एकत्रित धन से काफ़ी प्राय थी। ये धन कानून और परम्परा के अधीन सम्राट का ही समझा जाता था। बर्नीयर ने भी लिखा है कि "इसका परिणाम यह होता है कि उमरा की मृत्यु पर उसके पुत्र या कम से कम पौत्र की दशा एक मित्रारी जैसी हो जाती है।"<sup>1</sup> और गजेब के 1666 के फरमान से स्पष्ट है कि उसने मृत उमराओ की सम्पत्ति पर तुरन्त राज्य का अधिकार करने के आदेश दिये थे। यदि उसका कोई वारिस न होता तो उसे बेतुलमाल में जमा कर दी जाती थी, राज्य का उधार यदि बकाया होता तो उस राशि को काटकर ही बेतुलमाल में बाकी सम्पत्ति जमा की जाती थी। वारिस होने पर उधार काट कर सम्पूर्ण सम्पत्ति को लौटा दिया जाता था। मनूची ने लिखा है कि इस नियम का अभी पालन नहीं होता था और सम्राट मृत अमीर की पूरी सम्पत्ति पर अधिकार कर लेता था। सर जेडुनाथ सरकार का मत है कि राज्य द्वारा सम्पत्ति पर अधिकार केवल अल्पकालीन ही था और हिसाब करने के बाद सम्पत्ति वारिस को लौटा दी जाती थी। डा अतहर अली की मान्यता है कि औरंगजेब मृत उमराओ की सम्पत्ति को जब्त कर लेता था और उधार काट कर बाकी धन को अपनी इच्छानुसार वाट देता था।<sup>2</sup> डा फाल्खी का मत है कि मनसबदारों के ऊपर इतना ऋण बकाया रहता था कि उनकी सम्पत्ति का मूल्य ऋण से अधिकतर कम ही होता था।

बड़े हुए धन खान और टक्काल से भी राज्य कर वसूल करता था। नौटिल्य के अनुसार समस्त गढ़ा हुमा धन राज्य का होता था। सल्तनतकाल में हिन्दू अथवा मुसलमान, दोनों को ही गढ़ा हुमा धन प्राप्त होने पर 1/5 भाग राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। यदि गढ़ा हुमा धन किसी ऐसे व्यक्ति ने ठूँड़ा है जो उस भूमि का स्वामी नहीं है तो स्वामी 4/5 भाग धन राज्य लेता था। किन्तु ऐसे प्राप्त सिक्को पर जो भारत में मुस्लिम विजय के पश्चात् चलाये गये थे उन पर कोई कर नहीं लगता था। सुल्तान सिकन्दर लोदी ने दो बार ऐसे प्राप्त सिक्को पर कर लेने से इन्कार कर दिया था।<sup>3</sup> राजसी भूमि से प्राप्त खजाना सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया जाता था।

1. बर्नीयर—वही, पृ. 211-12.

2. अली, धनहर—मुगल नोबिलिटी ग्रन्डर और गजेब, पृ. 63-64.

3. कुरेशी, आई एच.—वही, पृ. 100.

सोना चादी आदि की खानों पर राज्य का एकाधिकार था। लोहे, शीशे और पर्यरों आदि की खानों से राज्य कर लेकर व्यापारियों को इन खनिजों को निकालने की आज्ञा दे देता था। नमक निकालने पर भी राज्य का अधिकार था और इस पर कर वसूल किया जाता था।

शाही टकसाल पर राज्य का एकाधिकार था। उसे बट्टे के रूप में घन प्राप्त होता था। लोग सोना, चादी को लेकर सिक्के लेते थे अथवा पुराने सिक्कों के घिस जाने पर वे उन्हें बदलवाने टकसाल में जाते थे जहाँ राज्य उनसे बट्टा काटता था। केवल सूरत की टकसाल से ही राज्य की वार्षिक नौ लाख रुपये की आय होती थी।

राज्य को शुल्क और जुर्मानों से भी काफी आय होती थी। तस्करो, डानुप्रो तथा जाली सिक्के बनाने वालों पर जुर्माना किया जाता था। दरबार में अनुचित व्यवहार करने पर भी जुर्माना किया जाता था। लश्कर खा को दरबार में शराब पीकर आने पर अक्बर को पचास हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा था। इसी प्रकार शाहजहाँ के समय में एक उमरा को गुप्तखाने में दुर्व्यवहार करने पर एक लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा था।

अक्बर ने विवाहों पर भी शुल्क लेना शुरू किया था। यह शुल्क घर-बघु की स्थिति के अनुसार एक दाम से दस मुहर तक लगता था। अदालती कागजों पर भी शुल्क लिया जाता था। विभिन्न पेशों को करने वालों को राज्य से आज्ञा लेनी पड़ती थी और इसके लिये उनसे शुल्क वसूल किया जाता था।<sup>1</sup>

मध्यकाल में बृतायत अथवा कारखानों से भी आय होती थी। ये वस्तुएँ निर्माण के सगठनों के अतिरिक्त राजसी प्रतिष्ठानों के लिए प्रयुक्त होते थे। सल्तनतकाल में इन कारखानों की संख्या लगभग 36 थी जिनमें फरराशखाना, अबदारखाना, तोपखाना, आदि प्रमुख थे। मुगलों के समय में सर जदुनाथ सरकार के अनुगार इनकी संख्या 70 से भी अधिक थी,<sup>2</sup> जिनमें ईमारतखाना, तोपखाना, अबदारखाना, फीलखाना, पालकीखाना, गोखाना बावर्चीखाना अधिक मान्य थे। इनके अतिरिक्त ऐसे कारखाने भी थे जो शाही परिवार तथा केन्द्रीय शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते थे। डा कुरेशी के अनुसार सम्राट को प्रत्येक वर्ष हजारों पीशाकें अपने अधिकारियों, दरबारियों अथवा दूतों को देनी पड़ती थीं और ये अनुभव किया जाता था कि राजकीय कारखानों के द्वारा तैयार करवाने पर ये अधिक सस्ती पड़ेंगी।<sup>3</sup> इसी प्रकार से बहुमूल्य हीरे-जवाहरात को काट-छांट कर उपहार के लिए तैयार किया जाता था

1. श्रीवास्तव, ए एल — अक्बर द ग्रेट, भाग 2 पृ 154

2. सरकार, जे एन.—मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ 170-75

3. कुरेशी आई एच.—द एडमिनिस्ट्रेशन आफ द मुगल एम्पायर, पृ 60.

श्रीर ये भी सरकारी कारखानों में ही होता था । तैयार की हुई वस्तुएँ प्रयोग में भी आती थी श्रीर इन्हे बेच भी दिया जाता था ।

मध्ययुग के राज्य को व्यापार पर लगाये गये करों से काफी आय थी । चुंगी आय का अश्चर्या स्रोत था । समस्त मध्ययुग में विदेशों से आने या जाने वाली वस्तुओं से कर वसूल किया जाता था । समुद्र के मार्ग में आने-जाने वाली वस्तुओं पर बन्दरगाह पर ही चुंगी वसूल की जाती थी । बन्दरगाहों से चुंगी वसूल करने का अन्दाजा मनुषी के इस विवरण से ही लगाया जा सकता है कि केवल सूरत के बन्दरगाह से 30 लाख रुपये वार्षिक चुंगी के रूप में वसूल किये जाते थे ।

सीमा-शुल्क अधिकारी बड़े सख्त थे और सावधानी से चुंगी वसूल करते थे । बाहर से आने वाले व्यक्तियों की तलाशी लेने में काफी समय लग जाता था । सामान्यतः चुंगी की दर वस्तु के मूल्य का ढाई प्रतिशत थी । औरगजेब के काल में मुसलमान व्यापारियों से ढाई प्रतिशत तथा हिन्दू और ईसाई व्यापारियों से यह 5 व 4 प्रतिशत वसूल की जाती थी ।<sup>1</sup>

आन्तरिक व्यापार नावों से अथवा स्थल मार्ग से होता था । थल में माल के आने-जाने के समय जिस भू-भाग से माल निकल रहा हो वहाँ का जमींदार या अधिकारी, उसे आने क्षेत्र से सुरक्षित निकलवाने के लिए उत्तरदायी था जिसके लिए वह 'राहदरी' नामक कर वसूल करता था । यह साधारणतया कम ही होता था परन्तु वभी-वभी वस्तु के मूल्य से भी अधिक कर देना पड़ता था । अकबर ने इसको बन्द कर दिया परन्तु फिर भी केन्द्र से दूर के अधिकारी इसे वसूल करते रहे इसीलिए औरगजेब ने इसे पुनः बन्द करने की आज्ञा निकाली । फेरी में नदी पार करने पर 'उतराई' नामक कर वसूल किया जाता था । बिन्नी तथा नगर में प्रवेश पर भी चुंगी देनी पड़ती थी ।

इन राज्य स्वीकृत करों के अतिरिक्त अनेकों ऐसे कर थे जो राज्य से स्वीकृत न थे । इन गैर-कानूनी करों को 'अववाब' कहते थे । फीरोज तुगलक क्योंकि इनको शरा विरोधी मानता था इसलिए उसने इनको वसूल न करने के आदेश दिये ।<sup>2</sup> इस आदेश के बाद भी दूर के प्रदेशों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा ये वसूल किये जाते रहे । फीरोज तुगलक ने फतुहात-ए-फीरोजशाही में ऐसे अववाबों की सूची दी है जिनका उसने अन्मूलन किया था । इनमें से अनेकों बहुत ही साधारण थे जैसे पूल बेचने पर अववाब वसूल करना आदि । आफ्रीक ने जिन अववाबों का वर्णन किया है उनमें 'मुस्तखिल' (भकानों तथा दुकानों पर लगाने वाला कर), जजारी, (बसाईयों से प्रत्येक गाय के काटने पर लिया जाने वाले कर जो 12 जीतल था) प्रमुख हैं ।

1. घेवंनो, वही पृ. 4.

2. जोहरी, एल.—फीरोज तुगलक, पृ. 93-94.

सोना चांदी आदि की खानों पर राज्य का एकाधिकार था। सोहे, शीने और पर्यरो आदि की खानों से राज्य कर लेकर व्यापारियों को इन खनिजों को निकालने की आज्ञा दे देता था। नमक निकालने पर भी राज्य का अधिकार था और इस पर कर वसूल किया जाता था।

शाही टकसाल पर राज्य का एकाधिकार था। उसे बट्टे के रूप में घन प्राप्त होता था। लोग सोना, चांदी को लेकर सिक्के लेते थे अथवा पुराने सिक्कों के घिस जाने पर वे उन्हें बदलवाने टकसाल में जाते थे जहाँ राज्य उनसे बट्टा काटता था। केवल सूरत की टकसाल से ही राज्य को वापिस नौ लाख रुपये की आय होती थी।

राज्य को शुल्क और जुर्मानों से भी काफी आय होती थी। तस्कारी, डाकूओं तथा जाली सिक्के बनाने वालों पर जुर्माना किया जाता था। दरबार में अनुचित व्यवहार करने पर भी जुर्माना किया जाता था। सश्वर खाँ को दरबार में शराब पीकर आने पर अश्वर को पचास हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा था। इसी प्रकार शाहजहाँ के समय में एक उमरा की गुसलखाने में दुर्व्यवहार करने पर एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ा था।

अश्वर ने विवाहों पर भी शुल्क लेना शुरू किया था। यह शुल्क घर वधु की स्थिति के अनुसार एक दाम से दस मुहर तक लगता था। अदालती कागजों पर भी शुल्क लिया जाता था। विभिन्न पेशों को करने वालों को राज्य से आज्ञा लेनी पड़ती थी और इसके लिये उनसे शुल्क वसूल किया जाता था।<sup>1</sup>

मध्यकाल में वृत्तायत अथवा कारखानों से भी आय होती थी। ये वस्तुएँ निर्माण के सगठनों के अतिरिक्त राजसी प्रतिष्ठानों के लिए प्रयुक्त होते थे। सल्तनतकाल में इन कारखानों की संख्या लगभग 36 थी जिनमें फरराशखाना, अश्वदारखाना, तोपखाना, आदि प्रमुख थे। मुगलों के समय में सर अदुनाथ सरकार के अनुसार इनकी संख्या 70 से भी अधिक थी,<sup>2</sup> जिनमें ईमारतखाना, तोपखाना, अश्वदारखाना, फीलखाना, पालकीखाना, गोखाना बावर्चीखाना अधिक मान्य थे। इनके अतिरिक्त ऐसे कारखाने भी थे जो शाही परिवार तथा केन्द्रीय शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते थे। डाकुरेशी के अनुसार सम्राट को प्रत्येक वर्ष हजारों पीशाकों अपने अधिकारियों, दरबारियों अथवा दूतों को देनी पड़ती थी और ये अनुभव किया जाता था कि राजकीय कारखानों के द्वारा तैयार करवाने पर ये अधिक सस्ती पड़ेंगी।<sup>3</sup> इसी प्रकार से बहुमूल्य हीरे जवाहरात को काट-छाट कर उपहार के लिए तैयार किया जाता था

1 श्रीवास्तव, ए एल — अश्वर द ग्रेट, भाग 2 पृ 154

2 सरकार, जे एन — मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ 170-75

3 कुरेशी आई एच. — द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल इम्पायर, पृ 60

घोर से भी सरकारी कारखानों में ही होता था। तैयार की हुई वस्तुएँ प्रयोग में भी आती थीं और इन्हें बेच भी दिया जाता था।

मध्ययुग में राज्य को व्यापार पर लगाये गये करों से काफी धन था। चू गी का प्रायः का अच्छा स्थोत्र था। समस्त मध्ययुग में विदेशों से आने या जाने वाली वस्तुओं से कर वसूल किया जाता था। समुद्र के मार्ग से आने जाने वाली वस्तुओं पर बन्दरगाह पर ही चू गी वसूल की जाती थी। बन्दरगाहों से चू गी वसूल करने का अन्दाजा मनुष्यों के इस विवरण से ही लगाया जा सकता है कि केवल सूरत के बन्दरगाह से 30 लाख रुपये वार्षिक चू गी के रूप में वसूल किये जाते थे।

सीमा शुल्क अधिकारी बड़े मस्त थे और सावधानी से चू गी वसूल करते थे। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की तलाशी लेने में काफी समय लग जाता था। सामान्यतः चू गी की दर वस्तु के मूल्य का ढाई प्रतिशत थी। औरगजेब के काल में मुसलमान व्यापारियों से ढाई प्रतिशत तथा हिन्दू और ईसाई व्यापारियों से यह 5 व 4 प्रतिशत वसूल की जाती थी।<sup>1</sup>

प्रान्तरिक व्यापार नावों से भ्रमण स्थल मार्ग से होता था। घल से माल के आने जाने के समय जिस भू-भाग से माल निकल रहा हो वहाँ का जमीदार या अधिकारी, उसे आने क्षेत्र से सुरक्षित निकलवाने के लिए उत्तरदायी था जिसके लिए वह 'राहदारी' नामक कर वसूल करता था। यह साधारणतया कम ही होता था परन्तु कभी कभी वस्तु के मूल्य से भी अधिक कर देना पड़ता था। अकबर ने इसकी बन्द कर दिया परन्तु फिर भी केन्द्र से दूर के अधिकारी इसे वसूल करते रहे इसीलिए औरगजेब ने इसे पुनः बन्द करने की आज्ञा निकाली। फेरी से नदी पार करने पर 'उतराई' नामक कर वसूल किया जाता था। बिक्री तथा नगर में प्रवेश पर भी चू गी देनी पड़ती थी।

इन राज्य स्वीकृत करों के अतिरिक्त अनेको ऐसे कर थे जो राज्य से स्वीकृत न थे। इन गैर कानूनी करों को 'भववाव' कहते थे। फीरोज तुगलक क्योंकि इनको शरा विरोधी मानता था इसलिए उसने इनको वसूल न करने के आदेश दिये।- इस आदेश के बाद भी दूर के प्रदेशों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा ये वसूल किये जाते रहे। फीरोज तुगलक ने फतुहात ए फीरोजशाही में ऐसे भववावों की सूची दी है जिनका उसने उन्मूलन किया था। इनमें से अनेको बहुत ही साधारण थे जैसे फूल बेचने पर भववाव वसूल करना आदि। प्राफीफ ने जिन भववावों का वर्णन किया है उनमें 'मुस्तधिल' (मकानों तथा दुकानों पर लगने वाला कर), जजारी, (कमाईयों से प्रत्येक मास के काटने पर लिया जाने वाले कर जो 12 जीतल था) प्रमुख हैं।

1. थेवनी, वही पृ 4

2. जोहरी, एल — फीरोज तुगलक, पृ 93-94



मुगलकाल में अकबर ने इनको समाप्त करने का प्रयास किया। इनमें मीर बहरी (बन्दरगाहों पर लगने वाला); गाव शुमारी (प्रति बैल पर कर), सैर दरहली (प्रति पेड़ पर कर); पेसाकर (विभिन्न पेशों पर लगाया जाने वाला कर); नक्सास (पशु पर विधी कर); सलामी (भूमि प्राप्त करने पर भेंट); हासिल बाजार (बाजार पर कर) आदि प्रमुख हैं।<sup>1</sup>

जहागीर ने भी अपने राज्याभियेक के समय ऐसे श्रेणक करों को समाप्त किया जैसे समगा, मीर बहरी आदि,<sup>2</sup> परन्तु ऐसा अनुभव होता है कि जागीरदार और दूरस्थ प्रान्त के अधिकारी अपने लाभ के लिए इन्हे वसूल करते रहे क्योंकि औरंगजेब ने पुन इनको समाप्त करने के आदेश निकाये थे। सर जुबुनाथ सरकार ने औरंगजेब द्वारा समाप्त किये गये 63 अववाबों का उल्लेख किया है,<sup>3</sup> जिनमें राहदरी, शुकराना, तराजकशी, रुखसतनामा (सरकारी पत्र देने पर) तरकारी व मिट्टी के बर्तन बेंचना आदि, प्रमुख थे। ये अववाब इतने परम्परागत हो गये थे कि प्रत्येक सम्राट इनको समाप्त करने के लिए आदेश निकालता था और पुनः ये पहले की ही तरह वसूल होने लगते थे।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्ययुग में कर-सिद्धान्त मोटे रूप से शरा पर आधारित था और अकबर जैसी बहुत ही कम शासक थे जो तर्क और बुद्धि के आधार पर कर के ढाँचे में परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो। अववाब परम्परागत हो गए थे और एक प्रकार से कर के ही अंग बन गए थे, इसीलिए कई बार इनके उन्मूलन की धोपणों का हमें उल्लेख मिलता है।

1. श्रीवास्तव, ए.एल.—अकबर द ग्रेट भाग 2, पृ. 150-51.

2. तुजक-ए-जहागीरी, (रोजसं द्वारा अनुवादित) भाग 1, पृ. 7-8.

3. सरकार जे एन.—मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 76.

मध्यकालीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था का, जिसे आज हम एक सुस्पष्ट रूप में देखते हैं, वही पर नामोनिशान भी नहीं था। देश में आन्तरिक और घन्दरगाहों पर व्यापार एक सुयोजित समूहित दलालों के वर्ग द्वारा व्यवस्थित था जो दोनों ही व्यापारिक पाटियों से कमीशन प्राप्त करते थे तथा इस प्रकार वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती थी।<sup>1</sup> जब अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली में बाजार नियन्त्रण की नीति अपनाई तो उसे इस वर्ग का कठोरता के साथ दमन करना पड़ा। परन्तु अलाउद्दीन खलजी की मृत्यु के साथ ही उसके बाजार-नियन्त्रण की नीति भी समाप्त हो गई। इस वर्ग ने पुनः अपनी गतिविधियों को धारम्भ कर दिया। फीरोज तुगलक के शासनकाल तक इनकी गतिविधियाँ इतनी व्याप्त हो चुकी थी कि इनको एक कानूनी रूप देना आवश्यक हो गया। व्यापारियों द्वारा अलग-अलग प्रदेश में अपनी ऐजेन्सिया खोली गईं जहाँ पर उनके कारिन्दे उनके घन्धे को व्यवस्थित करते थे। लोकीक बैंकसं आज की बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप ऋण देते थे तथा हुन्डियाँ जमा करते थे, और वे इसके लिए व्याज अथवा अपना कमीशन लेते थे। बाण्ड अथवा बन्ध-पत्र स्वीकार किये जाते थे जिनको इस समय 'ठमस्सुक' कहते थे। राज्य की ओर से इन पर निर्धारित व्याज लेने की आज्ञा थी और सम्भावित भगडों का निर्णय अदालत के द्वारा किया जाना था।

इस काल में व्याज पर ऋण देने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को धन उधार देने का एक विशेष वर्ग था। ये "साहू" तथा "महाजन" जो ऋण देने वाले तथा बैंकर थे उच्च वर्ग में अत्यधिक लोकप्रिय थे क्योंकि उच्च वर्ग अत्यधिक खर्चीला था और धीरे-धीरे इनको ऋण की आवश्यकता रहती थी।<sup>2</sup> यद्यपि यह

1. अशरफ, के. एम.—लाइफ एण्ड कन्डीशन आफ द पीपल आफ हिन्दुस्तान पृष्ठ 139.

2. यही, पृष्ठ 140.

ईज्जतबतूता के बिबरण से जानकारी मिलती है कि 8 दिरहम देहली की एक दीनार के बराबर माना जाता था जो कि हस्तकानीस और टक के एवजी के रूप में काम में लिये जाते थे ।

बहलोल लोदी ने अपने नाम से 'बहलोलो' सिक्का चलाया जो कि शेरशाह व अकबर के 'दाम' की तरह टक का  $1/40$  वा भाग माना जाता था । सुल्तान सिकन्दर लोदी ने तांबे का टक चलाया जो चादी के सिक्के का  $1/20$ वा भाग था । यही सिकन्दरी टक अकबर द्वारा चलाये गये दाम का अग्रगामी था ।

समस्त सल्तनत काल में सोने और चादी के सिक्कों का तांबे के सिक्को के रूप में मूल्य निर्धारित करने की पद्धति बनी रही । सल्तनत काल के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर यद्यपि सुल्तान का नाम अवश्य अंकित है परन्तु टकसाल का नाम नहीं मिल पाया है । इस्तुतमिश के समय का चादी का टक और तांबे का जीतल मिलता है । इसके 'टक' पर टकसाल का नाम भी मिलता है । वह पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाये जिन पर खलीफा का नाम और उसकी उपाधियाँ अंकित रहती थी । इसका तोल 175 ग्रैन था ।

मुगलों की मुद्रा व्यवस्था पहले शासकों की अपेक्षा अधिक ठोस थी । बाबर के शाहुरुख व दिरहम नामक सिक्के जो मोटे रूप से मध्य एशिया में प्रचलित सिक्कों के नमूनों पर थे अधिकतर आगरा, लाहौर दिल्ली जौनपुर की टकसाल में गढ़े गये थे । कंधार से उसने बाबरो नाम का सिक्का भी चलाया था । बाबर के सोने और चादी के सिक्को पर एक और कलमा तथा खलीफाओं के नाम तथा दूसरी और बादशाह की उपाधि अंकित थी—अल सुल्तान अल आज़म वा अल खावान अल-मुकर्रम जह्रीरुद्दीन मुहम्मद बादशाह गाज़ी । हुमायूँ के सिक्के बाबर जैसे ही थे केवल उसमें 'बाबर बादशाह गाज़ी' के स्थान पर मुहम्मद हुमायूँ बादशाह गाज़ी अंकित था ।

1540 ई० में जब शेरशाह ने हुमायूँ को पराजित कर स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया तो उसने मुद्रा के क्षेत्र में शलाघनीय परिवर्तन किया । उसने 178 ग्रैन के चादी तथा 330 ग्रैन तांबे के सिक्के प्रचलित किये । उसने रुपये के प्राये, चौथाई, आठवें और सोलहवें भाग के भी सिक्के चलाये । तांबे के सिक्के के छोटे भाग को पैसा कहा जाता था । उसने सोने के सिक्के भी चलाये परन्तु उनकी सख्या बहुत ही कम है । 1552 से 1556 ई० के बीच 'शेरशाह के दो भतीजों तथा एक भानजे ने अपने अपने नाम के सिक्के चलाये परन्तु इनकी सरया अत्यधिक कम है ।

हुमायूँ ने दूसरी बार गद्दी पर बैठने पर शेरशाह की मुद्रा प्रणाली को ही अपनाया यद्यपि उसने अल्पकाल में ही दिरहम नामक सिक्के प्रचलित किये थे ।

वास्तविक रूप में अकबर के काल से ही मुग़लों की मुद्रा प्रणाली व्यवस्थित रूप से प्रारम्भ होती है। अपने शासन काल के प्रारम्भिक वर्षों में अकबर ने शेरशाह के सिक्का के आधार पर ही सोने, चादी व तांबे के सिक्के प्रचलित किये। ये केवल प्रारम्भिक प्रयोग था और जैसे जैसे शासन स्थायी होता गया वैसे ही वैसे मुद्रा के क्षेत्र में नये प्रयोग किये जाने लगे। सिक्का को व्यवस्थित रूप देने के लिए अकबर ने सुप्रसिद्ध स्वामी अब्दुल समद को टकसाल का निदेशक नियुक्त किया और फतेहपुर सीकरी की टकसाल उसके अधीन रखी। टकसाल की समुचित रूप से व्यवस्था करने के लिए अकबर ने भिन्न-भिन्न स्थानों की टकसालों को विभिन्न वित्त विशेषज्ञों के अधीन किया जैसे टोडरमल को बगाल, स्वामी मसूर को जौनपुर और मुजफ्फर खा को लाहौर की टकसाल का प्रबंध सौंपा।

अकबर ने सबसे पहले मुहर नाम का एक सिक्का चलाया जिसका वजन 170 से 175 ग्रैन था। तत्पश्चात् अनेक प्रकार के सिक्के चलाये गये। आईन ए-अकबरी में लगभग 26 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख है। इनमें 'शहनशाह' नामक गोल सिक्का (वजन 101 तोला, 9 माशा, व 7 सुर्ख) अत्यधिक प्रसिद्ध है जो कि 100 'लाल ए जलाली' मुहरों के बराबर था। इसी नाम के दूसरे सिक्के का वजन 95 तोला 8 माशा था जो कि ग्यारह ग्यारह माशा की एक सौ मोहरों के बराबर था। 'रहस' जो कि कभी-कभी वर्गकार भी होता था शहनशाह की आधी कीमत और वजन का था तथा 'आत्मा' शहनशाह का चौथा भाग था। अकबर ने इनके प्रतिरिक्त 'विसात' (शहनशाह का 1/5) 'चुगुन' (शहनशाह का 1/50) नामक सिक्के भी चलाये।<sup>1</sup> रुपये नाम का चादी का सिक्का जिसका वजन 178 ग्रैन था राज्य में मोटे रूप से इकाई का काम करता था। रुपये के छोटे भागों के रूप में 'दरब' (1/2 रुपया) 'चर्न' (1/4 रुपया), पनडऊ (1/5 रुपया) भण्डा (1/8 रुपया) दश (1/10 रुपया) काला (1/16 रुपया) 'सूफी' (1/20 रुपया) उसके समय में प्रचलित थे। सम्भवतः साधारण वर्गों की सुविधा के लिए ये चलाये गये थे।

सोने और चादी के सिक्कों के प्रतिरिक्त उसके समय में तांबे के सिक्के भी प्रचलित थे जिनको दाम कहते थे। इसका मूल्य रुपये की तुलना में 1/40 था। इस दाम को भी छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया था जैसे 'अपेला' (आधा दाम), पावला' (चौथाई दाम) और दमड़ी' (आठवां दाम) प्रमुख थे।<sup>2</sup> अकबर-कालीन सिक्कों में सबसे छोटा भाग 'जीतल' कहलाता था जो दाम का 1/25 था

1 आईन ए अकबरी, (प्लानमैन) भाग 1, पृ 28-30.

2 वही, पृ 31-32.

ईबनबतूता के विवरण से जानकारी मिलती है कि 8 दिरहम देहली की एक दीनार के बराबर माना जाता था जो कि हस्तकानीस और टक के एघजी के रूप में काम में लिये जाते थे ।

बहलोल लोदी ने अपने नाम से 'बहलोलो' सिक्का चलाया जो कि शेरशाह व अकबर के 'दाम' की तरह टक का 1/40 वा भाग माना जाता था । सुल्तान सिकन्दर लोदी ने ताव का टक चलाया जो चादी के सिक्के का 1/20वा भाग था । यही सिकन्दरी टक अकबर द्वारा चलाये गये दाम का अग्रगामी था ।

समस्त सल्तनत काल में सोने और चादी के सिक्कों का तावे के सिक्को के रूप में मूल्य निर्धारित करने की पद्धति बनी रही । सल्तनत काल के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर यद्यपि सुल्तान का नाम अवश्य अंकित है परन्तु टकसाल का नाम नहीं मिल पाया है । इल्तुतमिश के समय का चादी का टक और तावे का जीतल मिलता है । उसके 'टक' पर टकसाल का नाम भी मिलता है । वह पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाये जिन पर खलीफा का नाम और उसकी उपाधियाँ अंकित रहती थी । इसका तोल 175 ग्रैन था ।

मुगलों की मुद्रा व्यवस्था पहले शासकों की अपेक्षा अधिक ठोस थी । बाबर के शाहसख व दिरहम नामक सिक्के जो मोटे रूप से मध्य एशिया में प्रचलित सिक्कों के नमूना पर थे अधिकतर आगरा, लाहौर दिल्ली जौनपुर की टकसाल में गड़े गये थे । कंधार से उसने बाबरी नाम का सिक्का भी चलाया था । बाबर के सोने और चादी के सिक्को पर एक और कलमा तथा खलीफाओं के नाम तथा दूमरी और बादशाह की उपाधि अंकित थी--अल सुल्तान अल आज़म वा अल खाकान अल-मुकर्रम जहीरुद्दीन मुहम्मद बादशाह गाजी हुमायूँ के सिक्के बाबर जैसे ही थे केवल उसमें बाबर बादशाह गाजी के स्थान पर मुहम्मद हुमायूँ बादशाह गाजी अंकित था ।

1540 ई० में जब शेरशाह ने हुमायूँ को पराजित कर स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया तो उसने मुद्रा के क्षेत्र में शलाघनीय परिवर्तन किया । उसने 178 ग्रैन के चादी तथा 330 ग्रैन तावे के सिक्के प्रचलित किये । उसने रुपये के आधे, चौथाई, आठवें और सोलहवें भाग के भी सिक्के चलाये । तावे के सिक्के के छोटे भाग को पैसा कहा जाता था । उसने सोने के सिक्के भी चलाये परन्तु उनकी सख्या बहुत ही कम है । 1552 से 1556 ई० के बीच शेरशाह के दो भतीजों तथा एक भानजे ने अपने अपने नाम के सिक्के चलाये परन्तु इनकी सख्या अत्यधिक कम है ।

हुमायूँ ने दूसरी बार गद्दी पर बैठने पर शेरशाह की मुद्रा प्रणाली को ही अपनाया यद्यपि उसने अल्पकाल में ही दिरहम नामक सिक्के प्रचलित किये थे ।

वास्तविक रूप में अकबर के काल से ही मुग़लों की मुद्रा प्रणाली व्यवस्थित रूप से प्रारम्भ होती है। अपने शासन काल के आरम्भिक वर्षों में अकबर ने शेरशाह के सिक्कों के आधार पर ही सोने, चांदी व तांबे के सिक्के प्रचलित किये। ये केवल आरम्भिक प्रयोग था और जैसे जैसे शासन स्थायी होता गया वैसे ही वैसे मुद्रा के क्षेत्र में नये प्रयोग किये जाने लगे। सिक्का को व्यवस्थित रूप देने के लिए अकबर ने सुप्रसिद्ध रवाजा अब्दुल समद को टकसाल का निदेशक नियुक्त किया और फतेहपुर सीकरी की टकसाल उसके अधीन रखी। टकसाल की समुचित रूप से व्यवस्था करने के लिए अकबर ने भिन्न-भिन्न स्थानों की टकसाना को विभिन्न वित्त विशेषज्ञों के अधीन किया जैसे टोडरमल को बगान रवाजा मसूर को जौनपुर और मुजफ्फर खा को लाहौर की टकसाल का प्रबन्ध सौंपा।

अकबर ने सबसे पहले मुहर नाम का एक सिक्का चलाया जिसका वजन 170 से 175 ग्रेन था। तत्पश्चात् अनेक प्रकार के सिक्के चलाये गये। आईन ए-अकबरी में लगभग 26 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख है। इनमें 'शहनशाह' नामक गोल सिक्का (वजन 101 तोला, 9 भागा, व 7 मुख) अत्यधिक प्रसिद्ध है जो कि 100 'ताल अजलाली' मुहरों के बराबर था। इसी नाम के दूसरे सिक्के का वजन 95 तोला 8 भागा था जो कि ग्यारह ग्यारह भागा की एक सौ मोहरों के बराबर था। 'रदस' जो कि कभी-कभी वर्गाकार भी होता था शहनशाह की आधी कीमत और वजन का था तथा 'आत्मा' शहनशाह का चौथा भाग था। अकबर ने इनके प्रतिरिक्त 'विसात' (शहनशाह का 1/5) छुगुन (शहनशाह का 1/50) नामक सिक्के भी चलाये।<sup>1</sup> रुपये नाम का चांदी का सिक्का जिसका वजन 178 ग्रेन था राज्य में मोटे रूप से इकाई का काम करता था। रुपये के छोटे भागों के रूप में 'दरब' (1/2 रुपया) 'चन' (1/4 रुपया), पनडठ (1/5 रुपया) घण्टा (1/8 रुपया) दश (1/10 रुपया) काला (1/16 रुपया) 'सूफी' (1/20 रुपया) उसके समय में प्रचलित थे। सम्भवतः साधारण वर्गों की सुविधा के लिए ये चलाये गये थे।

सोने और चांदी के सिक्कों के प्रतिरिक्त उसके समय में तांबे के सिक्के भी प्रचलित थे जिनको दाम कहते थे। इसका मूल्य रुपये की तुलना में 1/40 था। इस दाम को भी छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया था जैसे 'अधेला' (आधा दाम) 'पावला' (चौथाई दाम) और 'दमटी' (भाठवां दाम) प्रमुख थे।<sup>2</sup> अकबर-कालीन सिक्कों में सबसे छोटा भाग 'जीतल' कहलाता था जो दाम का 1/25 था

1 आईन ए अकबरी, (ग्लाजबैन) भाग 1, पृ 28-30.

2 वही, पृ 31-32

भाग होता था परन्तु अधिकतर यह केवल हिसाब किताब करने के ही काम आता था। साधारण रूप में इसका प्रयोग नहीं के बराबर ही था।

आरम्भ में सिक्कों पर अकबर के नाम के साथ उसकी उपाधियाँ 'साम्राज्य प्रक्षय रहे तथा टकसाल का नाम भी मुद्रित रहता था परन्तु बाद के काल में सिक्कों में अस्लान हू अकबर जल्से जलाल हू' मुद्रित था। समय समय पर अपनी विजय की खुशी में भी अकबर ने सिक्के बनाये जस 1602 ई० में अमीरगढ़ को विजय के बाद एक सोने का सिक्का चलाया गया जिसके एक तरफ बाज तथा दूसरी तरफ टकसाल के नाम के साथ मुद्रित करने की तिथि अंकित थी। शासन के 50 वें वर्ष में उसने राम और सीता की मूर्ति सिक्कों पर मुद्रित कराई और उस पर 'राम सिया' लिखवाया। इसी प्रकार स आगरे स चलाये गये सिक्कों पर बतल अंकित करवाई।<sup>1</sup>

अकबर ने सिक्कों की शुद्धता को बनाये रखने के लिए मराफी नाम के अधिकारी को नियुक्त किया जिसका कार्य केवल यह देखना था कि सिक्कों में किसी प्रकार की मिलावट न हो।<sup>2</sup> सिक्का की शुद्धता को बनाय रखने के लिए उसने यह नियम बनाया कि सोने के सिक्के केवल अहमदाबाद फतेहपुर सीकरी व काबुल में ढाले जावें। इसी प्रकार स चाँदी के सिक्का के लिए 14 स्थान निश्चित किए जिनमें जौनपुर प्रमुख केंद्र था।

अकबरकालीन सिक्के अपनी शुद्धता तथा कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। विसैंट स्मिथ जो कि किसी प्रकार स अकबर का प्रशंसक नहीं कहा जा सकता वह भी स्वीकार करता है कि मुगल काल के सिक्के तुलना में समकालीन महारानी एलिजाबेथ अथवा यूरोप के दूसरे सम्राटों की तुलना में श्रेष्ठ हैं।<sup>3</sup>

जहांगीर के सिक्के भी अकबरकालीन सिक्कों के आधार पर हैं। सोने और चाँदी के सिक्कों के अतिरिक्त विदेशी प्रवासियों पर विशेष सिक्के गढ़े जाते थे जिनमें 'निसार' (रुपये का चौथा भाग) अधिक प्रचलित था और जो उसके उत्तराधिकारियों के काल में भी माय था। 'नूर अकसन' खैर कबुल नामक सिक्के भी उसने चलाये। अपने राज्यकाल के छठे वर्ष उसने एक सोने की मोहर चलाई जिसमें एक और सम्राट शराब के प्याने को अपने लव (होठ) तक ले जाते हुए दर्शाया गया है तथा दूसरी ओर सूर्य नक्षत्र में अंकित है।<sup>4</sup> कुछ सिक्कों पर उसकी अर्द्ध-प्रतिमा का

1 गुप्ता पी एन — कथाय स पृ 118-19

2 श्रीवास्तव ए एल — अकबर, भाग 2, पृ, 207-09

3 स्मिथ, वी ए — अकबर द ग्रेट पृ 157

4 हाल्डन, ई एस — द मुगल एम्पायर ऑफ हिन्दुस्तान पृ 232

पार्श्व चित्र, एक हाथ बालकनी पर रखे हुए अंकित है। कुछ मिश्री पर हाथ में फूल व प्याला अंकित है।<sup>1</sup> अपनी आत्मकथा सुजक ए-जहागीरी में वह लिखता है कि 'मैं प्रत्येक सोने के सिक्के का विभिन्न नामकरण करता हूँ—100 तोले की मोहर को 'नूरशाही', 50 तोले की मोहर को 'नूर सुल्तान', 20 तोले की को 'नूर दीपत' 10 तोले की को 'नूर बरम' 5 तोले की को 'नूर मिहर' एक तोले की को 'नूर जहानी' और इससे आधे तथा चौथाई वजन वाली को 'नूरानी' तथा 'रावागी।' चांदी के सिक्कों के सम्बन्ध में वह लिखता है कि '100 तोले के सिक्के को मैंने 'काउकव-ए ताली' 50 तोले वाले को 'काउकव ए-इकवाल', 20 तोले वाले को 'काउकव ए-मुराद', 10 तोले वाले को 'काउकव-ए-वक्त', 5 तोले वाले को 'काउकव ए सद' और एक तोले को 'जहागीरी' की सजा दी है।<sup>2</sup> जहागीरी सिक्के के आधे और चौथाई मूल्य के सिक्को को 'सुल्तानी' और 'निसारी' कहते थे। तांबे के सिक्को को 'दिम' व 'बेर-ए इकवाल' कहते थे। 10 तोले से 100 तोले तक की मोहरों पर निम्न पञ्चारमक आख्यान अंकित कराया गया—

“बा खते नूर वर जर किल्क ए-उकदीर,  
रकम बादशाह नूरुद्दीन जहागीर”

इन पक्तियों के बीच कलमा उद्धरत था। मोहरों के दूसरी ओर निम्न शब्द अंकित थे—

“शुद नू सुर जिया सिक्का नूरानी जहा, आफ्ताबी ममसकत तारीख ए-घान”।

पेलसर्ट<sup>3</sup> ने जहागीर के समय के सिक्को का वर्णन करते हुए लिखा है कि “आधकतर रुपये की इकाई में सिक्को का प्रयोग किया जाता था परन्तु ये रुपये मिश्र मिश्र किस्म के थे—खजाना या अकबरकालीन सिक्के, छलनी अथवा जहागीरी सिक्के जो आगरा, लखनौर, पटना, कंधार अथवा गुजरात की टकसालों में मुद्रित किये गये थे।” व्यापारी लोग केवल इन्हीं सिक्कों को आधार मानकर सौदा करते थे। जहागीरकालीन सिक्कों का मूल्य अकबरकालीन सिक्कों से 1 अथवा 2 प्रतिशत अधिक था।

1. गुप्ता, पी. एल — वही, पृ 122.

2. सुजक-ए-जहागीरी (फारसी) भाग 1, पृ. 5.

3. पेलसर्ट—वही, पृष्ठ 29-30.



शाहजहा के सिक्को में कोई कनारमक चाकपंण नहीं था और जहागीर के समय में प्रचलित शैली को ही उसने अपनाया था।<sup>1</sup> उसके सिक्को पर पद्मात्मक आस्थान अक्षित मिलते हैं। डी लायट उस समय में प्रचलित सोने और चादी के सिक्को का विवरण देता है जिसमें मोहर के अतिरिक्त आठ विभिन्न मूल्य के सिक्के अधिक प्रचलित मानता है। तांबे के सिक्को में अधिक प्रचलित पैसा था जो 80 कौड़ी अथवा 35 से 50 बादाम के मूल्य के बराबर था। शाहजहा ने टकसालों की व्यवस्था में सुधार किया और महमदाबाद स्थित टकसाल सूरत की अपेक्षा अधिक सम्मानित समझी जाने लगी।

औरंगजेब ने सिक्को को और अधिक आकर्षित बनाया और शाहजहा की तुलना में उनका भार 5/8 अधिक बढ़ा दिया, परन्तु उसके राज्यारोहण के पश्चात् उसने सिक्को पर कलमा अक्षित कराना बन्द कर दिया। उसक सिक्का पर उसका नाम और उपाधि इस प्रकार अक्षित थे। 'मलू अल जफर मुहउद्दीन मुहम्मद उहादुर शाह आलमगीर औरंगजेब गाजी।' उसके बाद के सिक्को पर अब्दुल घानी शाहबई द्वारा रचित एक पद्य मिलता है। आउन ने लिखा है कि औरंगजेब के समय के सिक्को में द्वारवराज शाहजुजा बीदारबख्त तथा अजी मुश शान के द्वारा चलये गये रूपये के सिक्के अत्रिक हचिकर हैं।<sup>2</sup> औरंगजेब के उत्तरकालीन समय में बीज पुर और गोलकुण्डा के सिक्के काफी मात्रा में प्रचलित थे। सम्पूर्ण मुगल काल के चादी के सिक्का के बारे में थेवेनी ने लिखा है कि "महान् मुगलो की चादी की मुद्रा किसी दूसरी प्रचलित चादी की मुद्रा से कहीं अधिक अच्छी थी और इसीलिए जब कभी कोई विदेशी मुगल राज्य में प्रवेश करता था तो वो समस्त चादी के सिक्को को महा की मुद्रा में परिवर्तित करवा लेता था जो पुन गलाकर नये और सुन्दर सिक्को में ढाल दी जाती थी।"<sup>3</sup>

मुगलों के समय में सिक्को की 'ढलाई स्वतन्त्र ढलाई के सिद्धान्त पर आधारित थी। चादी के सिक्को में अधिक से अधिक चार प्रतिशत दूसरी धातु मिलाई जाती थी परन्तु सोने के सिक्के शुद्ध होते थे। व्यक्ति को ये स्वतन्त्रता थी कि वह सोना, चादी ले जाकर टकसाल से सिक्के ढलवा ले जो कि राज्य द्वारा मान्य होते थे।

अबुल फजल ने आईन ए अकबरी में चादी और सोना लेजाकर मुद्रा ढलवाने

1 आउन, जी जे—क्यायन्स आफ इण्डिया पृ 96 ।

2 आउन जी जे—वही, पृ 97 ।

3 लावेल—द ट्रेवल्स ऑफ थेवेनी (अनुवादित) भाग 3, पृ. 18

से प्राप्त लाभ का विस्तृत वर्णन दिया है।<sup>1</sup> क्योंकि उस समय में चातु को पिघलाकर सिक्के बनाने की प्रपेक्षा उसे पीट-पीट कर सिक्के ढाले जाते थे इसलिए साधारण लोगों के लिए इस प्रकार से नकली सिक्के बनाना आसान था। मुगल राज्य के अंतिम दिनों में इस प्रकार के नकली सिक्के अधिक प्रचलित थे।

राज्य में क्योंकि सोने तथा चादी के सिक्के मान्य मुद्रा थी इसलिए इनका मूल्य समय समय पर घटता-बढ़ता रहता था। आईन ए अकबरी की रचना के समय सोने तथा चादी के सिक्के के मूल्यों में 1 : 9.4 का अनुपात था, जहागीर के समय यह घट कर 1 : 12, शाहजहा के समय 1 : 14 व औरंगजेब के समय में इसमें सबसे अधिक घटोत्तरी हुई जबकि इसका अनुपात 1 : 16 का हो गया।

सोने की मोहर इस समय सबसे अधिक प्रचलित थी और आईन-ए अकबरी के अनुसार नौ रुपये एक मुहर के बराबर थे। हाकिम्स लिखता है कि 1608-12 के बीच एक अशरफी दस रुपये के बराबर थी जिसका मूल्य 1614 में बढ़कर 10.7 रुपये हो गया था। जहागीर के शासन के अंतिम वर्षों में एक मुहर 14 रुपये के बराबर थी जो 1658 में 16.5 रुपये के बराबर मानी जाने लगी थी। 1695 में एक मुहर 13.5 रुपये के बराबर मानी जाती थी।<sup>2</sup>

चादी के मूल्य में घटत बढ़त के साथ ही तांबे के मूल्य में भी घटत-बढ़त आ जाती थी और उमी अनुरूप तांबे के सिक्के के मूल्य में भी रद्दीबदल होती रहनी थी। अकबर के समय के दाम का वजन 320 ग्रैन था जो औरंगजेब के समय में घाकर 109 से 215 ग्रैन के बीच रह गया। अहमदाबाद के व्यापारियों के पास काले तांबे के सिक्के थे। प्रान्तीय सूबेदारों ने हल्के तांबे के सिक्के गढ़वाये थे जिनको बाद में शासक की मान्यता प्राप्त हो गई थी। अकबर के 20<sup>7</sup>/<sub>100</sub> मासे की प्रपेक्षा दाम का वजन 14 मासे निश्चित किया गया।<sup>3</sup> औरंगजेब ने आदेश निकाला कि रुपया जिसका उम समय वास्तविक मूल्य केवल आधा ही रह गया था पूरे मूल्य के समरूप माना जावे।

इसी प्रकार से दाम का रुपये की तुलना में मूल्य घटता-बढ़ता रहता था। अकबर के राज्य-काल के आरम्भ में एक रुपये में 35 और फिर 38 दाम होते थे। आईन ए-अकबरी की रचना के समय 40 दाम एक रुपये के बराबर माने जाते थे। आईन ए-अकबरी के अनुसार यद्यपि एक रुपये में 40 दाम का बाजार भाव

1 आईन-ए अकबरी (ब्लाउमैन) पृ. 38-39

2 हबीब, आई—एफेरियन सिस्टम पृ. 384-86

3. होदीवाला—द वेट्स अ फ औरंगजेब्स दाम्स.

मध्यकाल में मुस्लिम धर्म के भारत में आने के बाद इनकी स्थिति में निश्चित ही परिवर्तन आ गया था। यह ठीक है कि मुस्लिम धर्म में भी स्त्रियों का स्थान सम्मानित था जैसा कि पैगम्बर, मोहम्मद, के उपदेशों से स्पष्ट है परन्तु इसके बाद भी समय के साथ मुस्लिम समाज में स्त्रियों की, स्थिति लगातार गिरती गई। अलाउद्दीन खलजी के समकालीन कवि अमीर हुसरो ने अपने कवित्त 'लेला मजनू' में पुत्र उत्पन्न होने पर अत्यधिक दुःख प्रकट किया है। इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 13 वी, व 14 वी शताब्दी में मुस्लिम स्त्रियों की क्या स्थिति थी। साधारण रूप से मध्यकाल में भारतीय स्त्रियाँ उन समस्त दुर्गुणों का शिकार थीं जो मोटे रूप से विश्व-व्यापक थे। सबसे पहले हम पर्दा प्रथा का अध्ययन करेंगे।

- पर्दा मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पट अथवा आवरण है। इस अर्थ के अतिरिक्त इसको स्त्रियों की एकान्तता के रूप में भी लिया जाने लगा जो परिवार की सामाजिक स्थिति पर निर्भर था। यद्यपि 'अर्थशास्त्र' आदि में पर्दों की प्रथा की ओर सबेते किया गया है और समग्र तथा घनाद्वय हिन्दू परिवारों में इसका प्रचलन था परन्तु फिर भी इसके पालन में जितनी कठोरता मध्यकाल में दिखाई देती है उतनी पहले नहीं थी। साधारण वर्ग की स्त्रियों में कोई पर्दा न था और जब कभी वे किसी अनजान व्यक्ति को देख लेतीं तो केवल घूँघट निकाल (काँड़) लेती थीं।

शाही और अमिजात वर्ग की मुस्लिम स्त्रियों में इसका कठोरता से प्रचलन था और समकालीन साहित्य अथवा विदेशियों के विवरण में इसके अनेको प्रमाण मिलते हैं। अमीर हुसरो ने अपनी रचनाओं में इसका अनेक बार वर्णन किया है। उसने लिखा है कि, "अच्छी (नैक) स्त्री वही है जो सामान्य (आदतन) रूप से पर्दा करती है और इसके लिए बुरक़े का उपयोग करती है। वह स्त्री जो खुले-मुँह सबको पर घूमती है, स्त्री न होकर मात्र कुतिया है।" 1. सुल्ताना रजिया इम सदर्म में अफवाह थी जिसने परस्परगत प्रथा अथवा रिवाज़ को तोड़ फेंका था। 2

- मध्यकाल में इस प्रथा को पुनः लागू करने का प्रयास किया गया। फीरोज तुगलक पहला शासक था जिसने कि मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मकबरो अथवा समाधियों के दर्शन के लिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया क्योंकि वह मुस्लिम स्त्रियों का घर के बाहर जाना शरा-विरोधी मानता था। फतूहात-ए-फीरोजशाही में उसने लिखा है कि, "जब कभी मुस्लिम स्त्रियाँ इन मकबरो पर जाती

1. अमीर हुसरो—हस्त-बहिस्त पृ. 21-30, मोलाना सैयद मुलेमान द्वारा सम्पादित।

2. तारीख-ए-मुबारकशाही, पृ. 25, (बसू के० के० द्वारा अनुवादित)।

थीं तो उनको पथ-भ्रष्ट करने के लिये अनेक चरित्रहीन व निष्ठाहीन पुरुष भी जाया करते थे जो सर्व-साधारण को विदित है और इसलिए मैंने स्त्रियों का मक्बरो पर जाना बन्द कर दिया है।<sup>1</sup> मुल्तान सिकन्दर लोदी ने भी मुस्लिम स्त्रियों के मजार पर जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।<sup>2</sup> परन्तु इन सब प्रतिबन्धों के बाद भी जमींदारों और अमीरों की स्त्रियां होलियों में बाहर जाती थी।

सम्मानित हिन्दू घरों की स्त्रियां भी मुसलमान स्त्रियों की तरह पर्दा बरती थीं। चारघोसा व अनुमार गुजरान में स्त्रियां बहुत ही कम घर से बाहर निकलती थीं और विशेष अवसरों पर पालकियों अथवा होलियों में जाती थीं। उत्तरी भारत में सम्पन्न परिवार की स्त्रियां घू घट निकालती थीं।

मुगलकाल में भी हिन्दू तथा मुसलमानों के उच्च परिवारों में पर्दा प्रचलित था। अमीरों की स्त्रियां ऊंची दीवारों से घिरे विस्तृत मकानों में रहती थीं जहाँ हर प्रकार की मुविधाएँ थीं। पुरुष वर्ग से सम्पर्क रखने का कार्य खोजों के माध्यम से होता था। पर्दा इतना बढोर हो गया था कि हकीम, डाक्टरों आदि को भी बीमार स्त्रियों से आम्ने सामने न मिलने दिया जाता था। रोग की जानकारी के लिये रोगी के शरीर को एक रुमाल से पोछकर पानी में डाल दिया जाता था और उस पानी की गन्ध से रोग की जानकारी कर इलाज किया जाता था।<sup>3</sup> राजकुमारियां भी यदि कभी बाहर जातीं तो उन्हें ढकी हुई पालकियों में ही केवल सुवह के समय जाने की आज्ञा थी। जब कभी वे हाथी की सवारी की इच्छा करती तो हाथी की सीधे जानान खान के दरवाजे तक ले जाया जाता था और फिर वे ढके हुए हौदे में बँठनी थीं। जब कभी शाही परिवार की स्त्रियां इस प्रकार निकलती थीं तो किसी को उस समय मडक पर आम्ने-जाने की आज्ञा न थी। नूरजहाँ एक अपवाद थी और वो सार्वजनिक स्थानों पर भी वर्ग परदों के घूमती थीं। राजपूताना में भी परदों की प्रथा बढ़ती चली जा रही थी परन्तु राजपूत परिवारों में इसका बढोरता से पालन न किया जाता था। दक्षिण भारत में परदों का प्रचलन नहीं था और मलावारी स्त्रियां अपने मेहमानों का यथोचित आदर-सत्कार करती थीं।

मुस्लिम मध्यम वर्ग की स्त्रियां पर्दा करती थीं और बगैर बुरके के घर से बाहर निकलने का साहस न करती थीं।<sup>4</sup> यदि डेला डेली के वर्यून पर विश्वास किया जावे

1. पन्नूहात-ए-नीरोजशाही, पृ. 8-9. (सैल मन्दुर रसीद द्वारा सम्पादित)
2. तारीख-ए-परिषता, भाग 1, पृ. 344.
3. शीपड़ा, पी० एन०—सोसायटी एण्ड क्लब्स डेप्यूरिंग द मुगल ऐज पृ० 110-11.
4. दैमिलटन, ए०—ए न्यू प्रकाउण्ट प्राफ द ईस्ट इन्डोज, भाग 1, पृ० 193.

तो मुसलमान पति अपनी उपस्थिति में ही अपनी स्त्रियों को सम्बन्धियों से बातचीत करने की अनुमति देते थे।<sup>1</sup> हिन्दू मध्यम श्रेणी के परिवारों में पदों की प्रथा इतनी कठोर न थी और वे बगैर किसी रुकावट के स्वतन्त्रता से घूमती थीं। निम्न-मध्यम वर्ग की हिन्दू स्त्रियों में कोई पदा न था और ऐसा माना जाता था कि वे अपने पतियों की हर क्षेत्र में सहायता करेंगी। इस वर्ग की स्त्रियाँ बगैर पदा किये हुए नदी अथवा तालाब से पानी भर कर साधारण रूप से लाती थीं।

स्वाभाविक रूप से पदों की प्रथा से हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा क्योंकि स्वतन्त्रता पूर्वक उनका घर से बाहर जाना सम्भव न था। इस कारण उनकी शिक्षा का प्रबन्ध केवल घरों में ही सम्भव था और ये सुविधा समस्त परिवार की स्त्रियों के लिये सुलभ न हो सकती थी।

पदों की प्रथा के साथ ही साथ, कन्या का जन्म भी हिन्दू अथवा मुस्लिम परिवार में दुःख का कारण माना जाता था। पुत्र के जन्म के समान न तो उसका स्वागत ही किया जाता था और न ही किसी प्रकार की खुशी ही मनाई जाती थी। यह इसी से स्पष्ट है कि कन्या-जन्म पर केवल स्त्रियाँ ही खुशी मनाती थी जबकि राजकुमार के जन्म पर समस्त मुगल दरबार जशन (उत्सव) मनाने में भाग लेता था। पुत्र-जन्म की अभिलाषा का अनुमान हम इसी से अनुभव कर सकते हैं कि अरबों ने पुत्र-जन्म के लिये दोलत मुईनुद्दीन चिश्ती की मिश्रत मांगी थी और आगरा से अजमेर तक (140 कोस) पैदल यात्रा करने का निश्चय किया था।<sup>2</sup>

हिन्दुओं में भी पुत्र के जन्म का स्वागत किया जाता था और ऐसी स्त्री जो लगातार कन्याओं को जन्म देती थी घृणा की पात्र थी क्योंकि कन्याएँ कुल के लिये कलक समझी जाती थी और विशेषकर राजपूत यह अनुभव करते थे कि उनकी ही गोत्र में मुशौल वर डूबना कठिन है इसलिए अपनी कुल-मर्यादा, मिथ्याभिमान को बनाये रखने के लिये उन्होंने कन्या-वध को सुलभ साधन मान अपना लिया था। सीमाय से यह कुप्रथा केवल अर्ध-सभ्य राजपूत परिवारों तक ही सीमित थी।<sup>3</sup>

कन्यावध की कुप्रथा के अतिरिक्त कन्याओं की विवाह सम्बन्धी समस्या भी मध्यकाल में अधिक जटिल थी। स्त्रियों अथवा कन्याओं के लिये जीवन भर अविवाहित रहना सम्भव न था और इसलिए पिता के लिये यह पुण्य कार्य समझा जाता था कि वह अपनी कन्याओं का उचित समय पर विवाह कर दे। मध्ययुग की अस्तिर

1 डेला, वेली—ट्रेवलर, पृ 430

2 चौपडा, पी० एन०—वही, पृ. 113.

3 टाड, कर्नल—ऐनाल्स एण्ड एन्टीक्यूटीस ऑफ राजस्थान, भाग 2, पृ० 739-40..

राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति में पिता यही उचित समझता था कि वह कीमती शोध अपनी लड़कियों का विवाह कर दे। यह प्रतिस्पर्धा अधिक रूप से हिन्दू वर्ग पर लागू थी इसलिये हिन्दुओं ने बाल विवाह, बेमेल विवाह को अपनाया। हिन्दुओं में बाल विवाह, एक अन्वय न होकर, सामाजिक नियम बन गया था और इसलिये 9 वर्ष तक बालिकाएँ का विवाह करना एक सामाजिक मान्यता हो गई थी। यौवनारम्भ (प्यूबर्टी) के पहले लड़की का विवाह आवश्यक था और इसलिये 6 अथवा 7 वर्ष की आयु में सामारणतया लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। डोला-मार रा दोहा के आधार पर एक मारवाड़ी कन्या का विवाह डेढ़ वर्ष की आयु में 3 वर्ष के बालक के साथ कर दिया गया था। इसी प्रकार पेशवा का ब्राह्मण सेनाधिकारी इसलिये अधिक परेशान था कि उसकी कन्या का 9 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी विवाह नहीं हो पाया है। उसने युद्ध क्षेत्र से पत्र लिखकर अपनी व्याकुलता प्रकट की थी।

मुस्लिम समाज में भी बाल विवाह प्रचलित था। फीरोज तुगलक के समय की स्थिति का वर्णन करते हुये अफीफ ने लिखा है, "सैयद, काजी व उमरा अपनी लड़कियों का विवाह अल्प आयु में ही कर देते थे।" 1 गरीब वर्ग जो घनाभाव के कारण विवाह करने में असमर्थ था उनको इसके लिए मुल्तान की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती थी। इस सहायता के लिये अन्न से ही एक विभाग स्थापित किया गया था जिसे दीवान ए खैरात कहते थे।

हिन्दू समाज में बाल विवाह के साथ ही अन्नमेन विवाह भी प्रचलित था जब कि कन्या का विवाह किमी बूढ़े अथवा उससे बड़ाई अथवा 3 गुनी उम्र के आदमी के साथ कर दिया जाता था। कभी कभी बालक के पूर्ण युवती के साथ विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। अन्नमेल विवाहों के कारणों में सम्पत्ति का कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण था। सम्पत्ति के लालच में आकर कभी कभी एक युवक एक वृद्ध स्त्री से भी विवाह करने को तैयार हो जाता था। यह दुर्गुण इतना व्यापक हो गया था कि भकवर ने यह आदेश निकाला कि यदि स्त्री की उम्र अपने पति से 12 वर्ष से अधिक है तो ऐसा विवाह गैर कानूनी तथा रद्द समझा जावेगा। 2

ऐसी स्थिति में जब लड़कियों का विवाह करना एक समस्या थी यह विचारना कि विवाह के पहले वर पक्ष की स्त्रियाँ सम्भावित बधु को देखने का प्रयत्न कर रक्खेंगी मात्र असम्भव है। इसी प्रकार से विवाह के पहले किसी प्रकार के लड़की की सम्भावित वर के सम्बन्ध में अनुमति लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः

1 अफीफ, शम्स, सिराज—तारीख-ए-फीरोजशाही, पृ. 180, 292.

2. बदायूनी, मुत्तखब—उत्त तवारीख, भाग 2, पृ 391.

फजल ने लिखा है कि अकबर ने यह प्रयास किया, कि विवाह निश्चित करने के पहले सम्भावित वर-वधु की अनुमति प्राप्त करली जावे तथा मा बाप की भी अनुमति ले ली जावे, परन्तु यह सफल न हो पाया।<sup>1</sup> विवाहो मे अक्सर दहेज की माग की जाती थी और विवाह के लिये यही कसौटी थी। विवाह की जोड़ी ठीक न होने पर भी दहेज के लालच मे विवाह कर दिया जाता था।

दहेज की प्रथा सम्पूर्ण मध्यकाल मे प्रचलित थी और कठोर जाति-व्यवस्था इमका महत्वपूर्ण कारण था। मोटे रूप से सम्पन्न और धनाढ्य परिवारो मे यह प्रथा अधिक प्रचलित थी। दहेज व्यक्ति के जीवन-स्तर व सामाजिक स्थिति पर निर्भर था। साधारणतया धनाढयो से अधिक दहेज देने की आशा की जाती थी।

दहेज को हम दो श्रेणियो मे बांट सकते हैं (1) विवाह के पूर्व जिसको श्रीफल तिलक आदि की सजा दी जानी है तथा (2) विवाह के बाद जिसको दहेज अथवा बंगाल, बिहार, उड़ीसा मे जातुक कह कर पुकारते हैं। समकालीन साहित्य तथा फारसी ग्रन्थो मे दोनो ही प्रकार के दहेज के उदाहरण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो मे चन्द्रवती के विवाह के पूर्व श्रीफल के रूप मे पृथ्वीराज के पिता को दहेज देने का विवरण मिलता है।<sup>2</sup> अधिकतर दहेज मे बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, गहने, घोड, हाथी, दास-दासी तथा विलासिता की वस्तुएँ होती थी।

हिन्दुओ की तरह मुस्लिम सम्पन्न और धनाढ्य परिवारो में भी दहेज की प्रथा प्रचलित थी। स्वयं पैगम्बर मुहम्मद ने लडकियो के पिता द्वारा दहेज देने की अनुमति दी है। दहेज के अतिरिक्त मुस्लिम समाज मे विवाह-विच्छेद अथवा तलाक भी मान्य था। बारबोसा<sup>3</sup> के अनुसार कोई मुस्लिम पति (शोहर) महर (विवाह के समय पति द्वारा विवाह-विच्छेद होने की स्थिति मे दिये जाने वाले धन का वचन) देकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था।

हिन्दू समाज मे भी निश्चित नियमो के आधार पर स्वयं मनु ने विवाह-विच्छेद की आज्ञा दी थी परन्तु हमारे अध्ययन काल मे यदि अलबहनी के विवरण को स्वीकार किया जावे तो केवल मृत्यु ही पति-पत्नी को अलग कर सकती है क्योंकि हिन्दू समाज मे विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं है।<sup>4</sup> निम्न जातियो मे जैसे शूद्र, चाण्डाल आदि मे आज के समान ही विवाह-विच्छेद हो सकते थे।

1. अबुल, फजल—आईन-ए-अकबरी, पृ 277.
2. चन्द्रवर्दाई—पृथ्वीराज रासो, भाग 2, पृ. 898.
3. बारबोसा—ट्रेवल्स, भाग 1, पृ. 121.
4. अलबहनीज् इडिया, वही, भाग 2, पृ. 154.

इसके प्रतिरुक्त हिंदू और मुस्लिम समाज में बहु विवाह भी प्रचलित था। जन साधारण में एक स्त्री और एक पुरुष के विवाह की प्रथा थी परन्तु धनवान और सम्मानित व्यक्तियों में बहु-विवाह प्रचलित था। यद्यपि कुरान ने मुसलमानों को चार विवाह करने की अनुमति दे रखी है तथापि केवल धनवान वर्ग ही इसका उपभोग करने का सामर्थ्य रखता था। सम्भवत इसी कारण धनवान और राजपुत्र्य हमारे की सख्या में विवाह करते थे। खानजहा मकबूल के विषय में यह जानकारी मिलती है कि उसके भ्रत पुर में विभिन्न देशों की सुन्दरियों का ऐसा सुखिपूर्ण भयन किया गया था कि उस समय के इन्द्रिय-लोलुप सुल्तानों के रनवासों में भी इतनी रूपवती स्त्रियों को ढूँढ निकालना बठिन था।

धनवान और राजपुरय हिंदू भी किसी प्रकार से पीछे न थे। अलबरूनी लिखता है कि हिन्दू एक से चार विवाह तक कर सकते थे। आगे चलकर उसने लिखा है कि सम्भवत पत्नियों की सरया वरुं पर प्राधारित थी अर्थात् ब्राह्मण चार, क्षत्रिय तीन, वैश्य दो और शूद्र एक विवाह कर सकता था। साधारणतया सल्तनत कालीन हिन्दू समाज में बहु विवाह अत्यधिक सीमित था।

मुगलकालीन भारत में भी मुस्लिम समाज में बहु-विवाह प्रचलित था। इबादत खाने में उलेमा द्वारा मुसलमानों के लिये निकाह द्वारा चार विवाह करने की अनुमति देने के बाद भी अकबर साधारण वर्ग के लिए एक से अधिक विवाह हानिकारक मानता था और इसीलिए उसने यह आदेश निकाला था कि जब तक साधारण वर्ग की स्त्री बाभू साबित न हो जाये तब तक दूसरा विवाह करना निषेध है।<sup>1</sup> मिर्जा अजीज कोका कि युक्ति यहा देना अधिक उचित होगा। उसका कहना था कि एक व्यक्ति को चार विवाह करने चाहिए, एक फारसी स्त्री से बातचीत आदि के लिये, एक बुरासानी से जिससे वह घर का कामकाज सभाल सके, एक भारतीय से जो बच्चे का पालन-पोषण कर सके, तथा एक मावरवहार से जिसके कि कोडे लगाकर शेष तीन को भयभीत रखना जा सके।

बहु-विवाह के कारण रनवासों का आकार बढ़ने लगा और स्त्री का सामाजिक मान क्रमश घटने लगा। घर की चेरी अपने रूप-लावण्य के कारण अपने स्वामी पर विजय पाने में सफल होने लगी और उसी अनुपात में घर की वास्तविक स्वामिनी की मान मर्यादा घटाने में सहायक हुई। स्वाभाविक रूप से एक पति के लिये अपनी अनेकों पत्नियों को सन्तुष्ट रखना सम्भव न हो सका और इसी असन्तोष न घर को आपसी वैमनस्य और प्रतिद्विदिता का प्रत्याहा बना दिया।

बहु-विवाह प्रथा ने अनेकों दुर्गुणों को जन्म दिया। मुस्लिम समाज की स्त्रियों की स्थिति इस क्षेत्र में अच्छी थी क्योंकि वे विधवा होने पर पुनर्विवाह कर सकती



थी, तलाक दे सकती थीं, उनमें सती प्रथा न थी और वे अपने मां-बाप की सम्पत्ति में हिस्से की अधिकारिणी थी ।

हिन्दू स्त्रियों को ये अधिकार प्राप्त न थे । समस्त सल्तनत काल में निम्न वर्ग को छोड़ कर विधवा-विवाह प्रचलित न था । मुगलकाल में भी इसमें कोई परिवर्तन न आया अपितु यह नियम और अधिक कठोरता से लागू किया जाने लगा । हिन्दू विधवायें पुनर्विवाह की मात्र कल्पना से दूर रहती थीं और जब तक कि वे अधिक आयु की न हों और उन पर अच्छों के पालन-पोषण का अत्यधिक भार न हो तब तक वे अपने पति की मृत्यु के बाद जीवित रहना भी पसन्द न करती थीं । सम्भवतः इसी भावना ने हिन्दू समाज में प्रचलित दूसरी कुप्रथा, सती को जन्म दिया ।

हिन्दू विधवा के लिये क्योंकि पुनर्विवाह की अनुमति न थी (केवल निम्न वर्ग को छोड़कर) इसलिये उसके सामने केवल दो ही विकल्प थे—या तो अपने पति की चिता के साथ सती हो जावे अथवा मृत्यु के शीघ्र बाद दूसरी चिता में स्वयम् को समर्पित कर दे अथवा सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करे जिसमें समाज की प्रताड़ना, उत्पीड़न ही जीवन का रूप धारण कर ले । बहुधा ऐसी स्थिति में जब की तिरस्कार, असम्मान और समाज का अभिशाप ही जीवन में शेष रह गया हो, विधवा अपने पति के शव के साथ सती होना ही अधिक श्रेयकर समझती थी । विशेषकर राजा महाराजाओं की पत्नियों के लिये यह आवश्यक था चाहे वे इन प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से स्वीकार करें जिससे कि वे पति की मृत्यु के बाद कोई ऐसा कार्य न कर सकें जिससे उसके सम्मान को किसी प्रकार की घाँच भाँचे ।

पति के शव के साथ होने वाली सती की क्रिया को सह-मरण तथा शव की अनुपस्थिति में की जाने वाली क्रिया को अनु-मरण कहते थे । सह-मरण ही अधिक प्रचलित प्रथा थी । सती होने वाली स्त्री के लिये निष्ठा, सयम से रहना आवश्यक था । ऐसा विश्वास किया जाता था कि सती न केवल अपने पुराने पापों से मुक्त होती है अपितु स्वर्ग की अधिकारिणी बन जाती है ।<sup>1</sup> इसके अतिरिक्त यह भी विश्वास किया जाता था कि सती अपने पति को भी नर्क से निकाल कर ला सकती है तथा स्वयम् भी जन्म-मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकती है । ऐसी स्त्री जो सती नहीं होती है किसी प्रकार से स्त्री योनि से मुक्त नहीं हो सकती ।

भारत में सती की प्रथा स्वैच्छिक थी परन्तु बदलती हुई परिस्थितियों में इसने बाध्यता का रूप ही धारण कर लिया था और धार्मिक कारणों की तुलना में राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक कारण अधिक महत्वपूर्ण हो गये थे । अपने सतीत्व की रक्षा जो कि मध्ययुग में गम्भीर समस्या थी, सम्पत्ति का बटवारा व उस पर

1. मिर्जा, मुन्शी, कश्मीरी—दबीस्तानुल मजाहिब, पृ. 125.

अधिकार तथा सामाजिक प्रताडना अधिक महत्वपूर्ण हो गये और धार्मिक प्रेरणा ने गौण रूप ले लिया ।

इन् वतूता<sup>1</sup> ने सती प्रथा का विस्तार से वर्णन किया है तथा अपनी यात्रा के मध्य भिन्न-भिन्न प्रदेशों में जिस प्रकार से सती होती थी उसका जीवित चित्र प्रस्तुत किया है । उसके वर्णन से अनुभव होता है कि सती प्रथा ने किस प्रकार से क्रूरता का रूप धारण कर लिया था । भाकों पोली तथा निकोली कोण्टी ने भी इसी प्रकार का विवरण प्रस्तुत किया है ।

सस्तनत काल में सती होने के पहले राज्य से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था । सम्भवत वाध्यता अथवा सामाजिक दबाव को कम करने के लिये ही इस प्रकार का नियम बनाया गया था । इन् वतूता की यह मान्यता है कि इस नियम के बाद भी साधारणरूप में सती होने की आज्ञा प्रदान कर ही दी जाती थी ।<sup>2</sup>

मुगल काल में भी सती पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया गया । अरबूर ने आदेश निकाला कि वे विधवायें जिनका अपने पतियों के साथ महावास न हुआ हो किसी प्रकार से सती होने के लिये वाध्य न की जावें । इसके अतिरिक्त दूसरी विधवायें केवल स्वेच्छा से ही सती हो सकती हैं । 1620 में जर्हांगीर ने बर्गर राज्य की आज्ञा के सती होने को दण्डित घोषित किया तथा इसके लिये मृत्युदण्ड निश्चित किया । परन्तु यह कठोर नियम किसी प्रकार से लागू न किया जा सका । औरंगजेब ने भी 1663 में सती होने पर प्रतिबन्ध लगाया तथा अधिकारियों को आज्ञा दी कि केवल सन्तानहीन विधवाओं के अतिरिक्त किसी स्त्री को सती न होने दिया जावे । मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही ये सब नियम भी स्वयम् समाप्त हो गये और सती प्रथा अबाध रूप से पहले के समान ही प्रचलित रही ।<sup>3</sup>

हिन्दू स्त्रियो के सम्पर्क के कारण, सम्पन्न मुस्लिम परिवारों में भी इसी प्रकार की प्रथा प्रचलित हो गई थी जबकि जीवित पति अपने पति की कब्र में समा (दफन) जाती थी । पृथ्वीराज रासी में विचरेला का अपने प्रिय हुसैन कथ के साथ दफन होने का विवरण मिलता है ।

सती प्रथा के साथ ही हिन्दू समाज में और विशेषकर राजपूतों में जोहर की भयावही प्रथा भी प्रचलित थी । जब कभी राजपूत राजा अपने शत्रु के विरुद्ध

1 इन् वतूता—रेहला, (प्रो० मेहदी हुसैन द्वारा अनुवादित), पृ 22-23.

2 इन् वतूता—वही, पृ 21.

3. सबसेना, भार. के —सोशल रिफार्मस—इन्फेटीसाइड एण्ड सती, पृ 77-

अत्यधिक निराश हो जाते अथवा पराजय और उससे सम्बन्धित अपमान अवश्यम-भावी दिखाई देने लगता तो ऐसे समय में या तो वे अपनी स्त्रियों और बच्चों को मार देते थे अथवा उनको अग्नि में समर्पित कर दिया करते थे। स्त्रियों और बच्चों से निश्चिन्त हो वे शत्रु पर अन्तिम आक्रमण कर एक धीर की तरह प्राण त्याग देते थे। रणायम्भोर के चौहान शासक हमीर देव ने अलाउद्दीन के विरुद्ध सभावित पराजय को निश्चित मान कर इसी प्रकार जौहर रचा था।<sup>1</sup> इब्न बतूता<sup>2</sup> के वर्णन से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार कम्पिल के राव राजा ने मुहम्मद तुगलक के विरुद्ध जौहर किया था। मुगल काल में भी हम ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जत्र राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचा था और आक्रमणकारी के विरुद्ध अपने सम्मान तथा सतीत्व की रक्षा के लिये अपने प्राण न्योछावर किये थे। वास्तविकता यह है कि जौहर राजपूत स्त्रीत्व का सम्मानजनक प्रतीक था और वह सहर्ष ही इसके लिये तत्पर रहती थी।

मध्यकालीन समाज में वेश्याओं की सहाय भी काफी थी। इनको नर्तकी, पातर, गनिका आदि पुकारते थे। ऐसा माना जाता है कि शासक स्वयम् इन्हे प्रोत्साहित कर राज्य में वमाते थे जिससे कि वे अपने राज्य को आङ्गण का केन्द्र बना सकें, नागरिकों को सुख पहुँचा सकें तथा इस आघार पर कर प्राप्त कर सकें।<sup>3</sup> कालीकट में नर्सकियों का विघरण देते हुए निकोली फोण्टी ने लिखा है कि ये शहर के प्रत्येक भाग में अपने स्वयम् के घरों में रहती थी और अपने यौवन तथा सुन्दरता से लोगों को अपनी ओर आकृषित करने में समर्थ थी। चन्द्र बरवाई ने भी पृथ्वीराज रासो में इनका वर्णन किया है। समस्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि मध्यकाल में वेश्या-वृत्ति बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। अलाउद्दीन खलजी के समय दिल्ली में इनकी सख्या इतनी अधिक हो गई थी कि इसने उसके लिये एक समस्या का रूप ले लिया था। अलाउद्दीन ने इस समस्या के निराकरण के लिये अपने को का विवाह करवा दिया। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप अपने को वेश्या-वृत्ति को त्याग दिया तथा सम्मानित स्त्रियों के रूप में वे जीवन निर्वाह करने लगी।<sup>4</sup> अकबर और औरंगजेब के काल में भी वेश्या-वृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के सबल प्रयास किये गये परन्तु इसके बाद भी समुचित रूप से इसकी समाप्ति सम्भव न हो सकी।

1. कायस्थ, हीरानन्द—तारीख किला रणायम्भोर (अनुवादक आर. के. सक्सेना) पृ. 88-99
2. इब्न, बतूता—रेहला (अनुवादित) पृ. 95.
3. साहू, के० पी०—सम आस्पेक्टस आफ नार्थन इंडियन सोशल लाइफ, पृ० 206.
4. अशरफ, के. एम.—वही, पृ. 228.

इस समस्त विवरण के बाद हम ऐसा अनुभव करते हैं कि स्त्री का पत्नी तथा माता के रूप में विवेचन किया जावे। सामान्यतः लड़कियों का अपने पति चुनने में कोई हाथ नहीं था और विवाह के बाद उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अपनी सास की आज्ञाओं का पालन करेंगी। यदि दुर्भाग्य-वश वह इस मापदण्ड पर खरी न उतर पायें तो मुस्लिम परिवार में उसे तलाक दे दिया जाता था और हिन्दू परिवार में उसका जीवन अत्यन्त दयनीय हो जाता था। उससे यह आशा की जाती थी कि वह परिवार के समस्त प्राणियों को अपने कार्य व व्यवहार से प्रसन्न रखेगी तथा घर के समस्त कार्य करेगी। धातु प्राप्त होने पर वह घर के कामों में अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती थी और खर्च आदि पर अधिकार रखने के साथ ही समस्त घर की व्यवस्था रखने के लिये उत्तरदायी समझी जाती थी।

पति की तुलना में उसकी स्थिति आश्रित परन्तु सम्मानपूर्ण अधीनस्था की थी जब तक पति-पत्नी के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहें। जहागीर अपनी आत्मकथा में लिखता है, "कि हिन्दू समाज में पत्नी की उपस्थिति के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं सम्पन्न होता है और इसीलिये वे इसे अर्द्धांगिनी कहते हैं। यद्यपि उसके विचारों का आदर किया जाता है परन्तु फिर भी अन्तिम निर्णय पति का ही होता है।" राजा और सामन्तों की पुत्रियाँ भी इससे अपने आपको अलग नहीं रख सकती थीं और महाराजा की भी एक बार अपनी पुत्री व सादही के सरदार की पत्नी को इस सम्बन्ध में प्रताड़ना देने पर बाध्य होना पड़ा था। राज परिवार में राजपूत स्त्रियाँ अपनी स्थिति के प्रति पूरी तरह सतर्क थीं और पति के द्वारा अपमानित करने की स्थिति में वे अपने सम्मान और भयानक को बनाये रखने के लिये कटिबद्ध थीं। घरनत के युद्ध में पराजित होने पर जब जसवन्तसिंह मारवाड़ लौटे तो परिश्रम के अनुसार रानी ने न केवल दुर्ग का फाटक बन्द करवा दिया अपितु अपने पति का स्वागत करने से भी इन्कार कर दिया। उसके अनुसार "युद्ध-क्षेत्र से भगोड़ा उसका पति प्रथम महाराजा का दामाद नहीं हो सकता, निश्चित ही उसका पति युद्ध में मारा गया है तथा उसको ढोखा दिया जा रहा है।" हमीदा बानू का भी इस सदर्भ में उदाहरण अनुकरणीय है जिसने अपमानजनक शर्तों के आधार पर विवाह करने से ही मान कर दिया। इस सब के बाद भी यह निश्चित है कि हिन्दू और मुसलमान स्त्रियाँ एक सुखमय पारिवारिक जीवन व्यतीत करती थीं।

माता के रूप में स्त्री का समाज और परिवार में अत्यधिक सम्मान था। इस्लाम अपने समर्थकों को माता का आदर करने का आदेश देता है क्योंकि स्वर्ग माता के कदमों में ही है। सम्पूर्ण मध्यकाल में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि

साधारण वर्ग से लेकर शासक तक अपनी माता का अत्यधिक आदर करते थे, यहाँ तक कि कुछ मुगल सम्राट स्वयं अपनी माता के अभिनन्दन के लिये राज दरबार से कुछ दूर जाकर उनकी धगवानी करते थे। उनके सम्मुख उपस्थित होते समय विज-दाह व तसलीम आदि करते थे। जहागीर ने लिखा है कि "मैं अपनी मा से मिलने के लिये धार (लाहौर के निकट) गया तथा सम्पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ कौरनिश, सिजदाह व तसलीम का हक भदा किया और फिर प्रस्थान की आज्ञा मागी।" मुगल सम्राट सदैव ही वर्षगांठ पर अपनी माता के आशिर्वाद प्राप्त करने के लिये उसके सम्मुख उपस्थित होते थे। मध्यकाल में राज्य की प्रथम महिला रानीपति (प्रिन्सेज कन्सर्ट) न होकर माता अथवा बहन ही हुमा करती थी। नूरजहाँ और मुमताज महल इसके प्रतिवादी हैं।<sup>1</sup>

राजपूतों द्वारा अपनी माता को दिया जाने वाला सम्मान अनुकरणीय है। सम्भवतः अपनी माता को उनसे अधिक सम्मान देने वाला कोई दूसरा वर्ग नहीं था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय सुबह के भोजन के पहले प्रतिदिन अपनी माता के दर्शन करते थे। कोई राजपूत अपनी माता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। फत्ता ने अपनी माता के कहने पर ही अकबर के बिलोड पर आक्रमण के समय केसरिया वस्त्र धारण कर सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दे दी।

मध्यकाल में स्त्रियों द्वारा मध्यस्थता करके अपने विवादों का हल निकालने के प्रमाण मिलते हैं। मुकर्रब खा बी माता की मध्यस्थता से ही इतिहासकार बदायूनी अपने विवाद को हल करवाने में समर्थ हुआ था। बेगम के बीच बचाव से ही अकबर ने अपने विद्रोही पुत्र सलीम (जहागीर) को क्षमा प्रदान की थी और जहान-आरा के अनुनय विनय पर ही 1653 में औरंगजेब को न केवल क्षमा किया गया अपितु वह पुराने सम्मान को प्राप्त करने में भी सफल हुआ था।

सम्पत्ति प्राप्ति के क्षेत्र में मुस्लिम स्त्री वर्ग की स्थिति हिन्दू स्त्रियों से अधिक उचित थी। उत्तराधिकारिणी के रूप में वह अपने पति की सम्पत्ति में निश्चित अनुपात की अधिकारिणी थी जिसको कि वह अपनी इच्छानुसार बेच भी सकती थी। इसके प्रतिरिक्त उलाक आदि की स्थिति में वह महत् प्राप्त करने की अधिकारिणी थी। इसके विपरित हिन्दू स्त्री को अपने सास ससुर की सम्पत्ति से कोई भाग प्राप्त करने का अधिकार न था। उस केवल भरण-पोषण (मेन्टीनेन्स) के हेतु ही नाम-मात्र की सुविधा प्राप्त थी। हिन्दू स्त्रियाँ अधिकतर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी

1 तुजुक-ए-जहागीरी, (प्रो लो द्वारा अनुवादित) पृ 62.

2 सरकार, सर जे एन — औरंगजेब, भाग 3 पृ: 57

और अवकाश के समय सूत कातने, गमं कपड़े बुनने आदि का काम करती थी। कृषि अथवा मजदूर वर्ग से सम्बन्धित स्त्रियाँ खेती तथा पशु-पालन में सहायता करती थी।

हिन्दू स्त्रियों का चरित्र आदर्श था। विभिन्न यात्रियों ने उनके चरित्र की शुद्धता को स्वीकार किया है। स्वयम् अकबर भी हिन्दू स्त्रियों के सतीत्व से अत्यधिक प्रभावित था। जहागीर भी हिन्दू स्त्रियों के शुद्ध चरित्र का प्रशंसक था। जहागीर के अनुसार हिन्दू स्त्रियों द्वारा जीहर करना उनके सतीत्व का अफाट्य प्रमाण था जिससे कि कोई विदेशी अथवा अनजान व्यक्ति उनके सतीत्व के दामन को न छू सके। चरित्र की ये शुद्धता मध्ययुग में दूसरे देशों अथवा समाजों में देखना दुर्भर थी।

---

# 14

## मुस्लिम व हिन्दू वर्ग

ईसा की सातवीं शताब्दी में अरबों के मरस्यस में पैगम्बर मुहम्मद (570-637 ई.) ने एक धर्म का प्रचार किया जो इस्लाम कहलाया। इस्लाम एक निराकार ईश्वर (अल्लाह) को ही पूज्य मानता है इसीलिए इस्लाम का मूल आधार "या इवाही ईल्लिसलाहा, मुहम्मद ए रसूल अल्लाह है।" हजरत मुहम्मद ने उस समय में प्रचलित बुराईयों और हानिकारक रूढ़ियों का खण्डन किया और इसीलिए अरब प्रायद्वीप में एक नई चेतना और नया जीवन दिखाई देने लगा। अरबों ने धार्मिक जोश में न केवल नये प्रदेशों को जीतना ही आरम्भ किया अपितु वहाँ इस्लाम का प्रचार करना अपना एक मात्र धार्मिक कर्तव्य माना। 750 ई० तक पूर्व में सिन्ध और पश्चिम में फ्रांस के पिरिनीज पर्वत तक अरबों का इस्लामी राज्य स्थापित हो गया।

भारत में आने के बाद मुसलमानों में वर्ग-विभाजन और अधिक बढ़ गया जिनमें सबसे अधिक सम्मानित वर्ग विदेशी मुसलमानों का था। यह वर्ग क्योंकि धार्मिक वर्ग था इसलिए अधिक प्रभावशाली और विशेष अधिकारों से युक्त था। राज्य की बड़ी बड़ी जागिरें, पद इन्हीं के लिए सुरक्षित रखे जाते थे और समाज में भी उनका स्थान श्रेष्ठ था। समय के साथ इन विदेशी मुसलमानों में भी नस्ल के आधार पर और नये वर्ग बन गये—जैसे तुर्क, ईरानी, अरब, अफगान आदि। 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने अपनी श्रेष्ठता को कायम रक्खा इसलिए अन्य विदेशी मुसलमान उनसे बराबरी का दावा न कर सके, परन्तु 14वीं शताब्दी में खलजियों द्वारा राज-सत्ता स्थापित करने पर इस स्थिति में परिवर्तन आ गया और तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त होने के साथ ही समस्त विदेशी मुसलमान एक स्तर के माने जाने लगे।

मुसलमानों में दूसरा वर्ग भारतीय मुसलमानों का था जिन्होंने कि या तो इस्लाम को अंगीकार कर लिया था अथवा परिवर्तित मुसलमानों की सन्तान थे। इन

भारतीय मुसलमानों को इस्लाम में दीक्षित करने के बाद भी इनके साथ विदेशी मुसलमानों द्वारा कभी भी बराबरी का व्यवहार नहीं किया गया क्योंकि न तो इन्हें श्रेष्ठ नस्ल का ही समझा जाता था और न ही भारत की विजय में इनका कोई योगदान ही माना जाता था। पूरे सल्तनत काल में इन्हें गिने ही भारतीय मुसलमान थे जिन्हें राज्य में किसी प्रकार का सम्मानित पद सौभाग्य से प्राप्त हो गया हो। सलजुकी युग और उसके पश्चात् मुहम्मद तुगलक के राज्य काल में ही वे कुछ पद प्राप्त करने में सफल हुए थे। परन्तु इसके बाद भी सामाजिक आघात पर उनको निम्न ही माना जाता था। इस कारण विदेशी और भारतीय मुसलमान उत्पत्ति और नस्ल की श्रेष्ठता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बँटे रहे।

इसके अतिरिक्त धर्म, जीविका और शिक्षा के आधार पर भी मुसलमान विभिन्न वर्गों में बँटे हुए थे। धर्म के क्षेत्र में उलेमा वर्ग सबसे प्रभावशाली था और कतिपय सुल्तान ही स्वयं को इनके प्रभाव से बचा सकने में समर्थ हुए। अलाउद्दीन खलजी और मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल की छोड़कर उलेमा वर्ग राज्य पर हावी रहा क्योंकि ये माना जाता था कि वे ही इस्लामी सिद्धान्तों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त सैनिकों का भी अलग वर्ग था और राज्य-स्थापना तथा उसको सुमगठित रखने के लिए वे उत्तरदायी समझे जाते थे। इसलिए दूसरे मुस्लिम वर्गों की अपेक्षा उन्हें भी अधिक सम्मान दिया जाता था। मुस्लिम समाज का निम्नतर स्तर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, शिल्पी और कलकों का था। परन्तु यह सब भेद केवल परम्परागत थे और शरियत ने इनको मान्यता न दी थी। अतः मुसलमानों का आपसी भेदभाव कभी भी उस कोटि का नहीं हुआ जिस कोटि की हिन्दू जाति प्रथा थी। वे एक दूसरे के साथ द्वेष-व्यथाना का सम्बन्ध रखते थे।

हिन्दुओं में पहले से ही जाति-व्यवस्था घर किये हुए थी और इस्लामी आक्रमणों ने इस व्यवस्था को और अधिक कठोर बना दिया था। सम्भवतः हिन्दू-धर्म की पवित्रता को बनाये रखने के लिए यह सुलभ साधन था। इसी कारण नयी-नयी उप जातियों का जन्म हुआ जिनमें ऊँच नीच की भावना इतनी अधिक थी कि जिनसे परस्पर स्नान-पान व विवाह सम्बन्ध सम्भव न थे। अनुलोम और अन्त-जातीय विवाह अपवाद हो गये और लोगों में यह भावना फैलने लगी कि जाति के सदस्य ही भाई भाई हैं। इस प्रकार से सहानुभूति, प्रेम, एकता और बन्धुत्व की भावना उस छोटे जन-समूह तक सीमित रह गई जो समान आचार-विचारों एवं कुल परम्परा के आधार पर एक जाति कही जाती थी। हिन्दुओं में यद्यपि अनेकों कुरीतियाँ प्रचलित थीं परन्तु उनके बाद भी साधारणतया हिन्दू धर्मपरामर्श, सच्चरित्र और सार्विक विचारधारा के थे।



## राज्य का हिन्दुओं के प्रति दृष्टिकोण —

मध्यकालीन भारत (जिसकी अवधि लगभग घाट शताब्दी मानी जाती है) में यह मानना कि जीवन का प्रतिमान या ढांचा एक जैसा भ्रमवा एकरूप रहा होगा उचित नहीं दीखता। कोई समाज इतना गतिहीन भ्रमवा निश्चल नहीं हो सकता कि इतनी लम्बी अवधि तक वर्गों किसी परिवर्तन के जीवित रह सके। इसीलिए नये राजवशों की स्थापना, शासकों के विभिन्न और विरोधी दृष्टिकोण के कारण हिन्दुओं के प्रति व्यवहार में अन्तर आजाना स्वाभाविक था। समस्त शासकों में यदि कोई तत्व समान था तो केवल यही कि वे इस्लाम के अनुयायी थे और इस नाते (इस्लामी विधि वेत्ताओं के अनुसार) उनसे किन्हीं दायित्वों को निभाने की आशा की जाती थी। इनमें दीन-पनाही व जहानदारी प्रमुख थे। प्रथम के अन्तर्गत उनसे यह आशा की जाती थी कि वे इस्लाम की रक्षा, इस्लाम में वर्जित चीजों का निषेध, मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का खण्डन तथा शरीयत विरोधी लोगों का दमन करेंगे। जहादारी के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था की स्थापना, न्याय, तथा देश और इस्लाम समर्थकों की रक्षा करेंगे। प्रत्येक मुसलमान के लिए व्यक्तिगत रूप में इस्लाम के सिद्धान्तों को मानना जीवन की प्राथमिकता थी तथा राज्य के प्रति उसकी निष्ठा इस बात पर आधारित थी कि राज्य किस सीमा तक इस्लामी सिद्धान्तों का पालन करता है। यदि इस्लाम और राज्य के सिद्धान्तों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जावे तो मुसलमान के लिए राज्य के प्रति निष्ठावान रहने की अपेक्षा इस्लाम के प्रति वफादार रहना अधिक प्रीवित्यपूर्ण स्वीकार किया जाता था। इस आधार-भूत सिद्धान्त ने ही मध्ययुग में सुल्तानों और 'पातशाहों' द्वारा अपनी हिन्दू जनता के प्रति दृष्टिकोण को बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। समस्त मध्ययुग में अलाउद्दीन, मुहम्मद तुगलक, अकबर जैसे बिरले ही शासक थे जो इस्लाम की इस मान्यता से ऊपर उठ सके।

प्रकृति से उदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि उदार प्रवृत्ति उसके हितों के लिए घातक सिद्ध होगी और विशेषकर उस समय जब वह एक शत्रु देश में विरोधियों से घिरा हुआ, सल्तनत की स्थापना के कार्य में सलग्न हो। ऐसी स्थिति में सैनिकों और अपने अनुयायियों की सद्भावना जीतना आवश्यक था। इसीलिए उसने सैनिकों के लिए विजय-अभिमान आरम्भ किये और अनुयायियों के लिए हिन्दू विरोधी नीति को अपनाया। इसके अन्तर्गत अनेकों मन्दिरों को ध्वस्त किया गया। हसन निजामी ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, "कि उसने काफ़िरो और बुत-परस्तों (मूर्तिपूजकों) का हनन किया तथा एक भी मन्दिर अखण्डित न रहा।" हसन निजामी का ये कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है क्योंकि ऐसा करना सम्भव न था परन्तु इससे लेखक और कुतुबुद्दीन का हिन्दुओं के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता

है। ये सम्भव है कि इस प्रकार की नीति समय की माग हो क्योंकि मुस्लिम सद्-भावना को जीतने का इससे सुलभ और सरल उपाय दूसरा न था। इससे इतना अवश्य निश्चित है कि हिन्दू केवल जिम्मी के रूप में ही जीवन व्यतीत करते रहे।

इल्लुतमिश धार्मिक विचारों का व्यक्ति था और जीवन के धारम्भ से ही उसका सम्पर्क कुतुबुद्दीन बख्तियार, हमीदुद्दीन नागौरी, दोल जलालुद्दीन आदि से हो गया था। इस कारण वह धार्मिक दृष्टि से कठोर था। उसने भिलसा और उज्जैन में हिन्दू मन्दिरों को नष्ट कर दिया। एक व्यावहारिक कूटनीतिज्ञ होने के नाते वह यह समझ पाया कि इस्लाम की मान्यताओं को भारत में पूर्ण रूप से लागू करना सम्भव नहीं है। निजामुल मुल्क-जुर्नदी से हुई बातचीत से यह पुरी तरह स्पष्ट है। जुर्नदी के हिन्दुओं के लिए इस्लाम अथवा मृत्यु के विकल्प की माग कर रहा था। जुर्नदी को उसने कहा था कि "भारत में मुस्लिम वर्ग केवल एक रकाबी (प्लेट) में नमक के बराबर है और अगर हिन्दू वर्ग सगठित होकर राज्य के विरुद्ध विद्रोह करदे तो इसको दबाना सम्भव न होगा। इस्लाम के समर्थकों को सख्पा बढ़ने पर ही हिन्दुओं के सम्मुख मृत्यु अथवा इस्लाम को अंगीकार करने का विकल्प रखा जा सकता है।"

हिन्दू विद्रोहियों के दमन के वहाने बलजन ने कम्पिल, कठेहर व भोजपुर में नृशसता का व्यवहार किया। गाव के गाव जला दिए गये और सभी पुरुषों का वध करने के आदेश दिए गये। परन्तु इतनी कठोरता के बाद भी न तो वह हिन्दुओं को अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का करने से रोक सका और न ही उनका समूल अन्त ही करने में समर्थ हुआ। व्यावहारिक कूटनीतिज्ञ होने के नाते वह किसानों की महत्ता को समझता था, जो कि देश के आर्थिक ढांचे का आधार थे, इसलिए उसने उन्हें उसी प्रकार से बने रहने दिया, यद्यपि उसने उनकी वचत का अधिकांश भाग हथिया लिया।

खलजी सुल्तान यद्यपि शरियत को लागू करने के लिए उत्सुक न थे परन्तु कर भी वे उस और पुरी तरह अनभिज्ञ रहना भी नहीं चाहते थे। जलालुद्दीन खलजी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हिन्दू वर्ग स तेद कपड पहने अथवा पान का शौक करे परन्तु यह इनकी रोकने में भी असहाय था। यदि अमीर हुसरो के विवरण को स्वीकार किया जावे तो जब कभी उसे युद्ध में हिन्दू बन्दी मिल जात तो वो उन्हें हाथों से कुचलवा देता था परन्तु मुस्लिम-बन्दीयों को मुक्त कर देता था।

अलाउद्दीन खलजी सुल्तान के अधिवारों पर धर्म द्वारा किसी प्रकार की लगाई गई सीमाओं को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं था। अलाउद्दीन हिन्दुओं को सम्पन्न स्थिति में देखकर अग्रसन्न था परन्तु इसके बाद भी वह घमण्ड न था। उसको कठोर बर्-व्यवस्था और उसके परिणामस्वरूप बहुसंख्यक हिन्दू किसानों की निर्धनता को अनुभव कर यह भ्रम होता है कि वह हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाला

शासक था। परन्तु उसकी नीति का आधार धार्मिक न था। हमारे पास ऐसे प्रमाणों की कमी है जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि उसने केवल हिन्दू और मुस्लिम वर्ग के आधार पर एक को दण्डित भयवा दूसरे को पुरस्ठित किया हो। यह व्यवहारिक शासक था और अपनी प्रजा के बहुसंख्यक वर्ग को धनसंपन्न करने की भूल नहीं कर सकता था परन्तु उसे यह विश्वास हो गया था कि जब तक हिन्दुओं को निर्धन नहीं बनाया जायेगा तब तक विद्रोहों को समाप्त करना सम्भव न होगा। इन्हीं आर्थिक और राजनैतिक कारणों से उसने हिन्दुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई।

गियामुद्दीन तुगलक धार्मिक विचारों में कट्टर था और उलेमाओं का यथोचित आदर करता था। उसने अपनी नीति शरियत के सिद्धान्तों के अनुकूल बनाने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु फिर भी वह राजधानी के प्रतिरिक्त अपनी नीति को लागू करने में समर्थ न हो पाया। स्वयं उलेमा वर्ग ने भी यह अनुभव किया कि हिन्दुओं के प्रति नकारात्मक नीति अपनाएँ की अपेक्षा इस्लाम के प्रति सकारात्मक नीति अपनाना ज्यादा लाभकर सिद्ध होगी और इसीलिए मस्जिदों और मखतबों की स्थापना पर अधिक बल दिया जाने लगा। इस कारण उसके राज्यकाल में हिन्दू वर्ग शान्तिमय जीवन-यापन कर सका।

मुहम्मद तुगलक एक विद्वान और सुसभ्य व्यक्ति था। विद्वानों और हिन्दू योगियों का समुचित आदर करता था। अलाउद्दीन की भाँति वह शासन में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करता था और उलेमा, मशाइख को भी विद्रोह अथवा बेईमानी सिद्ध होने पर साधारण व्यक्तियों की तरह दण्डित करता था। राज्य के कानून से कोई भी मुक्त न था और ऐसी नीति के आधार पर हिन्दू वर्ग सम्मानित जीवन व्यतीत करने में समर्थ हुआ।

फैरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने शरियत और उलेमा वर्ग को शासन में प्रधानता दी। अन्य मुसलमानों ने धर्म का समर्थन अवश्य किया और अपनी बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा के प्रति अमहिष्णुता की नीति अपनाई परन्तु उन्होंने इस्लामी कानून को शासन के सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसने हिन्दुओं को मुसलमान बनने के लिये प्रोत्साहित किया, हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने तथा मेलों को भंग करने की नीति अपनाई। जाजनगर पर धातमण करना और ज्वालामुखी के मन्दिर की मूर्तियों को तोड़ना इसी नीति के अन्तर्गत थे। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और एक ब्राह्मण को केवल इसलिये मृत्यु दण्ड दिया क्योंकि वह मुसलमानों को हिन्दू बनने के लिए प्रोत्साहित करता था। इन आधारों पर हिन्दुओं की स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

सैयद और लोदी बंशों के राज्यकाल में, सिकन्दर नदी को छोड़ समस्त शासकों ने विभिन्न कारणों से हिन्दुओं के प्रति कठोर अमहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई।

मुगल वंश के प्रथम दो शासक बाबर और हुमायूँ ने सल्तनतकाल की नीति को ही अपनाया और न तो इस्लाम को प्रोत्साहित करने प्रसन्नमानित करने में कोई सक्रीय कदम उठाया।

अकबर के राज्यारोहण के साथ एक नई नीति का शुभारम्भ हुआ जो लगभग 1563 से 1679 ई० तक लागू रही। 1563 ई० में हिन्दुओं पर लगाये गये धूमिल तीर्थ-यात्रा कर को समाप्त किया। फिर जजिया कर को समाप्त किया और हिन्दुओं को अपने नये मन्दिरों को बनवाने की आज्ञा प्रदान करी। हिन्दू और मुसलमानों को केवल योग्यता के आधार पर राजकीय सेवाओं में स्थान दिया। हिन्दुओं में प्रचलित अनेक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। अकबर को इस बात का श्रेय है कि उसने एक ऐसी नीति को जन्म दिया जिसके आधार पर बहुसंख्यक-हिन्दू-देश में सफलता के साथ शासन किया जा सका।

जहांगीर के समय में मोटे रूप से अकबर की नीति का ही पालन किया जाता रहा परन्तु फिर भी उसमें कुछ विरोधाभास उभर आया। उसने केवल उन लोगों को वृत्तिया देनी प्रारम्भ की जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। मीरपुर और राजौरी के प्रदेश में मुस्लिम स्त्रियों को हिन्दू धर्म स्वीकार करने से रोका, पुष्कर (भजमेर) स्थिति हिन्दुओं के विराह मन्दिर को गिराया और अप्रसन्न हो जैन धर्म वालों को 1617 ई० में राज्य से निष्कासित कर दिया। परन्तु इसके बाद भी उसके राज्यकाल में हिन्दुओं के प्रति अहिंसुता की नीति राज्य नीति का अंग नहीं बनी।

शाहजहाँ के समय में इस नीति में परिवर्तन आया जो कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई नीति की प्रस्तावना थी। औरंगजेब की हिन्दू नीति का समुचित अध्ययन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों तथा कुछ सम्मानित राज्याधिकारियों की जानकारी आवश्यक अनुभव होती है। जसवन्तसिंह, जयसिंह तथा रघुनाथसिंह उसके राज्यारोहण के समय के प्रमुख व प्रभावशाली अधिकारी थे। राजा रघुनाथसिंह की 1663 में, जयसिंह की 1667 में और जसवन्तसिंह की 1678 में मृत्यु हो गई। जब तक ये जीवित थे औरंगजेब ने अकबर कालीन दृष्टिकोण को ही अपनाया। इस काल में (1657-1678) उसने केवल दरबार सम्बन्धी इस्लाम विरोधी रिवाजों को बन्द किया जैसे तुलादान, भरोसा-दर्शन, संगीत आदि। परन्तु 1679 से उसने हिन्दू-विरोधी नीति प्रारम्भ की। इसी वर्ष उसने पुन हिन्दुओं पर जजिया लगाया, जोधपुर तथा अन्य राज्यों में हिन्दू मन्दिरों को गिराने की आज्ञा दी, होली तथा दीपावली के शोहारों को मनाने पर प्रतिबन्ध लगाया और ये आदेश दिये कि भविष्य में हिन्दुओं को राजस्व प्रयत्न साधजनिक विभागों के सम्भावित पदों पर नियुक्त न किया जावे। औरंगजेब ने व्यवस्थित रूप में हिन्दुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपराधी द्वारा इस्लाम स्वीकार करने पर उसे क्षमा करने की व्यवस्था की तथा सरकारी पदों के लिए इस्लाम को अंगीकार करना एक सरल नियम के रूप में

अपनाया। हिन्दुओं पर करो का अतिरिक्त भार डाल कर उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया कि वे इस्लाम स्वीकार कर इस अतिरिक्त भार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय पृष्ठभूमि में इन आघारों पर औरगजेव एक कट्टर हिन्दू विरोधी नीति अपनाने वाला शासक उभर कर आता है परन्तु यदि समकालीन शासकों के साथ उसकी तुलना की जावे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह दूसरे शासकों की तरह कठोर न था। हिन्दुओं पर लगाया गया जजिया आयरलैण्ड में रोमन कैथोलिकों से वसूल किये जाने वाले 'टिथी' कर से कम कठोर था। कॅवेलियर इंग्लैण्ड की तरह उसने कभी भी हिन्दुओं को अपने घर की एकान्ता में पूजा-पाठ करने पर प्रतिबन्ध न लगाया। औरगजेव का प्रमुख दोष यही था कि उसने अकबर द्वारा दी गई दिशा को पूरे रूप से उलट कर रख दिया।

हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्ध :—सल्तनत और मुगल काल में हिन्दू तथा मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्धों को लेकर इतिहासकारों में अत्यधिक मतभेद है। एक वर्ग ऐसे इतिहासकारों का है जो इन युगों को धार्मिक अमहिष्णुता का युग नहीं मानता है। हिन्दुओं के साथ यदि शासकों ने किसी प्रकार की कठोर नीति अपनाई तो इसके मूल में धार्मिक अहिंसा ही न होकर राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य थे तथा जिस प्रकार से हिन्दू और मुसलमानों ने एक दूसरे के विचारों, रहन-सहन आदि को प्रभावित किया उससे यही परिणाम निकलता है कि दोनों वर्गों के बीच सम्बन्ध अच्छे थे। यदि इस विचारधारा का आधुनिक सन्दर्भ में प्रस्तावित अध्ययन किया जावे तो स्वाभाविक रूप से यह रुचिकर प्रतीत होता है क्योंकि धार्मिक आग्रह की मांग हिन्दू-मुस्लिम एकता की है। डॉ. ए. ए. शमी ने इस आवश्यकता को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है और निश्चित ही राष्ट्र के निर्माण और उसकी उन्नति के लिए इस प्रकार के मधुर सम्बन्ध आवश्यक भी हैं। परन्तु धार्मिक सन्दर्भ में पुरानी सस्याओं को देखना और उनको जोड़-तोड़ कर समयानुकूल बनाना अधिक उपयोगी न होगा और विशेष कर उस समय में जबकि धर्म विशेष राज्य की कल्पना ने जन्म भी नहीं लिया था। इतिहास को भुलाने से कोई विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव न हो सकेगी। अधिक अच्छा तो ये है कि इतिहास में की गई भूलों को पुनः न दोहराया जावे। इसीलिये, इतिहासकारों का दूसरा वर्ग, इन युगों को धार्मिक अमहिष्णुता का युग मानता है और केवल कुछ ही शासकों के समय को छोड़कर हिन्दू वर्ग प्रत्येक प्रकार से पीड़ित था। ऐसी स्थिति में, दोनों के बीच मधुर सम्बन्धों की कोई सम्भावना ही नहीं हो सकती। हिन्दू द्वितीय श्रेणी के नागरिकों में गिने जाते थे और अपने ही देश में वे स्वयं को विदेशी समझने लगे थे। राज्य-के छोटे छोटे पदों पर वे हस्तिये प्राप्त करते थे कि मुस्लिम वर्ग उन्हें अपनी स्थिति से निम्न समझता था तथा उनको, स्वीकार करने के लिए तत्पर न था। साथ ही इन पदों पर, वे कार्य

करने में भी स्वयं को अयोग्य समझते थे। स्वभाव से वे प्रशासनिक पदों की अपेक्षा सैनिक पदों में अधिक रुचि रखते थे, इसलिए हिन्दू वर्ग को (सैनिक) इस क्षेत्र में कोई सम्मानित पद न मिल सके।

इस प्रकार के सम्बन्धों का मुख्य रूप से तीन कारण प्रतीत होते हैं। प्रथम मुसलमानों द्वारा भारत विजय की विशेष प्रकृति, द्वितीय पराजित और विजेता के बीच स्वाभाविक कटुता, तृतीय बहु-संख्यक हिन्दू प्रदेश में शरा के अनुसार शासन करने की प्रवृत्ति। मुस्लिमों ने भारत विजय की नीति में अपने समर्थकों की सख्या को बढ़ाने में तथा अधिक से अधिक सैनिकों को जुटाने में धर्म का सहारा लिया और इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनैतिक उद्देश्यों के साथ धार्मिक उद्देश्य भी जुड़ गये। विजय के पश्चात् यह सम्भव नहीं था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जावे। अगर ऐसा किया जाता तो वे लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर विजय में सहयोग दिया था वे ही विरोधी हो जाते। इनको अपने साथ रखने के लिए राजनीति की धर्म के माध्यमों से रचना आवश्यक था। और जब जब ये हुआ तब-तब हिन्दू-मुस्लिम वर्ग के बीच सद्भावना बनाये रखना असम्भव हो गया। इसी प्रकार विजेता तथा पराजित के बीच आपसी कटुता भी एक साधारण सी बात थी और विशेष कर ऐसी स्थिति में जबकि धर्म, आचार विचार, दर्शन और संस्कृति के आधार पर दोनों में पर्याप्त अन्तर हो। इसका साथ ही बहु-संख्यक हिन्दुओं पर शरा के नियमों को लागू करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं था और ऐसी स्थिति में जब शासन न्याय का आधार केवल शरा ही मानता हो तब हिन्दुओं के लिए समानता प्रथम सम्मानित जीवन यापन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सल्तनतकाल में अलाउद्दीन व मुहम्मद तुगलक तथा मुगलकाल में अकबर और जहांगीर को छोड़कर सभी मुस्लिमों तथा पातशाहों ने तथा मुगल शासकों द्वारा हिन्दुओं के प्रति सद्भावव्यवहार की भाशा करना व्यर्थ था। जब शासकों का यह दृष्टिकोण था तो स्वाभाविक रूप से शासित वर्ग से सम्बन्धित मुस्लिम वर्ग का इसी प्रकार का व्यवहार बन जाना सहज था। ऐसी स्थिति में विशेष-अधिकार-प्राप्त मुसलमानों और अधिकार-हीन-हिन्दुओं के बीच आपसी वैमनस्य के अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इसके मूल में मुख्यतः दो प्रवृत्तियाँ सचीय थीं। एक तो शासन और विशेषाधिकार प्राप्त मुस्लिम वर्ग की धार्मिक असहिष्णुता और दूसरे धार्मिक तथा सामाजिक दोनों में हिन्दू तथा मुस्लिम वर्ग का दृष्टिकोण। हिन्दू वर्ग धार्मिक दृष्टि से उदार परन्तु सामाजिक दृष्टि से अनुदार था जबकि मुस्लिम वर्ग सामाजिक दृष्टि से उदार परन्तु धार्मिक दृष्टि से अनुदार था। ऐसी विरोधी प्रवृत्तियाँ होते हुए दोनों वर्गों में

मधुरता के सम्बन्ध रहना सम्भव भी नहीं थे। सौभाग्य से ये कटुता अधिकतर सम्पन्न और उच्च वर्ग तक ही सीमित थी क्योंकि जन साधारण चाहे वह किसी वर्ग से सर्वघिन हो साधारणतया शान्तिमय जीवन बिताता ही परु द करता है। इसी कारण जन-साधारण पर एक दूसरे का प्रभाव दिखाई देता है। वे खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों में एक दूसरे से प्रभावित हुये बगैर नहीं रहे। ममस्त मध्ययुग इसी बात का प्रमाण है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि साधारणतया दोनों क बीच कटुता के सम्बन्ध थे जिनका एकमात्र उत्तरदायित्व शासकों तथा उलेमाओं पर था, परन्तु सती, दासनिको और विद्वानों ने हिन्दू मुसलमानों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की आवश्यकता पर बल दिया और विद्यमान परिस्थितियों ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि अतिरिक्त उनके सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है।



## मध्यकालीन अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग व साधारण वर्ग की दशा

मध्यकालीन इतिहास में विभिन्न-सामाजिक-वर्गों का सगठन जटिल न था। मुल्तान प्रथवा 'पातशाह' जो कि साधारण रूप में जन-समुदाय का नेता या प्रौर शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी समझा जाता था समाज का प्रमुखा माना जाता था जिसके अधीन अमीर व विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे जिनका अधीनस्थ-मैत्री (सवारडीनेट एलायंस) के रूप में ही शासक से सम्बन्ध था। इस वर्ग के नीचे हिन्दुओं और मुसलमानों का जन-समुदाय था। साधारण परिस्थितियों में इस वर्ग की दयनीय स्थिति ही इनकी विशिष्ट वर्गों से अलग-थलग रखने के लिये प्रयाप्त थी।

भारत में तुर्कों राज्य की स्थापना के शीघ्र काल में हम इह दो वर्गों में बांट सकते हैं। प्रहल-ए-कलम अर्थात् वृद्धिजीवी तथा प्रहल-ए-लेग अर्थात् सैनिक प्रथवा सलवार के घनी। भारत में इन सब ने ही तुर्कों साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया और उसी योगदान के अनुपात में इनको शासन द्वारा पुरस्ठृत किया जाता रहा। परन्तु जैसे जैसे साम्राज्य गठित व व्यवस्थित होने लगा वैसे ही वैसे शासन को विभिन्न विशेषता की आवश्यकता अनुभव होने लगी और इसी कारण विभिन्न वर्गों का पुन वर्गीकरण होने की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई। हुमायूँ द्वारा दिये गये विभाजन के आधार पर हम इन्हें तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रहल-ए-दौलत जिन्हें अन्तर्गत शासक वर्ग, राज्य-परिवार, अमीर व सैनिक वर्ग के सदस्य, प्रहल-ए-सादत जिसमें उलेमा, काजी, सैयद, विद्वान तथा प्रहल-ए-मुरार जिसमें सगीतज्ञ, भाट व चारण तथा सुन्दर स्त्रियाँ आती थी। इसका यदि गहनता से और विवेचन किया जावे तो हमें अनेकों छोटे-छोटे वर्ग मिलते हैं जो मुस्लिम समाज के प्राथमिक वर्गों के समूहण थे। इनमें स्थिति के अनुसार सर्वप्रथम मुल्तान, राज्य-परिवार के सदस्य, खान तथा सम्मानित अमीर, सैयद, उलेमा, कुत्तीन, इत्यादर तथा मनसबदार,



उसकी कब्र पर बहुमूल्य मकबरा बनाया जाता था, खैरात भयवा दान-ग्रह खोले जाते थे, मृग-मुल्तान की आत्मा की शान्ति के लिये कुरान का पाठ करने वाले भ्रान्ते ही व्यक्तियों को लगाया जाता था तथा गरीबों और फकीरों के लिये भ्रान्त दिनों तक लगर खोल दिये जाते थे। स्वाभाविक रूप से इनका भार राज्य-रूप पर पड़ता था और इनकी पूर्ति के लिये यदि राज्य के बोझिल कर, भ्रष्टाचार और एक शब्द में यदि राज्य के समस्त साधन पूर्ति न कर सकें तो शासक न केवल दूसरों की सम्पत्ति को जप्त करने का अधिकारी था अपितु उस पर कोई ऐसा नैतिक भ्रुकुश न था जिससे वो निकटवर्ती प्रदेशों को जीजित कर उन्हें अपने साधन के रूप में प्रयोग न कर सके। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा सकता है कि वह वर्ग जो इन बोझिल करों से दबा था तथा जिस पर शासक की मर्जी के अनुसार समय-प्रसमय किसी भी प्रकार के करों को और ज़ादा जा सकता था उसकी स्थिति केवल दयनीय के अतिरिक्त कोई दूसरी न रही होगी।

अमीर तथा नौकरशाही-शासक की नकल करने में किसी प्रकार से पीछे न थे। साधारण रूप में वे अपने अपने क्षेत्रों में शासक के ही प्रतिरूप थे। शासक की तरह उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थों में कटौती करने भयवा परिवारिक-बजट बनाने की ओर सोचा ही नहीं था। सम्भवतः इसका कारण था कि उनकी समस्त सम्पत्ति, सम्मान अदि व्यक्तिगत थे और मृत्यु के पश्चात् राज्य द्वारा जप्त करने के डर से वे इनका अपने जीवन में उपभोग करने पर उतारू थे। सिकन्दर लोदी के एक फरमान से स्पष्ट है कि जेनुहीन को मसन्द ए-आली व सम्बन्धी के रूप में नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप में ही जागीर प्रदान की गई थी। इसी प्रकार से शासक इत्ता तथा वक्क की सन्दे दते समय भी उनको पुन अपनी मर्जी के अनुसार जप्त करने का अधिकार रखता था। इसलिये वो अन्व्याधुन्य स्वर्च करते थे और शासक की ही तरह अपने यहाँ अपने कर्मचारियों का एक बड़ा परिजन (रेटेन्यू) रखने के आदी थे जिनमें न केवल गायक और कवि ही थे अपितु अग्रणीय व्यक्तिगत सेवक भी थे। इन परिजनों को वो अपनी शान-शौकत के अनुसार सुन्दर घोड़े, खिलभत तथा भट देते थे। शहजादे की ही तरह वे अपने राजकुमारों के विवाह पर मनमाने ढंग से घन स्वर्च करते थे। बलवन के एक अमीर किशलूखाने ने 10,000 टक अपने सेवकों में बाटे। मुहम्मद तुगलक का एक अमीर अपने परिजनों पर लगभग साठे तेरह लाख टक प्रति वर्ष स्वर्च करता था। इसी प्रकार हे जलालुद्दीन के एक अमीर ने कमी भयवा अभाव के दिनों में अपने पुत्र के विवाह पर लगभग 2 लाख टक स्वर्च किये थे। इसके अतिरिक्त उसने 100 घोड़े और लगभग 1 हजार खिलभत भी इस अवसर पर बाटे थीं। बलवन का एक अमीर मलिक मली, घोड़ा भेट करतें समय सदैव ही एक घादी के सिक्कों से भरा थैला देता था और फकीर आदि को दान देते समय

कभी भी इसने एक सोने भ्रयवा चादी के सिक्के से कम दान नहीं दिया। केवल यही नहीं कि भ्रमीर जोते जी ही इतनी फिज़ूल खर्ची करत थे अपितु मृत्यु के बाद भी खर्च में किसी प्रकार की कमीती नहीं की जाती थी। बलबन वा एक भ्रमीर फखरद्दीन कोतवाल अपने यहां 12,000 कुरान पढने वालो को रक्षता या। ऐसा कहा जाता है कि वह कभी भी एक ही बिस्तर पर दूसरी बार नहीं सोता था और न ही एक बार के पहने हुए कपड़े दूसरी बार ही पहनता था।

मुगलकाल में भी भ्रमीरो और नौकरशाही के खर्च में किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई थी। इसका पहला कारण था कि भ्रमीर अपने शासन के ऐश्वर्य और सम्पत्ति से बहुत प्रभावित थे और उसी की तरह अपना जीवन मोज और आनन्द से बिताना चाहते थे। दूसरे उनको ये भय था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार हो जावेगा इसलिए वो अपना धन ऐश और मनोरजन में दोनो हाथों से लुटाते थे। सल्तनत काल की तरह ही भ्रमीर पत्नियों, नौकरों, जँटो एव घोडों के बड़े प्रतिष्ठान रखते थे। पत्नियों के लिये महल की चहारदीवारी के अन्दर ही सब ऐश्वर्य की चीजें जुटा दी जाती थी और नहारदीवारी ही उनके सम्पूर्ण जीवन की सीमा थी जिसको उल्लंघना एक जघन्य अपराध था। दासियों और हिजडों से लेकर तालाब और उद्यान इसी में अन्दर थे। एक भ्रमीर के हरम के भीतरी जीवन का मनुची ने (जो भ्रमद खा की पत्नी नवस बाई था विश्वास पात्र होने का दावा करता है) इस प्रकार विवरण दिया है—“स्त्रिया विविध प्रकार के भोजन द्वारा अपना मनोरजन करना पसन्द करती हैं, स्वयं को शान से सजाने के लिये कपड़े तथा नाभूपण, मोती आदि पहनती हैं तथा अपने शरीर को सुगन्धित करने के लिये नाना प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं एव इत्रों का प्रयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें नृत्य एव प्रहसन द्वारा अपना मनोरजन करने, प्रम-कयाएँ और बहानियाँ सुनने, फूलों की शय्या पर विश्राम करने, बहुते हुए पानी की मधुर ध्वनी सुनने, सगीत सुनने तथा अन्य इसी प्रकार के भ्रामोद-प्रमोद की पूर्ण अनुमति है।”<sup>1</sup>

प्रत्येक भ्रमीर भ्रामतीर से नाच और गाने का शौकीन था। सायकाल से लेकर आधी रात तक हर एक भ्रमीर के घर से घुंघरू और सगीत की आवाज आती थी। नृत्य और सगीत के जलसे उनकी शान-शौकत के अमिन्न भ्रग थे जहा मराब का दौर एव बहुत ही साधारण बात थी। मनुची<sup>2</sup> ने लिखा है कि “सन्ध्या की टण्डन में स्त्रियाँ अत्यधिक मदिरा-पान करती हैं, स्त्रियाँ अपने पतियों से शीघ्र ही ये

1. भ्रतहर, एम— औरगजेब कालीन मुगल भ्रमीर वर्ग में पृ 233-34 (भनुवादक डॉ राधेश्याम)
2. मनुची, भाग 2, पृ. 352-53

घादत सीख लेती हैं।" सन्ध्या समय अमीर स्वयं हरम में अर्ध-रात्रि तक पीने तथा मगीत एवं नृत्य का आनन्द उठाने के लिए आ जाता था।<sup>1</sup>

अमीर मनमाने ढंग से अपना धन खर्च करने के आदी थे। स्त्रियों के अतिरिक्त अमीर, के यहाँ पालतू जानवरों की मन्धा वा अनुमान लगाना ही स्वयं में एक आश्चर्य है। उदाहरणार्थ दाऊद खा लगभग 2,50,000 रुपये प्रतिवर्ष अपने जानवरों पर खर्च करता था।<sup>2</sup> मुर्गे और बटेरो की लड़ाई और पतंगबाजी में भी साधारण अमीर द्वारा लगभग 1 से डेढ़ लाख रुपये खर्च किये जाते थे। नौकरों और दासों की कोई गिनती ही नहीं थी और जब कभी अमीर घर के बाहर निकलता तो सैंबडों और कभी कभी हजारों की सत्या में नौकर खरका एवं पीकदान, मोर-पखा और अमीर की व्यास बुझाने के लिए पानी के बर्तनों को लेकर चलते थे जो केवल इसलिए जाते थे जिससे कि अमीर की शानो-शौकत को बनाये रखा जा सके।<sup>3</sup> सम्य समाज का कोई ऐसा दुर्गुण न था जिससे अमीर वर्ग किसी प्रकार से अछूता रह गया हो और अमीरों में परस्पर इन्ही दुर्गुणों को भ्रमनाने की होड लगी रहती थी।

अमीरों की इस फिजूलखर्ची को ठीक से समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि उनकी आय अथवा पारिश्रमिक का अन्दाजा लगाया जावे। क्योंकि इनकी आय इनके पद के अनुसार न होकर व्यक्तिगत थी इसलिए इस सम्बन्ध में कोई एक रूप (यूनिफार्म) कसौटी लागू करना उचित न होगा, परन्तु इसके बाद भी हमें समस्त मध्यकाल में इनकी आय के अनेकों प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने एक पुराने मित्र को वकील-ए-दर के पद पर नियुक्त किया था और उसके लिए 1,00,000 जीतल आय की भूमि, निश्चित की थी। मुहम्मद तुगलक के समय में नायब तथा वजीर को ईरान के समान एक बड़े प्रदेश की आय दी गई थी तथा उसके चारों मन्त्रियों को प्रति वर्ष 20,000 से 40,000 टक दिये जाते थे।<sup>4</sup> फीरोज तुगलक के समय में वजीर, खान-ए-जहान, को साढे 10 लाख टक, भूमि आवंटन के रूप में मिलते थे। इसके अतिरिक्त उसे व्यक्तिगत भत्ता अलग से दिया जाता था। उसके पुत्रों तथा हरम की स्त्रियों आदि के लिए भी निश्चित वेतन बंधे हुए थे, और क्योंकि इनकी संख्या प्रचुर थी इस आधार पर राज्यकोष पर पड़ने वाले भार का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति भी अतुल थी। फीरोज तुगलक के एक भ्रमीर मलिक शाही को हारे जवाहरात के प्रतिरिक्त वसीयत के रूप में 50,000 टक मिले थे। उमी के एक दूसरे भ्रमीर वशीर के पास 16 करोड़ टक की सम्पत्ति थी। अफगान भ्रमीर मिया मुहम्मद ने पास लगभग 300 मन सोना था। मध्यकाल में सेवा मुक्त अधिकारियों के लिए यह नियम प्रचलित था कि सर्व मुक्ति के बाद उनको इतना धन प्रवश्य मिलता रहे जिसे कि वे सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें। राज्य व अन्य अधिकारियों में मुकद्दम, सैनिक अधिकारियों के वर्तमान की जानकारी सम्भव नहीं हो पाई है परन्तु इसने बाद भी यह निश्चित है कि इनको पेशान दी जाती थी। बलबन जैसे कठोर शासक ने भी जब बृद्ध सैनिक अधिकारियों को सेवा मुक्त किया तो उनके लिए 40 से 50 टक प्रतिमाह की पेंशन की व्यवस्था की थी।<sup>1</sup> सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने एक सैनिक (यक अस्था, जिसके पास एक घोड़ा होता था) का प्रति वर्ष 234 टक वेतन निश्चित किया, दो अस्था (बहु सैनिक जिसके पास एक प्रतिरिक्त-घोड़ा होता था) को 78 टक प्रतिरिक्त दिया जाता था। मुबद्दम जो एक अथ सरकारी नौकर था उसको श्रेती सम्बन्धी कुछ छूट के प्रतिरिक्त, इकट्ठे किए हुए सरकारी लगान में से कुछ प्रतिशत दिया जाता था। परन्तु इसके बाद भी मुबद्दमो ने अपनी अर्न्तिक कार्यवाहियों से अधिक से अधिक धन जुटा लिया था। वे किसानों से अधिक से अधिक धन वसूल करते थे और उसमें से राज्य को कम से कम हिस्सा देकर ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख लेते थे। बरनी ने लिखा है कि वे अच्छे घोड़ों पर सवार होते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, ईरानी धनुषों का प्रयोग करते थे, आपस में युद्ध करते व शिकार खेलते थे और शराब तथा ठाठ की दावते करते थे।<sup>2</sup> अलाउद्दीन ने—उन्से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया और उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसने आदेश दिया कि मुकद्दम भविष्य में श्रेती के लिए चार बैल, दो भैंस, दो दुधारी गायें व बारह बकरियों से अधिक नहीं रखें।

राज्य में दासों अथवा गुलामों की स्थिति को जानना भी अधिक उपयोगी होगा क्योंकि अधिकतर सरकारी अधिकारियों द्वारा इनका मुले रूप से उपयोग किया जाता था। समस्त मध्यकाल में गुलामों की सख्या किसी भ्रमीर अथवा अधिकारी की स्थिति की चोख की और इसलिए राज्य के अधिकारियों का समस्त वर्ग ही इनको अधिक सख्या में नियुक्त करने की प्रतिस्पर्धा में लगा रहता था। सुल्तान बलबन के मास्टर-मास्टर ने 50 से 60 दास केवल पान की सेवा के लिए रख छोड़े थे। इसी

1. अशरफ, के एम — वही, पृ 155-56,
2. अशरफ, के एम — वही, पृ 156.

प्रकार से फीरोज तुगलक के समय दासों कि कोई कमी ही नहीं थी और क्योंकि सुल्तान स्वयं दासों के रखने को प्रोत्साहित करता था इसलिए बगैर किसी कारण नौकरशाही अपने दासों की संख्या में अनियमित वृद्धि कर लेते थे।

साधारण वर्ग के लोगों के लिए दासों को किसी प्रकार का वेतन देना आवश्यक नहीं था। स्वामी केवल दासों की आवश्यकताओं की पूर्ति-मात्र ही कर देता था। केवल सुल्तान ही उनको मान्यता देकर उनका वेतन निश्चित करता था। मुहम्मद तुगलक के समय एक दास को प्रति वर्ष 4 कपड़ों के जोड़े और 120 टक के अतिरिक्त प्रति दिन तीन सेर गोश्त तथा दूसरी आवश्यक वस्तुओं व 2 मन गेहूँ अथवा चावल प्रति माह के हिसाब से दिया जाता था। फीरोज तुगलक जो कि अपने दासों के प्रति अधिक कृपालु था 10 से 100 टक प्रति माह दिया करता था।

राज्य, व्यापारियों और कुशल वृत्ति वाले लोगों के प्रति सजग था तथा उनकी सम्पत्ति और व्यापारिक अधिकारों को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील था। वह उनके स्वामित्व के अधिकारों को ईमानदारी से सुरक्षित रखता था तथा उनको अपने पक्षे अथवा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हर सम्भव सुविधा देता था। फीरोज तुगलक अपने गुप्तचरों को जाँच के कारण व्यापारियों की बढ़ती हुई सम्पत्ति के बारे में उस गलत सूचनाएँ देते थे जिससे कि राज्य उनकी सम्पत्ति का हड़प कर सके बहुत फटकारता था। इस आधार पर व्यापारी-वर्ग की स्थिति सल्तनतकाल में सतोषजनक थी तथा वे सम्पन्न थे।<sup>1</sup> मुगल काल में भी जब तक राज्य स्वयं व्यापार करने में रुचि न लेने लगा तब तक व्यापार सुनिश्चित आधार पर चला। बाबर और हुमायूँ को इतना समय ही नहीं मिल पाया कि वे व्यापार को अपने हाथों में लेने का प्रयास करते। अकबर के आरम्भिक वर्षों को छोड़ कर जैसे-जैसे व्यापार को स्वयं मुगल सम्राट हस्तगत करने की कोशिश करते रहे वैसे-वैसे व्यापारियों की सम्पन्नता समाप्त होने लगी। औरंगजेब के समय में राज्य की अस्थिर नीति, लगातार युद्ध, व्यापारियों के सबनाश का कारण बन गई।

कुशल वृत्ति वाले वर्ग में चिक्किस्तक अथवा बँदा का व्यवसाय काफी अच्छी तरह स्थापित था और शहरो तथा कस्बा में इनकी अथिक्क मान्यता थी। यदि कभी कोई चिक्किस्तक नई खोज करता अथवा पुरानी पद्धति में सुधार करने का प्रयत्न करता तो राज्य उसको न केवल प्रोत्साहन देता था अपितु उचित रूप में उसे सम्मानित भी करता था।

सल्तनत काल में जानकारी के अभाव में कुशल कारीगरों के वेतन-मान नहीं मिल पाय है। मुगल काल में भी केवल आईन-ए-अकबरी से अकुशल कारीगरों और

1. अशरफ, के एम—वही, पृ 157.

मध्यकालीन, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग व साधारण की वर्ग दशा

साधारण मजदूरों में से कुछ के वेतन मिल पाये हैं परन्तु कठिनाई यह है कि प्राईन<sup>1</sup> के लेखक ने भी अपनी जानकारी के स्रोतों का विवरण नहीं दिया है। परन्तु इसके बाद भी गिलवार (चूने का काम करने वाला) को उसकी योग्यता के आधार पर 7 से 5 दाम, सग-तराश (पत्थर का काम करने वाले) को 6 से 5 दाम बेलदार को साठे तीन से तीन दाम, जाली का काम करने वाले को 24 से 18 दाम प्रति वर्ग गज, सुतार को 7 से 2 दाम, कुधा खोदने वालों को 2 से सवा दाम प्रति दिन के हिसाब से दिये जाते थे। मोरलैण्ड ने इस आधार पर यह परिणाम निकाला है कि साधारण वर्ग के मजदूर को 2 दाम, कुशल मजदूर को 3 से 4 दाम, सुतार आदि को 3 से 7 दाम तक दिये जाते थे।<sup>2</sup>

इन वेतन मानों के अध्ययन के बाद यह भी आवश्यक है कि हम उस समय प्रचलित मूल्यों का अध्ययन भी करें क्योंकि वेतन का मान उसकी क्रय-शक्ति पर निर्भर है। समस्त मध्ययुग में हम उस समय में प्रचलित मूल्य की तालिकाएँ मिलती हैं।

इब्राहीम लोदी का समय अपवादस्वरूप बहुत ही सस्ता था। उस काल में एक बहलोली रुपये में 10 मन अनाज अथवा 5 सेर तेल अथवा दस गज मोटा पड़ा खरीदा जा सकता था। 5 टक में एक साधारण परिवार का एक गज मोटा अनाजो से भरपूर पोषण हो सकता था। भागरा से देहली तक की यात्रा (एक नौकर या घोड़ के साथ) केवल 1 बहलोली रुपये में तय कर ली जाती थी। अनाज के नए वस्तुओं के भाव निश्चित ही बढ़ जाते थे। जलालुद्दीन खलजी के समय में अनाज के कारण एक सेर अनाज की कीमत बढ़ कर 1 जोतल हो गई और मुहम्मद बिन तुगलक के समय 16 अथवा 17 जोतल में ही एक सेर अनाज मिलना सम्भव हो सका।<sup>3</sup>

इन दो विरोधी स्थितियों में वस्तुओं के मूल्य बिल्कुल भिन्न थे परन्तु साधारणतया असाउद्दीन खलजी के समय में प्रचलित मूल्य इस समस्त काल (सल्तनत) में प्रतिनिधित्व करते हैं। उस समय में 7½ जोतल प्रति मन, घी 16 से 26\*3 जोतल प्रति मन तथा नमक 2 जोतल प्रति मन मिलता था। जानवरों में गाय 3 से 4 टक व जैट 12 से 24 टक में मिल जाता था। बड़िया किस्म की मलमल 2 टक प्रति गज व अलीगढ़, दिल्ली आदि की घटिया मलमल का धान 6 टक से

1. प्राईन-ए-मजदूरी (अनुवादक अनाकनैन) पृ. 325.
2. मोरलैण्ड, इन्ट्रू एच—इण्डिया ऐट द डेय ऑफ़ प्रकवर, पृ. 191.
3. अमरफ, के एम—वही, पृ. 159.

लेकर 17 टक के बीच मिल जाता था। घर काम के लिए औरत 5 से 12 टक में प्राप्त थी। यद्यपि एक घतुर दाम के मूल्य को निश्चित करना सम्भव नहीं था पर तु एक दुप्राय, निपुण दास 120 टक में मिल जाता था। सस्तनत काल में अनेको ऐसे उदाहरण मिलते हैं जबकि दासों को 900 से लेकर 20,000 टक में भी खरीदा गया था।

मुगल काल में अक्टूबर के समय में प्रचलित वस्तुभा के मूल्य सस्ते थे और आईर्न-ए-अक्वरी में दिए गये विवरण के अनुसार दो दाम में 9½ पौंड गेहूँ अथवा 1½ पौंड धाँ अथवा 12½ पौंड तेल (तिल का) खरीदा जा सकता था। जहांगीर और शाहजहा के समय में एक और तो वस्तुभा के मूल्य बढ़ गये थे और दूसरी ओर रुपये का मूल्य कम हो गया था। अक्टूबर के समय में जहाँ 1 रुपया 40 दाम के बराबर था वहीं जहांगीर के समय तक आकर केवल 30 दाम का रह गया था। स्वाभाविक रूप से साधारण वर्ग के लोगों का जीवन-यापन पहले की अपेक्षा अधिक कठिन हो गया था।

मोरलैण्ड ने आईर्न ए अक्वरी में 1920 में प्रचलित मजदूरी का तुलनात्मक अध्ययन किया है। जिसके अनुसार 1 दाम 2 आने या 9 पाई के बराबर था।<sup>1</sup> इस आधार पर एक अकुशल कारीगर को 5 आने कुशन को 4 में 1 आने तथा एक सुतार को 8½ आने प्रति दिन मिलते थे। इस मजदूरी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि साधारण वर्ग अथवा निम्न वर्ग की दशा इस समय कैसी रही होगी।

साधारण वर्ग की दशा अथवा जीवन-स्तर का अनुमान हम आसानी से इन आधारों पर कर सकते हैं। बादर न भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 'यहाँ के निम्न श्रेणी के लोग नंगे घूमा फिरा करते हैं। ये दृजत ढकने के लिए चीखड़ा बांध लेते हैं, यह टूटी से दो विलास्त नीचे लटका रहता है, और एक छोर टांग के बीच में में निकाल कर पीछे इसी कपड़े में बांध दिया जाता है। इस चीज को ये लोग लंगोटा कहते हैं। औरतें भी इसी तरह लँग सगाती हैं। उनका आधा वस्त्र तो कमर और छाती तक रह जाता है और आधा सर को ढक लेता है।' भारत के साधारण वर्ग की दशा को यह स्पष्ट रूप से इंगित करती है। यद्यपि हुमायूँ ने किसानों की दशा सुधारने की दिशा में प्रयत्न किया परंतु निम्न वर्ग की स्थिति उसी प्रकार की बनी रही। अक्टूबर के समय में भी निम्न अथवा साधारण वर्ग काल जैसी स्थिति में ही रहता था और अकाल के समय उनकी दशा अत्यन्त दयनीय थी। यहाँ तक कि अकाल के समय अपना पेट भरने के लिए उनके पास अपना बच्चा को दास रूप में

बेचने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा न था। समस्त ही विदेशी यात्री इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बनियार का विचार है कि व राज्य के अधिकारियों द्वारा इतने पीड़ित थे कि उनके लिए दोनों समय सूखी रोटी जुटाना भी अत्यन्त कठिन था। मजदूर होकर वे एक समय ही खाकर गुजर करते थे। मोरलैण्ड ने उस समय की स्थिति के सम्बन्ध में बहुत ही सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। उसने लिखा है कि "जुलाहे स्वयं नगरे रह कर दूसरों के लिए कपड़े बुनते थे, किसान स्वयं भूखा रहकर शहर और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए भ्रम पैदा करता था। अकाल की स्थिति में वे अपने हाड-मांस व वच्चों को बेचकर जीते थे।" <sup>1</sup> इन परिस्थितियों में सामान्य वर्गों की दशा का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। शहरों और कस्बों में रहने वाला अमीर अथवा मध्यम वर्ग यदि आराम और सुख, सुविधा से जीवन बिताता हो तो इससे देश के बहुजन के बारे में किसी प्रकार से सही स्थिति की जानकारी नहीं की जा सकती। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समस्त मध्यकाल में अमीर व मध्यम वर्गों को छोड़कर सबकी स्थिति दयनीय थी।

1. मोरलैण्ड, डब्लू एच — काम अक्बर टू औरगजेव, पृ. 204-05.



# संदर्भ ग्रन्थ

- अतहर अली, एम.  
 अन्तारी, एम ए  
 अफ्रीक  
 अन्दुल, अजीज  
 अबुल फजल  
 अहमद, अजीज  
 असकीन विलियम  
 अहमद, एम बी  
 अशरफ, के एम  
 इब्नबतूता  
 इब्नहसन  
 इरविन, डब्ल्यु  
 इलियट एण्ड टाउसन  
 ओम्हा, पी एन  
 कानूनगो, के आर.  
 कुरैशी, आई एच  
 सोसला, आर पी  
 घोपाल, यू एन  
 जहाँगीर  
 जोहरी, आर सी
- द मुगल नोबिलिटी अण्डर औरगजेव  
 सोशल लाइफ ऑफ द मुगल एम्परास  
 तारीख-ए फीरोजशाही  
 द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी  
 अकबरनामा (अ प्रेजी अनुवाद एच वेवरिज)  
 भाईन-ए अकबरी (अप्रेजी अनुवाद भाग-1 ब्लावरम  
 भाग 2 व 3 एच.एस जैरट तथा जदुनाथ सरकार)  
 पोलिटिकल हिस्ट्री एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ द अली ड्रा  
 अम्पायर  
 हिस्ट्री ऑफ इण्डिया अण्डर द फर्स्ट टू सावरेन्स ऑफ  
 हाउस ऑफ तैमूर  
 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मेडिकल इण्डिया  
 लाइफ एण्ड कन्डीशन ऑफ द पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान  
 बिताब उल रहला (अप्रेजी अनुवाद मेहदी हुसेन)  
 द सेन्ट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल अम्पायर  
 द आर्मी ऑफ द इण्डियन मुगल्स  
 लेटर मुगल्स भाग 1 तथा 2  
 हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ऐज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स  
 भाग 1-6  
 सम आस्पेक्टस ऑफ नाइन इण्डियन सोशल लाइफ  
 शेरशाह एण्ड हिज़ टाइम्स  
 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ देहली  
 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल अम्पायर  
 मुगल किंगशिप एण्ड नोबिलिटी  
 ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पोलिटिकल आइडियाज  
 तुग़क ए-जहागीरी (अप्रेजी अनुवाद रोजर्स एव, वेवरिज)  
 फीरोज तुग़लक

